अष्टम माला, खंड 6, अंक 46

शुक्रवार, 17 मई, 1985
27 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

लोक सभा वाद-विवाद का
हिन्दी संस्करण
अष्टम माला
खंड - 6
अंक - 46-48
17-20 मई 1985
PLB

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 46, शुक्रवार, 17 मई, 1985/ 27 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 895 से 899, 901, 902 और 904	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	25 –31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31—229
तारांकित प्रश्न संख्या : 900, 903 और 905 से 914	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7027 से 7227	
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	233—235
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	235 —245
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	245
विधेयक पर अनुमति	246
नियम 377 के अधीन मामले	246 – 260
(एक) बिहार में सोन नहर प्रणाली के कार्य को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता	
श्री तपेश्वर सिंह	246

---

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में धन का विशेष आबंटन

श्री जैनुल बशर 247

(तीन) शारदा अधिनियम में संशोधन

श्री मूल चन्द डागा 248

(चार) कबीर और गुरु नानक जैसे संतों की वाणियों का प्रचार

श्री मदन पांडे 248

(पांच) आगरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर यमुना नदी पर जवाहर पुल की मरम्मत

श्री निहाल सिंह जैन 249

(छः) कोटा ताप विद्युत संयंत्र के इंजीनियरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कर्मचारियों को दी जा रही सभी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल 249

(सात) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के जल संसाधनों का उपयोग करने हेतु व्यापक और दीर्घकालिक योजनाएं

श्री हरीश रावत 250

(आठ) उत्तर बिहार में मांझी से मोहदी शहर तक गंगा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण

श्री राम बहादुर सिंह 251

(नौ) कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने में हड़ताल को समाप्त कराने के लिए वहां के प्रबंधकों को कर्मचारी संघ से बातचीत व समझौता करने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री सुरेश कुरुप 251

(दस) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न एककों द्वारा नदियों और खुले मैदानों में औद्योगिक और रसायनिक अपशिष्टों का विसर्जन किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मार्गोपाय खोजने की आवश्यकता

श्री के० आर० नटराजन 252

(ग्यारह) बिहार में रेल सुविधाएं

श्री सी० पी० ठाकुर 253

(बारह) जिन किसानों की भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की गई है उन्हें पर्याप्त मुआवजा, आवासीय भूखंड और रोजगार देने की मांग

श्री भरत सिंह 253

(तेरह) गुर्दे के रोगियों के लिए एक जीवन-रक्षक औषधि "इमुरान" उपलब्ध कराना

श्री डी० एन० रेड्डी 253

(चौदह) लुप्त हो रही "सवारिआ पहाड़िया" जनजाति को बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री रेणुपद दास 254

(पन्द्रह) बालासोर जिले में किसानों को सहायता देने के लिए उड़ीसा की वित्तीय सहायता देने और अकाल संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि जेना 255

(सोलह) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में बरहामपुर से बौध अथवा सोनपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ 255

(सत्रह) पंजाब सरकार को उड़ीसा के 17 दादन मजदूरों का पता लगाने और उन्हें ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही 256

(अठारह) जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक धनराशि दिए जाने की मांग

श्री अजय विश्वास 257

(उन्नीस) जबलपुर शहर को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में शीघ्र शामिल करना

श्री अजय मुशरान 257

(बीस) आयातित जीवन रक्षक औषधियों को सीमा शुल्क से छूट देने और उनकी उचित मूल्य पर बिक्री कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 258

(इक्कीस) उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों में चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक 259

(बाईस) मसुलीपत्तनम-विजयवाड़ा राज्य राजमार्ग को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव 259

(तेईस) फ्रांस और अमरीका में भारत महोत्सव में आंध्र प्रदेश के कलाकारों का प्रतिनिधित्व

श्री एस० एम० भट्टम 260

(चौबीस) गेहूं और सरसों के लाभप्रद मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव 260

कम्पनी (संशोधन) विधेयक 260—275

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० एम० जी० रंगा 261

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी 261

श्री वीरेन्द्र पाटिल 264

खंड 2 से 6 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र पाटिल 271

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी 272

श्री अब्दुल रशीद काबुली 272

आयुद्ध (संशोधन) विधेयक 276—293

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 276

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी 277

श्री केयूर भूषण 278

श्री बसुदेव आचार्य 279

श्री सोमनाथ रथ 280

श्री एच० एम० पटेल 281

श्री अब्दुल रशीद काबुली 282

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 287

श्री विजय कुमार यादव 288

श्री जी० एम० बनातवाला 288

खंड 2 और 1

विचार करने के लिए प्रस्ताव—

श्री एस० बी० चव्हाण 290

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगमों का रूप दिये जाने के बारे में संकल्प 294—300, 301—328

श्री चिंतामणि जेना 294

श्री एस० जयपाल रेड्डी 296

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक 301

श्री अनूप चंद शाह 302

डा० गौरीशंशर राजहंस 304

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 307

श्री अब्दुल रशीद काबुली 309

श्री वी० एन० गाडगिल 314

श्री एम० रघुमा रेड्डी 326

सभा का कार्य 300—301

सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के बारे में संकल्प 328 – 338

श्री जनक राज गुप्ता 328

डा० जी० विजय रामा राव 332

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 335

श्री चिंतामणि पाणिग्रही 337

सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में वक्तव्य 338—339

श्री जनार्दन पुजारी 338

आधे घंटे की चर्चा 339—350

ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को सुचारू बनाना

प्रो० नारायण चन्द पराशर 339

श्री जनार्दन पुजारी 342

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 345

श्री हरीश रावत 346

श्री चिंतामणि जेना 347

राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत तथा विदेशों में स्थित शाखाओं में कथित धोखाधड़ी के मामलों, जिनके कारण अरबों रुपयों की हानि हुई है, के बारे में चर्चा 350—401

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 350

डा० गौरीशंकर राजहंस 358

श्री पी० अप्पालानरसिंहम 360

श्री सैफुदीन चौधरी 363

श्री हरीश रावत 366

श्री एस० जयपाल रेड्डी 368

श्री के० एस० राव 374

श्री नारायण चौबे 379

श्री राम नगीना मिश्र 383

श्री अब्दुल रशीद काबुली 386

श्री जनार्दन पुजारी 394

लोक सभा

शुक्रवार, 17 मई, 1985/27 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने कल सभा को चौधरी गिरधारी लाल, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे, के दुःखद निधन के बारे में सूचित किया था ।

वह 1945—74 के दौरान 29 वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे और 1946 से 1967 तक राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और पुनः 1970-72 के दौरान भी वह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला । इससे पहले वह 1946 में राज्य सरकार के संसदीय सचिव भी रहे । वह 1972-74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे ।

एक योग्य सांसद होने के नाते वह सभा में विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान सम्बन्धी कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे । वह 1964 में सोवियत संघ में हुए सिंचाई और विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने आने वाले भारतीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे ।

चौधरी गिरधारी लाल का निधन 73 वर्ष की आयु में 16 मई 1985 को नई दिल्ली में हुआ ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ होगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विद्युत करघा उद्योग में संकट

[अनुवाद]

*895. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवन्डी, महाराष्ट्र में विद्युतकरघा उद्योग को तीन लाख विद्युतकरघों के बन्द होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप छः करोड़ रु० से अधिक की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो बेरोजगार हो गये हैं और जिन्हें मजबूर होकर इस क्षेत्र में जाना पड़ रहा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, तीन लाख के करीब पावरलूम्स भिवन्डी में बंद हो गए है। संख्या में फर्क हो सकता है। जब डिपार्टमेंट की तरफ से न्याय नहीं मिलता तो लोग न्यूज-पेपर्स का सहारा लेते हैं। जो प्रेस में न्यूज आती है, उसमें कुछ-न-कुछ तथ्य होता है। दो-तीन बार यह न्यूज निकली है। वहां पर बिजली की कमी थी। लोग अपना धंधा छोड़कर चले जाते हैं। बम्बई जैसे शहर में पता नहीं चलता क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई टीम भेजकर यह पता लगायेंगे कि एक्चुअली कितने पावरलूम्स वहां पर बंद पड़े हैं और कितने लोग डिसप्लेस हुए हैं या बाहर चले गए हैं। बम्बई में टैक्सटाइल मिल के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। धीरे-धीरे टैक्सटाइल मिल के मालिकों ने मिलें बंद करके दूसरे क्षेत्र में इन्वैस्टमेंट किया और कुछ बाहर चले गए। इसलिए बम्बई में धीरे-धीरे इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में प्राबलम्स आ रही हैं। भिवन्डी का भी उसमें एडीशन हो जायेगा। इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टीम भेजेंगे कि एक्चुअल कितने बंद हुए, क्या नुकसान हुआ और कितने लोग बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग के एक सर्वेक्षण दल ने गत दो माह से कुछ अधिक समय पूर्व फरवरी 1985 में 500 इकाइयों का दौरा किया और उसे भिवन्डी

में विद्युत करघा उद्योग में कहीं भी संकट की स्थिति दिखाई नहीं पड़ी। पुनः एक सयुक्त दल, जिसमें श्रम आयुक्त बम्बई के अधिकारी, श्रम उपायुक्त, थाना और श्रम आयुक्त भिवडी के अधिकारी शामिल थे, ने हाल ही में 8 और 9 मई, 1985 को वहां का दौरा किया और उन्हें भी कहीं इकाइयों के बंद होने या श्रमिकों के बेरोजगार होने की स्थिति दिखाई नहीं दी। अतः मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस संकट का उन्हें भय था, वैसा बिलकुल नहीं है।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन विद्युत करघों से विभिन्न क्षेत्रों को उतनी ही मात्रा में धागे की सप्लाई की जाती रही अथवा पिछले तीन महीनों में अधिक या कम मात्रा में सप्लाई की गई। क्या मंत्री महोदय हमें ये आंकड़े दे सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत करघों के उत्पाद की कितनी सप्लाई की गई ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : वह विशेष सूचना या आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हमने हर दृष्टिकोण से इसकी जांच की है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है तो मैं खुशी से उस पर ध्यान दूंगा और उपचारात्मक कार्यवाही करूंगा।

श्री मुरली देवरा : विद्युत करघों में निर्मित कपड़े पर अलग-अलग उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और पूरे भारत में मिलों में निर्मित कपड़े पर बहुत अधिक उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। नई वस्त्र नीति में, जिसकी आप घोषणा करने जा रहे हैं, क्या आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि बम्बई शहर तथा अन्य केन्द्रों द्वारा विद्युत करघों, आदि में निर्मित कपड़ा अन्य कपड़े के साथ प्रतियोगिता कर सकें ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हम इस स्थिति से अवगत हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मुझसे यह अपेक्षा नहीं है कि मैं सभा में शीघ्र यह बताऊं कि नई वस्त्र नीति कैसी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि बम्बई में काफी अर्से तक वस्त्र उद्योग में हड़ताल होने के कारण कुछ मिलें इस कारणों से बंद कर दी गई हैं कि उनकी मशीनरी पुरानी पड़ गई है और इकाइयां आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होंगी। उसके परिणाम स्वरूप, बहुत से करघे हटा दिए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कुछ पहल करेगी। बम्बई में उन क्षेत्रों के हजारों श्रमिक कोंकण प्रदेश में चले गए हैं जो कि बम्बई शहर का पृष्ठ प्रदेश है। वे विद्युत करघे वहां भेजे जा सकते हैं और यदि सहकारिता के आधार पर वहां विद्युत करघे वाले कारखाने लगाने का कुछ प्रयास किया जाता है, यदि बम्बई में हटाये गए करघों को पिछड़े कोंकण प्रदेश में हथकरघा उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सहकारी प्रयास को प्रोत्साहन देगी ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : प्रश्न भिवन्डी के सम्बन्ध में है, लेकिन में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं·····

प्रो० मधु दंडवते : भौगोलिक दृष्टि से, भिवंडी कोंकण का ही भाग है··· (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह प्रश्न बम्बई में मिलों के बंद होने तथा अन्यत्र उसका प्रभाव पड़ने से सम्बद्ध नहीं है। लेकिन मैं निश्चय ही माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा।

पटना से माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के मुख्यालय का स्थानान्तरण

[**हिन्दी**]

*896. **श्री सरफराज अहमद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइका सम्बन्धी मुख्य गतिविधियां गिरिडीह और कोडरमा में केन्द्रित हैं परन्तु माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन का मुख्यालय पटना में स्थित है;

(ख) क्या कर्मचारियों के हित में सरकार का विचार माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन के मुख्यालय को पटना से गिरिडीह अथवा कोडरमा में स्थानांतरित करने का है; और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

[**अनुवाद**]

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां। देश में गिरिडीह और कोडरमा अभ्रक खनन के मुख्य केन्द्र हैं। अभ्रक का खनन तथा साधन आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अभ्रक का बड़ा निर्यात बाजार है। मिटको विश्व के लगभग 35 देशों को अभ्रक का निर्यात कर रहा है। वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक कारणों की वजह से मिटको का मुख्यालय पटना में रखा गया जहां संचार के अच्छे साधन उपलब्ध हैं और जो एयर लाइन तथा रेल से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है जिससे मिटको अपने विदेशी खरीदारों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क कायम रख सकता है।

श्री सरफराज अहमद : हम हमेशा श्रमिकों और मजदूरों के बारे में बातें करते हैं। गिरिडीह औद्योगिक दृष्टि से बिहार का पिछड़ा जिला है और यहां आदिवासी रहते हैं। उस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का कोई साधन नहीं है। माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन का मुख्यालय पटना में है, जो गिरिडीह से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है और 'मिटको' के श्रमिकों और कर्मचारियों को छोटे से काम के लिए भी पटना जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 'मिटको' गिरिडीह में औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही से भूमि खरीद चुका है। मंत्री महोदय का कहना है कि चूंकि पटना में संचार-व्यवस्था अच्छी है और वहां विमान तथा रेल सुविधाएं भी हैं, अत:

'मिटको' का मुख्यालय पटना में ही होने से यह सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रख सकेगा। लेकिन यदि ऐसा ही है तो आप इसे पटना से दिल्ली में स्थानांतरित क्यों नहीं करते जहां विमान तथा रेल संचार व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। यह 'मिटको' के उच्चाधिकारियों के हित में होगा। अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मुख्यालय को पटना से गिरिडीह में स्थानांतरित कर दें। इससे गिरिडीह के लोगों को 'मिटको' के कार्यकरण में अधिक अधिकार रह सकेगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हम समझते हैं कि इसे पटना से गिरिडीह में स्थानांतरित करना माइका व्यापार में लगे लोगों और व्यापारियों के हित में नहीं होगा, क्योंकि इससे 'मिटको' के कामकाज में बाधा पड़ेगी। वास्तव में गिरिडीह और भूमरीतलैया में अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इस सम्बन्ध में जो कारण स्पष्ट बताए गए हैं, उस दृष्टि से पटना ही इसके लिए आदर्श स्थान है। यहां रेल सुविधाएं हैं, संचार सुविधाएं है और यह उत्पादन केन्द्रों तथा बंदरगाहों के भी निकट है। अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 'मिटको' का मुख्यालत पटना में ही रहने दिया जाए।

श्री सरफराज अहमद : क्या सरकार की निकट भविष्य में गिरिडीह के अभ्रक परिष्करण कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने अथवा गिरिडीह में अपने अभ्रक रजतन (सिलवरिंग) कारखाने अथवा संधारित्र संयंत्र अथवा अभ्रक कागज संयंत्र लगाने सम्बन्धी कोई योजना है ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इस समय उनका राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है किन्तु अभ्रक पर आधारित उद्योगों के संवर्धन के सम्बन्ध में प्रयास तथा वास्तविक निर्माण कार्य जारी हैं। गिरिडीह तथा भूमरीतिलैया में परिष्करण इकाइयों की स्थापना की गई है तथा हमारा यह भी प्रयास है कि माइक्रोनाइज्ड माइका पाउडर, सिल्वर्ड माइका प्लेट, माइका संधारित्र तथा इन्सयूलेटर्स आदि जैसी अधिक गुणवत्ता वाली मदों, आदि जैसा विविध प्रकार का उत्पादन किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं—क्या बिहार सरकार ने माइका-बेस्ड-इन्डस्ट्री को कोई योजना भारत सरकार के पास भेजी है ? यदि भेजी हैं तो क्या भारत सरकार उस उद्योग की स्थापना करने की मंशा रखती है ?

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर सिंह : यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

श्री पी० पैचालैया : आन्ध्र प्रदेश में गुडूर अभ्रक के व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्षेत्र है। गुडूर में अभ्रक की तीन खदानें हैं, वहां उस अभ्रक की बिक्री के लिए कोई बाजार नहीं है। अत: कई बार तीनों खदानों के मालिकों को 'माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन' के अधिकारियों के पास जाकर उन खदानों का अभ्रक खरीदने के लिए निवेदन करना पड़ता है। यदि माइका

ट्रेडिंग कारपोरेशन उनका उत्पाद खरीदती है, तो उनकी खदानों का काम नहीं रूकेगा। मैं जानना चाहता हुं कि 'मिटको' के अधिकारी उनका उत्पाद खरीदने के लिए आगे क्यों नही आते।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : हमें इस स्थिति की जानकारी नहीं है। लेकिन यदि वहां कोई विशेष कठिनाई है तो माननीय सदस्य मुझे इस बारे में लिखें, मै उनका आभारी होऊंगा। उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में गुडूर में एक अभ्रक परिष्करण कारखाना और एक क्रय केन्द्र चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में तीन इलाकों में माइका निकलती है—बिहार, आन्ध्र और राजस्थान में भी मेरे इलाके भीलवाड़ा में। आपने बिहार और आन्ध्र में प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लगा दी है, लेकिन राजस्थान के लिये हम बराबर पिछले दस सालों से मांग करते आ रहे हैं। चूंकि हमारी माइका थोड़ी हल्के किस्म की है, इसलिये मिटको और दूसरे व्यापारी उसको नहीं उठाते है। अगर प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहां लग जाती है तो निश्चित तरीके से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले एक बार हमारी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हमारी पैरवी से वह मांग फिर रिवाइव हुई है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रोसेसिंग फैक्टरी राजस्थान के भीलवाड़ा मे कब तक लगा देंगे ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह : भीलवाड़ा में मिटको की एक प्रोसेसिंग फैक्टरी चल रही है। वह अभी तक एक किराए के भवन में है और नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

बंगलौर में ऋण शिविर

[अनुवाद]

*897. **श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1985 से अब तक बंगलौर मे कितने ऋण शिविर लगाए गए हैं;

(ख) इन ऋण शिविरों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा इनमें कितनी राशि का वितरण किया गया है;

(ग) इन ऋण शिविरों में ऋण देने के मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) क्या ऐसे गरीब व्यक्तियों को, जिनके पास राशन कार्ड और उनकी आवश्यकता के बारे में उस क्षेत्र में विधान सभा/विधान परिषद सदस्य/संसद सदस्य का पत्र हो, ऋण देने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनवरी, 1985 से बंगलौर शहर में कोई ऋण शिविर नहीं लगाया गया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इन शिविरों में ऋण देने के लिए महत्वपूर्ण मानदण्डों में प्रस्तावित धन्धे की अर्थ-क्षमता और आवेदक की पात्रता उल्लेखनीय है।

(घ) राशन कार्ड या स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का पत्र होना लाभार्थी की पहचान में सहायक हो सकता है लेकिन ऋण के लिए इसे एकमात्र मानदण्ड नहीं माना जा सकता है। ऋण देते समय बैंक उपर्युक्त मानदण्डों को उचित महत्व देते हैं और सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं का भी अनुपालन करते हैं।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है महत्वपूर्ण मानदण्डों में प्रस्तावित धंधे की अर्थक्षमता और आवेदक की पात्रता उल्लेखनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि आवेदक की पात्रता का निर्णय कौन करेगा ? पात्रता के बारे में जांच कौन करेगा तथा लाभार्थी की पहचान का काम कौन सी एजेंसी करेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : अर्थक्षमता सम्बन्धी पहलू पर बैंक के कर्मचारियों द्वारा बैंक में ही विचार किया जाता है। जहां तक पहचान का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात आई० आर० डी० पी०, के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां हैं। वे एजेंसियां राज्य सरकार की हैं। अब शिक्षित स्व-रोजगार योजना के मामले में राज्य सरकार द्वारा कार्य दल बनाए गए हैं। कुछ योजनाओं में राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। इन कार्यक्रमों की जानकारी ली जाती हैं। राज्य सरकार की एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान करती है। पहचान के बाद आवेदन पत्रों को अनुमोदन और स्वीकृति के लिए बैंकों में भेजा जाता है। बैंक कर्मचारी जांच करेंगे और इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करेंगे और फिर इन पर स्वीकृति देंगे।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : महोदय, सभा में भी कई बार यह निवेदन और मांग की गई है कि अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को इन योजना से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। कई स्थानों से कई शिकायतें मिली हैं और इस सदन में भी पहले कई बार यह मामला उठाया गया है। अपने उत्तर में आपने इसे स्वीकार किया है। कल आपने कहा कि ऋणों के सम्बन्ध में समितियों का गठन किया जाएगा जो ऋण वितरण से पूर्व आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करेंगी। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समितियां बनाई जाएं जिनमें संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाए। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, जैसा कि मैने पहले कहा है, राज्य सरकारें इसके लिए एजेंसियां बना रही है। उस जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। दुर्भाग्य से कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को इन एजेंसियों में शामिल नहीं किया है। जहां तक आई०आर०डी०पी० के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब मैंने उनसे विवरण मांगा तो स्वयं उन्होंने विवरण भेजते हुए कहा कि उसमें संसद सदस्यों तथ विधान सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इस नीति को क्रियान्वित नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, आप कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप कृपया उनसे पता लगा सकते हैं कि उन्होंने इस नीति को क्रियान्वित किया है।

श्री वी० एस० कृष्णा कुमार : महोदय, प्रायः हमारा यह अनुभव रहा है कि समूची राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में ऐसे प्रबंधक और अधिकारी हैं जो कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी इस सरकार की प्रगतिशील नीति का विरोध करते हैं। उनमें से कुछ लोग बड़े व्यापारियों के प्रति झुकाव के कारण नहीं चाहते कि कमजोर वर्गों को भी ये सुविधाएं मिलें। कुछ ऐसे लोग भी है जो सैद्धांतिक तौर पर इस सरकार का विरोध करते हैं क्योंकि उन पर विपक्षी नेताओं की अध्यक्षता वाले साथी का नियंत्रण होता है। इन अधिकारियों तथा प्रबंधकों, जो हमारी नीति का उल्लंघन करने का प्रयत्न करते हैं, से निपटने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है ?

श्री जनार्दन पुजारी : कमजोर वर्गों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम पूरे देश में ऋण शिविर लगा रहे हैं। दुर्भाग्य से उसकी आलोचना की गई है और इसे 'ऋण मेला' कहा गया है। हम पूरे देश में जो ऋण शिविर लगा रहे हैं उनमें हम कमजोर वर्गों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे आगे आकर बैंकों से सहायता लें। हम उन्हें यह भी बताते हैं कि बैंक अधिकारियों को वे किसी तरह से घूस न दें और उन्हें इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि ये ऋण प्राप्त करने के लिए किस तरह की प्रतिभूति की आवश्यकता है। हम उन्हें इस बात की जानकारी भी देते हैं कि कुछ विशेष कार्यक्रमों में किस तरह से राज सहायता राशि मिलती है और उन्हें वह राशि किस तरह से लौटानी है। दूसरी तरफ हम बैंक अधिकारियों को भी यह सलाह देते हैं कि वे कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करें और उन्हें सताएं नहीं। हम उन्हें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति समर्पित रहें।

दुर्भाग्य से हो यह रहा है कि कुछ विपक्षी सदस्य और गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों के सदस्य संघों के लोगों के सम्मेलनों में भाग लेते हैं और हमारे काम-काज की आलोचना करते हैं। यहां तक कि जब मंत्री महोदय ऋण शिविरों में जाते हैं तो उनकी भी आलोचना की जाती है। उदाहरणार्थ कर्नाटक राज्य के कुछ मंत्रियों ने कर्मचारियों के सम्मेलन में भाग लेते समय कहा कि वे ऋण शिविरों में कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण न दें। उन्होंने यह सब किया है।

कुमारी ममता बनर्जी : निर्धन लोगों का विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्रामीण बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में लगे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जहां सी० पी० एम० सत्ता में है, कमजोर वर्ग के लोगों को ग्रामीण बैंकों से कोई सहायता नहीं मिल रही है। वे पूरी तरह से सी० पी० एम० के अधिकार में है। इस सम्बन्ध में पूरी जांच कराने तथा गरीबों की सहायता के लिए संसद सदस्यों को इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध कराने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। अन्यथा, ऐसा लगता है कि इन लोगों को ऊंचा उठाना प्रायः असंभव है।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया हमें बताइए कि क्या पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : हम केवल रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि हमें पश्चिम बंगाल की जनता से शिकायतें मिल रही हैं। मै शीघ्र ही पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल में एक ऋण शिविर लगाया जाएगा और मैं स्वयं उसमें भाग लूंगा और देखूंगा कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता दी जाए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस समय पश्चिम बंगाल में उन लोगों को सहायता मिल रही हैं जो उसके लिए पात्र नहीं हैं ? **(व्यवधान)**

श्री आनन्द गणपति राजू : प्रत्येक जिले के लिए केवल 15 करोड़ रुपए ऋण की योजना बनाई गई है। यह किसी भी ऋण योजना के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि है और इस राशि में से, वे विभिन्न ऋण और अनुदान आदि देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि को बढ़ाया जा सकता है ?

दूसरे, आर्थिक प्रगति और विकास समाज के निम्नतम वर्ग तक नहीं पहुंचता। यह एक सीमा पर पहुंचकर ऊपर ही स्थिर रह जाता है और नीचे तक नहीं आता। यहां तक कि हरित क्रांति के लिए भी ऋण बड़े किसानों और जमींदारों द्वारा लिया गया था। जहां तक रोजगार और विकास का सम्बन्ध है, क्या कोई उचित ऋण योजना बनाई जाएगी जिससे समाज के छोटे से छोटे लोगों को सहायता और लाभ मिल सके ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुल अग्रिम राशि का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र को मिलेगा। इस 40 में से 25% कमजोर वर्ग को मिलेगा और पिछले वर्ष इस क्षेत्र पर 3704 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

हमने डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत लगभग 42,95,000 लोगों को 444 करोड़ रुपए दिए। हमने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ सत्तावन लाख से भी अधिक लोगों को 2910 करोड़ रुपए दिए है। हम छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य 3000 करोड़ रुपए वितरित करने का है इसमें 1500 करोड़

रुपए राज सहायता के रूप में दिए जायेंगे। जहां तक राज सहायता का सम्बन्ध है, हम निर्धारित लक्ष्य से अधिक धनराशि वितरित कर चुके हैं। हम 50-50% के आधार पर अर्थात 50% केन्द्रीय बजट से तथा 50% धनराशि राज्य सरकार से, 1554 करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं। जहां तक कृषि क्षेत्र को सीधे धनराशि देने का सम्बन्ध है हमें कृषि क्षेत्र को सीधे सहायता देनी है जो 1987 तक 16% हो जाएगी। हमने किसानों को सीधे सहायता के रूप में 5898.95 करोड़ रुपए दिये हैं। हमने शिक्षित स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख बयालीस हजार से भी अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को 401 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कार्यक्रम यह है और कोई भी नहीं कह सकता कि यह धनराशि पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत जैसा कि वित्त मंत्री बता चुके हैं हम कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने जा रहे हैं।

'नालको' में श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*898. **श्री के० प्रधानी :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नालको) की कोरापुट जिले में डामणजोड़ी स्थित एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो "नालको" की बाक्साइट खानों में कार्य पर कहां तक प्रभाव पड़ा है;

(ग) उक्त परियोजना क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) श्रमिकों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के उप-ठेकेदार के एक मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने से विभिन्न ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा दिनांक 20-3-1985 से 29-3-1985 के दौरान हड़ताल के कारण काम में रुकावट आयी थी। शुरू में मजदूरों से मृतक के वारिस को मुआवजा, दाह-संस्कार का खर्च दिए जाने और मृतक के पार्थिव शरीर को उसके घर भिजवाने की मांग की थी और जिसे ठेकेदार ने पूरा कर दिया था।

बाद में उन्होंने नई मांगें उठाई, जिनमें मृतक के वारिस को नाल्को में फौरन रोजगार

दिये जाने और परियोजना आदि के पूरा होने पर सभी ठेका-मजदूरों को नाल्को में रोजगार दिए जाने की मांगें शामिल थी। राज्य श्रमिक प्राधिकारियों की उपस्थिति में प्रबंधन और यूनियन-प्रतिनिधियों के बीच कई बार बातचीत हुई, जिसमें भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने मृतक के परिवार द्वारा नामित एक व्यक्ति को रोजगार देना स्वीकार कर लिया। हड़ताल समाप्त हो गई और 30.3.1985 से काम फिर शुरू हो गया।

श्री के० प्रधानी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि "नालको" के ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करने वाले एक मजदूर की मृत्यु हो जाने के कारण हड़ताल हुई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मृत्यु कैसे हुई। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं तथा इस मजदूर के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया।

श्री वसन्त साठे : महोदय, जानकारी के अनुसार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एक उप ठेकेदार मैसर्स नार्थ इंडिया इरेक्टर के एक मजदूर मोहम्मद ताजुब खां को 19.3.85 को सायं 5.45 म० प० डामन जोडी में बाचलर यूनिट सं० 2 में एक दुर्घटना हो जाने से मृत्यु हो गई। दुर्घटना इस तरह हुई कि वह मजदूर लगभग 25 फीट ऊंचे बायलर इरेक्शन पर चढ़ा था जहां से फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिणाम-स्वरूप अन्य ठेकेदारों के मजदूरों ने भी काम करना बन्द कर दिया। डामन जोडी क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए मुख्य ठेकेदारों ने समस्त कार्य के लिए लगभग 49 उप-ठेकेदार लगाए हुए है। यह दुर्घटना इस प्रकार घटी थी और प्रतिक्रिया स्वरूप मजदूरों ने स्वत: तत्काल काम बंद कर दिया। उन्होंने मांग की कि मृतक के दाह-संस्कार के लिए खर्चा दिया जाये तथा उसके शव को उसके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था की जाये। ठेकेदार ने यह मांगें पूरी कर दीं। कानून के मुताबिक भी लगभग 17,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए। मुझे सही रकम नहीं मालूम। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह रकम पर्याप्त नहीं है। वे चाहते थे कि मृतक के वारिस को नालको' द्वारा रोजगार दिया जाए। ठेकेदार भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का उप-ठेकेदार था तथा 'नालको' का सीधा सम्बन्ध नहीं था। लेकिन ठेकेदारों के मजदूरों ने मांग की कि मृतक के वारिस को नौकरी दी जाए। इस तरह से यह सब होता रहा और इस तरह हड़ताल लगभग 9 दिन चली। अंत में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मृतक के वारिस को रोजगार देने की बात मान ली और हड़ताल वापस ले ली गई। हड़ताल नौ दिन चली।

श्री के० प्रधानी : एक हड़ताल 20 मार्च 1985 से 29 मार्च 1985 तक हुई। दूसरी हड़ताल एक जून से तीन जून तक हुई। इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित राशि 2,200 करोड़ रुपए है जबकि आरम्भिक अनुमानित राशि लगभग 1200 करोड़ रुपए थी अर्थात इसमें 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। क्या श्रमिक संकट के कारण परियोजना की लागत बढ़ी है अथवा इसमें विलम्ब होने के कुछ और कारण हैं ? यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण में अन्य कारण कौन से है ?

श्री वसंत साठे : श्रमिकों के कारण देरी नहीं हुई है। वस्तुतः इस परियोजना में अधिक हड़ताले नहीं हुई हैं तथा मानव-दिवसों की भी अधिक क्षति नहीं हुई है। परियोजना निर्धारित अवधि में पूरी हों जैसे कि संभावना है। परियोजना की लागत में वृद्धि उपकरण, निर्माण तथा सिविल निर्माण आदि की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। जैसा कि आपने कहा कि (1) विलम्ब या (2) श्रमिक संकट के कारण ऐसा नहीं हुआ है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सरकार ने डामन जोडी के स्थानीय आदिवासी मजदूरों में व्याप्त असंतोष के कारणों की जांच की है। क्या यह सच नहीं है कि डामन जोडी में काम करने वाले ठेकेदार उड़ीसा के नहीं हैं और वे दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने की कोशिश कर कर रहे हैं। इसी कारण स्थानीय मजदूरों में हमेशा असंतोष रहता है और उन्होंने इस बारे में सरकार को भी अभ्यावेदन भेजा है ? क्या माननीय मंत्री कम से कम स्थानीय लोगो में व्याप्त असंतोष के कारणों की जांच करेंगे क्योंकि दूसरे राज्यों के निवासी होने के कारण ये ठेकेदार स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर बाहर से मजदूरों को वहां ला रहे हैं ? स्थानीय लोगों को रोजगार न दिए जाने के कारण उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है और क्या सरकार ने इसकी जांच की है।

श्री वसंत साठे : हमने कुछ जांच की है। जैसा कि सर्वविदित है जब भी किसी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो सरकार की यही नीति रहती है कि वहां के लोगों को रोजगार के अधिकतम अवसर दिए जाएं और इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण हम इस बात के और अधिक इच्छुक हैं कि उन्हें रोजगार के अधिकतम अवसर मिले। मैं मानता हूं कि ठेकेदार उड़ीसा राज्य के नहीं हैं क्योंकि स्थानीय अनुभवी ठेकेदार मिलना सदैव संभव नहीं होता है। लेकिन डामन जोडी में 8,695 तथा अंगुल में 12,414 लोग काम पर लगे हुए हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र कोरापुर में डामन जोडी में काम पर लगे अधिकांश मजदूर ऐसे अकुशल श्रमिक हैं जिन्हें पहले काम के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। वे लोग स्थानीय आदिवासी ही हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां ऐसा ही किया जाए।

हथकरघा क्षेत्र की समस्याए

*899. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा क्षेत्र को किन किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) धागे के सम्बन्ध में उन की मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषतया देश के आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) इन क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग स्थापित करने के लिये दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हथकरघा क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही प्रमुख कठिनाइयां यथोचित कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई तथा तैयार उत्पादों के विपणन से सम्बन्धित है ।

(ख) यार्न के सम्बन्ध में यार्न की मांग पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जैसे कि लच्छा यार्न बाध्यता लगाना जिसके द्वारा विपणन के लिये यार्न उत्पादन करने वाली सभी मिलों को अपने विपणन योग्य यार्न का कम से कम 50 प्रतिशत लच्छों के रूप में पैक करना होगा । इसमें से 85 प्रतिशत 40 तक के काउंटों में होंगे । इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने हथकरघा संकेन्द्रीकरण क्षेत्रों में स्थापित यार्न डिपो की मार्फत बुनकरों को यार्न की सप्लाई के लिए व्यवस्था की हैं । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने गुहाटी और बिहार शरीफ में पहले ही यार्न डिपो खोल दिये हैं तथा अन्य क्षेत्रों में और ऐसे यार्न डिपो खोलने की योजना है । यह केरल और पश्चिमी बंगाल में राज्य हथकरघा एजेंसियों को भी यार्न की सप्लाई कर रहा है ।

(ग) और (घ) अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे कि बुनकरों को अपने आप को सहकारी समितियों में संगठित होने में मदद मिल सके । सहकारिता से बाहर के बुनकरों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हथकरघा विकास निगम स्थापित किये गये हैं ताकि उसके उत्पादन और विपणन कार्यकलाप को सुव्यवस्थित किया जा सके । चूंकि अधिकांश बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं, आशा है कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग को जायेगा । कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, एपेक्स हथकरघा बुनकर समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिये अंशपूंजी सहायता ;

(2) सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को करघों को बदलने और उनके आधुनिकीकरण के लिये ऋण और अनुदान सहायता देना ;

(3) हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान ;

(4) करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता ;

(5) सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिये गहन हथकरघा विकास परियोजना । निर्यात उत्पादन परियोजनाएं ;

(6) हथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान करने के लिये जनता कपड़ा योजना और समाज के पिछड़े वर्गों के लिये सस्ता कपड़ा ; और

(7) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान करना ।

छठी योजना में हथकरघा विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 130 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है ।

आदिवासी क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों के लिये कोई अलग योजनाएं नहीं हैं । तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों को बुनकरों के लिये, जिनमें कुछ स्थानों पर आदिवासी रहते है, कुछ योजनाओं को उदार किया गया है । उदारीकरण के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार है :

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के शेयर की खरीद में बुनकरों के योगदान को 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(2) पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक बुनकरों की समितियों के मामले में प्रबन्धकीय उपदान की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई है ; और

(3) हथकरघा सहकारी समितियों की आधुनिकीकरण सहायता मे उपदान का अंश 1/3 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया है, तथा राज्य सरकारों से भी इतनी ही सहायता दी जायेगी ।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हथकरघा बुनकरों की जो समस्या है और जैसा कि आपने बताया है, उन्हें कच्चे माल की सप्लाई में और जो वस्त्रों का उत्पादन होता है, उसमें काफी समस्या रहती है । कच्चे माल की सप्लाई समय पर हो सके और वस्त्रों की वितरण विधि आसान हो सके, इसके लिए आप कौन से कदम उठा रहे है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जहां तक यार्न की आपूर्ति का प्रश्न है, इसके पूर्व भी व्यवस्था की गई है कि बुनकरों को सूत उचित मूल्य पर बराबर मिलती रहे लेकिन हमने स्थिति की अभी हाल ही में समीक्षा की है और उससे ऐसा जाहिर होता है कि इसमें जो भी कठिनाई रही हो, उसको दूर करने की अवस्था में हम लोग हैं । मै समझता हूं कि बुनकरो को समय पर और उचित मूल्य पर लगातार सूत की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था पूरी की जाएगी ।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष जी, मै दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि देश के आदिवासी इलाकों में इस उद्योग के विकास के लिए और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं या बनवाने जा रही है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों के लिए तो कोई योजना नहीं दी है लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनकरों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं—उसका विवरण इस प्रकार है :—

[अनुवाद]

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के शेयर की खरीद में बुनकरों के योगदान को 10 प्रतिशत से कम करके 5% कर दिया गया है।

(2) पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक बुनकरों की समितियों के मामले में प्रबन्धकीय उपदान की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई हैं ; और

(3) हथकरघा सहकारी समितियों को आधुनिकीकरण सहायता में उपदान का अंश $\frac{1}{3}$ से बढ़ाकर $\frac{1}{2}$ कर दिया गया है राज्य सरकारों से भी इतनी ही सहायता दी जाएगी।

श्री श्याम लाल यादव : माननीय मंत्री ने इस मामले में दो बातों पर ध्यान नहीं दिया है कि विद्युत करघों तथा हथकरघों के बीच की कड़ी प्रतियोगिता है। विद्युत करघे उसी किस्म का कपड़ा तैयार कर रहे हैं जिसकी हथकरघो से उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह एक ऐसी जोरदार नीति अपनाएंगे कि कुछ किस्म के कपड़े के उत्पादन का काम पूरी तरह से हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया जाए और विद्युत करघों को इनके उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाए।

दूसरी बात यह कि उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है कि धागे की सप्लाई को बनाए रखा जा रहा है। लेकिन मुझे खेद है कि मेरे शहर वाराणसी में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशमी धागा उपलब्ध नहीं है आजकल यह 700 रु० प्रति किलो की ऊंची दर पर बेचा जा रहा है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह यथा शीघ्र इसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें अन्यथा हजारों कामगार बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान पिछली बार माननीय सदस्य ने अपने भाषण में वाराणसी में रेशमी धागों के उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए मैंने उपाय किये हैं। मुझे आशा है कि कुछ दिनों में इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक प्रश्न के अन्य भागों का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि विद्युत करघे हथकरघा क्षेत्र में घोर अतिक्रमण कर रहे हैं और नई वस्त्र नीति तैयार करते समय हम इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मैं सदन तथा आमतौर पर बुनकरों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने जो आश्वासन नीति बना ली है और उसे अधिनियम का रूप दे दिया है उसे कारगर ढंग से

कार्यान्वित करने के लिए हम हर संभव उपाय करेंगे तथा अन्य संभव उपाय भी करेंगे ताकि बुनकरों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो सके ।

श्री एन० टोम्बी सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कुछ ऐसी मदों को, जिनका विद्युत करघे और मिलें अतिक्रमण न कर सके हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित करके हथकरघा बुनकरों की दशा को सुधारने के जो उपाय किए हैं उनकी सराहना करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग ही आजीविका का दूसरा साधन है और हथकरघा बुनाई पेशा तथा हथकरघा उत्पाद का विपणन स्थानीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित रह गया है, और आमतौर पर यहां महिलाएं हथकरघा उत्पाद का इस्तेमाल अधिक करती हैं क्या राष्ट्रीय बाजार और निर्यात बाजार में इसकी कमी हो गई है, क्योंकि बुनकरों को उपलब्ध धागे की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मणिपुर और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के, जहां धागे की कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं, हथकरघा बुनकरों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : समय पर और उचित मूल्य पर धागे की सप्लाई करने के लिए हम बहुत शीघ्र एक कार्यक्रम, एक योजना तैयार करने वाले है । मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले प्रधान मंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए विशेष उपाय करने हेतु हमें लिखा था । मैंने वहां अधिकारियों का एक दल भेजा है । मै स्वयं 10 और 11 तारीख को वहां जाने का कार्यक्रम बना रहा हूं । उस क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के समय आने वाली कठिनाइयां भी हम विस्तार से जांच करेंगे । मैं माननीय सदस्यो को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए हर संभव उपाय करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बुनकरों की सख्या बहुत ज्यादा है और उनकी गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कताई मिलों की स्थापना की गई है, जिसमें से 8 कताई मिलें उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, परन्तु ये कताई मिलें स्टेपल न बनाकर के अन्य धागा बना रही हैं, जिससे बुनकरों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि उन कताई मिलों में स्टेपल बनाया जाकर बुनकरों को उपलब्ध कराया जाए ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा है, जहां तक सूत की उपलब्धता का प्रश्न है, उसमें अभी कोई कठिनाई नजर नहीं आती है और हम अतिशीघ्र ऐसी व्यवस्था करने में समर्थ हो सकेंगे कि इसके उत्पादन में कठिनाई न हो और बुनकरों को सूत मिल सके ।

चयनात्मक ऋण नियंत्रण प्रणाली का सरलीकरण

[अनुवाद]

*901. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने हेतु चयनात्मक ऋण नियंत्रण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने तथा उसका सरलीकरण करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य अधिकारियो के साथ हुई अपनी हाल की बैठक में क्या उपाय घोषित किए हैं ; और

(ख) मुद्रा के प्रसार को रोकने में सहायता करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य अधिकारियों के साथ 6 अप्रैल, 1985 को हुई बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चयनात्मक ऋण नियंत्रण प्रणाली को युक्ति संगत बनाने तथा उनका सरलीकरण करने और एक उचित सीमा के अंतर्गत नकदी (लिक्विडिटी) के प्रसार को उचित सीमाओं में रखने के लिए कतिपय उपायों की घोषणा की थी । इनमें ये उपाय शामिल हैं ।

(i) सांविधिक नकदी अनुपात (एस० एल० आर०) को 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया है जिसे दो दौरों में पूरा किया जाएगा ।

(ii) खाद्य के लिए दिये जाने वाले पुनर्वित की सीमा 4,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपए की जाएगी, यह काम 27 दिसम्बर 1985 तक तीन दौरों में पूरा किया जायेगा ।

(iii) खाद्य ऋण पर पुनर्वित की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत की गई है, और आपातिक पुनर्वित की दर 11 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत की गई है ।

(iv) उन वस्तुओं के लिए जहां कतिपय आधार वर्षों के अनुसार ऋण सीमा अनुबंधित होती है, नई आधार अवधि एक समान रूप में तीन वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 (नवम्बर-अक्टूबर) होगी ।

(v) खाद्यान्नों, दालों, वनस्पति तेलों और बनास्पति, रुई और कपास, और चीनी, गुड़ और खांडसारी की दशा में, प्रत्येक स्थूल वस्तु समूह के लिए निर्धारित

न्यूनतम मार्जिन की विविधता यथासंभव रूप में कम कर दी गई हैं। तथापि तेलहन की दशा में न्यूनतम मार्जिनों के मौजूदा ढांचे को नहीं बदला गया।

(vi) रोलर आटा मिलों को गेहूं के एवज में दिये जाने वाले अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के सभी उपबंधों से पूर्णत मुक्त कर दिया गया है।

(vii) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के स्टाक के एवज में प्रति ऋणकर्ता को दिये जाने वाले अग्रिमों की कुल 25,000 रुपए की सीमा को पूर्णतः इन नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया है। पहले छूट की सीमा 5,000 रुपए थी।

श्री के० राममूर्ति : मैंने यह जानने के लिए प्रश्न पूछा था कि देश में मुद्रा स्फीति में किस दर से वृद्धि हो रही है क्योंकि इसी के कारण देश में कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और आम जनता परेशान है। यह ठीक है कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र अनियंत्रित ऋण पर रोक लगा सकता है और उसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोका जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ हुई एक बैठक में कुछ उपायों की घोषणा की थी। इससे निस्संदेह देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन उपायों से बजट पेश करने के बाद हुई अभूतपूर्व मुद्रास्फीति को रोकने में कोई सहायता मिली है ? 6 अप्रैल के बाद क्या स्थिति की समीक्षा की गई है तथा देश में इस समय मुद्रास्फीति की दर क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : इस मामले पर लोक सभा में ही नहीं बल्कि राज्य सभा में भी अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। सदन में तारांकित तथा अतारांकित अनेक प्रश्न पूछे गए हैं और हमने यहां इस पर विस्तार से चर्चा की है। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे मामले को अधिकतूलन दें क्योंकि अनेक बार यह बात दोहराई जा चुकी है कि यह सामयिक है और बजट के कारण है। इन सभी पर यहां चर्चा हो चुकी है। लेकिन देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहे हैं। यह हानिकर हो सकती है। कुछ लोग स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है और इस संबंध में उपाय किए जा रहे हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें से एक उपाय है प्रचालित धन को इकट्ठा करना। इस उद्देश्य से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सांविधिक नकदी अनुपात को एक प्रतिशत और बढ़ा दिया है। ऐसा जुलाई 1987 तक किया जाना है। एक प्रतिशत भी वृद्धि होने से हम 800 से 1,000 करोड़ रुपए तक इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावा मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिए इसे तर्क संगत और सरल बनाने के उपाय किए जा गए हैं।

जहां तक कीमतों में वृद्धि का संबंध है, आप जानते हैं कि 1979-80 में मुद्रा स्फीति में 21 4% वृद्धि हुई थी। खासकर मार्च से अगस्त तक कीमतों में वृद्धि होती रही। उसके बाद उसमें धीरे-धीरे कमी आई। पिछले साल, भी तथा 1983 और 1984 में भी ऐसा ही हुआ। अब बजट के बाद 6 सप्ताहों में 2.76 की वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि अगर उपाय किये जाएंगे

तो कीमतों में निश्चय ही कमी आएगी। इसलिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों में इस बात को लेकर घबराहट पैदा की गई तो बेईमान व्यापारी स्थिति का फायदा उठायेंगे और सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देंगे। निस्संदेह हम कीमतों को नियंत्रित कर रहे हैं। 1979-80 में मुद्रास्फीति की दर 21.4% थी जोकि 1980-81 में नीचे आई। 1981-82 में इसमें 2.4% की कमी आई और पिछले साल यह घटकर केवल 7% ही यह गयी है। इस साल भी हमें विश्वास हैं कि हम इस पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे। सम्मानित सदन से मेरा यही अनुरोध है।

श्री के० राममूर्ति : जहां तक 1979-80 तथा उसके बाद मुद्रास्फीति में वद्धि का संबंध है, चर्चा के उत्तर के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए ग्राफ में मैं देख रहा हूं कि इसमें मुद्रास्फोति घटती और बढ़ती दिखाई गई है। लेकिन एक बार कीमतें बढ़ जाएं तो देश भर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उनमें कमी आई हो। चूंकि इस मामले पर सदन में अनेक बार चर्चा की जा चुकी है अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले की कहां तक जानकारी है तथा सरकार कीमतों में वद्धि करने वाले बेईमान लोगों को दण्ड देने के लिए कहां तक गंभीरता के साथ कार्यवाही कर रही है तथा इस संबंध में वह क्या उपाय करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है। जो कि कार्यान्वियन करने के लिए जिम्मेदार हैं। जमाखोरों के खिलाफ कायवाही करना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। राज्य सरकारों को ही यह कार्यवाही करनी होगी। इसके लिए कानून हैं लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अनिवार्य वस्तु अधिनियम भी है। इसके अन्तर्गत अनेक उपबंध है जिनके अंतर्गत सरकारें जमाखोरों के खिलाफ कायवाही कर सकती हैं। आपातकाल के दौरान कर्यवाही की गई थी और कीमतें नियंत्रित हुई थी लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राज्य सरकारें जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जो कुछ हमसे संभव है हम कर रहे हैं।

जहां तक व्यापार तथा अन्य उद्योगों की वास्तविक जरूरत पूरी करने का संबंध है हम उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम जमाखोरी तथा काला बाजारी के लिए पैसा नहीं दे सकते। यहां हम इसे रोक देते है और प्रचलित मुद्रा के प्रसार को भी रोका जाता है।

पैकिंग के लिए वनों की लकड़ी के प्रयोग का प्रतिस्थापन

***902. श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी उत्पाद, चाय, तम्बाकू और कपड़े की पैकिंग के लिए वनों की लकड़ी के प्रयोग के प्रतिस्थापन के बारे में 30 और 31 जुलाई, 1983 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या उस गोष्ठी में यह नय पाया गया कि रियायती दर पर उपलब्ध लकड़ी की पेटियां (क्रेट) बनाये जाने के कारण वनों का तेजी से ह्रास हो रहा है ;

(ग) क्या ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नालीदार फाइवर बोर्ड के डिब्बे ही लकड़ी का एकमात्र विकल्प हैं ;

(घ) क्या यह उत्पाद ही उत्पाद-शुल्क में छूट दिए बिना रियायती दर पर उपलब्ध लकड़ी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार नालीदार फाइवर बोर्ड के उत्पादन को उत्पाद-शुल्क से छूट देने का है ?

पूर्ति तथा-वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) नालीदार फाइवर बोर्ड के डिब्बों की अपेक्षा लकड़ी के क्रेटों में कीमत का लाभ होता है । हैंडलिंग में आसानी और अन्त में ईंधन के रूप में उपयोग में आ जाने की वजह से लकड़ी के क्रेटों की तरजीह दी जाती है ।

(ङ) नालीदार बोर्ड के डिब्बों पर, जिनमें मुद्रित शामिल नहीं हैं, पूर्ण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट है । नालीदार बोर्ड के मुद्रित डिब्बे बाद में पूर्णतः क्राफ्ट पेपर में से या क्राफ्ट लाइनर या नालीदार माध्यम से विनिर्मित हों तो उन पर छूट है । नालीदार बोर्ड के डिब्बों पर या नालीदार बोर्ड पर उत्पादन शुल्क से कोई अतिरिक्त छूट देना संभव नहीं पाया गया है ।

श्री दिग्विजय सिंह : हम सभी जानते हैं कि हमारी वन सम्पदा के तेजी से हो रहे ह्रास के दो कारण हैं । एक तो यह है कि गांवों में ईंधन के रूप में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और दूसरे पैकिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है । मेरे प्रश्न का आधार यह है कि 30 और 31 जुलाई को एक बहुत ही उपयोगी गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन बागवानी उत्पाद चाय, तम्बाकू कपड़े की पैकिंग के लिये वनों की लकड़ी के प्रयोग के प्रतिस्थापन के बारे में किया गया था । इस गोष्ठी में इस बात का भी पता लगाया जाना था कि इन उत्पादों की पैकिंग के लिये वास्तव में कितनी लकड़ी का प्रयोग होता है । इसकी मात्रा सही ढंग से निर्धारित की गई और हमारे निष्कर्ष वित्त मंत्रालय को पहुंचा दिये गये । सौभाग्य की बात है कि वर्तमान प्रधान

मंत्री ने इस गोष्ठी का उद्घाटन किया था। वर्तमान वित्त मंत्री जी के पहले वाले वित्त मंत्री और वाणिज्य उप मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे। गोष्ठी में हमने अपने निष्कर्ष निकाले कि क्या करने की आवश्यकता है और किस तरीके से इन उत्पादों पर उत्पादन-शुल्क समाप्त किया जा सकता है ताकि यह भी प्रतियोगी बन सके और लकड़ी की पैकिंग के स्थान पर इसका प्रयोग हो सके।

प्रश्न के भाग (घ) का जो उत्तर दिया गया है उसके बारे में अब मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा। उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि नालीदार फाइबर बोर्ड के डिब्बों की अपेक्षा लकड़ी के क्रेटों की कीमत कम होती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अब तक उत्पाद शुल्क में कुछ रियायत नहीं दी जाती, तो वर्तमान लकड़ी के डिब्बों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन होगा। परन्तु इसी प्रश्न में आगे उन्होंने कहा है कि लकड़ी के डिब्बों के दो लाभ हैं पहला तो उन्हें उठाने में आसानी, दूसरा उस लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। हम यह नहीं चाहते कि जो लकड़ी पैकिंग में काम आ रही है उसे ईंधन के काम में लाया जाये। लकड़ी इस कारण नहीं काटी जा रही है और जहां तक उठाने में आसानी का संबंध है इनका कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि आज.....

श्री नारायण चौबे : प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से माननीय सदस्य को यह प्रश्न सीधे ही पूछना चाहिए। श्री दिग्विजय सिंह यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे सीधे ही पूछिये। क्या वे हमारे जीने के लिये वनों को छोड़ेंगे या नहीं कितना आसान सा प्रश्न है। आप को पूछना चाहिये क्या वे इस लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगायेंगे अथवा नहीं। कितनी सीधी सी बात है यह।

श्री दिग्विजय सिंह : में यही जानना चाहता हूं। इन दो चीजों में तुलना कैसे की जा सकती है जबकि आज दोनों में कोई समानता नहीं है। नालीदार बोर्ड के डिब्बों पर उत्पाद-शुल्क में छूट क्यों नहीं दी जाती, ताकि ये लकड़ी के डिब्बों का स्थान ले सकें ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, क्या आप प्रश्न का अभिप्राय समझ गये हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर जवाब दीजिये।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : यह प्रश्न हमारे मंत्रालय ने इसलिए स्वीकार किया कि कोई भी मंत्रालय इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। यह पर्यावरण मंत्रालय अथवा कुछ अन्य मंत्रालयों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : किसी से भी संबंधित नहीं है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मैंने इसे स्वीकार किया है क्योंकि कोई भी इसके लिये तैयार नहीं था। (**व्यवधान**) कीमत में होने वाला फायदा बहुत ही कम है और यद्यपि लकड़ी के क्रेटों अथवा इन नालीदार बोर्ड के डिब्बों की कीमत में अन्तर के बारे में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है फिर भी फायदा लकड़ी के क्रेटों के मामले में ही है इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए राज सहायता दी जा रही है और उनको लकड़ी लगभग 50 प्रतिशत कीमत पर उपलब्ध करायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : फलों जैसें कि हिमाचल प्रदेश में सेब और ऐसे ही अन्य फल को बाहर भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा ऐसा किया जाता है। बागवानी के विकास के साथ राज्य सरकारों ने इसे प्रोत्साहन देना विवेकपूर्ण समझा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्णतः क्राफ्ट पेपर लाइनर या नालीदार माध्यम से निर्मित डिब्बों, चाहे मुद्रित हों या नहीं, पर उत्पाद शुल्क की छूट है। ऐसे डिब्बे भी हैं जिनमें 25 प्रतिशत कच्चा माल क्राफ्ट पेपर है और शेष लकड़ी की लुगदी। ऐसे मामलों में, अगर डिब्बे लकड़ी के नहीं हैं तो उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है। अतः इस श्रेणी के मुद्रित डिब्बों पर ही उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। परन्तु मैं इस प्रश्न पर सदन के विचारों को वित्त मंत्रालय तक पहुंचाऊंगा। वे निश्चित रूप में इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से वनों का संरक्षण किया जा सकता है यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम इस प्रश्न को प्रधान मंत्री पर छोड़ सकते हैं वह जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिये। इसे इस तरह से नहीं किया जाना है। उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसके लिये कोई अन्य तरीका निकालना होगा और वह इसके लिये कोई अन्य तरीका निकालेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री जी द्वारा वचन दिये जाने के लिये मैं उनका आभारी हूं .....(**व्यवधान**)। अब दुग्ध आपूर्ति, विशेष रूप से निर्धनों एवं शिशुओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए कागज एवं गत्ते के डिब्बों दोनों पर ही उत्पाद शुल्क पूर्णतः समाप्त कर देने का आदेश दिया गया है। इसी तरह से इस लकड़ी पर जिसका उपयोग पैकिंग करने में किया जाता है उत्पादन शुल्क को खत्म किया जायेगा क्योंकि यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जहां तक वचन देने का सवाल है, मैंने यह कहा था कि मैं सदन के विचारों को वित्त मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा।

अन्य पूरक प्रश्न के बारे में अच्छा यह होगा कि आप वित्त मंत्री जी को ही लिखें।

श्री सी० पी० एन० सिंह : माननीय मत्री जी ने बड़ी सचाई से कह दिया है कि यह मामला वित्त मंत्री से संबंधित है और उन्हें ही इसे देखना है। माननीय प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित हैं चूंकि वनों का तेजी से ह्रास होना बहुत ही चिन्ता की बात है, मैं यह प्रश्न उनसे ही पूछना चाहता हूं। इससे अन्य सामग्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है न कि सिर्फ नालीदार कागज पर ही। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। यह बहुत से बेईमान व्यापारियों और ठेकेदारों की आजीविका का साधन है इसी कारण से राज्य सरकार पेड़ों की कटाई की अनुमति देती है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : वित्त मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। इससे संबंधित और भी समस्याएं हैं। जब इसमें परिवर्तन करने का विचार किया जायेगा तो इन समस्याओं पर भी विचार किया जायेगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार वनों के संरक्षण के प्रश्न को हमेशा सर्वाधिक महत्व देगी। इसको हमेशा ध्यान में रखा जायेगा।

जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता

***904. प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों और जीवन बीमा निगम के विभिन्न कर्मचारी संघों के बीच समझौते के आधार पर 11 अप्रैल, 1985 को एक अधिसूचना जारी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, क्या प्रबन्धक जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ, समझौते के वैध रहने की अवधि का उल्लेख करते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। प्रबंधकों और कर्मचारियों की यूनियनों में हुए समझौते के आधार पर सरकार ने जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत 11 अप्रैल, 1985 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा निगम के श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन कर दिया गया।

(ख) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम 1981 के अधिनियमित हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में फेर-बदल करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। इसलिए जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों और जीवन बीमा निगम यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वित्त मंत्री के साथ अपनी बातचीत के दौरान मैंने पाया कि निस्संदेह वित्त मत्री की यह राय थी कि अधिसूचना जारी करने के पश्चात भी, समझौते पर हस्ताक्षर करना ज्यादा सुविधाजनक होना क्योंकि वास्तव में कार्मिक संघ के लिए अधिसूचना की

शर्तों को मानना जरूरी होगा और वित्त मंत्री जी के इस विशेष विचार को दृष्टिगत रखते हुए जोकि उन्होंने हमें उनके साथ हुई बातचीत के दौरान व्यक्त किया क्या वह अपने विचार को बदलेंगे और समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव करेंगे जिससे प्रबन्धकों और मजदूर संघों दोनों को ही लाभ होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है परन्तु महोदय, अधिनियम और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि अधिनियम के उपबन्धों का उच्चतम न्यायालय ने भी समर्थन किया है, मैं नहीं समझता कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कैसे हो सकता है कि वित्त मंत्री के विचार मुझे तो मालूम हैं परन्तु उन्हें नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, ऐसा लगता है कि राज्य मंत्री की अपेक्षा वित्त मंत्री के साथ मेरा ज्यादा सम्पर्क है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपने रेल विभाग के वित्त सम्बन्धी मामलों को सम्भाला है।

अल्प सूचना प्रश्न

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता देने सम्बन्धी नियम

[अनुवाद]

3. **श्री ललित माकन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता देने संबंधी नियमों को कब निलंबित किया था ;

(ख) नये नियम बनाने हेतु गठित की गई समिति ने क्या प्रगति की है ; और

(ग) समिति द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशनों की मान्यता) नियमावली, 1959 को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया था। वास्तव में इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 4 (ख) के संदर्भ में तैयार किया गया था। वर्ष 1962 में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आचरण नियमों के नियम 4 (ख) को रद्द कर दिया था। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता नियमावली, 1959 को स्वतः ही निष्क्रय मान लिया गया था।

(ख) तथा (ग) नई मान्यता नियमावली तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) द्वारा गठित समिति ने अपनी एक बैठक में नई मान्यता नियमावली का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से एक मसौदा समिति का गठन किया था जिसमें कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों ही के सदस्य शामिल थे। यह मसौदा समिति इस समय भी काम कर रही है और सरकार नई मान्यता नियमावली को शीघ्रता से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं। वास्तव में राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सचिव से अन्तिम रूप से यह आग्रह किया गया है कि वे मान्यता नियमावली के अपने मसौदे को आगे विचार विमर्श के लिए 17 मई, 1985 तक प्रस्तुत कर दे। 10 मई, 1985 के अपने उत्तर में कर्मचारी पक्ष के सचिव ने यह बताया है कि उनके अपने अध्ययन दल को, उत्तर के मसौदे को अन्तिम रूप देने की सलाह दी गई है।" इस मुद्दे को अन्तिम रूप देने के लिए समिति की बैठक तय करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त परामर्श तंत्र लगभग 30 वर्ष पूर्व कायम हुआ था और इसका उद्देश्य था सरकार और 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध बनाना तथा संयुक्त सलाह मशविरा करना और अनिर्णीत मसलों को पंचार के लिए भेजना। जैसा कि मंत्री ने कहा है कि नियम 4 (ख) को 16 वर्ष पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था जिसका सम्बन्ध संयुक्त परामर्शदायी तंत्र के लिए मान्यता संबंधी नियमों से है। इसके पश्चात संयुक्त परामर्शदायी तंत्र द्वारा नये नियमों को बनाने के लिए एक नयी समिति गठित की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, 16 वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु यह समिति नये नियमों को बनाने में असमर्थ रही है और यह ऐसा जानबूझकर किया गया है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वे संगठन और संघ जो कि वहां पर बैठे हुये हैं.....नहीं चाहते कि नये नियम बनाये जायें और ऐसा एक विशेष विभाग के नौकरशाहों की मिलीभगत से किया जा रहा है। इसके बाद नियम 4 (ख) को रद्द कर दिया गया। बहुत से नये संगठन और संघ बनाये गये और उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त

है। परन्तु उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गयी और एक साधारण सी बात पर संयुक्त परामर्शदायी समिति में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई बीच में न बोले।

श्री ललित माकन : नियम 4 (ख) को रद्द करने से पहले किसी भी नये संगठन को संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी चाहे उसे बहुमत का समर्थन भी प्राप्त हो। यह स्थिति पिछले 16 वर्षों से बनी हुई है और जो संगठन एवं संघ संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में हैं, वे जानते हैं कि अगर नये नियम बनाये गये तो उन्हें बाहर निकाल दिया जायेगा तथा नये संघ और संगठन संयुक्त परामर्शदायी तंत्र के प्रतिनिधि बन जायेंगे। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस देश में प्रधान मंत्री बदल सकता है। सत्ताधारी दल सत्ता से हट सकता है। विरोधी दल सत्ता में आ सकता है परन्तु कोई भी संघ अथवा संगठन एक बार संयुक्त परामर्शदायी यंत्र में प्रवेश करता है तो वह स्थायी रूप में सदस्यता ग्रहण कर लेता है चाहे उसका बहुमत हो या नहीं।

श्री नारायण चौबे : जैसा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है।

श्री ललित माकन : ऐसे बहुत से संघों तथा संगठनों ने मान्यता के लिये आवेदन किया था, जिन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है। (**व्यवधान**) परन्तु उन्हें मान्यता नहीं दी गयी। विभिन्न विभागों द्वारा कुछ सघों को मान्यता दी गयी थी परन्तु उन्हें संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

मेरा प्रश्न है कि क्या यह सच है कि बहुत से संघों एवं संगठनों को, यद्यपि उन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है, मान्यता नहीं दी गई थी और अगर उन्हें मान्यता मिल भी जाती है तो उन्हें संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

श्री नारायण चौबे : आप इसको दोहरा रहे हैं।

श्री ललित माकन : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा प्रश्न है ..... (**व्यवधान**)..... मैं नहीं जानता आप लोग क्यों डर रहे हैं। यह एक बड़ी साधारण सी बात है। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है।

मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि जो संघ और संगठन संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में प्रतिनिधित्व करते है, पिछले बीस वर्षों से उनकी सदस्यता की जांच कभी नहीं की गई। (**व्यवधान**) क्या यह सच है, मैं पूछ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी सदन में यह वचन देंगे कि यह समिति समयबद्ध है और एक निश्चित समय में नियम बना दिये जायेंगे ताकि उन संघों एवं संगठनों को जिन्हें बहुमत प्राप्त है, मान्यता दी जायेगी और संयुक्त सलाहकार तंत्र में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : काल बद्ध या काल बाधित ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ने कई संबंधित मामलों को उठा दिया है। अपनी प्रस्तावना में जो कुछ उन्होंने कहा था वह सही है। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र का मूल उद्देश्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सद्भावपूर्ण संबध बनाना। नियोक्ता की हैसियत से सरकार तथा कर्मचारियों की हैसियत से महासभा के बीच अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना तथा सहयोगपूर्ण प्रयत्न से सरकारी सेवाओं में कार्यकुशलता बढ़ाना था।

मैं उन नियमों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, उनका कहना है कि 16 वर्ष बीत गये हैं और कुछ नहीं किया गया है तथा नियमों का मसौदा तैयार नहीं किया गया है।

जैसा कि मैंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने नियम 4 (ख) को सन् 1962 में रद्द किया था और इसलिए, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में उत्तर देते हुये कहा है कि सरकार ने ऐसा स्वत: किया है क्योंकि नियम 4 (ख) के तहत मान्यता देने का यह स्वयं ही एक आधार था और इसलिए गृह मंत्री ने 1965-66 तक कई बार कर्मचारियों के साथ सलाह मशविरा किया और अंतत: 1966 में वह कर्मचारियों के साथ इस समझौते पर पहुंचे क्योंकि इसमें देरी हो रही थी, कि मान्यता सम्बन्धी नए नियम बनाए जाने तक संयुक्त परामर्शदायी तंत्र के प्रयोजन से मान्यता देने के लिए एक तदर्थ नीति बनायी जाये।

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 4 (ख) को क्यों नहीं पढ़ देते जिसे रद्द कर दिया गया था?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण संबंधी नियम, 1955 के खण्ड 4 (ख) को पढ़ता हूं।

4. सरकारी कर्मचारियों का संघों में शामिल होना

"कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवाओं की किसी ऐसे सेवा संघ में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा" :—

(क) जिसने अपनी स्थापना से छः महीने के भीतर इस बाबत विहित नियमों के अधीन सरकार से मान्यता प्राप्त न कर ली हो, या

(ख) जिसके संबंध में उक्त नियमों के अधीन सरकार ने मान्यता देने से इंकार कर दिया हो या मान्यता वापस ले ली हो।

1965-66 तक तत्कालीन गृह मंत्री ने कर्मचारी पक्ष के साथ चार वर्षों तक कई बार चर्चा की और अभी तक भी वे समझौता नहीं कर पाये हैं। इसके पश्चात 1966 में उन्होंने संयुक्त परामर्शदायी तंत्र बनाने का निर्णय किया तथा नए नियमों के बनाये जाने तक सं० प० तं० के प्रयोजन के लिए मान्यता दिलाने हेतु एक तदर्थ नीति बनाई। 1966 में सं० प० तंत्र का गठन

किया गया। उस समय, कर्मचारी पक्ष के साथ मशविरा करके यह निर्णय लिया गया था कि कर्मचारी पक्ष की ओर से आरंभ नामजद करने के लिए सिर्फ उन्हीं महासंघों, संघों, एसोसिएशनों को मान्यता दी जायेगी जिन्हें पहले मान्यता दी गई थी और जिनमें विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। फिर भी उन विभागों के बारे में जहां अतितमें कोई भी मान्यता प्राप्त महासंघ, संघ नहीं था अथवा जहां वर्तमान महासंघों में सभी श्रेणियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो अन्य एसोसिएशन अथवा संघ को मान्यता दी जाये, यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर एक वर्ष के लिये है जिसके समाप्त होने पर सरकार मान्यता के सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी। माननीय सदस्य ने पुनः यह पूछा है कि कुछ संघों जिन्हें पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त है, को संयुक्त परामर्शदायी तंत्र में प्रतिनिधित्व था उसमें शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इसमें शामिल होने अथवा मान्यता प्राप्त करने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धांत हैं। ये 'औद्योगिक' और 'गैर-औद्योगिक' दो भागों में बटे हुए है। इस मामले में मैं 'औद्योगिक' को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का इससे कोई संबध नहीं है। यह 'गैर-औद्योगिक' के अंतर्गत है। संयुक्त परामर्शदायी तत्र की स्कीम के प्रयोजन के लिये तदर्थ मान्यता: कर्मचारियों के नेताओं के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया कि केवल उन्हीं कार्मिक संघों/एसोसिएशनों को सं० प० तंत्र में भाग लेने के लिए मान्यता दी जाये जो पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं और जो व्यापक तथा पर्याप्त रूप से विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन मंत्रालयों तथा विभागों में जहां पहल मान्यता प्राप्त महासंघ कार्मिक/एसोसिएशन नहीं थे अथवा जहां वर्तमान महासंघ व्यापक तथा पर्याप्त रूप से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते वहां सं० प० तं० स्कीम के प्रयोजन ने एक नई एसोसिएशन/कार्मिक संघ/महासंघ को तदर्थ मान्यता दे दी जाये। व्यापक और पर्याप्त प्रति-निधित्व की शर्त पूरी करने के लिए किसी एसोसिएशन या कार्मिक संघ या महासंघ को कर्मचा-रियों की प्रत्येक श्रेणी के 15 प्रतिशत कर्मचारी उसके सदस्य होने चाहिये जिनका वह प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि बताया गया है उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा एसोसिएशन की मान्यता) नियम 1959 की संगत मुख्य बातों को भी पूरा करना चाहिए।

अनौपचारिक वास्तविक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था को मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ ऐसी संस्था/संघ/फेडरेशन उठाती हैं और इसके अलावा यह जे० सी० एम० की संयुक्त परिषद में भाग लेने की हकदार है। उन्होंने कहा कि बहुत से संघों को बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि उनको 15 प्रतिशत से अधिक का समर्थन प्राप्त है और यदि यह शिकायत आई है कि 15 प्रतिशत से अधिक समर्थन होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं दी गई हैं तथा यह कि संवर्जा जे० सी० एम० में सम्मिलित किसी संघ को अब 15 प्रतिशत का समर्थन नहीं प्राप्त है तब मुख्य श्रम आयुक्त सत्यापन करता है और उससे यह निर्णय लिया जाता है कि उस संघ को मान्यता दी जाएगी या नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : विभिन्न श्रेणियों में यह 15 प्रतिशत है।

श्री के० पी० सिंह देव : जी हां, प्रत्येक श्रेणी में 15 प्रतिशत। जहां तक समय सीमा

का प्रश्न है मैंने अपने उत्तर में बताया है कि मान्यता के लिए नए नियमों को बनाने सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए 1983 में जे० सी० एम० ने एक समिति का गठन किया था जिसमें कर्मचारी पक्ष के साथ-साथ सरकारी पक्ष के भी सदस्य हैं। उस समिति ने समिति के प्रस्तावित नियमों के मसौदों पर विचार करने के लिए उप-समिति का भी गठन किया था। उसी समय कर्मचारी पक्ष ने एक अध्यन ग्रुप का गठन किया और हालांकि सरकार ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी अर्थात 17 मई यानि आज, 10 मई को कर्मचारी पक्ष के सचिव ने सरकार को लिखा है कि उपसमिति से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है इसलिए, सरकार को मामले की जानकारी है और 17 मई अर्थात आज तक का दिन उन्हें दिया गया था और वह दिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि 17 तारीख के खत्म होने के बाद सरकार निर्णय ले सकती है। जे० सी० एम० के सचिव समिति की बैठक बुला रहे हैं ताकि उस पर विचार-विमर्श किया जा सके।

श्री ललित माकन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था : क्या यह सही है कि बहुत से संघों और संस्थाओं को हालांकि उनके विभागों द्वारा उन्हें मान्यता दी गई है, जे० सी० एम० में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी ? यह पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि संघों और संस्थाओं के सदस्यो का, जो जे० सी० एम० में पिछले 20 वर्षों से बैठे हैं, सत्यापन नहीं किया गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : स्पष्टीकरण के रूप में मैंने पहले ही बताया है कि यदि कोई शिकायत आती है कि 'क' संघ जो जे० सी० एम० में प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह अपना बहुमत खो देता है अर्थात यह 15% से कम हो जाता है तो तभी हम कुछ कर सकते हैं।

श्री ललित माकन : मैं सूचना मांग रहा हूं जबकि आप नीति बता रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं कि उनके पास अपेक्षित सदस्यता नहीं है ? जब मैं कोई शिकायत प्राप्त करता हूं तभी मैं सत्यापन के लिए मुख्य श्रम आयुक्त के पास जा सकता हूं। इसके अभाव में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री ललित माकन : महोदय, जब मंत्री जी रक्षा मंत्रालय में थे तब हमने बहुत सी शिकायतें की थी और उन्होंने इस आधार पर कि नए संस्थाओं तथा संगठनों को मान्यता नहीं दी जा सकती हालांकि उन संगठनों को 80% से अधिक बहुमत समर्थन प्राप्त था, हमें मान्यता देने से इन्कार कर दिया। अब, यहां जो मूल प्रश्न मैंने उठाये हैं उसका उत्तर उचित रूप से नहीं दिया गया है। उत्तर अस्पष्ट है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं कि संगठनों की सदस्यता को सत्यापित नहीं किया गया है। जब जे० सी० एम० गठित की गई थी तो उस समय कोई भी संगठन जो कहता था कि हां, मेरे पास 15,000 की सदस्यता है, उसे उसकी सदस्यता के सत्यापन के बिना प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। उनके दावे के आधार पर कोटा दिया गया था। आज स्थिति

बहुत गम्भीर है । स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है क्योंकि बहुत से संघों और संस्थाओं को मान्यता नहीं दी गई है । इन्हें जे० सी० एम० में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ।

श्री के० पी० सिंह देव : यदि वह हमें सूचना भेज सकते हैं कि ये संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुमत प्राप्त किया है और जे० सी० एम० में अमुक संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुमत खो दिया है तभी हम सत्यापन कर सकते हैं । जब तक कोई शिकायत न हो हम कार्यवाई कैसे कर सकते हैं ?

श्री ललित माकन : मैं आवश्यक सूचना दूंगा ।

श्री भगवत झा आजाद : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कौन सी जटिल समस्या या असाधारण परिस्थितियां हैं जिसमें कर्मचारी पक्ष के सुविज्ञ सदस्य और सरकारी पक्ष 16 वर्ष तक नियम नहीं बना सके । क्या यह सरकार के लिए हस्तक्षप करने और यह पता लागने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है कि वे कौन से असामान्य कारण हैं जिसके कारण उन्हें नहीं बनाया जा सका ?

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । वास्तव में सरकार की ओर से हम उन्हें प्रस्ताव भेजने के बारे में बार-बार याद दिला रहे हैं और इसलिए अंतिम उपाय के रूप में हमने समय निर्धारित किया है अर्थात आज का दिन, 17 मई और अभी भी हम 17 तारीख की आधी रात से पहले कर्मचारी पक्ष से उत्तर की आशा कर रहे हैं क्योंकि 17 तारीख अभी खत्म नहीं हुई है तथा तभी सरकार निर्णय लेगी कि क्या कार्रवाई करनी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि अन्तर-संघीय प्रतिस्पर्धा इस सदन में इतनी आसानी से नहीं निपटाई जा सकेगी । मैं एक बात जानना चाहता हूं वह यह है कि क्या यह सही है कि इनमें से बहुत से सरकारी विभागों में परम्परागत रूप से तथा ऐतिहासिक रूप से मान्यता करने की अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं । उनकी बात से ऐसा आभास होता है मानो मान्यता देने के नियमों का एक मानक साधारण जो सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि वे नियम जिनका उल्लेख किया गया है, नियम 4(ख) के खत्म करने के बाद निलम्बित कर दिए गए थे, और इसके साथ-साथ नए नियमों को जिनको अब बनाने का प्रस्ताव किया गया है । रेल विभाग में जहां 17½ लाख लोग रोजगार में हैं और जो सबसे बड़ा सरकारी विभाग है लागू नहीं माने जायेंगे । इसका रेलवे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । उनको मान्यता देने की अपनी पद्धति है जो रक्षा श्रमिकों और डाक-तार विभाग पर भी लागू होगी या केवल केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए ही है तथा इसको समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा । मान्यता देने के लिए मानक और नियम बनाए गए है जो 70% रेल, डाक-तार तथा रक्षा विभागों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं । क्या यह सही है या नहीं ? इन नियमों में इन सबका उल्लेख है । जब भी उनका मसौदा तैयार होगा तो उनको वास्तव में लागू कौन करेगा ?

श्री ललित माकन : महोदय, मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्ता विषयान्तर करने की कोशिश कर रहें हैं। **(व्यवधान)**

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के नेता है। वह अच्छी तरह से जानते है कि जे० सी० एम० सभी कर्मचारियों पर लागू होता हैं केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न श्रेणी-I और श्रेणी- की सेलाओं, औद्योगिक स्थापनाओं के कार्मिकों, संघ शासित क्षेत्र तथा पुलिस कार्मिकों को छोड़कर नहीं होते हैं। रेलवे का अपना पृथक संगठन है। रेल में कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : रेलवे विभाग भी जे० सी० एम० में है।

श्री के० पी० सिंह देव : जी हां। मैं जानता हूं। इसके सचिव स्वयं रेल विभाग के हैं। **(व्यवधान)**...सेवा संघों की मान्यता के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत है। वह सही कहते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों को अपने अन्तर्गत संघों के साथ पत्र-व्यवहार करने का अधिकार दे दिया गया है। जहां तक उनकी सामूहिक शिकायतों को दूर करने का सम्बन्ध है, तत्सम्बन्धी नियमों के बनाने में इतना अधिक समय लग गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सी० टी० सी० चाय की तस्करी

*900. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ और अन्य यूरोपीय देशों को सी० टी० सी० चाय की सप्लाई भारत से अन्य देशों को इसकी तस्करी किए जाने के कारण कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सी० टी० सी० चाय की किन-किन देशों को तस्करी हो रही है;

(ग) कितनी मात्रा की तस्करी की जा रही है; और

(घ) अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

भारत में सी० टी० सी० को कोई कमी नहीं है और 1985 के लिए 70 मि० कि०ग्रा० का निर्यात कोटा पिछले वर्षों में इस किस्म के निर्यात से तुलनीय है। सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोपीय देश अन्य देशों से क्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए इस कोटे के अन्तर्गत सी० टी० सी० खरीदने के लिए स्वतन्त्र है और वास्तव में जनवरी से मार्च, 1985 तक 1984 या 1983 में तत्सम्बन्धी अवधि में हुई खरीद की अपेक्षा काफी अधिक चाय खरीदी है।

अमरीकी सरकार द्वारा भारतीय कपड़ों के आयात पर पाबन्दी लगाया जाना

*903. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री राम समुझावन } : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने वस्त्रों के आयात पर पाबन्दी लगाने के लिए एक कानून बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत व अन्य देशों से संयुक्त राज्य अमरीका को सिले सिलाये वस्त्रों और कपड़े के निर्यात को गहरा धक्का लगेगा;

(ग) इससे अमरीका को वस्त्रों के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा;

(घ) अमरीका सरकार के निर्णय से प्रभावित वस्त्र निर्यातकों की सहायता करने के लिए क्या उपाय करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) क्या उनके लिए कोई अन्य अल्पक बाजार ढूंढा गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्कों की कमी

*905. **प्रो० के० वी० थामस**
श्री राम बहादुर सिंह } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्कों की जमाखोरी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या पेट्रोल जैसी वस्तुओं के मूल्य पूर्ण रुपयों में निर्धारित नहीं किए जाने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि छोटे सिक्के उपलब्ध नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और अन्य वस्तुओं, जिनके मूल्य उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, के मूल्य पूर्ण रुपयों में निर्धारित करने का हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिक्कों की वर्तमान कमी के सम्बन्ध में, सिक्कों की जमाखोरी, विशेष रूप से बड़े शहरों और औद्योगिक/वाणिज्यिक केन्द्रों में इनकी जमाखोरी के बारे में समाचार-पत्रों और अन्यत्र रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं ।

(ख) इस भष्टाचार को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि की जाए और इसके द्वारा सिक्कों की मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त किया जाए । सरकार ने सिक्कों के उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि तीनों टकसालों में प्रोत्साहन योजना शुरू करना, कार्य के बढ़े हुए घंटे और कलकत्ता टकसाल में दूसरी पारी शुरू करना । विद्यमान तीनों टकसालों के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के एक अंग के रूप में 22 नई सिक्का ढलाई की मशीनें स्थापित की जा रही हैं । इन उपायों के फलस्वरूप सिक्कों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो कि 1984-85 में 13557 लाख अदद था जबकि इसकी तुलना में 1983-84 में 10630 लाख अदद, 1982-83 में 6600 लाख अदद और 1981-82 5250 लाख अदद सिक्कों का उत्पादन हुआ था । 1985-86 के लिए 20,000 लाख अदद का लक्ष्य है । दीर्घावधिक उपाय के रूप में नोएडा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक नई टकसाल की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । यह आशा की जाती है कि सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि होने से परिचालन में अधिक सिक्के आने से इनकी जमाखोरी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता बरतें और सिक्कों की जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक निरोधात्मक उपाय करें ।

(ग) और (घ) सरकार ने पहले ही एक पैसे, दो पैसे और तीन पैसे के सिक्कों की ढलाई बन्द कर दी है । ऐसे सिक्के जो पहले से ही चलन में हैं वे वैध मुद्रा रहेंगे परन्तु उन्हें करेंसी चेस्टों में एक बार प्राप्त होने पर पुनः जारी नहीं किया जायेगा । लेन-देन करने में इनके फल-स्वरूप होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए सरकार ने मई, 1982 में सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए थे कि सभी लेन-देनों को 5 पैसे के निकटतम गुणकों में पूर्णांकित किया जाए; इन अनुदेशों को नवम्बर, 1983 और मई, 1984 में पुनः जारी किया गया था । कुल मिलालर, इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और पेट्रोल सहित विभिन्न वस्तुओं के मूल्य 5 पैसे के निकटतम गुणकों में तय किए जा रहे हैं ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ढांचे में परिवर्तन

[हिन्दी]

*906. श्री शांति धारीवाल
श्री मदन पांडे } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों राष्ट्रीय बैंकों के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह भी मत है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशकों के रूप में जिला स्तर के जन प्रतिनिधियों की जिलेवार नियुक्ति जनहित में होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ढांचे की उपयुक्तता की बराबर समीक्षा करती रहती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे को दोष रहित बनाने के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया हैं। सरकार ने इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के ढांचे के संबंध में इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र से दो सार्वजनिक प्रतिनिधियों को निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में मनोनीत करने की नीति पर सामान्यतः अमल किया जा रहा है। ताकि स्थानीय आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को इन बोर्डों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

खनिज विकास के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाना

[अनुवाद]

*907. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काम शुरू हो गया है इसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और संगठनों से विस्तृत परामर्श करना होगा। नीति को यथा-शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को हुआ घाटा

***908. श्री मूल चन्द डागा :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 1984 की अवधि के दौरान भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 28 प्रतिशत कम रहा और इसे 7.85 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को कब से घाटा हो रहा और मार्च, 1985 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोने की कितनी खानों में काम हो रहा है ; और

(घ) किन-किन खानों को घाटा नहीं हो रहा है ?

इस्पात खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष, 1979-80 तथा 1980-81, जब स्वर्ण का लन्दन मेटल एक्सचेन्ज मूल्य अधिक था, को छोड़कर भारत गोल्ड माइन्स लि० को अपनी स्थापना (1972-73) से बराबर घाटा हो रहा है। कम्पनी का पिछले तीन वर्षों का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है :—

वर्ष	(+) लाभ (—) घाटा (लाख रुपयों में)
1982-83	(—) 272
1983-84	(—) 569.14
1984-85	(—) 1066 (अनंतिम)

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा निम्नलिखित चार खानों में खनन किया जा रहा है :—

क—कोलार स्वर्ण क्षेत्र (जिला-कोलार, कर्नाटक)

(1) नन्दीदुर्ग खान;

(2) चैम्पीयन रीफ खान; तथा

(3) मैसूर खान

ख—रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र (जिला-अनन्तपुर-आंध्र प्रदेश)

(4) येप्पामान खान

(घ) कोई नहीं ।

ग्रामीण हथकरघा उद्योग और बुनकरों के हितों की रक्षा

*909. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण हथकरघा उद्योग की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) भारत में हथकरघा कपड़े का राज्य-वार उत्पादन कितना है;

(ग) हथकरघा उत्पादन के लिए बुनकरों को कितनी प्रतिशत राज-सहायता मिलती है; और

(घ) हथकरघा के कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कारगर उपाय किए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) हथकरघा उद्योग की शक्तिचालित करघों से रक्षा करने के लिए कतिपय वस्तुओं को पूरी तरह से हथकरघों पर उत्पादन के लिए आरक्षित किया गया है । इस बीच "हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 नामक एक अलग विधान भी अधिनियमित किया जा चुका है । हथकरघा उद्योग की अन्य समस्याएं हैं बिचौलियों द्वारा शोषण, कच्चे माल की सप्लाई, बुनकरों का निरन्तर रोजगार सुनिश्चित करना तथा अन्य क्षेत्रों को उनके प्रव्रजन को रोकने के लिए उन्हें लाभकारी मजदूरी देना । सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों के लिए सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों के रूप में शोषण रहित संगठनात्मक अवस्थापना सृजित करके सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था की गई है । प्रौद्योगिकी उन्नत करने, उत्पादन क्षमता में सुधार लाने तथा परम्परागत हुनर बनाए रखने के लिए हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई के लिए अवस्थापना के सृजन के लिए भी सहायता दी जा रही है ।

(ख) हथकरघों के उत्पादन आंकड़े काफी हद तक हैंक यार्न की सिविल डिलीवरी के आंकड़ों से प्राप्त होते हैं । चूंकि ये आंकड़े राज्यवार उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए राज्यों के अनुसार हथकरघा का उत्पादन उपलब्ध नहीं है । तथापि, ऐसा अनुमान है कि 1983-84 के दौरान कुल मिलाकर देश में हथकरघे का उत्पादन लगभग 3400 मिलियन मीटर था ।

(ग) हथकरघा कपड़े के उत्पादन के लिए सीधे उपदान देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपभोक्ताओं को उसकी बिक्री के लिए 2 रु० प्रति वर्गमीटर की दर पर उपदान प्रदान किया जाता है। 1984-85 के दौरान इस खाते में 58.28 करोड़ रु० का उपदान किया गया।

(घ) हथकरघा क्षेत्र का विकास करने तथा उसे प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कार्यान्वित की जा रही कतिपय महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नोक्त प्रकार है :—

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों, एपेक्स हथकरघा बुनकर समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए अंशपूंजी सहायता;

(2) सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को करघों को बदलने और उनके आधुनिकीकरण के लिए ऋण और अनुदान सहायता देना;

(3) हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान;

(4) करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता;

(5) सहकारी क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गहन हथकरघा विकास परियोजना/निर्यात उत्पादन परियोजनाएं;

(6) हथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान करने के लिए जनता कपड़ा योजना और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सस्ता कपड़ा; और

(7) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान करना। छठी योजना में हथकरघा विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 130 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(8) पूर्ण रूप से हथकरघों पर उत्पादन के लिए कतिपय वस्तुओं का आरक्षण।

(9) उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने तथा हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी, डिजाइन तथा फिनिश में सुधार लाने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा बुनकर सेवा केन्द्रों का एक नैट वर्क स्थापित किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से भारत को सहायता का कम किया जाना

*910. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिलने वाली सहायता पिछले तीन वर्षों के दौरान कम कर दी गई है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण में चीन के शामिल हो जाने से भारत को मिलने वाली सहायता में काफी कमी आ गई है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका तथा कुछ अन्य विकसित देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भारत को दी जाने वाली सहायता कम करने का अनुरोध किया है क्योंकि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने काफी तरक्की की है;

(घ) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अनुरोध कर रहा है कि विकासशील देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण की अदायगी की अवधि को पुन: निर्धारित किया जाए तथा अधिक विशेष निकासी अधिकार (एस०डी०आर०) दिए जाएं ताकि वे अपनी द्रव्य स्थिति सुधार सकें;

(ङ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकसित तथा विकासशील देशों के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए कोई संरचनात्मक सुधार किए है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण, जो विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1981 तक, उसके द्वारा सभी देशों को दिए गए कुल ऋणों का लगभग 40 प्रतिशत होते थे, राजकोषीय वर्ष 1982, 1983 और 1984 में धीरे-धीरे कम होकर क्रमश: 33.5 प्रतिशत, 31.8 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रह गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की निधियों से दिए जाने वाले ऋणों का देशवार आबंटन इन अभिकरणों के कार्यकारी बोर्ड/प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जाता है। चूंकि बोर्ड/समितियों की कार्यवाही आम नहीं होती, इसलिए विकसित देशों द्वारा अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से अपनाए गए रुख के बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

(घ) जी, हां। जी-24 (विकासशील देशों) के मंत्रियों की 16 अप्रैल, 1985 (अन्तरिम और विकास समितियों की स्प्रिंग बैठकों से एकदम पहले) की बैठक में, जिसमें भारत ने भाग लिया था, अपील की गयी थी कि विकासशील देशों के उधारों की वापसी के बारे में बहुवर्षीय पुनर्निर्धारण कार्यक्रम की नीति को अपनाया जाए। समिति ने चौथी आधार अवधि (बेसिक पीरियड) के दौरान एस०डी०आर० की एक बहुत बड़ी राशि को जारी करने की आवश्यकता का भी समर्थन किया। अन्तरिम समिति ने, (जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों की समिति है)

जिसकी बैठक 17 अप्रैल, 1985 को हुई थी, पेरिस क्लब के इस मत का स्वागत किया है कि वह यदि उचित हुआ तो बहुवर्षीय पुनर्निर्धारण के बारे में विचार करेगा। परन्तु समिति चौथी आधार अवधि में एस०डी०आर० की राशि के बंटवारे के सम्बन्ध में एकमत न हो सकी। इसलिए, अन्तरिम समिति इस मामले को अक्टूबर, 1985 में होने वाली अपनी अगली मीटिंग में विचार करने पर सहमत हो गई।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अन्तरिम समिति ने 19 अप्रैल, 1985 की अपनी बैठक में इस बात को नोट किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में इस समय विचार किया जा रहा है और समिति इन मामलों पर स्योल में अक्टूबर, 1985 में होने वाली अपनी अगली बैठक में समीक्षा करने पर सहमत हो गई।

(च) हमारी प्रतिक्रिया प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर ही तैयार की जाएगी।

[हिन्दी]

सूती कपड़े के निर्यात में गिरावट

*911. **डा० वी० एल० शैलेश :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में पश्चिमी देशों को सूती कपड़े के निर्यात में कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विवादों सम्बन्धी लम्बित अपीलें और पुनरीक्षण आवेदन-पत्र

*912. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमाशुल्क विवादों सम्बन्धी अपीलों और पुनरीक्षण आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाए जाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) 31 मार्च, 1985, 1984 और 1983 को सीमाशुल्क विवादों से सम्बन्धित कुल कितनी अपीलें और कितने पुनरीक्षण आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े थे; और

(घ) उपर्युक्त तारीखों को कितनी अपीलें/कितने पुनरीक्षण-आवेदन-पत्र छः मास/एक साल से अधिक समय से विचाराधीन पड़े थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क सम्बन्धी अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं का शीघ्र निपटान करने के लिए क्रमशः सीमाशुल्क समाहर्ता (अपील) और केन्द्रीय सरकार ने ये उपाय किये हैं— उपलब्ध कर्मचारियों की समुचित रूप से तैनाती करना और मामलों के निपटान पर निगरानी रखना। इसके परिणामतः बकाया पड़े मामलों की संख्या काफी कम हो गई है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	तारीख	बकाया पड़े मामलों की कुल संख्या	छः और बारह महीनों के बीच बकाया पड़े मामलों की संख्या	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया पड़े मामलों की संख्या
केन्द्रीय सरकार के समक्ष	(i) 31-3-83	2688	2262	426
पुनरीक्षण याचिकाएं	(ii) 31-3-84	2056	—	2056
	(iii) 31-3-85	856	86	681
सीमाशुल्क समाहर्ता	(i) 31-3-83	8784	1844	1873
(अपील) के समक्ष	(ii) 31-3-84	9610	1973	2284
अपीलें	(iii) 31-3-85	5126	1097	1096

कमजोर वर्गों को ऋण

*913. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में समाज के कमजोर वर्गों को और विशेष रूप से गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली है;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई ऐसे निर्देश जारी किये गए हैं कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने में उदारता बरतें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थियों की पहचान के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों के नाम मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं और उन्हें कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की सलाह दी है ताकि कमजोर वर्गों के अग्रिमों का हिस्सा मार्च, 1985 के अन्त तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के कुल अग्रिमों के 25 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिसम्बर, 1984 के अन्त तक की अवधि के लिए उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के 151 लाख ऋण खातों में बकाया अग्रिमों की राशि 3704 करोड़ रुपए थी।

गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्तावों की मंजूरी में देरी के कारण अलग-अलग ऋण-कर्त्ताओं को पेश आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। बैंकों को ऋण आवेदनों के जल्दी निपटाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही निपटाया जाए।

जम्मू और काश्मीर में कोयले के भण्डारों का उपयोग

*914. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में कोयले के भण्डारों का पूरी तरह उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जम्मू एवं काश्मीर में कोयले के भंडार कालाकोट क्षेत्र में हैं। इन भंडारों में जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार का उद्यम मेसर्स जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० काम करता है। चूंकि यहां कोयले की सीमें लगातार नहीं हैं बल्कि असंगत मसूराकार टुकड़ों में हैं, इसलिए भंडारों का बिल्कुल ठीक निर्धारण करना सम्भव नहीं हुआ है। जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० और राज्य सरकार के भू-वैज्ञानिक एवं खनन निदेशालय के वर्तमान अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में केवल 0.65 मि० टन कोयले के प्रमाणित भंडार हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान मेसर्स जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० द्वारा कोयले का उत्पादन लगभग 20,000 टन रहा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कम निर्यात के बावजूद अधिक लाभ अर्जित करना

[अनुवाद]

7027. **श्री पी० अप्पालानरसिंहम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कम मात्रा में निर्यात करने के बावजूद अधिक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उपलब्धि का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने उसकी स्थापना से अब तक कुल कितना व्यापार किया है और इसने कुल कितना लाभ अर्जित किया है; और

(घ) राज्य व्यापार निगम को इसकी स्थापना से लेकर अब तक कितना सार्वजनिक धन ऋण के रूप में दिया गया और किस ब्याज दर पर दिया गया और उससे कितना लाभ हुआ है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान राज्य व्यापार निगम का कर पूर्व लाभ 62.09 करोड़ रु० होने का अनुमान है जबकि 1983-84 में 59.83 करोड़ रु० का कर पूर्व लाभ हुआ था। लाभ में यह वृद्धि केवल निर्यातों के सम्बन्ध में नही है। यह निर्यात, आयात और घरेलू व्यापार को मिलाकर है। इस वर्ष लाभ का मुख्य कारण है आयात में वृद्धि, विशेष व्यापार प्रबन्ध और घरेलू व्यापार। निगम का कुल कारोबार, जो 1983-84 में 2215 करोड़ रु० हुआ था, बढ़कर 1984-85 में 2708 करोड़ रु० (अनुमानित) हो गया है।

(ग) निगम का कुल व्यापार उसकी स्थापना से लेकर 19,316.38 करोड़ रु० है। 1984-85 तक कर पूर्व लाभ 622.82 करोड़ रु० है।

(घ) राज्य व्यापार निगम की प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रु० है जिसमें बोनस शेयरों के निर्गम के हिसाब में 13 करोड़ रु० शामिल हैं। गत 10 वर्षों में सरकार से कोई ऋण नहीं लिये गये हैं और आज की तारीख तक कोई सरकारी ऋण बकाया नहीं है।

राज्य व्यापार निगम में कर्मचारी संवर्ग के लिये समयमान पदोन्नति की नई नीति

7028. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों ने 16 फरवरी, 1985 को राज्य व्यापार निगम कर्मचारी संघ के साथ एक समझौते पर हुए हस्ताक्षर करके कर्मचारी संवर्ग के लिए

समयान पदोन्नति की नई नीति लागू की गई है;

(ख) यदि हां तो क्या 1 अप्रैल, 1985 से लागू नई पदोन्नति नीति से गृह मंत्रालय के निदेशों, जिसमें 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए 22-112 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, का उल्लंघन हुआ है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धक और राज्य व्यापार निर्गम कर्मचारी संघ 40 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में 22-112 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के निदेशों के विरुद्ध कोई पदोन्नति नीति तैयार करने के लिए सक्षम है; और

(घ) यदि राज्य व्यापार निगम सक्षम है, तो राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों का केन्द्रीय सरकार के निदेशों के अनुसार 40 प्वाइंट रोस्टर को लागू करते हुए राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को किस प्रकार बनाये रखने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) रोस्टर प्रणाली के अनुसार. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के निर्देशात्मक सिद्धांत प्रत्यक्षतः पदोन्नतियों की परम्परागत रिक्ति अभिमुख प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाए गये थे । राज्य व्यापार निगम द्वारा आरम्भ की गई पदोन्नतियों सम्बन्धी नई प्रणाली में मूलरूप से सेवा की निर्धारित अवधि पर आधारित उच्च ग्रेड देना शामिल है । इसका अर्थ यह होगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों सहित सभी कर्मचारी प्रत्येक स्तर पर निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात स्वतः ही पदोन्नति प्राप्त करेंगे । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की निर्धारित सेवा अवधि में एक वर्ष कम करके विशेष छूट दी गई है । राज्य व्यापार निगम ने भी समयबद्ध पदोन्नति प्रणाली आरम्भ करने के प्रश्न पर राज्य व्यापार निगम की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन से परामर्श किया था ।

[हिन्दी]

बिहार काटन मिल्स, पटना का बन्द होना

7029. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के निकट स्थित बिहार काटन मिल्स वर्ष 1982 से बन्द पड़ी है जिसके फलस्वरूप 100 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मैसर्स बिहार काटन मिल्स, फुलवारी-शरीफ जुलाई, 1982 से बन्द पड़ी है। बन्द होने के समय इस इकाई में नियोजित कामगारों की संख्या लगभग 750 थी जिसमें बदली तथा दिहाड़ी कामगार शामिल हैं।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने 1983 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इकाई के प्रबन्ध ग्रहण की सम्भाव्यता पर विचार किया जाए।

(घ) राज्य सरकार से इकाई को एक कामगार सहकारिता को सौंपने की सम्भाव्यता का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन का निर्धारण

7030. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान वेतन निर्धारण किए गए हैं;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक संगठन में श्रमिकों की सहमति से किए गए इस प्रकार के प्रत्येक निर्धारण में उत्पादकता को किस तरह सम्बद्ध किया गया है;

(ग) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके वेतनमान और भत्ते तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिकांशत: पिछली बार बढ़ाए गए थे;

(घ) क्या इन उपक्रमों के कर्मचारियों को अंतरिम राहत, जैसी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गयी थी, के भुगतान से इस समय मना किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है;

(च) उपरि उल्लिखित सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में किस तरह अधिक वेतन की भुगतान किए जा रहे है; और

(छ) सरकार किन कारणों से उक्त कर्मचारियों से औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली अपनाने के लिए कह रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान 109 सरकारी उद्यमों में कामगारों के साथ संलग्न विवरण-1 के अनुसार मंजूरी समझौते किए गए हैं।

(ख) इन मंजूरी समझौतों के अन्तर्गत मूल मजूरी के साथ उत्पादकता की कोई सीधी सम्बद्धता नहीं है।

(ग) से (छ) इस समय कार्यपालकों के लिए लगभग 70 सरकारी उद्यम संलग्न विवरण-2 और कामगारों के लिए 41 सरकारी उद्यम संलग्न विवरण-3 जिनमें वेतनमान अधिकांशत: तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विनियमित किए गए थे। सरकार ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की स्वीकृति दी थी। सरकार ने इन सरकारी उद्यमों को सलाह दी थी कि वे अपने कर्मचारियों को समान अन्तरिम सहायता का भुगतान न करें क्योंकि इन सरकारी उद्यमों के कर्मचारी चौथे वेतन आयोग के विचार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए आदेश जारी किये जाने के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा, इन सरकारी उद्यमों के कर्मचारी कुछ भत्ते, जैसे मकान किराया भत्ता अधिकाधिक दरों पर पाते हैं। सरकार की नीति यह है कि एकरूपता लाने के लिए सभी सरकारी उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना लेना चाहिये। आशा है कि केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र अपनाने के साथ-साथ वेतनमानों में परिशोधन सम्बन्धी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सरकार भी औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न समयबद्ध आधार पर अपनाने के लिए जब तक वेतनमानों में परिशोधन न हो जाये, तब तक प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर निष्पक्ष एवं सार्थक रूप से विचार करने के लिए तैयार है। सरकार ने कुछ सरकारी उद्यमों जैसे केन्द्रीय भाण्डागार निगम और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के गैर-कार्यपालक संवर्गों के लिए ऐसी अन्तरिम सहायता का भुगतान प्राधिकृत कर दिया है। हिन्दुस्तान लेटेक्स, हिन्दुस्तान प्रीफैब, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन और आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० के कार्यपालकों ने भी औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने की सहमति दे दी है। इसी प्रकार, चाय व्यापार निगम, मैंगनीज ओर इण्डिया लि० और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यपालकेतर कर्मचारियों ने औद्योगिक मंहगाई भत्ता अपना लिया है।

विवरण-1

कामगारों के वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान किए गए मजदूरी समझौतों की सूची

1. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास
(कामगर एवं लिपिकीय कर्मचारी)
मद्रास एकक

2. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०
(लिपिकीय कर्मचारी)
मद्रास

3. आन्ध्र साइंटिफिक लि०

4. इस्को स्टेंटन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कं० लि०
(उज्जैन)

5. लगन जूट मशीनरी कं० लि०
(लिपिकीय कर्मचारी)

6. मद्रास रिफायनरीज लि०

7. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०

8. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०
(दिल्ली)

9. ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी लि०

10. कोचीन रिफायनरीज लि०

11. माडर्न फूड इण्डस्ट्री (इं०) लि०

12. लगन जूट मशीनरी लि०
(प्रधान कार्यालय स्थित अधीनस्थ कर्मचारी)

13. लगन जूट मशीनरी लि०
(संस्थापना कार्मिक)

14. पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०

15. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

16. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
(नागपुर एकक)

17. बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०
(कंटेनर प्रभाग) कलकत्ता

18. आयल इण्डिया लि०
(दुलियाजान तेल क्षेत्र)

19. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०

20. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०
(दिल्ली क्षेत्र)

21. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

22. भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०
(कलकत्ता)

23. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
(मुलन्द एकक)

24. भारी इंजीनियरी निगम लि०

25. प्रागा टूल्स लि०

26. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि०

27. स्मिथ स्टेंस्ट्रीट फार्मेस्यूटिकल्स लि०

28. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०
(बम्बई रिफायनरी)

29. भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०
(मद्रास)

30. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०
(रोड रोलर यूनिट, नागपुर)

31. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

32. भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि०

33. बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०
(बम्बई कंटेनर प्रभाग)

34. भारतीय तेल निगम

35. बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि०

36. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०

37. नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०

38. मैरीन डीजल इंजीनियरिंग प्लांट

39. रद्दी धातु व्यापार निगम लि०

40. बामेर लारी एण्ड कं० लि०
(फ्रेट कंटेनर प्रभाग, कोचीन)

41. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

42. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०

43. नेपा मिल्स

44. इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नालीजी डिवेल्प० कारपो० लि०

45. हिन्दुस्तान जिंक लि०

46. भारतीय रुई निगम लि०

47. नेवेली लिग्नाइट कारपो० लि०

48. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०

49. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि०
(दिल्ली एवं उद्योग मंडल एकक)

50. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

51. कोल इण्डिया लि०

52. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०

53. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०

54. भारत अर्थ मूवर्स लि०

55. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०

56. इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज

57. मारुति उद्योग लि०

58. एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी
(लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी)

59. भारतीय उर्वरक निगम लि०

60. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

61. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०

62. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०

63. प्रोजेक्ट एंड डिवेल्पमेंट इंडिया लि०

64. आयल इंडिया लि०
(दिल्ली कार्यालय)

65. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो० लि०

66. भारत डायनामिक्स लि०

67. मिश्र धातु निगम

68. भारतीय चाय व्यापार निगम लि०

69. महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स लि०
(नागपुर)

70. स्कूटर्स इंडिया लि०

71. भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि०
(इलाहाबाद)

72. भारत पर्यटन विकास निगम लि०

73. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
(इलाहाबाद)

74. हिन्दुस्तान फोटो-फिल्मस लि०

75. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स

76. इंडियन एयरलाइन्स
(एयर कारपो० इम्पलाइज यूनियन)

77. हिन्दुस्तान केबल्स
(हैदराबाद)

78. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०
(तेल प्रभाग, बम्बई)

79. इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कं० लि०
(इंजीनियरी प्रभाग, सेवरी)

80. एयर इंडिया
(एयर कारपो० इम्पलाइज यूनियन एंड एयर इंडिया इम्पलाइज गिल्ड नॉन-टेक्नीकल कैटग्रीज)

81. जेसप एंड कं० लि०

82. भारतीय होटल निगम लि०
(सेंटोर होटल)

83. फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०

84. इलेक्ट्रोनिक्स कारपो० आफ इंडिया लि०

85. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

86. इंजीनियर्स इंडिया लि०

87. बामेर लारी एंड कं० लि०
(ग्रीस प्रभाग एवं शाखा कार्यालय, बम्बई)

88. मैंगनीज और इंडिया लि०

89. लगन जूट मशीनरी कम्पनी
(कारखाने में लिपिकीय एवं अधीनस्थ कर्मचारी)

90. ल्यूब्रिजोल इंडिया लि०

91. खनिज एवं धातु व्यापार निगम

92. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी

93. सेमी कंडक्टर्स (इंडिया) लि०

94. भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०
(अर्नाकुलम)

95. कुद्रेमुख आयरन ओर कं० लि०

96. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
(रूपनारायणपुर एकक)

97. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०

98. उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

99. पारादीप फास्फेट्स लि०

100. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि०
(पश्चिम बंगाल इंजीनियरी मजदूरी समझौते के अंतर्गत हैं)

101. पेट्रोफिल्म को-आपरेटिव लि०

102. हिन्दुस्तान कॉपर लि०

103. गोवा एंटिबायोटिक्स लि०

104. खनिज गवेषण निगम लि०
(नागपुर)

105. भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लि०

106. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम

107. भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०
(पश्चिम बगाल इंजीनियरी मजदूरी समझौते के अंतर्गत हैं ।)

108. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम
(रसायन प्रभाग)
दिल्ली, कोरबा, कुद्रेमुख एवं सिंगरोली

109. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०

विवरण-2

केन्द्रीय वेतन और महंगाई भत्ता अपनाने वाले उद्यमों की सूची

1. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०

2. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया

3. बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०

4. हिन्दुस्तान साल्ट लि०/साम्भर साल्ट लि०

5. माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन

6. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०

7. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि०

8. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०

9. हिन्दुस्तान केबल्स लि०

10. नागालैंड पल्प एंड पेपर मिल्स

11. भारत आपर्थैल्मिक ग्लास लि०

12. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि०

*13. आर्टिफिशियल लिम्बस मेन्युफैक्चरिंग कारपो० आफ इं० लि०

14. उद्योग पुनर्स्थापन निगम

*15. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०

16. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान

17. राष्ट्रीय बीज निगम

18. भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०

19. ने०टे०का० और इसकी सहायक कम्पनियां (1+9)=10 उद्यम

20. भारतीय रुई निगम

21. भारतीय पटसन निगम

22. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

23. चाय व्यापार निगम

24. भारत लेदर कारपोरेशन

25. दिल्ली परिवहन निगम

26. वायुदूत लि०

27. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०

28. भारतीय सड़क निर्माण निगम

29. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन

*30. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०

31. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

32. इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०

33. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इं०) लि०

34. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

35. जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवायें (इं०) लि०

36. एजूकेशन कन्सलटेंट्स इंडिया लि०

37. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

38. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

39. इंडियन डेरी कारपोरेशन

40. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

41. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

42. नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

43. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० (इं०) लि०

44. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी

45. भारत गोल्ड माइंस लि०

46. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

47. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि०

48. भारतीय सीमेंट निगम लि०

49. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

50. माझगांव डाक लि०

*51. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

52. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

53. भारतीय खाद्य निगम लि०

54. टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लि०

55. इंजीनियर्स इंडिया लि०

56. रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लि०

57. भारत पर्यटन विकास निगम

58. आवास एवं नगर विकास निगम

59. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

60. खनिज गवेषण निगम लि०

61. भारी इंजीनियरी निगम
(केवल चिकित्सा अधिकारी)

61+9 ने०टे०का० की सहायक कम्पनियां
*औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने के लिए सहमत हैं।

विवरण-3

वे उद्यम जिनका वेतन तथा महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के बराबर है

1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम लि०

2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन

3. भारत लेदर कारपोरेशन लि०

4. बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०

5. भारतीय सीमेंट निगम

6. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम

7. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

8. दिल्ली परिवहन निगम

9. एजूकेशनल कंस्लटेंट्स आफ इंडिया लि०

10. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इं०) लि०

11. भारतीय खाद्य निगम

12. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०

13. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०

14. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कारपो० लि०

15. आवास एवं नगर विकास निगम

16. हास्पीटल सर्विसेज कंस्लटेंसी कारपो० लि०

17. भारत पर्यटन विकास निगम लि०
(होटल से भिन्न खानपान स्थापना कर्मचारी)

18. इण्डियन डेरी कारपोरेशन

19. इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कारपो० लि०

20. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि०

21. भारतीय पटसन निगम लि०

22. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

23. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

24. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

25. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

26. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०

27. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि०

28. राष्ट्रीय बीज निगम

29. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

30. ने०टे०का० (9 सहायक कम्पनियां)

31. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

32. उत्तरपूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

33. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०

34. रेल इण्डिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज लि०

35. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०

36. ग्राम विद्युतीकरण निगम लि०

37. भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०

38. टेलीकम्युनिकेशन कन्सलटेंट्स (इं०) लि०

39. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लि०

40. जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवायें (इं०) लि०

41. वायुदूत लि०

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति में 40 सूत्रीय रोस्टर का क्रियान्वयन

7031. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में 40 सूत्रीय रोस्टर का क्रियान्वयन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य और अनुसूचित जातियों के कर्मजारियों की कुल भर्ती और पदोन्नतियों का कैलेंडर वर्ष 1982 से 1984 तक क्षेत्रवार और संवर्गवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे के पिछले पद अभी भी खाली हैं और इस सम्बन्ध में कैलेंडर वर्ष 1982-84 के लिए प्रत्येक संवर्ग का ब्यौरा क्या है?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्रवार तथा संवर्गवार ब्यौरे जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा सामान्य अभ्यार्थियों के लिए 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान भर्तियों तथा पदोन्नति की कुल संख्या दी गई है।

			1982					1983						1984					
	क्षेत्र	समूह	सीधी भर्ती			पदोन्नति		सीधी भर्ती				पदोन्नति		सीधी भर्ती			पदोन्नति		
			अ. ज.	अ. ज. ज.	सा.	अ. ज.	अ. ज. ज.	सा	अ. ज.	अ. ज. ज.	सा.	अ. ज.	अ. ज. ज.	सा.	अ. ज. ज.	अ. ज.	सा.	अ. ज. ज.	अ. ज.	सा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(1)	दिल्ली	I	—	—	—	3	1	21	—	—	—	1	—	16	1	—	8	1	—	71
		II	—	—	10	7	—	41	—	—	—	7	—	12	1	—	11	25	8	525
		III	—	—	5	—	1	16	7	—	2	4	1	3	5	1	16	6	5	28
		IV	2	—	3	—	—	—	2	—	8	—	—	—	1	—	3	—	—	—
(2)	बम्बई	III	6	—	42	—	—	—	2	—	15.	1	—	12	—	1	12	—	—	10
		IV	21	1	4	—	—	—	--	—	4	—	—	—	1	—	5	—	—	—
(3)	गोआ	III	—	—	3	—	—	4	—	—	4	—	—	1	—	1	1	—	—	3
		IV	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
(4)	गोवा	III	3	3	24	3	2	10	3	3	24	3	2	10	—	—	—	1	5	—
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	01	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(5)	कटक	III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
(6)	विशाखा-	III	2	—	4	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	पतनम	IV	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	2	1	1
(7)	कलकत्ता	III	—	—	6	—	—	—	2	—	2	—	—	5	—	—	—	1	—	5
		IV	1	—	—	—	—	6	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—
(8)	मद्रास	III	17	—	11	2	4	5	10	—	4	—	—	4	—	—	1	3	—	35
		IV	2	—	7	—	—	—	3	—	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	योग		36	4	122	15	8	110	30	4	78	16	3	63	13	6	65	39	20	678

समूह डी० डी० एम० तथा उससे ऊपर के अधिकारी

समूह ओ० एम० तथा ए० डी० एम०

समूह एसिस्टेंट/जूनियर एसिस्टेंट तथा समकक्ष

समूह पियोन तथा समकक्ष

समूह तथा के अन्तर्गत पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां मुख्यालय द्वारा की जाती हैं और विहित रोस्टर भी मुख्यालय में रखे जाते हैं।

विवरण

पद	1982				1983				1984			
	भ		प		भ		प		भ		प	
	अ. ज.	अ. जन जाति	अ. ज.	अ. जन जाति	अ. ज.	अ. जन जाति	अ. ज.	अ. जन जाति	अ. ज.	अ. जन. जाति	अ. ज.	अ. जन जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बम्बई												
पियोन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	4	—	—	1	3	—	—	1	3	2	2
एसिस्टेंट	—	—	3	2	—	—	2	2	—	—	4	3
सुपरवाइजर	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
इन्सपेक्टर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेनो	2	2	—	—	2	2	—	—	2	1	—	—
गोवा												
पियोन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
एसिस्टेंट	—	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1
सुपरवाइजर	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
इन्सपेक्टर	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1
स्टेनो	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मद्रास												
पियोन	—	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	4	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—
एसिस्टेंट	—	—	5	4	—	—	5	4	—	—	4	4
ड्राइवर/टेली० आप्रेटर/ सुपरवाइजर	5	7	—	—	—	7	—	—	2	5	—	—
इन्सपेक्टर	—	—	3	2	—	—	4	2	—	—	8	5
स्टेनों	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2	—	—
दिल्ली (मुख्यालय)												
पियोन	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	1	1
एसिस्टेंट	2	1	3	2	2	1	—	1	2	1	—	—
सुपरवाइजर	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—
इन्सपेक्टर	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
स्टेनो	8	5	—	—	1	3	—	—	1	2	—	—
एफ० ओ०	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	16	7
ओ० एम० (लेखा)	—	1	7	3	—	1	4	3	—	—	9	3
ओ० एम०	1	1	9	8	1	1	6	5	—	1	35	19
ए० ए० एम०	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1
ए० डी० एम०	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	9	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डी० ए० एम०	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1
डी० डी० एम०	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	8	4
एफ० ए० एम०	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
के० डी० एम०	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
सी० एफ० एम०/ सी० आई० ए० डी० एम०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
कटक												
पियोन	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
एसिस्टेंट	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	2	1
सुपरवाइजर	2	4	—	—	2	4	—	—	2		—	—
इन्सपेक्टर	—	—	3	1	—	—	3	5	—	—	3	5
स्टेनो	—	2	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—
विभाग												
पियोन	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
एसिस्टेंट	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	1	1
सुपरवाइजर	1	1	—	—	—	1	5	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
इन्सपेक्टर	—	—	2	2	—	—	—	2	—	—	2	2
स्टेनो	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—
कलकत्ता												
पियोन	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	2	2	—	—	2	2	—	—	2	2	1	—
एसिस्टेंट	—	—	4	2	—	—	3	—	—	—	2	1
सुपरवाइजर	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
इन्सपेक्टर	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1
स्टेनो	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
नाल्दा												
पियोन	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
जूनियर एसिस्टेंट	—	5	5	—	—	5	—	—	5	5	—	—
एसिस्टेंट	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सुपरवाइजर	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
इन्सपेक्टर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
स्टेनो	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—

भ० भर्ती
प० पदोन्नति

भारत में राज्य व्यापार निगम की शाखाएं

7032. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की भारत में कोई शाखाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम की भारत में 17 शाखाएं है। ये निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :

(1) बम्बई
(2) कलकत्ता
(3) मद्रास
(4) हैदराबाद
(5) आगरा
(6) काण्डला
(7) बंगलौर
(8) अहमदाबाद
(9) कोचीन
(10) दिल्ली
(11) गुहाटी
(12) गुन्टूर
(13) जयपुर
(14) लखनऊ
(15) पटना
(16) तूतीकोरीन
(17) विशाखापत्तनम।

(ग) जी हां।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम के लाभों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
1982-83	62.66	24.51
1983-84	59.83	28.83
1984-85	62.09	28.55

(अनन्तिम)

प्रचार और जनसम्पर्क संबंधी व्यय पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप बैंकों को बचत

7033. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के बैंकों के प्रचार और जनसम्पर्क संबंधी व्यय पर प्रतिबंध है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है, और इस मद के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान इन बैंकों को कितनी बचत हुई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों, बीमा कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के ऐसे एककों में, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इस व्यय पर प्रतिबंध लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार के खर्च में किफायत करने के अभियान के एक अंग के रूप में, सरकारी क्षेत्र सभी बैंकों को कानूनी दृष्टि से अपेक्षित अथवा अन्यथा अनिवार्य को छोडकर प्रचार और विज्ञापनों पर खर्च न करने के लिए मार्च, 1984 में हिदायतें जारी की गयी थीं। ये हिदायतें अभी भी लागू हैं।

(ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने वर्ष 1984 में प्रचार, जनसम्पर्क आदि पर 3.13 करोड़ रु० खर्च किये जबकि पिछले वर्ष इन पर 8.79 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रचार, विज्ञापनों आदि पर, जब तक कि वे बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अथवा अन्यथा अनिवार्य न हों, खर्च करते समय काफी सावधानी बरतने के लिए कहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विश्व बैंक और आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार का सुधार

7034. श्री बृजमोहन मोहन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार में सुधार हेतु कोई प्रयत्न किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक विकासशील देशों की वित्तीय कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं ;

(घ) क्या अपने मत के महत्व के आधार पर कुछ उन्नत देश इन संगठनों की नीतियों पर प्रभाव डाल रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में विकासशील देशों के विचारों को, मार्च, 1983 में नई दिल्ली में हुई गुटनिरपेक्ष देशों की हुई बैठकों में किए गए आह्वान द्वारा व्यक्त किया गया था जिससे कहा गया था कि विकास के लिए मुद्रा तथा वित्त पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए और उसमें सभीदेश भाग लें। गुट निरपेक्ष देशों की बैठक के अध्यक्ष होने के नाते, स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय ग्रुप ने प्रस्तावित सम्मेलन के मौलिक और क्रिया-विधि संबंधी मामलों पर विचार किया है और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्तीय प्रणाली की कमियों और चूकों को समाप्त करने के बारे में उपायों का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों के ग्रुप द्वारा दी गई रिपोर्ट की प्रतियां स्व० प्रधान मंत्री द्वारा सभी विकासशील देशों के अध्यक्षों अथवा सरकारों को भेजी गई थीं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फोर्मों में प्रस्तावित सम्मेलन के हक में व्यापक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) ये संस्थाएं अपने-अपने चार्टरों के अनुसार कार्य कर रही हैं और विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रही हैं।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वोट के अधिकार की प्रणाली पूंजी स्टाक में अंशदान/सदस्यों के कोटे के अनुपात में है। अतएव अधिक अंशदान/कोटे वाले देशों के वोट देने के अधिकार भी अधिक हैं। यह व्यवस्थाएं, उनके करार—अनुच्छेदों के माध्यम से, इन संगठनों के मूल ढांचे का एक भाग हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में छटनी

7035. श्री वसुदेव आचार्य : क्या **पूर्त और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग में छटनी के पक्ष में निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो छंटनी किये गये मजदूर तथा उनके परिवार अपना जीवन यापन कैसे करेंगे ;

(ग) क्या उक्त निर्णय 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रस्तावनाओं के अनुरूप है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम को अपने 38000 से अधिक मजदूरों की छंटनी हेतु निगम को केवल 76 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी औद्योगिक विकास अधिनियम के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सातवीं योजनावधि के दौरान निधियों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है क्योंकि श्रम का योक्तिकरण विभिन्न कारकों जैसे आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन और कार्य मानदण्डों के संशोधन पर निर्भर एक गतिशील प्रक्रिया है।

भारतीय स्टेट बैंक में जे० एम० जी० स्केल-1 अधिकारी के रूप में लिपिकों की पदोन्नति

7036. श्री सिद्धलाल मूरमू
श्री गंगा राम
डा० वी० वेंकटश } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में वर्ष 1982 में हुई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जे० एम० जी स्केल-1 अधिकारी के पद पर कुल कितने लिपिकों की पदोन्नति हुई और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कितने लोग है ;

(ख) बैंक की स्थानांतरण नीति के अनुसार उनमें से कुल कितने लोगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की अलग-अलग संख्या क्या थी ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों सहित कितने लोगों को वापस दिल्ली स्थानांतरित किया गया ; और

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जे० एज० जी० स्केल-1 के अधिकारियों को वापस दिल्ली स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982 में 440 क्लर्कों को जिनमें 39 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे, जूनियर मैनेजमेंट स्केल-1 में पदोन्नत किया गया था।

(ख) 235 अधिकारियों का, जिनमें 31 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के थे, दिल्ली से बाहर तबादला किया गया।

(ग) 42 अधिकारियों का, जिनमें 4 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं, वापस दिल्ली तबादला किया गया है।

(घ) अधिकारियों को दिल्ली से बाहर प्राय: मैदानी इलाकों में तीन वर्ष और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में दो वर्ष रहना होता है। उन अधिकारियों के मामलों पर, जिन्होंने अनुकम्पा के आधार पर तबादले के लिए अनुरोध किया था, प्रत्येक मामले में गुण-दोशों के आधार पर अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अन्य कर्मचारियों का दिल्ली तबादला दिल्ली से बाहर उनकी समयावधि पूरी हो जाने के पश्चात किया जाएगा।

शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों द्वारा "फेरा" विनियमों का उल्लंघन

7037. श्री प्रिय रंजन मुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीतल पेय बनाने वाली ऊन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान "फेरा" विनियमों का उल्लंघन किया है ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या प्योर ड्रिंकस कम्पनी और पारले ग्रुप द्वारा अपने पेयों के लिए विदेशी प्रतिष्ठानों का पदार्थ आयात करने का प्रयास किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शीतल पेय बनाने वाली किसी कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीकी और जापानी कम्पनियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश

7038. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पूंजी निवेश करने या अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए अब तक कितनी अमरीकी और जापानी कम्पनियों को अनुमति प्रदान की गयी है ;

(ख) नवम्बर 1984 से आज तक विदेशी कम्पनियों के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में आयात की गयी विदेशी प्रौद्योगिकी, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जिनमें विदेशी प्रौद्योगिकी आमंत्रित की जा रही है, ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1980-84 अवधि के दौरान भारत में पूंजी निवेश के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई अमरीकी और जापानी कम्पनियों का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के ब्यौरे, जिसमें भारत और विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की मदें और सहयोग के स्वरूप के बारे में बताया जाता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके मासिक सूचना पत्र के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं। जनवरी-मार्च, 1985 के सम्बन्ध में एफ० सी० अनुमोदन की सूची अभी प्रकाशित होनी है।

विवरण

1. उन अमरीकी फर्मों का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनके पक्ष में वर्ष 1980-84 के दौरान विदेशी निवेश अनुमोदित किया गया।

वर्ष		अमरीकी फर्मों के पक्ष में अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों का संख्या
1980	—	19
1981	—	15
1982	—	24
1983	—	32
1984	—	37

2. उन जापानी फर्मों का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनके पक्ष में वर्ष 1980-84 के दौरान विदेशी निवेश अनुमोदित किया गया।

वर्ष		जापानी फर्मों के पक्ष में अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों की संख्या
1980	—	5
1981	—	4
1982	—	5
1983	—	7
1984	—	5

कोल इंडिया लिमिटेड में कामगरों की बर्खास्तगी

7039. कुमारी ममता बनर्जी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के सी० एस० एफ० विभाग के अन्तर्गत डाक के 90 कामगारों की सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) कोल इंडिया लि० के विक्रय और विपणन संगठन की चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उक्त 90 कामगारों और कोल इंडिया लि० के बीच कोई कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नहीं था। इसीलिए, उनकी सेवाएं समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था।

(ख) क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, पश्चिम बंगाल सेल, कोल इंडिया लि०, कलकत्ता ने दो आकस्मिक कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं क्योंकि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। सेल के दो अन्य आकस्मिक कामगारों ने अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ी थी।

ऋणों को बट्टे खाते में डालने में बचत बीमा और गारंटी निगम की भूमिका

7040. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में वसूली न होने वाले ऋणों के रूप में कितनी धनराशि को बट्टे खाते में डाला है और ऐसे कितने मामले हैं;

(ख) ऋणों को बट्टे खाते में डालने में बचत बीमा और गारंटी निगम की क्या भूमिका है; और

(ग) इस निगम द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण प्रपत्रों के अनुसार, उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि और ब्यौरा प्रकट करने के संबंध में बैंकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिनके लिए लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई हो। अतः अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

(ख) और (ग) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत बैंक गारंटी की मांग तब कर सकते हैं जब पात्र ऋण सुविधा को वसूली के लिए अशोध्य/संदिग्ध

मान लिया गया है और वित्तपोषण करने वाले बैंकों के खातों में उनके लिए व्यवस्था कर ली गई हो। ऐसे मामलों में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम तथा वित्तपोषक बैंक मिलकर चूक की निवल राशि का बराबर-बराबर वहन करते हैं जिसका की व्यतिक्रम किया गया है। उन मामलों में जिन में बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के साथ निपटारे के पश्चात् ऋण-कर्ताओं से वसूली करते हैं, उनमें ऐसी वसूलियां बैंक तथा निगम के बीच उसी अनुपात में बांट ली जाती हैं।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पास प्राप्त दावों तथा उनके निपटान के सम्बन्ध में कुल सूचना उपलब्ध है। वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के वास्ते सूचना नीचे दी गई है :—

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	प्राप्त दावे		निपटाए गए दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1982	1,50,926	24·71	1,05,513	14 50
1983	1,47,474	27·84	1,27,714	19·64
1984	2,54,692	61·71	2,36,625	32.09

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कन्नानोर में स्थित कन्नानोर स्पिनिंग मिल के स्पिनिंग यूनिट का विस्तार

7041. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नानोर और माही स्थित कन्नानोर स्पिनिंग मिल्स, जो कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन है, के स्पिनिंग यूनिटों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन एककों में, इनके उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से कार्य-दिवसों को 6 से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 7 दिन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उक्त एककों में, ऐसी कोई ट्रेड यूनियनें हैं, जो और अधिक श्रमिकों को रोजगार अवसर प्रदान करने की रविवार पारी लागू करने के विरुद्ध हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सातवीं योजना अवधि (1985—90) के दौरान कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स,

कन्नानोर की कताई क्षमता का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है ।

(ख) कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माही में एक सप्ताह में 7 कार्य दिवस को पहले ही लागू कर दिया गया है। इस प्रस्ताव का कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, कन्नानोर में लागू करने के लिए सम्बन्धित श्रमिक यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा हैं ।

(ग) माही एकक में 7 दिन कार्य को संबंधित ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लागू किया गया था । कन्नानोर एकक के बारे में ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श अभी पूरा नहीं हुआ है ।

उड़ीसा में शहरी सहकारी बैंक खोलना

7042. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में शहरी सहकारी बैंक खोलने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या ये प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन प्रस्तावों को निकट भविष्य में मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को 1984 के दौरान नए शहरी सहकारी बैंकों के गठन के लिए केवल दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और बैंक ने इन दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास उड़ीसा में नए शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं पड़ा है ।

भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस

7043. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क जैसे भारतीय राजस्व सेवाओं के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अत्यन्त लाभप्रद प्राइवेट प्रैक्टिस की जानकारी है;

(ख) क्या स्वर्ण नियंत्रण तथा केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकरण और उत्पाद शुल्क विभाग और सीमा शुल्क के सेवानिवृत्त सदस्य और उपाध्यक्ष उसी बेंच के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनमें वे कार्यरत थे अथवा कुछ समय पहले उनकी अध्यक्षता कर चुके हैं;

(ग) क्या संसद की लोक लेखा समिति ने कुछ समय पहले इस प्रकार की अनैतिक प्रैक्टिस के बारे में प्रतिकूल मत व्यक्त किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियो को इस प्रकार की अस्वस्थकर प्रैक्टिस करने से रोकने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को यह विदित है कि भारतीय राजस्व सेवा के कुछ सेवा निवृत्त अधिकारी, आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आदि जैसे केन्द्रीय राजस्व कानून सम्बन्धी मामलों में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ।

(ख) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा (स्वर्ण नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण के एक सेवा निवृत्त सदस्य तथा एक सेवा निवृत्त उपाध्यक्ष अधिकरण में प्रेक्टिस कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) हाल ही में लोक लेखा समिति की कोई प्रतिकूल टिप्पणी सरकार की जानकारी में नहीं आई है । इसके अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत भारतीय राजस्व सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पश्चात ही प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा राजस्व कानूनों में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं । किन्तु कुछ मामलों में, सेवा निवृत्त अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद दो वर्ष पूरा होने से पूर्व चैम्बर्स में केवल सलाह देने को अनुमति दी गई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लेखन सामग्री की खरीद

7044. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंक लेखन सामग्री किस से खरीदते हैं; और

(ख) क्या किसी प्रकार का दुरुपयोग रोकने के लिए उन्हें अपनी आवश्यकता की लेखन सामग्री केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड नई दिल्ली से जहां से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अपनी आवश्यकता की लेखन सामग्री खरीदते है, खरीदने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धात जारी किए हैं जिनमें सहकारी क्षेत्र के बैंकों से ऐसी एजेंसियों से टेंडर/दरें मंगवाकर लेखन सामग्री की वस्तुएं खरीदने की परिकल्पना की गई है जो ऐसी सेवा के लिए उपयुक्त, सक्षम और अनुभवी समझी जाती हों । सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राय: दिल्ली और सभी जगहों पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हैं ।

(ख) सरकारी मंत्रालयों/विभागों को अपनी जरूरत की लेखन सामग्री केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली से खरीदने के लिए अनुदेश कार्मिक और

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वर्ष 1981 में जारी किए गए थे। सरकारी क्षेत्र के बैंक इन अनुदेशों के अंतर्गत नहीं आते।

प्राकृतिक रबड़, कोको तथा नारियल के तेल का आयात

7045. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का वर्ष 1985-86 के दौरान प्राकृतिक रबड़ तथा कोको और नारियल के तेल का भारी मात्रा में आयात करने का विचार है;

(ख) वर्ष के दौरान उन मदों के किये जाने वाले संभावित आयात की मात्रा क्या है, तथा किन-किन देशों से आयात किया जाना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मदों के आयात किये जाने के कारण क्या हैं तथा देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या देश के उत्पादकों पर इसके प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) 1985-86 के दौरान रबड़ के आयात को देश में वास्तविक मांग तथा पूर्ति अन्तराल तक प्रतिबंधित किया जाएगा। नारियल तेल तथा कोको के आयात की मात्रा के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) आयात मांग तथा पूर्ति अन्तराल को पूरा करने के लिए किये जाते हैं। देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) सलाहकार सेवाओं का विस्तार;

(2) पुनर्रोपण तथा नवरोपण स्कीमें; और

(3) अनुसंधान तथा विकास स्कीमें।

नारियल तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) संकर तथा अन्य उच्च उपज वाली किस्मों के रोगमुक्त बीजांकुरों का उत्पादन तथा वितरण ;

(2) समुन्नत कृषि पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदर्शन;

(3) रोगयुक्त तथा अनुत्पादन नारियल जोतों का नवीकरण; और

(4) रोगयुक्त तथा अनुत्पादक ताड़ों के प्रति स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

कोको उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) 1978-79 से केरल तथा कर्नाटक के राज्यों में कोको के विकास के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम चल रही है।

(2) किसानों को खेती के वैज्ञानिक तरीकों के फार्मगत संसाधन के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रदर्शन भूखण्ड तैयार करने और कोको उपजकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम चल रही है।

(ङ) से (छ) सरकार मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए केवल न्यूनतम मात्रा का आयात करके उपजकर्ताओं तथा साथ ही उपभोक्ताओं के हित संरक्षण का ध्यान रखती है और इसकी रिलीज ऐसी कीमतों पर की जाती है जो उपजकर्ताओं को लाभकारी स्तरों पर आंतरिक बाजार कीमत को नियंत्रित रखने में सहायक होती है।

निकारागुआ को उपकरणों का निर्यात

7046. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकारागुआ ने भारत से कुछ उपकरण आयात करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो निकारागुआ किस प्रकार के उपकरण भारत से आयात करना चाहता है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) निकारागुआ सरकार ने हाल ही में वस्त्र संयंत्र तथा फार्म उपकरण और दस्ती औजार के लिए उपस्करं एवं मशीनों के आयात में रुचि दर्शाई है।

कतिपय एजेंसियों के माध्यम से अतिरिक्त मदों के निर्यात को सरणीबद्ध करना

7047. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कतिपय एजेंसियों के माध्यम से कुछ अतिरिक्त मदों के

निर्यात को सरणीबद्ध करने के लिए अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो एजेंसियों तथा मदों के नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं। 12 अप्रैल, 1985 को घोषित अप्रैल, 1985-मार्च, 1988 की निर्यात नीति में निर्यात के लिए सरणीबद्ध मदों की सूची में कोई नयी मद नहीं जोड़ी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली मुद्रा का प्रचलन करने वाले गिरोह

7048. **श्रीमती फूलरेणु गुहा**
श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में जाली मुद्रा का प्रचालन करने वाले गिरोहों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस गिरोह के काम करने का तरीका क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) की कलकत्ता शाखा के आर्थिक अपराध संघ ने 15 अप्रैल, 1985 को कलकत्ता के राज्य के बस अड्डे में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन के अहाते से एक अजीजुर रहमान को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 100 रुपए के मूल्य वर्ग के 9 जाली नोट और 100 रु० के मूल्य वर्ग के जाली नोट छापने के 2 धातु के ब्लाक बरामद किये हैं। इस सम्बन्ध में नियमित मामला दर्ज किया गया है और जांच का कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार 22.4.1985 को उत्तर प्रदेश के एक खोजी दस्ते (सर्वे पार्टी) ने लखनऊ नगर क्षेत्र में एक झोंपडी पर छापा मारा और चार ब्लाक बरामद किये जिनमें 2 ब्लाक 100 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट छापने के; एक 10 रु० के मूल्य वर्ग के नोट छापने का; और एक 1 रु० के मूल्य वर्ग के नोट छापने का था तथा एक चाकू बरामद किया। तीन व्यक्ति अर्थात सर्वश्री धीरज राम यादव, विजय और कामराज को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु चौथा व्यक्ति अर्थात बंशराज, नक्खास, थाना पुख्ता सराय, जिला जौनपुर का निवासी था पुलिस दल को देखकर भाग गया। लखनऊ सिटी पुलिस द्वारा इस संबंध में भी एक नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है

और एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक खोजी दस्ता चौथे अभियुक्त की तलाश करने के लिए कलकत्ता भेजा गया है ।

संसाधित खाद्य पदार्थों एवं सुवासित तत्वों के आयात पर प्रतिबंध

7049. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वाणिज्य मंत्री नई आयात नीति के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसाधित खाद्य पदार्थों का आयात पोत-पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित करने के क्या कारण हैं ;

(ख) सुवासित तत्वों के लिए आयात लाइसेंस मूल्य के 10 प्रतिशत की और सीमा लगाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सुवासित तत्वों का आयात करने के लिये निर्यातक अपनी आयात पात्रता का शत-प्रतिशत उपयोग क्यों नहीं कर सकता है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत, आयात प्रतिपूर्ति की दर निर्यात उत्पाद के एफ० ओ० बी० मूल्य की तुलना में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त सम्बद्ध मदों (दो) के मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है ।

(ख) निर्यात उत्पाद में सम्बद्ध मद (दो) के उपयोग की सीमा के मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए समग्र आयात हकदारी के अन्तर्गत विशेष मद (दो) के आयात दर आगे प्रतिबन्ध भी लगाया जाता है ।

(ग) उपयुक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के कार्य निष्पादन में गिरावट

7050. श्री मुरलीधर माने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में राज्य व्यापार निगम के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस निगम के कार्यकरण में सुधार एवं सुव्यवस्था लाने के लिए कौन से उपाय किये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार निरन्तर राज्य व्यापार निगम के कार्य को मानीटर करती है । इस उद्देश्य से कि राज्य व्यापार निगम प्रमुख व्यापारिक संगठन के रूप में अपनी भूमिका निभा सके, राज्य व्यापार निगम को आयातों को मानीटर करने के लिए क्रियाविधि तैयार करने का निदेश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी कीमतों पर हो और उनकी सप्लाई उपभोक्ताओं को निम्नतम संभावित कीमत पर हो । निर्यातों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम से विकसित नए बाजार तथा उत्पाद विकसित करने की चुनौती स्वीकार करने तथा साथ ही स्वयं ऐसा समय ढांचा निर्धारण करने के लिए कहा गया है जिसमें वह ध्यानपूर्वक चुनी गई मदों सहित अभिज्ञात बाजारों में प्रवेश कर सके ।

ग्रामीण बैंकों की नई शाखाए खोलने के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करना

7051. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गामीण बैंकों के निरीक्षण संबंधी कार्यों के राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक को अन्तरण के परिणामस्वरूप शाखाए खोलने तथा उनके लिए लाइसेंस जारी करने का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक से असम्बद्ध कर इसी बैंक को अंतरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ऐसा किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने के कार्य को भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि नियंत्रण एवं अधिकारों के दोहरेपन से बचा जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बराबर लाइसेंस जारी कर रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अल्यूमिना-अल्यूमिनियम कम्पलेक्स, उड़ीसा की अर्थव्यवस्था

7052. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्यूमिना-अल्यूमिनियम कम्पलेक्स उड़ीसा की संघटक-वार प्रारम्भिक अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) क्या अल्यूमिना-अल्यूमिनियम कम्पलेक्स की वर्तमान लागत में काफी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी संघटक-वार इतनी अधिक वृद्धि के क्या कारण हैं ।

(घ) फ्रांसीसी कम्पनी से लिए गए ऋण पर अब तक कितना ब्याज अदा किया गया है और क्या बढ़े हुए ऋण में ब्याज भी शामिल किया गया है ; और

(ङ) अल्यूमिनियम की कम मांग अधिक परियोजना लागत को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अर्थक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ए) एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलेक्स (निर्माणगत) की घटक वार मूल अनुमानित लागत (1980 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर) तथा संशोधित लागत अनुमान (विचाराधीन) इस प्रकार हैं : —

(करोड़ रुपये में)

	मूल अनुमानित लागत (1980 की प्रथम तिमाही मूल्य स्तर पर)	संशोधित अनुमानित लागत
खानें	69·60	82·9
एल्यूमिना पद्रावक	336·60	676·5
एल्यूमिनियम	410·40	680.2
ग्रहीत बिजलीघर	408·80	757·5
पत्तन सुविधायें	17·00	29·4
	1242·40	2226·5

परियोजना के कार्यान्वन की प्रगति तथा अब तक के वास्तविक व्ययदों को ध्यान में रखकर परियोजना के पूंजी लागत अनुमानों को अद्यतन किया गया है। लागत में वृद्धि के कारण हैं—मूल्य वृद्धि, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, मात्रा में भिन्नता तथा कर और शुल्क।

(घ) निर्माण अवधि के दौरान यूरो-डालर ऋण तथा फ्रेंच-ऋण पर देय सूद की राशि पूंजी लागत में शामिल है।

(ङ) एल्यूमिनियम के नियंत्रित मूल्य की चालू प्रणाली से नाल्को द्वारा उत्पादित एल्यूमिनियम की संभाविन लागत पूरी हो जायेगी। देश में एल्यूमिनियम धातु की मांग और उपलब्धि के अनुमानों के अनुसार, 7वीं योजना अवधि में एल्यूमिनियम धातु की काफी अधिक मांग की संभावना है। नाल्को में उत्पादन शुरू होने पर फालतू एल्यूमिनियम की स्थिति अस्थायी और क्षणिक होने की आशा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई प्रति व्यक्ति सहायता

7053. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जमा राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मार्च, 1985 तक इन बैंकों द्वारा दी गई प्रति व्यक्ति सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च, 1983 और मार्च, 1984 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीय बैंक) की जमा राशियों के राज्य वार आंकड़े और मार्च, 1984 में प्रति व्यक्ति अग्रिमों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए है :—

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमा राशियां (लाख रु०)		प्रति व्यक्ति अग्रिम (रुपए)
	मार्च, 1983	मार्च, 1984	मार्च, 1984
1 2	3	4	5
1. हरियाणा	88430	105665	619
2. हिमाचल प्रदेश	30156	36270	392
3. जम्मू और कश्मीर	24063	29133	194
4. पंजाब	265428	312520	877
5. राजस्थान	108679	133655	276

1 2	3	4	5
6. चंडीगढ़	35458	41076	1328
7. दिल्ली	445836	517542	5409
8. असम	53320	57583	144
9. मेघालय	6710	9709	172
10. मणीपुर	1813	2254	87
11. नागालैंड	3084	4407	262
12. त्रिपुरा	4407	5365	1566
13. अरूणाचल प्रदेश	1928	4594	85
14. मिजोरम	1442	2098	82
15. सिक्किम	1410	2517	106
16. बिहार	215586	255917	146
17. उड़ीसा	58147	65270	208
18. पश्चिम बंगाल	506814	595763	619
19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1186	2521	251
20. मध्य प्रदेश	167312	206721	230
21. उत्तर प्रदेश	477782	556312	252
22. गुजरात	346689	403841	625
23. महाराष्ट्र	827766	984181	1498
24. गोवा दमन और द्वीप	42809	52848	1556
25. दादरा और नागर हवेली	225	360	289
26. आंध्र प्रदेश	263171	328042	466
27. कर्नाटक	231127	270808	620
28. केरल	146516	177486	482
29. तमिलनाडु	287515	329453	666
30. पांडीचेरी	7430	8446	842
31. लक्षद्वीप	154	231	82
जोड़	4652393	5506688	552

* 1981 की जनगणना के आधार पर

टिप्पणी :—पूर्णांकन के अन्तर के कारण संभव है जोड़ मेल न खाए ।

इस्पात कारखानों का विस्तार

7054. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इस्पात कारखानों के क्या नाम हैं जिन्हें विस्तार योजना के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) उन इस्पात कारखानों के नाम क्या हैं जिनका विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है ; और

(ग) उन इस्पात कारखानों के नाम क्या हैं जिनकी विस्तार योजनाएं विचाराधीन हैं ?

इस्पात विभाग के राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित इस्पात कारखानों में विस्तार योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(i) बोकारो इस्पात कारखाना—17 लाख टन से 40 लाख टन चरण

(ii) भिलाई इस्पात कारखाना—25 लाख टन से 40 लाख टन चरण

(iii) मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर—160,000 टन से 260,000 टन अपरिकृत मिश्र इस्पात

(ग) सेलम इस्पात कारखाने की बेदाग इस्पात के ठंडे बेलित उत्पादों को बेलित करने की 32,000 टन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 65,000 टन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

निर्यात संसाधन क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने की योजना

7055. श्री एन० डेनिस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च औद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों को निर्यात संसाधन क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने हेतु प्रेरित करने की कोई योजना आरंभ की है ;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ग) दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये प्रोत्साहन कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) उच्च प्रौद्योगिकीय उद्योगों का संवर्धन निर्यात संसाधन योजना के अन्तर्गत एक प्रमुख उद्देश्य हैं। एककों को उपलब्ध प्रोत्साहनों का उद्देश्य भी ऐसे उद्योगों का संवर्धन करना है। सान्ताक्रुज ईलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बम्बई और कान्डला मुक्त व्यापार जोन, गांधीधाम के अतिरिक्त, सरकार ने मद्रास, फाल्टा (प० बंगाल), कोचीन तथा नोयडा (यू० पी०) में चार नए निर्यात संसाधन जोन स्थापित करने की हाल ही में स्वीकृति दी है। निर्यात संसाधन जोनों में कार्य कर रहे एकक पहले ही बहुत से प्रोत्साहनों का लाभ उठा रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) 5 वर्षीय कर अवकाश।

(2) पूंजीगत माल तथा अन्य उत्पादन सामग्री के आयात के लिए लाइसेंस का पूर्ण अधित्याग।

(3) पूंजीगत माल तथा अन्य उत्पादन सामग्री का शुल्क मुक्त आयात।

(4) जोनों में विनिर्मित उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और अन्य करों से छूट।

(5) जोन एककों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई सप्लाइयों पर 'माने गए निर्यात' लाभों का दिया जाना।

(6) 100 प्रतिशत सीमा तक भी विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति।

(7) वैध आयात लाइसेंसों के आधार पर विनिर्मित माल का 25 प्रतिशत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है।

(8) उद्यमों द्वारा विदेशी तकनीशियनों को नियोजित किए जाने की सुविधा देना।

निर्यात संसाधन जोनों के लिए अनुमोदन बोर्ड उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता है।

केनरा बैंक, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली का खुले रहने का समय

7056. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली स्थित केनरा बैंक ने प्रातः 8.30 बजे कार्य करना शुरू करने के पश्चात अब फिर अपने पुराने समय अर्थात प्रातः 9 बजे कार्य करना आरम्भ कर दिया है जिससे कार्यालय जाने वालों को काफी असुविधा होती है ;

(ख) क्या इंडियन बैंक, शान्ति निकेतन, डी० डी० ए० मार्किट, नई दिल्ली, जो निकट ही है प्रातः 8.30 बजे खुलता है ; और

(ग) यदि हां, तो केनरा बैंक की इस शाखा को प्रातः 8.30 बजे खोलने में व्यवहारिक कठिनाइयां क्या है तथा क्या उनका विचार इस मामले की बैंक के मुख्यालय स्तर पर जांच कराने और खुलने का 8.30 बजे का पहला समय बहाल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) डी० डी० ए० मार्किट शांतिनिकेतन स्थित इंडियन बैंक की शाखा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रातः 8.30 और रविवार को प्रातः 9 बजे खुलती है और मंगल को साप्ताहिक छुट्टी होती है।

केनरा बैंक ने अलबत्ता सूचित किया है कि उसने अपने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अपनी रामकृष्णपुरम स्थित शाखा के खुलने का समय बदल कर प्रातः 9 बजे कर दिया है। चूंकि 8.30 बजे और 9 बजे के बीच काम न के बराबर होता है, इसलिए बैंक का समय बदल कर प्रातः 8.30 बजे का पुराना समय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों द्वारा मैसर्स हिंडालको को दिया गया ऋण

7057. **श्री आनंद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों द्वारा मैसर्स हिंडालको को दिए गए ऋण की कितनी धनराशि 31 मार्च, 1985 को बकाया थी ;

(ख) इस तारीख को इस फर्म की ओर ब्याज की कुल कितनी धनराशि देय थी; और

(ग) इस बकाया धनराशि को शीघ्र वसूल करने के लिया क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों और सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वशनीयता तथा गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार संस्थाओं से सहायता-प्राप्त किसी ग्राहक के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

सिन्थेटिक यूनिटों की वृद्धि

7058. **श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य** : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग में संकट के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में सिन्थेटिक यूनिटों में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) 1980 से देश में सिन्थेटिक यूनिटों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) देश में सिन्थेटिक यूनिटों में वृद्धि हुई है।

(ख) 1979 के अन्त तक, केवल 120 एककों में से 119 लघु क्षेत्र में थे जिनकी कुल क्षमता 16,000 एम० टी० प्रतिवर्ष थी। उस समय लघु क्षेत्र में 14,400 मे० टन प्रतिवर्ष और मध्यम क्षेत्र 1600 मे० टन प्रतिवर्ष की उपलब्ध क्षमता थी। तब से बड़ी संख्या में उद्यमियों ने, लघु तथा संगठित क्षेत्र दोनों में, इस मद के लिए रुचि दिखाई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस समय लघु क्षेत्र और साथ ही संगठित क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता लगभग 35,000 एम० टी० प्रतिवर्ष है। डी०जी०टी०डी० पंजीकरण आशय पत्रों के अन्तर्गत अभी तक की पंजीकृत कुल क्षमता लगभग 5 लाख मे० टन है।

दतिया जिले (मध्य प्रदेश) में किया गया भुविज्ञान संबधी सर्वेक्षण

7059. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भूविज्ञान सम्बन्धी विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीसा, अभ्रक आदि जैसे किन्हीं मुख्य खनिजों का पता चला है और यदि हां, तो उस क्षेत्र में इन खनिजों का अनुमानतः कुल कितना भंडार है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में खनन कार्य आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार के भूतत्व तथा खनन निदेशालय ने दतिया जिले के भूभागों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है।

(ख) जी, नहीं। केवल सीसे के मामूली भंडार पाये गये हैं।

(ग) और (घ) जिले में बने तथा ओकर का छोटे स्तर पर पहले ही खनन किया जा रहा है।

इस्पात खान और कोयला मंत्रालय के एककों के अंतर्गत सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में श्रमिकों की नियुक्ति

7060. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विजया राघोगढ़ अथवा किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उनके मन्त्रालय अथवा उसके किसी उपक्रम का कोई एकक चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक में श्रमिकों कर्मकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है:

(ग) क्या प्रबन्धकों द्वारा सीधे भर्ती किए गए श्रमिकों कर्मकारों के अतिरिक्त कतिपय ठेकेदारों द्वारा कमीशन के आधार पर कुछ श्रमिकों कर्मकारों की पूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या श्रमिकों कर्मकारों के इन दोनों वर्गों को एक ही प्रकार का कार्य करने के लिए एक समान और वैसी ही मंजूरी दी जा रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(च) इस असमानता को दूर करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां । राउरकेला इस्पात कारखाने की बाबूपुर स्थित इस्पात लाइमस्टोन क्वेरी सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है । बोकारो इस्पात कारखाने की भी कुटेश्वर के समीप अररही में चूना-पत्थर की एक खान है जो विजया राघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र में है । यह क्षेत्र भी सतना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने की बाबूपुर सतना स्थित इस्पात लाइमस्टोन क्वेरी में श्रमिकों की नियुक्ति रोजगार कार्यालयों की मार्फत की जाती है । राउरकेला इस्पात कारखाने के नियंत्रणाधीन सभी अन्य इकाइयों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

जहां तक कुटेश्वर की चूना-पत्थर खान का सम्बन्ध है, इस खान में बोकारो इस्पात कारखाना श्रमिकों की नियुक्ति कटनी के रोजगार कार्यालयों की मार्फत करता है तथा उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर विज्ञापन देकर नियुक्ति करता है ।

(ग) ठेकेदारों द्वारा उपक्रम को कोई भी मजदूर/श्रमिक कमीशन आधार पर नहीं दिए जा रहे हैं । लेकिन सामयिक/उतार-चढ़ाव/अस्थायी किस्म के कुछ कार्यों जैसे मकानों का निर्माण, चूने-पत्थर को तोड़ना तथा उसके परिवहन आदि के लिए स्थायी आधार पर श्रमिक रखना संभव नहीं हैं । इसलिए यह कार्य ठेकेदारों से ठेके के आधार पर कराया जाता है । इन कार्यों को करने के लिए ठेकेदार अपने ही श्रमिक लगाते हैं ।

ठेके के मूल्य का निर्धारण कमीशन आधार पर नहीं बल्कि जारी की गई निविदाओं के उत्तर में ठेकेदारों द्वारा की गई पेशकशों के आधार पर किया जाता है । इसके साथ-साथ कार्य की मात्रा, सांविधिक अदायगियां, पर्यवेक्षण प्रभार आदि जैसी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(घ) और (ङ) राउरकेला इस्पात कारखाने तथा बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा सीधे नियुक्त किए गए मजदूर/श्रमिकों तथा ठेकेदारों के श्रमिकों को अलग-अलग प्रकार के कार्यों पर लगाया जाता है। उन्हें समान प्रकार के कार्यों पर नहीं लगाया जाता है इसलिए किसी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

दोनों खानों के ठेका-श्रमिकों को मजूरी का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा चूना-पत्थर खानों के लिए समय-समय पर घोषित मजूरी की दरों से कम दरों पर नहीं किया जाता है जबकि विभागीय कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान इन कारखानों के वेतन-ढांचों के अनुसार किया जाता है।

(च) जैसा कि उल्लेख किया गया है ठेका श्रमिकों तथा विभागीय श्रमिकों की मजूरी की दरें भिन्न-भिन्न हैं। ठेका श्रमिकों तथा विभागीय श्रमिकों की मजूरी में असमानता को दूर करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों दो भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों पर लगाया जाता है तथा दोनों पर अपने-अपने नियोक्ताओं की शर्तें तथा नियम लागू होते हैं।

हल्दिया से बरौनी तक की तेल पाइप लाइन के त्रुटिपूर्ण मार्ग निर्धारण के कारण रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव

7061. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव के खतरे से बचने के लिए वर्षों पूर्व हल्दिया से बरौनी तक तेल पाइप लाइन का पुनः मार्ग निर्धारण करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पाइप लाइन का यह त्रुटिपूर्ण मार्ग निर्धारण विदेशी परामर्शदाता अमेरिका के मैसर्स बैचल द्वारा खतरे और सुरक्षा का कोई ध्यान रखे बिना किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या बैचल का नाम विदेशी फर्मों की काली सूची में डाला गया था ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, पाइप लाइन के मार्ग-निर्धारण (साध्यता रिपोर्ट तैयार करने सहित), का काम एक दूसरी एजेन्सी ने किया था। मेसर्स बेशटेल ने तकनीकी और प्रबंधकीय परामर्शदाता के रूप में काम किया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड को विभाजित करने का प्रस्ताव

7062. **श्री राज करन सिंह** : क्या इस्पात, **खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि० की दो सहायक कंपनियां अर्थात् नार्दर्न कोलफील्ड्स की सिंगरोली मंडल और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की विलासपुर मंडल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में इस बीच कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय यह मामला किस स्तर पर है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० के अधीन दो नई कोयला कंपनियां स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों की मांग का कम हो जाना

7063. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद } : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1985 के स्टेटसमैन कलकत्ता में 'सब्स-टेन्शियल फाल इन डिमांड फार एन० टी० सी० प्रोडक्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत निम्न स्तर का उत्पादन होने के कारण उत्पादों की बिक्री काफी कम हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं तथा कुप्रबन्ध और असंतोषजनक कार्य निष्पादन के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार एन०टी०सी० (पूर्वी क्षेत्र) अर्थात् एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए० बी०ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता के सम्बन्ध में है। इस समाचार की विशिष्ट बातें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) कलकत्ता कपड़ा बाजार में एन०टी०सी० उत्पादों की मांग में पर्याप्त गिरावट ।

(2) दिसम्बर, 1984 तथा जनवरी, 1985 के दौरान नियंत्रित, अनियंत्रित कपड़े तथा यार्न की मासिक बिक्रियां क्रमशः लगभग 50 लाख रु०, 10 लाख रु० तथा 10 लाख रु० रही जबकि इसकी तुलना में 1983-84 की इसी अवधि में ये 2 करोड़ रु०, 1 करोड़ रु० तथा 1.2 करोड़ रु० थीं ।

(3) मांग में गिरावट घटिया क्वालिटी की रुई के कारण आई ।

(ग) दिसम्बर, 1984 और जनवरी, 1985 के दौरान वास्तविक बिक्रियों का योग 512 लाख रु० रहा न कि 70 लाख रु० जैसा कि उक्त समाचार में बताया गया है । उक्त बिक्रियां 1983-84 की उसी अवधि की बिक्रियों से कम नहीं थीं क्योंकि ये बिक्रियां 500 लाख रु० से बढ़कर 512 लाख रु० की हुई ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स एन०टी०सी० लिमिटेड के परिसर पर छापे

7064. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 में मोदी समूह के प्रबन्ध के अन्तर्गत आने वाले मैसर्स एन०टी०सी० के परिसर पर छापे मारे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यदि माननीय सदस्य मैसर्स नेशनल तम्बाकू कंपनी लि०, कलकत्ता का हवाला दे रहे हों, तो उनके परिसरों पर 1985 में छापे नहीं मारे गये थे ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली सर्किल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदो को समाप्त करना/अनारक्षित करना

7065. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के दिल्ली सर्किल के प्रबंधकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित लोगों के लिए जे०एम०जी० स्केल-1 अधिकारी और रोकड़ अधिकारियों के 157 पदों को या तो समाप्त कर दिया है अथवा उन्हें अनारक्षित पदों में

बदल दिया है;

(ख) इन पदों को समाप्त करने/अनारक्षित घोषित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रबंधकों और सरकार को बैंक के प्रबंधकों द्वारा किए गए उक्त उपायों के विरोध में भारतीय स्टेट बैंक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत) से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल-I में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 157 रिक्तियां व्यपगत (लैप्स) हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के अनुसार ये रिक्तियां लगातार तीन वर्षों तक आगे ले जाई जाती रहीं लेकिन उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण, आखिरकार उन्हें व्यपगत करने की अनुमति देनी पड़ी। भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ ने इस सम्बन्ध में प्रबंधकों को एक अभ्यावेदन दिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी यूनियन ने इस के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है और यह मामला न्यायाधीन है।

कोल इंडिया लि० द्वारा मशीनें लगाने और उनकी खरीद के दिए गए क्रयादेश

7066. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ठेके/खरीद के मूल्य सहित समूचे देश में अपनी सहायक कम्पनियों हेतु मशीनें लगाने और खरीद के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा कितने क्रयादेश दिए गए;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इनके लिए टेंडर दिए थे और उनमें से कितनों को ये ठेके दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड के क्षेत्र में बर्न स्टेण्डर्ड आदि जैसी सरकारी क्षेत्र के प्रसिद्ध उपक्रमों के दावों की उपेक्षा करके ऊषा ब्रेचको कम्पनी को वरीयता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सूचना देने के लिए पुरस्कार राशि के भुगतान के बारे में अभ्यावेदन

7067. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **वित्त** मंत्री आयकर अपवंचकों और काले धन के जमाखोरों के सम्बन्ध में सूचना देने वालों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 5347 के 27 मार्च, 1981 को दिए गए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपाई गई आय के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए पुरस्कार की राशि के भुगतान के बारे में सरकार को 14 अप्रैल, 1982, 11 मई, 1982, 20 जुलाई, 1982, 13 जुलाई, 1982, 30 नवम्बर, 1982, 7 जनवरी, 1983, 9 सितम्बर, 1983 और 29 अक्तूबर, 1983 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छिपाई गई आय के संबंध में सूचना देने के कारण पुरस्कार की राशि के भुगतान के बारे में सरकार को दिनांक 14 अप्रैल, 1982, 20 जुलाई, 1982, 30 नवम्बर, 1982, 9 सितम्बर, 1983 और 29 अक्तूबर, 1983 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दिनांक 11 मई, 1982, 31 जुलाई, 1982 और 7 जनवरी, 1983 को लिखे गए पत्र सरकार द्वारा भेजे गए उत्तर हैं।

(ख) ये अभ्यावेदन मुख्यत: पुरस्कार का दावा करने वाले व्यक्ति की इस शिकायत से सम्बन्धित हैं कि उसे देय पुरस्कार की राशि की अदायगी नहीं की गई है। पुरस्कार का दावा करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में सुनवाई करने के लिए भी अनुरोध किया गया था।

(ग) मामले की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि पुरस्कार का दावा करने वाला व्यक्ति किसी पुरस्कार का हकदार नहीं था। उन माननीय संसद सदस्यों को उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए थे जिन्होंने विगत समय में इस सम्बन्ध में सरकार को लिखा था।

[अनुवाद]

निषिद्ध माल का व्यापार

7068. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1985 में सियोल में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल सम्मेलन (इन्टरनेशनल चेम्बर्स आफ कामर्स कान्फ्रेंस) में निषिद माल के बढ़ते हुए व्यापार के खतरे पर चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में भी इन वस्तुओं का आयात होता है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि निषिद्ध माल भारत से बाहर न जाये, सीमा शुल्क निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, नई दिल्ली से ऐसा पता चला है कि सिओल में मार्च में हुए वार्षिक सम्मेलन में निषिद्ध माल के बढ़ते हुए व्यापार के खतरे के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। यह भी पता चला है कि यह बैठक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जालसाजी पर हुई थी और उसमें हुई चर्चा नकली माल के व्यापार से सम्बन्धित थी जिसमें व्यापार चिह्न अधिकारों का उल्लंघन अन्तर्निहित है।

(ख) से (घ) सीमा शुल्क समाहर्ता से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला है कि नकली माल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जालसाजी का कोई उदाहरण उनके सामने नहीं आया है।

निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने और उसको रोकने के लिए तथा अन्य विधियों तथा अधिनियमों का उल्लंघन करके किए गए आयातों पर सामान्य समय में कार्यवाही करने के लिए संगठन पहले ही विद्यमान है। जब कभी आवश्यकता होती है, समग्र तस्करी रोधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव किए जाते हैं।

बम्बई के हीरे के व्यापारियों द्वारा हड़ताल

7069. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के हीरा व्यापारियों ने आयकर प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों के विरोध में हड़ताल की है;

(ख) क्या उन्होंने इन छापों को रोकने के लिए प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है;

(ग) उन छापों में 1 जनवरी, 1985 से लेकर अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के हीरे पकड़े गए हैं;

(घ) क्या इन छापों में बेयरर बांड के तथा सावधिक जमा धनराशि की रसीदों सहित नकद धनराशि भी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी कुल धनराशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को सूचित किया गया है कि व्यापारी वर्ग ने अनगढ़े हीरों का आयात और पालिश किये गये हीरों का निर्यात 14.2.1985 से 2.3.1985 तक बन्द रखा था।

(ख) बम्बई से हीरे के व्यापारियों का कोई प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला प्रतीत नहीं होता।

(ग) आयकर विभाग द्वारा बम्बई में ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप, लगभग 66.47 लाख रुपए मूल्य के 2900.71 कैरट वजन के हीरे पकड़े गए थे।

(घ) और (ङ) विभिन्न स्थानों से 19.51 लाख रुपए मूल्य के हीरे जड़ित जवाहरात, 1.84 लाख रुपए मूल्य के अन्य जवाहरात तथा 1.59 लाख रुपए की नकदी प्राप्त हुई थी। धारक बन्ध-पत्रों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अतः धारक बन्ध-पत्रों की संख्या यदि कोई हो, देने का प्रश्न नहीं उठता है।

मैसर्स दिल्ली बाटलिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और इसके निदेशकों द्वारा उत्पाद शुल्क और आयकर का अपवंचन

7070. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स दिल्ली बाटलिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना उत्पाद शुल्क दिया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि उक्त कंपनी और उसके निदेशक उत्पाद शुल्क और आयकर का अपवंचन कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए भी कोई जांच की गई है कि उत्पाद शुल्क का आकलन करते समय सम्पूर्ण उत्पादन को ध्यान में रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मै० दिल्ली बाटलिंग कंपनी (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में अदा किए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल राशि निम्न प्रकार से है :—

वर्ष		शुल्क की राशि
1982-83	—	106.01 लाख रु०
1983-84	—	94.01 लाख रु०
1984-85	—	85.61 लाख रु०

(ख) इस कंपनी और इसके निदेशकों के बारे में ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया जिसमें वे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन में ग्रस्त हों। जहां तक आयकर अपवचन का सम्बन्ध है, कंपनी का आयकर निर्धारण दिल्ली में नहीं किया जाता, अतः यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) निर्धारित जांच-पड़तालें नियमित रूप से की जा रही हैं।

रुग्ण उद्योगों को अधिगृहित किए जाने से पूर्व की उनकी देनदारियां

7071. **श्री सैफुद्दीन चौधरी**
श्री अजित कुमार साहा
श्रीमती विभा घोष गोस्वामी } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के नये निर्णय के अनुसार, जो राज्य सरकारें जिन ऐसे रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय करेगी जिनमें कामगारों को बेरोजगारी और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उन्हें उन औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने से पूर्व की सभी देनदारियां राष्ट्रीयकृत बैंकों और सभी वित्तीय संस्थानों को देनी होंगी;

(ख) इस सम्बन्ध में इससे पहले की क्या स्थिति थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों की ओर से औद्योगिक इकाइयों का प्रबंध अपने हाथ में लेने से पूर्व की सभी बकाया राशियां राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसम्बर, 1984 में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण किये जाने की स्थिति में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अधिग्रहण-पूर्व और अधिग्रहणोत्तर सभी देनदारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों को सूचना और अनुपालन के लिये इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

(ख) दिसम्बर, 1984 में स्वीकार की गई नीति से पहले, अधिग्रणोत्तर सभी देनदारियों और अधिग्रहण-पूर्व ऐसी सभी देनदारियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी जो केन्द्रीय/राज्य सरकार (सरकारों) के आदेश पर दी गई थी।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की

देनदारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में तैयार की गई नीति पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया गया है।

आयकर अधिकारियों (ग्रुप-ख) के पदों पर पदोन्नति

7072. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त उन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो 3 वर्षों, 3-5 वर्षों, 5-7 वर्षों और 7-10 वर्षों तथा दस वर्षों से भी अधिक समय से आयकर अधिकारियों (ग्रुप-ख) के पदों पर पदोन्नति हेतु मंडलवार अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता सीमा शुल्क के नकली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की जांच

7073. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता सीमा शुल्क के कथित नकली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के कुछ विशेष मामलों की जांच के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है ;

(ख) क्या यह मामला मूलतः 1976 में किसी समय दिए गए अभ्यावेदन के परिणाम-स्वरूप तत्कालीन गृह राज्य मंत्री के निर्देश पर शुरू किया था ;

(ग) क्या इस प्रकार के नकली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सूची फरवरी, 1976 तक, जबकि दूसरा अभ्यावेदन किया गया था, 8 से बढ़कर 21 हो गई तभी इस बीच इसमें और वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक की गई विभागीय जांचों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या इन सभी मामलों की त्वारित जांच और उपयुक्त दंड देने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक गुमनाम शिकायत मिलने पर मामले पर कार्यवाही की गई थी।

(ग) अभी तक ऐसे 22 मामले विभाग की जानकारी मे लाए गए हैं।

(घ) कुछ मामलों में आरोप निराधार पाये गये हैं। शेष मामलों की जांच-पड़ताल की की जा रही है।

(ङ) और (च) चूंकि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है इसलिए इस स्तर पर इन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना आवश्यक नहीं समझा गया है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा दिल्ली के सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यातकों के परिसरों और कार्यालयों में मारे गए छापे

7074. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क (निवारण) विभाग, दिल्ली ने हाल ही में ऐसे निर्यातकों और कार्गो एजेंटों के 20 से अधिक परिसरों और कार्यालयों पर छापे मारे थे जिन्होंने चोरी छिपे अमरीका को सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात करने का असफल प्रयास किया था ;

(ख) यदि हां, तो सिले-सिलाए कपड़ों के उन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर छापे मारे गए थे ;

(ग) क्या जांच के लिए उनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सिले-सिलाए कपड़ों के निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि मामलों की अभी भी जांच की जा रही है, इसलिए इस समय विवरण देना लोकहित में नहीं है।

(ग) इस मामले की जांच के काम को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया गया है।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

कानपुर में बैंक गारंटी के मामलों में जालसाजी और गैर कानूनी सौदे

7075. श्री जी० जी० रवैल : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में बैंक गारंटी सम्पन्नता प्रमाण पत्र, आयात लाइसेंस आदि के मामलों

में जालसाजी करने के संबंध में पुलिस ने अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं ;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों ने अपराध स्वीकार करते हुए इसमें वाणिज्य मंत्रालय के अनेक अधिकारियों की सांठ-गांठ होने का दावा किया है ; और

(ग) इस जालसाजी में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंक गारंटियों आदि के कथित जालसाजी के मामलों के संबध में कानपुर पुलिस ने 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं ।

(ख) और (ग) कानपुर पुलिस ने आपराधिक मामला दज कर लिया है और इस की जांच कर रही है ।

मै० कोका कोला के विरुद्ध आयकर तथा उत्पाद शुल्क के लम्बित मामले निपटाना

7076. श्री थम्पन थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० कोकाकोला निर्यात निगम ने भारत में अगस्त, 1983 से अपनी कंपनी बंद करने में कोई प्रगति की है ;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों अथवा अपीलीय न्यायाधिकरणों में लम्बित आयकर तथा उत्पाद शुल्क के मामले निपटा दिए गए हैं ; और

(ग) क्या कंपनी से काफी राजस्व एकत्र किये जाने से पूर्व भी कंपनी को अपनी परिसंपत्तियों जैसे संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर उपस्करों को बेच देने की अमुमति दी गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मै० कोका कोला ने, कंपनी अधिनियम के अतर्गत यथापेक्षित, कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार के पास, भारत में अपने व्यवसाय के स्थान को समाप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों का संबंध है, कंपनी द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के समक्ष दायर अपील तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, दिल्ली के आदेशों के खिलाफ, जिसमें 68,39,033/- रु० का शुल्क तथा 25,00,000/-रु० के आर्थिक दण्ड की मांग की गयी है, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका अनिर्णीत पड़ी हैं जहां तक आयकर का संबंध है, कर निर्धारण वर्ष 1982-83 तक के कर निर्धारण पूरे कर लिए गए हैं । इस आधार पर कि, निर्धारिती कंपनी ने अपनी लेखा पद्धति में हुए परिवर्तन के बारे में नहीं बताया था तथा उसने विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव के

कारण नुकसान का दावा किया था, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1973-74 तक के आयकर निर्धारणों को पुन: खोले जाने के विरुद्ध कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 18.12.1984 को निपटा दिया गया है ।

(ग) कम्पनी को उसके बलसाड़ स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट को बेचने की अनुमति दी गई थी । तथापि, अभी तक कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि समापन के पश्चात विनियम नियंत्रण के उपबंधों के अनुसार सभी प्रकार के करों की अदायगी करने के बाद संयंत्र की शुद्ध विक्रय आय पर किसी प्रकार की छूट के लिए फालतू परिसंपत्तियों के साथ, यदि कोई हो, विचार किया जाना होता है । फर्नीचर तथा जुड़नार चीजों जैसी चल सम्पत्ति के विक्रय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है ।

जम्मू और काश्मीर में दस्तकारी केन्द्र

7077. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा दस्तकारी की व्यवस्था संबंधी योजनायें काफी विलम्ब के बाद तैयार की गई हैं ; और

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में कौन कौन से दस्तकारी केन्द्र खोले गये और कहां-कहां खोले गये ?

पूर्ति और वस्त्र मत्रालय के राज्य मन्त्री **(श्री चन्द्र शेखर सिंह)** : (क) 1976 में कालीन बुनाई का एक विशाल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया । इस समय राज्य में कालीन बुनाई के लिए उच्च स्तरीय तथा साधारण प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के योजना के अन्तर्गत कशीदाकारी, काष्ठ नक्काशी, पैपियर माशै आदि जैसे शिल्पों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ख) कोई शिल्प केन्द्र स्थापित नहीं किए गए । श्रीनगर, बारामूला, अनन्तनाग, जम्मू, उधमपुर तथा लेह में हस्तशिल्प के लिए 6 विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए है ।

आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र जारी करना

7078. श्री एन० वेंकटरत्नम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने वित्त मंत्रालय की सलाह पर डेक्स-ट्रोस मोनोहाइड्रेट और हाइपटोस सिरप बनाने के लिए अपने आशय पत्र के पत्र के संबंध में 6 अक्टूबर, 1983 को भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक बैंक को लिखा था ;

(ख) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को उत्तर देने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को उत्तर दे दिया है ताकि वे उद्योग मंत्रालय को आशय पत्र शीघ्र प्रदान करने के लिए अनुरोध कर सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध 'और नियमों के अंतर्गत अनुनेय' सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

केरल में 'परम्परागत शिल्प संस्थान' की स्थापना का प्रस्ताव

7079. श्री टी० बशीर : क्या **पर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में परम्परागत शिल्प संस्थान की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है तथा इस संस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

सिंचाई/विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

7080. श्री डी० बी० पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में विद्युत सिंचाई और कोयला खनन परियोजनाओं के लिए 798 मिलियन डालर स्वीकृत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं (राज्य-वार) के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष (1 जुलाई, 1984 से 30 जून, 1985 तक) के दौरान बैंक समूह ने अभी तक

भारत को विद्युत, सिंचाई और कोयला खनन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित ऋण उधार स्वीकृत किए हैं ;

(राशि करोड़ संयुक्त राज्य अमरीकी डालर में)

परियोजना का नाम	राज्य	सहायता की राशि	
		अ०पु०नि० और विश्व बैंक	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
1. सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश	20.00	10.00
2. नर्मदा गुजरात जल प्रदाय और मल निकासी परियोजना	गुजरात	—	15.00
3. झरिया कोकिंग कोल परियोजना	केन्द्रीय क्षेत्र	24.80	—
	कुल :	44.80	25.00
सकल योग (3+4)		69.80	

अ० पु० नि० और वि० बैंक =अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) में विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य

7081. श्री गंगाराम : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम और इसकी मिलों में नियुक्तियों/पदोन्नति का संबंध है, विभागीय पदोन्नति समितियों/भर्ती बोर्डों में न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य है ;

(ख) क्या उपर्युक्त संगठनों में उपरोक्त श्रेणी की नियुक्तियों/पदोन्नतियों की देखभाल के लिए कोई सम्पर्क अधिकारी नियुक्त नही किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के बारे में सरकारी आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जहां प्रतियोगी प्रत्याशी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं वहां विभिन्न चयन समितियों में अनुसूचित जाति के नामित व्यक्ति को भी शामिल किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त संगठनों के सभी एककों में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर अधिकारियों द्वारा प्लास्टिक का कच्चा माल बरामद किया जाना

7082. श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में आय कर अधिकारियों द्वारा आयातित प्लास्टिक ग्रेन्यूल का कारोबार करने वाले व्यापारियों के एक समूह के कारखानों और उनके आवासों पर मारे गए छापों के दौरान 20 लाख रुपये मूल्य का बिना हिसाब किताब का प्लास्टिक का कच्चा माल बरामद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) आय-कर विभाग ने कलकत्ता में मैसर्स सिटीजन प्लास्टिक स्टोर्स ग्रुप के मामलों में 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, 1985 को तलाशियां ली थीं। तलाशी की कार्यवाहियों के दौरान, लगभग 16 लाख रु० मूल्य का सी० ए० बी० मार्किंग पाउडर पाया गया और उसे सूची में दर्ज किया गया। बही-खाते और अपराध आरोपणीय अन्य दस्तावेज पकड़े गये थे।

(ग) आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

7083 श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष एवं चालू मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम ने कुल कितनी कपास खरीदी (तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा दिया जाये) ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि भारतीय कपास निगम ऐसे भाव पर कपास खरीद रहा है जोकि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से काफी कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1983-84 और 1984-85 के काटन सीजनों के दौरान भारतीय रुई निगम की राज्यवार खरीदारियां इस प्रकार हैं :—

राज्य	1983-84 (सितम्बर, 83-अगस्त, 1984) (मात्रा गांठों में)	1984-85 (सितम्बर, 84 से 14 मई, 1985 तक) (मात्रा गांठों में)
गुजरात	94,531	1,05,052
आंध्र प्रदेश	123,600	94,511
हरियाणा	49,570	64,630
कर्नाटक	47,901	36,775
मध्य प्रदेश	70,849	1,08,328
पंजाब	55,605	93,873
राजस्थान	58,476	88,964
तमिलनाडु	24,291	11,939
असम (मेघालय)	41	328
योग :	5,24,864	6,04,400

(ख) और (ग) जब कीमतें समर्थन कीमतों से ऊपर चली जाती है तब भारतीय रुई निगम अन्य खरीदारों के साथ खुली प्रतियोगिता करके चल रही बाजार कीमत पर रुई की खरीद करता है। भारतीय रुई निगम न्यूनतम समर्थन कीमतों पर भी खरीदारी करता है जब कपास की बाजार कीमतें सरकार द्वारा घोषित समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं। तथापि, पूर्ण समर्थन कीमत स्टैण्डर्ड क्वालिटी के लिए है और क्वालिटी में अंतर की वजह से यदि आवश्यक होता है तो उचित कटौतियां की जाती हैं।

बीरभूम, पश्चिम बंगाल में सिक्की में लघु इस्पात संयंत्र की क्षमता का उपयोग

7084. **श्री गदाधर साहा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीरभूम, पश्चिम बंगाल में सिक्की में लघु इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है और कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(ख) इस संयंत्र की क्षमता के उपयोग के लिए इस्पात के आवंटन के लिए 1982 से 1984 की अवधि में इस्पात की प्रतिमाह वर्षवार आवश्यकता कितनी थी; और

(ग) इस संयंत्र में वर्ष 1982 से 1984 के अवधि का वर्षवार लाभ या हानि कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में इलैक्ट्रोलीटिक मैंगनीज डायोक्साइड का उत्पादन

7085. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग हेतु स्वीकृति न मिलने के कारण उड़ीसा में इलैक्ट्रोलीटिक मैंगनीज डायोक्साइड के उत्पादन में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसमें उत्पादन कार्य कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइआक्साइड के 3000 टन वार्षिक निर्माण के लिए दिनांक 8.2.74 को सर्वश्री इलैक्ट्रो-केम लिमिटेड, उड़ीसा को एक आशय पत्र जारी किया गया था, जिसे 26.4.1980 को इस शर्त पर औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया कि विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं होगी और यह देशी प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा । मार्च, 1984 में कंपनी ने औद्योगिक लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन किया कि उपर्युक्त परियोजना के लिए विदेशी सहयोग लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि देशी प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक स्तर पर उपादेय नहीं हुई हैं । कम्पनी के आवेदन-पत्र की सरकार ने विस्तृत जांच की है तथा इस पर शीघ्र निर्णय हो जाएगा ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा मध्याह्न भोज ,रात्रि भोज पर खर्च की गई धनराशि

7086. **श्री महाबीर प्रसाद यादव :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मालदा में मध्याह्न भोज और रात्रि भोज का आयोजन किया था उन पर 74,000 रुपये की धनराशि खर्च हुई थी;

(ख) क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिल्ली तथा अन्य स्थानों में 5 सितारा होटलों में आयोजित मध्याह्न भोजों और रात्रि-भोजों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं । वस्तुत: केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मोथावरी (मालूदा) स्थित बोर्ड के अनुसंधान उप-केन्द्र पर समारोह के आयोजन के लिए 71,592.50 रु० की कुल राशि व्यय की थी जब कीट पालकों के लिए कीट पालन की उन्नत तकनीकों, शहतूत और रेशम कीट जातियों आदि की बेहतर किस्मों के प्रदर्शन के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा अन्य स्थानों में 5 सितारा होटलों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अतिथि सत्कार में दिए गए मध्याह्न भोजों एवं रात्रि भोजों का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

दिनांक	विवरण	व्यय
1982-83		
24-8-82	बोर्ड की अशोक मयूर, नई दिल्ली में हुई 57वीं आम बैठक के लिए, बोर्ड के सदस्यों तथा आमंत्रित व्यक्तियों के अतिथि सत्कार में मध्याह्न भोजन ।	2860.00 रु०
1983-84		
23-7-83	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर मे हुई बोर्ड की 59वीं आम बैठक के लिए, बोर्ड के सदस्यों तथा आमंत्रित व्यक्तियों के अतिथि सत्कार में मध्याह्न भोजन ।	3277 40 रु०

दिनांक	विवरण	व्यय
12-9-83	रेशम उत्पादन विकास के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों, जिनमें महाराष्ट्र राज्य खादी बोर्ड (बम्बई) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शामिल हैं, के अतिथि सत्कार में मध्याह्न भोजन ।	987.00 रु०
28-1-84	अशोक होटल, नई दिल्ली में प्राकृतिक रेशम के उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन संबंधी वार्षिक पुरस्कार समारोह के सम्बन्ध में पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य 200 आमंत्रित किए गए व्यक्तियों तथा निर्यातकों के लिए रात्रि भोज ।	16,860.10 रु०
1984-85		
10-5-84 तथा 11-5-84	बोर्ड की 61वीं आम बैठक (श्रीनगर) के लिए, बोर्ड के सदस्यों तथा आमत्रित व्यक्तियो के अतिथि सत्कार में मध्याह्न भोजन ।	6,903.70 रु०
1984-85		
21-5-84	अशोक होटल, बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन कमीशन के सम्बन्ध में हुई कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले लगभग 200 व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, जिसमें 50 विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हैं, के अतिथि सत्कार में मध्याह्न भोजन ।	14,412.00 रु०
25-5-84	-वही-	10,140.40 रु०
25-5-84	अशोक होटल, बंगलौर में अंतर्राष्ट्रीय रेशम उत्पादन कमीशन के संबध में हुई कान्फ्रेंस में भाग लेने वाले लगभग 200 व्यक्तियों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, जिसमें 50 विदेशी प्रतिनिधि शामिल हैं, रात्रि भोज का आयोजन ।	20,170.00 रु०
18-6-84	नई दिल्ली में अंतर्राज्य टसर परियोजना के लिए विचार-विमर्श हेतु स्विस विकास सहयोग में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा एस० वी० के अधिकारियों के लिए मध्याह्न भोजन का आयोजन ।	2,278.00 रु०

19-12-84	अशोक होटल, नई दिल्ली में विश्व बैंक की समापन बैठक में श्री ए० फ्लीक, प्रतिनिधि, विश्व बैंक तथा अन्य भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए मध्याह्न भोजन ।	3,262.10 रु०
13-9-84	अशोक होटल, नई दिल्ली में बोर्ड की 62वीं आम बैठक के लिए, बोर्ड के सदस्यों तथा आमन्त्रित किए गए व्यक्तियों के लिए मध्याह्न भोजन ।	5,741.60 रु०
17-1-85	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में निदेशक, रेशम उत्पादन तथा मुख्य वन संरक्षक के साथ अध्यक्ष, सी०एस०बी० द्वारा की गई बैठक ।	2,195.00 रु०
16-3-85	अशोक होटल, नई दिल्ली में बोर्ड की 63वीं आम बैठक के लिए, बोर्ड के सदस्यों तथा आमंत्रित व्यक्तियों के लिए मध्याह्न भोजन ।	7,295.00 रु०

[हिन्दी]

घोड़ों का निर्यात

7087. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घोड़ों के निर्यात की अनुमति दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) इस नीति के लागू होने के बाद इस समय किन-किन देशों को घोड़ों का निर्यात किया जा रहा है तथा किन-किन देशों को निर्यात किये जाने की संभावना है तथा प्रत्येक देश को कितने घोड़ों का निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(घ) घोड़ों का किन शर्तों के अन्तर्गत निर्यात किया जाएगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 12 अप्रैल, 1985 को घोषित अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 के लिए निर्यात नीति के अनुसार काठीवाड़ी, माड़वारी तथा मणिपुर नस्लों के अलावा अन्य घोड़ों के निर्यात की अनुमति प्रत्येक मामले में 'गुणावगुण के आधार पर' दी जाती है ।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, घोड़ों के निर्यात के लिए अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं । घोड़ों के संभावित निर्यातों का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक अनुरोध पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

(घ) घोड़ों की स्वीकृत नस्लों के निर्यात के लिए प्रत्येक अनुरोध पर 'गुणावगुण के आधार पर' विचार किया जाता है ।

[अनुवाद]

इंडियन टी एण्ड रेस्तरां लिमिटेड द्वारा संचालित रेस्तराओं की वित्तीय समस्याएं

7088. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम 'इंडियन टी एण्ड रेस्तरां लि०' द्वारा लंदन और सिडनी में लाये जा रहे दो रेस्तरां भारी वित्तीय और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) इंडियन टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लि० के स्वामित्व वाला मयूर रेस्टोरेन्ट, सिडनी की अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 अवधि में व्यापारिक लाभ हुए हैं जबकि इस कम्पनी के लन्दन रेस्टोरेन्ट, जोकि हाल ही में शुरू किया गया है, प्रारम्भिक समस्याओं का सामना किया है । पूंजी लागत में वृद्धि हुई है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इक्विटी पूंजी में वृद्धि की गई है और बैंक आफ बड़ौदा के साथ अतिरिक्त ऋण के लिए बातचीत चल रही है ।

जूते बनाने वाली मशीनों पर आयात शुल्क में कमी

7089. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चमड़ा उद्योग से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कतिपय मशीनों, विशेषकर जूते बनाने के काम आने वाली मशीनों पर आयात शुल्क में कमी की जाये ताकि आगामी वर्षों में इस क्षेत्र में निर्यात द्वारा अधिकाधिक आमदनी हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने चमड़ा उद्योग, विशेषकर जूते बनाने के लिए, अपेक्षित मशीनरी की 100 मदों के आयात पर सीमा शुल्क कम कर दिया है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के भीतर केन्द्रीय परियोजना प्रभाग बनाने का प्रस्ताव

7090. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेशन आफ दि बोकारो प्रोजेक्टस इंजीनियर (बोकारो परियोजना इंजीनियरी) के रूप में इस्पात क्षेत्र के व्यापक हितों में उनकी दक्षता के उचित उपयोग के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र में कितने परियोजना इंजीनियर हैं;

(ग) क्या विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण के भीतर एक केन्द्रीय परियोजना प्रभाग बनाने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों में अनुभवी परियोजना इंजीनियरों के अनुभवों का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 26 अप्रैल, 1985 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने के परियोजना प्रभाग में 921 इंजीनियर काम कर रहे थे ।

(ग) बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों के विस्तार से सम्बन्धित कार्य पूरा होने वाला हैं और विभिन्न इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण की योजनाएं विभिन्न चरणों पर सरकार के विचाराधीन हैं । अतः आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में एक केन्द्रीय परियोजना प्रभाग खोलने पर विचार करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है ।

(घ) जब सरकार द्वारा आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को स्वीकृति दी जाएगी तब कारखानों की आवश्यकताओं तथा इन अनुभवी 'परियोजना इंजीनियरों' की उपयुक्तता के अनुसार इनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है ।

मत्स्य उद्योग क्षेत्र में बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण एकक

7091. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मन्त्री राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मत्स्य उद्योग क्षेत्र में की गई वित्त व्यवस्था के बारे में अतारांकित प्रश्न सं० 3794 के 19 अप्रैल, 1985 को दिये गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के कार्यक्रम के अधीन मत्स्य क्षेत्र के रुग्ण एककों को सहायता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त पूरी करनी होती है;

(ख) ऐसें एककों को पुन: चालू करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिए किस अधिकारी को आवेदन करना होता है;

(ग) जिन एककों के पास बैंक ऋण से खरीदे गए मछली पकड़ने के ट्रालर हैं, उन्हें बैंकों द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज में अधिकतम कितनी छूट दी जाती है;

(घ) क्या ऋण एककों को पुन: चालू करने के कार्यक्रम के अधीन किसी ऐसे एकक को 1982 से कोई सहायता दी गयो है जिसके पास मछली पकड़ने के ट्रालर या नौकाएं हों;

(ङ) यदि हां, तो दी गई रियायतें तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी मत्स्य एकक के संबंध में उपर्युक्त कार्यक्रम लागू किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक उन एककों को राहत और पुन:स्थापना सहायता प्रदान करते हैं जिन्होंने कम मछलियां हाथ में आने, प्राकृतिक विपदाओं आदि जैसे वास्तविक कारणों से अपनी देय राशि चुकाने में चूक की हो। उन ऋणकर्त्ताओं के मामले में, जिनकी नावें, जाल और अन्य उपकरण खो गए हों, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर अदायगी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण कर दिया जाता है और उन्हें नए ऋण देने पर भी विचार किया जाता है। किसी एकक को पुन:स्थापना सहायता का तभी पात्र समझा जाता है जब वह मूलत: स्वस्थ हो और उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबन्धकीय सक्षमता हो और जो एक युक्तियुक्त अवधि के अन्दर-अन्दर ऋणों को चुकाने के लिए अधिशेष पैदा करना शुरू कर सके।

(ख) पुन: स्थापना सहायता की अपेक्षा करने वाला एकक बैंक की संबंधित शाखा के पास जा सकता है जिसके साथ उसके बैंकिंग सम्बन्ध हों। यदि संबंधित शाखा सहायता देने से इंकार कर दे तो सम्बद्ध क्षेत्रीय/नियंत्रक कार्यालय को अपील की जा सकती है।

(ग) ऋणों को चुकाने के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण में दण्डात्मक ब्याज माफ करना होता है। ऋण एककों का वित्त पोषण करने के लिए पुन:स्थापना कार्यक्रम तैयार करते समय, बैंकों से प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर ब्याज की रियायती दरों की अपेक्षा की जाती है।

(घ) से (च) मछली पकड़ने के ट्रालरों और नावों को बैंकों द्वारा दी गई पुन: स्थापना सहायता के संबंध में सूचना केवल गुजरात राज्य के बारे में उपलब्ध है जहां बैंक आफ इण्डिया ने 59 मामलों में वापसी अदायगी के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया है। वाणिज्य और उद्योग घटक के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसी मत्स्य एकक को पुन:स्थापना सहायता नहीं दी गई क्योंकि चूक करने वाले किसी भी एकक ने इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

औषधियां बनाने वाली विदेशी कंपनियों द्वारा वित्तीय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को कम की गई ईक्विटी का अन्तरण

7092. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तैयार की गई औषध नीति में यह उल्लेख है कि उन विदेशी कंपनियों को जो केवल 'बल्क' औषधियों का ही निर्माण करती है, यह निर्देश दिया जाए कि वे कम की गई इक्विटी का 66 प्रतिशत वित्तीय और सार्वजनिक संस्थान को अन्तरित कर दें;

(ख) क्या इन कंपनियों ने कम की गई इक्विटी का केवल नाम मात्र 2-3 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों को देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) औषध नीति संबंधी वक्तव्य 1978 के पैरा 15 और पैरा 19 में व्यक्त, औषध कंपनियों में विदेशी सामान्य शेयर-धारिता के अनुकरण के लिए निर्धारित औषध नीति इस प्रकार है :—

"15. सरकार ने अग्रेतर निर्णय किया है कि जहां तक ऐसी विदेशी कम्पनियों का संबंध है जो थोक औषधों के निर्माण या फार्मूलेशन तैयार करने के काम में लगी हुई है, जिसमें उच्च प्राद्योगिकी अथवा ये दोनों बातें अन्तग्रस्त नहीं है, उनको अनुदेश दिया जाए कि वे अपनी विदेशी सामान्य शेयरधारिता को तुरन्त कम करके 40 प्रतिशत तक ले आएं, ताकि 66 प्रतिशत के बराबर सामान्य शेयर जो इस समय विदेशी शेयर होल्डरों के हाथों में है, सरकारी वित्तीय संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के पक्ष में विनिवेशित किए जा सकें और बाकी शेयरों का विनिवेश भारतीय निवेशकों के पक्ष में किया जा सके और उपरोक्त मामले में तरजीह ऐसी कम्पनियों के भारतीय कर्मचारियों को दी जाए।"

"19. सरकार ने यह निर्णय भी किया है, कि पैरा 15 में निरूपित कंपनियों से भिन्न विदेशी औषध कम्पनियों के संबंध में, फेरा के अन्तर्गत जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अधीन विदेशी शेयरधारिता में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप अथवा उनका विस्तार हो जाने की दशा में, सरकारी वित्तीय संस्थानों तथा सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को जहां तक संभाव्य हो बाकी सामान्य शेयरों के 66 प्रतिशत भाग के बराबर के शेयरों का अभिग्रहण करने का लक्ष्य बनाना चाहिए और शेष शेयरों का विनिवेश भारतीय निवेशकों के पक्ष में किया जाए और उपरोक्त परिस्थिति में ऐसी कंपनियों के भारतीय कर्मचारियों को तरजीह दी जानी चाहिए।"

उपर्युक्त नीति के अनुसरण में, सरकार ने फार्मूलेशन तैयार करने अथवा थोक औषध

तैयार करने के काम में लगी हुई विदेशी कंपनियों को अनुदेश दे दिए हैं कि वे अपनी विदेशी शेयरधारिता को कम करें और वित्तीय संस्थानों को शेयरों की पेशकश करें। इन कम्पनियों ने इन अनुदेशों का पालन किया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के बुनकरों द्वारा निर्मित ऊनी वस्तुओं का विपणन

7093. **श्री हरीश रावत :** क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के कतिपय भागों में ऊनी वस्तुओं के बुनकर बड़े पैमाने पर निर्यात योग्य ऊनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं को इन बुनकरों से खरीदने के लिए वहां समुचित विपणन व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अभ्रक व्यापार निगम द्वारा अर्जित लाभ

7094. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक व्यापार निगम ने पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष 1984-85 में अधिक लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो अभ्रक व्यापार निगम ने वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितना लाभ कमाया है; और

(ग) अभ्रक व्यापार निगम देश में किन विभिन्न अभ्रक खानों से निर्यात-प्रयोजनों के लिए अभ्रक खरीद रहा है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मिटको द्वारा 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में अर्जित किया गया लाभ निम्नलिखित प्रकार है :

वर्ष	कर से पहले निवल लाभ
1982-83	46.25 लाख रु०
1983-84	52.25 लाख रु०
1984-85	55.00 लाख रु० (अनन्तिम)

(ग) मिटको निर्यात के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार अभ्रक की खरीद मुख्यत: उसके पास पंजीकृत ऐसे संसाधकों/व्यापारियों से करता है, जिन्हें राज्य सरकारों से अभ्रक का व्यापार करने का लाइसेंस दिया जाता है।

कोल इंडिया लि० द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लागत से भी कम मूल्यों पर कोयले की पूर्ति

7095. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० को वर्ष 1984-85 में लाभ हुआ जैसा दिनांक 25 अप्रैल, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह लाभ मुख्यत: मितव्ययता संबंधी उपायों के कारण हुआ है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० जैसे सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को लागत से भी कम मूल्यों पर कोयले की पूर्ति करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन उपक्रमों को दिए जाने वाले कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों के खातों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु, कोल इंडिया लि० को लाभ होने की आशा है जिसका मुख्य कारण है कोयला उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि। विभिन्न क्षेत्रों में किफायत के लिए जो उपाय किए गए उनका भी इस लाभ में योगदान रहा।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा अधिसूचित कीमतों पर कोयला सप्लाई करता है और इसलिए कोल इंडिया लि० द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लागत से कम अथवा लागत से अधिक कीमत पर कोयला सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

बढ़ती हुई मंहगाई की दृष्टि से समाज के गैर-वेतनभोगी वर्ग को मुआवजा

7096. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई की दृष्टि से समाज के गैर-वेतनभोगी वर्ग को समय-समय पर मंहगाई भत्ता देकर मुआवजा देती रही है;

(ख) क्या सरकार ने उन किसानों और विशेष गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गैर-वेतनभोगी वर्ग को मुआवजा देने पर विचार किया है जो बढ़ती हुई महगाई से अधिक पीड़ित है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गैर-वेतनभोगी वर्ग की बढ़ती मंहगाई के विरुद्ध भविष्य में मुआवजा देने हेतु क्या मार्गोपाय सोचे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अल्प संख्यकों की तुलना में बहु संख्यकों के प्रति भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के संबंध में कुछ स्कीमें हैं, तथापि, (सरकारी कर्मचारियों के विषय को छोड़कर) लागत नियोजक द्वारा वहन की जाती है, सरकार द्वारा नहीं। असंगठित क्षेत्र के वेतनभोगियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के माध्यम द्वारा संरक्षण दिया जाता है और न्यूनतम मजदूरी में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। अवेतनभोगी वर्गों में, किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य दिए जाते हैं। सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्यों में संशोधन किया जाता है।

सरकार ने भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और गरीबी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की विशेष रूप से तैयार की गई स्कीमों को आरम्भ किया है। जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्रदान कराने की स्कीमें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के देशव्यापी तंत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों और कन्ट्रोल के कपड़े की आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर पूर्ति की जाती है।

सार्वजनिक उद्यमों को हुआ घाटा

7097. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत से सार्वजनिक उद्यमों को दिन प्रतिदिन घाटा हो रहा है;

(ख) उन सार्वजनिक उद्यमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान घाटा हुआ;

(ग) क्या उन्होंने इन सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों को अपने उद्यमों में उत्पादन बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए हाल ही में कुछ अनुदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में इन सार्वजनिक उद्यमों के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क), (ख) और (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

मध्य प्रदेश का नियमित ढंग से भूगर्भीय मानचित्र तैयार करना

7098. कुमारी पुष्पा देवी : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश का एक नियमित ढग से भूगर्भीय मानचित्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्र का नियमित ढंग से भूगर्भीय मानचित्र तैयार करा लिया गया है; और

(ग) मध्य प्रदेश का नियमित ढंग से भूगर्भीय मानचित्र किस वर्ष तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश के कुल 4,44,674 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अब तक करीब 2,52,330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया है।

(ग) भूवैज्ञानिक मानचित्रण और अन्य संबंधित कार्यकलाप लगातार चलने वाले होते हैं, इसलिए काम पूरा करने की तारीख तय नहीं की जा सकती। फिर भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र का 1,50,000 पैमाने पर क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण 1990 तक पूरा करने की योजना है।

बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7099. श्री गुरुदास कामत
श्री चित्त महाता } : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संघ की मांगें क्या हैं; और

(ग) कर्मचारी संघ के साथ किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के 'धमन भट्टी विभाग' के लगभग 1800 श्रमिक 5-4-1985 से हड़ताल पर चले गए थे। 13.5.85 से हड़ताल खत्म कर दी गयी है।

(ख) तीन श्रमिक संघों नामत: बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इन्टक), बोकारो इस्पात कामगार यूनियन (एटक) तथा बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ (बी०एम०एस०) से अलग-अलग मांग पत्र प्राप्त हुआ। मुख्य मांगें—प्रोत्साहन योजना में संशोधन, जन-शक्ति की समीक्षा, पदों के ग्रेड को बढ़ाने, ताप तथा धूल के लिए भत्तों की अदायगी और तीन वर्ष पूरा करने के पश्चात समय-बद्ध पदोन्नति से सम्बन्धित थीं।

(ग) बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इन्टक से सम्बद्ध) और बोकारो कामगार यूनियन (एटक से सम्बद्ध) से मांग पत्र प्राप्त होने पर बोकारो स्टील सिटी के समाधान अधिकारी के सम्मुख त्रि-पक्षीय विचार-विमर्श हुआ था। इन श्रमिक संघों के साथ कई बार द्वि-पक्षीय बातचीत भी की गई। जब इन श्रमिक संघों के साथ बातचीत चल रही थी, अन्य श्रमिक-संघ नामत: बोकारो स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ (बी०एम०एस० से सम्बद्ध) ने मांग-पत्र के साथ हड़ताल का नोटिस दे दिया। बोकारो स्टील सिटी के श्रम-अधीक्षक एवं समाधान अधिकारी ने सुलह हेतु कार्यवाही शुरू कर दी और प्रबन्धकों और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को 2.4.85 को बातचीत के लिए बुलाया। श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने कुछेक आपत्तियां उठायीं और उन्होंने बातचीत में भाग नहीं लिया तथा सुलह हेतु कार्यवाही बन्द करने के लिए समाधान अधिकारी को बाध्य किया। समाधान अधिकारी द्वारा गैर-कानूनी हड़ताल न करने की सलाह देने के बावजूद धमन भट्टी विभाग के श्रमिक इस श्रमिक संघ के नेतृत्व में 5.4.1985 से हड़ताल पर चले गए थे। 8.4.85 को बिहार सरकार ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करते हुए श्रमिक संघ को निदेश दिए कि वे तत्काल इस हड़ताल को समाप्त कर दें परन्तु श्रमिक संघ ने बिहार सरकार के निदेश को नहीं माना। 18.4.85 को बिहार सरकार के श्रम आयुक्त के प्रयासों से एक त्रि-पक्षीय समझौता हुआ जिसमें यह बात स्वीकार कर ली गई कि कुछ मांगें मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजी जाएंगी और प्रबन्धक हड़ताल में भाग लेने के लिए श्रमिकों के विरुद्ध कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तथा हड़ताल तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। 13.5.85 से हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

उड़ीसा में अभ्रक के भण्डारों का पता लगाना

7100. श्री राधाकांत डिगाल : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फलबनी तथा उड़ीसा के अन्य जिलों में अभ्रक के भंडार मिले हैं;

(ख) क्या फुलबनी के निकटवर्ती जिलों में भी सर्वेक्षण किया गया है और अभ्रक के भंडार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के इन भागों में कितनी मात्रा में अभ्रक भडारों का अनुमान है; और

(घ) फुलबनी तथा उड़ीसा के अन्य जिलों में अभ्रक के समुचित रूप में विदोहन के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) उड़ीसा के फूलबनी या अन्य किसी जिले में हाल ही में अभ्रक के निक्षेपों का पता नहीं चला है। किन्तु उड़ीसा के कुछ भागों में अभ्रक कुछ मात्रा में प्राप्त होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और कुछ मात्रा 1981 में में निकाली गई थी।

प्राकृतिक रबड़, नारियल, गिरी तथा नारियल के तेल का आयात

7101. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आयात नीति के अन्तर्गत प्राकृतिक रबड़, नारियल, गिरी और नारियल के तेल का आयात करना भी शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार तथा केरल के अन्य सगठनों से इसके विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) आयात नीति के आगामी तीन वर्षों में इनका कितनी मात्रा में आयात करने का लक्ष्य है; ओर

(ङ) इन लाइसेंसों का वर्गीकरण और उनके लिए पात्रता नीति का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) आयात नीति के प्राकृतिक रबड़ खोपरा तथा नारियल तेल के आयात के सम्बन्ध में स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

प्राकृतिक रबड़ :—प्राकृतिक रबड़ का आयात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सारणी-बद्ध है।

नारियल तेल तथा खोपरा :—खोपरा तथा नारियल तेल का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम/हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम की मार्फत सरणीबद्ध है। आयात नीति के अतर्गत एक सीमित सीमा तक पंजीकृत निर्यातकों के लिए कुछ निर्यातों पर जारी किए गए वैध आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर और साथ ही विनिर्माता निर्यातकों को आर० ई० पी० लाइसेंसों के

प्रयोग में दी गई लोचशीलता के आधार पर खोपड़ा तथा नारियल तेल के सीधे आयात की भी अनुमति है।

नीति का उद्देश्य मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पाटने के लिए न्यूनतम मात्रा आयात करके उपजकर्ता और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और इसकी रिलीज ऐसी कीमतों पर की जाती है जो उपजकर्ताओं को लाभकारी स्तरों पर घरेलू बाजार कीमतों के नियंत्रित करने में मदद करती है।

प्राकृतिक रबड़ के आयात के विरुद्ध केरल के रबड़ उपजकर्ता एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कुल मिलाकर अगले तीन वर्षों की अवधि में आयात किये जाने वाले रबड़, नारियल तेल और खोपड़ा की मात्रा का निश्चय नहीं किया गया है।

रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के लिए भवन

7102. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाक्कल** : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन कितने वस्तु वोर्डों के अपने मुख्य कार्यालयों के लिए निजी भवन है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड कोट्टायम ने अपने मुख्य कार्यालय के लिए भवन बनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था;

(घ) क्या उस भवन की आधारशिला रख दी गई है और यदि हां, तो यह कब रखी गई थी और किसके द्वारा रखी गई थी;

(ङ) प्रस्ताव कार्यान्वित करने में विलम्ब का कारण क्या है;

(च) इस भवन के निर्माण के लिए सरकार का कब निविदा आमंत्रित करने का विचार है; और

(छ) क्या सरकार को जानकारी है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने से निर्माण लागत बढ़ जाएगी जिससे और विलम्ब होगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन चाय बोर्ड और काफी बोर्ड को छोड़कर किसी अन्य वस्तु बोर्ड का अपने मुख्य कार्यालय के लिए निजी भवन नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। रबड़ बोर्ड ने जून, 1984 में प्रस्ताव भेजा था और बाद में फरवरी, 1985 में स्पष्टीकरण दिये गये थे।

(घ) वाणिज्य मन्त्री द्वारा 4 फरवरी, 1984 को मुख्य कार्यालय भवन की आधार शिला रखी गई थी।

(ङ) से (छ) स्थान की आवश्यकता पर आधारित निर्माण की अनुमानित लागत के ब्यौरों की जांच की जा रही है और ई० एफ० सी० द्वारा प्रस्ताव के अनुमोनित किये जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा वित्त पोषित औद्योगिक इकाइयों का बंद होना/उनमें तालाबन्दी

7103. श्री देवी घोसाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी०आई०) द्वारा वित्त पोषित/संचालित कुछ उद्योगिक एककों को बन्द कर दिया गया है या उनमें तालाबंदी की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है;

(ग) इस प्रकार की तालाबंदियों/एकक बंद करने से कितने कर्मकार प्रभावित हुए हैं;

(घ) इन एककों में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ङ) ऐसे एककों को पुनः स्थापित करने/पुर्नस्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारयीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (आई०आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थिति और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से सहायता प्राप्त 13 एककों ने बन्द करने/तालाबंदी/पूरी कामबंदी की घोषणा की है। इन एककों में कार्यरत कर्मकारों की संख्या लगभग 33,500 है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा इन एककों को कुल 1210.62 लाख रुपये की रकम संवितरित की गयी थी। इन एककों के सम्बन्ध में, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अलग-अलग मामले के आधार पर उपयुक्त कदम उठा रहा है। इन उपायों में अर्थक्षमता का मूल्यांकन, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से पुनः स्थापना की मिली-जुली उपयुक्त योजनाएं तैयार करना, एकक को खरीदने, और पूंजी निवेश करने के लिए उपयुक्त उद्यमियों/औद्योगिक गृहों का पता लगाने के प्रयास करना और कार्यशील पूजी के लिए धन की व्यवस्था करना आदि शामिल हो सकते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पिछड़े और निर्धन वर्गों को ऋण दिया जाना

7104. श्री नरसिंह मकवाना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन बैंकों को जिलों में ऋण देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है तथा प्रत्येक बैंक के अधीन रखे गये राज्य के जिलों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सुझाव दिया गया है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पिछड़े और निर्धन वर्गों को ऋण देने की जिम्मेदारी पूरी न करने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये;

(ग) क्या ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रम एक समान हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके बीच कार्य का वितरण किस प्रकार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गुजरात के विभिन्न जिलों में कार्यरत सभी बैंक शाखाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण दे रही है। प्रत्येक लीड बैंक के अंतर्गत रखे गए जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों में की जाती है। जिन बैंकों का कार्य-निष्पादन संतोषप्रद नहीं पाया जाता उन्हें अपना कार्य सुधारने के लिए कहा जाता है।

(ग) और (घ) गरीबी दूर करने के कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं और बैंक-वार ऋण संवितरण का आवंटन जिले के लिए वार्षिक कार्रवाई आयोजन को अंतिम रूप देते समय किया जाता है।

विवरण

गुजरात के लीड बैंक

लीड बैंक का नाम	आवंटित जिला
1. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1. अमरेली
	2. भावनगर
	3. जामनगर
	4. जूनागढ़
	5. राजकोट
	6. सुरेन्द्रनगर

2. बैंक आफ बड़ौदा	1. बड़ौदा
	2. भड़ोच
	3. बल्सर
	4. डांगा
	5. खेरा
	6. पंचमहल
	7. सूरत
3. देना बैंक	1. अहमदाबाद
	2. बनासकांठा
	3. गांधी नगर
	4. कच्छ
	5. मेहसाणा
	6. साबरकांठा

[अनुवाद]

दिल्ली हरियाणा सीमा पर लाल बजरी का अवैध खनन

7105. श्री मुकुल वासनिक : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरियाणा राज्यों की सीमा के दोनों तरफ लाल बजरी का कथित अवैध खनन अभी भी जारी है;

(ख) क्या उक्त सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने से राजकोष को भारी हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लाल बजरी (रेड सैंड) के गैर-कानूनी खनन की रिपोर्टें हैं। जनवरी, 1983 से अब तक गैर-कानूनी खनन के 155 मामले प्रकाश में आये हैं। अब तक 40 मामलों में 31,08,545/- रु० की राशि का जुर्माना लगाया गया है।

गैर-कानूनी खनन की रोकथाम के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने जून, 1983 से भाट्टी खानों के खनन का विभागीकरण कर दिया है तथा ग्राम डेरा और आसोला में भी

खनन कार्यों का विभागीकरण करने का प्रस्ताव हैं। गैर-कानूनी खनन की रोकथाम के लिए छापे मारने के कार्य में और तेजी लाई जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटर पर सिक्कों का वितरण

7106. **श्री सुभाष यादव**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनता, सर्राफा, सरकारी विभागों, कर्मचारियों और संसद सदस्यों को 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों और छोटे नोटों के वितरण की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इस वितरण प्रणाली में धांधली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण कृत्रिम कमी पैदा होती है, और क्या कुछ लोगों ने इसे अपना धंधा बनाया हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है जिससे छोटे सिक्कों का वितरण विनियमित किया जा सके तथा उनकी कमी दूर की जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सिक्कों और कम मूल्य वर्गों के करेंसी नोटों का वितरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने निर्गम कार्यालयों और सारे देश में एजेंसी बैंकों में स्थापित करेंसी चेस्टों/छोटे सिक्कों के डिपुओं के तंत्र के माध्यम से किया जाता है। चूंकि टकसालों और प्रेसों की क्षमता सीमित होने के कारण मांग और पूर्ति में अन्तर बना हुआ है, इसलिए व्यक्तियों को सिक्कों और करेंसी नोटों की पूर्ति सीमित रूप में की जाती है। बैंकों, सरकारी विभागों और संस्थाओं को अधिक मात्रा की अनुमति दी जाती है। खुदरा व्यापारियों, होटलों/रेस्तराओं, फार्मेसियों, सरकारी परिवहन उपक्रमों आदि को भी, जिन्हें अपने कारोबार के लिए थोक में रेजगारी की आवश्यकता रहती है, स्टाक की स्थिति के अनुसार समय-समय पर कोटे मजूर किये जाते हैं। संसद सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जब भी सिक्कों और छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की पूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो विशेष व्यवस्था की जाती है। सर्राफों और जनता के अन्य सदस्यों में भेद नहीं किया जाता। जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, सामान्यतः वेतन दिवस को या इसके आसपास आवेदन करने पर एक रुपए के नोटों का एक पैकट जारी किया जाता है। कर्मचारियों को सिक्के/कम मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का कोई अन्य विशेष या स्थायी प्रबन्ध नहीं है। किन्तु विवाह, धार्मिक सामारोहों आदि के अवसर पर कर्मचारियों और अन्य लोगों को अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रामाणिकता का निश्चय करने के बाद उचित मात्रा में पूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) कमी की स्थिति में, कतिपय भ्रष्ट लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रष्ट व्यवहार किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। तथापि, भारतीय

रिजर्व बैंक ने अपने कार्यालय से यह कहा है कि वे अपने काउण्टरों में सिक्कों और कम मूल्य-वर्ग के नोटों के निर्गम पर कड़ी नजर रखें और यदि वितरण में कर्मचारियों या जनता द्वारा कोई भ्रष्ट व्यवहार प्रकाश में आए तो उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए। बैंकों/सरकारी विभागों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें उनके मुख्य कार्यालयों/नियत्रण अधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं। तथापि, समस्या का समाधान सिक्कों और कम मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन में वृद्धि करना है जिसके लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है।

बैंक आफ कोचीन द्वारा ऋण स्थगन

7107. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ कोचीन को ऋण स्थगन के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंक आफ कोचीन लिमिटेड ने नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात रखने में चूक की है। बैंक का मण्डल मिलजुलकर काम नहीं कर रहा था और उसने बैंक के कार्यकरण के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा, बैंक के कार्यकरण से, उसके जमाकर्त्ताओं के हित भी जोखिम में पड़ गये थे। बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने लायक नहीं रह गयी थी और यह आशंका हो गयी थी कि वार्षिक लेखाओं सहित उसके कार्यकरण के नकारात्मक परिणाम प्रकाशित करने से जमाकर्त्ताओं के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और बैंक पर रकमे निकलवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसा होने से, सामान्यतः अर्थव्यवस्था और विशेषकर बैंकिंग उद्योग पर, प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती थी। अतः भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक आफ कोचीन लिमिटेड अब एक स्वतंत्र अर्थक्षम यूनिट के रूप में काम नहीं कर सकता।

उत्पाद शुल्क आदि में वृद्धि के विरुद्ध प्लास्टिक उद्योग से अभ्यावेदन

7108. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक उद्योग ने उत्पाद शुल्क, आदि में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्लास्टिक सामग्री पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क में हाल ही में कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्लास्टिक-संसाधकों और प्लास्टिक-निर्माताओं के कुछ संघों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है, जिसमें प्लास्टिक की कच्ची सामग्री पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में पेट्रो-रसायन उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नेफ्था के मूल्य में वृद्धि का उल्लेख किया है। इस अभ्यावेदन में बजट संबंधी विभिन्न परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका प्लास्टिक की कच्ची सामग्री की लागत पर ऊर्ध्वगामी प्रभाव हो सकता है।

(ग) प्लास्टिक सामग्री पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क में सामान्य कमी करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया था। विभिन्न पहलुओं, विशेषकर इस तथ्य को कि सामान्यतया प्लास्टिक की वस्तुओं को उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है, ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि प्लास्टिक सामग्री पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क में कमी करने का कोई मामला नहीं बनता है।

मेसर्स नरोत्तम कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देशमाली, अरुणाचल प्रदेश को आयकर से छूट

7109. श्री वांगफा लोंवांग : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मेसर्स नरोत्तम कोआपरेटिव इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, देशमाली को, जो कि अरूणाचल प्रदेश का प्लाईवुड उद्योग का एक सहकारी उद्यम है और जिसके सभी शेयर-धारी आदिवासी हैं, आयकर के भुगतान से छूट नहीं दी गई हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि इस सहकारी संस्था के सभी आदिवासी शेयरधारियों को व्यक्तिगत तौर पर आयकर के भुगतान से छुट दी गयी है, इस सह-कारी समिति को आयकर से छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स नरोत्तम कोआपरेटिव इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, देशमाली, अरूणाचल प्रदेश को आयकर की अदायगी से छूट देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मुख्य उत्पादों के निर्यात में कमी

7110. श्री दिनेश सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य उत्पादों के नाम क्या हैं जिनका 1984-85 के दौरान वजन-वार, मात्रा-वार निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है;

(ख) उन क्षेत्रों के नाम जहां इन उत्पादों का निर्यात कम हुआ;

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित वस्तुओं में से कौन-कौन सी वस्तु राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भेजी जाती है; और

(घ) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कौन-कौन सी वस्तुओं का न्यूनतम निर्यात मूल्य नियत किया जाता है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 1984-85 के केवल पूर्वार्ध के लिए उपलब्ध अन्तरिम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल-सितम्बर, 1983 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1984 के दौरान जिन प्रमुख मदों के निर्यात में मात्रा की दृष्टि से कमी आई उनमें शामिल हैं काजू गिरियां, काफी, खली, कच्ची रुई, लौह-अयस्क, मैंगनीज-अयस्क तथा चपड़ा/लाखदाना तथापि, यह कहा जा सकता है कि काजू गिरियों, खली तथा चपड़ा/लाख-दाने के निर्यात का मूल्य बढ़ा है यद्यपि इनकी मात्रा की दृष्टि से उनमें कमी आई है।

उपरोक्त अवधि के लिए इन मदो के निर्यातों के क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भाग (क) में बताई गई मदों में से चपड़े/लाख दाने का निर्यात, 1984-85 से पहले एस० टी० सी० के माध्यम से सरणीबद्ध था परन्तु 1984-85 में असरणीबद्ध कर दिया गया।

(घ) भाग (क) में बताई गई मदों में से गोआ के लौह अयस्क का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य के अध्यधीन है।

भारतीय स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति

7111. श्री विजय कुमार राजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक, एल० एच० ओ०, नयी दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दस वर्ष से अधिक का सेवा समय पूरा कर लिया है उसी वर्ग में रूके पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि लिपिक ग्रेड से अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। परीक्षा में बैठने के पात्र व्यक्तियों की संख्या किसी विशेष वर्ग में रिक्त स्थानों के कम से कम 3 गुना के आधार पर आंकी जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को पात्र सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को पात्र सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों की सूची के अन्त में आने वाले सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी की सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए रियायत दी जाती है। यदि सामान्य श्रेणी की सूची में अंतिम प्रत्याशी की सेवा की अवधि 8 वर्ष या उससे अधिक हो तो यह रियायत दो वर्ष की होती है या यदि सेवा की अवधि 8 वर्ष से कम है तो यह रियायत एक वर्ष होती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बैंक के नई दिल्ली स्थित स्थाननीय प्रधान कार्यालय के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिपिक ग्रेड के सभी कर्मचारियों को जिन्हें 30 जून, 1978 तक बैंक की सेवा में स्थाई कर दिया गया था, 14 अक्टूबर, 1984 को पदोन्नति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था और उन सभी प्रत्याशियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू में अर्हता प्राप्त कर ली थी पदोन्नत कर दिया गया है। बैंक पदोन्नति परीक्षा लेने से पहले, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए परीक्षा पूर्ण शिक्षण की भी व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

बासमती चावल का निर्यात

7112. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बासमती चावल का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार और देशवार निर्यात किए बासमती चावल की मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) देश में बासमती चावल निर्यात करने वाली कम्पनियों के क्या नाम हैं, और इन कंपनियों में से प्रत्येक ने पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और देशवार कितनी मात्रा और मूल्य का बासमती चावल निर्यात किया ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बासमती चावल के निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है। इसलिए निर्यातक-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

बासमती चावल के गन्तव्य स्थानवार निर्यात

मात्रा : मे० टन
मूल्य : लाख रु० में

गन्तव्य स्थान	1982-83		1983-84		1984-85	
	अन्तिम मात्रा	मूल्य	अन्तिम मात्रा	मूल्य	अनुमानित मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
मध्य पूर्व						
बहरीन	788	58	937	65	3,298	220
कुवैत	24,485	1,467	9,221	677	15,098	1,039
ओमान	4,778	319	2,094	148	6,359	511
कतार	122	1,748	384	27	985	65
सऊदी अरब	26,293	1,740	23,134	1,577	70,365	4,696
संयुक्त अरब अमीरात	7,012	474	5 836	405	17,216	1,193
यमन अरब गणराज्य	824	58	180	12	17	नगण्य
पश्चिमी यूरोप						
बेल्जियम	178	12	60	4	—	—
फ्रांस	69	6	68	6	45	3
जर्मन संघीय गणराज्य	—	—	87	7	244	21
नीदरलैंड	60	4	126	9	102	10
नार्वे	—	—	119	9	70	5
ब्रिटेन	4,727	311	8,879	584	14,060	864

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी अमरीका						
संयुक्त राज्य अमरीका	1,855	153	3,098	265	4,869	395
कनाडा	718	50	1,097	95	1,764	151
एस्कैप						
हांगकांग	58	3	52	4	44	4
सिंगापुर	46	4	111	10	955	68
श्रीलंका	95	7	96	7	731	46
बंगलादेश	—	—	10,856	716	—	—
मलयेशिया	—	—	9,733	642	—	—
आस्ट्रेलिया	93	7	—	—	182	15
पूर्वी यूरोप						
सोवियत संघ	105,089	5,779	63,876	4,211	101,505	6,727
अफ्रीका						
मापूतो	36	3	64	6	122	10
रियूनियन	312	19	137	11	—	—
सोलिचस	152	9	70	6	122	10
मारीशस	308	23	—	—	237	16
अन्य	—	—	1,349	108	3,395	234
कुल	178,078	10 522	141,664	9,612	241,785	16,303

[अनुवाद]

ट्रांसपोर्टरों द्वारा आय कर की चोरी

7113. श्री राम समुझावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उन ट्रांसपोर्टरों, जिसके पास अन्तर्राज्यीय परमिट हैं तथा जो अपने ट्रक विभिन्न राज्यों की पंजीकरण संख्याओं के माध्यम से चलाते हैं, द्वारा आय कर की बड़े पैमाने पर चोरी किए जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इन ट्रांसपोर्टरों द्वारा आयकर में की गई चोरी को वसूल करने तथा उन्हें दण्ड देने हेतु उनका क्या विचार है ;

(ग) क्या आय-कर अपवंचन रोकने हेतु एक उपाय के रूप में उनका विचार ट्रक बेचने वाले एजेंटों को इस बात के लिए बाध्य करने का है कि वे चेसिस खरीदने वाली पार्टी का नाम संबंधित आयकर अधिकारी को सूचित करे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार का अपवंचन रोकने हेतु अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अन्तर्राज्यीय परमिट वाले ट्रांसपोर्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर का अपवंचन किया जाता है। कर अपवंचन को रोकने के लिए विधायी उपायों का सतत् अध्ययन किया जाता है और इस पर सरकार की कार्यवाही संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कानून में दिखाई देती है।

पालम हवाई अड्डे पर घोटाले में अंतर्ग्रस्त निर्यातक

7114. श्री आनन्द पाठक : क्या वित्त मंत्री पालम हवाई अड्डे पर निर्यातार्थ परिधानों को जब्त किये जाने के बारे में 19 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर घोटाले में अंतर्ग्रस्त 25 परिधान निर्यातकों का ब्यौरा क्या है तथा उनके मालिकों/निदेशकों/भागीदारों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इन निर्यातकों के विरुद्ध निर्यात व्यापार आदेश के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) दिल्ली हवाई अड्डे पर निर्यात की जाने वाली पोशाकों की खेपों के अप्रैल, 1985 के दौरान पकड़े जाने के परिणामस्वरूप, आरंभ में इस धंधे में 25 निर्यातकर्ताओं के अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह था ; परन्तु दस्तावेजों की विस्तृत जांच किए जाने पर प्रथमदृष्ट्या केवल 22 निर्यातकर्ता ही पोशाकों के गैर-कानूनी निर्यात का प्रयास करने में अंतर्ग्रस्त पाये गए हैं। चूंकि इन निर्यातकर्ताओं के विरुद्ध अभी भी मामले की जांच की जा रही है, इसलिए इस समय अतिरिक्त विवरण देना लोक हित में नहीं है। जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

केरल में चिट फंड कम्पनियां

7115. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केरल में आम जनता के सामाजिक आर्थिक विकास पर असंख्य चिट फंडों के बुरे प्रभाव का मूल्यांकन किया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में किन चिट फंड कम्पनियों को दिवालिया घोषित किया गया था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इन चिट फंड कम्पनियों की बेरोकटोक वृद्धि को रोकने हेतु कड़े कदम उठाने का है ; और

(घ) क्या वर्तमान चिट फंड कम्पनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विधान लाया जायेगा?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) केरल राज्य के चिट फंडों की गतिविधियों पर केरल चिटीज अधिनियम, 1975 के अंतर्गत नियंत्रण रखा जाता है।

अलबत्ता चिट फंड कम्पनियों की गतिविधियों और संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने के ऊद्देश्य से चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम, 40) अधिनियमित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के साथ उक्त अधिनियम को केरल राज्य सरकार में लागू करने के लिए जोरशोर से प्रयत्न कर रहा है।

गलीचों और दरियों का निर्यात

7116. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितने मूल्य के गलीचों और दरियों का निर्यात किया गया ;

(ख) किन-किन देशों को इनका निर्यात किया गया ;

(ग) देश में गलीचों और दरियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार गांव स्तर पर गलीचों औत दरियों का निर्माण करने वाले उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन देती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत से कालीनों और दरियों के निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष		मूल्य
1983-84	—	166.00
1984-85 (अप्रैल-जनवरी)	—	149.11

(ख) उन महत्वपूर्ण देशों के नाम जिनको निर्यात किए गए हैं, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब, अमरीका, कनाडा है ।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश आदि जैसे अनेक राज्यों में कालीन बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण दिए गए । कालीन बुनकरों के हुनर को उन्नत करने के लिए जम्मू कश्मीर में कालीन बुनाई में उच्च प्रशिक्षण शुरू किया गया है ।

(ii) ऊन का आयात आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत करने की अनुमति है ।

(iii) कालीन प्रौद्योगिकी के लिए एक संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जूट के आयात का प्रभाव

7117. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूट की मांग को पूरा करने के लिए जूट का बड़ी मात्रा में आयात करने की सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश से और कितनी मात्रा में ;

(ग) क्या सरकार ने देश के जूट उत्पादकों पर इसके प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ; तथा

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) कच्चे पटसन की सप्लाई स्थिति में सुधार करने और पटसन कीमतों में अनावश्यक वृद्धि पर अकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय पटसन निगम को चालू पटसन मौसम 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान विदेशों से कच्चे पटसन का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। भारतीय पटसन निगम लंदन के व्यापारियों की मार्फत बंगलादेश मूल की कटिंग्स सहित कच्चे पटसन की लगभग 2.98 लाख गांठों के लिए संविदा करने में सफल रहा। बंगलादेश से कटिंग्स सहित कच्चे पटसन की लगभग 1.60 लाख गांठों की मात्रा 31 मार्च, 1985 तक आ चुकी है।

(ग) और (घ) चूंकि घरेलू सप्लाइयों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से कच्चे पटसन की छोटी सी मात्रा का आयात किया गया है, इसलिए इसका भारत में उपजकर्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार

7118. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी विशेष मदें तथा वस्तुएं हैं जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक असंतुलन को दूर किया जा सकता है ; तथा

(ग) भारत और फिनलैंड के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए नये व्यापारिक क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां, भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग कार्य करता रहा है।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में 22-23 अप्रैल, 1985 को हुए भारत-फिनलैंड संयुक्त आयोग के पांचवे अधिवेशन में खाद्य गिरी, चाय तथा काफी, तम्बाकू अरण्डी का तेल, चमड़े का सामान, इंजीनियरी माल तथा इलैक्ट्रोनिक संघटक जैसी मदों को भारत से फिनलैंड को निर्यात हेतु अभिज्ञात किया गया। दोनों पक्षों ने तीसरे देशों की परियोजनाओं के अलावा औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।

रबड़ का आयात

7119. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान आयातित तथा वर्ष 1985-86 के दौरान आयात की जाने वाली रबड़ की मात्रा और उसका मूल्य क्या है;

(ख) किस एजेंसी के माध्यम से तथा कौन से देशों से रबड़ आयात की जा रही है;

(ग) उपभोक्ताओं को आयातित रबड़ का आवंटन किस तरीके से किया जाता है;

(घ) देश में रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने रबड़ की कीमत नियत करने का नया फार्मूला तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो इसकी व्यापक रूपरेखा क्या है और स्थानीय रूप से उत्पादित रबड़ की लागत की तुलना में आयातित देश में पहुंचने पर आधारित रबड़ की लागत क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1984-85 के दौरान, राज्य व्यापार निगम ने प्राकृतिक रबड़ की 2731.06 (सी० एण्ड एफ०) लाख रु० मूल्य की 26,650 मे० टन मात्रा का आयात किया जिसमें 1039.47 लाख रु० मूल्य की 8,500 मे० टन मात्रा शामिल नहीं है जो कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में पहुंची लेकिन पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वर्ष 1984-85 के दौरान ही क्लियर हो सकी। 1985-86 के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा वास्तविक सप्लाई मांग अन्तर पर निर्भर करेगी।

(ख) राज्य व्यापार निगम, सरणीकरण अभिकरण के रूप में मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और श्रीलंका से प्राकृतिक रबड़ का आयात करता रहा है।

(ग) समय-समय पर लागू निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत करायी गई मात्राओं के आधार पर उसको आयातित रबड़ का आबंटन किया जाता है।

(घ) प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ बोर्ड विस्तार परामर्श योजनाएं, पुर्नरोपण/नए बागान योजना, अनुसंधान तथा विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

(ङ) और (च) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आयातित रबड़ 16,500 रु० प्रति मे० टन की निर्धारित कीमत पर जारी की जाएगी। ऐसा उपभोक्ताओं और साथ ही उपजकर्ताओं के हित में किया गया है ताकि प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमत को स्थिर रखा जा सके।

सोवियत रूस को सूती कपड़े का निर्यात

7120. श्री अमर सिंह राठवा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस को पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का सूती कपड़ा निर्यात किया गया;

(ख) क्या सोवियत रूस को निर्यात किए जाने वाले सूती कपड़े के सम्बन्ध में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं; और

(घ) सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से बाजार ढूंढने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ को निर्यात किए गए सूती टेक्सटाइल कपड़े की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन में)

वर्ष	मात्रा (वर्गमीटर)	मूल्य (रु०)
1982	133.13	960.95
1983	154.31	1074 28
1984	191.10	1384.95

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) टैक्सटाइल कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नोक्त मुख्य कदम उठाए गए हैं :

(एक) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण योजना उपलब्ध है।

(दो) ऐसी जटिल वस्त्र मशीनों को, जो स्वदेश में निर्मित नहीं हो, ओ०जी०एल० पर आयात करने की अनुमति है।

(तीन) अधिक चौड़ाई वाले शटल रहित करघों तथा रोटर स्पिनिंग मशीनों की निर्यात बाध्यता से सम्बद्ध रियायती आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति है।

(चार) जनवरी 1984 से वस्त्र मदों की बहुत सी श्रेणियों के सम्बन्ध में सी०सी०एम० की दरों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया है।

(पांच) अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर०इ०पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत हकदारी की अनुमति है। निर्यात उत्पादन सम्बन्धी अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनों को आयात करने की भी अनुमति है।

(छः) सरकार क्रेता-विक्रेता बैठकें/मेला/प्रदर्शनियों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलाप प्रायोजित तथा उनका वित्त पोषण करती रही है।

कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं

7121. श्री अमर सिंह राठवा : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रही कपास परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है, ये कहां-कहां है और उनके कृत्य क्या हैं;

(ख) कपास की खेती करने में इनसे किस सीमा तक मदद मिली है;

(ग) क्या सरकार देश में और अधिक संख्या में कपास परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) मुख्य रूई जांच प्रयोगशाला, रूई प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी०टी०आर०एल०) बम्बई में स्थित है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में सी०टी०आर०एल० के 12 क्षेत्रीय एकक है जिनमें रेशा परीक्षण सुविधाएं है। ये एकक हिसार, लुधियाना, श्रीगंगानगर, सूरत, इन्दौर, नागपुर, नान्देड़, अकोला, राहुरी, गुन्टूर, धारवाड़ और कोयम्बतूर में स्थित हैं। इनके मुख्य कार्य कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई किस्मों की क्वालिटी के मल्यांकन द्वारा रूई उत्पादन तथा क्वालिटी में सक्रिय तौर पर भागी होने और उन्हें आवश्यक प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन देने के हैं।

उपरोक्त के अलावा, सी०आई०सी०आर० नागपुर के कोयम्बतूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों पर रूई परीक्षण सुविधाएं हैं।

(ख) रूई की नई किस्मों का विकास, कृषि सम्बन्धी दृष्टिकोण के अलावा, सी०टी०आर० एस० द्वारा किये गए रेशा तथा कताई परीक्षणों पर आधारित है और नई किस्में ऐसे प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदण्डों/कसौटियों को पूरा करने के बाद रिलीज की जाती हैं. अतः ये रूई परीक्षण केन्द्र अत्यधिक उपयोगी हैं और रूई विकास कार्य में अनिवार्य हैं। परिणामस्वरूप, रूई का वर्तमान उत्पादन 80 लाख गांठों से बढ़ गया है। क्वालिटी में पर्याप्त सुधार हुआ है। भारत विश्व में अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रूई का दूसरा (मिस्र के बाद) सबसे बड़ा उत्पादक है।

सुविन, सुजाता, वर लक्ष्मी, संकर 4, एम०सी०यू०-5 आदि जैसी बढ़िया रूई की रिलीज सी०टी० आर०एल० और ए०आई०सी०सी०आई०पी० के अधीन कृषि वैज्ञानिकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के कारण की गई।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सी० टी० आर० एल० की अपने क्षेत्रीय एककों में अपनी विद्यमान सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं।

प्रीमियम की अदायगी के बाद आग बीमा पालिसी जारी करने की समय-सीमा

7122. श्री राम समुझावन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी समय सीमा है जिसके अन्दर ओरिएन्टल बीमा कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली से प्रीमियम के भुगतान के बाद आग बीमा पालिसी विधिवत जारी करने की अपेक्षा हो, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ओरिएन्टल बीमा कंपनी लिमिटेड, ब्रांच आफिस, 21143, यूनाइटिड इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ऐसी पालिसी जारी करने में पांच महीने से अधिक समय लेती है;

(घ) यदि हां, तो इतना अधिक समय लेने के क्या कारण हैं;

(ङ) नवम्बर, 1984 के उत्तरार्ध में उक्त ब्रांच आफिस में कितने मामलों में आग और दंगा बीमा करने के लिए आवेदन दिए गए और उनमें से कितने मामलों में अभी तक बीमा पालिसी नहीं दी गई है; और

(च) ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने और एक समय-सीमा निर्धारित करने के लिए उनके मन्त्रालय का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यद्यपि बीमा कंपनियों द्वारा बीमा पालिसी जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी उनसे यह आशा की जाती है कि प्रस्ताव प्राप्त हो जाने और उसका प्रीमियम प्राप्त करने के पश्चात् वे इसे तत्काल जारी कर दें। पालिसी जारी किए जाने तक, बीमित व्यक्ति को एक अनन्तिम कवर नोट जारी कर दिया जाता है। तथापि, ऐसे मामले देखने मे आए हैं, जहां जोखिम का विवरण गलत/अधूरा होता है और/या प्रीमियम अपर्याप्त होता है, इन कमियों के कारण बीमा पालिसियां जारी करने में विलम्ब हो जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, ऊपर बताए गए कारणों से पालिसी जारी करने में विलम्ब हो सकता है।

(ङ) नवम्बर, 1984 के उत्तरार्ध में आग और दंगा बीमा के 57 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। किसी भी मामले में पालिसी जारी करना शेष नहीं है।

(च) बीमा पालिसी जारी करने में असाधारण विलम्ब के मामले साधारण बीमा निगम/संबंधित कंपनी के ध्यान में उपचारी कार्रवाई के लिए ला दिए जाते हैं। बीमा कम्पनियों से कहा गया है कि वे ग्राहकों की तस्सली की ओर ज्यादा ध्यान दें और पालिसी कागजात यथाशीघ्र जारी कर दिया करें।

लोहिया मशीन्स द्वारा हुंडियां जारी किया जाना

7123. श्री राम समुझावन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया मशीन्स लिमिटेड कानपुर को हुंडियां जारी करने हेतु प्राधिकार दिया गया;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि इकट्ठा करने का प्राधिकार दिया गया है और कितनी हुंडिया जारी की जानी हैं;

(ग) क्या हुंडिया केवल उनके वर्तमान हुंडी धारियों को ही जारी की जाती हैं, यदि हां, तो ये हुंडिया उनको किस प्रकार आवंटित की जाती हैं; और

(घ) उन्हें आम जनता को जारी न करने और पूर्व हुंडी धारियों तक ही सीमित रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड कानपुर ने पूंजी निर्गम नियत्रक से, 13.5 प्रतिशत ब्याज वाले प्रतिभूत एवं शोध्य अंशत: परिवर्तनीय 8100,000 ऋणपत्रों को, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 125 रुपए है और कुल मिलाकर मूल्य 10 करोड़ रुपए है नकदी की एवज सममूल्य पर कंपनी के विद्यमान सामान्य शेयर-धारकों को आधिकारक आधार पर जारी करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र भेजा है। आधिकारक आधार पर ऋण-पत्रों के इस निर्गम को कम्पनी की असाधारण सामान्य बैठक में शेयर-धारकों द्वारा स्वीकार किए गए संकल्प के अनुसरण में जारी करने का प्रस्ताव है। किन्तु कम्पनी को अभी तक इन ऋण-पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

स्टाक एक्सचेंज में सुधारों संबंधी समिति

7124. श्री राम समुझावन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के भूतपूर्व चेयरमेन श्री जी०एस० पटेल

की अध्यक्षता में गठित स्टाक एक्सचेंज में सुधारों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के भाग एक और दो इस बीच प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। सरकार को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री जी० एस० पटेल के नेतृत्व में बनी स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति से औद्योगिक प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों तथा औद्योगिक प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के कार्य पर आने वाली लागत के सम्बन्ध में अन्तरिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

(ख) औद्योगिक प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों की लागत से सम्बन्धित अपनी अंतरिम रिपोर्ट में स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस दृष्टिकोण को सामने रखकर सिफारिशें की हैं कि प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों की लागत भी कम हो जाए और लागत की व्यवस्था युक्तिसंगत रूप ग्रहण कर ले। इस रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों की स्थूल रूप-रेखा इस प्रकार हैं :—

(1) जब कोई कम्पनी प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश 25% या उससे अधिक प्रीमियम पर करे तब हामीदारी की किसी भी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(2) हामीदारी कमीशन, दलाली तथा प्रबन्धकर्ता दलालों के मुआवजें की दरों को युक्ति-संगत बनाना।

(3) निर्गम से संबंधित दलालों तथा प्रबंधकों को आवेदन-पत्रों तथा विवरण-पत्रों की नि:शुल्क सप्लाई की सीमा निर्धारित करना।

(4) जनता से प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि के लिए (10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 100 शेयर अथवा 100 रुपए प्रति शेयर/ऋण-पत्र मूल्य के 10 शेयर/ऋण-पत्र) आवेदन-पत्रों को आमंत्रित करना, जिनमें 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 100 शेयरों अथवा 100 रुपया प्रति शेयर/ऋण-पत्र मूल्य के 10 शेयरों/ऋण-पत्रों का न्यूनतम आवंटन हो।

(5) प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश के लिए अभिदान देने की अवधि को खुला रखने के लिए इस समय प्रवृत्त 3 दिन की न्यूनतम संख्या को कम करके 2 दिन करना।

(6) सार्वजनिक निगमों की लागत के लिए सामूहिक अधिकतम सीमा का निर्धारण।

(ग) जहां तक औद्योगिक प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों की लागत से सम्बन्धित अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है, सरकार ने उन पर अपना निर्णय ले लिया है और ऐसे निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए, जिनसे शेयर बाजारों का सम्बन्ध है, स्टाक एक्सचेंजों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं। किन्तु जहां तक औद्योगिक प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाने से संबंधित अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है, उन पर अभी विचार किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य में कटौती

7125. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों में कोई कटौती की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) भविष्य में कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्यों में कटौती को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान रेशम उत्पादन की गतिविधियों में की गई प्रगति की समीक्षा के बाद वर्ष 1984-85 के लिए कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य को 9005 एम० मे० टन से कम करके 6754 एम० मे० टन कर लिया था।

(ग) भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान रेशम उत्पादन के विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस योजना में, क्वालिटी रेशम कीट बीज के उत्पादन तथा सप्लाई, सिंचित भूमियों में बेहतर किस्म के शहतूत उगाने आदि जैसी गतिविधियों पर जोर दिया गया है ताकि छठी योजना के दौरान रेशम उद्योग के सामने आयी कठिनाइयों को भविष्य में कम से कम किया जा सके।

कांगड़ा जिले (हिमाचल प्रदेश) में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

7126. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों में उपयुक्त सर्वेक्षण के बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स लेने के लिए बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बैंकवार उसका ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में लाइसेन्स मंजुर किये हैं और शाखाएं खोली गयी हैं; और

(ग) शेष शाखाएं खोलने के लिए कब तक लाइसेन्स दिये जाएंगे और इस बारे में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित और पहली अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1985 की अवधि की सूचना क्रमश: विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(ग) आवंटन के लिए जिन केन्द्रों पर विचार नहीं किया गया है, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1985-90 की नई शाखा विस्तार नीति के अन्तर्गत ही विचार किया जाएगा। इस नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।

विवरण-1

पहली जनवरी, 1982 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उन स्थानों के नाम जहां पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं

भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक आफ पटियाला	पंजाब नेशनल बैंक	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	केनरा बैंक
1. तियारा	1. नगरोटा बगवां	1. तियारा	1. रेहान	1. ज्वालामुखी	1. सिरत	1. सिरत	1. दमटाल
2. संसारपुर	2. संसारपुर	2. बड़खर	2. सदवां		2. पालमपुर		
3. दमताल	3. हटवास	3. मटौर	3. लगरू				
4. बैजनाथ		4. दगोह	4. सपड़ी				
5. गुप्त गंगा		5. दरी	5. घराना				
6. ज्वालामुखी		6. थिल	6. नूरपुर				
7. घोड़ब		7. कलोहा	7. बैन				
		8. राज	8. दमटाल				
		9. संघोली	9. रे				
		10. गुलेर	10. ठाकुरद्वारा				
		11. चामुखा	11. मिलवान				
		12. नंदपुर भटोली	12. घुघर				
		13. बंखन्डी	13. बंदला				
			14. मुल्थान				
			15. संसाई				
			16. मरन्डा				
			17. पपरोला				
			18. भवारना				
			19. पंचरूखी				

विवरण-2

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उन्हें आवंटित केन्द्रों के नाम

भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
1	2	3
1. घोड़ब (खोली गई)	1. थिल (खोली गई)	1. ज्वालामुखी (अभी खोलनी है)
2. दमटाल (अभी खोलनी है)	2. कलोहा (खोली गई)	

विभेदी ब्याज दर योजना का अध्ययन करने हेतु गठित कार्यदल की सिफारिशें

7127. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री विभेदी ब्याज दर योजना का अध्ययन करने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट के बारे में 3 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1917 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभेदी ब्याज दर योजना पर राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित कार्यदल वे अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उनके कार्यान्वयन के संबंध में क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा रिपोर्ट कब तक मिल जाने की आशा है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विभेदी ब्याज दर योजना संबंधी क्रतिक बल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

एल्यूमिनियम की मांग में कमी

7128. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में और देश के बाहर एल्यूमिनियम की मांग बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बाजार में एल्यूमिनियम की मांग कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने वर्ष 1986-87 के दौरान बालको द्वारा उत्पादित होने वाले समूचे एल्यूमिनियम को बेचने के लिए देश और देश के बाहर के खरीददारों से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों और भारतीय खरीददारों के नाम क्या हैं जिनसे अब तक इस सम्बन्ध में संपर्क किया गया है;

(ङ) विभिन्न एल्यूमिनियम संयंत्रों से प्रति वर्ष कितना एल्यूमिनियम उत्पादित होता है; और

(च) सरकार ने उनका उपयोग करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सामान्य आर्थिक मन्दी के कारण विश्व बाजार में पिछले कुछ समय से एल्यूमिनियम की मांग में रूकावट के संकेत देखने में आए हैं। लेकिन देशी मांग देशी उत्पादन से अधिक बनी हुई है और इस समय देशी मांग में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) अनुमान है कि वर्तमान आकलन के अनुसार देश में एल्यूमिनियम की मांग प्रति वर्ष बढ़ती रहेगी। नाल्को द्वारा उत्पादन करने से प्राप्त अतिरिक्त एल्यूमिनियम से आधिक्य की स्थिति अस्थाई और थोड़े समय तक रहने का अनुमान है।

(ङ) गत दो वर्षों में विभिन्न एल्यूमिनियम कारखानों का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

उत्पादक का नाम	एल्यूमिनियम उत्पादन (टनों में)	
	1983-84	1984-85
भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०	61,338	87,358
इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि०	53 885	48,420
हिन्दुस्तान एल्यू० कारपो० लि०	98,485	126,017
मद्रास एल्यू० कंपनी लि०	6,578	14,697
योग	220,286	276,492

(च) इस समय देशी उत्पादन में कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

शहरी सहकारी बैंक खोलना

7129. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक महाराष्ट्र में खोले गये शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बारे में संघ सरकार से अनुरोध किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रस्ताविक बैंकों का स्वरूप सही माने में सहकारी होना चाहिए और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनका कार्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सुगठित होना चाहिए जिसकी सीमाएं उस कस्बे/नगर की नगरपालिका सीमाओं से आगे नहीं होनी चाहिए जिसमें वे रजिस्टर किए गए हों और एक युक्तियुक्त अवधि के अन्दर-अन्दर उनके अर्थक्षम हो जाने की संभावनाएं पूरी-पूरी हों ।

(ख) और (ग) 30 अप्रैल, 1985 के अन्त में ऐसे 379 नगरीय सहकारी बैंक थे, जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित थे । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगरीय सहकारी बैंक खोलने की नीति कार्यान्वित की जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नगरीय सहकारी बैंक खोलने के आठ प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है ।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण और दर्जा बढ़ाया जाना

7130. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान देश में कुछ कोयला खानों का आधुनिकीकरण करके उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन सी कोयला खानें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा की तालचेर कोयला खान को उपर्युक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) खानों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । अनेक विद्यमान खानों (तालचेर कोयला क्षेत्र की कुछ खानों सहित) का आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण सातवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान किया जाएगा ।

वूल टाप्स का आयात

7131. श्री मोहन भाई पटेल : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वूल टाप्स का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान वूल टाप्स का कितना आयात किया गया और 1985-86 के दौरान इसका कितना आयात किये जाने की संभावना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ।

(ग) क्या इसका आयात किसी एजेंसी के माध्यम से किया जाता है अथवा सीधे मिलों द्वारा किया जाता है ; और

(घ) देश में वूल टाप्स उद्योग के विकास और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हेतु इसका आयात रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 10 अगस्त, 1984 से ऊन टाप्स के आयात पर रोक लगा दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्वदेशी ऊन धुनाई उद्योग के विकास तथा विदेशी मुद्रा की वचत के उदेश्य से ऊन टाप्स के आयात पर रोक लगाई गई थी ।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात समिति

7132. श्री एन० डेनिस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात समिति के गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र का स्वीकार न किया जाना

7133. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1982 में विज्ञापित ग्रेड 'बी' के अधिकारियों की भर्ती के मामले में जिला मजिस्ट्रेट आदि जैसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए तथा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति में विलम्ब हुआ और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को निरर्थक बातों के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया गया ;

(ख) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था तथा उनमें से कितने उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गयी ;

(ग) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जिन्हें काफी समय तक कार्य-भार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी ऐसा करने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या उनकी वरीयता प्रभावित करने के लिए तथा अनुसूचित जातियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इन नियुक्तियों में विलम्ब किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों के 11 उम्मीदवारों का चयन किया गया था । इनमें से 2 ने कार्यभार ग्रहण करने के बारे में कोई सूचना नहीं दी और एक अन्य ने ड्यूटी पर आने के लिए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था अन्य चार की नियुक्ति के मामले में उनके जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के कारण देरी हुई । लेकिन उम्सीदवारों की वरीयता, उनकी नियुक्ति की तारीख से नहीं मानी जाती है यह उस तारीख से मानी जाती है, जिस तारीख से बैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उनके नाम से संबंधित ज्ञापन का अनुमोदन किया जाता है । अतः इन उम्मीदवारों की वरीयता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ऊन तथा ऊन उद्योग के संबंध में अध्ययन दल की सिफारिशें

7134. श्री बी० वी० देसाई : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन तथा ऊन उद्योग के संबंध में अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकार प्राप्त समिति से सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊन उद्योग क्षेत्र इस रिपोर्ट की उत्सुक्ता से प्रतीक्षा कर रहा था ;

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को किस सीमा तक पहले ही स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) इन सिफारिशों का कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कारगर तथा शीघ्रता-पूर्वक कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है । अतः अधिकार प्राप्त समिति को कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी है, बल्कि सरकार की ओर से निर्णय निर्दिष्ट करने हैं ।

(ग) और (घ) सिफारिशों पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने दो बैठकें की हैं । अभी तक कोई निर्णय घोषित नहीं किए गए हैं ।

मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा मौर्य होटल को धनराशि अन्तरण

7135. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड ने अपनी आमदनी को कम करने के लिए अपनी आमदनी की एक बड़ी धनराशि अपने होटल ग्रुप को और विज्ञापन व्यय के लिए अंतरित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड द्वारा होटल मौर्य ग्रुप को कुल कितनी धनराशि अन्तरित की गई है और उन विज्ञापन एजेंसियों के क्या नाम हैं जिनके माध्यम से इंडियन टोबैको कम्पनी द्वारा प्रचार कार्य कराया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का इस विषय में विशेष जांच के आदेश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चूंकि वैल्कम ग्रुप आफ होटल्स मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व में हैं और मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लि० के लिए अपने होटलों की तरफ से खर्च करना एक सामान्य व्यापारिक क्रिया-कलाप है इसलिए अपने होटलों पर किसी खर्च के जरिए अपनी आय कम करने का प्रश्न नहीं उठता। विज्ञापन के लिए पूर्णत: और अनन्यत: निर्धारित व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के अंतर्गत उस स्थिति में कटौती पाने योग्य है, यदि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी हो जाती हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ इंडियन टोबैको कम्पनी लि० के प्रमुख विज्ञापन एजेंटों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

(1) मैसर्स क्लेरियन एडवरटाइजिंग सर्विसेस लि०, 55, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-70001

(2) मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन एसोसिएट्स लि०, 30, बोडेल रोड, कलकत्ता-700019

(ग) मैसर्स इंडियन टोबैको कम्पनी लि० के संगत कर निर्धारणों को पूरा करते समय विज्ञापन पर किए गए व्यय को कटौती देने अथवा नहीं देने के बारे में जांच की जाएगी।

जाली सौदों के विषय में नामजद निदेशकों की जिम्मेदारी

7136. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंककारी विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामजद प्रतिनिधि बैंक आफ बड़ौदा, सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया के बोर्डों में निदेशकों के रूप में काम करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कई निदेशक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में भी नाम निर्देशित किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इन बैंकों में हुए जाली सौदों के बारे में छपी खबरों के संबध में इन निदेशकों की क्या जिम्मेदारी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। कुछ मामलों में, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को एक से अधिक बैंकों में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार के मनोनीत निदेशकों में कोई विशेष शक्तियां निहित नहीं होतीं और न ही निदेशक बोर्ड में इनकी कोई विशेष स्थिति होती है। निदेशक बोर्डों के समक्ष आने वाले मामलों पर सर्वसम्मति से और अगर आवश्यक हो तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है। बोर्ड की जिम्मेवारी सामूहिक होती है और इसे ध्यान में रखते हुए, किसी भी एक सदस्य को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता अथवा बैंक के रोजमर्रा प्रबध से सबंधित मामलों के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता जब तक उससे किसी अन्य हैसियत में, उस जिम्मेवारी को निभाने की अपेक्षा की जाती हो।

सरकार तथा मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के बीच विवाद

7137. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के बीच कोई विवाद था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त विवाद कब से चल रहा है तथा इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(घ) अप्रयोज्य घोषित किए गए कितने जलपोत और विमान कबाड़ में बदले जाने के लिए पड़े हुए हैं तथा किन-किन स्थानों पर खड़े हैं ; और

(ङ) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस कारोबार से कितनी वार्षिक आय हुई ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बेकार घोषित किया गया तथा मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा खरीदा गया कोई जहाज अथवा विमान निपटान के लिए नही पड़ा है।

(ङ) जहां तक मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन का संबध है, वार्षिक आय (कराधान से पूर्व) तथा मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन द्वारा दिए गए आयकर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आय (कराधान से पूर्व) (लाख रुपए)	अदा किया गया आयकर (लाख रुपए)
1984-85 (अस्थायी)	368.00	235.00
1983-84	304.09	218.09
1982-83	207.99	145.59

गैर-सरकारी नौवहन कंपनियों द्वारा गैर सरकारी करारों के माध्यम से जलयानों को तोड़ने के लिए बेचना

7138. श्री के० राममूर्ति : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन गैर-सरकारी नौवहन कंपनियों ने गैर-सरकारी करारों के माध्यम से जलयान-तोड़ने का काम करने के लिए 8 जलयान बेचे है और इस प्रकार सरकारी मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन में जिन 100 जलयान तोड़ने वालों के नाम दर्ज हैं उन्हें इस कार्य से वंचित किया गया है ;

(ख) क्या तोड़ने के लिए विदेशी जलयानों के आयात पर भी रोक लगाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार जलयान तोड़ने के उद्योग को किस तरह से मदद करने जा रही है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार चार भारतीय ध्वज पोतों नामतः जल तरंग, जल गिरिजा, विजय वैभव तथा विजय जीवन को मेटल स्क्रैप ट्रेड का० लि० (एम० एस० टी० सी०), जो सरकार की आयात-नीति के अनुसार माध्यम अभिकरण है, द्वारा भारतीय ध्वज पोतों के सरणीकरण के लिए बनाई गई सामान्य प्रक्रिया अनुपालन किए बिना गैर-सरकारी करारों के द्वारा तोड़ने हेतु बेचा गया है। इसके अलावा प्राप्त रिपोर्टों से यह भी पता चला है कि चार अन्य भारतीय ध्वज पोतों नामतः इंडियन ट्राइम्फ, इंडियन ट्रस्ट, इंडियन सिक्योरिटी तथा इंडियन ट्रिब्यून को भी एम०एस० टी० सी० के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किए बिना गैर-सरकारी आधार पर करार करके बेचा जा रहा है।

(ख) जी, नहीं। तोड़ने के लिए विदेशी जहाजों का आयात ही किया जाता है। इससे विपरीत वष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान अधिक संख्या में विदेशी ध्वज-पोतों का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को सरकार उनकी कच्ची सामग्री नामतः तोड़ने के लिए पुराने जहाज सप्लाई करके उनकी सहायता कर रही है। इसके लिए सरकार देश में इस्पात की पुनर्वेलन योग्य मदों की समग्र मांग तथा सप्लाई की स्थिति को ध्यान में रखकर यथासंभव आवश्यक आयात करती है। इसके अतिरिक्त फेरस स्क्रैप समिति जहाज तोड़ने वालों को आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है और एम०एस०टी०सी० उन्हें बिल में छूट देने की सुविधा देती है।

कपड़ा सम्बन्धी तकनीकी समिति

7139. श्री मोहन भाई पटेल : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा संबंधी तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सचिव, वस्त्र विभाग की अध्यक्षता में वस्त्र उद्योग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने सरकार को 27 अप्रैल, 1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) और (ग) चूंकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट उस वस्त्र नीति की एक निविष्ट है, जो बनाई जा रही है, इस लिए उन सिफारिशों के ब्यौरे प्रस्तुत करना लोकहित में नहीं होगा ।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी

7140. श्री बनवारी लाल पुरोहित
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व अधिसूचना निदेशालय, बम्बई ने हाल ही में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत कुछ ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिनके भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोहों के बीच कथित सम्पर्क थे ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में शामिल लोगों और पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में उक्त लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के बम्बई जोनल एकक के अधिकारियों ने हाजी उमर अहमद उर्फ हाजी उमर उर्फ उमर मालबारी उर्फ भाई, फरजांद ए०जी० पारकर और इब्राहिम मोहिदीन सहित तेरह व्यक्तियों को 69.68 लाख रुपए मूल्य के विदेशी मूल के टैक्सटाइल और ग्रामोफोन कैसेटों के दिनांक 4.2.1985 को किए गए अभिग्रहण के सिलसिले में गिरफ्तार किया था । इस मामले के सम्बन्ध में, हाजी उमर अहमद, फरजांद ए०जी० पारकर और इब्राहिम मोहिदीन को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किए गए आदेशों के तहत कोफेपोसा अधिनियम के अधीन भी नजरबंद किया गया था ।

(ग) प्रश्नगत निषिद्ध माल की जब्ती के सिलसिले में विभागीय कार्यवाहियों और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत संबंधित व्यक्तियों पर अर्थ-दण्ड लगाये जाने के अलावा, लिप्त पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत यथापेक्षित समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

आय-कर विभाग द्वारा दिल्ली और बम्बई के इस्पात व्यापारियों पर छापे

7141. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग की आसूचना शाखा ने हाल ही में दिल्ली और बम्बई में इस्पात के कुछ व्यापारियों के कार्यालयों और निवास स्थानों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यापारियों का ब्यौरा क्या है, जिनके निवास-स्थानों पर छापे मारे गये; और

(ग) आयकर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर विभाग ने 1985 में दिल्ली/बम्बई में इस्पात के किसी भी व्यापारी के मामले में तलाशी नहीं ली है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यापारियों के लिए आयात/निर्यात की कुछ मदें आरक्षित रखने का प्रस्ताव

7142. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आयात/निर्यात की कुछ प्रतिशत मदें आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें कि ये कमजोर वर्गों के लोग अपने जीवन स्तर को सुधार सकें;

(ख) क्या विचौलियों को संरक्षण देने की अपेक्षा, जूते आदि जैसे चमड़े के सामान और चमड़े का निर्यात करने वाले वास्तविक श्रमिकों की फर्मों/एसोसिएशनों को संरक्षण देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारत चमड़ा निगम और विभिन्न राज्य चमड़ा विकास निगम तैयार चमड़े तथा चमड़ा उत्पादों में लगे लघु क्षेत्र के एककों की आंतरिक विपणन और साथ ही निर्यात में सहायता कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०, व्यापार विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी इन एककों के उत्पादों के निर्यातों में उनकी सहायता कर रहे हैं।

केरल में काजू उद्योग को पुनर्जीवित करना

7143. प्रो० के० वी० थामस
श्री सुरेश कुरूप } : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केरल में काजू उद्योग का पतन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) काजू उद्योग, जो कि मुख्यत: केरल में केन्द्रित है, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और कच्चे काजू के उत्पादन और उसके प्रोसेसिंग की लागत में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करता रहा है। उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कच्चे काजू की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बहु-राज्य काजू विकास प्रोग्राम सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

रेशम बोर्ड के अधिकारियों द्वारा विदेश दौरों की रिपोर्टें

7144. श्री महावीर प्रसाद यादव : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारी रेशम उद्योग के विकास के नाम पर सरकारी खर्चे पर विदेशों का दौरा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) अधिकारियों ने कितनी बार विदेशों के दौरे किये और उन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या तथा किस तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जब कभी सरकारी कार्य के हित में आवश्यक होता है केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारी सरकारी दौरे पर विदेश जाते हैं। ऐसे दौरों के व्यय की पूर्ति केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की जाती है जो कानूनी बोर्ड है जिसके लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे दौरे सामान्यत: अन्य देशों में रेशम उत्पादन उद्योग के अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, व्यापार मेलों आदि मे भाग लेने के सम्बन्ध में हुए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु तीसरी दुनिया के विकास बैंक की स्थापना

7145. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वित्त मन्त्री विकास परियोजनाओं के वित्त

पोषण हेतु तीसरी दुनिया के विकास बैंक की स्थापना के बारे में 30 अप्रैल, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 960 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्स्टन, जमैका में 26 से 31 मार्च, 1982 तक हुई ग्रुप 77 के वित्तीय निगमों के विशेषज्ञों की पहली बैठक के बाद, एक ऐसे बैंक स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने हेतु ग्रुप 77 की और बैठकें हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। किंग्स्टन, जमैका में मार्च, 1982 में विशेषज्ञों के ग्रुप की पहली बैठक होने के बाद विकासशील देशों के लिए बैंक की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए ग्रुप 77 की अनेक बैठकें हुईं। इन बैठकों में और बातों के साथ-साथ यह निश्चय किया गया कि बैंक की पूंजी का परिमाण ऐसे ठोस और व्यावहारिक प्रबंध पर आधारित होना चाहिए जिससे आत्म-निर्भर और सक्षम कार्यचालन हो सके। बैंक की स्थापना के लिए की जाने वाली और कार्रवाई के सम्बन्ध में सभी सदस्य देशों के साथ गहन परामर्श करने का भी निर्णय लिया गया। एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाने की दृष्टि से कई विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा भी व्यापक अध्ययन किये गये।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर करोड़ों की हेराफेरी शीर्षक से समाचार

7146. श्री सरफराज अहमद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1985 के नवभारत टाइम्स में इस शीर्षक से छपे समाचार "हवाई अड्डे पर करोड़ों की हेराफेरी" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस पर नजर रखने के लिए उपर्युक्त उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि प्रैस रिपोर्ट में छपा है, "हवाई अड्डे पर करोड़ों की हेराफेरी" का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। तथापि, दिनांक 3-1-85 को सहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों ने हवाई अड्डे के एक लीडर श्री बालकृष्ण रामचन्द्र सताम से 43,871/- रुपए की समतुल्य विदेशी मुद्रा पकड़ी। बाद में दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

(ग) और (घ) आगम-कक्ष और टार्मैक के महत्वपूर्ण स्थानों पर सामान्य निगरानी रखने

के लिए अधिकारियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया है। गलत घोषणा के मामलों को पकड़ने के लिए ग्रीन और रैड दोनों चैनलों में प्रतिशत-अनुपात के आधार पर चयनात्मक जांच भी की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के कोरापुट जिले में टिन अयस्क का पाया जाना

7147. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में भारी मात्रा में टिन अयस्क का पता लगाया है; और

(ख) उस जिले में पाये गये टिन अयस्क के समुचित दोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले में टिन निक्षेपों का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अन्य संगठनों द्वारा इन निक्षेपों की क्षमता के मूल्यांकन हेतु खोज का काम किया जा रहा है। उड़ीसा खनन निगम ने मार्च, 1985 तक 82 टन टिन अयस्क निकाला है। तथापि इन निक्षेपों का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खनन उनकी प्रोद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

पश्चिमी जर्मनी द्वारा आसान शर्तों पर ऋण

7148. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी भारत को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जर्मनी द्वारा 1985-86 में और उसके बाद के वर्षों में भारत को आसान शर्तों पर कितना ऋण दिया जायेगा;

(ग) पश्चिमी जर्मनी ने भारत को आसान शर्तों पर ऋण देने हेतु क्या शर्तें रखी हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां, जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को रियायती ऋण देना स्वीकार किया है।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य ने भारत को 1985-86 में 36 करोड़ ड्यूश मार्क की राशि का रियायती ऋण देने का वचन दिया है। यह संकेत भी दिया गया है कि 1986-87 में भी भारत

जर्मन संघीय गणराज्य से लगभग 3½ करोड़ ड्यूश मार्क का रियायती ऋण ले सकेगा। 1986-87 के बाद की अवधि के लिए अभी तक ऋण की कोई राशि तय नहीं हुई है।

(ग) और (घ) यह सहायता, 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर उपलब्ध की गई है जिसकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की ऋण स्थगतावधि सहित 50 वर्षों में की जानी है। गैर-परियोजना भाग के अन्तर्गत, इसका उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के आयात, सामान्य वस्तु सहायता और वित्तीय संस्थानों (भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) के लिए किया जायेगा। परियोजना भाग के मामले में, इसका उपयोग, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जल पूर्ति, फरक्का तापीय विद्युत संयंत्र जैसी परियोजनाओं, भारतीय रेलवे के लिए हैवी ड्यूटी ब्रेकडाऊन क्रेनों की व्यवस्था, येरागुंटला सीमेंट परियोजना के विस्तार, ऊरान विद्युत परियोजना के लिए गैस टर्बाइन की उपलब्धि, हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन के लिए लाइन पाइपों की व्यवस्था करने के लिए किया जायेगा। (1985-86 के लिए आबंटन)।

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

7149. श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना विभाग (रेवेन्यु इंटेलिजेंसी) द्वारा बम्बई में अप्रैल, 1985 में दूसरी बार मारे गये छापे के दौरान 3 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कुल कितनी गिरफ्तारियां की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन महीनों में बम्बई में राजस्व आसूचना विभाग द्वारा कई छापे मारे गये और तस्करों से करोड़ों रु० की संपत्ति बरामद की गई; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राजस्व-गुप्तचर्या निदेशालय के बम्बई जोनल एकक के अधिकारियों ने 23 अप्रैल, 1985 को रूपम सिनेमा, सिओन सर्किल, बम्बई के निकट एक एम्बेसेडर कार में विशेष रूप से बनाये गये एक खोखले स्थान (केविटी) में से 12 पेटियां (बेल्टें) बरामद की जिनमें विदेशी मार्का युक्त सोने के दस-दस तोले वजन के 1196 पीस और सोने के दस-दस तोले वजन के चार पीस थे। यह सोना, जिसका कुल वजन 12,000 तोला था, और जिसका मूल्य 2.95 करोड़ रुपये था, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन पकड़ लिया गया था। पचास हजार रुपये मूल्य की कार को भी पकड़ लिया

गया था। कार में कोई व्यक्ति सवार नहीं था। अभिग्रहण के इस मामले के सिलसिले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ था।

(घ) और (ङ) राजस्व गुप्तचार्या निदेशालय के बम्बई जोनल एकक के अधिकारियों ने फरवरी से अप्रैल, 1985 तक की अवधि के दौरान 15 मामलों में 5.69 करोड़ रुपए मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा। पकड़ी गई मुख्य-मुख्य मदें इस प्रकार हैं—विदेशी मार्के का सोना, कलाई घड़ियों, घड़ियों के पुर्जे, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रानिकी का समान।

स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को अधिसूचित करने के सम्बन्धी दिशा में निवेशों में संशोधन

7150. श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक लाभ कमाने वाली अल्पजनधारित कम्पनियों को स्टाक एक्सचेंज के अन्तर्गत लाने के लिए स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों को अधिसूचित करने के संबंधी दिशा निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नए दिशा निर्देश जो विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों को भेजे गए थे, उनसे गैर सरकारी कम्पनियों को सार्वजनिक पेशकश के दो स्तरों में शामिल करवाने में सहायता मिलेगी;

(ग) क्या यह संशोधन, अल्पजनधारित कम्पनियों के लोगों के लिए खोलने और अधिक जन भागीदारी की सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन नए दिशा निर्देशों से इन कम्पनियों को किस सीमा तक मदद मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने 18 मार्च, 1985 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम संख्या 19(2) (ख) में ढील देते हुए प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने से संबंधित मार्ग-निर्देशों में इस आशय से संशोधन कर दिया है कि पूंजी बाजार का और अधिक विकास हो और पहले से ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियां कार्यरत रहें। इन मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत ऐसी विद्यमान गैर-फेरा कम्पनियों को जो कि 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी है अथवा पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 4 वर्षों से लाभोपार्जन कर रही हैं 40 प्रतिशत की सार्वजनिक पेशकश की शर्त पर सूचीबद्ध कर लिया जाएगा, जबकि इस समय प्रवृत्त अपेक्षा के अनुसार उस कम्पनी की जारी पूंजी के 49 प्रतिशत भाग की सार्वजनिक पेशकश की शर्त लागू है। इसके अलावा ऐसी कम्पनियां अपनी इच्छा के अनुसार दो चरणों में पूंजी की सार्वजनिक पेशकश कर सकती है अर्थात् पहले चरण में सूचीबद्ध होने की कार्यवाही के समय 20 प्रतिशत की पेशकश की जाए और उसके बाद सूचीबद्धता की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर बाकी पूंजी की पेशकश की जाए।

(घ) चूंकि सूचीबद्धता सम्बन्धी संशोधित मार्गनिर्देश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अर्थात् 18 मार्च, 1985 को जारी किए गए थे इसलिए इतनी जल्दी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उन मार्गनिर्देशों से कम्पनियों को सूचीबद्ध करवाने के सिलसिले में किस हद तक मदद मिली हैं।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा कम्पूटर लगाया जाना

7151. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम के प्रबन्धकों ने कलकत्ता क्षेत्र के कर्मचारियों के बार-बार विरोध के बावजूद कम्पूटर लगाने के कार्यक्रम पर चलने का निर्णय किया है। जिससे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और रोजगार संभावनाएं समाप्त होंगी;

(ख) क्या कम्पूटर सम्बन्धी निर्णय मान्यता प्राप्त यूनियन 'कलकत्ता रीजन एम्पलाइज यूनियन' द्वारा कम्पूटर लगाने के विरोध की पूर्णतः उपेक्षा करके, कर्मचारियों के एक वर्ग के नेताओं के साथ हुए एक कथित समझौते के आधार पर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कम्पूटर लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम०एम०टी०सी०) में कम्प्यूटर प्रणाली एम०एम०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० कर्मचारी यूनियन फैडरेशन के बीच दिनांक 15.9.1984 को समझौता होने के बाद स्थापित की गई है। एम०एम०टी०सी० के कर्मचारियों की क्षेत्रीय यूनियन, कलकत्ता, उपरोक्त फैडरेशन, जो कि एम०एम०टी०सी० कर्मचारी यूनियन की सभी क्षेत्रीय इकाइयों का ऐपैक्स निकाय है, की संघटक इकाई है। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त व्यवस्थाएं हैं :—

(i) प्रवेश स्तर के निम्नतर संवर्गों में भर्ती की सुरक्षा।

(ii) कंप्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप स्टाफ की कोई छटनी नहीं होगी।

(iii) प्रबन्ध स्टाफ को वेशी घोषित करने के एक मात्र प्रयोजन से कोई कार्य अध्ययन, आदि नहीं करेगा।

(iv) अपेक्षित व्यावसायिक ज्ञान तथा हुनर होने के अध्यधीन और साथ ही उपयुक्तता के अध्यधीन प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए कंप्यूटर कर्मचारियों का चयन करने में इच्छुक विभागीय प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिए प्रबंध आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त प्रबंध करने का प्रयास करेगा।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम के एजेंटों द्वारा प्राप्त उपदान पर आयकर से छूट

7152. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के एजेन्टों से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि उनके द्वारा प्राप्त होने वाले उपदान राशि पर आयकर से छूट दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सुझाव की जांच की जा रही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दिया जाना

7153. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ख) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों की सुविधा के लिए ऋण मंजूर करने के लिए प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में एक ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राधिकृत करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों से ऋण आवेदन पत्रों को सरल बनाने और अभीष्ट ऋणकर्त्ताओं को ये आवेदन पत्र स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने, जमानत, मार्जिन और वापसी अदायगी की अवधि संबंधी शर्तों का उद्धार बनाने, एक निश्चित समयावधि के अन्दर-अन्दर अधिक से अधिक ऋण आवेदनों का शाखा स्तर पर निपटान करने के लिए शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त विवेकाधिकारों का प्रत्यायोजन करने आदि जैसे कई कदम उठाने के लिए पहले से कह दिया गया है ।

(ख) किसी ब्लाक में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की अपेक्षा की जाती है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना के उद्देश्य

7154. श्री शान्ति धारीवाल : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम में किए गए पूंजी निवेश पर सरकार को कितना लाभ मिला है; और

(ग) इस निगम के प्रबंधाधीन मिलों के कार्यकरण मे सरकार किस प्रकार सुधार लाना चाहती है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना रुग्ण वस्त्र मिलों के शीघ्रतापूर्वक पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई रुग्ण वस्त्र मिलों के कामकाज के प्रबन्ध संचालन के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी ताकि इस प्रकार के पुनरुद्धार से कपड़े की अपेक्षाकृत सस्ती किस्मों के उत्पादन तथा उचित कीमतों पर उसके वितरण के हितों को पूरा करने में सहायता मिल सके ।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम को हानियां होती रही हैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम में निवेशत पूंजी से सरकार को कोई प्रत्यक्ष प्रतिलाभ नहीं हुए हैं । तथापि, एन०टी०सी० मिलों ने उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों के रूप में अब तक राजकोष को 300 करोड़ रु० से भी अधिक का अंशदान किया है ।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के निष्पादन का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसके निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जाते हैं । मिलों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाये गए/उठाये जा रहे महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(i) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं,

(ii) नकद हानियों को पूरा करने के लिए कार्य पूंजी की पुन:पूर्ति कर दी गई है,

(iii) बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए स्व-सृजन क्षमता में वृद्धि की गई है,

(iv) परिणाम-अभिमुख प्राप्तियों के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यनीतियां अपनाई गई हैं,

(v) सभी स्तरों पर लागत में कमी के लिए लागत नियत्रण विधियों की शुरूआत की गई है,

(vi) गैर-प्रचालनात्मक प्रशासनिक व्ययों को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, और

(vii) मिलों की मैनेजमेंट में कामगार सहभागिता स्कीम को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चीनी मिट्टी की खानें

7155. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मयूरभंज तथा अन्य जिलों में चीनी मिट्टी की कितनी खाने हैं;

(ख) निजी खान मालिकों, उड़ीसा खनन निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा कितनी-कितनी चीनी मिट्टी की खानें चलाई जा रही हैं;

(ग) उन निजी खान मालिकों के नाम क्या हैं जिन्हें चीनी मिट्टी की खानें पट्टे पर दी गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में लौह अयस्क की खानें

7156. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंझर, मयूरभंज, सुन्दरगढ़, कटक और उड़ीसा जिलों में लौह अयस्क की कितनी खानें हैं;

(ख) इन प्रत्येक खानों में लगभग कितने-कितने मीटरी टन लौह अयस्क के भंडार हैं;

(ग) उड़ीसा में स्थित कितनी-कितनी खानें निजी खान मालिकों, उड़ीसा खनन निगम तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को पट्टे पर दी गई हैं;

(घ) उड़ीसा में ऐसी कितनी खानें हैं जो रूग्ण हो गई हैं; और

(ङ) इन रूग्ण खानों के पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उड़ीसा में विभिन्न जिलों में लौह अयस्क की परिचालनरत खानों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	खानों की संख्या (1984 के आंकड़े)
क्योंझर	42
मयूरभंज	3
सुन्दरगढ़	14
कटक	—
कुल	59

(ख) 1.1.80 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में लौह अयस्क की खानों के खानवार निक्षेप संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) निजी खान मालिकों, उड़ीसा खनन निगम और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (जिन्होंने वर्ष 1984 में उत्पादन के बारे में सूचना दी है) को उड़ीसा में पट्टे पर दी गयी खानों की संख्या इस प्रकार है :

		खानों की संख्या, जिन्होंने उत्पादन के बारे में रिपोर्ट दी है
निजी खान मालिक	—	42
उड़ीसा खनन निगम	—	12
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	—	—
सरकारी क्षेत्र की अन्य खानें		
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	—	3
भारत प्रोसेस एंग मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेट	—	2
कुल		59

(घ) उड़ीसा खनन निगम की कटक जिले में टोंका खान ने "कोई बाजार न होने" (नो

मार्किट) के कारण 1.10.1983 से खान बन्द होने के बारे में सूचित किया है। किसी अन्य खान से खान बन्द करने के बारे में नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) यद्यपि उड़ीसा में लौह अयस्क के अन्य निजी खान मालिकों से बन्द करने अथवा परिचालन रोक देने के बारे में नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि यह ज्ञात है कि निर्यात में कमी होने से खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा कम अपक्रय के कारण खान मालिकों को उत्पादन कम होने की आम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब स्थिति में सुधार हो गया है। खनिज व धातु व्यापार निगम वर्ष 1985-86 में इस क्षेत्र से 23 लाख टन के निर्यात के वायदे करने में सफल हो गया है जबकि वर्ष 1984-85 में 17 लाख टन का निर्यात किया गया था। आशा है खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा अपक्रय में में वृद्धि, इस राज्य में निजी खान मालिकों द्वारा लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि लौह अयस्क की क्वालिटी सम्बन्धी विशिष्टियां पूरी की जाएं तो खनिज व धातु व्यापार निगम इस क्षेत्र से किसी खान से अयस्क प्राप्त करने के लिए तैयार है।

विवरण

1-1-1980 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में लौह अयस्क के खान-वार निक्षेप

क्र० सं०	जिला	खान का नाम	पट्टाधारी	कुल निक्षेप (मिलियन टनों में)
1	2	3	4	5
1.	क्योंझर	बालागुण्डा	श्री ए०एल० लाधा	0.15
2.	वही	बल्दा-ब्लाक	मेसर्स सेराजुदीन एं० कं०	5.95
3.	वही	बल्दा-पल्सा	मेसर्स उड़ीसा माइनिंग कारपो० लि०	2.00
4.	वही	बलिता	डा० सरोजिनी प्रधान	0.06
5.	वही	देवझर	मेसर्स बिजान्ग मिनरल्स (प्रा०) लिमिटेड	0.09
6.	वही	बेलकुंडी	मेसर्स ओ०एम०डी०सी० लि०	1.00
7.	वही	भद्रासी	मेसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	4.60
8.	वही	बंसपानी	मेसर्स ओ०एम०जी० लि०	17.86

1	2	3	4	5
9.	क्योंझर	बोलानी	मेसर्स सेल	388.00
10	वही	चुमकपुर	श्री के०सी० प्रधान	0.25
11.	वही	इन्गन्झरन	मेसर्स भंज मिनरल्स (प्रा०) लि०	0.38
12.	वही	देतारी	मे० ओ०एम०सी० लि०	37.72
13.	वही	ठकुरानी	मे० बर्न० एंड कं०लि०	42.52
14.	वही	ठकुरानी	मे० सेराजुद्दीन एंड कं०	28.32
15.	वही	दोमित्रा	मे० श्री नारायण कं०	0.88
16.	वही	गंधमर्धन	मे० ओ०एम०सी० लि०	249.51
17.	वही	गौली	श्री एम०एच० रहमान	7.46
18.	वही	गुरबेदा	मे० ओ०एम०सी० लि०	1.37
19.	वही	गुरबेदा	श्री एस०सी० पाधी	0.74
20.	वही	बैतरणी	डा० सरोजिनी प्रधान	0.45
21.	वही	जजांग	मे० पंध्या एंड अदर्स	0.88
22.	वही	जजांग	मे० रुंग्टा माइंस (प्रा०) लि०	10.31
23.	वही	जजांग	मे० एस० लाल	0.22
24.	वही	जलहुरी	मे० बी० राय एंड ए० राय	3.50
25.	वही	जरीबहली	श्री बी०डी० पटनायक	1.75
26.	वही	जोडा ईस्ट	मे० टिस्को	197.53
27.	वही	जरूरी-I एंड-II	मे० कलिंग माइनिंग कारपो०	3.96
28.	वही	झिलिंग-लांगलोटा	मे० एस० लाल एंड कं० लि०	22.39
29.	वही	कालापर्वत	मे० बालासोर मिनरल कं०	0.23
30.	वही	कासिया	मे० एस० लाल एंड कं० लि०	8.94
31.	वही	कासिया-बरपडा	डिरेक्टोरेट आफ जियोलजी एंड माइनिंग, गवर्नमेंट आफ उड़ीसा	11.36

1	2	2	4	4
32.	क्योंझर	नोआमुन्डी-कातामती सेक्शन	मेसर्स टिस्को	9.21
33.	वही	खंडबंधा	मे० ओ०एम०सी० लि०	15.00
34.	वही	खंडबंधा	मे० टिस्को	54.27
35.	वही	कालापर्वत	श्री बी०डी० पटनायक	0.69
36.	वही	लौपडा	श्री राधा श्याम भंज देव	0.04
37.	वही	मुर्गाविरा	श्री निरंजन पटनायक	0.83
38.	वही	मुर्गाविरा	श्री बी०एन० शारदा	297.00
39.	वही	नवगांव	मे० हिन्दुस्तान जेनरल इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन	8.08
40.	वही	रामदेव-जोडा-वोनैकेला	श्री एम०के० चौडा	0.17
41.	वही	सेन्ट्रल राका	मे० एच०जी०ई०सी	0.36
42.	वही	सेक्राडिना	मे० ओ०एम०जी० लि०	5.00
43.	वही	सुरगुटुरिया	मे० राधा श्याम भंज देव	1.01
44.	वही	तिरिंगपहाड़	मे० ओ०एम०सी० लि०	1.84
45.	वही	रोइडा-I एंड-II	मे० खताऊ नयभीराम एंड कं०	8.34
46.	वही	मुतलीपानी	मे० मनीलाल एंड ब्रदर्स	1.07
47.	मयूरभंज	अटकीसिक्ली-वसेलकेडू-जोरिया	श्री ओ०पी० चौधरी	5.00
48.	वही	वादामपहाड़	मे० लाल ट्रेडर्स एंड एजेन्सीज (प्रा०) लि०	9.61
49.	वही	भिटरम्डा	मे० उमाशंकर गौरीशंकर चौबे	0.09
50.	वही	पुर्णापानी	मे० आर०सी० दास	0.06
51.	वही	बुधराजपहाड़	जयकिशोर चौबे	0.03

1	2	3	4	5
52.	मयूरभंज	गोरामहिशानी	श्री घनश्याम मिश्र	1.00
53.	वही	सल्लीपत	बी०एल० पाडिया	0·20
54.	कटक	बी० टोम्का	मेसर्स ओ०एम०सी० लि०	9.70
55.	सुन्दरगढ़ और क्योंझर	(मलान्गोली) बी०जी० एंड एफ० ब्लाक्स	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपो० लि०	708·00
56.	सुन्दरगढ़	फलिहरी	मे० ओ०एम०सी० लि०	28·42
57.	वही	गुनुआ	श्रीमती शुक्ला एम०	0·08
58.	वही	गुनुआ	एम०जी० मोहन्ती	1·50
59.	वही	कल्टा एरिया	मे० सेल	461.30
60.	वही	कसीरा	मे० ओ०एम०सी० लि०	3·00
61.	वही	कोइरा	मे० एस० लाल	1·73
62.	वही	कुसमितर	मे० ओ०एम०सी० लि०	15·00
63.	वही	लोडापानी	वही	0·45
64.	वही	लुसीमाइन	वही	1.50
65.	वही	निडीडिह	मे० बोनाइ इडस्ट्रियल कं० लि०	0·12
66.	वही	निडीडिह	मे० फ्रीग्रेड एंड कं० लि०	3·56
67.	वही	राजावास	मे० ओ०एम०सी० लि०	1.00
68.	वही	रोन्था	वही	1·60
69.	वही	सिल्जोरा	वही	10·34

विकास कार्यक्रमों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को ऋण

7157. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम को यह निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण दिए जाएं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम से ऋण लेने वाली राज्य सरकारों के नाम क्या हैं;

(ग) इन वर्षों के दौरान इन राज्य सरकारों ने जीवन बीमा निगम से कितना ऋण लिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम, सरकारी नीति के अनुसार, हर वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों को उनके समाजोन्मुख क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए, जिनमें आवास, बिजली, सड़क परिवहन और जल आपूर्ति तथा मल निकासी सम्बन्धी योजनाएं शामिल हैं, ऋण देता है ।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में, जीवन बीमा निगम द्वारा समाजोन्मुख क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए दिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को सामाजिक आवास आयोजनाओं के लिए दिए गए ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य	रकम		
		1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.29	5.46	7.66
2.	असम	0.31	0.52	0.59
3.	बिहार	1.39	2.99	—
4.	गुजरात	1.90	3.24	3.90
5.	हरियाणा	0.60	1.16	0.48
6.	हिमाचल प्रदेश	0.42	0.63	0.71
7.	जम्मू और कश्मीर	0.19	0.85	0.96
8.	कर्नाटक	3.53	5.86	7.42

1	2	3	4	5
9.	केरल	2.59	4·16	4·28
10.	मध्य प्रदेश	1·26	2·04	2.59
11.	महाराष्ट्र	0·61	1·06	1·36
12.	मणिपुर	0·21	0.37	0·42
13.	मेघालय	0·40	0·28	0·47
14.	नागालैंड	—	—	0·50
15.	उड़ीसा	1·09	1·80	2·16
16.	पंजाब	1.77	2.77	2.97
17.	राजस्थान	1.10	1.84	2.20
18.	सिक्किम	0.11	0.17	—
19.	तमिलनाडु	2.96	4.85	6.27
20.	त्रिपुरा	—	0.42	2.07
21.	उत्तर प्रदेश	2·20	6.20	7.05
22.	पश्चिम बंगाल	3 34	5·70	5.71
	जोड़	29.27	52.37	59.77

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए ऋण

(करोड़ रुपए)

		रकम		
क्रम संख्या	राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5·87	4·64	5·20
2.	असम	2·98	2·36	3.74
3.	बिहार	7.76	6·12	7·45

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	11 29	8.91	9.95
5.	हरियाणा	10·92	8.65	9.60
6.	हिमाचल प्रदेश	1 20	1·09	1.10
7.	जम्मू और कश्मीर	1.53	1.99	1.46
8.	कर्नाटक	6.05	4.95	6.85
9.	केरल	6.48	5.62	6.30
10.	मध्य प्रदेश	6.91	5.46	6.10
11.	महाराष्ट्र	12.45	9.82	11·00
12.	मेघालय	1.79	3.24	3.70
13.	उड़ीसा	7.58	5·98	6·70
14.	पंजाब	6.93	4·47	8.08
15.	राजस्थान	12.85	11.46	12·20
16.	तमिलनाडु	9.47	7.47	8.35
17.	उत्तर प्रदेश	32.11	31.28	35.50
18.	पश्चिम बंगाल	13 66	7·78	8.70
19.	उत्तर-पूर्वी बिजली निगम को ऋण (लाभान्वित राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम)	10.00	10.00	10.00
	जोड़	167·83	140.29	161.98

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगमों को दिए गए ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य	रकम		
		1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.43	1.93	2.12
2.	गुजरात	1.74	2.33	2.56
3.	कर्नाटक	1.72	2.00	2.20
4.	केरल	1.64	2.00	2.20
5.	मध्य प्रदेश	2.62	3.51	—
6.	महाराष्ट्र	1.81	2.42	2.66
7.	उड़ीसा	1.97	—	—
8.	पंजाब	1.35	—	—
9.	तमिलनाडु	1.79	2.40	2.64
10.	उत्तर प्रदेश	1.35	1.82	2.00
	जोड़	17.42	18.41	16.28

जीवन बीमा निगम द्वारा म्यूनिसिपेलिटियों और जिला परिषदों को जल आपूर्ति और मल निकासी योजनाओं के लिए दिए गए ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य	रकम		
		1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.17	0.50	3.58
2.	असम	0.19	0.60	—

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	5.50	6.95	7.57
4.	हरियाणा	2.34	1 39	1.05
5.	जम्मू और कश्मीर	0·62	3.00	2.35
6.	कर्नाटक	7.91	1.00	2.73
7.	केरल	4.30	4.69	4.71
8.	मध्य प्रदेश	4.45	3.45	7.35
9.	महाराष्ट्र	12.94	14.82	16·07
10.	मणिपुर	0.43	—	—
11.	मेघालय	2·50	—	—
12.	नागालैंड	0.53	—	1.25
13.	उड़ीसा	2.00	0.90	0·36
14.	पंजाब	4.99	5.50	2·53
15.	राजस्थान	1.74	2.23	1·91
16.	तमिलनाडु	7·51	13·02	12.12
17.	त्रिपुरा	—	0·42	—
18.	उत्तर प्रदेश	12.67	0·09	—
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	6·58
	जोड़	70.79	58.56	70.16

ऊनी चिथड़ों का आयात

7158. श्री मूल चन्द डागा : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ऊनी कपड़ों के चिथड़ों के आयात का ब्यौरा क्या है, उनका मूल्य क्या है तथा किन देशों से इनका आयात किया गया है, वर्षवार आंकड़े दिए जाएं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जबकि इस आयातित माल का दुरुपयोग किया गया है और सरकार द्वारा इसकी जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में उदार बनायी गई आयात नीति का दुरुपयोग न हो इसके लिए किन-किन सूरक्षा उपायों पर विचार किया गया है; और

(घ) क्या लोगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पुराने ऊनी वस्त्रों के आयात से हमारी राष्ट्रीय छवि नहीं बिगड़ती है और देशी उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ता है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आयात आंकड़े केवल दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83, दिसम्बर 1982 तक के दौरान ऊनी चिथड़ों के आयातों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

(ख) सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई ने, जहां चिथड़ों के अधिकांश आयात होते हैं, सूचित किया है कि ऐसे आयातों में दुरुपयोग के अनेक मामले ध्यान में आये हैं। बम्बई सीमाशुल्क विभाग विभाग ने 1984 के मध्य में किसी समय कई तलाशियां ली थीं जिनके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बिना कटे-फटे ऊनी चिथड़े जब्त किए गए जिनको पत्तन परिसर से अनधिकृत रूप से हटाया गया था।

(ग) वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत :

(1) केवल पहले से कटी-फटी शक्ल में ऊनी चिथड़ों के आयात की अनुमति है; और

(2) केवल वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) आयात करने के पात्र हैं।

(घ) जी नहीं, क्योंकि अब केवल पहले से कटे-फटे चिथड़ों का आयात किया जा सकता है।

विवरण

1980-81 से 1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक) के दौरान ऊनी चिथड़ों के देशवार आयात दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : हजार में

मूल्य : लाख रु० में

देश का नाम	1980-81		1981-82		1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	2110	98.72	2637	150·93	1073	67.33
बेल्जियम	2713	115·58	6201	267.42	6599	306.06
कनाडा	749	35·65	490	23.71	455	34.58
चीन गणराज्य	33	2.91	19	1.76	—	—
चीन जनवादी गणराज्य	25	1.07	51	4.82	—	—
फ्रांस	1101	61·94	346	17·82	210	10·99
जर्मन सं० गणराज्य	444	16·23	235	8·13	141	6.38
हांगकांग	18	2.23	—	—	—	—

इटली	16	2.31	—	—	—	—
जापान	3008	94.20	3657	122.00	2194	78.22
नीदरलैंड	3084	121.66	481	24.26	458	19.66
ब्रिटेन	29626	37.02	848	43.96	785	57.45
सं० रा० अमरीका	282	10.50	2309	115.09	2476	140.99
न्यूजीलैंड	79	3.03	322	14.19	231	18.33
अफगानिस्तान	8	0.33	—	—	—	—
अन्य	—	—	41	1.70	37	3.27
योग	43296	603.40	17637	795.79	14661	743.27

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में उत्पादकता कम होना और कर्मचारियों की संख्या अधिक होना

7159. श्री मल चन्द डागा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता में कमी और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि ये दो ऐसी बुराइयां हैं जिनसे स्टील अथारिटी आफ इंडिया बहुत दिनों से ग्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पिछले दिनों क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं। मुख्य रूप से बेहतर क्वालिटी के कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि में अड़चनों, अन्य प्रकार के कच्चे माल में गिरावट, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, अप्रचलित औद्योगिकी तथा संयंत्र पुराने हो जाने के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखाने अपनी-अपनी निर्धारित क्षमता पर परिचालन नहीं कर सके है।

(ख) बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, कच्चे माल में सुधार, कारखानों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन और बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 'सेल' के कारखाने अपनी-अपनी क्षमता के उपयोग में सुधार करने में सफल हुए हैं, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :—

(विक्रेय इस्पात)
मिलियन टन

वर्ष	'सेल' ('इस्को' शामिल है)	क्षमता का उपयोग
1983-84	4.77	66
1984-85	5.28	73
1985-86 (योजनागत)	5.96	79

[हिन्दी]

दिल्ली गायों की तस्करी का केन्द्र

7160. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गायों की तस्करी का एक बड़ा केन्द्र बन गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस गतिविधि को समाप्त करने के लिए कोई उपाय करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि दिल्ली के रास्ते गायों का देश में तस्कर-आयात अथवा देश से तस्कर-निर्यात हो रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भण्डार में केरल का योगदान

7161. प्रो० पी० जे कुरियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा भण्डार में केरल का वार्षिक योगदान राशि वार तथा प्रतिशतता-वार क्या है ;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में उसका योगदान कितना है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में केरल के योगदान में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का इशारा केरल द्वारा किए गए निर्यात और उसे प्राप्त प्रेषणाओं के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा की ओर है। निर्यात और प्राप्त प्रेषणाओं से होने वाली आय से संबंधित आंकड़े राज्य-वार तैयार नहीं किए जाते। इसलिए किसी राज्य विशेष का देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में कितना अंशदान है, इसका पता लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गयी राशि

7162. डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी है ;

(ख) क्या ऐसे बैंकों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल उत्तर प्रदेश में 38 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 6 (2) में निहित अपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जारी पूंजी के, जो प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में 25 लाख रुपए होती है, 50 प्रतिशत का अंशदान करती है। केन्द्रीय सरकार ने अपने हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश के 38 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 12.50 लाख रुपए के हिसाब से 4.75 करोड़ रुपए दिये हैं।

(ख) और (ग) देश में ग्रामीण बैंकों के विस्तार की योजना एक निरन्तर प्रक्रिया है। इस संबंध में निर्णय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विषयक संचालन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है।

संचालन समिति ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की सिफारिश की है। इन में से एक चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के जिलों के लिए और और दूसरा सहारनपुर जिले के लिए होगा। यद्यपि चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है लेकिन सरकार से दूसरे प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है।

ऋण मंजूर करने के लिए राज्यों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लम्बित पड़े आवेदन

[अनुवाद]

7163. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 31 दिसम्बर, 1984 को राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास ऋण मंजूर करने के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े थे ;

(ख) ये आवेदन कितने समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) उन पर ऋण मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस ढंग से सूचना नहीं मिलती जिस तरह प्रश्न में पूछी गयी है।

वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान पोलिस्टर फिलामेंट धागे का आयात

7164. श्री मोहन भाई पटेल : क्या पूर्ति और वस्त्र वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितने पोलिस्टर फिलामेंट धागे का आयात किया गया था तथा उसका मूल्य क्या है ;

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए पोलिस्टर फिलामेंट धागे सम्बन्धी आयात नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से इसका आयात किया जा रहा है और प्रयोक्ताओं में इसका किस तरह वितरण किया जा रहा है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए इस वर्ष देश में पोलिस्टर फिलामेंट धागे की उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अध्यधीन पात्र वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को बिक्री के लिए आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर, वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों और निर्यात सदनों/व्यापारिक सदनों के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। तथापि, बेस फ्लैस-फर्स्ट क्वालिटी (पूर्णतः/अंशतः अभिमुखीकृत) को छोड़कर पालिस्टर फिलामेंट यार्न का आयात राज व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध है और ऐसे मामलों में आयातित यार्न का वितरण आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार किया जाना है।

(घ) पिछले पांच वर्षों में एककों के सर्वाधिक उत्पादन के आधार पर औद्योगिक लाइसेंसों पर उच्चतर क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की स्कीम के अन्तर्गत क्षमता का अनुमोदन करने के लिए कदम उठाये गए हैं। पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण के लिए अपेक्षित डी०एम०टी० की घरेलू उपलब्धता में सुधार होने की आशा है। पालिस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण के लिए वैकल्पिक कच्चा माल पी० टी० ए० के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस पर है।

विवरण

पालिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात

वर्ष	आयात	
	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1982-83 (अनन्तिम)	13,350	3105
1983-84 (अनन्तिम)	6,202	1316
1984-85 (अनुमानित)	1,406	505

उपहार पैकटों पर जन राहत समिति को सीमा-शुल्क/ड्यूटी में दी गई राहत

7165. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंगा पीड़ितों में बांटे जाने के लिए लन्दन और अन्य स्थानों से प्राप्त उपहार पैकटों पर जन राहत समिति, दिल्ली को सीमा-शुल्क/ड्यूटी में दी गई राहत में कितनी धनराशि शामिल है ;

(ख) क्या सरकार के पास उपहारों के स्रोतों के बारे में कोई प्राधिकृत जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जन राहत समिति ने उपहार के स्रोत तथा उपहार एकत्र करने वाली प्राधिकृत एजेंसी का नाम प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दंगा-पीड़ितों में बांटे जाने के लिए जन राहत समिति को प्राप्त उपहारों पर लगभग 59,500/- रुपये के सीमाशुल्क की राहत दी गई थी ।

(ख) जन राहत समिति को प्राप्त हुए उपहारों के स्रोत के संबंध में सरकार के पास कोई अधिप्रमाणित सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) जन राहत समिति ने इन उपहारों का स्रोत 'विदेश में भारतीय समुदाय' बताया है । उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार भेजने वालों के नाम इस प्रकार हैं :—(1) रिलीफ कमेटी, मिडल सेक्स, यू० के० (2) जे० एम० कार्गो, मार्फत मीरा चार्टरिंग लि० बिल्डिंग 521, कमरा सं० 224 एल० एच० आर० लन्दन, (3) युनाइटेड लिंक लिमिटेड, यूनिट-6 ट्राइडेण्ड 1/ई० एस० टी०, ब्लैक थोर्न रोड, कोल्लोन-बुक रोड ए/सी सैंट्रल इयूरसोरा, हीथ्रो, यू० के० और (4) भारतीय समुदाय, तेहरान (ईरान) । भारत में इन उपहारों को श्री के० श्रीधरन्, 7 जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली ने प्राप्त किया था । उन्हें समिति ने विशेषतौर पर इस काम के लिए प्राधिकृत किया था ।

निर्यात के लिए जूट की नई मदें

7166. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या **पूर्ति और वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट उद्योग को निर्यात के लिए नई वस्तुएं तैयार करने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जूट की इन नई वस्तुओं को किन देशों में निर्यात किए जाने की संभावना है तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पटसन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए विकसित किए जा रहे नये उत्पादों में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है को नीचे दिए गए हैं :—

1. पश्चिम यूरोपीय देशों के लिए बल्क पैक (1 मे० टन)
2. अमेरिका के लिए प्रायोगिक रुई बैगिंग ;
3. अमेरिका को भेजी जाने वाली रुई गांठों के लिए आई० जे० आई० आर० ए० बाक्स टाइप-कवर ;
4. अमेरिका के लिए हल्के वजन वाला कालीन अस्तर का कपड़ा (5 औंस × 5 औंस)
5. समुद्र पार बाजारों के लिए हल्के और साथ ही पी० पी०/पटसन मिश्र बैगों का विकास ;
6. साज-सामान तथा परिधानों के लिए पटसन का सजावटी सामान ;
7. जापान में चावल पैक करने के लिए 30 कि० गन्धहीन थैले।
8. पश्चिम यूरोपीय बाजारों के लिए उत्कृष्ट क्वालिटी का पटसन धागा ; तथा
9. मरोड़ रहित सीधे धागे वाला कालीन अस्तर।

इन गैर-परम्परागत मदों के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा के अर्जन का इतना जल्दी अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन सन्तोषजनक क्षेत्रीय परीक्षणों और उपभोक्ता स्वीकृति पर आधारित है।

निर्यात के लिये समुद्री खाद्य की उन्नत किस्म तैयार करना

7167. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए समुद्री खाद्य की उन्नत किस्म तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें केन्द्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय हैजा तथा आन्त्र

बीमारी संस्थान, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात निरीक्षण अभिकरण तथा व्यापार के प्रतिनिधि शामिल हैं, श्रिम्प्स में कालरा के प्रकोप के कारणों का पता लगाने तथा उसके रोकथाम के उपायों का सुझाव देने के लिए गठित की गयी थी। समिति ने संसाधन कार्यों के लिए क्लोरीनेटिड पानी के प्रयोग की सिफारिश की है।

कोयला परिवहन के लिए योजना

7168. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों पर निर्भरता कम करने के लिए कोयले के परिवहन की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कोयले के परिवहन पर लगने वाले समय तथा लक्ष्य में होने वाली संभावित कमी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सरकार बिजली के उत्पादन में प्रयोग के लिए पाइप लाइन के जरिए स्लरी रूप में कोयला पहुंचाने की साध्यता पर कुछ समय से विचार कर रही है ताकि रेलवे पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके। एक "प्रायोगिक लघु दूरी स्लरी परिवहन परियोजना" के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सलाह देने के लिए प्रायोगिक कार्य करने के लिए एक दल का गठन किया गया है। दल ने सिफारिश की है कि "प्रदर्शन कोयला स्लरी पाइप लाइन परियोजना" को न्यू मजरी ओपेनकास्ट खान से महाराष्ट्र के चन्द्रपुर ताप बिजलीघर तक लगाया जाए। परियोजना अभी परिकल्पना की अवस्था में है और अन्य विवरण परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे।

भारतीय इस्पात संयंत्रों का कार्य निष्पादन

7169. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक में भारतीय इस्पात संयंत्रों के कार्य निष्पादन की स्थिति खराब रही थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या देश में इस्पात की उत्पादन लागत कुछ अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन-लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा 48.9 लाख टन विक्रेय इस्पात का उप्पादन किया गया था और 81.22 रुपए का लाभ हुआ था। बाद के वर्षों में, उत्पादन तथा लाभ में गिरावट का रुख बना रहा लेकिन उत्पादन में गिरावट के रुख में उस समय परिवर्तन हुआ जब वर्ष 1981-82 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 51.6 लाख टन हुआ और वर्ष 1982-83 में 51.7 लाख टन का उत्पादन हुआ जो अब तक हुए उत्पादन से सबसे अधिक था। उत्पादन में गिरावट का रुख बाजार की कठिनाइयों, कच्चे माल की क्वालिटी में गिरावट तथा बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण था।

लेकिन वित्तीय परिणामों से अधिक उत्पादन-निष्पादन (विशेष रूप से वर्ष 1982-83 में) का पता नहीं चलता क्योंकि इस अवधि के दौरान बाजार में मंदी का रुख बना हुआ था और मुख्य उत्पादकों को आदानों की लागत में वृद्धि की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी। वर्ष 1982-83 और 1983-84 में "सेल" को हानि होने के बाद वर्ष 1984-85 से पुनः लाभ होने लगेगा।

(ग) उत्पादन की लागत संयत्रवार व देशवार भिन्न-भिन्न होती है। अन्य देशों में इस्पात कारखानों के लागत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नही हैं क्योंकि यह वर्गीकृत सूचना है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है। लेकिन भारत में मुख्य उत्पादकों की निवल प्राप्ति अधिकतर विकसित देशों में घरेलू बिक्री मूल्यों के साथ अनुकूल रूप से तुलनीय है।

(घ) उत्पादन लागत में कमी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में क्षमता का अधिक उपयोग करना, प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में सुधार तथा खर्च में मितव्ययिता के लिए बेहतर रख-रखाव करना शामिल है।

विदेशी बैंकों के कार्यकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण

7170. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर नियंत्रण रखता है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया नियम है जिनका पालन करना होता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण अनिवार्यतः स्थानीय भारतीय कानूनों और प्रथाओं पर आधारित होता है। अलबत्ता,

विभिन्न केन्द्रीय बैंकों द्वारा विदेशी बैंकिंग स्थापनाओं की शाखाओं पर रखे जा रहे नियंत्रण और पर्यवेक्षण की प्रथाओं के बीच कुछ समन्वय और एकरूपता लाने के लिए, बैंककारी विनियमन और पर्यवेक्षी प्रथा संबंधी समिति ने, जो बासले कमेटी आफ बैंक्स फार इंटरनेशनल सैटलमेंट के नाम से जानी जाती है, कुछ सिद्धांत बनाये हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) विदेशी बैंकों की शाखाओं की शोधन क्षमता के संबंध में मुद्रा सम्बन्धी मूल प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व ।

(2) विदेशी बैंकों के प्रवेश के अनुसरण के संबंध में प्राधिकार प्रक्रियाएं ।

(3) देशों के विभिन्न मुद्रा प्राधिकारियों के बीच संबंध ।

(4) बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी निर्धारण ।

(4) विशेषकर शोध क्षमता और नकदी के संबंध में बैंकों की विदेशी स्थापनाओं का पर्यवेक्षण ।

चन्द्रपुरा, महाराष्ट्र में धोल-ढुलाई संयत्र चालू करना

7171. श्री जी० जी० स्वेल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुरा, महाराष्ट्र में प्रथम पहला धोल ढुलाई संयंत्र चालू हो गया है ;

(ख) उक्त संयंत्र की क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या उक्त संयंत्र ने संतोषजनक ढग से कार्य किया है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कम दूरी की एक प्रायोगिक स्लरी परिवहन परियोजना की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सलाह देने और प्रायोगिक कार्य के लिए एक ग्रुप स्थापित किया है । ग्रुप ने सिफारिश की है कि "प्रदर्शन कोयला स्लरी पाइपलाइन परियोजना" को न्यू मजरी ओपेनकास्ट खान से लेकर चन्द्रपुर ताप बिजली घर (महाराष्ट्र) तक लगाया जाए । परियोजना अभी परिकल्पना की अवस्था में है ।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

7172. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों मे अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं ; और

(ख) वर्ष 1985-86 में उपर्युक्त राज्य में ऐसी शाखाएं खोलने के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1984 के अंत में महाराष्ट्र में ग्रामीण केन्द्रों पर वाणिज्यिक बैंकों की 2042 शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) सातवीं पंच वर्षीय आयोजना अवधि की शाखा विस्तार नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 1985-86 के दौरान महाराष्ट्र में बैंकों की नयी शाखाएं खोलने पर नई शाखा-विस्तार नीति के प्रकाश में ही विचार किया जाएगा।

पंजाब और सिंध बैंक में धोखाधड़ी

7173. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 अप्रैल, 1985 में "ब्लिट्ज" में छपी उस आशय की सं० की ओर दिलाया गया है कि पंजाब और सिंध बैंक में 20 और 30 करोड़ रुपये के बीच की राशि का आज तक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला है और यह सब विदेशी सौदों से सम्बद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने धोखाधडी के संबंध में बैंक के वरिष्ठ निरीक्षण प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने यह समाचार देखा है। बैंक ने पहले ही उचित कार्रवाई कर ली है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

छठी योजना अवधि में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात मिलों के लिए उड़ीसा में लौह अयस्क की खरीद

7174. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात मिलों को सप्लाई करने के लिए उड़ीसा खनन निगम तथा उड़ीसा के खान मालिकों से वर्षवार कुल कितने टन लौह की खरीद की गई है;

(ख) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात मिलों को सप्लाई करने के

लिए उड़ीसा खनन निगम और उड़ीसा खान मालिकों से लौह की खरीद में वर्ष 1983-84 से तेजी से कमी आई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) धातु और व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा खानों में उपलब्ध कराये लौह अयस्क की अधिक मात्रा उठाने हेतु इस्पात मिलों को राजी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) छठी योजना अवधि (वर्षवार) के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात मिलों को सप्लाई करने के लिए उड़ीसा खनन निगम तथा उड़ीसा खान मालिकों से खरीदा गया लौह अयस्क का विस्तृत विवरण निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	छठी योजना अवधि	मात्रा (लाख मे० टन)
1980-81	पहला वर्ष	11.22
1981-82	दूसरा वर्ष	10.84
1982-83	तीसरा वर्ष	10.30
1983-84	चौथा वर्ष	3.24
1984-85	पांचवां वर्ष	8.84

(ख) और (ग) स्वदेशी इस्पात प्लांट अपनी लौह की आवश्यकता की पूर्ति मुख्यत. अपनी कैप्टिव खानों से करते हैं । उनके द्वारा एम०एम०टी०सी० की मार्फत लौह अयस्क की जो खरीद की जाती है वह केवल उनकी कैप्टिव खानों से सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए है 1983-84 के दौरान एक देशी इस्पात प्लाटों द्वारा एम०एम०टी०सी० से कम माल उठाए जाने का कारण कम क्षमता उपयोगिता तथा अधिक माल आदि के कारण उत्पन्न होने वाली कुछ सीमाएं ।

(घ) स्वदेशी इस्पात प्लाटों की लौह अयस्क की मांग में वृद्धि के कारण 1984-85 में उन्होंने जो मात्रा खरीदी है वह 1983-84 में खरीदी गई मात्रा से दुगुने से भी अधिक है ।

बारबिल-बरजमादा क्षेत्रों से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात

7175. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां बारबिल-बरजमादा क्षेत्र से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त देशों को वर्ष 1985-86 में कितना लौह अयस्क निर्यात करने का विचार है;

(ग) क्या बारबिल-बरजमादा क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क की खरीद के लिए कुछ अन्य देश भी इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो बारबिल-बरजमादा क्षेत्र में प्राप्त लौह अयस्क का विभिन्न देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) बारबिल-बरजमादा क्षेत्र से प्राप्त और पारादीप पत्तन की मार्फत निर्यातित लौह अयस्क के प्रमुख खरीदार हैं जापान, दक्षिण कोरिया, रूमानिया और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य। 1985-86 के दौरान पारादीप पत्तन से विभिन्न देशों को निर्यात किए जाने के लिए 2.3 मिलियन मे० टन की मात्रा का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) 1985-86 के दौरान चीन को परादीप पत्तन से 2 लाख मे० टन लौह अयस्क के पोत लदान के लिए बिक्री संविदाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। मलयेशिया को लौह अयस्क के पोतलदान के लिए संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है। इन प्रयासों के फल-स्वरूप, 1985-86 के दौरान इस क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यातों के गत वर्ष के दौरान निर्यातित 1.6 मिलियन मे० टन की अपेक्षा 2.3 मिलियन मे० टन के स्तर तक होने की आशा है।

[हिन्दी]

जिला पिथौरागढ़, उ०प्र० में वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं खोलना

7176. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितनी शाखाएं खोली गयीं और वर्ष 1985-86 के दौरान वहां कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस जिले के साठ प्रतिशत क्षेत्र और लाभ पचास प्रतिशत जनसंख्या को अभी तक बैंक सुविधा प्राप्त नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से इस जिले में प्रतिवर्ष कितनी बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पहली अप्रैल, 1984 से 28 फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने पिथौरागढ़ जिले में कोई

शाखा नहीं खोली है । 1985-90 के लिए शाखा लाइसेंसिग नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। नई नीति को अन्तिम रूप दिए जाने तक पिथौरागढ़ जिले में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या बताना संभव नहीं है । अलबत्ता, इस समय जिले में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास 5 प्राधिकार पत्र लम्बित पड़े हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिग नीति का लक्ष्य प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 17000 की जन-संख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का है । पिथौरागढ़ जिले के लिए संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

जनसंख्या सभी ग्रामीण (अर्ध-शहरी)	4,80,000
दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को कार्यरत बैंक कार्यालयों की संख्या	24
बैंकों के शाखाएं खोलने के लिए लम्बित पड़े प्राधिकार पत्रों की संख्या	5
प्रति गामीण/अर्ध-शहरी जनसंख्या के पीछे ग्रामीण/अध-शहरी बैंक शाखा का औसत	20,000
लम्बित पड़े प्राधिकार पत्रों के उपयोग कर लिए जाने के पश्चात ग्रामीण/अर्ध-शहरी जरसंख्या के पीछे प्रति ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा का अनुमान	17,000

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा खोलने का लाइसेंस देने की नीति को अन्तिम रूप देना

7177. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में शाखा लाइसेंस नीति को भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप देने की संभावना है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में बैंकों की शाखाएं खोलने के संबंध में कुल कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) सभी प्रस्तावित स्थानों पर शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को जल्दी ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश में और अधिक बैंक कार्यालय खोलने के प्रश्न पर नई नीति के संदर्भ में विचार किया जाएगा। अलबत्ता, उत्तर प्रदेश में 1449 केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न बैंकों के पास प्राधिकार पत्र लम्बित पड़े हैं। उपर्युक्त आंकड़ों में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के क्रमश: 5 और 11 बैंकों के पास लंबित पड़े प्राधिकार पत्र शामिल हैं। संबंधित बैंकों से इन केन्द्रों में जल्दी से जल्दी कार्यालय खोलने के लिए कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में टंगस्टन और डोलोमाइट भण्डारों का पता चलना

7178. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में टंगस्टन और डोलोमाइट के कितने भंडारों का पता लगने की संभावना है;

(ख) क्या राज्य सरकार के एक उपक्रम द्वारा बहुत समय से इन धातुओं/खनिजों के बारे में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आधुनिक उपकरणों के अभाव के कारण इनकी त्वरित और गहन खोज करना संभव नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या इस जिले में इन खनिजों का सर्वेक्षण कार्य खनिज खोज निगम को सौंप दिया जायेगा ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व तथा खनन निदेशालय ने अल्मोड़ा जिले के कुछ भागों में टंगस्टन निक्षेपों का सर्वेक्षण तथा उन निक्षेपों की क्षमता का निर्धारण कर रहे हैं। इस जिले में डोलोमाइट के किन्ही महत्वपूर्ण निक्षेपों का पता अभी नहीं चला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

(घ) जिले में सर्वेक्षण कार्य खनिज गवेषण निगम को सौंपने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

7179. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उन जिलों को चुन लिया गया है जहां सातवीं पंच-वर्षीय योजना विधि में सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इन बैंक की स्थापना हो जाएगी और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इनकी स्थापना प्रस्तावित है; और

(ग) क्या यह प्रस्तावित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्बद्ध जिले के लीड बैंक द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक निरन्तर प्रक्रिया है और पहले चरण में प्रस्ताव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की संचालन समिति द्वारा मंजूर किये जाते हैं । सातवीं योजना की अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत लाये जाने वाले कोई विशेष जिले नहीं चुने गये हैं ।

सरकार ने, वर्ष 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों के लिये एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । सहारनपुर में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के बारे में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं । सरकार द्वारा इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना है ।

चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल जिलों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया जो इन जिलों का अग्रणी बैंक है । सहारनपुर के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहारनपुर जिले के अग्रणी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है ।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग, बम्बई के भंडार का स्थानांतरण

7180. श्री चितामणि जेना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग, बम्बई को सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी कंपनियों

के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सीमा शुल्क भंडारों में स्थानांतरण के लिए उचित स्थानों की पेशकश की गई हैं; और

(ख) यदि हां, इस प्रकार प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन्हें अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई को, किसी सरकारी विभाग से सीमा शुल्क गृह के सामान को रखने के लिए स्थान मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि प्राइवेट कंपनियों से वैकल्पिक भाण्डागार किराए पर लेने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव जे०एम०सी० आईस एंड कोल्ड स्टोरेज, सोन गुरुजी मार्ग, आर्थर रोड जेल, चिंचोपोकली बम्बई का है जिसमें केवल 20350.80 वर्गफुट क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया है और जहां इस समय बर्फ का कारखाना है, दूसरा प्रस्ताव मैसर्स फोनिक्स मिल्स लि०, बम्बई से प्राप्त हुआ है जिसमें केवल लगभग 27,000 वर्गफुट क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया है । दोनों प्रस्तावों में से किसी से भी विभाग की 40,000 वर्गफुट क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तथा संभावित किराया भी उस किराए से काफी अधिक है जो कि विभाग द्वारा इस समय अदा किया जा रहा है । एक पुरानी टैक्सटाइल मिल से प्राप्त तीसरा प्रस्ताव भी सुरक्षा तथा सुगम्यता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया । इसलिए इन प्रस्तावों को, अपर्याप्त, अनुपयुक्त तथा महंगा होने के कारण, स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभान्वित शिक्षित युवा

7181. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा में ई०आर०आर०पी० तथा आई०आर०डी० योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाभान्वित शिक्षित युवाओं की संख्या आज तक कितनी है;

(ख) देश में स्व-रोजगार योजना को कार्यान्वित करने और राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेश दिए गए हैं कि उदारतापूर्वक ऋण दिए जाएं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से, इन योजनाओं के अन्तर्गत, एक विशेष श्रेणी के तौर पर, लाभान्वित "शिक्षित युवकों"

से संबंधित संख्या के बारे में सूचना नहीं मिलती । अलबत्ता, छठी योजना की अवधि के दौरान, दिसम्बर, 1984 तक पूरे भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 15.63 लाख हिताधिकारियों को 358 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी। इसी अवधि में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा राज्य में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.14 लाख हिताधिकारियों को 20.48 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी। ई०आर०आर०पी० योजना के अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा राज्य में 31.12.84 तक 33963 हिताधिकारियों को 5.72 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, वाणिज्यिक बैंकों ने, वर्ष 1983-84 में 242405 आवेदन मंजूर किये थे जिनमें 401.54 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी। इनमें से, उड़ीसा राज्य में, वाणिज्यिक बैंकों ने 6823 आवेदन मंजूर किये थे जिनमें 13.69 करोड़ रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1984-85 में, वाणिज्यिक बकों ने 246.75 करोड़ रुपये की रकम के 209364 आवेदन मंजूर किये हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, उड़ीसा में, 1984-85 के दौरान, वाणिज्यिक बैंकों ने 7097 आवेदनों को मंजूरी दी है।

(ग) लघु ऋणों के लिए मार्जिन की रकम और जमानत की शर्तों को उदार बनाने संबंधी हिदायतें पहले से मौजूद हैं।

निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों का कार्य-निष्पादन

7182. श्री सोमनाथ रथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित निर्यात संवर्द्धन परिषदों के मुख्य लक्ष्य क्या है;

(ख) उन निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों का पिछले तीन वर्षों का कार्य-निष्पादन क्या रहा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) निर्यात संवर्धन परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं : विदेशों में बाजार अध्ययन, व्यापार प्रतिनिधिमडल, नियमित प्रचार करने, सभी सम्बन्धित सांख्यिकीय तथा अन्य जानकारी एकत्र तथा प्रसारित करने, विदेश कार्यालय आदि खोलने जैसे संवर्धनात्मक कार्य-कलाप आरम्भ करके उन्हें आवंटित की गई विशिष्ट वस्तुओं के निर्यातों को सहायता देना, संरक्षण देना, बनाए रखना, उनमें वृद्धि करना तथा उनका संवर्धन करना।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान निष्पादन टिप्पणी					
		1981-82	1982-83		1983-84 (करोड़ रु० में)		
1	2	3	4		5		6
1.	अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	669.80	629.25	(अन०)	734.62	(अन०)	
2.	हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास	374.02	330.88	,,	309.30	,,	
3.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	286.18	314.22	,,	318.84	,,	
4.	साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	314.27	250.94	,,	203.26	,,	
5.	चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	15.66	13.04	,,	13.61	,,	
6.	रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	40.31	57.69	,,	57.02	,,	
7.	मूल रसायन तथा भेषज और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	378.52	308.56	,,	411.88	,,	
8.	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता	201 03	231 96	,,	235.50	,,	

1	2	3	4	5	6
9.	प्लास्टिक तथा लिनालियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	61.91	62.65 (अन०)	51.36 (अन०)	
10.	चमड़े के निर्यातों के लिए परिषद, मद्रास	415.04	399.9 ,,	436.04 ,	1956 तथा 1963 में स्थापित, तत्कालीन दो चमड़ा परिषदों को मिलाकर 1984 में स्थापित
11.	खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, दिल्ली	29.89	29.46 ,,	28.80 ,,	
12.	रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	820.83	1028.55 ,,	1324.45 ,,	
13.	कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नोएडा, गाजियाबाद	—	163.86 ,,	147.70 ,,	यह परिषद कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन फरवरी, 1982 में स्थापित की गई।
14.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	119.46	91.02	67.15	
15.	मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन	62.14	76.29	106.19	

16. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन	189.13	140.00	149.47		
17. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	1047.00	1250.00	1170.00	,,	
18. भारतीय विदेश निर्यात परिषद, बम्बई	—	—	—		यह परिषद मार्च, 1984 में स्थापित की गई है।
19. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	—	—	109.16		यह परिषद जून, 1983 में स्थापित 1983-84 के दौरान रेशम की मदों का निर्यात संवर्धन केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद की ओर से नियंत्रित किया जाता था जिसे 1-4-84 से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है।

उड़ीसा में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए किया गया सर्वेक्षण

7183. श्री सोमनाथ रथ : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए उड़ीसा के किन-किन जिलों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इन जिलों में विभिन्न खनिज भंडारों की कितनी मात्रा का पता चला है;

(ग) पिछली बार सर्वेक्षण कब किया गया था; और

(घ) सर्वेक्षण के परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उड़ीसा के सभी जिलों में समय-समय पर खनिज सर्वेक्षण किए गए हैं ।

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में पाये गये मुख्य खनिजों के महत्वपूर्ण निक्षेप तथा उनके अनुमानित भंडार निम्नलिखित हैं :—

खनिज का नाम	जिला	अनुमानित भंडार (मिलियन टनों में)
1	2	3
कोयला	धेनकनाल	4013.98
	सम्भलपुर	4307.81
लौह अयस्क	कटक	9.70
हेमेटाइट	धेनकनाल	1.40
	क्योंझर	1453.29
	कोरापुट	2.65
	मयूरभंज	15.99
	संभलपुर	50.00
	सुन्दरगढ़	827.10
	सुन्दरगढ़ तथा	763.74
	क्योंझर	27.845

1	2	3
मैंगनीज अयस्क	कोरापुट	0.438
	बोलांगीर	0.581
	सम्भलपुर	0.120
	सुन्दरगढ़	4.438
निकल अयस्क	कटक	341.791
	मयूरभंज	10.500
	क्योंझर	7.970
क्रोमाइट	कटक	123.196
	धेनकनाल	0.689
	क्योंझर	2.603
चूनापत्थर	कोरापुट	255.82
	सुन्दरगढ़	570.90
	सम्भलपुर	13.96
डोलोमाइट	सुन्दरगढ़	539.192
	कोरापुट	75.000
	संभलपुर	54.125
तांबा अयस्क	मयूरभंज	1.66
सीसा अयस्क	सुन्दरगढ़	2.63
बाक्साइट अयस्क	सम्भलपुर तथा बोलांगीर	216.074
	क्योंझर	10.000
	कालाहांडी तथा कोरापुट	1357.334
	फुलबनी	18.000
	सुन्दरगढ़	0.065
सिलिमेनाइट (बीच सैंड)	गंजम	7.901
ग्रेफाइट	सम्भलपुर	0.125
	बोलांगीर	0.083

1	2	3
	फुलबनी	0.193
	कालाहांडी	0.006
वैनेडिफैरस	मयूरभंज	4.05
मैगनेटाइट	क्योंझर तथा बालसोर	1·20
टिन अयस्क	कोरापुट	(भंडारों का अभी अनुमान नहीं)

(ग) और (घ) भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है। सर्वेक्षण के परिणाम प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दे दिए गए हैं।

उड़ीसा में ग्रेफाइट का पता लगाना

7184. श्री सोमनाथ रथ : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां ग्रेफाइट की खानों का पता लगा है ;

(ख) इन जिलों में पाए गए ग्रेफाइट के भंडारों की मात्रा कितनी है ; और

(ग) इन जिलों में ग्रेफाइट अयस्क का समुचित रूप से पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) उड़ीसा के जिन जिलों में ग्रेफाइट की खानें हैं ; उनके नाम और ग्रेफाइट के भंडार इस प्रकार है :

ग्रेफाइट के अनुमानित भंडार (मिलियन टनों में)		जिला
0.125	—	सम्भलपुर
0.083	—	बोलनगीर
0·193	—	फूलबनी
0·006	—	कालाहन्डी

(ग) प्राइवेट उद्यमियों द्वारा ग्रेफाइट का पहले से खनन किया जा रहा है।

भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ऋण

7185. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक के एक दल ने उन निर्यात उद्योगों का पता लगाने के लिए देश का दौरा किया था जिनके लिए बैंक द्वारा सहायता दी जाती है ; और

(घ) क्या अमरीकी सरकार द्वारा और संरक्षणवादी उपाय किए जाने के कारण, विश्व बैंक की सहायता की उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) चुने हुए उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की एक औद्योगिक निर्यात परियोजना के संबंध में संभव सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत हो रही है।

राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक की ओवरड्राफटों संबंधी निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक के ओवरड्राफट लेना

7186. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अनेक राज्यों ने रिजर्व बैंक द्वारा उनके लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक के ओवर ड्राफट लिये है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उनके चैकों का भुगतान रोका गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। केवल दो राज्यों ने उनके लिए निर्धारित ओवरड्राफट की सीमा को पार किया था और चूंकि बढ़ा हुआ ओवरड्राफट सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए जारी रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी और अप्रैल, 1985 में एक-एक दिन के लिए उनके खाते में अदायगी करना रोक दिया था।

(ग) चूंकि प्राप्तियां राज्य सरकारों के पक्ष में स्वीकार की गई थीं और केवल व्यय की अनुमति उस दिन नहीं दी गई थी जिस रोज अदायगियां रोकी गई थीं, अतः राज्यों की अर्थोपाय स्थिति में सुधार हुआ।

(घ) इस सुधार के कारण दोनों राज्यों का ओवरड्राफट निर्धारित अधिकतम सीमा से कम हो गया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक अगले दिन इन दोनों राज्यों के पक्ष में अदायगियों पर से स्थगन उठाने में समर्थ हुआ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु धनराशि निर्धारित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश

7187. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण जारी करने हेतु धनराशि और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने भी सरकार की ग्रामीण विकास नीति तथा जरूरतमन्द और समाज के निर्धन वर्ग की सहायता करने में बैंकों की भूमिका के बारे में अनुदेश जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये अनुदेश राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं को जानकारी और कार्यान्वयन के लिए भेजे गए हैं ; और

(घ) बैंकों द्वारा लोगों की सहायता करने में विशेष रूप से विकास ग्रामीण कार्यक्रमों में सहायता करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने बैंकों से ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ऋण वितरण की गति को बढ़ाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं को कम से कम 60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करना है। छठी आयोजना अवधि के दौरान वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के सम्मुख 300 करोड़ रुपये के सावधि ऋणों का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रधान कार्यालयों को अनुदेश जारी किए जाते हैं और वे इन अनुदेशों को समूचे देश में अपनी शाखाओं को उनके संदर्भ एवं कार्यान्वयन के लिए परिचारित करते हैं।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वास्ते पर्याप्त ऋण सुलभ कराये जाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन छठी आयोजना अवधि के लिए निर्धारित 600 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान क्रमशः 713.98 करोड़ रुपये तथा 773.51 करोड़ रुपये के कुल सावधि ऋण संवितरित किए गए।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रोजगार और अन्य संबंधित मामलों के बारे में नीति

7188. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रोजगार तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में नीति न बदलने के क्या कारण हैं ;

(ख) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा यह कब तैयार और घोषित की गई थी ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि विद्यमान नीति सामान्य रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की नीति में परिवर्तन करने का निदेश दिया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी नीति कब तैयार की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार सम्बन्धी अनुदेशों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और कभी आवश्यक होने पर उनमें संशोधन किया जाता है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में भर्ती नीति सम्बन्धी टिप्पणी 14 अप्रैल, 1961 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी और वह 1965 में सरकारी उद्यम कार्यालय के गठन से पहले की है । सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा मार्च, 1984 में जारी किये गये अद्यतन अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, जिनमें पदों का अधिकतम वेतनमान 800/- रुपये मासिक (संशोधन पूर्व) से अधिक नही है अथवा औद्योगिक महगाई भत्ता दरें अपनाने वाले कुछ उद्यमों में 1250/- रुपये मासिक (जहां 1982 से वेतनमान परिशोधित किये गये हैं), में भर्ती राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से की जानी है ।

इस प्रकार की भर्ती में स्थानीय लोगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत क्षेत्रों मे विस्थापित व्यक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । इसके अतिरिक्त तकनीकी-आर्थिक कारणों से सरकार की नीति यह है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं की अवस्थापना को अधिमान्यता दी जाय ।

(ग) से (ङ) सरकार की नीति यह है कि जहां सरकारी उद्यम/परियोजनायें स्थित हैं, वहां स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती को बढ़ावा दिया जाए । इसके साथ ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है । इस प्रकार जब कभी ऐसे क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की अवस्थापना की अथवा कराई जाती है तो

आदिवासी तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ हो जाते हैं देश में बेरोजगारी की समग्र स्थिति को ध्यान रखते हुए फिलहाल मोजूदा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

बढ़िया किस्म के कोकिंग कोयले के आयात के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता करने का प्रस्ताव

7189. डा० गोरीशंकर राजहंस : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने संयंत्रों के लिए बढ़िया किस्म के कोकिंग कोल का आयात करने हेतु सोवियत संघ के साथ एक दीर्घकालीन समझौता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में इस संबंध में सोवियत सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

इस्पात विभाग के राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) भारत-रूस संयुक्त आयोग की दिनांक 26 अप्रैल से 29 अप्रैल, 1985 तक मास्को में हुई बैठक में सोवियत रूस से यह अनुरोध किया गया था कि वह भारत को कोकर कोयला निर्यात करने की सम्भावनाओं पर विचार करे । सोवियत पक्ष वर्ष 1990 से आगे की अवधि में इसकी सम्भावना पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए धनराशि जुटाना

7190. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा वर्ष 1985-86 के लिये कृषि के लिये आबंटित धनराशि की प्रतिशतता में वृद्धि करने का अनुदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ते वाणिज्यिक बैंकों को कृषि (कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों सहित) के लिए दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त की राशि को मार्च, 1987 के अंत तक कुल बैंक ऋण का कम से कम 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की सलाह दी है ।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम को इस्पात के आयात का कार्य सौंपने का प्रस्ताव

7191. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या इस्पात खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1985 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बजाय खनिज एवं धातु व्यापार निगम को इस्पात का आयात कार्य सौंपने से उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम की तुलना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इस्पात का आयात कार्य बेहतर रूप से संभाल सकती है ; और

(घ) इस्पात आयात की मात्रा निश्चित करने यदि खनिज एवं धातु व्यापाप निगम इस्पात का आयात करे, तो इस्पात के आयात की मात्रा तथा उनके वितरण का निर्णय करने में लौह और इस्पात नियंत्रक की क्या भूमिका है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। माध्यम अभिकरण में परिवर्तन इस सिद्धांत पर किया गया है कि कोई उत्पादक माध्यम अभिकरण नहीं होना चाहिए। आशा है कि इस परिवर्तन से उपयोक्ताओं के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक आयात करने की स्वीकृति देने संबंधी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा। आयातित इस्पात का आवंटन उसके द्वारा नहीं किया जाता है।

विश्वव्यापी व्यापार बातचीत को पुनः आरम्भ करने के लिए ब्रिटेन की पेशकश

7192. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ओवरसीज डेवलपमेंट मिनिस्टर हाल ही में नई दिल्ली आये थे ;

(ख) क्या ब्रिटेन ने विश्वव्यापी व्यापार बातचीत पुनः आरम्भ करने के लिए हस्तक्षेप करने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बातचीत मुख्यत: द्विपक्षीय आर्थिक मामलों पर थी। बातचीत के दौरान विश्वव्यापी व्यापार वार्ताओं के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानांतरण नीति

7193. **श्री गंगाराम**
डा० वी० वेंकटेश } : क्या वित्त मन्त्री भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नयी दिल्ली शाखाओं में जे०एम०जी० वेतनमान-1 अधिकारी के बारे में 25 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4643 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बताते हुए कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानांतरण नीति किस तारीख को तैयार की गयी थी उसकी एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाएगी;

(ख) स्टेट बैंक साफ इण्डिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का 1982 में दिल्ली से बाहर अंधाधुन्ध स्थानांतरण किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या उपरोक्त आदेशों के क्रम से उनको फिर से दिल्ली स्थानांतरित किया जायेगा?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक की स्थानांतरण नीति की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार ये तबादले, स्थानांतरण नीति के अनुसार किए गए थे और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का वापस दिल्ली/नयी दिल्ली तबादला सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के साथ स्थानांतरण नीति के अनुसार किया जाएगा।

विवरण

ज्ञापन

मंडल की समस्त शाखाओं/	,,	कार्मिक क्रमांक 66 वर्ष 1983
कार्यालयों के लिए	,, द्वारा	
	,,	कार्मिक विभाग,
	,,	भारतीय स्टेट बैंक,
	,,	स्थानीय प्रधान कार्यालय
	,,	नई दिल्ली
	,, दिनांक	3 मार्च, 1983

स्टाफ पर्यवेक्षी

मण्डल वार्ता परिषद की बैठक

स्थानान्तरण नीति

सुपरवाईजिंग स्टाफ एसोसिएशन (दिल्ली मंडल) के प्रतिनिधियों के साथ मंडल वार्ता परिषद की एक बैठक इस कार्यालय में 3 नवम्बर, 1982 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में अन्य बातों के अलावा जिस महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी थी वह था पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए एक मंडल स्तरीय स्थानान्तरण नीति। लम्बे विचार-विमर्श के बाद कनिष्ठ प्रबन्धनवर्ग व मध्य प्रबंधन-वर्ग श्रेणी-II स्तर के अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण नीति पर आम राय हुई थी। सुपर वाईजिंग स्टाफ एसोसिएशन की सहमति से तय की गई स्थानान्तरण नीति की एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु ये अपनी शाखा/कार्यालय के सुपर वाइजिंग स्टाफ के सभी सदस्यों को अवगत करा दें।

गोर्धन कथूरिया
महाप्रबन्धक (योजना)

अनुक्रमणिका :—

सी—मंडल वार्ता परिषद की बैठक-पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए स्थानान्तरण नीति
एस—पर्यवेक्षी स्टाफ-मंडल वार्ता परिषद की बैठक स्थानान्तरण नीति
टी—स्थानान्तरण नीति—पर्यवेक्षी स्टाफ-मंडल वार्ता परिषद की बैठक

स्टाफ पर्यवेक्षी

स्थानांतरण नीति

1.1 स्थानान्तरण का अर्थ होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला भले ही इससे पदस्थिति (पोजीशन) में परिवर्तन हो या न हो।

1.2 स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कनिष्ट प्रबन्धकवर्ग श्रेणी-I व मध्य प्रबन्धनवर्ग श्रेणी-II के सभी अधिकारियों का समावेश होगा।

1.3 स्थानान्तरण/नियतन निम्न कारणों से आवश्यक है :

(क) विविध कार्यों के निर्वाह के लिये आवश्यक क्षमताओं के विकास हेतु अधिकारियों को पर्याप्त कार्यगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(ख) नई शाखाओं/प्रभागों में कार्य करना व बैंक व्यवसाय में वृद्धि का निर्वाह करना।

(ग) किसी कार्य नियोजन विशेष में असन्तोषजनक निष्पादन की दशा में आवश्यक क्षमताओं में आगे विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना।

(घ) कार्य स्थितियों में ठहराव को रोकने के लिए अधिकारी वर्ग में समय-समय पर कार्य परिवर्तन करना।

(ङ) विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के बाद शाखा विस्तार का कार्य अर्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में घनीभूत हुआ है जहां कि स्त्रीकार किया जाता है कि वहां शैक्षणिक, स्वास्थ्य व मनोरंजन संबंधी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सभी अधिकारियों को मिलकर सामना करना है। अतः यह बात स्पष्ट रूप से जाननी व माननी होगी कि अधिकारी वर्ग में से अधिकांश को अपने कार्यकाल के दौरान दो एक बार इस समस्याओं से दो चार होना होगा।

(च) इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में भी है क्योंकि इससे उन्हें अपनी निशिष्ट अभिरुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप अपने कार्य जीवन के विकास का अवसर प्राप्त होता है।

2.1 संभव सीमा तक किसी भी अधिकारी का किसी विशिष्ट कार्य नियोजना/उत्तर-दायित्व में न्यूनतम व अधिकतम अवधारण निम्नवत होना चाहिये।

पदस्थितियां	उसी कार्यालय में किसी एक पदस्थिति में अवधारण की न्यूनतम अवधि	अवधारण की अधिकतम अवधि
पासकर्ता अधिकारी वर्ग/यथा लेखापाल, फील्ड अफसर व उप प्रबन्धक वर्ग से निचले स्तर की पद स्थितियां	1 वर्ष	3 वर्ष
फील्ड अफसर वर्ग, लेखापाल वर्ग, उप प्रबन्धक वर्ग	1 वर्ष	3 वर्ष
प्रभागों के प्रबंधक, शाखा प्रबंधक वर्ग तथा नियंत्रक कार्यालयों पद स्थितियां	2 वर्ष	3 वर्ष
प्रधान रोकड़िया वर्ग	3 वर्ष	5 वर्ष

2.2 अपरिहार्य परिस्थितियों में ही उपरोक्त अनुबन्धों में छूट दी जाएगी।

2.3 रोकने/ठहरने की वास्तविक अवधि संबंधित स्थितियों में रिक्तियों की संस्था पर निर्भर करेगी।

3.1 शिक्षा सुविधाओं, चिकित्सा सहायता, मकान, पीने के पीने की उपलब्धता, यातायात सुविधाओं इत्यादि के दृष्टिकोण से मंडल के कुछ विशिष्ट "मुश्किल" केन्द्र हैं। किसी भी मुश्किल

केन्द्र पर एक अधिकारी के रहने की कुल अधिकतम एवं न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। मुश्किल केन्द्रों की सूची पारस्परिक रूप से तैयार की जाएगी परन्तु इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि टिहरी, पौडी, उत्तरकाशी और चमोली चार जिलों की सभी शाखाओं/कार्यालयों में 2 वर्ष होगा।

3.2 अन्य केन्द्रों पर (पैरा 3.1 और पैरा 3.3 के केन्द्रों को छोड़ कर) रहने की अवधि 3 वर्ष होगी।

3.3 दिल्ली परिधि के निम्नलिखित स्थानों पर रहने की अवधि 5 वर्ष होगी लेकिन वे अधिकारी जो वर्तमान में नियुक्त है उनके लिए ये अवधि 4 वर्ष होगी।

हरियाणा — पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, बहालगढ़, हलालपुर, खरखोहा, राई, बादशाहपुर, डुण्डाहेड़ा गुड़गांव (फिरोजपुर झिरगा, मसेसर, नूह, पिनानगांव, रोजकापेव उत्तीना एव हतीन में रहने की अवधि 3 वर्ष होगी)।

उत्तरप्रदेश — गाजियाबाद, लोनी, एयर फोर्स स्टेशन हिण्डन, महाराजपुर, नोएड़ा (हापुड़, मुरादनगर, दिवई, अनुपशहर, सिकन्दराबाद, निवारी, बुलन्दशहर, बरोला, विसडूरी, केरला, दादरी, दनकोर. गुलाओथी, गोविदपुरी, झझर, जहागीराबाद, जारगांव, ककोरो, खुरजा, मोदीनगर, नरोरा पीलकुआं, सिआनी, जरोली जीवर, में रहने की अवधि 3 वर्ष होगी।

3.4 सभी पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों का स्थान बदला जाएगा, जिनकी पदोन्नति दिल्ली/नई दिल्ली मे होती है उन्हें बिना किसी छुट से बाहर स्थानान्तरित किया जाएगा जिससे मंजूर नियमों के अनुसार एक स्थान पर रूकने की अवधि पूरा रहने पर संबंधित व्यक्तियों को वापस आने की सुविधा मिल सके। प्लेसमेंट पालिसी के पैरा 4 के तहत आने वालों को छोड़कर क्षेत्रीय कार्यालयों (दिल्ली/नई दिल्ली को छोड़कर) से पदोन्नत अधिकारियों को प्राप्य रिक्तियों की सीमा तक संबधित क्षेत्रीय कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में रोका जा सके लेकिन कम-से-कम प्रत्येक का जिला अवश्य बदलना होगा।

3.5 सहानुभूति के आधार पर स्थानान्तरण का विचार्य रखने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का गहनता से पालन करना होगा :—

(क) केवल अधिकारी के परिवार सदस्यों स्यवं अधिकारी या उसके पत्नी और बच्चों के सबंध में ही सहानुभूतिपूवंक विचार किया जाएगा यदि अधिकारी अपने मां-बाप की इकलोती संतान या केवल स्वयं पुरुष है यह तत्व इस उद्देश्य से उसके माता-पिता को परिवार सदस्य समझा जाएगा।

(ख) सहानुभूति का आधार पदोन्नति/स्थानान्तरण के दिनांक से प्रभावी होना चाहिये।

(ग) अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के मामले में अस्पताल की सुविधाओं वाले स्थान (दिल्ली/नई दिल्ली को छोड़कर) पर स्थानान्तरण हेतु निवेदन तभी विचाराधीन होगा जबकि 6 माह से अधिक लगातार अस्पताल में रहने की आवश्यकता हो। बाहर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने पर दिल्ली/नई दिल्ली हेतु स्थानान्तरण पर विचार होगा।

(घ) यदि पति और पत्नि बैंक में कार्यरत है तो उन्हें ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जायेगा जहां दोनों रह सकें लेकिन यह बैंक के विवेकाधिकार के अन्तर्गत होगा।

(ङ) नई भर्ती/पदोन्नति के मामले में, कार्यरत पति/पत्नी के बाबत कोई विचार नहीं किया जाएगा दूसरे शब्दों में उनका आवंटन नीति के अनुसार ही होगा।

स्थानन नीति

आदर्श नीति के तौर पर सभी अधिकारियों का कठिन स्थानों पर और असुविधाजनक स्थानों पर व अन्य स्थानों पर उनकी अवस्था के अनुसार स्थान नियत किया जाना चाहिए। युवा अधिकारियों को कठिनतर स्थानों पर नियत किया जाना चाहिए। ट्रेनी अफसरों/प्रोबेशनरी अफसरों के माध्यम से से कनिष्ट वर्ग प्रबन्धन श्रेणी-1 में आने वाले अधिकारियों को नये पदोन्नत अधिकारियों की भांति दिल्ली/नई दिल्ली से अलग स्थानों पर नियत किया जाना चाहिए।

II. नये पदोन्नत अधिकारियों/ट्रेनी आफीसर/प्रोबेशनरी आफीसर के माध्यम से कनिष्ट वर्ग प्रबन्धन श्रेणी-1 में स्थाई हुए अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को प्रशासनिक कार्यालय में तब तक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे शाखाओं में कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर लेते। प्रशासनिक कार्यालयों में मध्यवर्ग प्रबन्धन श्रेणी-II के पदस्थानों की पूर्ति के लिए आमतौर से ऐसे पदोन्नत अधिकारियों अथवा पदोन्नति के लिए वाजिब हो जाने वालों अथवा कनिष्ट वर्ग प्रबन्धन श्रेणी- के अगले वरिष्ठतम बैच से संबंधित ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने शाखा प्रबन्धकों/प्रभागों के प्रबन्धकों के रूप में कार्य किया हुआ है। यह छूट कहीं-कहीं ही और तभी दी जा सकती है जबकि उस अधिकारी ने कम से कम 2 वर्ष तक लेखापाल/फील्ड अफसर के रूप में कार्य किया हो।

III. प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को ऐसे अधिकारियों की सूची बना ली जानी चाहिए जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक समय से दिल्ली/नई दिल्ली में ठहरे हुए हैं। तथा इस सूची में से केवल उतने ही अधिकारियों का तबादला किया जाए जितने कि जयपुर व देहरादून क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यक्षेत्रों में कार्यरत हों (इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जिनका प्रत्यावर्तन किया गया है। इन अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रति वर्ष मार्च/अप्रैल में किया जाना चाहिए। इससे दूसरे स्थानों को स्थानान्तर को उक्त अधिकारियों को असुविधा कम होगी। इसी प्रकार, स्थानीय प्रधान कार्यालय का कार्मिक विभाग उनके कार्य की व्यवस्था इस प्रकार करेगा जिससे कि लेखा व रोकड़

विभाग खण्डों के कनिष्ट वर्ग प्रबन्धन श्रेणी I में नव पदोन्नत अधिकारी प्रतिवर्ष मार्च के अन्त तक उपलब्ध हो ताकि स्थानान्तरण का समय बहुत करके शैक्षणिक वर्ष के समनुरूप हो ।

IV. यह स्पष्टीकरण समीचीन है कि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में उनके क्षेत्रों से पदोन्नत अधिकारियों दिल्ली/नई दिल्ली से पदोन्नत अधिकारियों में से आबंटितों को उनकी अवस्था के अनुसार सूचीगत किया जाए तथा उनमें से सबसे कम अवस्था के अधिकारी को सबसे अधिक कठिन स्थान पर नियत किया जाए । यही विधि आने तक जारी रहे । विकल्प के तौर पर संबंधित क्षेत्र की शाखाओं से पदोन्नतों को कठिन स्थानों पर नियत किया जाए तथा शेष पदास्थितियों पर दूसरे केन्द्रों से स्थानान्तरित अधिकारियों में से उनकी उवस्था के अनुसार नियुक्ति की जाए ।

V. महिला अधिकारियों को साधारणतया जिला मुख्यालयों के स्थानों पर ही नियत किया जाए ।

VI. 55 वर्ष से अधिक की अवस्था वाले अधिकारियों को साधारणतया उनकी पसन्द के किसी स्थान पर ही नियत किया जाए । इस उद्देश्य से संबंधित अधिकारी अपनी पसंद के तीन स्थानों के नाम बताएगा तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में उनका नियतक तदनुसार ही किया जाएगा ।

VII. हरियाणा स्थित शाखाओं में भी लम्बे अर्से वाले अधिकारियों की सूचियां बनायी जाएंगी । इस उद्देश्य के लिए हरियाणा स्थित शाखाओं को दिल्ली/नई दिल्ली के साथ नहीं जोड़ा गया है । इस सूची में से भी कुछ अधिकारियों को उपलब्धता के आधार पर जयपुर क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाएगा ।

8 दिल्ली/नई दिल्ली मूल क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अधिकारियों की वापसी के मामले में, जो निर्धारित रुकने की अवधि पूरी कर चुके हैं रुकने की अवधि के पूर्ण होने से 6 माह पूर्व अधिकारियों से अपनी सहमति (आपष्न) देने के लिए कहा जाएगा । नई पदोन्नति/भर्ती के उपलब्ध होने पर अधिकारियों को वापस भेजने के प्रयास किए जाएंगे । उन अधिकारियों के मामले में जो एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानान्तरित हुए हैं उन्हें अपनी राषि देनी होगी जब उनका वापसी के लिए नम्बर आता है ।

विवरण

एक स्थान पर रुकने की अवधि के परिकलन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष एक माह से अधिक का लिया गया रुग्ण अवकाश सहित छुट्टियों की अवधि को नहीं गिना जाएगा ।

9. स्थानान्तरण के समय अधिकारी के जिले में परिवर्तन इस प्रकार होना चाहिए जहां से वह रोजना आ-जा न सकें उनकी अपने नए तैनाती नियुक्ति स्थान पर स्थायी रुप से निरवबाद बदली होनी चाहिए । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ये अधिकारी वापसी के पात्र केवल तभी समझे जाएंगे जबकि ये स्थाई रूप से नियुक्त स्थान पर अपनी बदली करते हैं ।

10. मध्यवर्ग प्रबन्धन श्रेणी-II में वर्गीकृत पदास्थितियों के सम्बन्ध में, पदोन्नत/संभावित पदोन्नत लम्बे अर्से की सूचि में से वरिष्ठताक्रम में अगले बैच के अधिकारियों को दूसरे क्षेत्रों में वहां की रिक्तियों के समनुरूप स्थानान्तरित किया जाना चाहिए, शेष का स्थानीय नियतक किया जाना चाहिए। दिल्ली/नई दिल्ली में लम्बे अर्से के उद्देश्य से अधिकारी का सम्पूर्ण ठहराव अवधि इनमें जे० एम० एस० पी० I के रूप में कार्य-समय भी शामिल है को गिनती में लिया जाएगा। इस प्रकार, उन सभी एम० एम० जी० एस०-II अधिकारीगण को भी जिन्होंने इस प्रकार अपना 5 वर्ष का स्थानीय कार्यवास पूर्ण कर लिया है, उनके कार्यवास के आधार पर स्थानान्तरण कर बाहर भेजा जा सकता है।

11. जयपुर व देहरादून क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से पिछले वर्ष के दिसम्बर तक की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। इस प्रकार आकलित कुल आवश्यकता की आंशिक पूर्ति संबधित क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र में दोनों नियत अधिकारियों में से की जाएगी। जयपुर व देहरादून के क्षेत्रीय कार्यालयों की बाकी आवश्यकता के 50 प्रतिशत की पूर्ति मेरठ की लम्बे अर्से की सूचि के अधिकारियों के स्थानान्तरण से तथा जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की बाकी आवश्यकता की पूर्ति आगरा क्षेत्रीय कार्यालय की बे अर्से की सूचि के अधिकारियों के स्थानान्तरण से की जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7194. **श्री गंगा राम**
श्री सिद्धलाल मुरभू
श्री बी० वेंकटेश : क्या **वित्त** मंत्री कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में 15 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकारियों सहित वर्ग-वार ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिन्हें दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया हालांकि वह दिल्ली/नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में पांच वर्ष से अधिक समय तक नियुक्त रहे है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी जे० एम० जी० स्केल-I अधिकारियों को, जिन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के पश्चात् चुना गया था, 1982 में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया गया था और अभी तक उन्हें वापस नहीं बुलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों की बदली वापस दिल्ली में न करने और गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों की बदली दिल्ली से बाहर न करने के क्या कारण हैं यद्यपि वह भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित शाखाओं में 20 वर्ष से अधिक समय से हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि लिपिकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति के अनुसार उनका दिल्ली से बाहर तबादला नहीं किया जाता है। अलबत्ता, उनका यथासम्भव एक शाखा/कार्यालय में पांच वर्ष के पश्चात् तबादला कर दिया जाता है। अधिकारियों के मामलों में नीति यह है कि लगभग सात वर्ष पूरा कर लेने के बाद उनका दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया जाता है। लेकिन तीन वर्ष के पश्चात् जहां कहीं व्यवहार्य हो, उनकी शाखाएं बदल दी जाती हैं।

(ख) और (ग) 1982 के समूह के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को उनके सर्किल की स्थानान्तरण नीति के अनुसार वापस भेजा जा रहा है। अलबत्ता, ऐसे पांच अधिकारियों का पहले ही दिल्ली में तबादला किया जा चुका है। दिल्ली में अधिक समय तक रूकने वाले अधिकारियों का उनकी बारी के अनुसार दिल्ली से बाहर तबादला कर दिया जाता है। लेकिन किसी भी श्रेणी के अधिकारियों के अनुकम्पा के मामलों पर गुण-दोषों के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है और आपवादिक परिस्थितियों में उन्हें दिल्ली में रहने की अनुमति दी जाती है।

मैसर्स जे०के० इंडस्ट्रीज को मैसर्स नेशनल टुबैको कंपनी लिमिटेड और मैसर्स इंडियाना को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

7195. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे०के० इंडस्ट्रीज की मैसर्स नेशनल टुबैको कंपनी और मैसर्स इंडियाना को जारी किए गए उन कारण बताओ नोटिसों का ब्यौरा क्या है, जो लम्बित पड़े है तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पटसन निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के लिए गांठों की खरीद

7196. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की अनुपलब्धता के कारण बन्द पड़ी पटसन मिलों को सप्लाई के लिए अब तक कितनी गांठें खरीदी हैं;

(ख) क्या आयातित कच्चा पटसन इस स्तर का नहीं है जिसकी देश में कमी है;

(ग) क्या हजारों पटसन मिल मजदूरों की दुर्दशा को देखते हुए, जिन्हें रोजगार से हटाया गया है, भारतीय पटसन निगम का विचार आगामी मौसम के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने तथा ठीक समय पर बातचीत करने का है ताकि आकर्षित दरों पर ठीक प्रकार के वस्त्र प्राप्त हो सकें; और

(घ) क्या इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि तीन लगातार वर्षों में पटसन के उत्पादन में गिरावट आई है, सरकार का विचार कच्चे पटसन का बफर स्टाक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य-वाही करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्तमान जूट मौसम 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय जूट निगम (जे०सी०आई०) द्वारा घरेलू बाजार से अभी तक कच्चे जूट की लगभग 10.16 लाख गांठों की कुल खरीद की गई है। जे०सी० आई० केवल मिलों की ओर से एजेन्सी खरीद शर्तों पर खरीद करता है जिसके लिए एक करार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जे०सी०आई० ने कच्चे जूट की 1.60 लाख गांठों का आयात भी किया है।

(ख) कच्चे जूट का आयात घरेलू सप्लाइयों की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया था और सारी खरीदारियां गारन्टी शुदा मुगतान शर्तों के आधार पर उद्योग के साथ बेक टू बेक प्रबन्ध के अन्तर्गत की गई थीं।

(ग) घरेलू उपलब्धता और मांग स्थिति का हिसाब लगाने के बाद उचित समय पर कच्चे जूट के आयात के प्रश्न पर विचार किया जाता है। तथापि, अगले मौसम के लिए निश्चित उत्पादन अनुमान जोकि ऐसे निर्णय लेने के लिए अनिवार्य हैं, अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कच्चे जूट की वर्तमान विश्वव्यापी कमी तथा लगातार चार कम फसलों के संदर्भ में, वर्तमान समय को बफर स्टाक बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया है।

मछुवारों के लिए दुर्घटना बीमा

7197. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने मछुवारों के लिए दुर्घटना बीमा का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। उड़ीसा में मछेरा सहकारी समिति के सदस्य मछेरों के दुर्घटना बीमा के लिए राष्ट्रीय मछेरा सहकारी संघ लिमिटेड के माध्यम से उड़ीसा सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस योजना के अधीन, बीमा कंपनी को प्रति मछेरा 12 रुपए प्रतिवर्ष का प्रीमियम देय होगा, जिसमें से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार क्रमश: रुपए 6/- और रुपए 5/- देगी और मछेरे को 1/- रुपया देना होगा। इस योजना में यह व्यवस्था रखी गई है कि दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या पूर्णरूप से स्थायी अपंगता होने पर रुपए 15,000/- का मुआवजा दिया जाए और एक अंग के नष्ट हो जाने पर या एक आंख अंधी हो जाने पर 7500/- रुपए दिए जाएं।

(ग) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपर बताए अनुसार बीमा कवच प्रदान किया गया है।

इंडोनेशिया में लेनदेन में इण्डियन ओवरसीज बैंक को हुआ घाटा

7198. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक को इंडोनेशिया में कतिपय संदिग्ध लेनदेनों मे बहुत भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक में इस धोखाधड़ी की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों तथा बैंक के प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या इस मामले की ओर आगे जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसे इंडोनेशिया में कतिपय संदिग्ध लेनदेनों में कोई भारी घाटा नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

छोटे, लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रुई का निर्यात

7199. श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन देशों को छोटे, लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रूई का निर्यात किया;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में किस्मवार कितनी मात्रा और कितने मूल्य की रूई का निर्यात किया गया;

(ग) लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रूई की वर्ष 1985-86 के दौरान निर्यात की क्या संभावनाएं हैं और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) रूई उगाने वाले देशों में इस समय लम्बे और अधिक लम्बे रेशे वाली रूई के क्या भाव हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत कुछ वर्षों के दौरान भारत की रूई का निर्यात निम्नलिखित देशों को किया गया :—

अल्जीरिया, आस्ट्रिया, बंगलादेश, बेल्जियम, बुल्गारिया, चीन (ताईवान), चीन (मुख्य भूमि), चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी (पश्चिम), ग्रीस, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया (उत्तर), कोरिया (दक्षिण), मलयेशिया, ओंजाम्बीक, मोरक्को, नेपाल, फिलीपीन, पुर्तगाल, रूमानिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, ट्यूनिशिया, थाइलैंड, ब्रिटेन, सं०रा० अमरीका तथा सोवियत संघ ।

(ख) वर्ष 1983-84 (सितम्बर, 83 से अगस्त, 84) के दौरान भारतीय रुई के निर्यातों की मात्राएं तथा मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

	मात्रा (लाख गांठों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
स्टेपल रूई	2.88	81·56
बंगला देशी	0·33	8.99
पीली पीकिंग्स	0·13	2·56
गैर रेशा	0·20	5·25
योग	3.54	98·36

1984-85 रूई वर्ष के दौरान अप्रैल, 85 तक निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :—

मात्रा (लाख गांठों में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
0·24	10·12

इस समय श्रेणीवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) देश में रूई स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जो मात्राएं घरेलू आवश्यकताओं से वेशी समझी जाती हैं उन्हें निर्यात के लिए रिलीज किया जाता है। तथापि, भारतीय रूई अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार की जाती हैं और भारतीय रूई की मांग बढ़ रही है। निर्यातक अभिकरण निर्यात बिक्रियों से सर्वोत्तम की गत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और बहुत से देशों में बिक्री करने में सफल रहे हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूई की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

देश	स्टेंपल लम्बाई	अमरीकी सैन्टम/ पौंड
लम्बे स्टेंपल		
अमरीकी मैम्पनिस टरमिड	1-3/32"	76·75
अमरीकी गानिफ/अकाला	1-1/8"	79.25
मैक्सीकन मिड	1-3/32"	69.25
कोलाम्बियन मिड	1-3/32"	67.00
पेरागयान मिड	1-3/32"	64·50
टर्किश इजमिह मिड	1-3/32"	71.50
अतिरिक्त लम्बी		
इजिस्पशन गिजा 45	1-9/32"	165.30
इजिस्पशन गिजा 77	1-9/32"	153·20
पिरूविआन पीमा	1-9/16"	121.40

वित्तीय नीति के बारे में आबिद हुसैन समिति की सिफारिशें

7200. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबिद हुसैन समिति के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान विक्रेता बाजार को क्रेता बाजार में परिवर्तित करने हेतु अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार सहित एक ऐसी दीर्घकालीन नीति सरकार के विचाराधीन है, जिसमें वस्तुएं उपभोक्ताओं को बहुत सहज रूप में उपलब्ध होंगी;

(ख) आबिद हुसैन समिति के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और नई वित्तीय नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की रूप रेखा अभी निर्माण की प्रक्रिया में है । आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट में व्यापारिक नीति पर विचार किया गया है और इसमें दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के विषय में सीधे विचार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है । इसलिए, इसकी विषय-वस्तु को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में रह गई संपत्तियों के लिए मुआवजा

7201. श्री देवी घोसाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में रह गई संपत्तियों के लिए मुआवजा का दावा करने हेतु दिए गए आवेदनपत्रों के शीघ्र निपटान हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) अब तक कितने आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं;

(घ) अब तक कितने आवेदनपत्र निपटाये जा चुके थे;

(ङ) 31 मार्च, 1985 तक कितने आवेदन पत्र लंबित थे;

(च) चालू वर्ष 1985-86 के दौरान कितने आवेदन पत्रों के निपटाए जाने की सम्भावना है ;

(छ) उपर्युक्त (ख) और (च) में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ज) ऐसे आवेदनपत्रों का अलग-अलग स्थान पर निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सरकार, भारत-पाकिस्तान संघर्ष 1965 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में रह गई परिसंपत्तियों के विरुद्ध मुआवजे सम्बन्धी बिना निपटाये दावे के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए कदम उठा रही है ।

(ख) प्रगति चालू वर्ष 1985-86 के दौरान प्रतिफलित होगी ।

(ग) 53,549 ।

(घ) अभी तक 380840 दावों के मामले निपटाए गये । इनमें से 14,181 मामलों में भुगतान कर दिया गया है ; 24,659 दावों को समाप्त समझा गया है ।

(ङ) 14,709 दावे लंबित हैं ।

(च) चालू वर्ष 1985-86 के दौरान अधिक से अधिक दावें निपटाने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

(छ) मार्च, 1985 तक 57.35 करोड़ रु० की राशि वितरित की जा चुकी है ।

(ज) दावों के सत्यापन तथा कलकत्ता में दावों के भुगतान के कार्य को संघटित करने के लिए दावों का भुगतान बम्बई से कलकत्ता अन्तरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गनाइजेशन को भारत कोकिंग कोल के साथ विलय

7202. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गनाइजेशन, जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के अधीन था, का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों को जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की फर्मों के अधीन थे, अभी भी अपना विकल्प प्रस्तुत करना है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को बन्द करने और प्रत्येक इस्पात संयंत्र के लिए अलग प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव

7203. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को बन्द करने और प्रत्येक

इस्पात संयंत्र के लिए अलग प्राधिकरण स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी नियम

7204. श्री मदन पांडे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कोई नियम और विनियम बनायें हैं और यदि हां, तो क्या उनके क्रियान्वयन के लिये कोई अभिकरण भी गठित किया गया है ; और

(ख) क्या इन नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उन्हें क्रियान्वित कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सरकार से परामर्श करने के पश्चात् सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम 31 दिसम्बर, 1984 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे बैंकों के स्टाफ के लिए पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था की गयी थी। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसके बाद इन विनियमों को अपनी सेवा सम्बन्धी शर्तों के अभिन्न अंग के रूप में अपना लेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संचालन के समस्त पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुपालन न सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर

7205. श्री मदन पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बैंकों और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण बैंकों में काम कर कर रहे कर्मचारियों के वेतनमान में कोई अन्तर ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनके वेतनमान में समानता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का पारिश्रमिक, राज्य सरकार तथा संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिसूचित क्षेत्र में समतुल्य स्तर और पद के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सरकारों के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे अलग-अलग हैं, अतः इन दोनों राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों में अंतर होना बिल्कुल स्वभाविक है। सरकार का, अलग-अलग राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार नहीं है।

प्रत्यायोजित बैंकों के अधिकारियों की नियुक्ति

7206. श्री मदन पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यायोजित बैंकों के अधिकारियों की किसी एक स्थान पर नियुक्ति के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का पालन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीक बैंक के प्रायोजक बैंक का यह कर्तव्य है कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पहले पांच वर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती और कार्मिकों के प्रशिक्षण के रूप में अपने द्वारा प्रायोजित बैंक की सहायता करें और प्रायोजक बैंक तथा संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच परस्पर-सम्मत रीति के प्रबन्धकीय और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष प्रायः तीन वर्ष के लिए प्रायोजक बैंकों के प्रतिनियुक्ति पर रखे जाते हैं। प्रायोजक बैंकों के प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने वाले अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की गई है। ये अधिकारी प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कोचीन को "ख" वर्ग के शहर के रूप में घोषित करना

7207. पी० के० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कोचीन शहर को "ख" शहर के रूप में घोषित करने का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निकट अतीत में कोई ऐसा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । नगरों का वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना से व्यक्त हुई जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । इस प्रकार का पिछला वर्गीकरण 1981 की जनगणना के आधार पर फरवरी, 1983 में किया गया था । 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कोचीन नगर की जन जनसंख्या 5, 13, 249 है । तदनुसार इसे ख-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है । जनसंख्या मानदंड के आधार पर कोचीन नगर ख-1 स्तर का पात्र नहीं है ।

वित्तीय वर्ष का बदला जाना

7208. कुमारी पुष्पा देवी
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही
डा० जी० विजय रामा राव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष को वर्तमान अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसम्बर किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम तक उठाने का विचार है ; और

(ग) वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसम्बर किए जाने के क्या कारण है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष में परिवर्तन सम्बन्धी समिति द्वारा सरकार का 27 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सिफारिशों की एक प्रति आज सभा-पटल पर अलग से रखी जा रही है । सरकार द्वारा रिपोर्ट पर अभी विचार किया जाना है ।

मलेशिया द्वारा भारत से लौह अयस्क का आयात

7209. कुमारी पुष्पा देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया का भारत से लौह अयस्क खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो मलेशिया का विचार भारत से प्रतिवर्ष कुल कितने टन लौह अयस्क का आयात करने का है ;

(ग) क्या मलेशिया को लौह अयस्क का निर्यात 1985-86 के वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जाना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) मलयेशिया भारत से लगभग 30,000 मे० टन लौह अयस्क आयात करता है ।

(ग) और (घ) गत कुछ महीनों के दौरान मलेशिया में दो और इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया है । इन इस्पात संयंत्रों के लिए भारत से लौह अयस्क की सप्लाई की संभाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है ।

खनिज और धातु व्यापार निगम का कार्य निष्पादन

7210 श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्य-निष्पादन की वर्ष 1984-85 के दौरान पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम ने उपरोक्त वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया ;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने भारत और विदेशों में उत्पादन के क्षेत्रों के विशाखन की नीति अपनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो 1985-86 में इस सम्बन्ध में चलाया जाने वाला प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1984-85 के दौरान निगम ने 2763 करोड़ रु० का कारोबार किया, जो कि 1834 करोड़ रु० के बजट गत कारोबार से लगभग 50 प्रतिशत अधिक था । निर्यात 372 करोड़ रु० के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष हुए 274 करोड़ रु० के निर्यातों से 36% अधिक रहा निगम का गैर-सारणीबद्ध व्यापारिक कारोबार वर्ष के दौरान 42 करोड़ रु० के अभूतपूर्व उच्चतम स्तर पर पहुंच गया निगम ने जापान के साथ 10 मिलियन मे० टन लौह अयस्क की संविदा भी सम्पन्न की ।

(ग) तथा (घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम निर्यातों के संवर्धन के लिए और आयातों के प्रतिस्थापन के लिए, महत्वपूर्ण आयातों हेतु सप्लाइयों के विश्वसनीय दीर्घावधि साधनों

की नीति अपनाता रहा है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जयपुर में पन्ना संशोधन एकक स्थापित किया गया है। इसी प्रकार की सम्भावनाओं का निरन्तर पता लगाया जा रहा है।

केरल में हरिजन विकास बैंक आरम्भ करने का प्रस्ताव

7211. श्री पी० ए० एंटनी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अथवा अन्य किसी स्थान में एक हरिजन विकास बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय

7212. श्री पी० ए० एन्टनी
श्री देवी घोसाल } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार, उन तीन बैंकों के अतिरिक्त, जिन्हें अप्रैल में ऋण का भुगतान करने की मोहलत दी गयी थी ; गैर-सरकारी क्षेत्र के किन्हीं और बैंकों की राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रबड़, गरी, नारियल के तेल तथा मसालों के आयात का केरल की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

7213. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी इस बात का अध्ययन किया है कि रबड़, गरी, नारियल के तेल जैसे व्यापारिक उत्पादों तथा लौंग, जयफल आदि जैसे मसालों का आयात करने से केरल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) केरल को होने वाले इस प्रकार के घाटों की क्षतिपूर्ति के लिए भविष्य में क्या विशेष कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार मांग और सप्लाई में अन्तर को समाप्त करने के लिए ऐसी वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा का आयात करने उपजकर्ताओं और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर ध्यान देती है और उनकी रिलीज ऐसी कीमतों पर की जाती है जो उपजकर्ताओं के लिए लाभकारी स्तर पर आन्तरिक बाजार कीमत को नियन्त्रित करने में सहायक होती हैं।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंकों के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7214. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में गत 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे अनेक कर्मचारियों का स्थानान्तरण बैंक की स्थानांतरण नीति के अनुसार नहीं किया गया है;

(ख) दिल्ली में ऐसे कर्मचारियों की उनके संवर्ग समेत संख्या क्या है और उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के कई कर्मचारी ऐसे हैं, जैसे कि दिल्ली के लगभग 35 अधिकारी, जो 10 से 15 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं। बैंक ने उक्त विषय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में आवश्यक तबादले करने के लिए कारगर कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ का आयात

7215. श्री पी० ए० एंटनी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान कितने रबड़ का आयात किया गया; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान कितना आयातित रबड़ जारी किया गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1985 के दौरान अभी तक 10,400 मे० टन मात्रा आयात की गई है और अन्य 5,000 मे० टन के लिए संविदाएं की गई हैं। चालू कलैण्डर वर्ष के दौरान उद्योग मात्रा रिलीज की गई है।

रबड़ के लिए छिड़काव करने संबंधी राज सहायता देने की योजना

7216. श्री पी० ए० एंटनी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रबड़ के लिए छिड़काव करने संबंधी राज सहायता देने की योजना को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक फिर जाने की संभावना है; और

(ग) इस मद पर इस वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जाएगी।

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल के निर्यात से आय

7217. श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए चावल की मात्रा तथा उसका मूल्य क्या है;

(ख) आयतकर्ता देशों में चावल की मध्यम, अच्छी, अत्यन्त अच्छी किस्मों का मूल्य क्या है; और

(ग) चावल का अधिक निर्यात करने तथा अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। संकलित अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, 1983-84 के दौरान बासमती चावल का निर्यात 141,664 मे० टन मूल्य 96.12 करोड़ रु० का था। 1984-85 के दौरान, बासमती चावल का निर्यात 241.785 मे० टन मूल्य 163.03 करोड़ रु० के होने का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) चावल की भिन्न-भिन्न किस्मों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत निम्नलिखित अनुसार है :

(1) अमरीकी लम्बा दाना

10% टूट वाला	—	615 पौंड सी०आई०एफ० प्रति मे० टन यू०के० पत्तनों पर
(2) थाई* : 5% टूट वाला	—	अमरीकी डालर 220 प्रति मे० टन
टूट ए-1 बढ़िया	—	अमरीकी डालर 177 प्रति मे० टन
सेला—5% टूट वाला	—	अमरीकी डालर 227 प्रति मे० टन

* एफ०ओ०बी० बिना भराई (100 कि०ग्रा० के बोरे) प्रति० मे० टन, थाई बोर्ड आफ ट्रेड प्राइसेज ।

स्रोत: पब्लिक लेजर दिनांक 4 मई, 1985 ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती चावल और चावल की कतिपय अन्य किस्मों की अच्छी मांग है । मात्राओं की उपलब्धता को देखते हुए निर्यातों का संवर्धन किया जा सकता है ।

उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में मारे गए छापे

7218. श्री आनन्द सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा जनवरी, 1985 से अब तक बम्बई में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और कितने मूल्य के काले धन और कर अपवंचन का पता चला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1985 के पहले चार महीनों अर्थात जनवरी, 1985 से अप्रैल, 1985 के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में 232 मामलों का पता लगाया जिसमें लगभग 19.46 करोड़ रु० के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के अन्तर्ग्रस्त होने का अनुमान है । इसी अवधि के दौरान, पूर्ण रूप से तस्करी के मामलों के अलावा न्यून मूल्यांकन का पता लगाने के लिए सीमा शुल्क संबंधी तलाशियां ली गई थी और इसके परिणामतः लगभग 2.39 करोड़ रु० से शुल्क अपवंचन का पता लगा । इसी अवधि के दौरान, आयकर के संबंधित प्राधिकारियों ने बम्बई में 436 तलाशियां लीं जिसके परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया लगभग 1.71 करोड़ रु० के मूल्य की लेखा बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गई ।

पटसन उद्योग को बचाने के लिए सिंथेटिक बनाने वाले एककों पर भारी करों के माध्यम से प्रतिबंध

7219. श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस सुझाव पर क्या विचार किया है कि पटसन उद्योग के संकट को दूर करने की दृष्टि से सरकार को सिंथेटिक थैलों का निर्माण करने वाले एककों के विकास को रोकने के लिए उनके द्वारा निर्मित सामान पर भारी कर लगाने चाहिए और अथवा पटसन के सामान पर से कर माफ कर देने चाहिए;

(ख) इस मामले में यदि कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है तो क्या; और

(ग) सिंथेटिक एककों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की तुलना में पटसन उद्योग पर इन करों का कितना बोझ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पटसन उद्योग में बताए गए संकट और इसको राहत प्रदान करने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों के भार का सबंध है पटसन उद्योग और सिंथेटिक थैला यूनिटों से होने वाली आय के बारे में लगाए जाने वाले कर की दरों में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक सिंथेटिक पटसन थैलों की तुलना में पटसन के सामान पर अप्रत्यक्ष करों के भार का संबंध है, इस सबंध में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

भारतीय मूल के ब्रिटिश राष्ट्रिकों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते

7220. श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में आवासीय परमिट के अन्तर्गत अस्थाई तौर पर रह रहे भारतीय मूल और भारत में जन्में ब्रिटिश राष्ट्रिकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते खोलने और रखने पर पाबंदी लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये पाबंदियां लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गयी है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे ब्रिटेन में अपनी सभी परिसम्पत्तियों को अंतरित करवायें और/अथवा ब्रिटेन के बैंकों में अपनी शेष राशि को वापस मंगवाएं; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों और परिपत्रों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों पर भारत में अपनी अस्थाई

यात्राओं के दौरान विदेशों से प्रेषित धनराशियों अथवा विदेशों से लायी गयी विदेशी मुद्रा से भारत में बैंकों के पास अनिवासी खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलरों की ऐसे खाते खोलने की सामान्य अनुमति दे रखी है। लेकिन खाताधारी के भारत लौटने पर नौकरी करने, व्यापार करने अथवा कोई धधा करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन से भारत में रहने की इच्छा होने पर अपने अनिवासी खाते को तुरंत निवासी खाते में बदलवाना होता है।

(ग) भारतीय मूल के ब्रिटिश राष्ट्रिकों को अपने पहुचने के तीन महीने के अन्दर-अन्दर अपनी विदेशी मुद्रा समर्पित करनी होती है/विदेशों में अपनी जमा राशियों/परिसंपत्तियों को नियंत्रण के सम्मुख घोषणा करनी होती हैं। लेकिन यदि वे निर्दिष्ट अवधि (चाहे जितनी भी हो) के लिए नौकरी करने अथवा 3 वर्ष की अवधि से अनधिक समनुदेशन के लिए भारत आये हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें विदेशी मुद्रा खाते रखने और उनका परिचालन करने की सामान्य अनुमति दी गयी है।

(घ) वर्ष 1977 में जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसरण में, भारत के, अथवा भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके पास भारत में अथवा विदेश में कोई विदेशी मुद्रा हो, अथवा तत्पश्चात उसके पास होनी हो, जो नेपाल अथवा भूटान की मुद्रा को छोड़कर किसी अन्य मुद्रा में वर्णित हो, इस आदेश की तारीख से एक महीना समाप्त होने से पहले अथवा उस व्यक्ति के मामले में, जो इसके बाद ऐसी विदेशी मुद्रा रखता हो, ऐसी विदेशी मुद्रा रखने की तारीख से एक महीने के अन्दर-अन्दर उसे रुपयों में अदायगी के लिए किसी अधिकृत डीलर को बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा अथवा करवायेगा जो उस समय उस विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में रूपांतरित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत दर पर की जाएगी, जिस विदेशी मुद्रा में वह राशि वर्णित की गयी हो।

लेकिन यह आदेश कतिपय निर्दिष्ट श्रेणियों पर लागू नहीं होते।

बिना जांच किये बैंक ड्राफ्ट जारी किया जाना

7221. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों अथवा नहीं, भारी कमीशन लेकर पार्टी की वास्तविकता की जांच किए बिना भारी राशि के बैंक ड्राफ्ट जारी करके काले धन में अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या काले धन में वृद्धि और कर अपवचन को रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बैंकों को उपर्युक्त अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक उन अनुदेशों का पालन कर सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि बैंक ड्राफ्ट जारी करके काफी हद तक काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक, एक सामान्य बैंक सुविधा के रूप में ड्राफ्ट जारी करते हैं और भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कमीशन लेते हैं।

स्टेपल किए और प्लास्टिक बैंड लगे करेंसी नोटों की गड्डियों में कम नोट होना

7222. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बैंक द्वारा दी गई स्टेपल किए और प्लास्टिक बैंड लगी करेंसी नोटों की गड्डियों में विश्वास में भुगतान लेकर काउंटर छोड़ने के बाद, गिन जाने पर नोट कम पाए गए;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कम नोट मिलने पर उनका दावा करने की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) कम संख्या में नोट स्टेपल किए जाने के क्या कारण हैं और इस प्रणाली में संभावित धोधाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय और करेंसी चैस्ट अपने ग्राहकों और जनता को, जो उनसे भुगतान या विनिमय के रूप में नोट या नोटों की गड्डियां लेते हैं बैंक के काउंटर छोड़ने से पहले, प्राप्त किए गए नोटों की सत्यता की जाच करने की युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करते हैं अत: बैंकों से नोट लेने वालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे काउंटर छोड़ने से पहले नकदी की सत्यता की जांच करें और यदि कोई कमी या त्रुटि पाई जाए तो उसे दूर करने के लिए तुरन्त बैंक अधिकारियों को बताएं। ऐसे मामलों में कमी को फोरन दूर कर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता और बाद में कोई त्रुटि पाई जाती है तो असंतुष्ट पार्टी को चाहिए कि मामले को त्रुटिपूर्ण गड्डी के साथ जांच के लिए बैंक की सम्बद्ध शाखा के साथ उठाएं। लेकिन, ऐसे मामलों में बैंकों से इस आधार पर कमी की जिम्मेदारी लेने की अपेक्षा नहीं की जाती कि असंतुष्ट पार्टी काउंटर छोड़ने से पहले त्रुटि नहीं बता पाई क्योंकि स्टेपल की गई गड्डी के साथ बैंक के बाहर छेड़छाड़ से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, दावों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है।

नोट मुद्रणालयों में, नोटों की गड्डियों में संख्या की विभिन्न स्तरों पर जांच/पुन: जांच की जाती है। लेकिन, मानवीय और यांत्रिक कारणों से, किसी विरले मामले में, नोटों की किसी गड्डी में बहुत कम संख्या में नोट कमती-बढ़ती हो सकते है। मुद्रणालय और रिजर्व बैंक अपना भरसक प्रयत्न करते हैं कि ऐसी घटती-बढ़ती नजर से बच न पाए।

सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों को संचयी हानियां

7223. श्री भोलानाथ सेन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रबंधकों अथवा स्वामियों को इन यूनिटों को चलाने में आगे कोई भूमिका निभाने से रोकने और अथवा उन पर भारी जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव है जिनकी निवल पूंजी उनकी अभी तक की संचयी हानि के कारण शून्य अथवा लगभग शून्य है अथवा आगे ले जाई गयी हानियां उनकी निवल पूजी से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का उन कंपनियों के मामलों में क्या कदम उठाने का विचार है जहां निवल पूंजी परिसंपत्तियों का मूल्य पुर्नमूल्यांकन करके अथवा बिक्री द्वारा अथवा वित्तीय कार्यनिष्पादन में किये बिना सुधार विशेष आरक्षित निधि बनाकर समायोजित किया गया है; और

(घ) इस प्रकार की सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की राज्यवार और उद्योगवार आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्रबंध, निवल संपत्ति आदि सहित औद्योगिक ऋणतर के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए सरकार इस समय एक कानून पर विचार कर रही है।

(घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से उस ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती जिस तरह प्रश्न में पूछी गयी है।

उद्योगों को आधुनीकीकरण सहायता देने की योजना

7224. श्री डी० बी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को आधुनीकीकरण सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83, 198384 और 1984-85 में कुल कितनी आधुनीकीकरण सहायता मंजूर की गई;

(ग) इस सहायता की पात्रता के लिए मानदंड क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत ऋण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है;

(ङ) 4 करोड़ से कम राशि के और 4 करोड़ से अधिक राशि के ऋणों पर किस दर पर ब्याज वसूल किया जाता है; और

(च) 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कितनी कम्पनियों और व्यक्तियों को 25 लाख रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किये गये तथा ऐसे प्रत्येक मामले में ऋण की राशि क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए चलाई जा रही उदार ऋण स्कीम के अंतर्गत आधुनिकीकरण सहायता प्रदान करती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत इन संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई और संवितरित आधुनिकीकरण सहायता के संबंध में वर्ष-वार यथा उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	वर्ष (जुलाई-जून)	मंजूर राशि	संवितरित राशि
आई०डी०बी०आई०	1982-83	29.51	59.49
	1983-84	53.84	42.91
	1984-85 (मार्च तक)	122.00	23.50
	वर्ष (अप्रैल-मार्च)		
आई०एफ०सी०आई०	1982-83	8.59	35.31
	1983-84	27.86	25.68
	1984-85	55.10	22.12

आई० सी० आई० सी० आई०

दिसम्बर, 1983 तक की तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने 227.04 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी और उसमें से 177 76 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की थी।

(ग) स्कीम के अधीन उत्पादन एककों को आधुनिकीकरण का वित्तपोषण करने के लिए जो सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसका उद्देश्य मुख्यतः संसाधन, प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद का स्तर ऊंचा करना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात प्रतिस्थापन करना, ऊर्जा की बचत, वर्तमान क्षमता के अन्दर-अन्दर क्षमता के उपयोग में सुधार करना, बिरल कच्चे माल और अन्य निवेश्य वस्तुओं का प्रतिस्थापन करना आदि है। इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने का पात्र

औद्योगिक एकक सरकारी या प्राइवेट लि० कम्पनी या औद्योगिक सहकारी एकक होना चाहिए और कम से कम पिछले 10 वर्ष से चल रहा होना चाहिए।

(घ) स्कीम के अधीन सहायता आवश्यकता पर आधारित होती है।

(ङ) प्रति कंपनी 4 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 11.5% वार्षिक की रियायती ब्याज दर (कमजोर एककों के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक) लागू होती है। 4 करोड़ रुपए से ऊपर के ऋणों पर 14 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य ब्याज दर ली जाती है।

(च) उन कंपनियों की संख्या के, जिन्हें 25 लाख रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए गए हैं, तत्काल उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	आई०डी०बी० आई० (जुलाई-जून)	आई०एफ०सी० आई० (अप्रैल-मार्च)	वर्ष	आई०सी०आई०सी० आई० (जनवरी-दिसम्बर)
1982-83	24	9	1982	29
1983-84	42	30	1983	30
1984-85	29 (मार्च तक)	57	1984	41

सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों और सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वशनीयता तथा गोपनीयता के प्रति बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुसार संस्थाओं से सहायता प्राप्त किसी ग्राहक के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अतः अलग-अलग एककों को दी गई ऋण राशि का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

जेनेवा की यात्रा पर गये अधिकारियों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

7225 श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर से दिसम्बर, 1984 के दौरान कितने अधिकारियों ने जेनेवा की यात्रा की ;

(ख) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था और उन्हें विदेशी मुद्रा में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनमें से कितने अधिकारियों ने वहां ठहरने की अपनी अवधि बढ़ा ली और उसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करना पड़ेगा। यह सूचना

एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा और उसका जो परिणाम निकलेगा, वह सूचना एकत्रित करने में लगे समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

उड़ीसा में रबड़ की खेती की सम्भावनाएं

7226. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रबड़ की खेती की संभावनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये प्रयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में रबड़ की खेती के संबंध में किये गये अध्ययन में केन्द्र राज्य अथवा किसी अन्य संस्थान को शामिल किया गया है;

(घ) उक्त अध्ययन कब किया गया था; और

(ङ) उड़ीसा में रबड़ बागान लगाने की सम्भावनाओं के संबंध में क्या ब्यौरा है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) उड़ीसा में रबड़ उगाने की संभावनाओं का रबड़ बोर्ड द्वारा पहले 1965 और फिर 1983 में अध्ययन किया गया था । 1966-67 में राज्य सरकार के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कुछ चुनिन्दा स्थानों पर प्रयोग के रूप में रबड़ रोपण किया गया था । ऐसा पता चला था कि हालांकि रबड़ के लिए कृषि जलवायु स्थितियां ठीक नहीं हैं, फिर भी आवश्यक कृषि-प्रबन्ध पद्धतियां जैसे सीमित सिंचाई आदि से रबड़ की सफल खेती की जा सकती है ।

रबड़ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मयूरगंज, बालासोर, पुरी, कटक और धेनकनाल जिलों में अब सर्वेक्षण की गई कुछ दसयों हजार हेक्टर भूमि को रबड़ की सफल खेती के लिए विकसित किया जा सकता है ।

विदेशों में पूंजी निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां

7227. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में पूंजी निवेश किया गया है और किन देशों में किया गया है और प्रत्येक किस-किस भारतीय औद्योगिक घराने से संबंधित है;

(ख) उद्योग-वार पृथक रूप से उनकी कुल कितनी परिसंपत्तियां हैं और इसकी कुल तुलना में देश में ऐसे औद्योगिक घरानों की कुल परिसंपत्तियां कितनी हैं;

(ग) उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लाभ के रूप में कितनी राशि भारत भेजी है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी अन्य कंपनी ने विदेश में अपने एकक स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार से आवेदन किया है, यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार 26 भारतीय औद्योगिक गृहों की 43 भारतीय कंपनियों के 21 देशों में कार्यरत संयुक्त उद्यम है।

(ख) इन भारतीय कंपनियों की 1983 में कुल आस्तियां 3422.19 करोड़ रु० थी और जिन औद्योगिक गृहों की ये कंपनियां हैं उनकी कुल आस्तियां 10,067.65 करोड़ रुपये थीं। जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं। भारतीय कंपनियों की आस्तियों का उद्योग वार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) अब तक भारतीय कंपनियों से प्राप्त अपूर्ण लाभ के अनुसार उनके संयुक्त उद्यमों से स्वदेश प्रेषित लाभांश 1982 में 1806 लाख रु०, 1983 में 19.45 लाख रु० और 1984 में 6.50 लाख रु० थे।

(घ) और (ङ) प्रकाशित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कंपनियां फेरा के अन्तर्गत मुक्त रूप से अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध कर सकती हैं। यह सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में औद्योगिक गृहों की भारतीय कंपनियों को कोई विशेष सहायता नहीं दी जाती।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, यह असंगत है। आप पहले नियम पढ़े फिर सदन में आइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : पांच-पांच कम्युनिस्टों की हत्या गया जिले के घोषी गांव में की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : लीडरों की हत्याएं की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे और श्री यादव, आप लोगों को इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि यह राज्य सरकार का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : रोज मर्डर हो रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। श्री चौबे, चिल्लाइए नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल अनुमति नहीं है। गैर जिम्मेदार मत बनिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, श्री पूरर्णचन्द्र मलिक ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है। आपको उस पर अपना निर्णय देना है। आज वर्तमान सत्र का आखिरी दिन है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो सैशन का लास्ट डे है, पार्लियामेंट का लास्ट डे नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, लम्बित पड़े विशेषाधिकार प्रस्तावों के बारे में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र प्राकृतिक विपत्ति, तूफान, बवंडर आदि से तबाह हो गया है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल अनुमति नहीं है। असंगत। यह व्यवस्था का प्रश्न नही है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नही है। असंगत है, नामंजूर किया जाता है....व्यवस्था में नहीं है.....मै आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[**हिन्दी**]

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया है। राजस्थान में सोलर-एनर्जी पम्प्स की प्राइस बहुत ज्यादा है, जब तक इसकी प्राइस कम नहीं होगी..... ...

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। अब अल्प सूचना के प्रश्न का समय नहीं है। क्या आप महसूस नहीं कर सकते हो ? आपको यह महसूस करना चाहिए कि कोई बैठक नहीं होगी। आप संगत क्यों नहीं बन सकते हैं ? आप युवा है। आप को महसूस करना चाहिए कि कोई बैठक नहीं हो रही है। क्या बिना बैठक के प्रश्न किया जा सकता है ? कोई अनुमति नहीं दी जाती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[**हिन्दी**]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र से आया हूं। मेरे यहां पांच नेताओं की हत्या हुई है .....

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई बात है तो आप लिख कर दीजिए।

[**अनुवाद**]

उसके लिए आपका स्वागत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : उनके निर्वाचन क्षेत्र, जहानाबाद में उनके पांच आदमी जो मशीन-गन से लैस थे मारे गए।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे जानता हूं, यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। उनके पांच आदमी मारे गए हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका हो सकता है, यह मेरा हो सकता है लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता हूं। सभी सदस्य पूरे देश से निर्वाचित हुए हैं। मैंने इसकी अनुमति कभी नहीं दी है। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में एक भी शब्द सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

यह बात गलत है, इस तरह से बात करने का कोई फायदा नही है।

[अनुवाद]

आपको नियम समझने चाहिए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कृपया अपने सदस्यों से कहिए कि ठीक तरह से व्यवहार करे। मैं इसे बिल्कुल पसद नही करता हूं। आपने मुझे लिखा था। आप जानते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न नही हो सकता, अभी किसी दिवस पर चर्चा नही हो रही है। आप व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं ? अनुमति नही दी जाती है।

[हिन्दी]

ऐसा करने से कोई फायदा नही है। कोई भी प्वाइंट आफ आर्डर हो तो रूल के मुताबिक चलता है। इस तरह से नही चलता है।

[अनुवाद]

इस बारे में कुछ नही। आपके सदस्य इस तरह से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुझे किसी भी तरह से पसन्द नही है। यह कोई तरीका नही है। आप लिख सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आज अंतिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? हमेशा अंतिम दिन होता है। मैं मदद नही कर सकता हूं। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं। इस तरह सदन की कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश मत करिए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

12.29 म० प०

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के विरुद्ध बोर्ड द्वारा प्रकाशित नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक में वर्णित अशुद्धता के लिए जिसमें विधान मण्डल को केन्द्रीय सरकार की एक शाखा बताया गया है, विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है। मैंने शिक्षा मंत्री जी को यह मामला तथ्य जानने के लिए भेजा था मुझे एक उत्तर मिला है जिसमें यह बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक में संशोधन किया जा रहा है और यह कि संशोधित पाठ्य पुस्तक अगले शैक्षिक सत्र से स्वीकृत की जाएगी।

मैं नियम 222 के अन्तर्गत सदन में विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की स्वीकृति नही देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संसद को सरकार के एक भाग के रूप में वर्णित करने के लिए बिना खेद प्रकट किए ही उसका संशोधन किया जा रहा है।

प्रो० मधु दंडवते : न्यायालय ने अपने विचारों को व्यक्त करने की कृपा की है। कम से कम आप अपना विनिर्णय तो दे। आपको संसद की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहिए और यह कहना कि संसद सरकार की शाखा नही है। जिस दिन यह सरकार की एक शाखा हो जाएगी उस दिन से हम इस संसद में बैठना ही पसंद नही करेंगे। कम से कम आप टिप्पणी क्यों नही करते ? न्यायालय ने इस इस पर शालीनता से टिप्पणी दी थी। कम से कम आपको इस टिप्पणी का समर्थन तो करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जो मैंने कहा यह वही है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने वह नही कहा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह कहा है। न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इसका संशोधन किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ किया वह यही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि प्रो० दंडवते ने इसको नही उठाया होता तो पाठ्य पुस्तक बिना संशोधन के पढ़ाई जा रही होती।

प्रो० मधु दंडवते : आप उस संदर्भ का उल्लेख कर सकते थे जिसे न्यायालय ने बताया है कि यह कहना गलत है कि संसद, सरकार की एक शाखा है और न्यायपालिका सरकार की एक शाखा है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संसद एक दूसरे का नियंत्रण करते हैं। पाठ्यपुस्तक में इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण वर्णन है और आप अपनी असहमति प्रकट नहीं कर रहे हैं। मैं कोई कार्रवाई नही चाहता हूं। मैं कम से कम संसद को सरकार की एक शाखा के रूप में वर्णन करने के बारे में आपका स्पष्ट निरनुमोदन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ किया है यह वही है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप नही जानते हैं। उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह कोई गलती नहीं है। मै इसे इसलिए लाया हूं क्योंकि उन्होंने 'लोक सत्ता' में लिखा है कि यह कोई गलती नहीं है और अगले अंक में वही छापा जाएगा। अब कहीं वह गलती स्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मै सहमत हूं। मै जानता हूं.....(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : आपको यह कहना चाहिए कि यह गलत है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए। न्यायालयों ने यह कहा है। लेकिन अध्यक्ष जो हमारी संसद की रक्षा नहीं करते हैं। महोदय, यह क्या है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सर्वोपरि है। इसकी कोई समस्या नहीं है। हम अलग हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इसे कहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही कह दिया है और मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम अपनी संसद की प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**) महोदय, 100 वर्षों के बाद आपके निर्णय को उद्धत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मै सहमत हूं। मैंने इसी का समर्थन किया हैं, श्री वी० पी० सिंह।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने विशेषाधिकार के तीन प्रस्तावों की सूचना दी है। महोदय, आपने एक का भी उल्लेख नहीं किया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है। हर चीज समय लेती है। इसमें जल्दबाजी मत करिए। कोई बात नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, सदन स्थगित होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : सदन स्थगित होगा। लेकिन हम अभी भी यहां है। हम इसे लेंगे। चिन्ता मत करिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप उनके प्रस्ताव को मेरे साथ मिला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.33 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्तीय वर्ष में परिवर्तन संबंधी समिति के निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मै वित्तीय वर्ष में परिवर्तन संबंधी समिति द्वारा सरकार को 27 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत किये गये उसके प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट निष्कर्षों और सिफारिशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—961/85]

बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम सीमित वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम सीमित, पटना के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम, सीमित, पटना, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 962/85]

दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारणों का विवरण और कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सडक परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-963/85]

(3) (एक) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के वर्ष 1983-84 के कार्यसरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-964/85]

साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 तथा भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण आदि

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-965/85]

(ख) (एक) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस सीमित, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-966/85]

(3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपयुक्त 3 में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाल एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-967/85]

पश्चिम बंगाल वन विकास निगम सीमित के वर्ष 1977-78 और 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एव इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री बीर सेन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम सीमित के वर्ष 1977-78 और 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम सीमित का वर्ष 1977-78 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तत्संबधी टिप्पणियां ।

(तीन) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम सीमित का वर्ष 1978-79 संबधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सख्या एल० टी०-968/85

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985; आयल पाम इंडिया सीमित का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों को समय पर सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, कृषक भारती कोआपरेटिव सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, आदि

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 458 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-969/85]

(2) आयल पाम इंडिया सीमित के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-970/85]

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-971/85]

(5) (एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी समिति महासंघ सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी समिति महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा ससीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-972/85]

भारतीय रूई निगम सीमित, बम्बई के वर्ष 1983-84 के, भारतीय हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम, सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के, भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगस सीमित, नईदिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा उनके वार्षिक प्रतिवेदन आदि

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय रूई निगम सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय रूई निगम सीमित, बम्बई, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 973/85]

(ख) (एक) भारतीय हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम, सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-974/85]

(ग) (एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम सीमित, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-975/85]

(घ) (एक) भारतीय पटसन निगम सीमित कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण।

(दो) भारतीय पटसन निगम सीमित, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) से (घ) तक में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-976/85]

(3) (क) (एक) अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद, के वर्ष 1984-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 977/82]

(दो) दक्षिण भारत कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 978/85]

(तीन) उत्तर भारत कपडा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी बार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 979/85]

(चार) बम्बई कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(ख) अहमदाबाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद, दक्षिण भारत कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर, उत्तर भारत कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद तथा बम्बई कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-980/85]

(5) (एक) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-981/85]

(7) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति ।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति सीमित, बम्बई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-982/85]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं, विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विवरण संख्या 26—पांचवां सत्र, 1981 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-983/85]	सातवीं लोक सभा
(2) विवरण संख्या 11—बारहवां सत्र, 1983 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-984/85]	
(3) विवरण संख्या 9—तेरहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-985/85]	
(4) विवरण संख्या 8—चौदहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-986/85]	
(5) विवरण संख्या 4—पन्द्रहवां सत्र, 1984 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-987/85]	
(6) विवरण संख्या 3—पहला सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-988/85]	आठवीं लोक सभा
(7) विवरण संख्या 1—दूसरा सत्र, 1985 [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-989/85]	

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970; सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944, के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9

की उपधारा (5) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) योजना, 1985 जो 27 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 368 (अ), में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) योजना, 1985 जो 27 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 369 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-990/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 405 (अ), (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 7 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रेलिया के डालरों को भारतीय मुद्रा में अथका भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलिया के डालरों में बदलने की विनियमय दरों के बारे मे हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-991/85]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 8 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 414 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-992/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 407 (अ) से 413 (अ) तक और 415 (अ), जो 8 मई, 1985 के भारत के राजपत्र से प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त विधेयक, 1985 पर विचार किये जाने प्रक्रम के समय वित्त मंत्री द्वारा 8 मई, 1985 को लोक सभा में घोषित उत्पाद-शुल्कों में रियायतों के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 416 (अ) और 417 (अ), जो 9 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो इलैक्ट्रोनिक वाल्वों और ट्यूबों, ट्रांजिस्टरों तथा सब-कण्डक्टर डायडो तथा अन्य

सेमी-कण्डक्टर यंत्रों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-993/85]

(5) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा *समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-994/85]

इलायची व्यापार निगम सीमित, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : —

(एक) इलायची व्यापार निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलायची व्यापार निगम सीमित, बंगलौर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-995/85]

हिन्द-महासागर में खनिजों की खोज संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या 6613 के दिनांक 15.5.85 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विज्ञान ओर प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं हिन्द-महासागर में खनिजों की खोज के बारे में श्री मोहन लाल पटेल द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 6613 के 15 मई, 1985 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने बाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-996/85]

*वार्षिक प्रतिवेदन 22 मार्च, 1985 को सभा पटल पर रखा गया ।

योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद के वर्ष 1983-84 के लेखापरीक्षित लेखों; राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1983-84 के तथा आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(35) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद के वर्ष 1983-84 के लेखापरीक्षित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 997/85]

(36) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी प्रतिवेद तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-998/85]

(37) आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-999 85]

———

12.34 म० प०

वित्तीय समितियां—एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं, वित्तीय समितियां, 1984— एक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1000/85]

———

विधेयक पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं, 26 अप्रैल, 1985 को सभा को सूचित करने के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (51वां संशोधन) विधेयक, 1984 की प्रति, राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित, सभा पटल पर रखता हूं।

———

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : इस विषय-सूची में आपने आतंकवाद-विरोधी विधेयक के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। क्या इसे पेश किये जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्रीमन। एक अनुपूरक कार्य-सूची परिचालित की जाएगी।

———

12.35 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) बिहार में, सोन नहर प्रणाली के कार्य को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकहित के अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री का ध्यान लोक सभा के अधिनियम की धारा 377 के अन्तर्गत आकृष्ट करना चाहता हूं।

बिहार राज्य में सोन कैनाल सिस्टम ब्रिटिश काल में निर्मित हुआ था। इसके रोहताश, भोजपुर, औरंगाबाद, गया तथा पटना जिलों की सिंचाई का काम लम्बी अवधि से होता आ रहा है। इस नहर से लगभग लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। रोहताश जिला बिहार का खाद्य भण्डार या खाद्यान्न क्षेत्र माना जाता है परन्तु बीसों वर्ष से मुख्य नहर तथा उसके राजवाहा (ब्रांच कैनाल) की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। सभी नहरों में पर्याप्त मात्रा में सिल्ट (काई) जम गयी है। मुख्य नहर जो डेहरी-ओन-सोन से आरा, बक्सर पटना जाती है और उसके सैंकड़ों राजवाहा टूट-फूट या ध्वस्त हो गये हैं जिसको बनाने में राज्य सरकार आर्थिक दबाव के कारण असफल रही है। डेहरी ओस-सोन जलाशय से जो पानी जाता है, आरा बक्सर और पटना तक

वह पहुंच नहीं पाता और रास्ते में ही पानी बरबाद हो जाता है। पिछले छः सात वर्ष की अवधि में बिहार सरकार ने इसकी मरम्मत और किनारे-किनारे पक्की दीवार, सिल्ट की सफाई और नहर पर सड़क बनाने के लिए एक बड़ी योजना भारत सरकार को दी है। भारत सरकार ने विश्व-बैंक की सहायता से इस योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। पिछले अनेक वर्षों से नहरी प्रणाली की दयनीय स्थिति होने के कारण किसानों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर के निचली भाग के किसानों की फसल बराबर नष्ट हो जाती है। बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार की अनुकम्पा से और विश्व बैंक की सौजन्य से 1200 करोड़ की राशि उपलब्ध होने वाली है और इस वित्तीय वर्ष से यह राशि उपलब्ध करायी जाएगी और आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह कार्य सम्पन्न हो जाएगा।

मैं भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री और योजना मन्त्री से अनुरोध और अपील करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस योजना का काम चालू हो ताकि आगे आने वाले दिनों में बिहार के पश्चिमी भाग में रहने वाले किसानों को लाभ मिल सके और अच्छी फसल उगा कर किसान अपनी खुशहाली के साथ-साथ देश में खुशहाली उत्पन्न कर सके।

(दो) पूर्वी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए 7वी पंचवर्षीय योजना में धन का विशेष आबंटन

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा राज्य तो है ही, प्रदेश के अन्दर भी क्षेत्रीय विषमताएं बहुत अधिक हैं। विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को पांच भागों में बांटा जा सकता है :—

(1) पूर्वी उत्तर प्रदेश

(2) बुन्देलखण्ड

(3) पहाड़

(4) मध्य उत्तर प्रदेश, और

(5) पश्चिमी उत्तर प्रदेश

इन सब भागों में पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है जब कि 1978-80 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी 659 रुपये थी, मध्य उत्तर प्रदेश में यह आमदनी 625 रुपये थी, बुन्देलखण्ड में 663 रुपये थी, पहाड़ में 855 रुपये थी, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी 487 रुपये थी। यह पूरे उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी से 111 रुपये कम थी और पूरे देश की औसत आमदनी से 743 रुपये कम थी। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बेरोजगार हैं उनकी आधी संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी केवल 37 प्रतिशत है।

जब तक केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यहां के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। अपने सीमित साधनों के कारण राज्य सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था नहीं कर सकती।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आये दिन अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं की चपेट में रहते-रहते, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते-करते और विकास की कोई प्रभावकारी गति को न देखते, वहां के लोग हताश हो रहे हैं। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल की उसी प्रकार की समिति बनाई जाए जिस प्रकार की उप-समितियां जम्मू और काश्मीर के विकास के लिए तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए बनाई गई हैं।

(तीन) शारदा अधिनियम में संशोधन

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलेखित सूचना देता हूं :—

"देश में लाखों करोड़ों काश्तकार, खेतीहर मजदूर, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग जिनमें गौना (मुकलावा) होता है और वे आर्थिक कारणों के कारण कर्ज के बोझ से बचने के लिए एक ऐसा अवसर ढूंढते हैं या अक्षय तृतीया के दिन अपने कुटुम्ब के सभी बच्चों और बच्चियों का एक साथ विवाह कर देते हैं, चाहे वह नाबालिग हो या बालिग और उसी अवसर पर गंगाजली अपने पुरखाओं की याद में भी कर देते हैं तथा अपनी जाति या सम्प्रदाय के सभी लोगों को बुला कर उनका स्वागत करने में अपने गौरव का अनुभव करते हैं और सभी मिल कर अपनी जाति आदि की ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण भी कर लेते हैं और जब लड़की और लड़का 18-21 वर्ष की उम्र के क्रमशः हो जाते हैं, तभी उनका गौना कर दिया जाता है और लड़की तभी ससुराल जाती है। परन्तु इस चाइल्ड मैरिज एक्ट या शारदा कानून के रहने से कुछ सामाजिक तत्वों और कुछ बदले की भावना से प्रेरित लोगों को उसकी आड़ में उन गरीब काश्तकारों, मजदूरों आदि का शोषण करने व उन्हें परेशानी में डालने का अवसर मिलता है, ऐसी सूरत में इस कानून में अविलम्ब परिवर्तन की आवश्यकता है। कानून जनहित की रक्षा के लिए होता है। उसे परेशानी में डालने के लिए नहीं।"

(चार) कबीर और गुरूनानक जैसे संतों की वाणियों का प्रचार

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं "कि देश में चारों तरफ साम्प्रदायिकता तथा विलगाववादी तत्वों द्वारा वातावरण को विषाक्त किए जाने के फलस्वरूप सारे देश में यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमारे जिन सन्तों तथा

मनीषियों ने देश में साम्प्रदायिकता तथा अन्य निकृष्ट प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर देश में सहिष्णुता, प्रेम तथा सद्भावना के वातावरण का निर्माण किया था उनके विचारों उद्देश्यों तथा कार्यकलापों का व्यापक प्रचार किया जाए और ऐसे सन्त जैसे महार्षि दधीचि, सन्त कबीर, गुरूनानक, मलिक मुहम्मद जायसी एवं अन्य सन्तों के साहित्य का प्रचार तो हो ही, पर उनके डाक टिकट भी जारी किए जाएं ताकि सारे देश में सद्भावना का वातावरण निर्मित हो।"

(पांच) आगरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर यमुना नदी पर जवाहर पुल की मरम्मत

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि 'आगरा शहर में यमुना नदी पर निर्मित जवाहर पुल की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक मात्र पुल है जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग सं० 2 देहली से कलकत्ता एवं स्टेट हाई व आगरा-मेरठ के तमाम यातायात को अपने वक्ष-स्थल से गुजारता है और इस यातायात मे हजारों वाहन प्रतिदिन का होता है, इसके अलावा ट्रान्स यमुना क्षेत्र में आगरा नगर की आबादी एवं औद्योगीकरण में जो भारी वृद्धि हुई है उसके तमाम यातायात को सभालन का भी एक मात्र साधन यही पुल है।

यद्यपि इस पुल का उद्घाटन निर्माण पूरा होने के पश्चात् स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 मे किया था, किन्तु इसकी दशा अत्यन्त जर्जर एवं शोचनीय हो गई है। उदाहरण के लिए आधार स्तम्भों के ऊपर का सारा ढांचा दुर्दशाग्रस्त हो चुका है, सड़क भी टूटी हुई है, फुटपाथ के स्लैब जगह-जगह से निकल गए हैं, रेलिंग जगह-जगह से उखड़ गई है। पुल से गुजरने वाले लोगों को अक्सर अपनी सुरक्षा के संबध में भय लगने लगा है, यह सौभाग्य की बात है कि अभी तक कोई बस या ट्रक उछलकर नदी में नहीं गिरी है।

यह अत्यन्त नाजुक मसला है और इस सम्बन्ध में यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई, तो एक ओर दुर्घटनाएं घटित होने की आशंकाएं हैं, तो दूसरी ओर यदि पुल को आकस्मिक रूप से बंद किया गया, तो यातायात की स्थिति भीषण हायतौबा का रूप धारण कर लेगी। अतः केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय समय रहत यातायात में संभावित आशंका व खतरे को समय रहते अविलम्ब दूर करने की ओर कदम उठाए।

(छः) कोटा ताप विद्युत संयंत्र के इंजीनियरों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कर्मचारियों को दी जा रही सभी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मामला प्रस्तुत करता हूं कि "कोटा ताप विद्युत गृह में स्थापित होने जा रही दूसरी इकाई में विलंब हो रहा है और राज्य के विद्युत बोर्ड की ढुलमुल कार्य नीति के कारण यह इकाई जून 1987 तक बन कर तैयार नहीं हो सकेगी। 380 करोड़ की इस योजना पर सिर्फ 117 करोड़ अब तक

स्वीकृत हुए थे, जबकि अब इस योजना पर एक अरब 96 करोड़ खर्च होने चाहिए थे। योजना आयोग ने राज्य विद्युत बोर्ड को थर्मल की दूसरी इकाई के लिए एक अरब 96 करोड़ रुपए दिए थे जब कि राज्य विद्युत बोर्ड ने कोटा थर्मल को 117 करोड़ रुपए दिए। शेष 79 करोड़ रुपए बोर्ड ने अपने पास रखकर अन्य कार्यों पर खर्च कर दिए। उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। कोटा थर्मल में कार्यरत अभियन्ताओं की कार्यकुशलता से कोटा थर्मल को दो लाख रुपए का नकद पुरस्कार व शील्ड दी गई तथा भेल ने भी प्रथम वर्ष में रिकार्ड विद्युत उत्पादन हेतु कोटा थर्मल की प्रशंसा की है। मैं भारत सरकार व योजना आयोग से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को उपयुक्त आदेश हेतु मांग करता हूं तथा यह भी मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे कि कोटा थर्मल के अभियन्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए एन०टी०पी०सी० की सारी सुविधाएं उपलब्ध करावें।"

(सात) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के जल संसाधनों का उपयोग करने हेतु व्यापक और दीर्घकालिक योजनाएं

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, तत्काल विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए थरमल व गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के दीर्घकालीन हित को ध्यान में रखकर देश की हिमानी नदियों, जिनमें वर्ष भर समान पानी रहता है, उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता का दोहन भी आवश्यक है।

छठी पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत उत्पादन के महत्व को स्वीकार किया गया था, परन्तु वर्ष 1985-86 के बजट प्रस्तावों को देखने से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। मुझे आशंका है कि 7वीं योजना में भी शायद जल विद्युत उत्पादन को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जायेगा। कोयला व गैस के भंडार समाप्त हो सकते हैं, उनके दोहन में सावधानी आवश्यक है। साथ-साथ इनके संयंत्रों के रख-रखाव पर खर्च भी अधिक आता है। हिमानी नदियों की जल शक्ति कभी समाप्त न होने वाला भंडार है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अलकनन्दा, मंदाकिनी, यमुना, गौरीगंगा, धौलीगंगा एवं शारदा की अपार जलराशि के दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि :—

1. पंचेश्वर बांध के निर्माण के लिए नेपाल सरकार से शीर्षस्थ स्तर पर वार्ता की जाए।

2. टिहरी बांध के निर्माण के लिए आवश्यक विदेशी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए द्रुत प्रयत्न किए जाएं।

3. धौलीगंगा के फेंज वन एवं टू, जिसका अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है, पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक धन उपलब्ध करवाया जाए तथा योजना आयोग से इसके निर्माण का अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त किया जाए।

4. धौलीगंगा पर फेज तीन व चार पर अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

5. गौरी गंगा पर अन्वेषण कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए।

6. शारदा पर पियौरागढ़ में घाट के निकट लघु बांध निर्माण की योजना का कार्य रूप दिया जाए।

7. टनकपुर परियोजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करवाया जाए ताकि इस परियोजना का कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके।

8. इस क्षेत्र में लघु विद्युत योजनाओं के निर्माण की एक व्यापक एवं दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित लघु विद्युत निगम इस क्रम में सक्षम नहीं है।

(आठ) उत्तर-बिहार में सांभी से मोहदी शहर तक गंगा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर-बिहार की जमीन किसी राज्य की जमीन से कम उपजाऊ नहीं है। यदि वहां सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ से बचाव की व्यवस्था हो जाये तो उत्तर-बिहार, हिन्दुस्तान का अन्न भंडार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिंचाई की बात तो अलग रही प्रतिवर्ष गंगा, गंडक सरयु, कोसी, कमाला, बालान, दाहा, दोहटा, माही एवं सोधी आदि नदियों की बाढ़ के प्रकोप से करोड़ों की जान-माल की क्षति का जो सिलसिला आजादी के पहले से शुरू हुआ, वह आज तक चल रहा है।

कोसी, कमाला एवं बालान आदि नदियों की बाढ़ से बचाने का काम तो कुछ हुआ है, परन्तु गंगा, सरयू, दाहा, दोहटा, सीधी एवं माही आदि नदियों को आज तक अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा है कि आज इन नदियों की बाढ़ से पहले से भी ज्यादा क्षति हो रही है।

बीच में सुना गया था कि गंगा नदी की बाढ़ से उत्तर बिहार को बचाने के लिए मांझी से मोहदी-नगर तक गंगा के उत्तरी तट पर बांध बनाया जायेगा लेकिन आज तक गंगा नदी के उत्तरी तट पर बांध नहीं बना है।

इसके लिए मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वह अविलम्ब गंगा नदी के उत्तरी तट पर मांझी से मोहदी नगर तक बांध बनवाने तथा गंगा नदी के तट पर बसे गांवों को गंगा नदी के कटाव से बचाने का काम अविलंब करे।

[अनुवाद]

(नौ) कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाने में हड़ताल को समाप्त कराने के लिए वहां के प्रबंधकों को कर्मचारी संघ से बातचीत व समझौता करने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : कोचीन स्थित तेल शोधक कारखाना, जोकि केरल का

सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, कर्मचारियों द्वारा 10-5-1985 से हड़ताल किये जाने के कारण बन्द पड़ा है।

प्रबन्धकों के साथ सीधी बातचीत विफल हो जाने के बाद संघ द्वारा उनको नियमित हड़ताल का नोटिस दिया गया था, जिसमें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, मद्रास द्वारा आरम्भ किये गये समझौते के प्रयास और कर्मचारियों की मांगों का विस्तार से जिक्र था। पदोन्नति के मामले में श्रम आयुक्त द्वारा दिये गये प्रस्तावों को संघ ने मान लिया था, लेकिन प्रबन्धकों ने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया था। इसी कारण से समझौता वार्ता भग हुई और हड़ताल की गई।

आयुक्त के प्रस्तावों को न मानकर प्रबंधकों ने श्रमिकों के ऊपर एक प्रकार से हड़ताल थोपी गई है। इसलिए सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करके, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधक आयुक्त के प्रस्तावों को स्वीकार करें अन्य अन्य मसलों को हल करने के लिए कर्मचारी संघ के साथ बात करें।

(दस) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न एककों द्वारा नदियों और खुले मैदानों में औद्योगिक और रसायनिक अपशिष्टों का विसर्जन किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मार्गोपाय खोजने की आवश्यकता

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल) : मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान विभिन्न सरकारी और निजी उद्योगों द्वारा नदियों और फैक्टरियों के पास खुले मैदानों में फैंके जाने वाले औद्योगिक और रसायनिक अपशिष्टों से पैदा हो रहे गंभीर खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं। मथुरा शोधक कारखाने द्वारा यमुना नदी में फैंके जाने वाले पेट्रोलियम अपशिष्टो के बारे में इस सम्माननीय सभा ने काफी चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा कहा गया है कि इस शोधक कारखाने की चिमनी से निकलने वाले धुएं और अन्य अपशिष्टों से आगरा में ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। सारा बम्बई शहर, विशेषकर इसका चैम्बूर क्षेत्र प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है। इस प्रकार की फैक्टरियों से निकलने वाले अपशिष्टों से नदी के किनारे होने वाली खेती को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, गामीण इन नदियों के पानी का उपयोग पीने के पानी के रूप में करते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप मे तमिलनाडु के मैटूर क्षेत्र में मेटूर कैमिकल्स फैक्टरी, चैम्पलास्ट फैक्टरी और ट्रावनकोर कैमिकल्स फैक्टरी के रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा कहा गया है कि ये फैक्टरियां अपने अपशिष्टों को खुले मैदानों में डाल देती हैं और यह वह नहीं पाते, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर आसपास के कृषि क्षेत्रों को काफी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रदूषण का प्रभाव गुनाचन्दीयूर, मुरुगन नगर और मैटूर के आसपास के गांवों में देखा जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस स्थिति से निपटने के लिए उपाय और रास्ता सुझायेंगे और सम्बन्धित कारखानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने से भी हिचकिचायेंगे नहीं।

(ग्यारह) बिहार में रेल सुविधाएं

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : बिहार के लोगों के लिए रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए, बम्बई और वाराणसी के बीच चलने वाली महानगरी एक्सप्रैस को पटना तक बढ़ाया जाए और गंगा-कवेरी एक्सप्रैस को भी पटना तक बढ़ाया जाए। तिनसुखिया मेल में पटना के लिए कम से कम 30 बर्थ होनी चाहिए। कार्यालय-समय के दौरान यातायात की समस्या सुलझाने के लिए, आरा और मोकामा के बीच चलने वाली स्थानीय रेलगाड़ी को सुबह-शाम चलाया जाए।

[हिन्दी]

(बारह) जिन किसानों की भूमि दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा, आवासीय भूखंड और रोजगार देने की मांग

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, देहली के देहात में जमीन की पहले ही कमी है, परन्तु देहली प्रशासन उपज की जमीन इक्वायर करता है। हमारी पॉलिसी है कि पैदावार बढ़ायें, लेकिन उपज की जमीन एक्वायर न करें।

जमीन एक्वायर करने से किसान और मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। देहात वालों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिया जाए, कमर्शियल प्लाट दें, रिहायश का प्लाट दें, जैसी क्वालिफिकेशन हो। जिसकी जमीन एक्वायर हो रोजगार दें। जो महकमा कोई भी हो पहले कुछ कानून में बदली की थी। परन्तु मुआवजा पुरानी परम्परा से ही जमीन एक्वायर कर देते हैं। किसानों की परेशानी बढ़ती है, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकीलों की अपीलों का खर्च करना पड़ता है। जो मुआवजा मिलता है, अदालतों में खर्च हो जाता है। किसान बेरोजगार हो जाता है। जमीन एक्वायर करते समय गांव का भी ध्यान रखे। गांव की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए गांव की आबादी के लिए लालडोरा बढ़ाकर गांव से आबादी के लिए छोड़े और पार्क-बच्चों के खेलकूद की जगह, कम्युनिटी सैन्टर, बारात घर लाइब्रेरी यह सब होने चाहिए। इसी लिए जमीन सरकार लेती है। मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। उपज की जमीन एक्वायर न करें, उससे राष्ट्र को नुकसान होता है। जो नियम सातवीं लोकसभा ने मुआवजा सम्बन्धी बनाए थे, उसी के अनुसार मुआवजा दिया जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) गुर्दे के रोगियों के लिए एक जीवन-रक्षक औषधि 'इमुरान' उपलब्ध कराना

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : श्रीमन्, गुरदे के रोगियों के लिए जीवन-रक्षक औषधि 'इमुरान' बाजार में उपलब्ध नहीं है। 'बरो-वेलकम' लेबोरट्रीज ने इसका उत्पादन पिछले वर्ष से बन्द

कर दिया है; उनका कहना है कि इसके निर्माण से मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को दूसरा गुर्दा लगाया जाता है, उनके लिए यह जीवन-रक्षक औषधि है और गुर्दा लगाये जाने के फौरन बाद ही इसका सारी आयु प्रयोग करते रहते हैं। अगर रोगी एक दिन भी इसको खाना भूल जाए तो, निश्चिय ही उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी।

अतः सरकार इस कम्पनी को इसका उत्पादन करने के लिए कहे या विदेशी सहयोग से इसका उत्पादन करने के सम्बन्ध पर विचार करे या राज्य व्यापार निगम से सीधे आयात करने के लिए कहे और जरूरतमंद रोगियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये क्योंकि इसके दाम इतने अधिक हैं कि इसे खरीदना मध्य वर्ग के लोगों की क्षमता से बाहर है।

(चौदह) लुप्त हो रही 'सवारिआ पहाड़िया' जनजाति को बचाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : श्रीमन्, बिहार के सन्थाल परगना क्षेत्र में 'सवारिया पहाड़िआ' जनजाति समाप्त होने वाली है।

1971 की जनगणना के अनुसार इस दुर्लभ जनजाति की जनसंख्या 59,047 थी और 1981 की जनगणना के अनुसार यह 19,481 थी।

इस जाति की घटती हुई जनसंख्या का मूल कारण खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति है। और इस वजह से व दूषित पानी के इस्तेमाल के कारण घातक बीमारी लग जाने की वजह से इनकी संख्या में काफी कमी आई है।

इस जनजाति के लोग मध्य कद के, मजबूत, अथक परिश्रम करने वाले, और काफी शारीरिक सहनशीलता वाले होते हैं, लेकिन अब जीने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तपेदिक, गलगण्ड, कोढ़, मलेरिया, आंखों के रोग और चर्म रोग होना उनमें आम बात है। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार उनमें से कम-से-कम 45% आबादी तपेदिक, दस प्रतिशत कोढ़ से और बाकी की 25 गलगण्ड से ग्रस्त है।

इनकी आबादी के कम होने का मुख्य कारण इनकी खराब आर्थिक-सामाजिक दशा है। ये पहाड़िआ लोग जंगलातों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं जोकि आहिस्ता-आहिस्ता समाप्त होते जा रहे हैं। 25 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु में हो जाती है और 45 वर्ष से अधिक की आयु का आदमी तो हजारों में एक दिखाई देता है।

इसलिए, मैं ग्रह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि उनकी आबादी कम होने के कारणों का पता लगाये और उनको जीवित रखने के लिए आवश्यक उपाय करें, क्योंकि उनकी खराब सामाजिक-आर्थिक दशा के कारण इस जाति के अस्तित्व को खतरा हो रहा है।

(पन्द्रह) बालासोर जिले में किसानों को सहायता देने के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता देने और अकाल संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : पिछले महीने के दूसरे सप्ताह में उड़ीसा राज्य के बालासोर, मयूरभंज, कटक और क्योंझर जिलों में भारी वर्षा, तूफान और काफी संख्या में ओला-वृष्टि की वजह से काफी जानमाल का नुकसान हुआ। हजारों मवेशी मारे गये, हजारों एकड़ भूमि में अधिक उपज देने वाली धान तथा रबी की फसलें नष्ट हो गई। हजारों किसानों, जिनमें अधिकतर छोटे और सीमान्त किसान हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी सोसाइटियों से भारी ऋण लेकर अपनी फसलें तैयार की थी, अब कंगाल हो गये हैं। राजस्व विभाग के मूल्यांकन के अनुसार यदि सम्बन्धित फसल को पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ हो तो वर्तमान अकाल-संहिता के अनुसार कृषि प्रयोजनों, हेतु लिए गए फसल-ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदला जा सकता है। लेकिन रबी की फसलों, जिनमें धान या गेहूं शामिल है, के मूल्यनिर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इन किसानों को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। इसी प्रकार फसल को हुई हानि के मूल्यांकन के अभाव में सरकार सहायता कार्य भी आरम्भ नहीं कर सकती। इसलिए, मै केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इन गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। इनको बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री शीघ्र मुफ्त मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि वे खरीफ की बुआई का कार्य करने की स्थिति मे आ सकें। रिजर्व बैंक को कहा जाना चाहिए कि वे इन संबंधित सहकारी बैंकों को निदेश जारी करे कि वे इनके फसल-ऋण को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित करें।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार को, हमारी वर्तमान दशा और परिस्थितियों के अनुरूप अकाल संहिता में संशोधन करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

(सोलह) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में बरहामपुर से बौध अथवा सोनपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : भारत सरकार का बरहामपुर से रायपुर तक एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव था। बरहामपुर में 'रेअर अर्थ सेन्टर' की स्थापना चिलिका में नौ सेना प्रशिक्षण केन्द्र और गोपालपुर में सैनिक अड्डा स्थापित होने से, उड़ीसा के गजम जिले का महत्व दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

गोपालपुर में एक पत्तन बन रहा है। गंजम, फूलबनी और बालनगीर जिले इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश हैं। ये जिले वन-संपदा, खनिजों और कृषि उत्पादों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं। इस क्षेत्र में रेल लाइन बिल्कुल नहीं हैं। केवल गंजम जिले के बाहरी हिस्से से ही एक लाइन गुजरती है। इन जिलों के लोग बरहामपुर और रायपुर के बीच एक रेल लाइन की मांग करते रहे हैं। संचार सुविधाओं की कमी के कारण उड़ीसा के ये दोनो जिले विकसित नहीं हो पाये हैं। लेकिन धन की कमी के कारण अभी इस लाइन का निर्माण करना संभव नहीं है।

अब, पुनः खुर्दा रोड से बालांगीर तक फुलबनी जिले के बाहरी हिस्से में एक नई रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है। इस प्रकार इसी योजना में बरहामपुर बरास्ता आस्का, भंज नगर और फुलबनी जिले को बालानगीर जिले के बोड या सोनपुर तक जोड़ने के कार्य को भी शामिल किया जाए। इससे लोगों की दशकों से चली आ रही समस्या भी हल हो जायेगी। अगर यह लाइन बन जाती है तो समुद्र के जरिये निर्यात करने के लिए गोपालपुर पत्तन तक वन संपदा, कृषि और खनिज भेजे जा सकते हैं। सरकार की नीति पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने की है, इसलिए इस लाईन का अविलंब सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : आपकी अनुमति से मैं आपके और सभा के विचार के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। आज इस सत्र का अंतिम दिन है और अनेक सदस्यों को विशेष विषय उठाने हैं। आज कार्य सूची में भी काफी मदें हैं सारे विषयों को लेने के लिए, मैं सुझाव देता हूं कि हम आज दोपहर में भोजन का अवकाश न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य दोपहर का अवकाश छोड़ने को राजी हैं ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब हम आज दोपहर के भोजन के लिए अवकाश नहीं करेंगे।

(सत्रह) पंजाब सरकार को उड़ीसा के 17 दादन मजदूरों का पता लगाने और उन्हें ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज तक उड़ीसा से करीब 40 हजार दादन मजदूरों (प्रवासी मजदूर) को छोटे ठेकेदारों ने अपने अधीन कर बहुत ही दयनीय स्थिति में उन्हें अत्यन्त दुर्लभ क्षेत्रों में और अमानवीय स्थिति में काम करने पर मजबूर कर रहे हैं।

उड़ीसा के पुरी जिले के बेगुनिया थाने के दोवा गांव के 17 दादन मजदूरों को एक ठेकेदार पंजाब के होशिया पुर जिले के तलवाड़ी सहचक में 10 जनवरी, 1985 को काम कराने के लिए 2 माह के अनुबंध पर ले गया था, लेकिन इन 17 मजदूरों का अब तक कोई भी पता नहीं है। उनमें से 9 बाल-मजदूर हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पंजाब सरकार को शीघ्र निदेश दे कि वह इन मजदूरों का पता लगाये और उन्हें ठेकेदार के पंजे से छुड़ाये और बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवा कर उन्हें उड़ीसा वापस भेजने की व्यवस्था करे।

(अठारह) जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक धनराशि दिए जाने की मांग

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : श्रीमन्, त्रिपुरा राज्य के लोगों की काफी अर्से से चली आ रही न्यायसंगत मांग को केन्द्रीय सरकार द्वारा मनवाने के लिए दबाव डालने हेतु भारतीय लोकतांत्रिक युवा फैडरेशन के नेतृत्व में आज, 17 मई, 1995 को हजारों युवकों ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। त्रिपुरा औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां 80 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। त्रिपुरा का यह पिछड़ापन उस राज्य में रेल और सड़क व्यवस्था आदि न होने के कारण हैं। आज तक त्रिपुरा राज्य में केवल 12 कि०मी० ही रेल लाइन है। वहां मध्य और बड़े उद्योग स्थापित करने की पूरी तरह कोई कोशिश नहीं की गई है। त्रिपुरा में मध्य स्तर की एक कागज मिल, एक पटसन मिल तथा गैस पर आधारित उद्योग स्थापित करने की काफी सम्भावनाएं हैं। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में इस राज्य को प्रति व्यक्ति गैर-योजना और योजना व्यय के लिए आबंटित राशि बहुत कम है।

इसलिए मैं, केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि वे त्रिपुरा राज्य के लोगों की निम्नलिखित मांगों को पूरा करें :—

(1) धर्मनगर से सोवरूम तक एक रेलवे लाईन बिछाई जाए ;

(2) कागज मिल, दूसरी पटसन मिल, गैस पर आधारित उद्योग स्थापित किये जाएं ;

(3) राज्य को ज्यादा धन दिया जाए, ताकि वह वहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता दे सके ;

(4) राज्य के विकास के लिए अधिक धन दिया जाए ;

(5) त्रिपुरा के लोगों की अन्य मांगों और वहां के जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए स्वायत जिला परिषदों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाए।

(उन्नीस) जबलपुर शहर को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में शीघ्र शामिल करना

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : जबलपुर शहर की जनसंख्या करीब दस लाख है। इन्दौर के बाद, मध्य प्रदेश का यह सबसे घनी आबादी वाला शहर है। लगातार आबादी बढ़ने से जबलपुर के घनी आबादी वाले क्षेत्र मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श स्थान बन गये हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस बारे में स्वास्थ्य की दृष्टि से भारी चिन्ता व्यक्त की जा रही है क्योंकि मलेरिया की घटनाएं बढ़ गई हैं और जबलपुर नगर प्रशासन इससे परेशान है।

इस अभिशाप से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि पूरे जबलपुर में मलेरिया-रोधक औषधियों का विमान द्वारा छिड़काव किया जाए और अन्य उपाय भी किये जाएं, जिससे वहां मलेरिया का उन्मूलन हो सके।

जुलाई, 1983 से मध्य प्रदेश राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है कि जबलपुर शहर को राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसलिए भारत सरकार को इस बारे में शीघ्र कदम उठाने चाहिए। जबलपुर को इस कार्यक्रम में शामिल करने में देरी करने से, निकट भविष्य में वहां मलेरिया फैलने का खतरा है। जबलपुर में उसके आसपास सूखे की स्थिति और पानी की कमी के कारण स्थिति और भी भयानक हो गई है।

[हिन्दी]

(बीस) आयातित जीवन-रक्षक औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट देने और उनकी उचित मूल्य पर बिक्री कराने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत अविलम्ब लोक महत्व के विषय की तरफ स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

कई जीवन रक्षक आधुनिकतम औषधियां हमारे देश में नहीं बनती क्योंकि विदेशी कंपनियों का ट्रेड मार्ग तथा एकाधिकार उन पर है। उन औषधियों को कानून के तहत कस्टम ड्यूटी बहुत अधिक देनी पड़ती हैं, अतः कुछ व्यक्ति चोरी-छिपे लाते हैं तथा मरीजों को बेचते समय बिल नहीं देते। साथ ही मनमानी कीमत वसूल करते हैं। जिसको वे दवाइयां चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, मनमानी कीमत पर वह खरीदता है। उदाहरण के तौर पर आंख में ग्लूकोमा के लिए विश्व की श्रेष्ठ दवाई इस समय यू० एस० ए० की बनी दवा टिमोप्टोल (TIMOPTOL) है। भारत में बनने वाली दवाइयों से आंख की पुतली सिकुड़ती है जब कि इस दवा से आंख की पुतली वैसी की वैसी रहती है। यदि कैटरैक्ट है और साथ में ग्लूकोमा है तो भारत की बनी दवा डालने से व्यक्ति के आंख की पुतली सिकुड़ने से कभी-कभी अंधा भी हो जाता है। जबकि टिमोप्टोल श्रेष्ठ दवा हैं इस दवाई की कीमत दिल्ली में 140 रुपये से लेकर 250 रुपये तक है। छोटी जगह तो मिलती भी नहीं है। गरीब व्यक्ति न तो इसको खरीद सकता है और न आंख ही बचा सकता है। अतः मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि ऐसी दवाइयों को सरकार कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखे तथा सर्व साधारण को यह दवाइयां आसानी से मिल सके ऐसी व्यवस्था करे। व्यक्ति के स्वास्थ्य को रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। अतः जीवन रक्षक दवाइयां व्यक्ति को उत्तम से उत्तम तथा आधुनिकतम दवा सामान्य कीमत पर व्यक्ति खरीद सके ऐसी व्यवस्था की जाए। इन जीवन रक्षक दवाइयों को जो विदेशों से आती हैं, कस्टम ड्यूटी से मुक्त रख कर उचित मूल्य पर बिक्री की भी व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

(इक्कीस) उड़ीसा के कटक और बालासोर जिलों में चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, यह गहरी चिन्ता का विषय है कि कटक, बालासोर, क्योंझर तथा सम्बलपुर जिलों में चक्रवात, तूफान और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं मे भयंकर क्षति हुई है तथा लोगों का जीवन कठिन हो गया है। पिछली 11 तारीख को सम्बलपुर जिले की सदर तथा बाडगढ़ सब डिवीजनों के चिपीलिमा, घामा, गोहाला, गोदभगा क्षेत्रों में ऐसा तूफान आया जिसका पूर्वोदाहरण नहीं मिलता। जिसमें तीन व्यक्तियों की जाने गईं, बहुत से पशु मारे गये तथा अनेक व्यक्ति जख्मी हुए। हजारों मकान तबाह हो गये। इससे 2 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए तथा भारी सम्पत्ति जिसमें 20 करोड़ की खड़ी फसल भी शामिल है, नष्ट हो गई।

इससे प्रभावित लोगों के कष्टों की कोई सीमा नहीं है तथा वे बहुत परेशान हैं। अब सरकार का प्रयास होना चाहिए कि इन लोगों को सभी संभव सहायता दी जाये।

उड़ीसा ऐसा अभागा राज्य है जिसमें जल्दी-जल्दी बड़े तूफान आते हैं तथा सूखा जैसी प्राकृतिक आपदायें आती ही रहती हैं। राज्य पिछले सितम्बर-अक्तूबर से भयंकर सूखे का सामना कर ही रहा था, अब स्थिति और बिगड़ गई है इससे राज्य के लिए संभव नहीं होगा कि केन्द्रीय सहायता के बिना स्थिति का सामना कर सके।

अत: मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि उड़ीसा के प्रभावी क्षेत्रों में तुरन्त केन्द्रीय दल भेजे तथा भारी पैमाने पर राज्य सरकार की मदद करें.

(बाईस) मसुली पत्तनम-विजयवाड़ा राज्य राजमार्ग को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों को या तो किसी पत्तन पर अथवा किसी हवाई अड्डे पर समाप्त होना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि मसुली पत्तनम-विजयवाड़ा की 64 कि० मी० सड़क को अधिकार में ले। शोलापुर-हैदराबाद-विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को मसुली पत्तनम तक बढ़ा दें ताकि मसुलीपत्तनम पत्तन को इस मार्ग से जोड़ दिया जाये जहां पर कि भारी मात्रा में अयस्क तथा उर्वरकों का लदान होता है। यह मामला कई वर्षों से अटका पड़ा है। अत: मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि चालू वर्ष 1985-86 में मसुलीपत्तनम-विजयवाड़ा राज्य राजमार्ग को अपने अधिकार में लें तथा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग शोलापुर-विजयवाड़ा से जोड़ दें।

(तेईस) फ्रांस और अमरीका में भारत महोत्सव में आंध्र प्रदेश के कलाकारों का प्रतिनिधित्व

श्री एस० एस० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, इस वर्ष जून से परस्पर सद्भावना को बढ़ावा देने तथा उन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए भारत महोत्सव मनाया जाएगा। इन महोत्सवों के संरक्षक स्वयं प्रधान मंत्री हैं। ऐसा ही उत्सव फ्रांस में भी पूरे वर्ष मनाया जायेगा।

बताया गया है कि योजनाएं तथा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किये गये हैं कि हम देश की पुरातन तथा समकालीन सांस्कृतिक आभा, नृत्य, नाटक तथा संगीत के कलाकारों द्वारा प्रदर्शित की जाये। बताया गया है कि इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश से 200 कलाकार चुने गये है जिन पर लगभग 80 लाख डालर व्यय होंगे। फिर भी यह पता चला है कि इन 200 कलाकारों के भारी दल में आंध्र प्रदेश का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आंध्र प्रदेश जो कि सही माने में गर्व कर सकता है कि उसके पास त्यागराजा, स्वामी श्यामाशास्त्री, मुथुस्वामी, दिक्षीतार जैसे संगीतकारों की त्रिमूर्ती है, उसे इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश, जो कि ललित कलाओं का गढ़ है तथा कुचीपुडी नृत्य का जन्म स्थान है, के किसी कलाकार को इस देश के चुने हुए कलाकारों में स्थान नहीं दिया गया। अत: मै आग्रह करता हूं आगामी भारत महोत्सव में आंध्र प्रदेश को महत्त्व तथा प्रतिनिधित्व दिया जाये।

[हिन्दी]

(चौबीस) गेहूं और सरसों के लाभप्रद मूल्य में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के उत्तरी क्षेत्रों में इस समय गेहूं व सरसों के भाव गिरते जा रहे हैं। गेहूं का सरकारी भाव 156 रुपये क्विंटल निर्धारित है, लेकिन मंडियों में गेहूं 150 रु० बिक रहा हैं। सरसों 365 से 800 रुपये क्विंटल बिक रही है जिससे किसानों की दयनीय हालत हो रही है। सरकार से निवेदन है कि किसानों की परेशानी को देखते हुए सरसों व गेहूं के भाव बढ़ाये जायें व सरकार खरीद करने की व्यवस्था करे।

1.16 म० प०

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कम्पनी (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेगी। प्रो० रंगा भाषण दे रहे थे। मेरा उनसे निवेदन है कि वह बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। कुछ और सदस्य भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मान जी, अपने कथन को जारी रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रगतिशील एवं स्वागत योग्य कदम है। जवाइन्ट स्टॉक कम्पनियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चन्दे देने की अनुमति देना एक प्रगतिशील कदम है। परन्तु जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां धन एकत्र करती हैं तथा उसका उपयोग करती हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही पर्याप्त नही है। मैं विपक्ष के अपने दो मित्रों प्रो० दण्डवते एवं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा दिये गये दो सुझावों का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं तथा उनका अनुमोदन भी कर चुका हूं। उसके साथ ही मुझे सुझाव देना है कि वे कुछ धैर्य रखें तथा इस बात के लिए प्रयास करें कि इन्हें स्वीकार करने के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों में सहमति हो जाए। इसके साथ ही मैं अपने मित्रों को कहना चाहूंगा कि वे भी समान रचनात्मक एवं सहकारी दृष्टिकोण अपनायें तथा इस विधेयक को तथा इस खण्ड को भी बिना विरोधी टिप्पणी एवं भय तथा सनेह के पारित करें। अन्य तर्कों पर मुझे कुछ नहीं कहना···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि हम विरोध न करें तो चर्चा नीरस हो जायेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : बात कहने का एक ढंग होता है। जिस तरह से इतने उपयोगी तथा प्रगतिशील सरकारी प्रस्ताव का आपने विरोध किया है वह कम से कम बहुत रचनात्मक तो नहीं है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संसद द्वारा पहले ही किये गये कार्य की प्रधान मंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का यह एक प्रयास है। अतः अधिक प्रगतिशील कार्यवाहियों के लिए विपक्ष को रचनात्मक होना चाहिए तथा सरकारों के साथ सहयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि हमारे राजनीतिक जीवन में अधिक शुद्धता लाने की दिशा में प्रगति की जा सके।

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं पहले ही कुछ खण्डों के संशोधन करने का प्रस्ताव पेश कर चुका हूं। में खण्डवार चर्चा के समय नहीं बोलूंगा। अतः मुझे इसी समय गोलने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री ई० अय्याप्पू रेड्डी : पांच मिनट में मैं विषय से न्याय न कर पाऊंगा।

एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता ने कहा है कि जब कानून मूलभूत मानवीय शक्तियों के साथ टकराता है तब वह हार जाता है। यदि कानून अव्यवहारिक है तो उसे क्रियान्वित करना कठिन है। कानून को वास्तविकता के बहुत निकट होना चाहिए तथा उसे बहुसंख्यक जनता की निहित मान्यता मिलनी चाहिए तभी वह सम्माननीय बन सकेगा। कम्पनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को धन दिये जाने पर सभा में चर्चा पहले अवसरों पर भी की जा चुकी है। अब हम तीसरे चरण में आ चुके हैं। पहले चरण में कोई रोक नहीं थी। तब इस मामले पर किसी उच्च न्यायालयों न न्यायिक दृष्टि से पुनरीक्षा की। फिर 1969 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया तथा दण्ड भी निर्धारित किया गया। 1969 से दण्ड का उपबन्ध था, परन्तु 1969 से 1985 तक किसी भी कम्पनी

का इस उपबन्ध का खुला उल्लंघन करने पर भी दण्डित नहीं किया गया। इसका एकमात्र कारण यह था, कि इस अपराध में दुष्प्रेरणा देने वाली पार्टी प्रायः शासक पार्टी अथवा दूसरी पार्टियां होती थीं। जब कानून बनाने वाला ही कानून को तोड़े, तो कानून कैसे क्रियान्वित हो सकता है। यदि बाड़ ही फसल को खाने लग जाये तो फसल की रक्षा कैसे होगी। यदि सुरक्षा कार्मिक ही विशिष्ट व्यक्ति को मार दे, तो सुरक्षा कैसी ? वैसे उल्लंघन के लिए कम्पनियां दण्डनीय है परन्तु, दुर्भाग्य से उन्हें राजनीतिक पार्टियों द्वारा ही दुष्प्रेरित किया जाता है। परन्तु कानून में राजनीतिक पार्टियों को पकड़ने की व्यवस्था नहीं है। निःसन्देह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उन पर दुष्प्रेरित करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं चाहता हू कि मंत्री महोदय भी सर्वथा स्पष्ट कर दें कि राजनीतिक पार्टियों पर भी किसी को दुष्प्रेरित करने के कारण मुकदमा चलाया जा सकता है। यह अधिक अच्छा होता कि कानून में राजनैतिक दलों अशति विलब्ध करने वालों पर भी मुकदमा चलायेजाने की व्यवस्था होती। इस समय हम विलुब्ध लिए गए व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विलुब्ध करने वाले का भी बराबर का दायित्व है। यह भी एक उलटी प्रक्रिया है।रिश्वत के मामले मे रिश्वत लेने वाले को पकड़ा जाता है देने वाले का नहीं। यहां भी धन देने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलता है। लेकिन जो व्यक्ति जो प्रेरित करता है और रकम लेता है उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। पररन्तु इसमें बहुत कठिनाई है। उसकी व्यवहारिक कठिनाई को मैं जानता हू। इस अपराध के लिए विलुब्ध करने वाले व्यक्ति बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं।

राजनीतिक चंदों के बारे में न्यायालय ने 1957 में एक न्यायसंगत आपत्ति उठाई थी। 1957 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० के प्रसिद्ध मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया था :—

> "पार्टियों की राजनीतिक निधि में चदे जमा करके तत्कालीन सरकार को प्रभावित करना वाणिज्यिक दृष्टि से एवं प्रशासनिक से अत्यन्त खतरनाक और आपराधिक सिद्धांत है। निष्ठा एवं कर्त्तव्य बोध को धन द्वारा बदलना लोकतंत्र तथा प्रशासन दोनों को पथ भ्रष्ट करना है। नाम के लिए सब नागरिक बराबर भले ही हों, परन्तु वास्तव में उनकी आवाज बराबर नहीं होगी क्योंकि उनके चन्दों की राशि बड़ी-बड़ी कम्पनियों के चन्दों की राशि का मुकाबला नहीं कर सकती। जिन कम्पनियों और व्यावसायिक संस्थानों की पहुंच जितने ऊपर के राजनीतिक स्तर पर होती है दीर्घविधि में उनका स्वर उतना ही सशक्त होता है।"

चन्दे के सिद्धांत की इससे अधिक सशक्त निन्दा और क्या हो सकती है ? परन्तु अंत में उसी न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष मे इस प्रकार कहा :—

> "मेरे विचार से भुगतान तथा चंदे खुले रूप में दिये जाने चाहिए ताकि विशेष रूप से हिस्सेदारों और सामान्य रूप से व्यापारियों संसद, पूरे देश की विधान सभाओं को यह पता चल जाए कि चन्दों की राशि क्या है तथा किन स्रोतों से आई है।

यदि ये चन्दे व्यावसायिक विवेक की सीमा में ईमानदारी से दिये जाते है तो उनके प्रचुर प्रचार से कम्पनियों को कोई हानि नहीं है।"

मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक में लगभग वही दृष्टिकोण है जोकि माननीय न्यायाधीश ने व्यक्त किया था, अर्थात तीसरा चरण। अब मैं तीसरे चरण को अर्थात एक सीमा तक रोक लगाने को लेता हूं। परन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि रोधक उपबन्ध तथा दण्डात्मक खण्ड तभी लागू हो सकते हैं जब शासक दल इस बात का संकल्प ले कि वह काले धन का एक पैसा भी चंदा नहीं लेंगे। इन उपबंधों का अनुलघंनीय बनाने का भार शासक दल पर है। हाल के निर्वाचन में मुझे बड़ा कटु अनुभव हुआ। मैंने चुनावों में भूतपूर्व उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्री का मुकाबला किया। कलकत्ता से एक पत्रकार मुझे मिलने आये। मैंने उनसे इतनी दूर जाने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि वह भारत की औद्योगिक शक्ति का सामना करने वाले व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि उक्त औद्योगिक शक्ति से उनका क्या अभिप्राय है? उन्होंने मुझे बताया था कि तत्कालीन उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री महोदय भारत के बड़े औद्योगिक घरानों की सेवाएं लेते थे। पत्रकार ने मुझे यह भी बताया कि उसके मतानुसार 'कट-आउटस' और अन्य विज्ञापनों पर, जो कि तत्कालीन मंत्री महोदय ने प्रदर्शित किए थे, 20 लाख रुपये खर्च आया था। मेरी सूचना के अनुसार उनके पास चुनाव अभियान हेतु 250 मोटर गाड़ियां थीं और 50 मोटर गाड़ियां उनके कार्यालय में बेकार पड़ी थीं। उन्होंने जो 'कट-आउट' प्रदर्शित किया था वह मेरे चुनाव क्षेत्र कुरनूल के सर्वाधिक ऊंचे चर्च से भी ऊंचा था। यह 72 फुट ऊंचा था। जिस क्षण वह अपना दूरभाष उठा लेते थे धन उनकी तिजोरी में बहा चला आता था। अतः इस प्रकार की इच्छा प्रजातन्त्र पर हमारे विश्वास पर बुरा प्रभाव डालेगी।

प्रत्येक नागरिक को यह चिन्ता है कि यह धन भारतीय संविधान के आधार अर्थात प्रजातन्त्र को प्रदूषित और भ्रष्ट करे। इसकी जिम्मेवारी सभी राजनीतिक दलो पर आती है। मै यह तो नहीं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने का कोई यथार्थ कारण नहीं है और मैं यह मान लेता हूं कि सत्तारूढ़ दल। इस सद विचार से भर गई है कि राजनीति को राजनीतिक भ्रष्टाचार और धन्ना सेठों और उद्योगपतियों के भ्रष्टाचार से दूर रखा जाना चाहिए। मैं उन्हें इस बात का पूर्ण श्रेय देता हू कि अब उन्होंने यथार्थ परक दृष्टि कोण अपना लिया है। परन्तु आज जैसी स्थिति है इस यथार्थ परक दृष्टिकोण को कार्यान्वित का उत्तर दायित्व पूर्णतया सत्तारूढ़ दल का है।

मैं केवल एक सुझाव दूंगा और अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यह देखने के लिए कि धन हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को भ्रष्ट न करे, हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को समान संशोधन लाने होंगे। उसमें राजनीतिक दलों से सम्बद्ध एक अलग अध्याय होना चाहिए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत होना चाहिये। उनके संविधान को भी पंजीकृत किया जाए और संविधान में आन्तरिक प्रजातन्त्र का प्रावधान होना चाहिये। संविधान में यह भी प्रावधान होना चाहिये कि कम से कम दो वर्ष में एक बार दल के पदाधिकारियों का चुनाव हो और दलों के कोष और आस्तियों के बारे में चुनाव आयुक्त को

मालूम होना चाहिए और एक चुनाव आयोग (न्यायिक) होना चाहिये जो चुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाए और आवश्यक जांच-पड़ताल करे तथा चुनाव के समय मध्यस्थ का कार्य करे। हमें एक ऐसा मध्यस्थ अवश्य चाहिये जो जब कोई प्रत्याशी या दल गलत कार्य करे तो उसे वहीं रोक दे। चुनाव पूरे हो जाने पर तथा दूसरे आदमी द्वारा भ्रष्ट तरीके अपना लिये जाने के बाद किसी दल से यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि वह मामला दर्ज करे। इस तरह से हम धन के भ्रष्ट प्रभाव से चुनावों को बचाने में सफल नही होंगे। बस एक ही तरीका यह है कि एक चुनाव आयुक्त (न्यायिक) हो जो उसी प्रकार का मध्यस्थ हो जैसे दो टीमों के बीच एक एम्पायर होता है जो खेल के दौरान ही जब कोई खिलाड़ी गलती करता है तो सीटी बजा देता है। इसी प्रकार चुनाव आयुक्त (न्यायिक) भी होना चाहिए और इस टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस तथ्य के बावजूद भी वाद-विवाद में भाग लिया कि उस ओर बैठे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के एक उपबन्ध का विशेष रूप से विरोध किया है।

जहां तक श्रमिकों को देय राशियों और शेयरों के एकीकरण एवं निर्धारण हेतु अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था करने सम्बन्धी उपबंधों का सम्बन्ध है प्रत्येक माननीय सदस्य ने उनका स्वागत किया है। केवल कम्पनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने सम्बन्धी उपबन्ध विवादास्पद है।

मैं श्री सी० माधव रेड्डी और श्री ई० अय्यापू रेड्डी का आभारी हूं, जिन्होंने अपनी शंकाओं और सन्देहों को प्रकट करते हुए इस विधान को अपना सशर्त समर्थन दिया है। इसी प्रकार इस ओर के सदस्यों, विशेषकर इस सभा केवरिष्टतम माननीय सदस्य श्री रंगा का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने इसका हार्दिक समर्थन किया है। मुझे खेद है कि कुछ सदस्यों ने ऐसी तसवीर खींचने का प्रयास किया है कि कम्पनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देकर, सरकार और सत्तारूढ़ दल देश के राजनीतिक वातावरण को भ्रष्ट कर रहे हैं। कुछ सदस्य तो यहां तक कह गये कि यह काले धन को वैध बनाने के सिवाय कुछ नहीं है।

सर्व प्रथम मैं माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते द्वारा उठाई गई आपत्तियों को लेता हूं। दुर्भाग्य से वे यहां नहीं हैं। कल वह ब्रिटिश संसद के एक माननीय सदस्य के उस पत्र का अंश पढ़कर सुना रहे थे जो उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाता से मिला था और उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने उसका जो उत्तर दिया था। वह यह भी कह रहे थे कि ब्रिटिश संसद मातृ-संसद है और मैं यह मानता हू कि हमारा प्रजातंत्र या हमारी संसद 35 वर्ष पुरानी है और जहां तक ब्रिटेन की बात है वह तो सबसे पुराना प्रजातन्त्र है जो कि 600 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। मैंने कल उनके विचार सुनने के बाद यह सूचना एकत्र करने का प्रयास किया कि राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा चन्दा दिए जाने के सम्बन्ध में उनके देश में

क्या कुछ चल रहा है। वह अठारहवीं सदी की बात कर रहे थे। हम अब बीसवीं शताब्दी में हैं और थोड़े समय बाद ही इसको भी पार कर जायेंगे। ब्रिटेन में कम्पनियों द्वारा चन्दा देने पर कोई पाबन्दी नहीं है, किसी भी कम्पनी को राजनीतिक चन्दा देने से नहीं रोका जाता है।

1967 में ब्रिटेन में कम्पनी अधिनियम में यह परिवर्तन किया गया था कि किसी भी राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक व्यक्ति को अगर 50 पाउण्ड से ज्यादा पैसा दिया जाता है तो इस तुलन पत्र में दर्शाया जाना चाहिये। सम्पूर्ण स्थिति यह है। 1981 में इसमें दोबारा परिवर्तन किया गया जिसमें प्रावधान रखा गया कि 200 पाउण्ड से ज्यादा की चन्दे की रकम को कम्पनी के खातों अथवा तुलन-पत्र में दिखाया जाना चाहिए।

हमारे विधेयक में राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे पर हमने अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है यह पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती परन्तु ब्रिटेन में इस पर कोई सीमा नहीं है। कम्पनियों को स्वतंत्रता है वे जितना मर्ज़ी चंदा दे सकती हैं। ये सिर्फ वे कम्पनियां ही नहीं हैं जो मुनाफा कमा रही हैं। हमने इस विधेयक में कहा है कि कम्पनियां चंदा तभी दे सकती है अगर वे मुनाफे में चल रही हैं, तथा उन कम्पनियों को ये अधिकार नहीं है जो घाटे में चल रहे हैं। परन्तु ब्रिटेन में, अगर कम्पनियों को घाटा हो रहा है तब भी वे राजनैतिक चंदा अपनी मर्जी से दे सकती हैं इस पर कोई प्रतिषेध या रोक नहीं है। महोदय आप जानते है कि कभी-कभी सत्तापक्ष विपक्ष बन जाता है और विपक्ष भी सत्तापक्ष बन सकता है। यह चलता रहता है। मैं जानना चाहता हू कि क्या ब्रिटेन में कोई भी राजनैतिक दल अपने देश की राजनैतिक प्रणाली को बिगाड़ने में समर्थ हुआ है। मैं यह इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि उनके यहां ये प्रावधान हैं। मैं इस पर भी आऊंगा। राजनैतिक दलों को चन्दे के बारे में क्या हो रहा है—मैं इस पर भी बताऊंगा और मैं इसके लिये आंकड़े भी कुछ समय बाद दूंगा।

हम देखते हैं कि अन्य देशों में 300, 400 या 600 वर्षों से लोकतंत्र चला आ रहा है। यद्यपि हमारा लोकतंत्र सिर्फ 35 वर्ष पुराना है। हमारे देश में लोगों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है वह उदाहरणात्मक है और हमें चाहे सत्ता पक्ष में हो अथवा विपक्ष में सभी को हमारी निर्वाचन-पद्धति पर गर्व होना चाहिए। अभी-अभी श्री अय्याप्पू रेड्डी ने अपने अनुभव को उद्घृत किया कि अगर मतदाताओं पर पैसों का प्रभाव होता तो वह आज यहां पर नहीं होते।

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी : मैंने कहा था कि मैं पराजय के एकदम निकट था ...

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपके लिए अब यह कहना आसान है, क्योंकि पैसों की ताकत की वजह से आपके मतों में अन्तर बहुत ही कम था अन्यथा यह फर्क काफी ज्यादा होता। परन्तु हमें हमारे मतदाताओं की तारीफ करनी होगी। इसका अर्थ हुआ हमारे देश में मतदाताओं का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है और लोग बिना ध्यान दिये वोट नहीं डालते। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिये। ऐसा कहना तो सारे देश की निन्दा करना होगा और यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नही। हमें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहियें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कोई भी ऐसा नहीं कहता ।

श्री वीरेन्द पाटिल : महोदय, जहां तक राजनैतिक दलों को चन्दा देने का सवाल है, यह कोई नई बात नहीं है । यह हमारे देश के लिये नई बात नहीं है । हम कुछ ऐसी बात नहीं कर कर रहे हैं जोकि हमारे देश के लिये सर्वथा नये हों । जैसा कि श्री अय्यप्पू रेड्डी ने कहा कि ऐसा पहले भी था । सन् 1960 में इस बारे में एक संशोधन का विचार किया गया था । और वह भी उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात । उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया है । मैं बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करूंगा । मेरे विचार से वह टाटा आयरन और स्टील कम्पनी के बारे में था । बम्बई उच्च न्यायालय ने 1960 में ज्ञापन में किये गये इस संशोधन को, कि चन्दा देने के लिए उन्हें स्वीकृति लेनी होगी, मंजूरी दे दी, स्वीकृति के पश्चात, वे उच्च न्यायालय में जाकर उनकी सहमति से राजनैतिक चन्दा दिया करते हैं । बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि संसद द्वारा यह विचार करना वांछनीय है कि किन परिस्थितियों और सीमाओं के तहत किसी कम्पनी को इन योगदान के लिए अनुमति दी जाये । इसी प्रकार से, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी इन्हीं टिप्पणियों को दोहराया । इन टिप्पणियों को देखते हुये, सरकार तथा संसद ने सोचा कि अच्छा होगा अगर हम कम्पनी अधिनियम में उपबन्ध बनाकर इस पर नियंत्रण करें । इसीलिये 1960 में, कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया गया था, 1969 में, सत्ताधारी पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के दिलों में यह भावना घर कर गई थी कि राजनैतिक दलों को चन्दा देने से वातावरण दूषित हो रहा है । अतः उन्होंने सोचा कि सामाजिक जीवन में से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर रोक लगा देनी चाहिये । 1969 में जो कुछ भी संशोधन किये गये, राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर प्रतिषेध लगाना, वे नेकनीयति से किये गये थे । मुझे इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है । यह प्रशंसनीय बात थी । और 1969 में पहली बार कम्पनी अधिनियम में संशोधन करके देश में राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे पर रोक लगाई गई थी । लेकिन क्या हुआ ? 1974 में सरकार ने महसूस किया कि जिस प्रयोजन के लिये राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे पर रोक लगाई गई थी वह पूरा नहीं हुआ । अतः 1974 में दोबारा विचार शुरू हुआ । मैं ये ब्यौरे केवल इसीलिये दे रहा हूं क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि यह नई विचारधारा नहीं है । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम अब ही विचार कर रहे हैं । 1974 में उन्होंने इस पर दोबारा विचार शुरू किया और यह 1976 में पूरा हुआ । मेरे विचार से 1976 में इसी सदन में 24 अगस्त, 1976 को एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया जिससे कि कम्पनियां राजनीतिक चंदा दे सकें । लेकिन दुर्भाग्यवश समय बहुत कम था और इससे पूर्व कि इस विधेयक पर विचार किया जाता, संसद की अवधि समाप्त हो गई और स्वभावतया वह विधेयक व्ययगत हो गया ।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : किसी ने एक तरीका ढूंढ लिया जिसके द्वारा स्मारिका प्रकाशित की जा सकती है और विज्ञापन लेकर धनराशि एकत्र की जा सकती है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इसकी ओर भी आ रहा हूं। इस मामले पर आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि यह विधेयक व्यपगत हो गया था। अब यह विधेयक लाया गया है। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस विधेयक के उपबंधों की जानकारी है। राजनीतिक दलों को दान देने के लिये कठोर शर्तें निर्धारित की गई हैं। शर्त यह है कि यह स्वैच्छिक हो। इसमें कोई विवशता नहीं है। हालांकि अधिकतम 5 प्रतिशत है तथापि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि राजनीतिक दलों को 5 प्रतिशत दिया जाना चाहिये अथवा दिया जायेगा। वे चन्दा दे सकते हैं अथव नहीं दे सकते हैं। यदि वे चन्दा देना चाहते हैं तो केवल 1 प्रतिशत अथवा 0.5 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत दे सकते हैं। लेकिन 5 प्रतिशत से अधिक नहीं दे सकते।

यह केवल मुनाफा कमाने वाली कम्पनियों के लिए है। कोई अन्य कम्पनी राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती। जो भी चंदा दिया जायेगा, उनके तुलन-पत्र में ब्यौरे दिये जायेंगे। न केवल यह शेयरधारियों के नोटिस में लाना चाहिये अपितु पूरे देश को यह जानकारी दी जा सकती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को कितनी राशि दी गई है, सत्तारूढ़ दल को, विपक्ष को, विभिन्न राजनीतिक दलों को तथा अलग-अलग व्यक्तियों को कितनी राशि मिली है।

सरकारी कम्पनियों को चन्दा देने की पूरी तरह से मनाही है। सरकारी कम्पनियों द्वारा कोई राजनीतिक चंदा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। केवल वही मुनाफा कमाने वाली कम्पनियां, जब तक वे तीन वर्षों से कार्यरत न हों, वे राजनीतिक चन्दा नहीं दे सकती हैं। अतः राजनीतिक चंदा देने के मामले में भी पर्याप्त रक्षोपाय किये गये हैं।

मैंने अनेक सदस्यों के विचार सुने हैं और यह धारणा बनाई गई है कि चुनावों में धन प्राप्त करने के लिये यह कार्यवाही की गई हैं। हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अर्थात राजनीतिक दलों को दिया जाना वाला चन्दा क्या है। इस 5 प्रतिशत में विज्ञापन जारी करना भी शामिल है। स्मारिकाओं तथा पैम्फलेटों में विज्ञापन भी शामिल हैं। और केवल चुनाव के समय चन्दा ही नहीं अपितु यदि राजनीतिक दल राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं तो वे चदा लेना चाहते है—वे भी इसमें शामिल है। दुर्भाग्यवश अनेक सदस्यों की धारणा है कि इन चंदों का आशय चुनावों का वित्त पोषण करना है। यदि कोई राजनीतिक दल राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करना चाहती है तो यह स्वाभाविक है कि उसमें बहुत से लोग जायेंगे। वे सम्मेलन में जायेंगे और राजनीतिक दल को इनके आवास तथा खान-पान तथा बहुत से प्रबंधों का दायित्व लेना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है उनका व्यय होगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए भी कंपनी चंदा दे सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि जो भी चंदा दिया जाये वह पूरी की पूरी राशि केवल चुनावों पर ही खर्च की जाये।

इस प्रकार की धारणा है कि जब कभी चंदा दिया जाता है तो यह चुनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दिया जाता है। मैं आंकड़े नहीं उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन दूसरे सदन में आंकड़े उद्धृत किये गये हैं क्योंकि दूसरे सदन में पिछले

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

दिन इस पर चर्चा की गई थी और उसने इसे पारित कर दिया था। इस प्रकार यह इस सदन में विचारार्थ और पारित करने के लिये लाया गया है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री एल० के० आडवाणी ने कहा था कि 1960 के बाद इस अधिनियम को संशोधित करके, विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीतिक चंदे दिये गये हैं, कुल कितनी राशि दी गई हैं ? उन्होंने आंकड़े दिये हैं। माननीय सदस्य श्री एल० के० आडवाणी ने राज्य सभा में यह विवरण दिये हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : क्या राज्य सभा में हुई चर्चा के बारे में यहां पर विवरण देना ठीक है ? (व्यवधान) वह एक विवरण पढ़ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह कार्यवाही-वृतांत में है। मेरे विचार से प्रत्येक माननीय सदस्य इसको देख सकता है ··

उपाध्यक्ष महोदय : वह भाषण को उद्धृत नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : वह उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह उद्धृत नहीं कर रहे हैं। वह केवल इसका उल्लेख कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ठीक है। मैं केवल इसका उल्लेख करूंगा। मैं विवरण पढ़ना नहीं चाहता हूं। दूसरे सदन में श्री आडवाणी ने कहा था कि अगस्त, 1962 से मार्च, 1966 तक विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदे दिये गये थे। प्रकाशित रिपोर्टों में से एक के अनुसार कम्पनी की धन-राशि में से राजनैतिक दलों को चन्दे के रूप में लगभग 126 लाख रुपए दिए गए। इसलिए स्वाभाविक है कि वह बार-बार यही बात दोहराएंगे कि उक्त राशि का अधिकतम हिस्सा सत्तारूढ़ दल को दिया गया था। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी राजनैतिक दल को उस समय एक करोड़ रुपए दिया गया था या आप कह सकते हैं कि उस समय एक करोड़ की रकम कुछ नहीं होती थी। आज उस एक करोड़ की कीमत 5-10 करोड़ के बराबर है। मुद्रा स्फीति को मद्देनजर रखकर मैं यह बात भी मान लेता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी दल को 1 या 2 या 4 या 5 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं तो क्या उससे इस देश के राजनैतिक संगठन में कोई अंतर आ जाएगा। क्या उससे सारा वातावरण तथा मतदाता भ्रष्ट हो जाएंगे ? हमें इस पर भी विचार करना होगा। मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि हमने यह कदम सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए उठाया है क्योंकि एक कंपनी अगर राजनैतिक दलो को चंदा देती है तो सबको मालूम रहेगा कि चंदे की रकम कितनी है। लोगों में यह भावना घर की हुई है कि कंपनियों को राजनैतिक दलों को चंदा देने की अनुमति दे देने से केवल सत्तारूढ़ दल को ही फायदा होगा। लेकिन अब चन्दा देने वाले भी समझदार हो गए हैं। अगर आप उनसे चन्दा लेना चाहते हैं तो वह उसकी व्यवस्था इस तरह करेगा कि सभी राजनैतिक दल उससे खुश रहें।

क्योंकि वह जानता है कि प्रजातंत्र में, राजनैतिक व्यवस्था में हर राजनैतिक दल को एक न एक दिन सत्ता में आने का अवसर मिलता है। सत्तारूढ़ दल इसका फायदा उठा रहा है। लेकिन देश में अनेक राज्यों में अन्य राजनैतिक दलों की भी तो सरकारें हैं और वे भी तो वहां इस का फायदा उठा रही होगी। केन्द्र और अन्य बहुत से राज्यों में कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं लेकिन कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : कंपनी कार्य का प्रबंध वर्ग केन्द्र के साथ है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : नहीं, जरूरी नहीं है। वे किसी भी राजनैतिक दल को चन्द दे सकते हैं। वे चाहे तो व्यक्ति विशेष को भी दे सकते हैं।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : कंपनी कार्य का प्रबंध वर्ग पूरी तरह से केन्द्र के अधीन है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कंपनी कार्य आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। वे जिसे चाहे चन्दा दे सकते हैं। कंपनी कार्य विभाग भी देने तथा उनकी अनुमति लेने का प्रश्न कहां उठता है ?

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक बात पर विचार करें। सभी जानते हैं कि कंपनियां चन्दा देती हैं। दाता भी जानता है कि वह अपनी जेब से चन्दा नहीं दे रहा बल्कि कपनी को हुए लाभ में से दे रहा है। लेने वाला भी जानता है कि दाता या कंपनी का आफिस बियरर अपनी जेब से न देकर शेयर होल्डरों का पैसा उसे दे रहा है। सोचा यह जाता है कि उस आफिस बियरर ने आकर राजनैतिक दल को चन्दा दिया है अतः वह उस दल से कुछ फायदा उठाता होगा। साम्य पूंजी (इक्विटी) क्या है ? उस व्यक्ति को उस कंपनी में क्या रूचि होगी ? अगर सर्वेक्षण किया जाए तो ऐसी बहुत सी कंपनियों का पता चलेगा जिनके प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष का कंपनी में 10, 15, 20 या अधिक से अधिक 25 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होंगे। शेष राशि शेयर-धारियों या वित्तीय संस्थानों की होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का आफिस बियरर होने के नाते किसी राजनैतिक दल को चंदा देता है तो इससे यह निष्कर्ष कैसे निकला कि वह किसी खास राजनैतिक दल को लाभ पहुंचा रहा है। लाभ पहुंचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी जानना चाहते थे अतः मैंने ऐसा कहा और उन्होंने उसका समर्थन किया था। अतः बजाय इसके कि राजनैतिक दलों को चन्दा देने के बारे में कम्पनियों के निदेशक निर्णय ले हम हिस्सेदारों को यह निर्णय लेने की अनुमति क्यों नहीं देते ? होता क्या है ? शेयर-धारियों की बैठक वर्ष में एक बार ही होती है। जब भी राजनैतिक दल किसी कंपनी के पास चदे के लिए पहुंचते हैं और कंपनी महसूस करती है कि उस दल को चन्दा दिया जाना चाहिए तो वह इसके लिए आम बैठक आयोजित नहीं कर सकती। राजनैतिक दलों को जो भी चन्दा दिया जाता है उसकी जानकारी शेयरधारियों को होनी चाहिए। इसलिए हमने यह शर्त लगा दी है कि जब भी ऐसा चन्दा दिया जाय कंपनी की बैलेंस शीट में उसका उल्लेख किया जाए और उस पर शेयरधारी अपनी स्वीकृति दें। ऐसा न हो कि शेयरधारियों को उसकी जानकारी ही नहीं हो। उन्हें बैलेंस शीट दिखाई ही नहीं जाए। ऐसा नहीं है। इसे कंपनी की आम सभा में रखा तथा उनकी स्वीकृति दी जानी चाहिये।

श्री सी० माधव रेड्डी (आलिदाबाद) : कंपनी के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें, कम्पनी की आम सभा की असाधारण बैठक बुलाकर सुधार करने की जरूरत है। आप यह नहीं कह सकते कि इसकी बैठक साल में एक ही बार होती है आम सभा की असाधारण बैठक हर दो महीने बाद होती है। कंपनी के बहुत से संकल्पों में सुधार करने की जरूरत है। आप यह बात क्यों नहीं मानते ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे विचार से ऐसा करना फिजूल है क्योंकि बैलेंस शीट में यह उल्लेख किया जाएगा कि किस दल को कितनी रकम दी गई। यह सब उसमें उल्लिखित होगा। उक्त बैलेंस शीट शेयर धारियों की समिति के समक्ष रखी जाएगी और उसे उस पर स्वीकृति देनी होगी। वैसे भी अगर मैं यह भी मान लूं कि बोर्ड के निदेशक शेयर धारियों की इच्छा के विरुद्ध राजनैतिक दलों को चन्दा दे रहे हैं तो प्रश्न उठता है कि निदेशक हैं कौन ? वे शेयरधारियों के प्रतिनिधि तथा निर्वाचित निदेशक हैं। वे शेयर धारियों के प्रतिनिधि हैं। उन्हें किसी भी समय उनके पद से हटाया जा सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी का यह तात्पर्य है कि निदेशक हिस्सेदारों की इच्छा के विरुद्ध चन्दा देकर अपने पद पर बैठे रह सकते हैं। शेयरधारी उन्हें किसी भी समय उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन निदेशक मंडल या मंडल में जो निदेशक है वे शेयर धारियों के प्रतिनिधि होते हैं। आज हम यहां हैं। हम अनेक कानून पारित कर रहे हैं। क्या हमने लोगों से पूछा कि वे इन कानूनों के संबंध में हम से क्या आशा करते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : जनमत संग्रह नहीं करिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैंने कहा कि बैलेंस शीट कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए और उसे उसको स्वीकार करना होगा। ये सब सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं।

मैं नहीं समझता कि इस मामले में और कुछ कहा जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से पुन अनुरोध करता हूं कि यह सब हमारे देश के लिए नई बात नहीं है क्योंकि क्या कोई ऐसा प्रजातांत्रिक देश है एक या दो ही सही—जहां राजनैतिक, दलों को चन्दा दिए जाने पर प्रतिबंध हो। मुझे बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ राज्यों, कनाडा और अन्य देशों में भी इसकी अनुमति है। अतः यह कोई नई बात नहीं है और किसी के लिए यह कहना भी ठीक नहीं कि कंपनियों द्वारा यह चन्दे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं क्योंकि हर चन्दे का लिखित में उल्लेख किया जाता है हर रकम का लेखा रखा जाता है। अतः हम ईमानदारी से महसूस करते हैं कि कंपनियों को राजनैतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देकर, मैं चुनौती नहीं देता, मैं दावा भी नहीं करता, काले धन की समस्या शत प्रतिशत हो जाएगी। लेकिन इससे समस्या हल होगी और

जैसा कि माननीय सदस्य श्री अय्यप्पु रेड्डी ने कहा राजनैतिक दल इस सूचना को छुपा नहीं सकते ।

2.00 म० प०

मैं राजनीति में बहुत समय से हूं । राजनीतिक दलों को चन्दे देने पर रोक लगाने से खासकर चुनावों के समय रोक लगाने से क्या हुआ ? बहुत से बेईमान नेता दल के नाम से चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं । हर कोई जाकर चन्दा एकत्र करता है । जब काला धन ले लिया गया है तो लेखा प्रस्तुत करने और हर एक को यह कहने का क्या फायदा है कि उस व्यक्ति ने इतनी रकम चंदे के रूप में ली । जो कदम हमने उठाया वह सही दिशा में उठाया गया है । इसका उद्देश्य खासकर चुनावों और राजनैतिक व्यवस्था को काले धन के संकट से मुक्त कराना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम यह कदम उठा रहे हैं । मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य निर्विरोध इसका स्वागत करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । खंड 2 । श्री अय्यप्पु रेड्डी—क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 से खंड 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : जो कुछ चन्दा दिया जाता है उसका लेखा रखना जरूरी है । जो कंपनियां इस सिद्धांत का उल्लंघन करेंगी उन्हें दण्डित किया जाएगा । लेकिन जो राजनैतिक दल, नेता, या उनके एजेंट कंपनियों को काला धन चन्दे के रूप में देने के लिए उकसाते है, इन उपबंधों के अन्तर्गत उन पर मुख्य अपराधी अभियुक्त या सह अभियुक्त के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन पर उकसाने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे ख्याल से ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि कम्पनी कानून के अन्तर्गत तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब रजिस्ट्रार से इस संबध में सूचना प्राप्त हो या वह इसकी शिकायत करे । पुलिस अधिकारी या कोई और कार्यवाही नहीं कर सकता । यह जानना बहुत मुश्किल है कि उकसाने वाला कौन है । अगर राजनैतिक दल है तो उस दल का कौन सा सदस्य उकसा रहा है ? बहुत सी राजनैतिक समस्याएं हैं । अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो यह प्राईवेट सैक्टर में कारखानेदार है, उनसे ही आप मुनाफे में से पांच प्रतिशत से ज्यादा ले लेंगे । ... (व्यवधान) वे लोग डोनेशन देंगे, एडवरटाइजमेंट मे दे देंगे सोवेनार्स मे दे देंगे और सारी फैसीलिटिज आपको दे देंगे ।... (व्यवधान) वे, पालिटिकल पार्टीज को हैल्प करेंगे । हमें तो कारखानेदार से यह शिकायत है कि वह वर्कर को सप्रेस कर रहा है । उसके इंटरेस्ट को खत्म कर रहा है । यही शिकायत सरकार को भी है कि आज सिक यूनिट्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं जिसके बिना पर पिछले दिनों चार टी-प्लान्टेशन्स के यूनिट्स सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं और जिस पर मै स्टेच्युटरी रेजोल्युशन लाया था । और सरकार ने उस वक्त जो वजूहात बताये थे, उनमें बताया था कि प्राइवेट सैक्टर में आजकल इस कदर धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेज होती हैं कि कारखानेदार वहां से सारे के सारे असैटस को एकमूलेट करते जा रहे हैं । यह लॉ ही माकूल नहीं है, मेरे जहन में ही नही आ रहा है कि एक स्टेट जो अपने सोश्यलिस्ट स्टेट होने का दावा करती है और इनका यह फैसला है कि हम यहां सोश्यलिस्ट सैट-अप कायम करेंगे, वहां इस किस्म का कानून बनाया जाए, मैं आपके जरिए मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब मजदूरों का पार्टिसिपेशन मैनेजमैंट में नहीं हो रहा है, सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि मुनाफा सही है या गलत है, जो ये लोग दिखा रहे है, इसका फैसला कौन करेगा, अब सवाल यह पैदा होता है कि जब कारखानों में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो यह कानून क्या कार्ट बिफोर दी हौर्स साबित नहीं होगा ।

जब तक सरकार जमानत नहीं देगी कि वर्कर्स का भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उससे पहले इस कानून को लाना, बिल को लाना, नाजायज बात होगी।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो यह प्राइवेट सेक्टर में कारखानेदार हैं उनसे ही आप मुनाफे में से पांच फीसद से ज्यादा ले लेंगे वह लोग डोनेशन दे देंगे एडवरटाइजमेंट में दे देंगे। सर्विसेज में दे देंगे और सारी फेसिलिटीज आपको दे देंगे ..... (इंटरप्शन) ..... वह पालिटिकल पार्टीज को हेल्प करेंगे। हमें तो कारखानेदारों से यह शिकायत है कि वह वर्कर को एक्सप्लायट कर रहा है। उसके इंटरेस्ट को खत्म कर रहा है। यही शिकायत सरकार को भी है कि आज तक जो यूनिट्स बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं जिसके बिना पर पिछले दो दिन चार्टर्ड प्लानिंग के यूनिट्स सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं और जिस पर मैंने स्टेटमेंट रिजर्वेशन लाया था।

और सरकार ने उस वक्त जो वजूहात बताये थे उन में बताया था कि प्राइवेट सेक्टर में आज कल इस कदर धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है करप्ट प्रैक्टिसेज होती हैं कि कारखानेदार वहां से सारे के सारे एसेट्स को इकट्ठा मोलेट करते जा रहे हैं यह लॉ ही मेकूल नहीं है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है कि एक स्टेट जो सोशलिस्ट स्टेट होने के दावा करती है और उनका यह फैसला है कि हम यहां सोशलिस्ट सिस्टम अब कायम करेंगे। वहां इस किस्म का कानून बनाया जाए लेकिन मैं आपके जरिये से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब मजदूरों का पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं हो रहा है। सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है मुनाफा सही या है गलत है जो यह लोग दिखाते हैं इसका फैसला कौन करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब कारखानों में वर्कर्स का पार्टीसिपेशन ही नहीं है तो यह कानून क्या बे गौर दी हौर्स साबित नहीं होगा जब तक सरकार जमानत नहीं देगी कि वर्कर्स का भी इसमें पार्टीसिपेशन नहीं होगा इससे पहले इस कानून को लाना, बिल को लाना नाजायज बात होगी।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम चंदे की बात कर रहे हैं और आप श्रमिकों, मुनाफे तथा प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी आदि की बात कर रहे हैं। इन सबका इससे क्या संबंध है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : है क्यों नहीं महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा है तो मैं अनुमति नहीं दे सकता। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं लेकिन इस तरह भाषण मत दें। और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। अगर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो पूछिए अन्यथा भाषण देने की अनुमति मैं नहीं दे सकता।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : दूसरी बात यह है महोदय कि··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहली बात खत्म करें और नया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं दूसरा सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब कोई कम्पनी किसी पोलिटिकल पार्टी को हैल्प रैंडर करेगी तो पहले तो वह करखानेदार रियायत चाहेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज चाहेगा, सरकार से लोन सबसिडी वगैरह चाहेगा, वह चाहेगा कि उसे कोई लाइसेंस मिल जाए तो ऐसी हालत में पालिटिकल पार्टीज क्या रवैया अख्तियार करेंगी। सरकार उसके बारे में कौन सा उपाय तलाश करेगी, जहां भी इस किस्म की मांग है, उन पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से होगी उनको डिफैंड किया जाएगा या वे उनके मामले में खामोश रहेंगे फिर इन फ्राड्यूलेंट पर कैसे कबूर पाया जाए, आप उस बारे में जरा बताईये।

شری عبدالرشید کابلی: میں دوسرا سوال آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کمپنی کسی پالیٹیکل پارٹی کو ہیلپ رینڈر کرے گی تو پہلے تو وہ کارخانہ دار رعایت چاہے گا سرکار سے لون سبسڈی وغیرہ جائے گا وہ چاہے گا اسے کوئی لائسنس مل جائے تو ایسی حالت میں پالیٹیکل پارٹیز کیا رویہ اختیار کریں گی۔ سرکار اسکے بارے میں کون سا اُپائے تلاش کرے گی۔ جہاں بھی اس قسم کی مانگ ہے ان پالیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوگی انکو ڈیفینڈ کیا جائے گا یا وہ ان کے معاملے میں خاموش رہیں گے پھر ان پر کیسے قابو پایا جائے آپ اس بارے میں ذرا بتایئے۔

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ने दो शंका हमारे समक्ष रखी हैं। पहली तो यह कि उन्हें यह लगता है कि ये चंदे श्रमिकों के श्रम से दिए जाएंगे। विधेयक में हम यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि यह चंदा श्रमिकों को बकाया सभी देय राशि के भुगतान के बाद शुद्ध मुनाफे का केवल 5% ही होगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मेरा प्रश्न यह है कि इसमें श्रमिकों की भागीदारिता के लिए क्या कोई गारंटी है ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : बताता हूं। मैंने कहा था कि भागीदारिता का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि श्रमिकों के हिस्से में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो कुछ चंदे के रूप में दिया जा रहा है वह शेयरधारियों के लाभ में से दिया जा रहा है। श्रमिक इसके लिए कुछ नहीं दे रहे। वह निजी क्षेत्र में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारिता का प्रश्न भी उठा रहे हैं। यह एक अलग मामला है।

दूसरी शंका उन्होंने यह व्यक्त की है कि इस बात की क्या गारंटी है कि राजनैतिक दलों को चन्दा देने वाली कंपनियां सत्तारूढ दल से फायदा नहीं उठाएंगी। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जो आदमी चन्दा दे रहा है वह उसे अपनी जेब से नहीं दे रहा। कंपनी में उसका शेयर केवल 10, 15 या 20% हो सकता है। शेष रकम तो शेयरधारियों तथा वित्तीय संस्थानों की होती है। अगर वह ऐसा करता भी है तो जनता की जानकारी, माननीय सदस्यों की जानकारी में आए बिना नहीं कर सकता। अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में यह बात आएगी तो वे इस मुद्दे को यहां या किसी और मंच पर उठा सकते हैं तथा उस पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्य बहुत सी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जबकि आजकल राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर रोक है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस पर भी वे अन्य बातें बता रहे हैं। उनके हिसाब से सरकार अनेक घोटालों में शामिल है। क्या उनकी यहां चर्चा नहीं की जा रही है। अगर चन्दे के कारण किसी कंपनी के साथ कुछ पक्षपात किया भी गया तो यह बात गुप्त तो रहेगी नहीं। इस पर यहां चर्चा हो सकती है और हमें उसके जवाबदेह होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह काला कानून है। मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

2.11 म० प०

तत्पश्चात् श्री अब्दुल रशीद काबुली सदन से बाहर चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप इस पर मत विभाजन चाहते हैं ?

श्री बुद्ध देव आचार्य : मैं मत विभाजन नहीं चाहता।

———

2.12 म० प०

आयुध (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयुध अधिनियम 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हाल ही में हमने उग्रवादियों की गतिविधियों की चर्चा की थी। उनके द्वारा आग्नेयास्त्रों तथा गोलाबारुद की मदद से मनमानी हिंसात्मक कार्रवाईयों से स्थिति ने एक नया मोड़ ले लिया है। इन कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले आग्नेयास्त्र तथा गोला बारूद प्राधिकृत माध्यमों से प्राप्त किया जा रहा है।

उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ने तथा निर्दोष लोगों के विरुद्ध हिंसक कार्यवाही करने में हथियारों के अधिकाधिक उपयोग के कारण यह जरूरी हो गया है कि आयुध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दण्ड को और कड़ा बनाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोग इनका उल्लंघन न करें। अत: सरकार ने एक संशोधन विधेयक, प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम के कुछ उपबंधों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा की अवधि को बढ़ाकर एक साल कर दिया जाए। सामान्य परिस्थितियों में कानून के अन्तर्गत जो कुछ अपराध आते हैं यह ज्यादातर सब अपराधों पर लागू होगा। देश के कुछ हिस्सों को जैसे दिल्ली तथा संघशासित प्रदेश चंडीगढ़ को "उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में अपराध करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए, ऐसे अपराधों के लिए कम से कम तीन वर्ष की कारावास की वर्तमान अवधि बढ़ाकर 7 वर्ष करने तथा जुर्माना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों का धारा 24-क या 24-ख में उल्लेख किया गया है, उनमें इस धारा के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं का उल्लंघन करने पर कम से कम सजा को एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है और अधिकतम सजा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है।

इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य, हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से अनधिकृत हथियारों का निर्माण, उनको रखकर, उनका पाया जाना या उनको लेकर चलना, आदि पर रोक लगाना है। अत: मैं, विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले चर्चा आरम्भ हो, मै जानना चाहूंगा कि इसके लिए कितना समय निर्धारित किया जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौनानी) : दो घन्टे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : हम आज इस विधेयक पर कार्य समाप्त करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर भी विचार करना है । इसलिए हम एक घन्टा निश्चित करते हैं और बाद में देख लेंगे ।

कई माननीय सदस्य : ठीक है ।

2.14 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए ।]

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी (कुरनूल) : श्रीमन्, मै विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन शस्त्र विधेयक को लागू करने में आने वाली कुछ व्यावहारिक मुश्किलों का उल्लेख करना चाहता हूं । कारावास की अवधि 7 वर्ष बढ़ा देने से ऐसे मामले सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के समक्ष अवश्य ले जाने होंगे । अब, ये मामले मुंसिफ मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के क्षत्राधिकार में नहीं रहेंगे । मुंसिफ मेजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के वजाय सहायक सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनवाई किये जाने से जो देरी होगी, हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा । आप अपने आप ही क्षेत्राधिकार और न्यायालय को बदल रहे हैं जहां कि पहले शस्त्र विधेयक से संबंधित सामान्य अपराधों की सुनवाई होती थी ।

इसलिए, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस तथ्य के बावजूद कि आपने कारावास की अवधि बढ़ा दी है हमें दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन करना चाहिए ताकि मुंसिफ मजिस्ट्रेट ऐसे सभा आतंकवादियों के मामलों की सुनवाई कर सकें । यह मेरा पहला सुझाव है ।

मेरा अगला सुझाव है कि शस्त्र विधेयक के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है । इससे काफी देर लग जाती है । एक वकील की हैसियत से और विधि मंत्री रह चुकने के कारण, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जहां कही शस्त्रों और विस्फोटकों के प्रयोग से हत्या हुई हो, वहां चार्ज शीट दाखिल करने में काफी देर लग जाती है । और जब कभी पुलिस से पूछा जाता है कि देरी क्यों हुई, वे हमेशा कहते हैं कि हमने मंजूरी के लिए लिखा था और जैसा ही राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट मंजूरी देगा, हम चार्ज शीट दाखिल करने में कई बार एक से दो वर्ष की देरी हो जाती है । इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि ऐसे मामलों में चार्ज शीट दाखिल करने के बाद भी मंजूरी प्राप्त की जा सके, ताकि उन्हें जल्द निपटाया जा सके । मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि शस्त्र और विस्फोट वाले मामलों को जल्द

[श्री ई० अय्यापु रेड्डी]

निपटाया जाए, छह माह या एक वर्ष के भीतर निपटा दिया जाए। चार्ज-शीट दाखिल करने में एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं, विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, आयुध (संशोधन) बिधेयक बहुत आवश्यक है और आज की परिस्थिति देखकर चंडीगढ़ और पंजाब के हालात के आधार पर ही यहां लाया गया है। इस बिल की जो मंशा है और उसमें सजाएं बढ़ाने का सुझाव रखा गया है, यह दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, क्योंकि अभी जो हथियार एकत्रित किये जाते हैं या विस्फोटक पदार्थ एकत्रित किये जाते हैं, वह साधारण विस्फोटक कानून के अन्तर्गत इकट्ठे होंगे। बिना लाइसेंस के हथियार रखना या निर्माण करना, यह इन दोनों तक ही सीमित नहीं है। इसलिए इसमें और सख्ती होनी चाहिये और इनका निर्माण न हो सके, इस ओर ध्यान जाना चाहिये था।

साधारण कानून परिवर्तन की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आज जो हथियार एकत्रित किये गये हैं, वह पूरे तरीके से देश को तोड़ने के लिए और देशद्रोह के लिए हैं। इसे साधारण कानूनी अपराध के रूप में न लेकर दूसरी तरह से देखा जाये।

यह साफ है कि वहां जो कुछ उभार सामने आया है, भले ही उसका रूप कुछ दीखता हो, इसके पीछे कोई धार्मिक उन्माद का रूप है, इतना ही नहीं है। धार्मिक उन्माद को आवरण के रूप में लाया गया है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिये और ऐसे थोड़े से लोग तो देश को धर्म के नाम पर फिर बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी तरफ जो उनसे हमें संघर्ष करना है, वही संघर्ष का एक हिस्सा यह भी है कि वे हथियार न इकट्ठे कर सकें। गलत तरीके से हथियार बना न सकें। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद की ओर हमारे शासन का ध्यान पूरे तरीके से जाय। आम उसके तीन अलग-अलग हिस्से हैं। एक तो वह है जो आम लोग जो इसके साथ बिल्कुल नहीं हैं। उसको मजबूती के साथ और मजबूत किया जाए। यह एक सीमा है। हम केवल अगर हथियार की रोकथाम कर पाए, इतनी दूर तक ही सीमित रहे, तो आम लोगों की जो भावना इसके खिलाफ है, अगर उस तरफ ध्यान नहीं गया तो हम फिर से वही गलती करने की तरफ चले जायेंगे। जिस गलती के कारण देश का बंटवारा हुआ था। वही साम्प्रदायिकता को फिर वहां उभारने का प्रयत्न हो रहा है। उसके खिलाफ पंजाब की जनता, जिसके लिए हम इस कानून को वहां लागू करना चाहते हैं, चंडीगढ़ की जनता पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूं इसके खिलाफ रोज-ब-रोज संघर्ष कर रही हैं। वहां पर राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत जबरदस्त है। धर्म के नाम पर वहां किसी तरह की अलगाव की भावना नहीं है, उसमें वहां विस्फोट करने का प्रयत्न हो रहा है।

वहां के सिक्ख और वहां के गैर सिख, चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हो या कोई भी हों— उनके अन्दर राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। मगर साथ ही साथ धर्म के नाम से जो वहां पर खेल-खेला गया है, देश का बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है, फिर उनके अन्दर एक भावना पैदा हो रही है, ऐसे लोग जो वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयत्न करें, तोड़-फोड़ करने के प्रयत्न आम जनता के अन्दर उभर नहीं पा रहे हैं। उसी को भयानक रूप में लाने के लिए, आतंकवादी रूप पैदा करने के लिए, यह एक तरीका आतंकवाद का तैयार किया गया है। उसमें यह गैर कानूनी हथियार का निर्माण, जो देशी और विदेशी ताकतें वहां पर उभर रही हैं, उनको जो हथियार के रूप में मिला है, यह एक माध्यम है। इस माध्यम को रोकने के लिए जो आप कानून बना रहे हैं, इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें और कड़ाई लायें। देशद्रोहात्मक रूप लाकर देशद्रोह के लिए जो कानून लागू होता है, ऐसे हथियार जमा करने वालों के ऊपर या निर्माण करने वालों के ऊपर यह पूरे तरीके से लागू हो और इस कानून का सख्ती के साथ उपयोग किया जाए।

दूसरा निवेदन यह है कि यह न देखा जाए कि जो कानूनी हथियार हैं, उसका उपयोग अगर गलत ढग से हो रहा है, और इस बारे में आपको आभास हो जाता है, तो उस कानून को भी अपने हाथ में ले लें। यह कानून भी उनके ऊपर लागू हो। यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, सरकार ने शस्त्र संशोधन विधेयक, 1985 पेश किया है, जिसका उद्देश्य 1959 के इस विधेयक को अधिक कठोर बनाया जा सके। 1983 में इस विधेयक में संशोधन किया गया था।

इसमें पुनः संशोधन किया जा रहा है। सरकार को इसे पेश करने की आवश्यकता क्यों हुई ?

भारत के उत्तरी भागों विशेषकर पंजाब में आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को दबाने के लिए सरकार ने यह विधेयक पेश किया है और सरकार का इरादा शस्त्र अधिनियम का संशोधन करने का है, लेकिन मुझे शक है कि सरकार का यह उद्देश्य पूरा होगा, और क्या यह विधेयक सरकार को देश के किसी भाग में आतंकवादी गतिविधियों, कार्यवाहियों को रोकने, दबाने आदि में सहायक होगा। आजकल इस बारे में कई एक कानून और अधिनियम हैं। और फिर भी ये गतिविधियां न केवल हो रही हैं, बल्कि इनमें वृद्धि भी हो रही है। ये न केवल आतंकवादी गतिविधियां हैं, बल्कि देश के कई भागों में कानून और व्यवस्था की भी समस्या है। परसों ही बिहार में सी०पी०आई० के दो कार्यकर्त्ताओं को मार दिया गया। अप्रैल में, बिहार में, 20 आदिवासियों की हत्या की गई थी। जमींदार और सम्पत्ति वाले अनधिकृत हथियार और गोला-बारूद इस्तेमाल करते हैं। अतः वे केवल शहरी लोगों में, बल्कि ग्रामीण लोगों में भी ये गतिविधियां बढ़ रही हैं जिससे कि भूमि संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।

[श्री वसुदेव आचार्य]

आतंकवाद हमारे देश के लिए एक गम्भीर समस्या है। जैसा कि आप जानते हैं, तीन-चार दिन पूर्व दिल्ली में ही करीब 70 लोगों की हत्या की गई थी। इस सभा में हमने इस विषय पर चर्चा की थी। अभी भी कुछ भागों में ये गतिविधियां जारी हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि जहां ये अवैध ट्रान्जिस्टर बम्ब बनते थे, वहां से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उस स्थान की तलाश की गई है और सारी बातें सामने आई हैं। जो तीन आदमी गिरफ्तार किये गए हैं, उनमें से एक आदमी की मौत हो गई है। यह एक हैरानी की बात है कि जो तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, उनमें से एक व्यक्ति की कैसे हत्या हो गई। ये केवल सबूतों को छिपाने के लिए ही किया गया है। गृह मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि जो हथियार आदि इस्तेमाल किये गये थे, उन पर कुछ देशों के निशान हैं।

जब इन हथियारों की हमारे देश में विदेशों से और पाकिस्तान से तस्करी होती है, तो इन शस्त्रास्त्रों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं ? केवल कानून पारित कर देने से या पुलिस को इन उग्रवादियों के प्रति ज्यादा अधिकार देने से ये गतिविधियां समाप्त नहीं की जा सकतीं। पंजाब समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। पंजाब समस्या को सुलझा कर और उग्रवाद के विरुद्ध प्रचार करके ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। यहां तक कि अधिकांश सिखों का भी इन आतंकवादियों गतिविधियों का समर्थन प्राप्त नहीं है। हमने दिल्ली में हुए दंगों के बाद ऐसा देखा था; इनमें से अधिकांश लोगों ने, तोकतांत्रिक और शांति-प्रिय लोगों ने इन गतिविधियों का विरोध किया था। केवल मुट्ठी भर लोग ही इन गतिविधियों में संलग्न हैं और उन्हें अलग-थलग कर दिया जाना चाहिए। केवल पंजाब समस्या का हल ही इन गतिविधियों को रोक सकता है, दबा सकता है। इस कानून को पारित कर, उग्रवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि अराजकता बढ़ रही है। जो लोग कानून और व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करते हैं, उनसे निपटने के लिए ही इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। जैसा कहा गया है, उग्रवाद को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता में इस बात का प्रावधान है कि अपराधों और षडयंत्रों को उकसाने के लिए दण्ड दिया जाए। क्योंकि यह एक विशेष अधिनियम है, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि न केवल अवैध हथियारों और गोला बारूद रखने वालों को ही दण्डित किया जाए बल्कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास न तो हथियार हैं और न ही वे अवैध हथियार और गोला-बारूद रखते हैं, लेकिन फिर भी वे इन सब काले-कार्यों और अपराधों को करवाने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यक्ति बच सकते हैं। वे लोग जो इस प्रकार की गतिविधियों से सबधित हैं, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है सजा, आजीवन कारावास हो सकती है। एक व्यक्ति जो हत्या करता है उसकी अधिकतम सजा फांसी है। यहां के व्यक्ति जो हथियार और

ट्रांजिस्टर बम्ब लेकर कई व्यक्तियों को मारने के लिए जाता है उसे हल्की सजा नहीं मिलनी चाहिए। हथियार और गोला-बारूद लेकर घूमना या उनका किसी के पास पाया जाना, किसी को गहरी चोट पहुंचाना या हत्या करने के उद्देश्य से ही है और इसके लिए न्यूनतम सजा, आजीवन कारावास ही है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अन्तिम मुद्दा यह है, अधिनियम की धारा 25 में एक उपबन्ध है, :

> "परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से 6 मास से अन्यून अवधि के कारावास का दण्ड दे सकेगा।"

अब सजा को बढ़ाया गया है। लेकिन अपराध अभी भी वही है। और सजा भी इतनी है "न्यायालय उठने तक की सजा दी जाए" यानि कि एक दिन की सजा। अत: मंत्री महोदय को विचार करना कि क्या यह उपबन्ध रहना चाहिए या नहीं।

मेरे ये सुझाव हैं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि स्थिति से निपटने के लिए और सख्त सजा दी जानी चाहिए और उग्रवादियों और आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं समझ सकता हूं कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार ने यह कैसे महसूस किया कि केवल सजा बढ़ा देने से ही लोगों को गैर-कानूनी तरह से शस्त्रास्त्र रखने या उसके इस्तेमाल से रोका जा सकेगा। मात्र सजा बढ़ा देने से ही विधेयक निवारक नहीं बन जाता। आप सजा को बढ़ाते जाए। लेकिन इसे लागू करने के लिए आपने क्या किया है, आपकी मशीनरी क्या है, अपराधों के विरुद्ध, अपराधियों को पकड़ने के लिए इन उपबंधों को लागू करने के लिए क्या ध्यान दिया गया है ? व्यवहार में वे इन व्यक्तियों को कैसा पाते हैं ? ऐसे कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनके पास अवैध हथियार हैं या उनका प्रयोग कर रहे हैं ? और इन लोगों को क्या सजा दी गई ? मुख्य अपराध के करने, यानि किसी की हत्या के लिए हथियार का प्रयोग करने, अगर किसी को अपंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तब उस व्यक्ति को इस कृत्य के लिए सजा मिलेगी और आयुध अधिनियम के अन्तर्गत भी सजा मिलेगी। लेकिन सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर देने से कोई निवारण नहीं हो जाता। देश के विभिन्न भागों— पंजाब, गुजरात और अन्य स्थानों पर हाल ही में हुई वारदातों और जहां आंदोलन चल रहा था और पुलिस और लोगों के बीच टकराव की वजह से सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा है। इनमें काफी संख्या में हथियारों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ। इन लोगों के पास ये हथियार कैसे आए ? इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि हथियारों की इस देश में तस्करी न हो और जिन लोगों के पास कानूनी तौर पर हथियार हैं उनका भी उन लोगों द्वारा गैर-कानूनी तौर पर उपयोग न किया जा सके जो अपराध करना चाहते हैं। इसके लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यकुशल गुप्तचर व्यवस्था व योग्य पुलिस-बल की आवश्यकता है। जब से ये झगड़े शुरू

[श्री एच० एम० पटेल]

हुए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं अपने प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए और कानून और व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए ? इसके विपरीत, हमें सारी घटनाओं से पता चलता है कि, इस तंत्र और कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो, हाल ही के दिनों में जो वारदातें हुई हैं, वे शायद न होती। इसलिए, जहां एक ओर उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करने चाहिए, वहीं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध गतिविधियों को जहां तक सम्भव हो दबाया जाना चाहिए। प्रश्न मात्र यह है कि क्या सजा बढ़ा देना ही एकमात्र उपाय है। माननीय मंत्री को ब्रिटिश इतिहास की जानकारी होगी। एक समय में ब्रिटेन में अनधिकार शिकार करने की सजा मृत्यु-दण्ड थी। इस पर काफी सौम्यता दिखाई गई और न्यायाधीश ने मात्र कहा कि अपराध किया ही नहीं गया। इसी प्रचार की बात कही गई थी। इसलिए मात्र सजा बढ़ा देने से ही उस अपराध को नहीं रोका जा सकता, जिसकी मांग की मंशा हो।

यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार के विधेयकों को पारित किया जाए या नहीं क्योंकि इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता लि आप सजा बढ़ा रहे हैं या नहीं। मैं नहीं समझता कि इससे विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। जो कारण दिये गये हैं, वह है कि वर्तमान सजा से कठोर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि वर्तमान सजा ही पर्याप्त है। इसका जो कुछ भी निवारक प्रभाव होना है वह हो रहा है। इस सजा को तीन से बढ़ाकर 5 वर्ष करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। मगर सरकार समझती है कि ऐसा न करने से वह चल नहीं पाएगी, तो विधेयक का स्वागत है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस तथ्य पर कुछ विचार करें कि मात्र सजा बढ़ा देने से ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपनी कानून लागू करने वाले तंत्र को जितना हो सके कार्यकुशल बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मिस्टर चेयरमैन सर, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि इस बिल में कोई बुनियादी तब्दील तो नजर आ नहीं रही है, जो इसमें कोई ऐसी खास दफा हो, जिसके जरिए आप चाहते हों, कि इसको ज्यादा डिटरेण्ट बनाएं, ताकि जो ये बिला लाइसेंस आर्म की मौजूदगी बराबर बढ़ रही है, बिला लाइसेंस आर्मस तकसीम हो रहे हैं, इस मुल्क के अन्दर स्मगलिंग हो रही है। ऐसे इंतहा पसंदों के हाथ में लग रहे हैं और उससे वहशत और सालमियत को खतरा बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आपके द्वारा 3 साल से 5 साल का वकफा कर देने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और मैं समझता हूं कि अगर इस मकसद को हासिल करना है और इस मुल्क में जो ये टैररिज्म और इंतिहा पसंद लोगों की कार्यवाहियां बढ़ रही हैं और खास तौर से हमारे बार्डर के आस-पास के इलाकों में जो बहुत बुरी तरह से हमारे मुख्तलिफ अफरात मुतास्सिर हो रहे हैं, तो उनका इलाज सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। उसके लिए तो मैं चाहता हूं और जैसा प्राइम मिनिस्ट साहेब ने भी खुद कहा था कि पालिटिकल बिल इसके लिए जरूरी है। लेकिन आपके द्वारा ऐसा बिल लाना जाहिर करता है कि आपके पास पालिटिकल बिल नहीं है, और आप सिर्फ कानून लाकर ही यह बात करना चाहते हैं, जबकि इस प्रकार से यह कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार का कानून

लाकर आप वह शिकायत या नाराजगी दूर करना चाहते हैं, जो आज अपोजीशन में है। मैं समझता हूं यह सिर्फ अपोजीशन पार्टी का मसला नहीं बल्कि हम सब इसमें एक हैं। पूरी ताकत के साथ, सारी शक्ति को अपने हाथ में लेकर आपको इस टैरिज्म को खत्म करना चाहिये और जो लोग नाजायज तौर पर हथियारों को जमा कर रहे हैं, विदेशी मुल्कों से हमारे देश में आ रहे हैं और इस तरीके से ये जो बढ़ रही है, इसका कोई उपाय करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे पास कानून की कोई कमी नहीं है। जब यह कानून पहले भी मौजूद था, तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मिनिस्टर से यह सवाल करूंगा कि वे बताएं कि जब तीन साल की मुद्दत के लिए यह सजा थी, तो कितने लोगों को इस कानून के शिकंजे में बांधा और उनके खिलाफ क्या सख्त कार्यवाही की गई, ये बात वे हाउस के सामने लाएं। यदि वे इस मुद्दत को तीन से पांच या दस साल भी करें, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पडता है। मैं समझता हूं कि इसका कोई इलाज पास करने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए शउरी, कांश्यस एफर्टस और पोलिटिकल बिल चाहिए, डिटरमिनेशन चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार के पास इतने साधन हैं, सरकार के पास कुव्वत है, सरकार के पास इतना कांफिडेंस है और सरकार को इसमें अपोजीशन की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा, तो क्या वजह है कि सरकार सिर्फ कानून को पास करने की हद तक, इन हालातों में, मुश्किलात और मुसीबतों का मुकाबला कर रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ?

चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से एक और बान आनरेबुल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि डकोइटस मैनेस इस मुल्क के अन्दर है। ऑनरेबल मिनिस्टर जानते हैं कि इन डकोइट्स के पास अक्सर और बेशतर आर्म्स आर्डिनेंस फैक्ट्री या वे पुलिस, आर्मी से आए होते हैं और जब वे हथियार पुलिस के हाथ लगते हैं, तब इस बात का पता लगता है, तो यह एक बहुत बड़ा स्केण्डल इस मुल्क में चल रहा है इसका कोई उपाय आपके पास नहीं है। जब हम उन एण्ट्री पाइंट्स पर रोक लगाते हैं, जहा से बाहर के मुल्क हमारे मुल्क के अन्दर दरामद न करें, इम्पोर्ट न करें ये आर्मस, वहां उससे ज्यादा खतरा मुल्क के अन्दर होगा। जहां पर कि हम यह देख रहे हैं कि हमारी ही आर्डिनेंस फैक्ट्री से मशीनगन्स, आर्मस, पिस्टल, थ्री नाट थ्री राइफल्स, ये सारी चीजें जो बाजऔकात हाथ लगती हैं, उसका आपने क्या इलाज किया है ? इस पर रोक लगाने के लिए आपने कौन सा कानून पास किया है ? जब ये चीजें हमारे देश में और हमारे सामने हो रही हैं, तो इनके ऊपर पहले कोई कार्यवाही करना जरूरी है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वायलेंस का इस मुल्क में खात्मा होना चाहिए। डेमोक्रेसी और बायलेंस साथ-साथ नहीं चल सकती। आज जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, यह बहुत डरावनी है और हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, सूरते हालात बहुत खतरनाक हैं, जो कि पूरी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हैं। खुदा-न-खास्ता अगर हमने इस टैररिज्म का खात्मा नहीं किया तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। इस देश के अन्दर इस किस्म की वायलेंस जब किसी लौजिक कन्क्लूजन पर पहुंच गई, तो उस वक्त डेमोक्रेसी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि डेमोक्रेसी के सरवायबल का जहां तक सम्बन्ध है, तो इस टैररिज्म का खात्मा होना चाहिए, आर्म्स को डम्प करना चाहिए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना चाहिए और अनलाइसैन्स्ड आर्म्स को रोकना इन सब का इलाज आपके पास होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप पालिटिकल बिल का इस्तेमाल करें, इस सारे मैनेस का मुकाबला करने के लिए।

شری عبد الرشید کابلی (سر نگر) : مسٹر حیئرمین سر جہان تک اس بل کا تعلق ہے مین آپ کے مادھیم سے سرکار کو یہ کہنا چاہونگا کہ اس بل مین کوئی بنیادی تبدیلی تو نظر آ نہین رہی ہے جو اس مین کوئی ایسی خاص دفعہ ہو جس کے ذریعہ آپ چاہتے ہون کہ اس کو زیادہ ڈیٹرینٹ بنائین تاکہ جو یہ بلا لائسنس آرم کی موجودگی برابر بڑھ رہی ہے بلا لائسنس آرمس تقسیم ہو رہے ہین اس ملک کے اندر اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ایسے انتہا پسندون کے ہاتھ مین لگ رہے ہین اور اس سے دہشت اور سالمیت کو خطرہ بڑھتا ہے۔ مین سمجھتا ہون کہ آپ کے دوارا ۳ سال سے ۵ سال کا وقفہ کو دینا کا کوئی خاص فرق نہین پڑیگا اور مین سمجھتا ہون کہ اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے اور اس ملک مین جو یہ ٹیررزم اور انتہاپسند لوگون کی کارروائیان بڑھ رہی ہین اور خاص طور سے ہمارے بارڈر کے آسپاس کے علاقون مین جو بہت بری طرح سے ہمارے مختلف افراط متاثر ہو رہے ہین تو ان کا علاج صرف قانون بنانے سے نہین ہوگا۔ اس کے لیے تو مین چاہتا ہون اور جیسا پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود کہا تھا کہ پولیٹکل ول اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آپ کے دوارا ایسا بل لانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے پاس پولیٹکل ول نہین ہے اور آپ صرف قانون لا کر ہی یہ بات کرنا چاہتے ہین جب کہ اس پرکار سے یہ کارپہ نہین ہو سکتا ہے۔ اس پرکار کا قانون لا کر آپ وہ شکایت یا وہ ناراضگی دور کرنا چاہتے ہین جو آپ اپوزیشن مین ہے۔ مین سمجھتا ہون یہ صرف اپوزیشن پارٹی کا مسئلہ نہین بلکہ ہم سب اس مین ایک ہین۔ پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ ساری شکتی کو اپنے ہاتھ مین لے کر آپ کو اس ٹیررزم کو ختم کرنا چاہیے

اور جو لوگ ناجائز طور پر ہتھیاروں کو جمع کر رہے ہیں وہ بیرونی ملکوں سے ہمارے دیش میں آ رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ جو بڑھ رہی ہے اس کا کوئی اپائے کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس قانون کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ قانون پہلے بھی موجود تھا تو میں آپ کے مادھیم سے آنریبل چیئرمین صاحب منسٹر سے یہ سوال کرونگا کہ وہ بتائیں کہ جب تین سال کی مدت کے لیے یہ سزا تھی تو کتنے لوگوں کو اس قانون کے شکنجے میں باندھا اور ان کے خلاف کیا سخت کارروائی کی گئی یہ بات وہ ہاؤس کے سامنے لائیں۔ یدی وہ اس مدت کو تین سے پانچ یا دس سال بھی کریں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج پاس کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے شعوری کانشس ایفرٹس اور پولیٹکل ول چاہیے۔ ڈیٹرمینیشن چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کے پاس اتنے ساد ھن ہیں سرکار کے پاس قوت ہے سرکار کے پاس اتنا کانفیڈینس ہے اور سرکار کو اس میں اپوزیشن کی اور سے پورا سہیوگ ملیگا تو کیا وجہ ہے کہ سرکار صرف قانون کو پاس کرنے کی حد تک ان حالاتوں میں مشکلات اور مصیبتوں کا مقابلہ کر رہی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔

چیئرمین سر۔ میں آپ کے مادھیم سے ایک اور بات آنریبل منسٹر سے پوچھنا چاہونگا کہ ڈکوئٹس مینیس اس ملک کے اندر ہیں۔ آنریبل منسٹر جانتے ہیں کہ ان ڈکوئٹس کے پاس اکثر اور بیشتر آرمس آرڈ نہنس فیکٹی یا وہ پولیس آرمی سے آئے ہوتے

ہیں اور جب وہ ہتھیار پولیس کے ہاتھ لگتے ہیں، تب اس بات کا پتہ لگتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل اس ملک میں چل رہا ہے۔ اس کا کوئی اپائے آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب ہم ان انڈسٹری پالیسیز پر روک لگاتے ہیں جہاں سے باہر کے ملک ہمارے ملک کے اندر درآمد نہ کریں یہ آرمس وغیرہ اس سے زیادہ خطرہ ملک کے اندر ہوگا۔ جہاں پر کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہی آرڈننس فیکٹری سے مشین گنس آرمس پسٹلس تھری ناٹ تھری رائفلس یہ ساری چیزیں جو بعض اوقات ہاتھ لگتی ہے اس کا آپنے کیا علاج کیا ہے۔ اس پر روک لگانے کے لیے آپ نے کون سا قانون پاس کیا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے دیش میں اور ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تو ان کے اوپر پہلے کوئی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائلینس کا اس ملک میں خاتمہ ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی اور وائلنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج جو ہوسٹیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ڈراونی ہے اور حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ صورت حال بہت خطرناک ہے جو کہ پوری ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کیا تو اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں چلے گی۔ اس دیش کے اندر اس قسم کی وائلنس جب کسی لاجک کنکلوژن پر پہنچ گئی تو اس وقت ڈیموکریسی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے سروائول کا جہاں تک سمبندھ ہے تو اس ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے آرمس کو ٹیمپ کرنا چاہیے ان کے ڈسٹربینسس کو روکنا چاہیے اور

ان لائنسنڈ آرمس کو روکنا ان سب کا علاج آپ کے پاس ہونا چاہیے اور نہیں چاہوں گا کہ آپ پولیٹکل بلڈ کا استعمال کریں۔ اس سارے مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔

[अनु वाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि आज आवश्यकता है हमारे देश में हथियारों के जमाव को रोका जाए, ताकि हथियारों को इकट्ठा करने और उनके रखे जाने और अधिक कठोर बनाया जा सके और शर्तों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। इस विधेयक में आयुध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।

हमें देश में बढ़ रहे आतंकवाद को समाप्त करना है, जो देश के लिए चुनौती बना हुआ है। जिस गति से यह बढ़ रहा है वह चिन्ताजनक है। उग्रवाद हमारे लोकतन्त्र के लिए खतरा है, हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए यहां तक सारे राष्ट्र को, इसकी अखण्डता और एकता के लिए खतरा है। इसलिए इस बढ़ते हुए उग्रवाद को रोकने के लिए हर सम्भव भरसक प्रयास किये जाने चाहिए। केवल इस अधिनियम में संशोधन करने मात्र से ही उग्रवाद पर नियंत्रण नहीं हो जाएगा। जैसा कि पहले कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में सुझाव दिया है, और मैं भी उनसे सहमत हूं हमारे यहां कई एक कानून हैं, लेकिन फिर भी अपराध बढ़ ही रहे हैं। पंजाब में हुए अपराध और विशेषकर आतंकवादियों के खिलाफ आपराधिक मामले, बहुत कम दर्ज किये गये हैं। इसलिए हमें कानून और व्यवस्था तंत्र को सुचारू बनाना होगा ताकि इन मामलों का पता लगाया जा सके और जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके सशस्त्र हथियारों के रख-रखाव के दोषी पाये जाएं उनका पता लगाकर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, अन्यथा इससे उद्देश्य प्राप्ति नहीं होगी।

(व्यवधान)

मेरा एक सुझाव है। आतंकवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व में फैल रहा है। वास्तव में अब यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है और कई दफा कुछ प्रयोजनों के लिए विदेशी उग्रवादियों को भी भाड़े पर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इजरायली उग्रवादियों को भाड़े पर लिया जाता है, और इनको कुछ बड़ी विदेशी ताकतें और संगठन भी बढ़ावा देते हैं। इनको समाप्त करने के लिए, मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए और हमें अन्तर्राष्ट्रीय करार करने चाहिए। मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि वे इस बारे मे प्रयास करें। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता है और इसे इस मच के माध्यम से अन्य मंच से उठाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी रोग बनता जा रहा है और कुछ बड़ी ताकतों द्वारा आतंकवादियों को पाला व बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए इसका हमारे देश में भी पूरी तरह से हल नहीं निकाला जा सकता है। इसे गम्भीरता से लेकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाना चाहिए, और सहमति की जानी चाहिए।

[श्री बल्लभ पाणिग्रही]

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कानून और व्यवस्था तंत्र को सुचारू और मजबूत बनायें। हालांकि आन्तकवाद को प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए और अधिक कड़े उपाय किये जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आज शाम को जो आतंकवाद निवारण विधेयक पेश किया जायेगा उसमें इन सभी पक्षों को ध्यान में रखा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, समय बहुत कम है। टैररिस्ट के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाए, वह ठीक है। लेकिन मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो इलाका डिस्टर्ब इलाका नहीं घोषित किया गया है और मुल्क के कई ऐसे हिस्से हैं, जहां इस तरह की कानून विरोधी हरकतें हो रही हैं और राजनीतिक मर्डर खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। इसमें स्टैनगन और ब्रेन-ड्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे यहां बिहार में खास तौर से पिछले तीन-चार सालों के अन्दर सैंकड़ों पोलिटिकल मर्डर हुए हैं। जिसमें क्रिमिनल लोगों की पोलिटिकल बैकिंग है। उन्होंने इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करके और बहुत बड़े-बड़े लीडरों की हत्या की है।

अभी हाल में गया जिले के घोषी थाना में पांच कम्यूनिस्ट लीडरों की हत्या पार्टी आफिस के सामने स्टेनगन से कर दी गई। जिन लोगों ने हत्या की है, उनकी पोलिटिकल बैकिंग है। आज हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी के सामने इस बात को रखा है और उनको लिख कर भी दिया है। इस तरह से नाजायज हथियारों का इस्तेमाल करके पोलिटिकल बैकिंग के साथ और खास तौर पर सत्ता धारी दल के एक एम०पी० के सहयोग से इस तरह की बातें की जाती हैं, तो यह बहुत ही सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह की धारणा फैलाकर तनावपूर्ण वातावरण पैदा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर इसका असर समाज के अन्दर और देश के अन्दर शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने में सहायक होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जरूर चाहूंगा कि इस तरह के कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे मामलों में आप इन्टरफियर करें और इसकी जांच करें और जो दोषी हैं, उनको सजा दें।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मै विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को बहुत पहले ही पेश किया जाना चाहिए था। आतंकवाद के लिए कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता। मै यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में अराजकता धीरे-धीरे नहीं बल्कि अत्यंत तेजी से फैल रही है। इसलिए इससे निपटने के लिए कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, यद्यपि समाजशास्त्रियों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, ब्रिटेन, सिंगापुर, सोवियत संघ, जापान तथा अन्य अनेक देशों में गैर कानूनी आग्नेयास्त्र रखना एक गंभीर अपराध माना जाता है और उसके लिए लम्बी अवधि का कारावास

का दंड दिया जाता है। इसलिए मै इस विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु मेरी शिकायत यह है कि इस विधेयक को काफी विलंब से लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप यह धारणा बनती जा रही है कि सरकार तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए पहल नहीं कर पा रही है।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हू इस तरह के किसी भी कानून को लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आसूचना विभाग सतर्क रहे तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अच्छा तंत्र हो। दिल्ली, चंडीगढ़ तथा अन्य अनेक स्थानों में हाल ही में विस्फोटों की अनेक घटनाएं हुई हैं और ऐसा लगता है कि आसूचना विभाग सावधान नहीं रहा है। इसलिए एक ऐसे तत्पर तथा व्यावसायिक गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था करने के लिए कुछ किया जाना होगा जो सदा सतर्क रहे। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अवैध आग्नेयास्त्रों का बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है। यह मामला इतना गंभीर है कि केवल सामान्य पुलिस तंत्र इससे निपट नहीं सकता। इसलिए केन्द्र तथा सभी राज्यों को मिलकर प्रभावशाली ढंग से प्रयास करना चाहिए।

महोदय, आज दुःखद बात यह है कि कई कारणों से विधि और व्यवस्था तंत्र में अनुशासन नहीं है। इसलिए हमें पुलिस की भूमिका पर विचार करना होगा। आज महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पुलिस में अनुशासन की भावना कौन भरेगा ?

उस मामले में भी आग्नेयास्त्रों के संबंध में ऐसे अनेक मामलों का उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें पुलिस कर्मियों का हाथ था। उदाहरण के तौर पर इन्दौर में एक गिरोह पकड़ा गया, जिसके पास अवैध हथियार थे। इस संबंध में यह भी पता चला है कि इसमें कुछ पुलिस-कर्मियों का भी हाथ था जिनमें सीमा सुरक्षा बल, डी० आर० पी० लाइन तथा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के कुछ जवान शामिल थे। हमारे पास इस प्रकार का चौंका देने वाला समाचार है।

उत्तरी दिल्ली में भी, एक कारखाने का पता चला है जिसमें अवैध हथियार और गोला-बारूद बनाया जा रहा था। यह कारखाना लगभग पिछले 5 वर्ष से चल रहा था और इसे कच्चा माल उपलब्ध हो रहा था। इससे हम पुलिस तथा गुप्तचर विभाग के लोगों की साठ-गांठ का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि और व्यवस्था तंत्र तथा गुप्तचर विभाग को और मजबूत किया जाना चाहिए।

मैं संक्षेप में, जल्दी-जल्दी एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। हथियार या आग्नेयास्त्र दो प्रकार के हो सकते हैं; एक तो देशी रिवाल्वर हो सकते हैं, उनसे व्यक्ति घायल हो सकता है मर नहीं सकता। इस प्रकार के हथियारों के लिए कड़ी सजा देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अत्याधुनिक हथियारों के बारे में कड़े दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्टेनगन और स्वचालित राइफलें हैं। वर्तमान विधेयक में और कड़े दंड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस प्रकार

[श्री जी० एम० बनातवाला]

के मामलों में 10 वर्ष के कारावास का दंड हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अत्याधुनिक हथियार अपराध करने के लिए हैं, और उनसे हमें कड़ाई से निपटना होगा। हजारों स्वचालित बन्दूकें जैसे कि रूस की ए०के० 47, कलाशनिकोब राइफल अथवा अमेरिका के एम०आई० मशीन पिस्तौल आज देश के विभिन्न भागों में लोगों के पास गैर-कानूनी रूप से है।

मुझे आशा है कि भविष्य में जो भी कानून बनाया जाए उसमें विभिन्न प्रकार के हथियारों के अन्तर को भी ध्यान में रखा जाए ताकि हम स्थिति से सही ढंग से निपट सकें।

मैं एक महत्वपूर्ण बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। हाल में विदेशों से छोटे-छोटे हथियारों के रूप में उपहारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। साम्यवादी और मार्क्सवादी मुझसे नाराज हो जाएंगे यदि मैं यह कहूं कि ये हथियार कलकत्ता के रास्ते से देश में आ रहे हैं। मैं यह बिलकुल सही बात कह रहा हूं कि इन हथियारों को कलकत्ता के रास्ते से लाया जा रहा है क्योंकि वहां स्थानीय पुलिस और सीमा शुल्क अधिकारी अधिक सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। गृह मंत्री महोदय को विदेशों से छोटे हथियारों के रूप मे आ रहे उपहारों की संख्या में हो रही वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हथियार भी अनधिकृत और अवैध बाजार में पहुंच जाते है। विदेशों से आने वाले हथियारों के उपहारों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाना चाहिए। आपको सीमा शुल्क पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार विदेशों से हथियारो के आयात पर यह शुल्क बढ़ा देना चाहिए।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यदि सभा सहमत हो तो मेरा सुझाव है कि जब गृह मंत्री उत्तर देंगे, तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय में से हम 15 मिनट या जितना भी समय लेंगे, हम बिना अतिक्रमण उन्हें और समय देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

3.00 म० प०

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सभापति महोदय, मै उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद के दौरान बहुत मूल्यवान सुझाव दिए हैं। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या हमारे पास उग्रवादियों और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने का यही एकमात्र उपाय है? क्या सरकार कोई कानून लागू करना चाहती है और क्या इससे स्थिति में सुधार होने जा रहा है? यह बात कही गई थी। क्या इससे तस्करी को रोका जा सकेगा? क्या वास्तव में इससे कुछ आतंकवादियों और अन्य लोगों की गतिविधियों को रोका जा सकेगा? हम आतंकवाद के सम्बन्ध में एक भिन्न कानून बना रहे हैं। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों और उन्हें रोकने का संबंध है, हम सदन के समक्ष एक नया विधेयक पेश करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बहुत सीमित है और वह यह है कि जिनके पास अवैध हथियार, बिना लाइसेंस के अवैध हथियार है, यदि उनका पता चलता है तो उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज कराने होंगे और वास्तव में अभी तक जो दण्ड दिया जाता रहा है—चूंकि न्यायालय को यह अधिकार है कि वह

न्यूनतम छः महीने और अधिकतम तीन वर्ष की सजा दे—उसमें बहुत ही नरमी बरती जाती रही है। कुछ तरह के मामलों में, हमने अब न्यायालय की कम सजा देने की शक्ति को हटा दिया है। जब इसे विशेषकर विक्षुब्ध क्षेत्रों में, 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है तो कठोर समझी जाने वाली सजा न दिए जाने के विवेक को प्रयोग करने की शक्ति छीन ली गयी है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जहां साधारण अपराध किया गया है। उन मामलों में, यदि वे नरमी बरतेंगे तो उन्हें लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा कि उन्होंने यह क्यों सोचा कि परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम दण्ड से भी कम दण्ड दिया जाना आवश्यक था। अतः उन्हें कम सजा देने का कारण बताना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत आम बातें हैं। जो लोग पकड़े गए हैं और जिनके मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं, उनके बारे में इस कानून का बहुत सीमित उद्देश्य है कि कुछ क्षेत्रों में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के कारण किस तरह दण्ड को बढ़ाने की आवश्यकता है।

मेरे एक माननीय सहयोगी ने एक सुझाव दिया है कि क्या अधिकतम दण्ड, जो कि 7 वर्ष निर्धारित किया गया है. दिए जाने के कारण इनमें कुछ विलम्ब होने जा रहा है, क्या इन मामलों को निपटाने के लिए सत्र न्यायाधीशों या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ेगी और निचले न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। वास्तव में, यदि कुछ वर्षों के बाद हम महसूस करें कि कम से कम थोड़े समय के लिए निचले न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक हैं – हम इसे आवश्यक नहीं मानते– हमें यह आशा करनी चाहिए कि इस तरह के बहुत कम मामले होंगे। बहुत अधिक मामले इसमें लाने की आवश्यकता नहीं हैं। यह परिस्थितिवश इसकी आवश्यकता है तो उस स्थिति में हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या निचले न्यायालय के अधिकार बढ़ाते हुए ये मामले उच्च न्यायालय की बजाए इसे सौंपे जाने चाहिए।

दूसरा प्रश्न स्वीकृति के बारे में है जो कुछ मामलों में उपायुक्त और सरकार दोनों द्वारा दिया जाना आवश्यक है। क्या हम इस तरह का उपबन्ध बनाने पर विचार कर सकते हैं जिससे न्यायालय में मामला दायर होने के बाद एक वर्ष के भीतर यदि स्वीकृति दे दी जाती है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य द्वारा एक सुझाव यह भी दिया गया। मैं नहीं समझता कि इस समय ऐसा किया जाए क्योंकि विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, सरकार स्वयं यह देखने को बहुत इच्छुक है कि इन लोगों को दण्ड दिया जाये और मुकदमों को यथाशीघ्र समाप्त किया जा रहा है। हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि स्वीकृति शीघ्र दी जाए।

मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम एक पृथक कानून के रूप में आतंकवादी विरोधी विधेयक पेश करने जा रहे हैं। मेरे माननीय सहयोगी श्री केयूर भूषण इस प्रश्न का भी स्पष्टीकरण चाहते थे। शेष प्रश्न ये है, पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आदि, आदि।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

मेरे मित्र श्री बनातवाला ने एक ऐसे मामले के बारे में बताया है जिसमें कुछ लोगों द्वारा छोटे हथियारों के रूप में उपहार में भेजे गए हैं और इस पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने इस मुद्दे को नोट कर लिया है और मैं यह जानकारी अपने सहयोगी वित्त मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। इससे उन्हें राजस्व भी मिल सकता है। लेकिन जहां तक असली उपहार का संबंध है, आग्नेयस्त्र यहां तक कि छोटे अस्त्रों के रूप में उपहार भी कुछ विशेष शर्तों के अधीन दिए जाएं। उसके लिए उन्हें लाइसेन्स लेना होगा। सीमा शुल्क अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वे पूरी बातें पास बुक में नोट करें, उन्हें जारी किए जा रहे लाइसेन्स के बारे में पूरी संतुष्टि होनी चाहिए और केवल तभी वे उस व्यक्ति को दिए जाएं जिसे वे उपहार दिए गए हैं।

3.06 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं समझता हूं कि यह कहना अनुचित होगा कि पुलिस तंत्र असफल रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके सम्बन्ध में सदन में जानकारी नहीं दी जा सकती। मैं उस विचार से सहमत नहीं होना चाहता कि पंजाब या दिल्ली में आसूचना तंत्र असफल रहा है। सबने अपना कर्त्तव्य भली-भांति निभाया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ घटनाएं हुई हैं और सब सोचते हैं कि आसूचना तंत्र पूर्णतया असफल रहा है। दुर्भाग्य से जब मैं किसी दूसरे मामले की दलील पेश करता हूं तो मैं बता नहीं सकता कि उसमें आसूचना तंत्र ने क्या भूमिका अदा की। चूंकि मैं किसी बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं इसलिए इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यह तंत्र असफल रहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या आप पूर्णतः संतुष्ट हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं संतुष्ट हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रशासन के क्षेत्र में सुधार की कुछ गुंजाइश है। लेकिन जैसी स्थिति है, वह काम ठीक कर रहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : वे जिन मानदंडों में काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि यह कहने की कोई गुंजाइश हो सकती है कि वे पूर्णतः असफल रहे हैं।

ये मुद्दे उठाए गए थे। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित अन्य मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे तंत्र को अधिक कुशल बनाने हेतु इसे मजबूत करने तथा अधिनियम के उपबंधों को इस ढंग से लागू करने के लिए कि वह रोधक का काम करे, कार्यवाही करने में कोई रुकावट नहीं आएगी, बल्कि यह एक सीमित विधान मात्र है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास अवैध हथियार हैं अथवा जो गैर-कानूनी तरीके से आतंकवादी या उन असामाजिक तत्वों को शस्त्र देते हैं जो असामाजिक गतिविधियां करने का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। मैं केवल इतना ही कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर सदन द्वारा विचार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलावा) : मंत्री महोदय ने इस विधेयक पर बोलते समय अपनी बात पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और वहां के आतंकवादियों तक सीमित रखी है। लेकिन तथ्य यह है कि कुछ दिन पहले, जब गुजरात में आरक्षण के प्रश्न पर आंदोलन चल रहा था, गुजरात तथा अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत केवल पंजाब और दिल्ली आते हैं तो इससे उन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाएगी। इस अधिनियम के उपबंध समूचे देश पर लागू होने चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य ने विधेयक के विषय-वस्तु पर नजर डाली है तो उन्हें संतोष होगा। ऐसे क्षेत्रों जो विक्षुब्ध समझे जाते हैं और जो इसी प्रकार से अधिसूचित किए गए हैं, को शामिल करने के लिए इस तरह के सभी मामलों को इसके अन्तर्गत लाया जा रहा है। केवल पंजाब और चंडीगढ़ को ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः इस विधेयक के उपबन्ध केवल इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं अपितु निश्चित रूप से वे उन भागों पर भी लागू होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों पर चर्चा करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.11 म० प०

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगमों का रूप दिये जाने के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री एम० रघुमा रेड्डी द्वारा 19 अप्रैल, 1985 को पेश किए गए आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगमों का रूप देने सम्बन्धी संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री चिंतामणी जेना (बालासोर) : जबकि माननीय सदस्य आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निकाय बनाये जाने के इच्छुक हैं तो, मैं समझता हूं कि इन दोनों संगठनों को स्वायत्तशासी निकाय बना दिया गया तो उनका यह उद्देश्य कि वे निष्पक्षता से कार्य करेंगे, पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वे राजनीतिक पक्षपात को जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, छोड़ नहीं सकते। यदि देश में काम कर रहे अन्य स्वायत्तशासी निकायों पर नजर डाली जाये तो पता चलता है कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्या जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम और राज्य विद्युत बोर्ड ठीक से काम कर रहे हैं? बिलकुल नहीं। वे अव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। अत: हमें प्रचार माध्यमों को, जिसके जरिये हम जनता को शिक्षित कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में बता रहे हैं, उतना स्वायत्तशासी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये संगठन भी हमारे देश के अन्य स्वायत्तशासी निकायों की भांति अव्यवस्थित ढंग से चलें।

माननीय सदस्य श्री रेड्डी और कुछ अन्य सदस्यों, जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है, ने बी० बी० सी० का उदाहरण दिया है। लेकिन हम सभी को बी० बी० सी० का बहुत कटु अनुभव है।

बी० बी० सी० के कार्य करने के ढंग से ब्रिटेन सरकार को पिछले दिनों बहुत ही कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। मित्र देशों और राष्ट्र मंडल के देशों ने ब्रिटेन सरकार की आलोचना की जिसके लिए ब्रिटेन की सरकार को पिछले दिनों इन सरकारों से कई बार क्षमा मांगनी पड़ी थी। इसलिये, हमें बी० बी० सी० का उदाहरण नहीं देना चाहिए।

आकाशवाणी के बारे में बोलते हुए मैं इस सुझाव का घोर विरोध करता हूं कि आकाशवाणी को एक स्वायतशासी निकाय बनाया जाये। मुझे नहीं पता कि इसे स्वायतशासी निकाय बनाये जाने के पीछे माननीय सदस्य श्री रेड्डी का क्या इरादा है। अतीत में, जब हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जीवित थीं, हम देख चुके हैं कि जब कभी आकाशवाणी उनके भाषण या उनके कार्यों आदि के बारे में कोई घोषणा करता था तो कुछ आलोचक, हमारे देश के विरोधी दल के कुछ सदस्य—जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता— यही टिप्पणी किया करते थे कि यह आल इंडिया रेडियो नहीं अपितु आल इन्दिरा रेडियो है।

जब देश का प्रधान मन्त्री बोलता है, तो उसे निश्चित रूप से सरकार की नीतियों की, सरकार की उन कल्याणकारी नीतियों की घोषणा करनी चाहिए जो जन साधारण के लिए उपयोगी और लाभदायक होंगी। क्या उन्हें आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारित नहीं किया जाएगा। अतः जब कभी भी उनका भाषण प्रसारित किया गया तो अनेक लोगों ने कहा कि यह आल इन्दिरा रेडियो है। यदि इन दो संगठनों को विवादास्पद बनाने का या उन्हें राजनैतिक संस्थायें बनाने का इरादा है और यदि इसी इरादे से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। किन्तु जनता तथा इस सभा के माननीय सदस्य हृदय से इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे इन दोनों संगठनों में निश्चित रूप से गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

मंत्रालय तथा इन दोनों प्रचार माध्यमों के कार्य कारण के बारे में बोलते हुए, मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि वे लोगों के हित में सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। छठी योजना में देश की 70 प्रतिशत आबादी को दूरदर्शन कार्यक्रम सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु संसाधनों की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। यदि हम इसे एक स्वायत्तशासी निकाय बना देते हैं तो क्या हमें वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है ? संसाधनों की कमी के कारण ऐसा होना संभव नहीं है, क्यों जब सरकार ही लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, तो इस सरकार के अधीन निगम वांछित परिणाम कैसे प्राप्त कर सकेगा ? इसीलिये, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उनका मंत्रालय पिछड़े इलाकों, विशेषकर जन जातीय क्षेत्रों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुलभ कराने की ओर समुचित ध्यान दे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, आदि जैसे पिछड़े राज्यों के बारे में बोलते हुए, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यद्यपि मंत्रालय इन क्षेत्रों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने का प्रयत्न कर रहा है, किन्तु अपेक्षित परिणाम विशेषकर उड़ीसा के मामले में, प्राप्त नहीं हो सका है। उड़ीसा सरकार ने कम शक्ति वाले छः या सात और टी०वी० ट्रांसमीशन केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया था किन्तु संसाधनों की कमी के कारण, मंत्रालय ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, कि वह इस पर ध्यान देने की कृपा करें। मंत्री महोदय से मेरा यह विशेष अनुरोध है कि वरीयता जो मयूरभंज जिले का मुख्यालय है और जिसकी 80 प्रतिशत आबादी जन जातीय लोगों की है, में एक दूरदर्शन केन्द्र अवश्य स्थापित किया जाय। बालासोर, जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय को कई बार लिख चुका हूं। बालासोर, बाढ़, तूफान और बवण्डर प्रवण क्षेत्र हैं। जब माननीय मंत्री महोदय, संचार मंत्री थे, तब ऊन्होंने इस बात का ध्यान दिया होगा कि न तो बारीपाड़ा और न बालासोर क्षेत्र में ही टेलीफोन और टेलीनार्क लाइनों के लिये भूमिगत तार नहीं बिछाये जा सके थे। इसलिए, आपदाओं के समय में वे इसकी जानकारी नहीं पा सकते हैं। इन दोनों जिलों में अधिकांशतः जनजाति के लोग रहते हैं। इसलिये, शिक्षा के लिए और जनजाति के लोगों तथा समाज के निर्धनतम लोगों के हित के लिये, जो कि इस सरकार की विचारधारा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर ध्यान देने की कृपा करें जिससे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही बालासोर और पारीपाडा में दो कम शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हो जायें। छठी योजना अवधि के दौरान

[श्री चिंतामणी जेना]

देश में उच्च शक्ति वाले तेरह ट्रांसमीशन केन्द्र खोले जाने थे । इन तेरह केन्द्रों में से 10 किलोवाट की शक्ति वाला ट्रांसमीशन केन्द्र उड़ीसा में ही कटक में स्थापित किया जाना था । किन्तु छठी योजना के पूरा हो जाने के बाद भी वह अभी तक वहां स्थापित नहीं किया जा सका है । इसीलिये माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान देने की कृपा करें जिससे कि कम से कम सातवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष में अर्थात चालू वर्ष में कटक में एक उच्च शक्ति वाला 10 किलोवाट का ट्रांसमीशन केन्द्र स्थापित किया जाये ।

इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक और भी अनुरोध है कि हमारी योजना और कार्यक्रम जो भी हो, सातवीं योजना में सभी राज्यों में 80 प्रतिशत आबादी को राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य पूरा हो जाये । मैं केवल अपने राज्य के बारे में अथवा किसी अन्य राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं । सातवीं योजना के दौरान यह लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों में पूरा हो जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मेरे विचार से यह संकल्प हानिकर और विवादास्पद नहीं है । मुझे यह नहीं पता चल पा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के एक के बाद एक सदस्य इस प्रस्ताव की विषयवस्तु का विरोध क्यों कर रहे हैं ।

कनाडियन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के चार्टर के शुरू में ये प्रसिद्ध शब्द दिये गये हैं :—

"हवा हम सभी के लिये है"

हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए किन्तु हमारे देश की हवा, अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ गुट और सत्तारूढ़ परिवार का अधिकार है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त शासी संगठन में परिवर्तित करने के विचार को आरम्भ से ही एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । बहुत समय पहले, सन् 1948 में संविधान सभा में बोलते हुए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू ने कहा था :—

> "प्रसारण के लिये कोई व्यवस्था करने के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि यथा सम्भव हमें ब्रिटेन के नमूने—बी० बी० सी० को अपना लेना चाहिए ।"

मुझे नहीं मालूम कि बी० बी० सी० शब्द से सत्तारूढ़ दल को चिढ़ क्यों है । इस विषय पर अनेक समितियों ने विचार किया है । बहुत पहले 1964 में चडढा समिति ने आकाशवाणी का प्रबंध करने के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त शासी निगम बनाने की सिफारिश की थी ।

मैं वर्गीज समिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे जनता पार्टी के शासन काल में नियुक्त किया गया था और जिसकी नियुक्ति 18 महीने तक चलने वाले आपातकाल के काले

दिनों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ अनुभवों के आधार पर की गई थी। महोदय, अपने विस्तृत प्रतिवेदन में वर्गीज समिति ने एक स्वायत्त शासी, निगम बनाने की सिफारिश की थी तथा उसने एक स्पष्ट रूपरेखा भी तैयार की थी कि देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन को क्या स्वायतता मिलनी चाहिए।

महोदय, क्या मुझे जोशी समिति का भी उल्लेख करना चाहिए, जिसे इस सरकार ने ही नियुक्त किया था। जोशी समिति ने भी ओमबड्समैन और बी० बी० सी० के आधार पर एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने की सिफारिश की थी। जोशी समिति ने आवाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनैतिक प्रभाव बढ़ने की बात की निन्दा की थी। जोशी समिति ने बताया है कि किस तरह से अपूर्ण तैयार किये जाते है और उनको स्वत: ही सेंसर किया जाता है। क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन आकाशवाणी का समाचार मूल बनाते हैं। समाचारों का शुरू में ही सेंसर कर दिया जाता है।

मैं पार्थासारथी समिति का भी उल्लेख करता हूं ? इस समिति के अध्यक्ष स्वयं श्री जी० पार्थासारथी थे जो इस समय विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष हैं। पार्थासारथी समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में संगठनों पर राजनैतिक हस्तक्षेप डाले जाने की पुष्टि की है। पार्थासारथी समिति ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री ए० आर० अन्तुले के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति लेन्टीन द्वारा दिये गये निर्णय के बारे में एक समाचार बुलेटिन पढ़ने के लिए समाचार सम्पादक की खिचाई की गई थी। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि वनस्पति में पशुओं की चर्बी मिलाये जाने के कथित मामले पर सत्तारूढ़ दल के कार्यकारी अध्यक्ष, श्री कमलापति के वक्तव्य को समाचार बुलेटिन में शामिल किये जाने के बारे में दूरदर्शन को किस तरह से निदेश दिया गया था।

महोदय, बम्बई दूरदर्शन के समाचार विंग को यह अनुदेश दिये गये थे कि जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर की महाराष्ट्र पदयात्रा का समाचार प्रसारित न किया जाय जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस (आई) समिति के महासचिव, श्री राजीव गांधी द्वारा बम्बई शहर की पदयात्रा का समाचार बम्बई दूरदर्शन पर दर्शाया गया था।

महोदय, इस संबंध में आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ था, उसके बारे में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अपने कार्यकाल के एक वर्ष के कार्यों का ब्यौरा श्री एन० टी० रामाराव ने रेडियो के माध्यम से जनता को बताया। उस समय तत्कालीन विधान सभा के विरोधी दल के नेता श्री मदन मोहन को मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बातों का उत्तर देने के लिए आकाशवाणी ने नियमों से बाहर जाकर उन्हें बोलने का अवसर देने की कृपा की। किन्तु जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधान मंत्री की हैसियत से आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से दूसरी बार सत्तारूढ़ होन क बाद के चार वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा भारत को जनता को देना चाहती थीं, तब विरोधी दल के किसी भी नेता को उनकी बातों का उत्तर देने के लिये उस तरह से अवसर नहीं दिया गया। मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि गैर राजनीतिक अधिकारियों की हड़ताल के संबध में जब आंध्र के मुख्य

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

मंत्री आकाशवाणी पर बोलना चाहते थे, तब उन्हें इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी । मैंने यह दर्शाने के लिए कुछ उदहारण दिये हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन किस तरह से सत्तारूढ़ दल के प्रयोग के साधन बन गए हैं । जितका ही सत्तारूढ़ दल

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : जनता पार्टी सहित । उस समय वह अड़वानी पार्टी थी और उसमें आप तथा श्री चन्द्र शेखर भी थे ।

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी (कुरनूल) : श्री पनिका के अनुसार, यह पक्षवर्ती है । क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह जनता के पक्षवर्ती अथवा सत्तारूढ़ दल के आप इसी बात को लेकर इसे एक स्वायत्त शासी निकाय बनाने जा रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जैसाकि श्री अय्याप्पु रेड्डी ने आपराधिक कानून के सम्बन्ध में व्यापक अनुभव से ठीक ही कहा है और यदि यह बात भी सच है कि जनता पार्टी ने अपने प्रयोजन के लिए आकाशवाणी या दूरदर्शन का दुरुपयोग किया है तो इससे इस मामले को और अधिक बल मिला है। इससे इस संकल्प के पीछे जो दलील है, उसे और भी बल मिलता है ।

मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उस समय जबकि 1982-83 के दौरान श्री राजीव गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई) छः महासचिवों में से एक महासचिव होने के अलावा कुछ नहीं थे, तब उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किस प्रकार समय दिया गया था ।

इस देश में वंशानुगत शासन को बनाये रखने तथा इसकी छवि को कार्यों का प्रचार करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का खुले आम प्रयोग किया गया था ।

मेरे विचार में श्री राजीव गांधी को चुनाव में महान सफलता प्राप्त करने के लिये सत्तारूढ़ दल को नहीं अपितु आकाशवाणी और दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहिये ।

आकाशवाणी की कम विश्वसनीयता का एक और पुराना उदाहरण मैं उद्धरित करना चाहता हूं । सभी लोगों को पता है कि उस दुर्घटना के बाद भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी केवल एक या दो घंटे ही जीवित रहीं । श्री राजीव गांधी जो पश्चिम बंगाल में थे, पता नहीं चल पाया कि नई दिल्ली में क्या घटना घटी है । इसलिए, उन्होंने आकाशवाणी को नहीं सुना । उन्होंने बी० बी० सी० लन्दन मिलाया और उस पर विश्वास किया । आकाशवाणी और दूरदर्शन इन दोनों संगठनों के प्रति इन वर्षों के दौरान जो विश्वसनीयता घटी है, उस पर इससे भी अधिक कोई और क्या टिप्पणी की जा सकती है । यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ऐसे संगठन के लिए क्यों सहमत हों । मुझे वास्तव में इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि यह सरकार इस विचार से क्यों सहमत नहीं है ।

हमारे देश में टेलीविजन के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का पिछले इतने वर्षों में इतना अधिक विकास नहीं हुआ है । मैं इस विकास का स्वागत करता हूं । किन्तु दूरदर्शन को सत्तारूढ़

दल ने संदेश का प्रचार करने के अलावा जन साधारण को उच्च स्तर की या तकनीकी शिक्षा देने के लिए कोई उच्च प्राथमिकता और कोई गौरव का स्थान प्रदान किया गया है।

इस संबंध में मै इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि किस प्रकार नकली कांग्रेस (आई) शताब्दी वर्ष को सीधे प्रसारण की सुविधा प्रदान की गई। (व्यवधान) जी हां। मैं इसे नकली कांग्रेस (आई) कहता हूं। यह मेरा अपना विचार है। मुझे यह विचार बताने का अधिकार है। कांग्रेस (आई) पार्टी उस कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। (व्यवधान)। इससे पता चलता है कि न केवल राजनैतिक हेरफेर करने के लिए अपितु ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है।

कांग्रेस (आई) शताब्दी का शुभारम्भ मोतीलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन से आरम्भ करने से ही इस तथ्य का पता चलता है कि इस शताब्दी समारोह के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य और क्या प्रयोजन था।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह केवल पश्चिम बंगाल की संस्कृति है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं जनता पार्टी और आंध्र प्रदेश का हूं। वह मुझे पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का समझने की भूल कर रहे हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप यह कह रहे हैं कि आप जनता पार्टी में हैं। यह बात तो समझ में आ सकती थी यदि आप तेलगुदेशम् जैसी किसी पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते। आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह लोकतांत्रिक पार्टी थी किन्तु आपकी पार्टी वंशानुगत पार्टी है। (व्यवधान)। शताब्दी के दौरान प्रधान मंत्री का जो भाषण सीधा प्रसारित किया गया था उसमें उन्होंने कहा है कि "मुझे उस परिवार से संबंद्ध होने का गौरव है, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, आदि व्यक्ति पैदा हुए ..... (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। श्री रेड्डी, कृपया शीघ्र समाप्त करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूं। जो शोर शराबा हो रहा है, उसके कारण कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत पढ़ूंगा। श्री रेड्डी, कृपया समाप्त करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब सत्तारूढ़ दल के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे भाषण समाप्त करना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इन संस्थाओं द्वारा समाचार किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं आकाशवाणी और दूरदर्शन में एक समाचार पूल है जहां सर्व प्रथम समाचार सेंसर किये जाते हैं। दूसरे, अन्य बातों के लिए उन्हें पी० टी० आई० और यू० एन० आई०, जो कि विश्वसनीय समाचार एजेन्सियां हैं, पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु समाचार भारती, हिन्दुस्तान समाचार, आदि जैसी अनेक भाषाओं की समाचार एजेंसियो की सहायता लेने की ओर भी आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ध्यान दिया जारा आवश्यक है।

इन कुछेक शब्दों के साथ, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा जिस प्रकार की रुकावट खड़ी की जाती हैं, इससे यह और भी साबित हो जाता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी बनाने की दलील वैध है।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया। इस सदन में आकाशवाणी और दूरदर्शन को एक औटोनोमस कार्पोरेशन में बदलने के लिए जो संकल्प रखा गया है मेरी समझ में नहीं आता कि उसको लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, किस कारण यह संकल्प यहां रखा गया है। हमारा देश आजाद देश है और इसमें कभी भी दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के द्वारा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं किया गया, जिस तरह से हमारे विरोधी भाई आरोप लगा रहे हैं... यह कांग्रेस पार्टी का ही प्रचार करती है, इस तरह की बात नहीं है। आपको याद होगा, पीछे जब जनता पार्टी की हुकूमत थी तो उस समय यह किस तरह की कार्यवाही करती थी।

3.43 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय संसदीय कार्य मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। अविलंबनीय सरकारी कार्य के कारण, सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। सभा कल भी बैठेगी।

दूसरे, मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज बैठक की समाप्ति के पश्चात्, संसदीय कार्य विभाग ने सभी सदस्यों के लिए रात्रि-भोज का आयोजन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत है।

माननीय सदस्यगण : हम सहमत हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

3.44 म० म०

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगमों का रूप दिये जाने के बारे में संकल्प—जारी

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : जनता पार्टी की तरफ से सरकार ने उस समय इस तरह से प्रचार किया जिससे कि हमारे देश के लोगों में नफरत पैदा हुई और आज हमारे इस कार्यकाल में जिस तरह का वातावरण हमारा यह दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो बना रहा है और जैसा समाचार देते हैं वह एक इस तरह की चीज है जैसे कि दूध की धुली हुई बात हो। हमारे देश की बात तो और बल्कि दुनिया के समाचारों को इतने अच्छे ढंग से पेश किया जाता है कि वह काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरह से ये आरोप इस संकल्प में लगाया जा रहा है, उससे यह बात सामने आती है कि ये लोग उसे एक कम्पनी बनाने की बात करते हैं और जब कोई इस प्रकार की चीज एक कम्पनी बन जाती है, तो जाहिर है कि वह अच्छा काम नहीं कर पाती है। इसलिए मै समझता हूं कि इस संकल्प में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि इस आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के काम की बात हो। क्योंकि आज हमारे आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन बहुत अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारे आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से आज जितने भी प्रकार के प्रोग्राम आते हैं, चाहे वे कृषि के हों, चाहे वे युवाओं (नौजवानों) के लिए हों, चाहे वे बच्चों के लिए हों, उससे एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल मिलता है। लेकिन सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो फिल्में इतवार को दिखाई जाती हैं, उनमें इस तरह की एक पिक्चर पेश की जाए जिससे उन बच्चों का सुधार हो और उनका माहौल अच्छा हो और जब हम इस तरह से इस चीज के ऊपर जोर देंगे और अच्छी पिक्चर पेश करेंगे तो हमारे बच्चों का वातावरण अच्छा होगा और उनमें अच्छी भावनाएं पैदा होंगी और आज इस तरह के प्रोग्रामों की भी जरूरत है जिससे कि हमारे उन बच्चों में एक

[श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक]

राष्ट्रीय भावना पैदा हो, उनमें ऐसी भावना पैदा हो कि वे इस देश की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझें, इस तरह के प्रोग्राम उनके सामने आने चाहिएं।

माननीय सभापति जी, मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से आल इंडिया रेडियो अपने प्रोग्राम पेश करता है, उन प्रोग्रामों में सरकार के पक्ष में प्रधान मत्री का नाम भी लिया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका नाम प्रोग्राम में अगर आ रहा है, तो यह उनकी तारीफ के रूप में आ रहा है। बल्कि यह तो सरकार के कार्यक्रम के रूप में, सरकार द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुंए आ रहा है, उनकी तारीफ में नहीं। यह तो सरकार की ओर से उनका नाम आता है और इस तरह से आरोप लगाना कि वह तो कांग्रेस की एक चीज बन गई है, तो इस तरह की बात कहना अच्छी बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

मैं इन शब्दों के साथ इस संकल्प का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी तरह से चलते रहेंगे और इसके साथ-साथ अच्छे प्रोग्राम आते रहेंगे जिससे हमारे बच्चों में राष्ट्रीय भावना पैदा हो और वक्त के मुताबिक उनमें हौसला पैदा हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो रिजोल्यूशन आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को आटोनामस बाडी बनाने के लिये आया है, उसको विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

हमारे माननीय श्री जयपाल रेड्डी ने कहा कि क्यों इसका विरोध कर रहे हो? मेरा कहना यह है कि अगर गलती से शायद इधर के किसी मेम्बर ने इसे मूव किया होता तो आप भी इसका विरोध ही करते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : नहीं करता।

श्री अनूपचन्द शाह : आप जरूर विरोध करते लेकिन हम इसका विरोध इसलिए नहीं करते कि यह उधर से आया है, बल्कि हम सोच-समझकर इसका विरोध कर रहे हैं।

आप जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद बहुत सारे कार्पोरेशन्ज बनाये गये और उनका वर्किंग कैसा चल रहा है? अगर किसी कार्पोरेशन का अच्छा कारोबार चलता है फिर भी आप इस बात पर हमारा विरोध करते हैं कि आटोनामस बाडी बनाकर आप रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिये नये कार्पोरेशन बना रहे हैं। अभी यहां कहा गया कि श्री चन्द्रशेखर जी की पदयात्रा का दूरदर्शन पर कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

मैं यहां एक एग्जाम्पल और रखना चाहता हूं। यहां इसी सदन की सदस्य पहले श्रीमती मृणाल गोरे थीं। जब वह असेम्ली का बम्बई से चुनाव लड़ रही थीं उस समय बम्बई दूरदर्शन ने

मृणाल गोरे को हाउसिंग की प्राबलम पर हो रहे डिस्कशन में प्रोजेक्ट किया। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय मृणाल गोरे को दूरदर्शन पर प्रोजेक्ट नहीं करती। उसकी वजह से मृणाल गोरे के जीतने के चांस बढ़ गये और इस तरह से वह जीतकर आ गई।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप केवल मेरी ही दलीलों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कोई भी दल ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। अतः इसे स्वायत्तता प्रदान कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनूपचन्द शाह : आप जो कहते हैं कि हमारे उस समय के ए०आई०सी०सी० के सेक्रेटरी श्री राजीव गांधी ने बम्बई का टूर किया तो टी० वी० पर उनको प्रदर्शित किया गया लेकिन चन्द्रशेखर जी को प्रदर्शित नहीं किया गया। अगर किसी वजह से कुछ हुआ है तो मृणाल गोरे को तो सरकार ने उस समय दूरदर्शन पर प्रोजेक्ट किया। अगर सरकार चाहती तो यह कार्यक्रम उस समय नहीं होकर बाद में हो सकता था।

मेरा कहना इतना ही है कि दूसरे कार्पोरेशन्ज का जब हम विरोध करते हैं तो इसे एक नई आटोनामस वाडी बनाकर, कार्पोरेशन बनाकर हम क्यों सपोर्ट करें ?

सवाल इतना ही नहीं है, हर रोग की एक दवा नहीं हो सकती है। आप बी०बी०सी० के साथ हमारे आल इंडिया रेडियो को कम्पेयर कर रहे हैं। सन् 1980 में जब इंदिरा जी फिर से शासन में आई तब से लेकर 4 बरस में आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने कितना विकास किया हैं, यह देखना चाहिये।

आज आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर आप हमारे गाडगिल साहब को देखते हैं या किसी और मिनिस्टर को देखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय हम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। सरकार की नीति है, हमारे नियम हैं, सिद्धान्त हैं, सरकार सिद्धान्तों पर चलती है, सरकार ने क्या प्रोग्रेस की है वह हम देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर प्रोजेक्ट करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है कि गाडगिल साहब और श्री राजीव जी टी० वी० पर आये, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या कहा, यह आप सुनने को तैयार नहीं हैं। रिजोल्यूशन के प्रस्तुतकर्ता ने सदन के बहुत सदस्यों के विचारों को सुना है। मैं तो यह समझता हूं और आपकी समझ में भी आया होगा कि दूरदर्शन और टी० वी० को कारपोरेशन बनाने का यह रिजोल्यूशन बराबर नहीं है। आपको इस रिजोल्यूशन को वापस ले लेना चाहिए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। इसके साथ ही मैं दो-तीन बातें मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं।

आज इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द्वारा कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है। इस बारे में आपको सोचना चाहिए। जहां तक दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के लिए एडवाइजरी

[श्री अनूप चन्द शाह]

कमेटी का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसका फंक्शन बराबर नहीं है। इस एडवाइजरी कमेटी में लोकप्रियता के आधार पर प्रतिनिधित्व देकर आर्टिस्टों के साथ जो अन्याय हो रहा है, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो द्वारा जिन कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए।

आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की हमारी जो विकास यात्रा है, इसको ज्यादा से ज्यादा देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए रिजोल्यूशन के मूवर से अनुरोध करता हूं कि वे इसको वापिस ले लें। मैं इस रिजोल्यूशन का विरोध करता हूं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी ने बहुत ठीक कहा है, नेहरू जी ने कान्स्टीचूयेंट एसेम्बली में कहा था—मैं चाहूंगा कि आल इंडिया रेडियो बी०बी०सी० की तरह का हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैंने कान्स्टीचूयेंट एसेम्बली के रिफ्रेंस को पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन की आखिर तक हजारों बार आल इंडिया की तारीफ की है। मैं यदि 1948 में कहूं कि मैं शिमला में रहूंगा और और 1985 में कहूं कि दिल्ली में रहूंगा, तो कौन सी बात मानी जाएगी। शिमला वाली बात मानी जाएगी या दिल्ली वाली बात मानी जाएगी। नेहरू जी को आउट-आफ-कान्टेक्स कोट करना निरर्थक है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या आपके लिए नेहरू पुराने हो गये हैं ?

डा० गौरी शकर राजहंस : नहीं, परन्तु आप उनको सन्दर्भ से बाहर जाकर उद्धृत कर रहे हैं। उन्होंने आल इंडिया रेडियो की उसके बाद कई बार तारीफ की है।

[हिन्दी]

दूसरी बात इन्होंने चन्दा कमेटी के बारे में कही है। चन्दा कमेटी को भी इन्होंने आउट आफ कान्टैक्स कोट किया है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। चन्दा कमेटी की स्थापना 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, तब हुई थी। आल इंडिया के बारे में तरह-तरह की बातें आने लगी थी कि उसने ठीक से रिपोर्ट नहीं किया। फिर चन्दा कमेटी की स्थापना हुई। चन्दा कमेटी ने कहा कि आटोनॉमस बाडी बनाना चाहिए, जो कि रिक्रूटमेंट देखें, जो कि सेलरी स्केल देखें। यह नहीं कहा था कि प्रोग्राम किस तरह का हो। उसके बाद आई वर्गीज कमेटी। वर्गीज कमेटी की रिपोर्ट बहुत हाई पैडस्टल पर चलती है। वर्गीज जी का मैं कुलीग रह चुका हूं। मैंने बहुत बरसों तक उनके साथ काम किया है। वे बहुत ही आइडियलिस्टिक आदमी हैं। यदि आज उनको रिपोर्ट लिखने के लिए दी जाए तो तीन-चौथाई रिपोर्ट वे कूड़े की टोकरी में डाल देंगे। वे बहुत ही सज्जन आदमी हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : केवल वह ही समिति के सदस्य नहीं थे। वह इसके सिर्फ अध्यक्ष थे और अन्य विभिन्न सदस्य विशेषज्ञों की उन्हें सहायता प्राप्त थी। यह एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन था।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जानता हूं जनता सरकार ने क्या किया था।

[हिन्दी]

इसलिए जब इन सारी रिपोर्टस का जिक्र किया है। और कहा जाता है कि दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो को ऑटोनॉमस बनाना चाहिए तो बड़ी हंसी आती है। अभी हाल में आपने विदेशों के अखबारों को लायब्रेरी में पढ़ा होगा—इन्टरनेशन हैराल्ड, ट्रिब्यून और टाइम्स— वहां पर भी लोगों का विश्वास बी०बी०सी० से उठ रहा है वे कह रहे है कि बी०बी०सी० का काम ठीक नहीं हो रहा है। बी०बी०सी० के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं। जब बी०बी०सी० के काम से इंगलैंड के लोग खुश नहीं है, इस पर भी जयपाल रेड्डी जी कह रहे हैं कि बी०बी०सी० जैसी कारपोरेशन बनाओ। अमरीका में एन०बी०सी० और दूसरे चैनल्स है, जो प्राइवेट हैं, इसलिए आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को भी प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देना चाहिए। श्री रेड्डी यही चाहते हैं। पब्लिक कारपोरेशन का कान्सेप्ट दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। इसके सबसे बड़े समर्थक थे —प्रो० राबसन, जिन्होंने कहा कि पब्लिक कारपोरेशन वे सारे काम करेगा जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, प्राइवेट बाडी नहीं कर सकती है। हमने अपने देश में बहुत से पब्लिक कारपोरेशन्ज बनाये हैं, कुछ बहुत अच्छे चले, लेकिन कुछ की जो हालत है उसे आप देख ही रहे हैं। यहां पर कुछ दिन हुए डिबेट में रोहतास इंडस्ट्रीज का जिक्र आया कि उसकी हालत बहुत खराब है। बिहार सरकार कहती है कि हम उसको लेने को तैयार नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार कहती है कि हम लेने को तैयार नहीं हैं, बिहार की जनता कहती है कि आप चाहे जो कीजिये, लेकिन पब्लिक कारपोरेशन मत बनाइये। मैं पब्लिक कारपोरेशन के पक्ष में हू लेकिन जिस प्रकार हमारे यहां यह चल रहा है, उसमें कई सुधारों की गुंजाइश है। केवल यह कह देना कि बी० बी० सी० के माडल पर आल इडिया रेडियो या टी० वी० का कारपोरेशन बना दें, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

अभी हाल में हमारे देश में टी० वी० का बहुत विकास हुआ है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके पहले मत्री श्री भगत साहब ने इस सम्बन्ध में बहुत काम किया था, देहात-देहात में टी० वी० को पहुंचा दिया। आप के टी० वी० के कई प्रोग्रामों की बहुत तारीफ होती है, जैसे "हम लोग" कार्यक्रम है। छोटी-छोटी जगहों पर जब हमें लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो वे कहते हैं कि "हम लोग" जैसे कार्यक्रम बहुत कम हैं। अब लोग सिनेमा छोड़ कर "हम लोग" कार्यक्रम देखते है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात हो जाएगी यदि यह बी०बी०सी० के पैटर्न पर हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि इससे इसमें कोई विशेष परिवर्तन हो सकेगा।

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

मैं इस बात से सहमत हूं और आप यह डिमान्ड कर सकते हैं कि इसके प्रोग्राम्ज में इम्प्रूवमेंट हो। आपने अभी हाल में टी०वी० पर "जनवाणी" प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है—जनता के सामने। यह प्रोग्राम इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सारे देश के अखबारों में इस कार्यक्रम की प्रशंसा निकली है, सारे देश की जनता ने इसकी तारीफ की है। यदि सरकार के मन में तनिक भी नेकनीयती न होती या सदेह होता तो वह इस कार्यक्रम को टी० वी० पर न होने देते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम का रेडियो से उन एरियाज के लिए भी प्रसारित करें जहां टी० वी० नहीं हैं। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप यहां रेल लाइन क्यों नहीं लाये या फलां रेलगाड़ी क्यों नहीं चलवाई। उस दिन बंसी लाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से जनवाणी में जवाब दिया था कि पैसा कहां है, पैसे का इन्तजाम करा दो, मैं नई रेलें चला दूंगा, नई लाइनें बिछवा दूंगा। जिन जगहों पर टी० वी० नहीं है, वहां यदि रेडियो से इस तरह के प्रोग्राम को प्रसारित करा दिया जाय, तो हमारी बहुत सी दिक्कतें कम हो जाएगी।

कार्यक्रमों में सुधार के सम्बन्ध में गाडगिल साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं—जो इन्टरनेशनल और नेशनल अफेअर्स के प्रोग्राम होते हैं उनमें आप बड़े-बड़े विद्वानों को न बुला कर ऐसे लोगों को बुलाइये जो समस्या को साधारण आदमियों को साधारण शब्दों में समझा सकें। उदाहरण के लिए श्री लंका की समस्या है जिसको उत्तर भारत के बहुत से लोग ठीक से नहीं समझते हैं। यदि उस समस्या को एक आदमी या दो-चार आदमी बातचीत के जरिये साधारण शब्दों में समझायें कि वह समस्या क्या है, तो उसके लिये पब्लिक-ओपीनियन बन सकती है। इसी तरह से कई अन्य प्रोग्राम हैं जिनको बहुत साधारण शब्दों में समझाया जा सकता है, बोल-चाल की भाषा में समझाया जा सकता है। जे०एन०यू० या दिल्ली यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर्ज तो यह मान कर चलते हैं कि जनता को सब कुछ आता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जनता को बतलाया जाय कि उस समस्या का अर्थ क्या है।

पहले टी० वी० में एक प्रोग्राम आता था—"एक दृष्टिकोण" जिसमें करेन्ट अफेअर्स को बहुत सरल तरीके से समझाया जाता था या बताया जाता था कि वह समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। वह प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय हुआ था, उस प्रोग्राम को फिर से चालू करना चाहिये। इसके अतिरिक्त ड्रामा या दूसरे एन्टरटेनमेंट के जो आइटम्ज हैं वे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिये। आपके प्रोग्राम्ज बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और अन्त में यही कहता हूं कि वह समय अभी नहीं आया है कि आल इंडिया रेडियो और टी० वी० को आटोनामस कारपोरेशन बनाया जाय।

4.00 म० प०

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप बनाना नहीं चाहते हैं।... (**व्यवधान**)

श्री गौरी शंकर राजहंस : अभी वह समय नहीं आया है और न आयेगा। कांग्रेस की वजह से आप यहां पर हैं। आपकी पार्टी ने क्या किया, वह तो हमें भी पता है। तीन साल में

उसने देश का सत्यानाश कर दिया। आपने तीन जनरेशन की बात कही। मोती लाल, जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी इस देश में नहीं होते तो देश की यह हालत नहीं होती और हम और आप यहां पर नहीं बैठे होते। इस मुल्क में डेमोक्रेसी है तभी तो हम और आप यहां बैठे हैं और इसका श्रेय इन तीन नेताओं को है ··(**व्यवधान**)।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री के० डी० सुल्तानपुरी। आपके लिए केवल पांच मिनट। अन्य विधेयक भी हैं जिन पर हमें विचार करना है। पहले ही, इस विषय पर समय चार घंटे से बढ़ाकर छः घंटे कर दिया गया है। मंत्री महोदय को भी जवाब देना है।

[**हिन्दी**]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस तरफ जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने आंध्र और सारे देश के बारे में रोशनी डाली है कि आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का निगम बना दिया जाए। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जितने भी निगम हैं, वे कोई फायदेमंद नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में भी जो निगम होंगे, उनमें भी फायदा नहीं होगा चाहे आपकी सरकार वहां पर काम करती हो। आज सारे भारत में दूरदर्शन का जो प्रचार है, वह प्रैक्टिकल रूप में है। वह लोगों को सही दिशा देता है। अभी उस तरफ के माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री जो पहले महामन्त्री थे उनका प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया इसलिए हमारी जनता पार्टी हारी है। मैं यह कहना चाहता हू कि पार्टी के प्रचार के लिए सबको मौका दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी हो या जनता पार्टी, सभी पार्टियों का टाईम मुकर्रर होता है। 1977 में तो आप लोगों ने एक बड़ा भारी निगम बना दिया था जिसमें बड़े-बड़े नेता लोग इकट्ठे हुए थे। जहां-जहां भी उस वक्त आपकी सरकारें थीं चाहे आन्ध्र, कर्नाटक या दिल्ली हो, आप लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि के सामने कसम खाई थी कि हम सादे बंगले में रहेंगे और कोई लड़ाई नहीं करेंगे तथा देश की सेवा करेंगे। लेकिन ढाई साल के शासन के बाद आपका निगम फेल हो गया। इस तरह से देश को विभाजित करने की कोशिश की गई। अगर हम कहें कि निगम बनाना है तो आप लोग कहेंगे कि नहीं बनना चाहिए। आप लोगों ने खिलाफ में बोलने का ठेका लिया हुआ है। कोई किसी किस्म का सुझाव आप लोगों की तरफ से नहीं आता है। हमारे मत्री जी बड़े योग्य और बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने दूरदर्शन द्वारा सारे राष्ट्र को बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनसे किसानों को भी लाभ पहुंच रहा है। गाना, नाचना, ड्रामा और हर किस्म का प्रोग्राम रखा जाता है। मैंने पहले भी कहा कि बड़ी उम्र के लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में नौजवान लड़के-लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ अच्छे कलाकार मिल जायेंगे जिनमें बहुत अच्छी कलाकारी छिपी हुई है। उनको भर्ती करने के लिए दूरदर्शन द्वारा कदम उठाये जाने चाहिए। दूरदर्शन सारे राष्ट्र को बहुत अच्छे प्रोग्राम दे रहा है। 70 फीसदी लोगों को दूरदर्षन की सुविधा प्रदान करना कोई कम काम नहीं है। आजादी के

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

बाद जो काम हुए हैं वे सब कांग्रेस पार्टी और इसके प्रोग्राम की वजह से हुए हैं। हमारी पार्टी योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र को आगे ले जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इनकी सहायता करो, मदद करो और कार्पोरेशन बनाने की जिद छोड़ दो। कार्पोरेशन बनने से आपका कोई परपज सोल्व होने वाला नहीं है। वैसे कारपोरेशन मुल्क में बहुत से बने हुए हैं जैसे शैड्यूल्ड कास्टस डैवलपमेंट कार्पोरेशन बना है, कई दूसरे कार्पोरेशन बने हैं और जितने सरकारी कार्पोरेशन हैं उन सब में, फैक्ट्रीज में घाटा होता है, दिवाला पीटा जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर ही रहने दिया जाए। इससे आपको पक्षपात की किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलता, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए जब हमारी सरकार की पोलिसी है कि किसी के साथ अन्याय न किया जाए, लेकिन आपको अन्याय इसलिए लगता है कि हम हर बार मैजोरिटी में आ जाते हैं, 401 आदमी चुने जाते हैं और हर जगह आपके आदमी रह जाते हैं लेकिन उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वह तो जनता ने अपना मैन्डेट दिया है, उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का कोई कसूर नहीं है। फिर आप दरदर्शन और आकाशवाणी को क्यों कार्पोरेशन में तबदील कराना चाहते हो। आपको आकाशवाणी और दूरदर्शन ने तो नहीं हराया, आपको तो लोगों ने हराया। आप बड़े भारी रिप्रेजैन्टेटिव बनने की कोशिश करते थे। और तो और आपके बड़े बड़े नेताओं को जनता ने हरा दिया, उसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का क्या कसूर है। यदि रामाराव जी की सरकार आन्ध्र प्रदेश में बनी है, वे वहां पर मुख्य मंत्री बन गए तो उसमें भी आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कोई पार्ट प्ले नहीं किया। इसलिए आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ही चले और आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिए क्योंकि आप तो वैसे ही समझदार आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आपको तो बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। आपको हर काम के लिए कार्पोरेशन बनाने की जिद करना छोड़ देना चाहिए। इसके बदले आपको अपनी एनर्जी इस तरफ लगानी चाहिए कि कैसे इनमें सुधार लाया जाए।

जब मुझे मौका मिला है अपने विचार प्रकट करने का, तो मैं इस मौके का फायदा हिमाचल प्रदेश के संबंध में कुछ कहने के लिए उठाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कसौली में जो दूरदर्शन का रिले सैन्टर बनाया है, उसके सम्बन्ध में मैं कई चिट्ठियां लिखी हैं, साठे जी मौके पर गए थे और उन्होंने कहा कि एक साल में यह कम्प्लीट हो जाएगा। मेरा पिछली टर्म पूरी हो गई और अब उसके उद्घाटन के समय भी मैं वहां पर था जब हमारे पिछले लॉ मिनिस्टर साहब ने उसका उद्घाटन किया था परन्तु वह अभी तक उसी तरह से पड़ा हुआ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि पहाड़ी क्षेत्रों तक दूरदर्शन को पहुंचाने के लिए आप उसका काम जरा तेज करें ताकि हमारे इलाके तक दूरदर्शन का विस्तार हो और बोर्डर एरियाज तक उसके प्रोग्राम पहुंचे। जिन-जिन क्षेत्रों में यह कमी है, मैं जानता हूं कि आप काफी प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में ज्यादा दूरदर्शन का विस्तार करने के लिए कदम उठायेंगे। इसके साथ ही मैं रेड्डी साहब से कहूंगा कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, समझदार व्यक्ति हैं आप अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे और सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सदन के सामने जो रिजौल्यूशन जेरे-बहस है, उस करारदात की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में सिर्फ दो-तीन बातें लाना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली तो यह कि इस मुल्क का जिस तरह का निजाम बन चुका है, रीजनल पार्टीज एक हकीकत हैं। आज हमारे कई प्रान्त ऐसे है जहां रीजनल पार्टीज हैं और वे रीजनल कल्चर, रीजनल एस्पिरेशन्स को लेकर वहां सरकार चला रहे हैं। चाहे तमिलनाडु में रामचन्द्रन जी की सरकार हो, आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम की सरकार हो या कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार हो और उसी तरीके से हमारे जम्मू और कश्मीर में, जहां नेशनल कान्फरेंस की सरकार जिसे आप कहते हैं, जिस नाम से भी आप चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनल एस्पिरेशन्स की मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह ऐसी हकीकत है जिसके साथ अब हमें गुजारा करना पड़ेगा। किसी नेशनल पार्टी के मुकाबले में आज इस औगस्ट हाउस में एक रीजनल पार्टी तेलगु देशम् जिसके इस सदन में 30 मैम्बरान हैं, के लीडर को लीडर आफ दी अपोजीशन का दर्जा प्राप्त है। इसलिए यह एक पार्लियामानी निजाम एक वरसा है और इस सिलसिले में जो प्रोपेगन्डा किया जा रहा है, वह बेमानी है। इसलिए जबकि यहां रीजनल एस्पिरेशन्स हैं, रीजनल डिमाण्ड है, जब रीजनल कल्चर अपसर्ज है, उसका आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। तभी हम कह रहे हैं - (**व्यवधान**) .....रीजन विदिन नेशन.....हमारे जो जज्बात हैं, वे नेशन से अलग नहीं हैं और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो नेशनल एस्परेशंस हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। नाम के लिए तो वे रीजनल एस्परेशंस हैं, लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनके जज्बात हैं, जो उनकी कौमियत है, वह नेशन से अलग नहीं है, यह दुरुस्त बात है। इसलिए आप ऐसा स्टिक यार्ड ले लें, और यह कहें कि जितनी भी रीजनल पोलिटीकल पार्टियां हैं वे गलत हैं और वे देश की दुश्मन हैं, ऐसा प्रोपेगण्डा नहीं करना चाहिए, यह गलत बात होगी। कांस्टीट्यूशन इवेदान के तहत इस मुल्क में और रीजनल पार्टीज बनेंगी, हुकूमतें उनकी बनेंगी, उनकी ताकत को कोई चेलेंज नहीं कर सकता। एक बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दूरदर्शन के नेशनल प्रोग्राम में, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनमें रीजनल कल्चरल अथास को बहुत कम समय दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से आनरेबल मिनिस्टर से अर्ज करूंगा कि रीजनल कल्चरल अथॉस को आगे ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूरदर्शन के नेशनल प्रोग्राम में वहां के प्रान्त हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड को पेशे नजर रखें। और यह शिकायत आ रही है कि नेशनल प्रोग्राम बढ़ रहा है और जो हमारी लेंग्वेजेज हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, हमारा कल्चर है, हमारे प्रान्तों के कल्चर का अपना एक बैकग्राउंड है हर स्टेट में, उनके बारे में कम से कम प्रोग्राम आ रहे हैं, यह एक शिकायत है।

[श्री अब्दुल रशीद काबूली]

तीसरी बात मैं आप से यह अर्ज करूं कि जहां तक आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में आप मुलाजमत लगा रहे हैं, उसमें बहुत कम नुमाइन्दगी मिल रही है रीजंस को, बिल्कुल ठोंसे जा रहे हैं। आज दूसरे स्टेट्स में से अफसरों को लगाकर उनकी इस किस्म की मुकामी तौर पर वालादस्ती कायम की जा रही है और इससे एक टकराव आया है, और एक कैफियत पैदा हो रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुलाजमत के मामले में कि जो एक मुकामी जवान और मुकामी कल्चर, जो बड़ी अहमियत रखते है, उनकी जो वाकफियत है, उन राइटर्स और उन लेखकों को ज्यादा जिनको वहां का नालेज है, अपनी-अपनी रीजनल भाषाओं का, उनको मुलाजमत ज्यादा से ज्यादा दें।

चौथी बात मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि काश्मीर, पंजाब और नार्थ ईस्टर्न प्राविंसेस, मेघालय, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन इलाकों मे एक किस्म का कल्चरल इवेजन हो रहा है क्योंकि बी० बी० सी० ने बहुत मजबूत ट्रांसमीटर्स लगवा दिए हैं श्रीलंका और कई स्टेट्स में आसपास, जिनकी वजह से इवेजन हो रहा है और हमारे लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी तवज्जह खासतौर से पंजाब की तरफ दिलाना चाहूंगा कि पंजाब में आपके टेलीविजन के प्रोग्राम इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि लाहौर के हैं। आपका टेलीविजन पंजाब में लाहौर के टेलीविजन का मुकाबला नहीं कर सकता है। आपका रेडियो, पाकिस्तान के रेडियो का मुकाबला नहीं कर सकता। पजाब में आपका आल इंडिया रेडियो, लाहौर के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा और इसका आपको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ेगा क्योंकि बाहर के मुलक हमारे हमसाया हैं। हमारे देश के जो करोड़ों देहातों में देशवासी रहते हैं उनके जेहनों में, उनके दिमाग पर इन प्रोग्राम के साथ-साथ उनका पोलिटिकल प्रोपेगण्डा का असर होगा, जो हमारे लिए एक बहुत जेरेरसां होगा। इसलिए मैं आन-रेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आप इन स्टेट्स में, जहां कि ऐसे सेंसटिव एरियाज हैं, खास तौर से जम्मू काशमीर काबिले जिक्र है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कठियावाड़ और इसी तरीके से जो बंगला देश के साथ लगते इलाके हैं, जो मिलते हुए इलाकों में वहां पर रहते हैं इन इलाकों में मजबूत, ताकतवर ट्रांसमीटर लगवा दिए जाएं और टेलीविजन नैटवर्क को ज्यादा तवज्जुह दीजिए और वहां के लोगों की जो एस्परेशन्स हैं, उनको भी मद्दे नजर रखकर, जो हमसाया मुल्क हैं, उन तक पहुंचाने के लिए, प्रोग्राम इन ट्रांसमीटर्स और टेलीविजन सेण्टर्स से नशर किए जाएं। इसलिए मैं इस रिजोल्यूशन के हक में हूं। इसलिए जो रिजोल्यूशन यहां आया है, जिसमें कहा गया है कि इसको औटोनामस स्टेटस मिलना चाहिए, ताकि वहां की ज्यादा से ज्यादा नुमाइन्दगी हो सके, मैं इसके हक में हूं। धन्यवाद।

عبد الرشید کابلی (سری نگر) : اپاد یکشہ مہودے مین آپ کے مادھیم سے سدن کے سامنے جو ریزالیوشن زیر بحث ہے اس قرارداد کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہون۔ آپ کے مادھیم سے مین منتری جی کے دھیان مین صرف دو تین باتین لانا چاہونگا اور سرکار کا دھیان آکرشٹ کرنا چاہونگا۔ پہلی تو یہ کہ اس ملک کا جس طرح کا نظام بن چکا ہے ریجنل پارٹیز ایک حقیقت ہین۔ آج ہمارے کئی پرانت ایسے ہین جہان ریجنل پارٹیز ہین اور وہ ریجنل کلچر ریجنل ایسپریشنس کو لے کر وہان سرکار چلا رہے ہین۔ چاہے تامل ناڈو مین رام چندرن جی کی سرکار ہو آندھرا پردیش مین تیلگو دیشم کی سرکار ہو یا کرناٹک مین جنتا پارٹی کی سرکار اور اسی طریقے سے ہمارے جموں اور کشمیر مین جہان نیشنل کانفرینس کی سرکار جسے آپ کہتے ہین جس دام سے بھی آپ چلا رہے ہین لیکن مین آپ کو بتانا چاہتا ہون کہ ریجنل ایسپریشنس کی ملک کے ساتھ دشمنی نہین ہے بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ اب ہمین گزارا کرنا پڑے گا۔ کسی نیشنل پارٹی کے مقابلے مین آج اس آگسٹ ہاوس مین ایک ریجنل پارٹی تیلگو دیشم جس کے اس سدن مین ۳۰ ممبران ہین کے لیڈر کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا درجہ پراپت ہے۔ اس لیے یہ ایک پارلیامانی نظام ایک ورثہ ہے اور اس سلسلے مین جو پروویژن کیا جا رہا ہے وہ بے معنی ہے۔ اس لیے جب کہ یہان ریجنل ایسپریشنس مین ریجنل ڈیمانڈ ہے جب ریجنل کلچر ایسرج ہے اس کا آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے۔ تبھی ہم کہہ رہے ہین ... (انٹرپشنز) ... ریجنل وژن نیشنل ....

ہمارے جو جذبات ہین وہ نیشن سے الگ نہین ہین اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے

ہیں کہ جو نیشنل ایسپیریشنس ہیں، جو ریجنل پارٹیز ہیں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نام کے لیے تو وہ ریجنل ایسپیریشنس ہیں لیکن جو ان کی ایسوسی ایشن ہیں جو ان کے حزبات ہیں جو ان کی قومیت ہے وہ نیشن سے الگ نہیں ہے یہ درست بات ہے۔ اس لیے آپ ایسا اسکے پارٹ لے لیں اور یہ کہیں کہ جتنی بھی ریجنل پولیٹکل پارٹیاں ہیں وہ غلط ہیں اور وہ دیش کی دشمن ہیں ایسا پروپیگنڈہ نہیں کرنا چاہیے یہ غلط بات ہوگی۔ کانسٹی ٹیوشن اوبلیگیشن ان کے تحت اس ملک میں اور ریجنل پارٹیز بنیں گی حکومتیں بنائینگی ان کی طاقت کو کوئی چیلینج نہیں کر سکتا۔ ایک بات اس سمبندھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں دوردرشن کے نیشنل پروگرام میں جو راشٹریہ کاریہ کرم ہے اس میں ریجنل کلچرل اتھاس کو بہت کم سمے دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے آنریبل منسٹر سے عرض کرونگا کہ ریجنل کلچرل اتھاس کو آگے لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دوردرشن کے نیشنل پروگرام میں وہاں کے پراننت میں ان کے کلچرل بیک گراونڈ کو پیش نظر رکھیں۔ اور یہ شکایت آرہی ہے کہ نیشنل پروگرام پڑھا ہے اور جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں جو ہمارے بھاشائیں ہیں ہمارا کلچر ہے ہمارے پرانتوں کے کلچر کا اپنا ایک بیک گراونڈ ہے ہر اسپیکٹ میں ان کے بارے میں کم سے کم پروگرام آرہے ہیں یہ ایک شکایت ہے۔

تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاں تک آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن میں آپ ملازمت لگا رہے ہیں اس میں بہت کم نمائندگی مل رہی ہے ریجنس کو

بالکل ٹھونسے جا رھے ھین۔ آج دوسرے اسٹیٹس مین سے افسرون کو لگا کر ان کی اس قسم کی مقامی طور پر بالادستی قائم کی جا رھی ھے اور اس سے ایک ٹکراؤ آیا ھے اور ایک کیفیت پیدا ھو رھی ھے۔ اس لیے میں آپ سے گذارش کرونگا کہ ملازمت کے معاملے مین کہ جو ایک مقامی جوان اور مقامی کلچر جو بڑی اھمیت رکھتے ھین ان کی واقفیت ھے ان رائٹرس اور ان لیکچرون کو جن کو وھان کا زیادہ نالیج ھے اپنی اپنی ریجنل بھاشاون کا ان کو ملازمت زیادہ سے زیادہ دین۔

چوتھی بات مین یہان پر یہ عرض کرنا چاھتا ھون کہ کشمیر پنجاب اور ناردھ ایسٹرن پراونسز۔ مثلاً ھالیہ ھماچل ھریانہ راجستھان اور گجرات ان علاقون مین ایک قسم کا کلچرل انویژن ھو رھا ھے کیونکہ بی بی سی نے بہت مضبوط ٹرانسمیشن لگوا دیے ھین شری لنکا اور کئی اسٹیٹس مین آس پاس جن کی وجہ سے انویژن ھو رھا ھے اور ھمارے لوگ ادھر کی طرف جا رھے ھین۔ اس سمبندھ مین مین آپ کی توجہ خاص طور سے پنجاب کی طرف دلانا چاھونگا کہ پنجاب مین آپ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام اتنے اچھے نہین ھین جتنے کہ لاھور کے ھین۔ آپ کا ٹیلی ویژن پنجاب مین لاھور کے ٹیلی ویژن کا مقابلہ نہین کر سکتا ھے۔ آپ کا ریڈیو پاکستان کے ریڈیو کا مقابلہ نہین کر سکتا۔ پنجاب مین آپ کا آل انڈیا ریڈیو لاھور کے مقابلے مین بہت چھوٹا ھے۔ تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائیگا اور اس کا آپ کو نقصان بھی بہت اٹھانا پڑیگا کیونکہ باھر کے ملک ھمارے ھم سایہ ھین۔ ھمارے دیش کے جو کروڑون دیہاتون مین دیش

ی رہتے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کے دماغ پر ان پروگرام کے ساتھ ساتھ ان کا مشکل پروپیگنڈہ کا اثر ہوگا جو ہمارے لیے ایک بہت زبردست ہوگا۔ اس لیے میں پبلک منسٹر صاحب سے کہنا چاہونگا کہ آپ ان اسٹیشنس میں جہاں کہ ایسے سیٹلائٹ بازار ہیں خاص طور سے جو ں کشمیر قابل ذکر ہے پنجاب راجستھان گجرات کاٹھیاواڑ اسی طریقے سے جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگتے علاقے ہیں جو ملتے ہوئے علاقوں وہاں پر رہتے ہیں ان علاقوں میں مضبوط طاقتور ٹرانسمیٹر لگوا دیے جائیں اور ریزن نیٹ ورک کو زیادہ توجہ دیجیے اور وہاں کے لوگوں کی جو ایسپریشنس ہیں کو بھی مد نظر رکھ کر جو ہم سایہ ملک ہیں ان تک پہنچانے کے لیے پروگرام ان ٹرانسمیٹرس اور ٹیلی ویژن سینٹرس سے نشر کیے جائیں۔ اس لیے میں اس ریزالیوشن کے حق میں ہوں۔ اس لیے جو ریزالیوشن یہاں آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو اس اسٹیشن ملنا چاہیے تاکہ وہاں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو سکے۔ میں اس کے حق میں ہوں۔ تھینک یو۔

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : महोदय, संकल्प के प्रस्तावक मेरी बधाई के पात्र है, अगर और किसी बात के लिए नहीं तो, मुझे स्वायत्तता के प्रश्न पर सरकार के दृष्टिकोण को फिर से बताने का अवसर देने के लिए। ऐसा नहीं है कि यह बात पहली बार उठाई गई है। इसे पहले भी कई बार उठाया गया था और सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया था। विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह स्पष्ट नहीं था, परन्तु दृष्टिकोण को कई बार स्पष्ट किया गया था। उदाहरण के तौर पर उस समय जो उत्तर दिया गया था उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं :

आकाशवाणी और दूरदर्शन उचित समय देते रहे हैं और निश्चित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं।

मैं इस बात पर बाद में आऊंगा। परन्तु मैं सदन से एक अनुमति चाहता हूं और वह यह है प्रत्येक व्यक्तिगत बात या व्यक्तिगत मामलों का उत्तर न देने की। दुर्भाग्य से इस वर्ष मेरे मंत्रालय पर चर्चा होने से पहले ही वाद-विवाद का समापन हो गया था। स्वभावतः, कुछ सदस्यों को अपनी मांगें तथा शिकायतें सामने रखने का मौका नहीं मिला। आपकी अनुमति से, मैं उन व्यक्तिगत मामलों का उत्तर व्यक्तिगत तौर पर देने का प्रस्ताव करता हूं। यहां मैं स्वयं को केवल मोटे तथ्यों तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

मैं सभा से आशा करूंगा कि वह इस प्रश्न को व्यापक दृष्टि से देखें तथा विशाल आधार मान कर चले। यह आधार मुझे अपने संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है। सर, अरनेस्ट बार्कर, जिन्होंने 30 वर्षों तक कैमब्रीज में राजनीति शास्त्र पढ़ाया, ने प्रजातन्त्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, चिंतन किया तथा उन पर विचार किया था। और मुझे उनसे अपने विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सर अरनेस्ट बार्कर एक किताब लिखना चाहते थे, जो कि उनकी महान कृति है, जिसे "इंट्रोडक्शन टू सोशल एण्ड पोलिटिकल थियोरी" के नाम से जाना जाता है, वह अपनी प्रस्तावना में कहते हैं : "मैं यह मालूम करना चाहता था कि पश्चिमी प्रजातंत्र की आत्मा कहां हो सकती है, वर्षों से पश्चिमी प्रजातंत्र का जो विकास हुआ है मैं कहां उसकी आत्मा की खोज करके पा सकता हूं।" वह कहते हैं : "भारत के संविधान की प्रस्तावना में मैंने इसके दर्शन किए हैं।" उस किताब की भूमिका के लिए उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को दोहरा दिया है—भारत के लोग, भारत को एक समाजवादी सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एतद् द्वारा इस संविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह वह आधार है जिसके अनुसार स्वायत्तता है या नहीं, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। और इस लिए मेरे विचार से दूरदर्शन का उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना तथा मनोरंजन का साधन है। ये दोनों ही बातें देखनी होंगी। संकल्प के विषय को इस विशाल दृष्टिकोण तथा इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। अगर वह सही दिशा है तो मुझे मोटे पर आप यह कहने की अनुमति दें जो मेरे विचार में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भूमिका है। मैं कहूंगा कि अगर उद्देश्य यह है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है तो हमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का ढांचा अथवा जो कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, प्रसारित किये जाते हैं उन्हें इस दृष्टिकोण से देखना होगा। अगर यह सही है तो हमें इसके कार्य प्रदर्शन का निर्णय इस बात से नहीं करना होगा कि क्या हुआ, यह घटना सम्मिलित की गई अथवा उस घटना पर प्रकाश डाला गया। इनकी तरफ ध्यान देना छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना होगा, इसे प्रसारित किया गया तथा उसे प्रसारित नहीं किया गया; इस बात पर अधिक ध्यान दिया गया अथवा उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मेरा सदन से अनुरोध है कि वह उस उद्देश्य की ओर ध्यान दे जिसका मैंने उल्लेख किया है।

मै दूरदर्शन से शुरू करता हूं। मैं अपने भाषण में चार या पांच पहलुओं को लूंगा। सभा में प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि दूरदर्शन का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं

[श्री वी० एन० गाडगिल]

कि विस्तार स्वयं ही महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि यह असाधारण हैं। एक ऐसी चीज है जिस पर सभा तथा देश को गर्व होना चाहिए कि कम शक्ति के प्रसारण के सारे सिद्धांत की, जो कहीं अन्य नहीं है, हमारे अपने अभियंताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से हटकर इसकी रूप रेखा तैयार की गई है। अगर हम उच्च शक्ति के केन्द्र स्थापित करते, जिनकी लागत करोड़ों रुपयों में है, तो इसमें वर्षों लग जातें और भारत के लोगों को दूरदर्शन देखने का लाभ प्राप्त न हो पाता। अतः यह रूपरेखा के मामले में तो भारतीय ही है इसके अतिरिक्त लगभग सारे उपकरण भारत-निर्मित हैं, कोई भी उपकरण आयात नहीं किया गया है और इसको लागू भी रिकार्ड समय में किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 4 माह में 116 ट्रांसमीटरों का निर्माण देश के लगभग सभी भागों में किया गया है—एक अनोखा रिकार्ड, संसार के इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिलती ऐसे विस्तार के लिए हमारे अभियंता, प्रशासक तथा हमरा स्टाफ हमारी बधाई के पात्र हैं।

एक और भी महत्वपूर्ण बात है। साधारणतः अनुभव है कि जब भी कोई संगठन अपना विस्तार करता है तो उसका स्तर गिर जाता है, कम से कम शुरू में। परन्तु यह एक ऐसा मामला हैं जहां विस्तार हुआ है, दूरदर्शन देखने का समय बढ़ाया गया है फिर भी न केवल इसका स्तर नहीं गिरा बल्कि कल ही सदन में तालियां बजाई गयीं तथा प्रशंसा की गई कि वास्तव मे स्तर सुधरा है। यह हमारे अभियंताओं, प्रशासकों की और उपलब्धि है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। यह हमारे अभियंताओं, कार्यक्रम आयोजकों तथा अन्य सभी स्टाफ सदस्यों की उपलब्धि है है और उसके लिए एक बार फिर से हमारी बधाई के पात्र हैं।

कार्यक्रम के विभिन्न पहलू होते हैं। मैं सारा विवरण दे सकता हूं परन्तु उसमे बहुत समय लग जायेगा। हमने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश की है। कुछ मान्य सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोक-कथाओं का कोई कार्यक्रम नहीं है। आप देखें कि अलग-अलग किस्म के कार्यक्रम तैयार किये गए हैं और उसके बाद ध्यान दें कि हमारे सामने कई कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई यह है कि समय की उपलब्धता बहुत ही सीमित है। इस बात के लिए बहुत सारे दावेदार हैं कि समय इस कार्यक्रम के लिए या उस कार्यक्रम के लिए दिया जाये। उपलब्ध समय में विविधता की तरफ देखिए। हमने समाज के सभी वर्गों की रुचि को ध्यान में रखकर कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। 'पैनोरमा' कार्यक्रम 15 दिन में एक बार प्रसारित किया जाता है। यह एक सामयिक विषयों का कार्यक्रम होता है जो जनता को देश के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों के बारे में जानकारी देता है।

इसके बाद, 'जनवाणी' कार्यक्रम है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यह कार्यक्रम भी 15 दिन में एक बार होता है। एक दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्वाइंट और काउंटर प्वाइंट, पक्ष-प्रतिपक्ष कार्यक्रम होता है। कोई व्यक्ति एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अतः दोनों तरफ के दृष्टिकोण जनता के सामने रखे जाते हैं। यह कार्यक्रम हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में होता है—प्वाइंट-काउंटर प्वाइंट, पक्ष-प्रतिपक्ष। उसके बाद, 28 मिनट का 'लोक-कथा तथा परम्परागत कला' पर कार्यक्रम होता है। यह 15 दिन में एक बार होता है। मैं सूची को पढ़कर सुना सकता हूं। मैं अपने राज्य को छोड़ दूंगा :

पश्चिम बंगाल की लोक कथाएं तथा परम्परागत कलाएं ।

बाऊल गीत, जात्रा, नैया गीत ।

मध्य प्रदेश : पाविथि नृत्य, पंदवाणी, आल्हा उद्‌ल ।

मैं सारी सूची दे सकता हूं । 15 दिन के बाद 28 मिनट का एक कार्यक्रम होता है जिसमें भारत की लोक कलाएं तथा लोककथाएं प्रस्तुत की जाती हैं ।

इसके बाद, एक कार्यक्रम हैं जिसे "भारत के लोक वाद्य यंत्र" कहते हैं । यह सप्ताह में एक बार होता है—कार्यक्रमों की लड़ी है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोक वाद्य यंत्रों का कार्यक्रम दिखाया जाता है । इसके बाद, एक कार्यक्रम होता है जिसे 'इन दिस अवर लैंड' कहते हैं । यह कार्यक्रम 15 दिन में एक बार प्रसारित किया जाता है । इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न भागों, जिसमें जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सम्मिलित हैं, की कलाओं, दस्तकारियों तथा सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाता है । इसकी एक पूरी सूची है । एक अन्य कार्यक्रम है "कवि और कविता" । यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कविताओं का अवलोकन कराया जाता है जो विभिन्न भाषाओं, बंगाली, हिन्दी·· की होती है । मेरे पास पूरी सूची मौजूद है । इसके पश्चात्, एक कार्यक्रम है 'केरल म्यूजिक' (**व्यवधान**) । मैंने आपके भाषण में हस्तक्षेप नहीं किया है आप भी कृपया हस्तक्षेप न करिए । मेरे भाषण समाप्त करने के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

कोरल म्यूजिक भी सप्ताह में एक बार होता है

पर्यटन स्थल - 15 दिन में एक बार

भारत की प्रथाएं तथा परम्पराएं—15 में एक बार

युवा वर्ष—साप्ताहिक कार्यक्रम ।

'परिवर्तन' में ग्रामीण जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है दिखलाया जाता है । केवल इसी के लिए यह एक प्रोग्राम है । यह 15 दिन में एक बार प्रसारित किया जाता है ।

रीजनल लाइट म्यूजिक—सप्ताह में एक बार ।

एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि हम यह नहीं दिखा रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्या उपलब्धि हुई है । 'प्रगति की ओर' के नाम से एक कार्यक्रम है जिसमें केवल सरकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को ही दर्शाया जाता है । यह सप्ताह में एक बार प्रसारित होता है । इश्यूज एण्ड एप्रोच । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी देश की समस्याओं पर विचार किया जाता है । यह 15 दिन में एक बार होता है । प्रामियर इंस्टीच्यूशनज इन इंडिया । मुझे यह दावा करने में हिचकिचाहट नहीं है कि यह वही है जो मैंने शुरू किया है । भारत में बहुत से ऐसे संस्थान

[श्री बी० एन० गाडगिल]

हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च जिसकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं। ऐसे संस्थान लोगों के सामने क्यों न लाये जाएं ? अत: हमने यह विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसे 'प्रीमियर इंस्टीट्यूशंज इन इंडिया' के नाम से जाना जाता है।

एक अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है वह 'ग्रेट मास्टरज' के नाम से है। यह पन्द्रह दिन में एक बार होता है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे यहां पंडित भीम सेन जोशी, कुमार गंधर्व तथा लाला अमरनाथ जैसे लोग हैं। ये लोग अपने जीवन के चरम बिन्दु पर हैं। कुछ समय बाद उनके बारे में नई पीढ़ी को शायद कुछ पता ही न हो। अत:, हमने यह कार्यक्रम, 'ग्रेट मास्टरज' शुरू किया है। इसका उद्देश्य केवल आपको या मुझे इनके बारे में दिखाना नहीं है बल्कि इसे अभिलेखागार में सुरक्षित रखना भी है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि इन 'ग्रेट मास्टरज' की क्या उपलब्धियां थीं। मैं सूची पढ़कर सुना सकता हूं। हमारे पास पहले ही, इन दो-तीन नामों सहित जिनका मैंने उल्लेख किया है, 17 हैं।

इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम है 'स्टेटस आफ दी यूनियन' (संघ के राज्य)। यह माह में एक बार होता है। इस कार्यक्रम में भारत के प्रत्येक राज्य के विभिन्न भौगोलिक ऐतिहासिक पहलुओं तथा उनकी समस्याओं को दर्शाया जाता है।

'जनवाणी' के एक और पहलू पर मैं बाद में बोलूंगा।

इसके अतिरिक्त, वस्तुनिष्ठता के संबंध में आलोचना की गई है। मैं विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में उठाये गए प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। पहले ही इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था तथा इस सदन में इस पर वाद-विवाद हुआ था और तथ्य तथा आंकड़े दिए गए थे। अगर मैं उस प्रश्न को लूंगा तो वह केवल जो मैं पहले कह चुका हूं उसको दोहराना ही होगा। इसलिए, मैं नहीं समझता कि इसका उत्तर देना उचित होगा। अगर आप मुझसे निष्पक्ष रूप से पूछें तो मैं कहूंगा कि मेरे विचार में सत्ता दल का इस पर शिकायत करने का मामला बनता है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से। समाचार विश्लेषण को लीजिए जो मैंने करवाया है। आकाशवाणी के समाचारों में 25-11-1984 तथा 24-12-1984 के दौरान चुनावों के लिए, कांग्रेस दल को 1054 लाइनें मिली और विरोध पक्ष को 1189 लाइनें मिली थीं। अगर मैं उनको बराबरी से बांटू तो सत्ता दल को एक लाइन मिलेगी परन्तु चूंकि वे दस हैं इसलिए उन्हें दस लाइनें मिलती हैं। अत: उनकी स्थिति फायदे वाली है। जैसे ही वे विभाजित होते हैं और नये दल बनाते हैं तो उन्हें अधिक लाइनें मिलेगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अगर आप मानें, तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। इस हिसाब में प्रधान मंत्री तथा मंत्रियों को दिया गया समय सम्मिलित नहीं है। अत:, सारे आंकड़े गुमराह करने वाले हैं।

श्री बी० एन० गाडगिल : प्रधान मंत्री तो देश का प्रधान मंत्री है। इसलिए उनको किसी एक दल अथवा दूसरे दल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। वह राष्ट्र का प्रधान मंत्री है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री एक मंत्री है, उसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री हैं और उसे भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : अगर प्रधानमंत्री किसी नदी परियोजना का उद्घाटन करते हैं तो क्या वह दलीय मामला है ?

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मंत्रीगण भी इसमें सम्मिलित हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : अब आप अक्तूबर, 1984 और दिसम्बर 1984 के बीच की अवधि के आंकड़े देखें। आकाशवाणी ने कांग्रेस दल को 2 घन्टे 55 मिनट और 30 सेकण्ड का समय दिया था, विपक्ष दलों को 4 घण्टे 28 मिनट और 27 सेकण्ड का समय दिया था। यह दो गुना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह वर्गीकरण गुमराह करने वाला है।

श्री वी० एन० गाडगिल : गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं जानता हूं कि इससे आपको ठेस पहुंची है। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया इस तरह की है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप दलवार स्थिति बताएंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : इस समय मेरे पास नहीं है। इस समय मेरे पास दल-वार स्थिति नहीं है।

कांग्रेस दल को दूरदर्शन ने 79 मिनट दिए थे, विपक्ष दलों को 163 मिनट और 30 सेकंड दिए गए थे। ...(**व्यवधान**) आप इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तीन प्रकार के झूठ होते हैं --सफेद झूठ, निन्दात्मक झूठ और आंकड़ों के सहारे झूठ बोलना।

श्री वी० एन० गाडगिल : इसके पश्चात् मैं समझूं कि वह कभी कोई आंकड़ उद्धत नहीं करेंगे ?

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : यह आंकड़ों का इन्द्रजाल है।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप हमेशा ऐसा कह सकते हैं। यदि यह आपको असुविधा-जनक हो तो आप इसे हमेशा इन्द्रजाल कह सकते हैं।

अब दूसरा पहलू लिया जाए। जनवरी से पिछले महीने तक विभिन्न कार्यक्रम जैसे संसद विषय, बजट की प्रतिक्रिया, जनवाणी, पेनोरमा, करंट इवेन्टस (ताजा घटनाएं) किए गए थे।

[**श्री वी० एन० गाडगिल**]

मैंने सूची को खुद इकट्ठा किया था। और क्या आप जानते हैं कि इन कार्यक्रमों में दूरदर्शन पर विपक्ष के 25 सदस्यों को शामिल किया गया था जब कि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, यहां तक की आधी भी नहीं थी ? जब मुझे भ्रष्टाचार पर कार्यक्रम का पता चला तो जानते हैं मैंने किसे निमंत्रण दिया ? क्या मैंने कांग्रेस दल के किसी सदस्य को बुलाया था ? जी नहीं। मैंने आपके दल की श्रीमती मृणाल गोरे और श्री कृष्ण कान्त को बुलाया था तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए कांग्रेस (आई) के किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया था। अभी भी वे कहेंगे कि आप पक्षपाती हैं।

एक माननीय सदस्य : विशेषज्ञों को बुलाया गया था।

श्री वी० एन० गाडगिल : संसद सदस्यों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों पर कई स्वतंत्र पत्रकारों को लाया गया था जिन्होंने कांग्रेस (आई) दल के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी दी थी। मैं उनके नाम पढ़ सकता हूं। जब विधान सभा चुनावों का विश्लेषण किया गया था तो विश्लेषण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा, कांग्रेस दल द्वारा विश्लेषण के आधार पर लिए गए निर्णय पर एक व्याख्याकार ने आलोचनात्मक टिप्पणी की थी।

इसके बाद पंजाब का मामला लें। मेरे दल के कुछ सदस्य अप्रसन्न थे परन्तु हमने पंजाब पर एक कार्यक्रम की अनुमति दी, यह एक वैसा निर्णय था जहां चर्चा में सरकार की आलोचनात्मक टिप्पणी ही नहीं की गई थी बल्कि संभवतः प्रचार माध्यम सलाहकार समिति द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त या निर्धारित सीमा से बाहर जाकर भी आलोचना की गई थी लेकिन फिर भी हमने रूकावट नहीं डाली, हमने उसे काटा नहीं।

फिर, बहुत से अन्य कार्यक्रम हैं जहां आप कई विपक्षी सदस्यों के दृष्टिकोण पाते हैं जैसे स्थिति, प्रतिस्थिति, मौजूदा घटनाएं और अन्य बातें हैं। वास्तव में, जैसा मैंने कहा कि सत्ता दल के सदस्यों के कुछ मामलों में शिकायत हो सकती है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। हम पिछले कई समय से विपक्ष को सामने आने के लिए अवसर दे रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि जब वे दूरदर्शन पर आते है तभी वे चुनाव जीतते हैं। अतः यह आपका अवसर है।

श्री ई० अय्याप्पु रेड्डी (कुरनूल) : पहले श्वेत व्यक्तियों के विचार थे अब यह कांग्रेस सत्ता के विचार हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह तो वही हुआ कि कौआ कोयल को काली कहे।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, आप ऐसी बातें कर सकते हैं लेकिन मैं अपने आपको विषयवस्तु तक ही सीमित रखता हूं न कि भाषा पर।

मैं प्रत्येक मुद्दे का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं परन्तु चूंकि मामाला उठाया गया है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दूरदर्शन ने श्री चन्द्रशेखर की पदयात्रा को दिखाया था और दूरदर्शन द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया था। इसके बाद फिर एक माननीय सदस्य ने इस पदयात्रा से

होने वाले प्रभाव के बारे में भी दूरदर्शन पर बताया था। चन्दा समिति रिपोर्ट के बारे में मेरे एक साथी ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है, मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वर्गीस समिति ने इस कल्पना के साथ कम शुरू किया था कि स्वायत्तता होनी चाहिए, पर उन्होंने स्वायत्तता की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने स्वायत्तता की बात पहले ही मान ली थी कि इसका ढांचा स्वायत्तता पूर्ण बनाया जाये। अतः वर्गीस समिति विसंगत है। इसके बाद जो भी समिति के बारे में फिर एक माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा यह ठीक नहीं है। यह समिति स्वायत्तता निगम की सिफारिश नहीं करती है। यह सिफारिश करती है कि इसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रेलवे बोर्ड के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए और सूचना बोर्ड में व्यावसायिक रूप से कुशल व्यक्ति लिये जाने चाहिये। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं रक्षा उत्पादन का मंत्री था वहां आयुद्ध बोर्ड है मैं संचार का प्रभारी था; वहां एक डाक-तार बोर्ड है और आपके पास रेलवे बोर्ड है। मैं जो भी समिति की सिफारिशों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक बात निश्चित है एक बोर्ड भिन्न ढांचा है, और स्वायतत्ता निगम का ढांचा पूरी तरह से भिन्न है। जोशी समिति ने स्वायत्तता निगम की सिफारिश नहीं की है।

बहुत से लोग यहां और बाहर बी०बी०सी० के बारे में अच्छे व्याख्यान देते हैं। मुझे कहते हुए खेद है और शायद कुछ लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे पर इस देश में मध्यम वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य से प्रभावित है। वेस्टमिनिस्टर टाइप, आश्चर्यजनक, ब्रिटिश लोकतंत्र, क्या आश्चर्यजनक लोकतन्त्र है। ब्रिटिश लोकतन्त्र बहुत जिम्मेदार है, ब्रिटिश न्यायपालिका बहुत स्वतन्त्र है, बी०बी०सी० निष्पक्ष है। ये तीन मन गढ़त बातें हैं श्री रेड्डी, मैं कागजात और तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ इसका भंडाफोड़ कर सकता हूं। पहले दो के बारे में, यह अवसर नहीं है। बी०बी०सी० के बारे में, मैं आपको बताता हूं।

आप समझते हैं कि यह बहुत विश्वसनीय है। यह बहुत निष्पक्ष, स्वतन्त्र है और सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह सब आधाररहित है। पहले आप कृपया जेम्स मार्गेक की किताब पढ़िए। वह 50 वर्षों से लंदन टाइम्स का संवाददाता, राजनैतिक संवाददाता था। उनका निष्कर्ष क्या है? लवाइड जार्ज से लेकर हाल के वर्षों तक, विल्सन और इससे आगे तक उनका निष्कर्ष यह है कि ब्रिटेन का हर प्रधानमंत्री इस प्रकार माध्यम के काम में हस्तक्षेप करता है।

उन्होंने मंत्रिमण्डल के कार्यवृतांत के दस्तावेजों का हवाला दिया है जो लायड जार्ज से आगे की स्थिति बताते हैं। उन्होंने केवल दो अपवाद बताए हैं। पहला श्री एटली और दूसरा श्री ह्यूम। केवल इन दोनों ने हस्तक्षप नहीं किया।

जैसा कि आप जानते हैं, आप इन चीजों के छात्र हो। लार्ड हिल बी०बी०सी० के चेयरमेन थे और उन्होंने "बिहाइन्ड दी स्क्रीन : बाइकास्टिंग मेमोयरस आफ लार्ड हिल" नामक पुस्तक लिखी। अनुभव क्या है? जब कनसर्वेटिव सत्ता में है तो लेबर पार्टी कहती है कि बी०बी०सी०

[श्री वी० एन० गाडगिल]

कनसर्वेटिव का समर्थन करता है। जब लेबर पार्टी सत्ता में होती है तब कनसर्वेटिव पार्टी कहती है कि उनके प्रति झुकाव है। मैं केवल आपको एक वाक्य पढ़कर बताऊंगा :

"समाचार माध्यम स्वयं पक्षपात करता है, हाल ही में यह आकर्षित कह कर की आलोचना की जाती है।"

इसके समाचार पक्षपातपूर्ण होते हैं। बी०बी०सी० के विरुद्ध उनके अपने लोगों ने यह आरोप, आलोचना की है। लेकिन हमारे लोग कुछ नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि आकाशवाणी बेकार है। बी०बी०सी० विश्वसनीय है।

लार्ड हिल का लिखा एक बार फिर देखिए :

प्रसारण की मांग केवल व्यावसायिक निपुणता का बड़ा क्षेत्र नहीं है बल्कि तुरन्त निर्णय लेने के लिए क्षमता भी चाहिये।

उसी समय काम को करने या न करने का किसी न किसी को निर्णय लेना होता है। वह राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता है। वह एक विशेष निर्णय लेता है। तब उस राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होने का आरोप लगाया जाता है। यह कम समय में अधिक कार्य करना होता है।

आप कहते हैं कि कांग्रेस से पहले आकाशवाणी बहुत अच्छी थी। मैं आपको पुरानी आकाशवाणी के इतिहास से एक उदाहरण का उल्लेख करता हूं। आजादी से पहले उससे 37 वर्ष के बाद तथा उससे और आगे का उल्लेख करता हूं। महात्मा गांधी वाइसराय से मिले और वाइसराय का कार्यालय इसे आकाशवाणी पर पूरी तरह प्रसारित करना चाहना था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप कहते हैं कि वाइसराय महात्मा गांधी से मिले थे।

श्री वी० एन० गाडगिल : वहां प्रभारी व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस पर एक मसोदे को बनाना शुरू किया कि इसे किस प्रकार दिया जाना चाहिए। सबसे पहले उसने लिखा "महात्मा गांधी वाइसराय से मिलने गए। बैठक 30 मिनट तक हुई" उसने कहा नहीं यह ठीक नहीं है। "वाइसराय ने 30 मिनट के लिए महात्मा गांधी को साक्षात्कार दिया" उसने कहा नहीं यह भी ठीक नहीं है" इसी प्रकार चार या पांच मसौदे तैयार किए गए। समय बीत रहा था। 9 बजे आकाशवाणी पर समाचार जाना था। जैसे ही वह सोच रहा था कि चपरासी ने सारे मसौदे उठाए और समाचार पढ़ने वाले को दे दिए और उसे आकाशवाणी पर सारे मसौदों को पढ़ने के लिए कहा गया। अन्त में वही समाचार पांच बार दिया गया था।

ऐसा हुआ है। इसलिए वहां तुरन्त निर्णय लेना होता है और यदि आप सोचते हैं कि मैं अपने कार्यालय या आवास में रहता हूं जहां मैं दूरदर्शन या आकाशवाणी में टेलीफोन ही करता रहता हूं और कहता हूं कि इसे दो, इसे न दो, यह गलत है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे समाचार याद है। अन्त में यह था "महात्मा वाइसराय श्री गांधी से मिले थे।"

श्री वी० एन० गाडगिल : हो सकता है। मैंने इसे बहुत पहले पढ़ा था। आप ठीक हो सकते हैं। अत: जो मैं बता रहा हूं वह यह है, क्योंकि विशेष समाचार को देना है या नहीं देना है, कृपया इसमें राजनैतिक उद्देश्य को आरोपित न कीजिए। उसी स्थान पर एक व्यक्ति को एक मिनट या आधे मिनट में भी वही निर्णय लेना होता है। उसका निर्णय गलत भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि निर्णय गलत है। लेकिन यह कहना कि ऊपर से किसी ने यह देने या न देने की हिदायत दी है तो मेरा अनुरोध है कि यह गलत धारणा है।

हग जंकिस जो ब्रिटिश सरकार में मन्त्री थे, बी० बी० सी० के बारे में बोलते हुए कहा कि :

> "बी०बी०सी० खुद स्थापना का एक भाग था और वे लोग, जो इसे चला रहे थे जानते थे कि इस योजना में उनकी अपनी स्थिति क्या है और साथ-साथ गिरजाघर के नेताओं या इंगलैंड के बैंक के निदेशकों की स्थिति भी जानते हैं। उनकी भूमिका एक ढांचे के भीतर ही स्वतन्त्र होनी थी। स्वतन्त्र रूप से उड़ना था लेकिन वे पिंजरे का आकार का है यह प्रश्न नहीं करते थे और न ही वे पिंजरे के अस्तित्व के बारे में सोच सकते थे।"

यह बी०बी०सी० की यथार्थवादिता है जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया जो 1974 से 1976 तक ब्रिटिश सरकार में मंत्री था।

यह 10 मई के "दी इक्नोमिस्ट" में से है। यह बी० बी० सी० के बारे में क्या कहता है ?

> "यह नए प्रौद्योगिकी के लिए बहुत बड़ा, बहुत घमंडी, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत देशद्रोही, बहुत संभ्रात और नई प्रौद्योगिकी के प्रति बहुत अनिच्छुक है। यदि यह अच्छी तरह से वर्ताव नहीं करता है तो इसे सजा दी जाएगी।"

यह भी उल्लेख करता है कि "तत्कालीन सरकार कैसे इसे प्रभावित करती है।"

यह, यह भी कहता है :

> "और न ही कोई बड़ा राजनैतिक दल बीब को पसन्द करता है, दूसरे के साथी के रूप में प्रत्येक इसको देखता है "

सबसे श्रेष्ट यह है :

> "एक लेबर एम० जी०.. "

[श्री वी० एन० गाडगिल]

क्योंकि वे आपके करीब हैं।

एक लेबर संसद सदस्य यह कहता है :

"अधिकतर उन लोगों के द्वारा बी०बी०सी० चलाई जाती है जो श्रमिक वर्ग को नहीं जानते हैं·····परन्तु श्रमिक वर्ग को स्पष्ट रूप से ढालने की इच्छा करती है।"

ये वे लोग हैं जो बी०बी०सी० चलाते हैं। और आप कहते हैं कि बी०बी०सी० बहुत विश्वसनीय है तथा आकाशवाणी विश्वसनीय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय कुछ समय बढ़ाने के लिए आप मुझे आज्ञा देंगे, मैं शायद अधिक समय ले लूंगा। लेकिन यह एक उद्धरण है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझे यह नहीं पढ़ना चाहिए परन्तु मैं महसूस करता हूं कि मुझे बताना चाहिए। यह कुछ अश्लील है···

प्रो० मधु दंडवते : इंगलैंड के मंत्री जी हाउस आफ कामन में हमारी आकाशवाणी का उद्धरण देते होंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : आप जैसे कुछ वहां उसका उत्तर देते होंगे।

श्री डेविड स्काट जो एक प्रसिद्ध निर्माता थे जैसा कि आप सभी जानते हैं, ने बी०बी०सी० में प्रगतिशील कालाकारों के लिए कार्य करने की शर्तें इतनी खराब पाई थी कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और उनका त्यागपत्र का पत्र इतिहास का महत्वपूर्ण भाग बन गया। वह कहते हैं :

"बी०बी०सी० के लिए काम करना ऐसा था ···X X

तीन कारणों से :

पहला क्योंकि वहां कोई आनन्द नहीं आता, दूसरा अत्यधिक कार्य-भार का भारी खतरा है, और तीसरा 21 महीनों के बाद भी संभवतः कोई परिणाम निकलने की आशा नहीं है।"

यह बी०बी०सी० है। कुछ लोग जो बी०बी०सी० के बारे में अच्छा व्याख्यान देते हैं वे कहते हैं कि यह बड़ा संस्थान है, यह विश्वसनीय है, यह बहुत सुन्दर है आदि। उन्हें बी०बी०सी० सुनने दो। उन्हें आकाशवाणी सुनने दो।··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही उल्लेख कर दिया है। मैं कोई दृष्टान्त नहीं

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

बनाना चाहता हूं । यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं यही कह सकता हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कुछ असंसदीय नहीं है ।

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि मैं कह रहा था कि जहां तक संभव है हम विचार के दूसरे पहलू को खपाने की कोशिश कर रहे हैं । मैंने कई उदाहरण दिए हैं ।

इसके बाद अब मुझे जनवाणी कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना है । यह प्रधान मंत्री जी का विचार था । उनका विचार था कि प्रत्येक मंत्री जी को लोगों के सम्मुख आना चाहिए । हमने इस विचार का हल निकाला । समाचार पत्रों में मैंने जो इसकी प्रतिक्रिया देखी है, उसमें इसका स्वागत किया गया है । मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथियों ने भी इसका स्वागत किया है । इससे हमें अपने प्रशासन की कमजोरी का पता चलता है । लोग अपने दुःखों को हमारे पास लाते हैं । मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यह एक तरफ से नहीं है । आपने एक कार्यक्रम में देखा होगा कि खराब चीनी जो वितरित की जाती थी उसे लाया गया था, हमने वहां दिखाया था । टेलीफोन के कार्य न करने के बारे में कार्यक्रम दिखाया गया था । ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और केवल एक ही तरफ का प्रचार करते हैं । आकाशवाणी और दूरदर्शन की विश्वसनीयता को बढ़ाने का सारा प्रयास किया जाता है ताकि जैसा मैंने बताया है कि विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाने के सभी मुदों को जहां तक संभव हो खपाया जा सके । इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि हम इसका उपयोग तंत्र के रूप में या किसी प्रकार एक प्लेटफार्म के रूप में कर रहे हैं ।

शेष मामलों के बारे में जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था मैं प्रत्येक के उत्तर के लिए सदन से अनुरोध करूंगा । 25 से अधिक वक्ता हैं जिन्हें बोलना है । प्रत्येक को औसतन 5 मुद्दों पर बात करनी है । यदि मुझे यह कहना है कि क्या एक टी० वी० स्टेशन को यहां स्थापित करना चाहिए या नहीं तो यह बहुत समय लेगा । अतः मुझे एक-एक करके उनका उत्तर देना होगा ।

मुझे इस तरह समाप्त करने की आज्ञा दे । मैंने प्रारम्भ में जो उल्लेख किया है उसके प्रति तथा वे काम जो मुझे और मेरे मंत्रालय को दिए गए हैं उन्हें देखना है । यह इस प्रसंग में है कि हमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के निष्पादन पर विचार करना है । मैं नहीं समझता कि स्वायत्तता देने मात्र से पूरी समस्या हल हो जाएगी यदि मुझे हस्तक्षेप करना है, तो चाहे यह स्वायत्त है या नहीं, मैं तो हस्तक्षेप करता रहूंगा । यदि मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता तो चाहे यह सरकारी विभाग है या स्वायत्त निगम है तो इसमें कोई अन्तर नहीं है और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा । सावधानी से विचार करने के बाद कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत तथा बहुत सावधानी पूर्वक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं । इन्हें अभी नहीं बहुत वर्ष पहले बनाया गया था । एक प्रचार माध्यम सलाहकार समिति थी और हमने उन मार्गदर्शी सिद्धांतों के ढांचे के अन्तर्गत संपादकीय

[श्री वी० एन० गाडगिल]

स्वतंत्रता दे रखी है यदि सदन चाहता है तो मैं उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ूंगा जो बहुत विस्तृत हैं और पिछले 20-25 वर्षों से है।

जहां तक चुनाव समय का संबंध है और जहां तक दल के प्रसारण का संबंध है जैसा कि आप जानते है कि पूरी योजना का सभी दलों से परामर्श करके और चुनाव आयोग की सहमति से बनाया गया था तथा हम इन मार्गदर्शी सिद्धांतों से नहीं हटे हैं। इसलिए हमें उसके प्रति निर्णय लेना है।

मैं यह कहूंगा। मै उन तथाकथित मध्यम वर्ग के चिड़चिड़े बुद्धिजीवियों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि इस देश में हर चीज बुरी है और उस देश में हर चीज अच्छी है। मैं कहता हूं कि यह एक महान देश है, एक शक्तिशाली देश है प्रगतिशील राष्ट्र है, यह वह राष्ट्र है जहां कम्पन और धड़कन है जो आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व का आदर तथा श्रद्धा करता है और यह आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का कार्य है कि इस देश को इस राष्ट्र को सही ढंग से दर्शाये तथा इसकी उन्नति में सहायता करे और लोगों की उन्नति में सहायता करे। यह राष्ट्रीय प्रयास है और मैं दावा करता हूं कि आकाशवाणी उस महान राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान कर रहा है।

श्री एम० रधुमा रेड्डी (नलगोंडा) : इस चर्चा में 25 सदस्यों ने भाग लिया। मुझे उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना है जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। चर्चा में कांग्रेस (आई) के 18 सदस्यों ने और विरोधी दल से 6 सदस्यों ने भाग लिया।

मत्री जी ने अभी उत्तर दिया। मैंने अपने प्रस्ताव में कभी नहीं कहा कि स्वायत्त निकाय बी० बी० सी० की तरह या वायस आफ अमरीका की तरह होना चाहिए। केवल यह कहा कि इसे स्वायत्त शासी निकाय होना चाहिए। इसे संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। इसे स्वतंत्र, स्वायत्त निकाय होना चाहिए। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

मंत्री जी और कांग्रेस के बहुत से सदस्यों ने जो बोले थे, बी० बी० सी० या वायस आफ अमरीका के कार्यों की आलोचना की थी। परन्तु जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने बताया कि जब उनकी प्रिय नेता इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो वह संदेश बी० बी० सी० पर सुबह 10 या 10.30 बजे आया था जबकि आकाशवाणी ने इसे शाम को 6.30 बजे के बाद दिया...(व्यवधान) बी० बी० सी० ने सही स्थिति बताई थी। फिर जब टी० डी० पी० ने 6 तारीख को बहुमत प्राप्त किया था तो आकाशवाणी ने इसकी घोषणा 7 मार्च को की थी। ऐसा विलंब क्यों है? जब कभी कोई कांग्रेस का सदस्य निर्वाचित होता है तो वे उस कांग्रेस सदस्य का इतिहास बताते हैं और जब कभी कोई कांग्रेस सदस्य की हार होती है तो भी वे उस विशेष व्यक्ति का इतिहास बताते हैं उदाहरण के लिए, मैं एक सदस्य का प्रमाण देता हूं जो मेरी तरफ बैठे हैं। उन्होंने एक बड़े व्यक्ति को हराया परन्तु उन्होंने उसका नाम नहीं बताया बल्कि उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसको हराया गया था। क्यों? महोदय, यह आकाशवाणी नहीं है, यह इंदिरा जी का रेडियो है, यह इंदिरा कांग्रेस का रेडियो है। यह सही है।

महोदय, 4 व 5 मई को दूरदर्शन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन का सीधा प्रसारण किया। क्या आप अन्य पार्टियों के अधिवेशन को भी दूरदर्शन पर दिखायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : कांग्रेस पार्टी के शताब्दी समारोह का दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया गया। जब दूसरी पार्टियों के शताब्दी समारोह होंगे तो उन्हें भी दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया जायेगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : शताब्दी समारोह इंदिरा कांग्रेस ने मनाया से है। यह राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत सी पार्टियों में जैसे कांग्रेस (एस), कांग्रेस (जे), कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (आई) में बटी हुई है। (व्यवधान) महोदय, दूरदर्शन को प्रभावी, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होना चाहिए। हम देखते हैं कि यह स्वतंत्र तथा निष्पक्ष भूमिका अदा नहीं कर रहा है। यह मंत्री तथा मंत्रालय पर निर्भर करता है। वे अपनी पार्टी के लिए कार्य करेंगे। उसी का प्रचार करेंगे तथा उसी की छवि बढ़ाएंगे। अब मंत्री महोदय ने भ्रामक आंकड़े दिये हैं। आप कहेंगे मंत्री से अभिप्राय है सरकार, प्रधान मंत्री भारत का प्रतीक है तथा कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता की प्रतीक है। आप यही प्रचार करते हैं। परन्तु अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है? उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। आप अपनी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा महासचिव दिखा रहे हैं तथा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी उल्लेख समाचार शीर्षकों में दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति को युवा कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष नामजद किया गया है। हर एक पार्टी अपने अध्यक्ष तथा सचिव का चुनाव व नियुक्ति करती है आप उनके बारे में दूरदर्शन पर क्यों नहीं बताते क्या उनका चित्र नहीं दिखाते ? (व्यवधान) इन सभी बातों से आपका पक्षपात प्रकट होता है। वे स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि वे मंत्री की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। मैं अधिकारियों को दोष नहीं दे रहा हूं। यदि कोई अधिकारी बात नहीं मानता तो उसे अन्य स्थानों पर बदल दिया जाता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे संकल्प का समर्थन करें ताकि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन निष्पक्षतः तथा स्वतंत्र रूप से बिना सरकारी हस्तक्षेप के ये कार्य कर सके। यदि स्वायत्त निकाय हों तो यह निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, मंत्री, मंत्रालय तथा पार्टी के अधीन ऐसा नहीं हो सकता। मेरा संकल्प आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वतंत्र निकायों में बदलने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : जी, श्रीमान, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूल चन्द डागा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप दिया जाये, ताकि जन-सम्पर्क के इन माध्यमों की वस्तु-निष्ठता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

4.55 म० प०

सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह देश के विभिन्न भागों, विशेषकर जम्मू तथा काश्मीर राज्य में, इस वर्ष सूखे से कुप्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत दे और सिंचाई तथा पीने के लिए पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को इस संकल्प के लिए समय का आवंटन करना है । आज 5.30 पर हमें आधे घंटे की चर्चा लेनी है अतः हम तब तक चर्चा जारी रखेंगे । मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें ।

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्ता (जम्मू) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे मुल्क में यह कुदरत का करना है कि हर साल कहीं तुगयानी, कहीं खुशहाली, कहीं आंधी और कहीं तूफान आते हैं जिन की वजह से सारे मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान होता । हर साल खुश्कशाली की वजह से तकरीबन 2 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान होता है, तुगयानी की वजह से तकरीबन 1200 करोड़ रुपयों का नुकसान होता है । इसमें दो राये नहीं हैं कि हमारी सरकार फौरन सर्वे के लिये अपने खास दल उन इलाकों में भेजते हैं और डिफरेंट किस्म की एजेन्सियों के जरिये सेन्ट्रल सरकार और सूबाई सरकारें नुकसान का अन्दाजा लगाती है और जो कुछ रिकमेण्डेशन्ज होती हैं उन के तहत काफी रिलीफ भी देती हैं । सरकार का इस पर कोई 200 करोड़ रुपया हर साल खर्च आता है ।

4.58 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

सारे मुल्क में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ प्रान्त ऐसे हैं, जिनमें इस साल खुशकशाली की वजह से और तुगियानी की वजह से काफी नुकसान हुआ है, उनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाण ा,मध्य प्रदेश राजस्थान और दूसरे बहुत से सूबे हैं.....

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश भी है ।

श्री जनकराज गुप्ता : जी हां, उत्तर प्रदेश भी है । लेकिन मैंने अपने रेजोल्यूशन में खास तौर से जम्मू-काश्मीर का नाम इसलिये दिया—एक तो मैं वहां का रहने वाला हूं और दूसरे आप जानते हैं कि यह मुल्क एक इन्सानी जिस्म की तरह से है । जब जिस्म में कोई हिस्सा कहीं तकलीफजदा हो तो उससे सारे जिस्म में तकलीफ होती है, सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है । इस तरह से हमारी रियासत जम्मू-काश्मीर एक बहुत बैकवर्ड और पहाड़ी इलाका है ।

5.00 म० प०

आप यह देखें कि वहां पर ज्यादा दारोमदार लोगों का कंडी एरिया में ऐसी फसल का है जो बारिश के बगैर नहीं हो सकती । वहां पर नहर या कुल का पानी नहीं पहुंच सकता । ज्यादातर लोग टूरिज्म पर डिपेन्ड करते हैं । जो थोड़े बहुत मैदानी इलाके बार्डर पर हैं, वहां इस नहर का पानी पहुंचता ही नहीं । इसी वजह से वे लोग अपनी फसल नहीं लगा सकते । उनका दारोमदार भी ज्यादा बारिश का है । पहाड़ी इलाकों जैसे—पूंछ, बदरवा रजौरी, किश्तवार या डोडा में कहीं भी आप चले जाइए, वहां से दस किलो गन्दम या मकई लेने के लिए लोगों को दस-दस किलो मीटर नीचे जाना पड़ता है । कुछ इलाकाजात ऐसे हैं जहां न घोड़ा जाता है और न कोई दूसरा ट्रान्सपोर्ट का सिस्टम है । उनको अपने लिए गल्ला ले जाना है तो या तो अपनी पीठ पर ले जायेंगे या पाडर पर जाना हो तो भेड़-बकरी द्वारा अपना गल्ला ले जाते हैं । लेकिन कुदरत की ऐसी करनी है कि बारिश और बर्फ कम होने की वजह से सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है बल्कि ऐसे-ऐसे इलाकात हैं जहां कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है । यह दुरूस्त है कि हमारी मरकजी सरकार काफी गल्ला पहुंचाने की मदद करती है और पहुंचाती भी है । कोई भी आदमी गल्ला न मिलने की वजह से मरता नहीं है । वहां पर गल्ला भेड़ों पर या किसी भी तरीके से पहुंचाया जाता है । आज जो हमारे सामने समस्या है, वह यह है कि एक तो हमारे यहां गल्ला नहीं हुआ और न ही आने वाले वक्त में चाहे काश्मीर, जम्मू या लद्दाख हो, यह उम्मीद नहीं है कि वहां पर ज्यादा गल्ला पैदा कर सकेंगे । आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमारी सरकार ने यह डाइरेक्शन दी है कि आने वाली खरीफ की फसल में भी पानी की कमी की वजह से पैडी का जो सीजन है, लोगों को कहें कि अगर फसल उगानी है तो अपने रिस्क पर सीडलिंग लगाओ क्योंकि पानी की कमी हैं । इसीलिए मैंने इरीगेशन का जिक्र किया । जरायत के लिए आबपाशी जरूरी है । अगर आब-पाशी के लिए पानी न हो तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है किसान के लिए कि वह गल्ला पैदा

[श्री जनक राज गुप्ता]

कर सके। जहां तक मैं जानता हूं सारे मुल्क में इस वक्त भी शायद 70 फीसदी ऐसी जमीन है जहां पर पानी नहीं पहुंचता। खासतौर पर जम्मू-काश्मीर में जहां इतने ज्यादा पानी के सोर्सेज भी नहीं हैं। दरिया हैं। दरियाओं से मैदानी इलाकों के लिए नहर निकलती हैं। आपके माध्यम से उदाहरण के तौर पर एक बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। रणबीर कैनाल जो चेनाब से निकलती है उससे मैदानी इलाकों को पानी पहुंचता है। आजकल के मौसम में वहां पर पानी ज्यादा होता है। एक हजार क्युसेक पानी की उसकी कैपेसिटी है। लेकिन आजकल वहां पर चार सौ या पांच सौ क्युसेक से ज्यादा पानी नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारी एक एक्सपर्ट टीम ने हैलिकाप्टर से पहाड़ पर चक्कर लगाया। यह देखने के लिए कि हमारे पास बर्फ का कितना जखीरा है और आने वाले समय में हमें उससे कितना पानी मिल सकता है। उनकी रिपोर्ट है कि अब वहां इतना ज्यादा जखीरा नहीं है जिससे कि आने वाले समय में हमें काफी पानी मिल सके, यदि बरफ न पड़े तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जितने ऐसे इलाके वहां पर हैं, जिनमें पानी की कमी है, वहां पेर पानी पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ इकदामात उठाने चाहिएं। आज हम वहां जितनी देर ट्यूबवैल नही लगायेंगे, जितनी देर ज्योलौजी और माइनिंग डिपार्टमेंट को नई किस्म की रिग्स नहीं देंगे, जितनी देर पहाड़ी और कण्डी एरियाज में छोटे-छोटे तालाब और पौंडस नहीं बनायेंगे, जिनमें पानी इकट्ठा किया जा सके, लिफ्ट इरीगेशन के लिए स्कीमें नहीं बनायेंगे या दूसरे ऐसे इकदामात नहीं उठायेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में शायद आप यह देखेंगे कि वहां के लोगों को काफी दिक्कत पेश आयेगी और वे लोग काफी परेशानी उठायेंगे।

इरीगेशन के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। जहां तक हमारे इलाके का ताल्लुक है, कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पर शायद पानी ज्यादा है, सरप्लस है। यदि सम्भव हो सके तो जहां सरप्लस पानी है वहां से हमें उन जगहों पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिन साथ के सूबों में, जिन रियासतों मे पानी की कमी है या जहां सूखा पड़ता है।

इसके अलावा एक और सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जहां तक सारे मुल्क का ताल्लुक है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो सारे मुल्क की गल्ले की पैदावार लगभग 180 मिलियन टन है। दूसरी तरफ हमारी स्टेट का प्रोडक्शन, जहां एरिया बहुत ज्यादा है, मगर वहां पूरे मुल्क की प्रोडक्शन की लगभग एक परसेंट पैदावार होती है। अगर वहां किसानों को पानी की सुविधा दी जाए, पानी को पहुंचाने के लिए इकदामात उठाये जाएं, किसानों को सिंचाई की फैसिलिटी मिल जाए, किसान उस पानी को खेती में लगा सके तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गल्ला वहां पैदा किया जा सकता है क्योंकि वहां के किसान बहुत मेहनत करते हैं और वहां की जमीन बंजर पड़ी है।

जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहां कई ऐसे इलाकाजात हैं, कण्डी का एरिया है, अगर आप वहां जाएं, यदि आप डोगरा साहब की कान्सटीट्यूंसी में साम्भा या ऊधमपुर के कुछ एरियाज में जाएं तो वहां पीने का पानी लाने के लिए

लोगों को 15 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। वहां औरतें दो-दो और तीन-तीन बरतन अपने सिर पर उठाये 15 किलोमीटर से पानी लाती हैं। लेकिन हम सरकार के मशकूर हैं कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत से ऐसे इकदामात उठाये हैं जिससे हमें कुछ पानी मिला है। क्योंकि उन इलाका-जात में कुयें भी नहीं खोदे जा सकते। पानी इतना नीचे है कि जहां तक खोदा नहीं जा सकता। वहां टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां मवेशियों तक के लिए चारा और पानी नहीं है क्योंकि वहां बारिश नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि वहां इस किस्म के अरेन्जमेंट किए जाएं ताकि लोग आराम से वहां रह सकें। अन्यथा, सभापति जी, जिन लोगों को पानी नही मिलता, ऊपर कण्डी इलाके में वे पानी के लिए नीचे नहर के किनारे आ जाते हैं, और बीस-तीस किलोमीटर नीचे लाकर अपने मवेशी रखते हैं। वहीं उनको पानी पिलाते हैं। इससे क्या होता है कि वे नहरों का धर्म-भ्रम कर देते हैं, उनके किनारे टूट जाते हैं, कहीं बह जाते हैं और इस कारण किसानों तक उन नहरों का पानी नहीं पहुंच पाता और कई तरह की दिक्कत पैदा हो जाती हैं। इस तरह सारी व्यवस्था टूट जाती है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा हमारे अजीम रहनुमा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा है, उन्होंने ऐलान भी किया है कि 200 करोड़ रुपये की रिलीफ दी जाएगी, उनके दिल में ऐसे लोगों के प्रति दर्द है, जिनका नुकसान हुआ है, और जो सफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वहां एक ऐसी टीम जल्दी भेजनी चाहिए जो नुकसान को असैस कर सके और यह देख सके कि कौन-कौन से स्टेट में कितना-कितना नुकसान हुआ है और खास तौर पर जम्मू और काश्मीर राज्य की स्थिति देखें क्योंकि वह बौर्डर स्टेट है और पहाड़ी स्टेट है···ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा आप जानते हैं वहां पर इस प्रकार की स्थिति है, इसलिए जब हम देखते हैं कि ऐसा है, तो आने वाले वक्त में अगर इसी सीजन में यह निर्णय नही किया गया, तो आगे हमारी जो शाली लगने वाली फसल आएगी, खासतौर से कशमीर वादी में बहुत दिक्कत से आएगी। आज मैं पढ़ रहा था, वहां की सरकार ने लोगों से इस बात को कहा है कि आप शाली की बजाय कोई और फसल ले लीजिए। इस बात को मैंने आज पढ़ा था। वहां की सरकार ने अपने रेवेन्यू के अमले के जितने भी पटवारी से लेकर तहसीलदार तक के आफिसर हैं, सबको कहा है कि वे जनता से कहें कि शाली की बजाय कोई और फसल ले लें, जिसमें पानी बहुत कम लगे, ऐसी कोई फसल ले लें, हालांकि इस बात की बहुत कम लोग मानेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कश्मीर वादी का जो स्टेपल फूड है वह चावल है और जम्मू में भी लोग ज्यादा चावल ही खाते हैं। इसलिए अगर पानी नहीं मिला तो ये काफी नुकसानदेह बात होगी। मेरा ख्याल है कि इस वजह से वहां से चावल की ज्यादा मांग आएगी और यहां से आपको चावल देना पड़ेगा। इसलिए अभी वक्त है, कोई ऐसा ढंग निकाला जाए कुए खोद कर, कूहलें बनाकर, लिफ्ट इरीगेशन आदि के अरेंजमेंट्स कर के, ताकि लोग पानी ले सकें। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आज जरूरत इस बात की है कि एक स्टडी टीम बनाई जाए, जो सारी रियासतों में जाकर स्टडी करे। खासतौर से हमारे पहाड़ी इलाकों में स्टडी करे कि क्या-क्या और कितना-कितना, कहां-कहां पर नुकसान हुआ है और इसके साथ मेरी यह सजेशन है कि वहां के जो इलेक्टेड एम०एल०ए० या एम०पी० हैं उनको भी इसमें एसोसिएट करना चाहिए, ताकि वहां हरेक जगह जाकर ये अंदाजा लगाया जा सके कि

[श्री जनकराज गुप्ता]

कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही, बेरोजगार जमीन रहित किसानों के लिए गांव ओरियेन्टड चालू करनी चाहिए।

आखिरी बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह एक टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन आज हमें जरूरत इस बात की है कि इसका कोई परमानेन्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि कोई ऐसी व्यवस्था निकल सके कि यहां कोई अगर फ्लड आने वाला है, तो उसको कैसे रोकें, कोई ड्राउट आने वाला है, तो उसको कैसे रोकें, इस बात की कोई पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा अपना ख्याल तो ऐसा है कि इसके लिए एक सेपरेट बोर्ड बनाया जाए और जैसे कि बाकी दूसरे मुमालिग में होता है, वहां पर देखकर आएं कि वहां पर इन चीजों को रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय कैसे करते हैं। इस प्रकार का कोई एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम आने वाले ड्राउट और फ्लड पर रोक लगा सकें। वैसे तो यह बात ठीक है कि यह कुदरत है, इस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन फिर भी इन चीजों को रोकना हमारा फर्ज बनता है। बहुत से लोग तो हमारी दुनिया के चांद पर जा पहुंचे और हम इस बारे में भी कोई उपाय न करें, तो यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। अगर हम अपने हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में यह बात करें, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में :

(एक) पंक्ति 3 में, "किसानों" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर अन्य वर्गों को"

(दो) पंक्ति 2 में, "कुप्रभावित" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"तथा भविष्य में भी कुप्रभावित होने वाले" (1)

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दिपेट) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। उत्तर तथा दक्षिण भागों में भारी सूखे की स्थिति है तथा आंध्र प्रदेश राज्य का बड़ा भाग उससे प्रभावित है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसके लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री मूल चन्द डागा : 2 घंटे समय किया जाये।

सभापति महोदय : 2 घटे ठीक हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कहीं कुछ गलत फहमी हो गई है। पैंतालीस मिनट आवंटित किये जा चुके हैं।

डा० जी० विजय रामा राव : आन्ध्र प्रदेश राज्य के सभी जिलों में 1984-85 के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून कम रहा है। वर्षा अनिश्चित रही तथा सूखे के लम्बी अवधियों के कारण बोई फसलों की काफी क्षति हुई। अगस्त, 1984 में सभी जिलों में वर्षा की भारी विफलता के कारण न केवल छोटे तथा सीमान्त किसानों को अपितु बड़े किसानों को भी बहुत हानि हुई। वर्षा एकसार न होने, बहुत कम होने, छोड़-छोड़ कर होने तथा आवश्यकता से कम होने के कारण अधिकांश लघु सिंचाई योजनाओं को पानी उपलब्ध नहीं हुआ। सूखे की स्थिति तथा फसल नष्ट हो जाने के कारण खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गये। फसलों की भारी क्षति के कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को 1984-85 के दौरान भारी धक्का लगा। समाज के कमजोर वर्गों की क्रय-शक्ति में बहुत कमी हुई तथा पूरे राज्य में नैराश्य फैल गई।

सभी संबद्ध तथ्यों जैसे वर्षा, सूखे की अवधि, राज्य के विभिन्न भागों में फसलों की स्थिति को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 19 जिले के कुल 201 ताल्लुकों में से 171 को पूरे रूप में तथा शेष 30 को आंशिक रूप से सूखा-ग्रस्त घोषित किया तथा राहत कार्य शुरू कर दिये।

नवम्बर, 1984 के दौरान निल्लूर तथा चित्तूर जिले को छोड़कर जिनमें 12 से 17 तक तूफानी वर्षा हुई बाकी जिलों में सामान्य से 12% से 100% कम वर्षा हुई। क्षेत्रवार तटीय आंध्र क्षेत्र में सामान्य से 16%, रायल सीमा क्षेत्र में 26% तथा तेलंगना क्षेत्र में 57% कम वर्षा हुई। समूचे राज्य में सामान्य से 22% कम वर्षा हुई।

दिसम्बर के दौरान सामान्य 12 एम०एम० (मिलीमीटर) वर्षा की तुलना में 8% कम वर्षा रही। वर्षा के मौसम में कम दिनों वर्षा होने के कारण हुई वर्षा की कमी की वजह से खुश्क मौसम की अवधि लम्बी रही। अक्तूबर 1984 के दौरान 1 से 4, 12 से 22, 25 से 31 तक की अवधि पूरे राज्यों में मौसम शुष्क रहा। नवम्बर दिसम्बर में वर्षा के दिन और भी कम थे तथा 5 से 31 तक लगभग मौसम शुष्क रहा।

उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान कम वर्षा के कारण लघु सिंचाई स्रोतों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तथा उपलब्ध पानी रबी की फसल के लिए काफी नहीं था।

इस प्रकार से उत्तर-पूर्व मानसून बिल्कुल न होने के कारण दिसम्बर 1984 से मौसम शुष्क चल रहा है।

[डा० जी० विजय रामा राव]

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत जिस सीमा तक पानी उपलब्ध था रबी के धान की रोपाई की गई। राज्य सरकार ने भारत सरकार से 365.90 करोड़ रुपए की सहायता तथा 50.68 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के रूप में कुल 416.58 करोड़ रु० की धनराशि की मांग की ताकि मार्च 1984 तक राज्य के सभी 22 प्रभावित जिलों में वर्तमान सूखे का मुकाबिला किया जा सके। भारत सरकार ने 54.42 करोड़ रुपए की सहायता जिसमें 7.84 करोड़ रुपए ऋण भी सम्मिलित हैं, की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने राशि को विभिन्न क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों में वितरित कर दिया ताकि सूखे से राहत के लिए पीने का पानी, चारा तथा आकस्मिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम आदि के लिए उपबन्ध किये जा सके।

31.3.85 तक राज्य सरकार 53.795 करोड़ रुपए सूखे से राहत कार्य पर खर्च कर चुकी थी। चूंकि कार्यों में तेज प्रगति हुई अतः शेष धन भी अब तक निर्माण कार्यों पर कम कर दिया गया।

बेरोजगार कृषि मजदूरों और छोटे तथा सीमान्त किसानों को रोजगार देने के लिए जो राहत कार्य किये जा चुके हैं उन्हें आने वाले अप्रैल से जून 1985 के महीनों के दौरान और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह महीने आमतौर पर मन्दी के होते हैं और इनमें सामान्य मौसम में भी कृषि मजदूरों के पास कोई रोजगार नहीं होता। इस वर्ष खरीफ तथा रबी दोनों ही फसलें सामान्य नहीं रहीं तथा पहला ज्ञापन दिये जाने के बाद तुलनात्मक स्थिति में और बिगाड़ आया है तथा अक्तूबर और नवम्बर, 1984 में भी वर्षा नाम मात्र की रही तथा दिसम्बर में तो बिल्कुल वर्षा नहीं हुई और जनवरी तथा फरवरी 1985 में गरमी रही जिस कारण कोई राहत नहीं मिली। अप्रैल से जून 1985 तक जब तक कि मानसून नहीं आता, हालात के मानसून के आने तक और बिगड़ने की संभावना है चूंकि वे निरन्तर सूखे का अनुभव कर रहे हैं तथा उन्हें केवल राहत कार्यों के अन्तर्गत प्राप्त रोजगारों पर निर्वाह कर रहे हैं। गरमी के बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की स्थिति विषम रहेगी। कमी वाले क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता की स्थिति भी उतनी ही भीषण रहेगी।

इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हाथ में लिए गये राहत कार्यों को बिना बाधा के जारी रखा जाना चाहिए तथा ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की संभावना को रोकने के लिए राहत कार्यों के निष्पादन कार्य बेरोक-टोक तथा जोश के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

1984-85 के दौरान अपनाये गये मानदण्डों के अनुसार यह समुचित समझा गया है कि अप्रैल से जून 1985 तक प्रति श्रमिक महीने में 25 दिन कम से कम 10 रुपए रोज की दर से मंजूरी दी जाये। कुल मिला कर 109.4 लाख प्रभावित श्रमिकों तथा सीमान्त किसानों को 273.525 करोड़ के व्यय पर 75 दिन के लिए रोजगार दिये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु श्रम घटक (लेबर कम्पोनेंट) के रूप में चालू योजना और गैर योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1985-86 में 30 करोड़

रुपये की रकम उपलब्ध होगी। योजना और गैर-योजना स्कीमों के अन्तर्गत प्रभावित मजदूरों को काम उपलब्ध कराने हेतु इस राशि को भी हिसाब में लिया जाए तो रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 243 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी।

अन्त में, मैं यह अनुभव करता हूं कि देश में स्थिति बहुत खराब है। सरकार को तत्काल आगे आकर सूखा राहत कार्यक्रम चलाना चाहिए, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, श्री जनक जी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज जो सूखे की स्थिति है, वह सिर्फ जम्मू और काश्मीर में नहीं है। सूखा आन्ध्र प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी है। सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम हर साल प्रयास करते हैं। हर साल कहीं न कहीं सूखा पड़ता है और सूखा पड़ने पर केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक अध्ययन दल भेजा जाता है। अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेकर रिलीफ देती है। मेरा विशेष तौर से यह निवेदन है कि सूखे और फ्लड के बारे में जो मदद की जाती है वह इस तरह से है कि बाढ़ के लिये जो नुकसान होता है उसका 75 प्रतिशत कम्पेन्सेट किया जाता है, परन्तु सूखे की स्थिति यह है कि उसके लिये सीलिंग फिक्स कर दी जाती है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने सूखे की राहत के लिए 150 करोड़ रुपये की डिमाण्ड की, लेकिन 25 करोड़ रुपये की सहायता की गई। निवेदन यह है कि जिस तरह से बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए मदद दी जाती है, सूखे की स्थिति में भी उसी प्रकार से मदद की जानी चाहिये। बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसके लिए जरूर कम्पेन्सेशन देना चाहिये और जो 75% का प्रावीजन है वह बहुत सूटेबिल प्रावीजन है, इसमें 25% स्टेट प्रावीजन करती है, लेकिन इसी प्रकार का प्रावीजन सूखे के लिए भी होना चाहिये।

आज राजस्थान में हजारों गांव अकाल से प्रभावित हैं, लेकिन सरकार के पास उसका मुकाबला करने के लिए फंड्स नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो राहत कार्य दिसम्बर में खोले जाने चाहिये, न दिसम्बर में खुलते हैं, न जनवरी में खुलते हैं और यहां तक कि फरवरी में भी नहीं खुलते हैं। जब अकाल राहत कार्य खोले नहीं जाते हैं तो इन्सान कहां तक भूखा मरेगा। वह वहां से गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में चला जाता है और बाद में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। इस समय राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि सूखे का मुकाबला करने के लिए जो काम चालू हुए हैं वे 15 अप्रैल से चालू हुए हैं और वे जो बहुत कम संख्या में चालू हुए हैं क्योंकि राज्य सरकार की क्षमता नहीं है। इससे गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उसको सब काम छोड़कर अपने मवेशियों को दूसरे स्थानों पर ले जाना पड़ता है। मैं इसके लिये बार-बार यहां प्रेस कर रहा हूं कि जिस प्रकार फ्लड के लिए मदद दी जाती है उसी प्रकार की मदद सूखे के लिए दी जाय। फ्लड में तो एक बार नुकसान होता है और कभी-कभी तो यह स्थिति पैदा होती है कि फ्लड के कारण अगली फसल बहुत अच्छी होती है।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

लेकिन अकाल में ऐसा नहीं होता है, किसानों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और अकाल के कारण बहुत से मवेशी मर जाते हैं। 1967-68 में अकाल की जो स्थिति पैदा हुई थी, उसमें हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मवेशियों की संख्या एक-तिहाई और एक-चौथाई रह गई थी, दो-तिहाई और तीन-चौथाई पशु समाप्त हो गये थे। इनके रिलीफ के लिए बहुत आवश्यक है कि हम परमानेन्ट मेजर्ज लें, अकाल का स्थायी हल ढूंढें।

इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं—राजस्थान नहर का निर्माण 1957 में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं। अगर हम वास्तव में उन लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, अकाल का स्थायी हल ढूंढना चाहते, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में अकाल का परमानेन्ट हल राजस्थान कैनाल है, जिसे अब "इन्दिरा कैनाल" के नाम से पुकारा जाता है। सातवीं पंच वर्षीय योजना में हमारी रिक्वेस्ट पर राजस्थान कैनाल के लिये 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है। इसके लिए हम केन्द्रीय सरकार की प्रशंसा करते हैं। राजस्थान की कैनाल के निर्माण का जिस प्रकार का कार्य है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इतना पैसा हो तभी कार्य कम्पलीट हो सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह इतना खर्च कर सके। मैंने बार-बार इस संबंध में प्रश्न उठाया है। डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट को 90 परसेंट ग्रांट और दस परसेंट लोन देकर के इस स्कीम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना चाहिए। अभी तक जितने भी कार्य हमने अपने हाथ में लिए हैं, पहले उनको कम्पलीट किया जाना चाहिए। बहुत सी इरीगेशन स्कीम्स या दूसरी योजनाओं को हाथ में ले लेते हैं और एक साल के लिए एक करोड़ रुपया उसके लिए रख देते हैं। उसके बाद वह अधूरी रहती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस नीति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जिन योजनाओं को महत्वपूर्ण समझते हैं उन योजनाओं को हाथ में लेकर के सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम्पलीट करना चाहिए। कम्पलीट करने के बाद ही अकाल का सही हल हो सकेगा। अकाल के समय पीने के पानी का बड़ा संकट बना रहता है। उस संकट को दूर करने के लिए बाड़मेर, जोधपुर और पाली जिले में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। जो टैंकर्स हैं वे भी खराब स्थिति में हैं। उसके कारण पीने के पानी की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती। हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और एक बार हमारी रिक्वेस्ट को मानकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मिलिटरी टैंकर्स वहां पर भेजे थे। उन्होंने हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पीने के पानी का इंतजाम किया था। उससे हमको कुछ रिलीफ मिला था। आज भी ऐसी स्थिति है। अब यह स्थिति है कि कभी सप्ताह में एक बार या कभी दो बार टैंकरों द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जाता है और कभी बिल्कुल नहीं पहुंचता है। प्रति व्यक्ति दस गैलन के हिसाब से पानी मिलना चाहिए जबकि प्रति व्यक्ति एक गैलन भी उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब तक पीने के पानी के लिए परमानेन्ट व्यवस्था नहीं करेंगे···(व्यवधान)। बहुत ही कम पाकेट्स में अन्डर ग्राउन्ड वाटर मिला है, वह तो बहुत कम गांवों की व्यवस्था कर पायेगा। राजस्थान, कैनाल और

इर्रीगेशन से पहले पीने के पानी को प्रायोरिटी देकर लिफ्ट कैनाल द्वारा पीने के पानी का परमानेन्ट सोल्यूशन करना चाहिए। जोधपुर शहर के लिए एक करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था लेकिन वह अभी तक भी खर्च नहीं हो पाया। सौ करोड़ की योजना में अभी तक एक करोड़ भी खर्च नहीं किया गया है। इस प्रकार धीमी गति से पीने के पानी की व्यवस्था की गई तो जोधपुर शहर की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी। वैसे जोधपुर शहर में पीने के पानी का संकट उपस्थित हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जहां पीने के पानी का कभी संकट नहीं होता था, लगातार तीन-चार वर्षों से, वर्षा कम होने से, बरसात के न होने से, वहां कुओं के पानी की सतह नीची हो गई है और इस कारण वहां भी पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। इसलिए पीने के पानी की समस्या को परमानेंट तरीके से हल करने के लिए राजस्थान कैनाल के जरिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता है, प्लान बनाए जाने की आवश्यकता हैं। वैसे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, मैं चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी एक्जीक्यूट करने के लिए, सहायता के लिए, मैंने पहले ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है कि उसे ड्रैजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत, उसको आप हिल एरिया प्रोग्राम के समकक्ष मानकर, उसी प्रकार मदद दें जिसमें 90 प्रतिशत राशि ग्रान्ट के तौर पर दी जाए और 10 प्रतिशत राशि लोन के तौर पर हो। तभी वहां पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान नहर से सिंचाई का जो प्रोगाम है, उसमें भी विस्तार करके, आगे बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं श्री गुप्ता द्वारा रखे गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

महोदय, सूखे की समस्या अब एक गम्भीर समस्या बन गई है और देश के लगभग आठ राज्य जिनमें मेरा राज्य उड़ीसा भी शामिल है, इसकी चपेट में है। प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि आठ राज्यों में कुल 320.84 लाख हैक्टेयर फसली भूमि, कुल 991.28 लाख आबादी और 308.15 लाख पशु इससे प्रभावित हैं।

महोदय, विभिन्न राज्यों में सूखे की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र को प्रतिवर्ष औसतन 500 करोड़ रुपये राज्यों को देने पड़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा में सूखे के साथ-साथ एक तूफान आया जिससे पांच जिले प्रभावित हुए हैं। ये जिले हैं—सम्भलपुर, क्योंझर, कटक, बालासोर और पुरी जिस के कुछ भाग प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार सूखे की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है और अब तूफान से भी उड़ीसा के पांच जिले प्रभावित हुए हैं जिससे तीन लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों घर पूर्णतया नष्ट हो गए हैं और तत्काल राहत की आवश्यकता है, यद्यपि केन्द्र सरकार थोड़ा-बहुत कर भी रही है।

उड़ीसा में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए हम केन्द्र सरकार के अत्यन्त आभारी हैं। उन्होंने लगभग 85.9 करोड़ स्वीकृत किए हैं। हमने सरकार से कम से कम 200 करोड़ रुपये

[श्री चिंतामणि पाणिग्रही]

स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। मेरे राज्य उड़ीसा का 2/3 भाग, यानि 314 खण्डों में से 200 खण्ड प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि वे इसे पुनः निर्धारित करें तो अच्छा होगा।

इस समय उड़ीसा में पेय जल की समस्या है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए हजारों नल-कूप लगाने की स्वीकृति प्रदान की थी, फिर भी हुआ यह है कि नलकूप अपेक्षित गहराई तक नहीं खोदे गए अथवा जल स्तर इतना नीचे चला गया कि 40 प्रतिशत नलकूप बेकार हो गए क्योंकि जल स्रोतों में कमी आई है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने पेय जल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए थे। इसमें एक बढ़ोतरी यह हुई कि विद्युत की कमी हो गई है और उद्योगों में, गांवों में, और कस्बों में 75 प्रतिशत तक विद्युत कटौती की जाती है। इस प्रकार हमारे राज्य में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त राज्यों की सरकारों की सहायता हेतु दीर्घकालीन उपाय सोच रही थी। प्रतिवर्ष वे 500 से 600 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार हर वर्ष इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए स्थायी उपाय करने के बारे में गम्भीरता से सोच रही है जिसके लिए वह 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० जैसे कार्यक्रमों के लिए स्थायी सम्पत्ति पैदा की जाए और केन्द्र सरकार धन उपलब्ध कराए क्योंकि केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। हम स्थायी उत्पादक संपत्तियों का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं को रोका जा सके।

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रखना। श्री जनार्दन पुजारी एक वक्तव्य देंगे।

5.41 म० प०

सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1985-86 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 568 तक स्वीकृत सम्पूर्ण मंहगाई भत्ते को 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए

सेवा निवृत्ति लाभ के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा। इस सम्बन्ध में जो आदेश जारी किए गए हैं उनके अनुसार इस रियायत के दिए जाने के बारे में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। बजट भाषण में इस रियायत की घोषणा से पहले औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर 320 तक मंहगाई भत्ते को सेवा निवृत्ति लाभ के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में हिसाब में लिया जाता था। स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर 568 तक स्वीकृत मंहगाई भत्ते को 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए उन तारीखों से जिनको उन्होंने इस प्रकार का भत्ता लिया है सेवा निवृत्ति लाभ के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जा सके। सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिये यह एक बार दी गई रियायत होगी और जो कर्मचारी 31 मार्च, 1985 से पहले सेवा निवृत्त हो गए थे उनके मामले में पुराने मामलों को इस निर्णय के आधार पर फिर से चालू नहीं किया जाएगा।

5.43 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण को सुचारू बनाना

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, दिनांक 19 अप्रैल, 1985 को तारांकित प्रश्न का उत्तर देते समय वित्त राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने ग्रामीण बैंकों के कार्य संचालन के बारे में कुछ सूचना दी थी और उसमें कहा था कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण आदि का कार्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दिया जाए।

मेरे इस एक पूरक प्रश्न के उत्तर में, कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने के लाइसेंस प्रदान करने का काम भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दिया गया है तो यह जानकारी दी गई थी कि ऐसा नहीं किया गया है और वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही रहेगा।

मूल रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियन्त्रित करने वाले दो बैंक होंगे। पहला तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो उस स्थान का निर्णय करेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा कहां खोली जाए और दूसरे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं जो इसके कार्यकरण पर नियंत्रण रखेगा या पर्यवेक्षण करेगा। यह नियन्त्रण पहलू को दोहरा बना रहा है।

दूसरे, इन ग्रामीण बैंकों के बारे में सर्वाधिक कमी की जो बात है, वह है इनके कार्य करने का पहलू। इन बैंकों का संसाधन आधार बहुत ही कमजोर है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

ऋण ब्याज की विभेदी दर पर देना होता है वह या तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है अथवा बहुत ही सीमित मात्रा में दिया जाता है ।

मै आपको इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधन आधार के आंकड़े बताता हूं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 35% तो सरकार से आता है और 20% राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से आता है । 15% उन वाणिज्यिक बैंकों से आता है जो उन्हें प्रायोजित करते हैं और 30% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जुटाते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि उनको इन चार महत्वपूर्ण अभिकरणों पर निर्भर करना पड़ता है, सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक और अन्त में स्वयं और उनका कार्यकरण संतोषजनक नहीं रहा है । वाणिज्यिक बैंकों से कड़ी प्रतियोगिता रहती है । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता में कहा था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी भी शाखा को, चाहे इसकी मांग ही क्यों न हो वाणिज्यिक बैंक की शाखा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा । यहां तक तो ठीक है, परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति क्या है ? उनकी स्थिति इतनी असंतोषजनक है कि सरकार ने श्री बी० के० धर की अध्यक्षता में एक कार्य-दल नियुक्त किया है जो विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा । ऋण देना तो स्थिति का एक पहलू है । वे उन सभी लोगों को सन्तुष्ट करने में असमर्थ हैं जिनको विभेदी ब्याज दर पर ऋण चाहिये, क्योंकि संसाधन सीमित हैं । प्रायोजक बैंक नहीं चाहेंगे कि उनके लीड बैंक पीछे रह जाएं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आगे निकल जाएं । इसमें अनुचित प्रतियोगिता होती है और दूसरे, जमाराशि बहुत कम होती है । एक अध्ययन के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रति लेखा औसत 691 रुपये है । और फिर वहां पर जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वे स्थानीय लोग होने चाहिये । यह एक बहुत ही अच्छा विचार है कि उसी राज्य के व्यक्तियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नियुक्त किया जायेगा, परन्तु उनके प्रशिक्षणों का क्या होगा ? उनके भावी जीवन का क्या होगा ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों मे भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों मे काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनकी पदोन्नति के अत्यन्त ही क्षीण अवसर होते हैं । चूंकि पदोन्नति के अवसर बहुत ही क्षीण होते हैं, इन बैंकों का कार्यकरण भी अच्छा नहीं रहा है । लोग असन्तुष्ट हो गये हैं ।

अब मैं दिनांक 11 अक्तूबर, 1984 के "इकोनामिक टाइम्स" के सम्पादकीय से उद्धरण दे रहा हूं जिसमें यह कहा गया है कि इन बैंकों में सात वर्ष में 5.61 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में तो कुल घाटे से तो उनकी कुल शेयर पूंजी भी समाप्त हो गयी है । यह तो एक अभिमत है ।

परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण का सर्वाधिक असंतोषजनक पहलू है उनका कम होना । मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्तर्गत केवल तीन जिले आते हैं जबकि जिलों की कुल संख्या 12 है । हमारे देश में 400 से भी अधिक जिले हैं और मेरे विचार में 288 या 300 से अधिक जिलों को उनके अन्तर्गत लाया गया है और जिन जिलों को उनके अन्तर्गत लाया गया है उनमें वाणिज्यिक बैंकों के साथ अनुचित प्रतियोगिता चलती रही है । अतः,

अब समय आ गया है जबकि सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन करें जिससे कि जनता की भलाई के लिए जो कदम उठाया जा रहा है अन्ततः वे असफल न रहें जिससे कि लोगों की इन बैंकों के कार्यकरण में जो विश्वास है वह समाप्त न हो जाये। यहां तक कि कुछ वाणिज्यिक बैंक बदनाम हो रहे हैं आप जानते हैं कि कुछ बैंकों में क्या हुआ था, सरकार ने उनके ऋण आदि देने पर ऋण स्थगन की घोषणा कर दी थी और मेरे विचार से तीन बैंक इस ऋण स्थगन के अधीन आ चुके हैं।

अतः, मैं जो कुछ जानना चाहता हूं वह यह है कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन से प्रभावी कदम उठाने पर विचार किया है। उन्हें प्रायोजक बैंकों का सहारा क्यों लेना चाहिये ? प्रायोजक बैंक तो उनकी कुछ सीमा तक ही सहायता करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने विभेदी ब्याज दर के क्षेत्र मे उन लोगों को कुल कितना ऋण दिया है, जो इसके पात्र हैं। दूसरे, विभेदी ब्याज दर के अधीन दिए गये ऋणों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गये ऋणों का अनुपात क्या है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रतियोगिता के मामले में सरकार क्या करने जा रही है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो जिलों में हैं और वाणिज्यिक बैंक भी वहां हैं और जो भी व्यक्ति खाता खोलना चाहेगा वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाने की बजाय वाणिज्यिक बैंक में जाना अधिक पसंद करेगा क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तो ड्राफ्ट जारी करने तक भी सुविधा नहीं है और उनमें और भी बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं और इनमें सेवा सुविधाओं में भी कमी है। वाणिज्यिक बैंक अधिक उन्नत हैं। वहां पर काम करने वाले कर्मचारी भली-भांति प्रशिक्षित हैं। उन्हें बेहतर जानकारी है। उनके पदोन्नति के अच्छे अवसर हैं और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है और सरकार प्रतिवेदन पर चुप्पी साधे हुए हैं। हर बार हम सुनते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने वाला है। एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार के पास बहुत से संशोधन विचाराधीन हैं। अब समय आ गया है जबकि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण और क्षेत्र के बारे में एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जाये ताकि इनके बीच अनुचित प्रतियोगिता न हो और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने के लिये बनाये गए हैं, वास्तव में उनकी सहायता कर सकें। मैं इस तर्क में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग के लिए अधिक सुविधाओं की जरूरत है। और आपको वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक सुबिधायें देनी चाहिये। लेकिन अब यह विपरीत हो रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं जहां पक्की सड़कें नहीं हैं और जहां शायद टेलीफोन सुविधा भी नहीं है तथा वाणिज्यिक बैंक बहुत तेजी से खुल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में यदि आप इसके कार्यकरण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण को 'नाबार्ड' को अन्तरित करने जा रहे हैं तो क्या यह उचित होगा कि आप भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने की नीति जारी रखें ? इन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अपने विवेकपूर्ण तरीके हैं। यदि आप मंत्री महोदय द्वारा दिये गये कुछ उत्तर देखें तो आपको पता चलेगा कि बैंकों द्वारा जिलों में बहुत से सर्वेक्षण किये गये थे और

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस देने के मामले में अत्यन्त कंजूस हैं। अत: परिणाम यह हुआ है कि गरीब लोग अधिक शाखाओं के लिए शोर मचाते हैं। लेकिन चाहे आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक खोलें सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि उनके कृत्य क्या हैं, उनके बीच फैल रही प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार रोका जाये तथा कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को किस प्रकार समाप्त किया जाये और अन्त में उन व्यक्तियों को, जिनके लिए ये हैं अर्थात् समाज के कमजोर वर्ग को जो विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋणों के लिये हकदार हैं, किस प्रकार लाभ पहुंचाया जाये।

यदि आपको इन बैंकों के भविष्य को बचाना है तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार स्पष्टीकरण दे और प्रभावी हस्तक्षेप करे। अन्यथा वे एक दिन समाप्त हो जायेंगे और आप देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक उन्हें निगल जायेंगे और ग्रामीण बैंक लुप्त हो जाएंगे।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-करण के बारे में शंकाओं का समाधान करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु मैं सदस्यों का आभारी हूं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारने के लिए स्थापित किये गए हैं। इन बैंकों का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 6500 रुपये से अधिक नहीं है। यह कम लागत ढांचे वाला बैंक है। यहां पर मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां हम इनकी तुलना वाणिज्यिक बैंकों से करते हैं, वहां वाणिज्यिक बैंक व्यापार और उद्योग तथा देश के अन्य वाणिज्यिक लेन-देन की देख-रेख करते हैं। यह आवश्यकता तब महसूस हुई जब यह पाया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं तब सरकार ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। छठी योजना के दौरान 270 जिलों को शामिल करते हुए देश में 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का सरकार का इरादा था। यहां पर राज्य सरकारों को भी सम्बद्ध किया गया है। इनकी शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का होता है, 35 प्रतिशत इन बैंकों का प्रायोजित करने वाले बैंकों का होता है तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार का होता है। महोदय, छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान कार्य-निष्पादन क्या था? 270 जिलों को शामिल करके 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मार्च, 1985 के अन्त में कार्य-निष्पादन इस प्रकार था। हम 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर सके हैं जबकि निर्धारित लक्ष्य 170 का था। हमने 270 जिलों में इन बैंकों की शाखाएं खोलने का लक्ष्य रखा था जबकि हमने 323 जिलों में इन बैंकों की शाखाएं खोली हैं। अब ऋण जमा अनुपात क्या है? यदि जमा 100 रुपये है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा राशि से अधिक दे रहे हैं। अब कुछ मामलों में उदाहरण के लिए कर्नाटक में ऋण-जमा अनुपात 190 प्रतिशत है। यदि 100 रुपये की जमा राशि प्राप्त होती है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 190 रुपये का ऋण देते हैं। अत: यह कमजोर वर्गों के लिए

है और इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई है। जहां तक कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का सम्बन्ध है, कर्मचारियों की नियुक्ति के समय यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि इन बैंकों का संचालन उन लोगों तक सीमित है जिनकी आय 6500 रुपये से अधिक नहीं है और वे छुट-पुट कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों का कार्य जिलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में है। अधिनियम पारित करते समय जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जा रही थी तो कर्मचारियों को यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि ये बैंक कम लागत ढांचे वाले बैंक होंगे और उनका वेतन तथा सेवा की शर्तें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर होंगी। अब वह कहते हैं कि इन कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। हमें वहां राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की दशा के बारे में विचार करना है।

माननीय सदस्य ने अग्रिम धन देने के उद्देश्य से जुटाए गए धन के प्रतिशत का जिक्र किया है। उन्होंने उसका अनुपात 35%, 20% और 15% बताया है। उन्होंने कहा है कि 30% धन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से मिल रहा है। उनके द्वारा बताए गए अनुपात सम्बन्धी आंकड़े सही नहीं हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से 50% तथा प्रायोजित बैंक से 35% धनराशि मिल रही है। शेष पैसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से मिल रहा है। माननीय सदस्य का कहना है कि शाखा खोलने का अधिकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिया जाना चाहिए। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है उनका कहना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का अधिकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिया जाना चाहिए न कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को। जैसी कि माननीय सदस्य को जानकारी है, एक बैंक पूरे देश की लाइसेंस नीति सम्बन्धी काम कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए वहां केवल एक एजेंसी हो सकती है। राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया लाइसेन्स प्रदान करता है। जो शाखाएं खोली जानी हैं उनके स्थानों आदि का पता लगाने का काम जिला सलाहकार समिति करती है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उस समिति में बैंकों के प्रतिनिधि भी होते हैं। वे उन स्थानों की सिफारिश करते हैं जहां शाखाएं खोली जानी चाहिए और यह राज्य सरकार के माध्यम से होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया लाइसेन्स देता है। मार्च 1982 से मार्च 1985 के दौरान शाखा के लिए लाइसेंस देने हेतु यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 1700 की आबादी के लिए एक शाखा खोली जानी चाहिए। अत: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया यह पता लगाएगा

6.00 म० प०

कि कितने बंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएं। उस क्षेत्र में सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और वाणिज्यिक बैंक काम कर रहे हैं। विशेष क्षेत्रों में शाखाएं खोलते समय रिजर्व बैंक आफ इंडिया उन सब बातों का ध्यान रखेगा कि क्या उस क्षेत्र में और शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता है, क्या उस प्रदेश में काम कर रही शाखाएं वहां के लिए पर्याप्त हैं, क्या 17,000 लोगों के पीछे एक शाखा है अथवा उससे अधिक आबादी के लिए एक शाखा है या शाखाएं अधिक हैं आदि-आदि। इन बातों पर विचार करने के लिए एक

[श्री जनार्दन पुजारी]

एजेंसी है और यह एक एजेंसी इन सब बातों पर विचार करके लाइसेंस प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्बन्ध है, यदि यह अधिकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिया जाता है, तो विचार परस्पर विरोधी होगे और जहां प्रदेश में और बैंक खोलने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा खोल सकता है। इस दोहरे कार्य से बचने के लिए, इन विकृतियों से बचने के लिए यह अधिकार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को दिया गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन सब बातों को ध्यान में रख रहा है और उसके बाद ही यह लाइसेंस दे रहा है। इसीलिए पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और केवल रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ही मुख्य एजेन्सी है जो शाखा सम्बन्धी लाइसेन्स देने की नीति पर विचार करती है। मैंने यही बात कही है। जहां तक उस स्थिति का सम्बन्ध है, उसमें कुछ अस्पष्टता नहीं है। माननीय सदस्य ने पिछली बार भी कुछ बातें बताई थीं और मैंने उन्हें बताया था कि हम उनके द्वारा बताए गए सभी सुझावों पर विचार करेंगे। एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा जिसका सुझाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दिया है। यह सरकार के विचाराधीन और निश्चित रूप से उस समय माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और संसद में भी विधेयक पेश किया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : वे कहते हैं कि उन्हें 400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। क्या यह सच है ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा हो रहा है लेकिन यह सच है। जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है, हमें उस पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, चाहे उनकी जमा राशि 100 रुपए हो फिर भी हम उन्हें अधिक ऋण दे रहे हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य ने यह कहा कि कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसा करना कठिन होगा और अंततः इससे बैंक बन्द भी हो सकते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। माननीय सदस्य को भी हमें सहयोग देना चाहिए क्योंकि यह बैंक कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और यदि ग्रामीण जनता के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो यह बेहतर ही होगा। मेरी माननीय सदस्य से अपील है कि वह ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को सुझाव दें कि वे ग्रामीण जनता की सेवा में समर्पित होने के लिए आगे आएं। वे अधिकांशतः सीमांत और लघु कृषक हैं, और वे कमजोर वर्गों के हैं, क्योंकि वे खेतिहर मजदूर हैं।

सभापति महोदय : समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : राज्य सरकार समान वेतन का भुगतान करती है और अन्य सेवा शर्तें भी समान हैं। महोदय, हमने जो वचन दिया है उसकी आपको जानकारी है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : मंत्री महोदय ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने उनसे पूछा है कि विभेदी ब्याज दर पर अन्य बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंकों द्वारा कितना अग्रिम धन दिया गया। वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री जनार्दन पुजारी : ब्याज की विभेदी दर के अन्तर्गत हम वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अब तक 444 करोड़ रुपए दे चुके हैं। यह राशि कितने लोगों को दी गई, और कितने खाते बैंक में खुले ? यह धन 42.95 लाख लोगों को दिया गया। इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 49% है। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जो धनराशि दी जाती है, वह प्रायोजित बैंक से मिलती है। वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं और प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यह धनराशि 2% की ब्याज दर पर दे रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसे 4% ब्याज पर दे रहे हैं। हमें जिले में केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर ही ध्यान नहीं देना है। जिले में हमारे वाणिज्यिक बैंक भी हैं जिनमें प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है इन बैंकों द्वारा 444 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

जो धनराशि दी जानी है, उसका लक्ष्य 1% रखा गया है। हम पहले ही 1.17% तक दे चुके हैं। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई धनराशि के सम्बन्ध में मैं उपलब्ध आंकड़े सभा के समक्ष रखूंगा। 36,44,344 व्यक्तियों को 35.207 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

सभापति महोदय : आप आंकड़े माननीय सदस्य को दे सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : शुद्धि के अध्यधीन, जब मैं अन्य सदस्य को उत्तर दूंगा तब मैं सही आंकड़े दे दूंगा।

6.08 म० प०

(श्री शरद डिघे पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, रूरल बैंक्स ने हमारे देश में जो कार्य किया है, वह सराहनीय है। यदि ये रीजनल रूरल बैंक्स स्थापित नहीं होते तो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में कमर्शियल बैंक या नेशनेलाइज्ड बैंक्स भी स्थापित नहीं होते। जिन क्षेत्रों में पहुंचना भी मुश्किल है, ऐसे क्षेत्रों में रीजनल रूरल बैंक्स के स्थापित होने से वहां के इलाके को काफी फायदा हुआ है। अब हमारे सामने प्रश्न यह आया है कि जैसे जैसलमेर का जिला लगभग 17 हजार वर्गमील में फैला हुआ है और आपने नौर्म बनाया है कि 17 हजार पौपूलेशन के ऊपर एक बैंक होना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे यहां पौपूलेशन तो ढाई लाख है लेकिन उसका एरिया 17 हजार वर्ग मील में फैला हुआ है, इसे यों भी कह सकते हैं कि 38 हजार वर्ग किलोमीटर है, तो क्या हमारे इलाके की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सारे देश के लिए निर्धारित नौर्म्स में कुछ

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

रिलेक्सेशन देने के बारे में आप विचार करेंगे, इस संबंध में मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। मैं अपने इलाके की ही बात नहीं करता, जहां भी देश में ऐसे इलाके हैं, जिनमें जनसंख्या कम हो परन्तु उनका क्षेत्रफल अधिक हो तो आल इंडिया बेसिस पर बनाए गए नार्म्स में आप रिलेक्सेशन देते हुए, वहां अधिक ब्रांचेज स्थापित करने के बारे में क्या आप विचार करेंगे।

दूसरा प्रश्न मैं यह कहना चाहता हूं कि रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना गरीब आदमियों को मदद पहुंचाने के लिए और गरीब किसानों की मदद के लिए की गई है। जब मैं इस प्रश्न पर अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से स्पीकर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझसे ही यह प्रश्न किया कि ये गरीब आदमियों के लिए ही क्यों, रईस आदमियों के लिए क्यों नहीं? उनकी बात भी ठीक है परन्तु जैसा यहां पर मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि जिसकी आय 6,500 रुपये होगी उन्हीं को सहायता मिलनी चाहिए, दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। जो रिच परसंस हैं, वे तो कोई दूसरी व्यवस्था भी कर सकेंगे, नहीं, तो मार्जिनल और स्माल फार्मर्स उसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो ये जो व्यवस्था की गई है, वह बिल्कुल ठीक ही की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आई० आर० डी० के अन्तर्गत जो लोन दिया जाता है, उस संबंध में भूमि विकास बैंक कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मैंने तो यह पाया है कि आई० आर० डी० के लोन के लिए वे एक लोन देने में भी झिझकते हैं और आगे नहीं आते हैं। बहुत कम काम उसका लेने के लिए तैयार होते हैं।

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि डिफरेंशयल रेट आफ इंटरेस्ट है, उसके बारे में सिर्फ वन परसेण्ट देने का अधिकार है, जबकि नैशनलाइज्ड बैंक को 1.7 परसेण्ट देने का अधिकार है। जबकि गरीब आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको तो 1.7 परसेण्ट क्या 3% देने का अधिकार होना चाहिए तो ये वन परसेण्ट क्यों रखा गया है?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो लीड बैंक है उसी से वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा आर०आर०बी० को भी स्पांसर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? क्योंकि हमारा एक्सपीरिएंस यह है कि जहां लीड बैंक है, मान लो बैंक आफ बरोड़ा है, लेकिन वहां भी आर०आर०बी० को स्पोंसर करवाने का काम स्टेट बैंक को सौंप दिया जाता है। इससे डिस्ट्रिक्ट में आर० आई० डी० के और दूसरे किस्म के एडवांसेस को सैंक्शन करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में कोआर्डिनेशन नहीं आ पाता है। उससे कुछ क्षेत्रों को लाभ मिलता है और कुछ क्षेत्रों को लाभ नहीं मिलता। तो एक बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां जो लीड बैंक हो उन्हीं से भविष्य में आर० आर० बी० स्पांसर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आर०आर०बी० में काम करने वाले कर्मचारी है, मैं नहीं कहता कि उनकी पे बढ़ाइये, लेकिन उनको प्रमोशन देने के लिए ऐवेन्यूज आगे खोलने चाहिए। इस समय उनकी तरक्की का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए उनकी तरक्की करने के

लिए आप क्या प्रमोशनल ऐवेन्यूज खोलने जा रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि यह कोई आज का मसला नहीं है, यह सवाल उनके पूरे लंबे जीवन का सवाल है।

तीसरी बात, सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन एम्पलोइज को हम आर० आर० बी० में काम पर लगाते हैं, उनको बहुत कम बैंकिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं आपसे यह चाहूंगा कि इस समय कितने ड्येरेशन की ट्रेनिंग उनको दी जाती है और उसके बाद उनको डिफरेंट ब्रांचेज में काम के लिए भेजा जाता है। मैं आपसे मांग करूंगा कि आप उनकी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाइए ताकि वे पूरी तरह से ट्रेण्ड होकर बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज में जाएं और वहां पर ऋण इत्यादि देने के काम को सुगमता से कर सकें।

इस समय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक खोलने का उद्देश्य है वह परपज आरिएण्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, कि जहां-जहां भी इन बैंकों को ये दायित्व सौंपा गया है, वहां पर आर० आर० बी० को स्पोंसर करें, तो परपज ओरिएण्टेड होने की बजाय सिक्योरिटी ओरिएण्टेड बी बहुत ज्यादा रहते हैं। क्योंकि आप भविष्य के लिए लाइसंसिंग पालिसी को तय करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस समय जो आपके नार्म्स हैं, वे इतने ज्यादा रिजड़ हैं, उसका लाभ दूर-दराज के एरियाज को आर० आर० बी० खोलने के बाद भी जहां सड़कें नहीं हैं, दूसरी सुविधाएं नहीं हैं, नहीं मिल रहा है और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पालिसी को तय करते वक्त आप पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नार्मस को रिलैक्स करेंगे।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जैना (बालासोर) : मैं मंत्री महोदय से केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। 19 अप्रैल 1985 को प्रो० पाराशर के प्रश्नों के उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण लेने तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की आय प्रति वर्ष 6500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने भी उस दिन, जब प्रो० पाराशर पूरक प्रश्न पूछ रहे थे, एक विचार व्यक्त किया था। मंत्री महोदय ने उसका भी आंशिक रूप से जवाब दिया था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति – श्री 'एवस' के पास 40 एकड़ की भूमि संपत्ति है। यदि उसके 3 या 4 बेटे हैं, तो स्वाभाविक है आपसी समझ से वे उस संपत्ति के 4 या 5 हिस्से करेंगे और तब सभी की व्यक्तिगत आय प्रतिवर्ष 6000 रु० से कम ही होगी। अतः एक ही सौदे से 4 व्यक्ति ऋण ले सकते हैं। अतः इससे बचने के लिए, एक संपत्ति के चार हिस्से करने से रोकने के लिए मंत्रालय या सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरे, अन्य सदस्य ने भी यह कहा कि पदोन्नति की गुंजाइश कम है। मैं उस बारे में भी जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय पहले ही बता चुके हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदोन्नति उस विशेष जिले में ही होगी। किन्तु हमने देखा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुछ प्रबंधक और अन्य कर्मचारी पिछले 5, 7 या 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं क्योंकि वे स्थानीय लोग हैं। उनके वहां कार्य करते रहने के

[श्री चिंतामणी जेना]

पीछे उनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बीच कुछ समानता है। अधिकांश स्थानीय लोग अशिक्षित हैं अथवा उन्हें बैंक संबंधी कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। उनकी सहायता से ये लोग एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्हें किसी विशेष जिले में अग्रणी बैंक में रहने देने की बजाय उनके स्थानांतरण और पदोन्नतियां समूचे राज्य में क्यों नहीं की जातीं। उनके स्थानांतरण और पदोन्नति आदि के बारे में उस दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है।

तीसरे, प्रश्न का उत्तर देते समय, मंत्री महोदय ने कर्नाटक का उदाहरण दिया है जहां 100 रुपए जमा धनराशि है और पूंजी निवेश 190 रुपए है। मैं मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं किंतु जब हम केवल लाभार्थियों, जो लघु और सीमांत कृषक तथा भूमिहीन मजदूर है, को यह सुविधा दे रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उनकी हैसियत पैसा जमा कराने की नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका अथवा उनके मंत्रालय का ध्यान इन बातों की ओर दिलाया गया है ? साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे भी हैं जो पैसा जमा कराने पर जोर दे रहे हैं अर्थात जब तक वे कुछ पैसा जमा नहीं करायेंगे वे उन्हें ऋण नहीं देंगे। क्या यह सच है ? यदि सच है तो इसका उपचार क्या है ?

हम उड़ीसा में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ई० आर० आर० पी० के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरों को लाभार्थियों के रूप में धन मुहैया कर रहे हैं। किंतु वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिए भू-संपत्ति नहीं है। कुछ ग्रामीण बैंक धन जमा कराने के साथ-साथ जमानत देने पर भी जोर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास भू-संपत्ति नहीं है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर से जमानत देने के लिए लाना पड़ता है जिसके पास भू-संपत्ति हो। क्या यह सच है ? यदि हां, तो निर्धन कारीगरों को, जिनके पास भू-संपत्ति नहीं है, आई० आर० डी० पी० के अंतर्गत किस तरह से सहायता तथा लाभ दिए जा सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य, श्री पाराशर ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ब्याज की विभेदीकर दर पर दिए गए ऋण के आंकड़े पूछे हैं। वर्ष 1984 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा 41152 व्यक्तियों को 5.26 करोड़ रुपए दिए गए।

माननीय सदस्य श्री जैन ने कहा है कि पहाड़ी, जनजातीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए नियमों में ढील दी जानी चाहिए। पहले ही से ऐसा नियम बनाया गया है। ऐसे क्षेत्रों में शाखाएं खोले जाने पर विचार करते समय, रिजर्व बैंक नियमों में ढील देता है। वे लोगों की दशा, उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा विकास गतिविधियों पर विचार करते हैं। उन पर विचार करने के बाद, वे शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। निश्चय ही ये सुझाव उन्हें दिए जाएंगे। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैंने रिजर्व बैंक के अधिकारियों से यह चर्चा सुनने के लिए कहा है। वे आपके सभी सुझावों

को नोट कर रहे हैं। निश्चय ही मैं उन्हें निर्देश देने जा रहा हूं कि वे आपके सभी प्रश्नों और सुझावों पर विचार करें।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अंश 33% है। माननीय सदस्य श्री रावत और श्री जैना ने भी कुछ सुझाव दिए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी जमानत ले रहे हैं और साथ ही वे कमजोर वर्गों को ऋण भी नहीं दे रहे हैं। यहां मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों को भी यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे कमजोर वर्गों के ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करते समय उनसे पैसा जमा कराने की मांग नहीं कर सकते। यदि वे माग करते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मैं माननीय सदस्य श्री पाराशर से अनुरोध करता हूं कि वह बैंक कर्मचारियों को यह सलाह दें कि निर्धन लोग जन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अथवा वाणिज्यिक बैंकों से सहायता लेने आयें तो उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत और यहां तक कि विभेदी ब्याज दर के अंतर्गत, कोई भी बैंक अधिकारी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अथवा कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए उनसे किसी तरह की धनराशि जमा कराने के लिए नहीं कह सकता। विभेदी ब्याज दर तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबसे गरीब लोगों, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिन्हें दो वक्त का खाना नसीब नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, को भी ऋण दे रहे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए हम उन्हें कुछ न कुछ धनराशि दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वे इस धनराशि से कमाएं और फिर यह पैसा वापिस लौटा दें। चाहे यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या वाणिज्यिक बैंक हो कर्मचारियों में वचनबद्धता और उनका शिक्षित होना आवश्यक है। जब ये लोग सहायता के लिए बैंक में आते हैं तो इन लोगों को अपनी वचन-बद्धता निभानी चाहिए। इस देश का निर्धन व्यक्ति बैंक में जाकर सहायता मांगने में हिचकिचाहट महसूस करता है। बैंकों का वातावरण संतोषजनक नहीं है। जब गरीब लोग बैंक में आते हैं तो बैंक कर्मचारी समझते हैं कि वे भिखारी हैं और अधिकांश बैंक कर्मचारी उनसे ठीक ढंग से बात नहीं करते। आज आवश्यकता इस बात की है कि उस वर्ग के लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। वे लोग अशिक्षित हैं। उन्हें बैंकों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। यहां तक कि उन्हें यह जानकारी भी नहीं होती है कि फार्म कैसे भरना है। उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती है। वे नहीं जानते कि क्या जमानत आवश्यक है। अब बैंक कर्मचारियों को यह वचन देना चाहिए कि वे उनका समुचित मार्गदर्शन करेंगे उनसे स्नेह करेंगे। बैंक कर्मचारियों को इन कमजोर वर्गों से स्नेह करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण के लिए 5000 रु० तक की प्रतिभूति की आवश्यकता है जब तक कमजोर वर्गों को यह बात नहीं बताई जाती, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारे बैंक कर्मचारी अथवा सरकार इस कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त से भी अनुरोध करता हूं कि जब वह बैंक कर्मचारी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगलौर गए, और जब वहां मेरे बैंक जाने और कर्मचारियों को ये सब बातें बताने आदि के लिए मेरी आलोचना की गई तो उन्हें यह बात बतानी

[श्री जनार्दन पुजारी]

चाहिए थी। मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का हमेशा आदर करता हूं। यदि उन्होंने बैंक कर्मचारियों को यह सलाह दी होती कि कमजोर वर्गों की सहायता वे निष्ठा के साथ करें तो उससे कुछ उद्देश्य पूरा हो जाता।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने कुछ प्रश्नों का जवाब दे दिया है।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद, नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री के० पी० उन्नीकृष्णन।

6.29 म० प०

राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत तथा विदेशों में स्थित शाखाओं में कथित धोखाधड़ी के मामलों, जिनके कारण अरबों रुपए की हानि हुई है, के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : सभापति महोदय, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 1960 से आरंभ होने वाले दशक में बैंक उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए जोरदार वकालत की और जो उसके लिए लड़ा, उसके 16 वर्ष बाद मैं स्वीकार करता हूं कि आज राष्ट्रीयकृत बैंकिंग उद्योग की निराशाजनक स्थिति पर गहरे दुख, और वेदना तथा निराशा की भावना व्याप्त है। यद्यपि इनकी उपलब्धियां बहुत हैं जैसे शाखाओं का अत्यधिक विस्तार होना, अधिक धनराशि जमा होना, शहरी क्षेत्रों के प्रति झुकाव कम होकर आमतौर पर कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए प्राथमिकता दिया जाना, किंतु मैं ईमानदारी से आज यह स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीयकरण के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी बहुत देर लगेगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्ध सम्बन्धी मानदण्ड लगभग समाप्त हो गए हैं, सरकारी तथा नौकरशाही हस्तक्षेप बड़ा है तथा स्वच्छन्द वातावरण को जानबूझकर पैदा करने दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण और अनुशासन की उपेक्षा हुई है। धोखाधड़ी के मामलों में अत्याधिक वृद्धि हुई है जिसके अनर्थकारी परिणाम हुए हैं। आज स्थिति बड़ी भयावह है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली तथा इसके व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को समाप्त करना चाहते हैं। कम से कम उन्हें काफी सफलता मिली है। सच्चाई यह है कि इन बैंकों पर किन्हीं गुटों ने अधिकार जमा लिया है और वे चापलूसी से ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं जबकि ईमानदार और सक्षम कार्यकारी अधिकारियों को राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में असंगत माना गया है। जब राष्ट्रीयकरण का सामाजिक

लक्ष्य और उद्देश्य ही समाप्त हो जाते हैं और उनको ताक पर रख दिया जाता है तो ऐसा ही होता है।

हम इटली में ई०एम०आई०, जिसका पोषण और विकास सेनर माथे में किया था, के बारे में जानते हैं। जिस क्षण वह अलग हुए, इसे अधिकारियों के गुट ने अपने हाथ में ले लिया जिससे अनर्थकारी परिणाम हुए। यह पहला अवसर नहीं है जब कि राष्ट्रीयकरण से ऐसा हुआ है किंतु हम इससे बचना चाहते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की 45,000 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें 65,000 करोड़ रुपए जमा हैं जब कि इसमें साहूकार लोग भी जमे हुए हैं जिनकी सख्या रिजर्व बैंक बड़ी झिझक से करीब 30,000 बताता है यद्यपि वास्तविक संख्या काफी अधिक है। उन्होंने करीब 45,000 करोड़ रुपए उधार दिए हुए हैं और वे गरीब और जरूरतमंद लोगों से बहुत अधिक ब्याज दर वसूल कर उन्हें लूटते हैं।

बैंकिंग (संशोधन) अधिनियम से, जो 1984 में पारित किया गया, यह क्षेत्र भूमिगत होकर निर्धनों को लूटना जारी रखेगा। गैर-सरकारी बैंक, जिनमें धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र की नकल कर रहे हैं। कुछ राज्यों को छोडकर, मत्री महोदय कुछ भी कहें, इनमें भी बहुत गड़बड़ी हो रही है। आज हमारी बैंकिंग प्रणाली की, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है, यह रूपरेखा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माफिया ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लुटेरों और परजीवियों के लाभ के लिए इनमें से कई बैंकों को अपने हाथ में ले लिया है। राजेन्द्र सेठिया इस अधोपतन, ह्रास का प्रतीक मात्र है। घरेलू क्षेत्र, निर्धन कारीगर, निर्धन श्रमिक, जिन्होंने पिछले कुछेक वर्षों में उल्लेखनीय विकास पर प्राप्त करने में सहायता की, उन्होंने अपनी बचत से राष्ट्रीयकृत बैंक के विकास में भी सहयोग दिया है। यदि इन श्रमिकों का विकास राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई धनराशि में वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित होता है तो उसके साथ ही साथ सेठिया जैसे डाका डालने वाले लोगों की क्षमता में समानांतर वृद्धि भी दिखाई पड़ती है, जो निर्द्वन्द रूप से बैंक के प्रबन्धकों और अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग करके अपने खजाने भरने में लगे रहते हैं।

सी० बी० आई० और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास, हमें कहना चाहिए कि अन्य बड़े सरकारी उपक्रमों या रेलवे और डाक-तार की अपेक्षा बैंक कार्यकारी अधिकारियों की फाइलों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 और 1984 के मध्य सतर्कता विभागों का ध्यान राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र के जिन मामलों की ओर दिलाया गया है उनकी संख्या बढ़कर 1968 हो गई है। इसके बावजूद और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के बावजूद इन बैंकों के प्रबन्धक सावधानी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि उनकी आपस मे मिली भगत है और गुटबन्दियां हैं। बारबोर्न्स की तरह वे कुछ भी सीखने से अथवा भूलने से इन्कार करते हैं। केन्द्रीय

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

सतर्कता आयोग के ध्यान में जो 1968 मामले लाए गए हैं उनमें से 753 मामले शक्ति के दुरुपयोग, 439 मामले अनुचित ढंग से पक्षपात करने, 253 मामले झूठे रिकार्ड तैयार करने, 197 मामले दुर्विनियति आदि से सम्बन्धित है। इसके अलावा कुछ मामले धोखाधड़ी और अधिकार के दुरुपयोग से सम्बन्धित हैं। इन अपराधों का पता लगाया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : इनका प्रकाशन किसने किया ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मन्त्रालय और बैंकिंग उद्योग के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार केवल 10 प्रतिशत मामले ही प्रकाश में आते हैं और उनमें से आधे से भी कम मामलों पर कार्यवाही हो पाती है।

सवाल यह है कि यह कैसे होता है और यह कैसे होने दिया जाता है ?

बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया जिसे फिर अपनी प्रमुख भूमिका नहीं निभाने दी जा रही है, द्वारा अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तथा प्राधिकार से मुकरने का एक बढ़िया उदाहरण है। ऐसा लगता है कि इन मंत्रालयों तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बापू के तीन बन्दर वाली मुद्रा बना ली है और जनता तथा संसद का अपमान किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने के साथ-साथ भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपना व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने की तरी तरह से कोशिश नहीं की है। इसका मतलब है कि विदेशों में बैंकों की नई शाखाएं खोलना और हम 150 शाखाएं खोलने में सफल भी हुए। लेकिन यह सच है कि हमने विदेशों में अपनी शाखाओं के लिए उपयुक्त प्रबन्धकीय नियम नहीं बनाए हैं। विदेशों में जिन कर्मचारियों को भेजा गया है उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि पक्षपात के आधार पर भेजा गया है। फलस्वरूप उनके कार्य और निष्ठा में गिरावट आई है। उनका काम ढीला-ढाला है। मानदण्डों के अनुसार काम करने पर जोर देने की बात पूरी तरह समाप्त हो गई है। जैसा कि ब्रिटेन में हुआ है, हमने भारतीय बैंकों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर दी है, वे एक दूसरे से अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा आपस में समन्वय रखने का प्रयास नहीं किया जाता है या ऋण देने के बारे में छानबीन करने या ग्राहक मूल्यांकन करने के प्रयास नहीं किए जाते हैं। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है जैसा कि सेठिया के मामले में तीन बैंकों ने मिलकर एक ही व्यापारिक घराने को 3000 लाख डालर का ऋण दे दिया जिससे हमारी बैंकिंग प्रणाली के लिए एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया। लन्दन स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय को बन्द करने का निर्णय लेना दुर्भाग्य पूर्ण था। इसके विपरीत अगर हम चाहते हैं कि विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं शीघ्रता से खुले तो वहां रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के कम से कम तीन-चार कार्यालय होने चाहिए। और इनमें उच्च

स्तर के निष्ठावान कार्यकारी अधिकारी हों जो कार्यकारी निदेशक से कम पद के न हों, जो विदेशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य देखें और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा बैंकिंग विभाग से उनका समन्वय बनाए रखें।

अनुभवों से पता चलता है कि इन शाखाओं के पास अनगिनत अधिकार हैं और मुख्य कार्यालय द्वारा उन पर निरीक्षण करने का नितांत अभाव है। सट्टेबाजी के और अस्थिर मुद्रा सौदों से अधिक लाभ होने से स्वभावतः प्रभावित होकर इन बैंकों ने मनमानी की है। सेठिया के मामले से इसका पता चलता है। 20 दिसम्बर, 1983 को बैंक आफ इण्डिया के उप-गवर्नर श्री ए० घोष ने अपने गोपनीय अ० स० पत्र सं० डी० बी० सी० ओ० सं० सी० सी० एस० आई० सी० सी० 747(10)-83 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन श्री सोनालकर को मुख्य कार्यालय की अनुमति के बिना ई० एस० ए० एल० कमोडिटीज तथा इसकी सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए चेतावनी दी थी इसे पढ़ना बड़ा दिलचस्प है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अग्रिम धन की रकम कितनी थी ?

प्रो के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं अभी बताता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"इस प्रकार यह देखा गया कि 1981-1982 के बीच ई०एस०ए०एल० ग्रुप की कुल ऋण 9.560 लाख पौंड से बढ़कर 345 लाख पौंड हो गया। इसके अलावा 31 दिसम्बर 1982 से 31 मई 1983 के बीच कुल प्रतिभूतियों (नकद जमा सहित) में उल्लेखनीय कमी हुई और वे 163.1 लाख पौंड से घटकर 60.3 लाख पौंड रह गई।"

पत्र में आगे कहा गया है कि—मै रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री घोष के पत्र में से उद्धृत कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : क्या माननीय सदस्य पत्र को सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हां [पत्र की प्रति ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1131/85]।

मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"उपर्युक्त सुविधाओं को देने में लन्दन स्थित शाखा के उप-महाप्रबन्धक ने, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त शक्तियों से भी अधिक शक्तियों का प्रयोग किया है।"

लेकिन चेयरमैन चुप्पी साधे रहे। किसके कहने पर ? क्या इस मामले में कोई राजनैतिक

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

हस्तक्षेप किया गया था ? क्या इस पर चर्चा करने के लिए 1, अकबर रोड़ पर कोई बैठक हुई थी ? सेन्ट्रल बैंक के लन्दन स्थित कार्यालय में हो रहे गैर कानूनी कार्यों के बारे में कार्यालय टिप्पणियों तथा ज्ञापनों, आदि के माध्यम से नियमित रूप से जानकारी मिलने के बावजूद रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उप-गवर्नर श्री घोष लिखते हैं कि :

"स्थिति को सामान्य बनाने और बिना समुचित प्रतिभूति के अग्रिम राशि देने से रोकने के लिए लन्दन के कार्यकारी अधिकारी ने कोई कायवाही नहीं की है।"

यह और भी चिंताजनक बात है कि ब्रिटेन में बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मेसर्स टच रोस एण्ड कम्पनी ने अपनी 31 दिसम्बर 1980 तथा 1981 को समाप्त हुए वर्षों के प्रतिवेदनों में कुछ टिप्पणियां की थीं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के उप-गवर्नर ने यह नोट किया :

"ये प्रतिवेदन निर्देशक बोर्ड के समक्ष नहीं रखे गए तथा उन पर कोई कारनर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।"

और इससे भी अधिक शर्म की बात यह हैं कि इस सबके बावजूद चेयरमैन ने 31 मार्च, 1983 को वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के तत्कालीन अपर सचिव को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा जिसमें श्री पातंकर की सेवाओं को जारी रखने का प्रस्ताव किया गया था। जिसे बोर्ड ने न तो अपने चेयरमैन और न ही श्री पातंकर जो कि अब पता लगा है कि सेठिया से वेतन पाते हैं, विरुद्ध कार्यवाही की जिम्मेदारियों से भी मुकर गया तथा उसने सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की है और हमेशा की तरह बैंकिंग विभाग ने इसका जवाब नहीं दिया। अत: हम देखते हैं कि बैंक का चेयरमैन षडयंत्रकारी बन गया। और बोर्ड में राजनीतिक कृपापात्रों का समर्थन बन गया। बैंकिंग विभाग अपने प्राथमिक दायित्वों को भी नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि बेचारे जमाकर्त्ताओं के पैसे की लूट जारी है और राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। यह और भी चिंताजनक बात है कि 30 मई, 1983 को उनके समक्ष तथ्य रख दिये जाने के बावजूद बैंकिंग विभाग ने अनौपचारिक तौर पर चेयरमैन को कहा कि उन्हें लन्दन शाखा में श्री पातंकर की सेवाओं को जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है। तारीख 30 मई 1983 बहुत महत्व रखती है। श्री सेठिया के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले काम में शामिल होने के लिए 31 मई, 1983 को बैंक सेवा से निवृत्त हो गए। यदि घोखाधडी का यह तरीक है तो इन अधिकांश बैंकों में ऐसे और भी मामले होंगे। सेन्ट्रल बैंक में भी दोहा-कतार शाखा में भी 10 करोड़ रुपए की घोखाधड़ी का मामला पहले हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी भी भिन्न नहीं है··· (व्यवधान)

मेरे पास बहुत समय नहीं है। इसलिए मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सदन के समक्ष मैं अभी भी कुछ तथ्य रखना चाहूंगा।

27 वैशाख, 1907 (शक)

राष्ट्रीयकृत बैंकों की भारत तथा विदेशों में स्थित शाखाओं में कथित धोखाधड़ी के मामलों, जिनके कारण अरबों रुपए की हानि हुई है, के बारे में चर्चा

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारतीय ओवरसीज बैंक परम्परागत रूप से सक्रिय रहा है। उसकी देखा-देखी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 3000 लाख डालर या 350 करोड़ रुपए लगा दिए हैं जो बेकार चला गया। इंडोनेशिया में ही भारतीय स्टेट बैंक ने केवल 6 व्यापारिक कम्पनियों को लगभग 1900 लाख डालर दिए जबकि बैंक जमाकर्त्ताओं के पैसे के बल पर ही चलते रहे।

"दी वीक" के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक ने भारतीय बैंकों के संघ से प्राप्त 620 लाख डालर में से 320 लाख डालर 1979 में एक कृत्रिमधागे की मिल खोलने के लिए वीटी टैक्स-मा ोटामन सिंथेटिक्स को दे दिए। इसकी वसूली अभी तक नहीं हुई है।

चादरें तथा टेरी के तौलिए बनाने वाली एक और "फाइव स्टार इन्डस्ट्रीज" के एक और मामले में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लगभग 300 लाख डालर अग्रिम राशि दी। "गोकक इंडो-नेशिया", में लगाने के लिए आई०ओ०बी०, इण्डियन बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक ने वसूली की कोई भी आशा नहीं होने के बावजूद 150 लाख डालर अग्रिम दिया। इस कंपनी के चेयरमैन श्री खांडवाला ने जिनका तस्करी के एक मामले में हाथ था, उसने हाल ही में आत्महत्या कर ली है। भारतीय प्रबन्ध संस्थान अहमदाबाद में काम कर चुके प्रो० मामपिल्लो ने 1980 में टेक्सेमेको उद्योग समूह का अध्ययन करने के बाद सुझाव दिया था कि इन कंपनियों का प्रबन्ध हाथ में ले लिया जाए और उनमें से कुछ बेच दिए जायें किन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरीब जमाकर्त्ता के पैसे पर यह खेल जारी है तथा राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा है।

भारतीय शाखाओं की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं हैं। किसी समय अपने सुयोग्य, तथा निष्ठावान अधिकारियों तथा कुशल प्रबन्ध के लिए प्रसिद्ध सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक नियन्त्रण गड़बड़ घोटालों के अड्डे बने हुए हैं, उनका संचालन और नियंत्रण सही नहीं रहा है।

सिंडीकेट बैंक गुटबन्दी का पक्का अखाड़ा बन गया है। एक गुट महा प्रबन्धक (साख) श्री के० मनमोहन शिनाय, जोकि मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं, के निर्देशन में वर्तमान चेयरमैन श्री कृष्ण राव की ओर है। इसकी मै बाद में चर्चा करूंगा। एक और दूसरा गुट भूतपूर्व चेयरमैन श्री रघुपति जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया और जिसके मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी भी कर रहा है, और महाप्रबन्धक श्री के० लक्ष्मी नारायण का समर्थक है। बैंक के ईमानदार अधिकारियों को, जोकि प्राय: श्री पुजारी के पास और इससे पहले श्री प्रणब मुखर्जी के पास जाते थे, बैंक पर नियंत्रण करने के इस खेल में पीछे धकेल दिया जाता है। मनीफूाल के भाई लोगों के गतिशील नेतृत्व में कभी जिस बैंक का अनुसूचित बैंकों में महत्वपूर्ण स्थान था—वह बैंक आज बहुत दयनीय हालत में पहुंच गया है।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

मेसर्स ग्लोबल लिकर्स, अमृत इन्डस्ट्रीज तथा अमृत रिफ्रैक्टरीज, दिल्ली तथा गुडगांव का एक बढ़िया उदाहरण है। इन कंपनियों को, कार्यकारी अधिकारी जितना ऋण मंजूर कर सकते हैं उससे कहीं अधिक ऋण दिया गया। इस मामले में दिल्ली के ख्याति प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मेसर्स वी० गोयल एण्ड एसोसिएट्स ने बैंक के कहने पर 4 जुलाई, 1984 को एक विस्तृत रिपोर्ट दी जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाया था तथा जिम्मेवारी तथा दोष निर्धारित किया गया था। लेकिन बैंक के प्रबन्धकों ने इस रिपोर्ट की उपेक्षा की और सारे मामले को रफा-दफा करने के लिए एक और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त कर दिया जिसे इसके लिए पहले ही 2 लाख रुपए दे दिए गए। इस बैंक में कार्यकारी अधिकारियों को, जिन्होंने बदनीयत से काम किया था, रातोंरात सतर्कता या निरीक्षण का निरीक्षण अधिकारी बना दिया जाता है, अथवा वे लूट का हिस्सा लेकर सेवामुक्त हो जाते हैं और साफ-साफ बच जाते हैं।

प्रो० रंगा यहां मौजूद हैं। वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा नेता हैं। वह जानते हैं कि डा० पट्टाभि सीतारमैया ने कितना त्याग किया था। वह एक महान देशभक्त तथा राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने ही आंध्र बैंक की स्थापना की थी। मैं केवल एक-दो घटनाओं का ही उल्लेख करूंगा। एक मामले में इस बैंक के महाप्रबन्धक ने मेसर्स नेशनल स्पाइसिज, एर्णाकुलम को 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया था जबकि ऋण की निर्धारित सीमा 3.50 करोड़ रुपए ही है। जब इस बात का पता लगाया गया कि बैंक के पास कितना पैसा है तो पता चला कि उसके पास कुछेक लाख रुपया ही है। इन सब बातों की मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

1982 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिफारिश की थी कि यूनियन बैंक आफ इंडिया के दो अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाए क्योंकि उन्होंने 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के बावजूद बैंक के प्रबन्धकों ने इन अधिकारियों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई करने के बजाय विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया गया 1977 का इलाहाबाद बैंक का मामला भी बड़ा दिलचस्पपूर्ण है। बैंक ने एक सहकारी बैंक के 6.5 करोड़ रुपए अपने पास जमा किए जिसके लिए उसने ब्याज की दर 17.5 प्रतिशत रखी और इसके लिए उसने सम्बन्धित सहकारी बैंक के एक निदेशक तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्वामित्व वाली फर्मों को दलाली के तौर पर 1.22 लाख रुपए अदा किए। और साथ ही साथ बैंक ने एक और अनुसूचित बैंक को सलाना 13.5 प्रतिशत की दर से 35.76 करोड़ रुपए अन्तरित कर दिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दबाव डालने के बावजूद बैंक के प्रबन्धकों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सूचित किया कि "सम्बन्धित चार अधिकारियों में से तीन पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसलिए दीवानी मामला दायर नहीं किया जा सकता" और मामले पर कार्रवाई बन्द कर दी गई।

महोदय, दोषी एकाधिकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या मामले पर आगे कार्यवाही न करने के लिए सेवानिवृत्ति को एक चाल और बहाना बताया गया है। सदन में पेश किए गए प्रतिवेदन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह बात बार-बार दोहराई है कि नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद भी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बैंकिंग विभाग के पास केन्द्रीय सतर्कता आयोग को यह सिफारिश भेजे हुए 3 वर्ष बीत गए हैं। संभवतः उक्त सिफारिश बैंकिंग विभाग में उस पर बगैर कोई कार्यवाही पड़ी होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति अर्थात आन्तरिक लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा आवधिक रिपोर्टों की जांच में आजकल गड़बड़ी रहती है। बैंकों की शाखा विस्तार की अपार संभावनाओं के संदर्भ में राष्ट्रीयकृत बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आन्तरिक नियत्रण पद्धति का बहुत महत्व है। बड़े खेद की बात है कि बैंकों के प्रबन्ध में यह एक नियमित बात हो गयी है कि बैंकों में निरीक्षण तथा सतर्कता के लिए दोषी अधिकारी ही नियुक्त किए जाते हैं। मैं मंत्री जी को चेतावनी देता हूं कि वह इसकी जांच करें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सतर्कता तथा निरीक्षण के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त हैं ताकि उन्हें मालूम हो सके कि मैंने जो आरोप लगाया है वह सही है या नहीं। आप देखेंगे कि इनमें से 80 प्रतिशत अधिकारी दोषी हैं तथा सांठ-गांठ करने वाले हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि गुटबन्दी करने वालों ने उन्हें अपने में शामिल कर लिया है। बैंकिंग प्रणाली से इस धोखाधड़ी, शोषण प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए, निरीक्षण आदि कार्यों के लिए अपने लोगों को नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के ईमानदार और सक्षम अधिकारियों का एक संयुक्त काडर की एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी एजेन्सी बनाने की संभावयता पर विचार करना चाहिए जिसको पर्याप्त नियंत्रण के सत्य लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने का काम दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में ऋणों के बारे में छानबीन करने की व्यवस्था अपर्याप्त है। अमरीका तथा ब्रिटेन में विशेष ऋण जांच एजेंसियां हैं जोकि ऋण के बारे में जानकारी एकत्रित करती हैं और देती हैं। जल्दी ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियंत्रणाधीन पूरी तरह से कम्पयूटरीकृत ऋण आसूचना ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। पुजारी जी, इस मामले में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। पर इस संगठन के ढांचे और स्वरूप अर्थात क्या इसे सांविधिक निगम बनाया जाना चाहिए या कोई और रूप दिया जाना चाहिए, विचार करना बैंकिंग विभाग का काम है। जैसा कि बैंकिंग आयोग ने उल्लेख किया है – यह मेरा ही सुझाव नहीं है, बल्कि बैंकिंग आयोग ने भी इसी तरह का सुझाव दिया था— कि ब्यूरो को सूचना एकत्र करने तथा उसे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को भेजने के लिए सांविधिक अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके पास कम्पनियों तथा जमाकर्त्ताओं के अद्यतन आंकड़े दर्ज करने, डोजियर तैयार करने अनु-

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

संधान करने तथा ऋण पात्रता का मूल्यांकन करने, ऋण निर्धारित करने के लिए एक समान प्रणाली विकसित करने तथा अग्रिम प्रस्तावों की शीघ्रता तथा कारगर ढंग से जांच करने के लिए पूरी तरह से एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होनी चाहिए।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि बैंकिंग विभाग बहुत समय से इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचता रहा है। 1980 में उन्होंने आंध्र बैंक तथा 5-6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अब बैंकिंग विभाग तथा रिजर्व बैंक ने बैंक आफ कोचीन तथा दो अन्य बैंकों पर ऋण स्थगन आदेश लागू करने की घोषणा कर दी। बैंक आफ कोचीन को अब सिंडीकेट बैंक के साथ मिला दिया जाता है। दोषी बैंक आफ कोचीन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग करने वालों में एक मैं भी था और मैंने 1982 में रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री मनमोहन सिंह को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था। मैं पूछ सकता हूं कि किसका अधिक अपराध है? सिंडीकेट बैंक का या बैंक आफ कोचीन का। बैंक आफ कोचीन के जमाकर्त्ताओं से आप कैसे आशा कर सकते हैं कि उनका सिंडीकेट बैंक के प्रबन्धकों मे विश्वास होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें कि क्या सिंडीकेट बैंक में बैंक आफ कोचीन के विलय के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की इस प्रकार की अनियमितताओं का प्रभाव लघु क्षेत्र के बैंकों—गैर-सरकारी बैंकों पर भी पड़ रहा है। बैंक आफ कोचीन इसी श्रेणी में आता है। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर अगर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 1981-82 में कार्यवाही की होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।

अतः आज मेरे आरोप की मुख्य बात यह है कि सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीकरण के सामाजिक लक्ष्यों तथा आधारभूत धारणाओं को त्याग दिया है और अधिकांश लोगों की कीमत पर मौका ताड़ने वालों और लुटरों के लिए इसे एक क्षेत्र बना दिया है। पुजारी जी, छोटे वर्ग के व्यक्ति के प्रति आपकी चिंता की मैंने हमेशा सराहना की है। लेकिन इसकी शुरूआत तथा इसका अन्त ऋण मेलाओं से ऐसे समय में नहीं होना चाहिए जबकि आपके नीचे से जमीन खिसक रही है और बैंकिंग क्षेत्र परीक्षण की गंभीर घड़ी से गुजर रहा है।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आगे कुछ कहने से पहले मैं कल के "इकनामिक टाइम्ज" की एक न्यूज आइटम पढ़ता हूं, जो कलकत्ते से दी गई है। इसमें लिखा है—

[अनुवाद]

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक—जमाकर्ताओं में भय व्याप्त—कलकत्ता मई 15

"लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० द्वारा किए जाने वाले भुगतानों पर इस वर्ष 17 अप्रैल से 4 माह के लिए ऋण स्थगन की घोषणा किए जाने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय से कलकत्ता में लगभग 15,000 जमाकर्त्ताओं में, जिनमें से अधिकांश लघु उद्योगपति तथा व्यापारी हैं, भय व्याप्त हो गया है।"

[हिन्दी]

मुझे यह कहना है हाल के दिनों में लक्ष्मी कामर्शियल बैंक को लेकर देश में काफी चर्चा हुई है। मैं आगे कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले यह चर्चा हुई थी कि राज्य सभा के एक कांग्रेसी एम०पी० लक्ष्मी कामर्शियल बैंक के डायरेक्टर हैं। क्या यह बात सच है? दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि लक्ष्मी कार्शियल बैंक को किसी नेशनलाइज्ड बैंक से मिलाने की बात चल रही है। यदि यह चल रही है तो क्यों चल रही है?

महोदय, इस देश में बैंक फ्राड इतना भयानक रूप धारण कर रहा है कि आम आदमियों का विश्वास अब बैंकों से, नेशनलाइज्ड बैंकों से, उठता जा रहा है। मुझे 1969 का वह दिन याद आता है अब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उस से लोगों को बड़ी आशायें बंधी थीं। उस के बाद बैंकों ने इस देश के आर्थिक विकास के लिये बहुत काम किया और अभी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नैशनलाइज्ड और शेडयूल्ड बैंक्स में बहुत से अफसर ऐसे आ गये हैं जो लोगों के साथ मिलीभगत करके बैंक का लाखों और करोड़ों रुपया गायब कर रहे हैं। बैंकों में जो फ्राड होता है या जो नुकसान होता है, अन्ततः कौन देता है—हम और आप, टैक्स-पेअर की जेब से आता है। बात केवल राजेन्द्र सेटिया की तरह इस देश में अनेक लोग हैं। अन्तर केवल यह है कि राजेन्द्र सेटिया की बात प्रकाश में आ गई, अन्य लोगों की बात प्रकाश में नहीं आई। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हाल के पिछले 6 महीनों में इस देश में बैंकों में जो फ्राड्स हुए हैं उन के बारे में इस सदन को विस्तार से जानकारी दें। मै उदहारण के लिए बतलाऊं पिछले महीने चण्डीगढ़ में एक नेशनलाइज्ड बैंक में एक बड़ी मजेदार घटना हुई। वहां पर जो जनरल मैनेजर थे, मेरे पास नाम है, लेकिन मै नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी तीन भतीजियों के नाम से 84 हजार रुपये की जाली फिक्स्ड डिपाजिट्स की रसीदें दे दीं। दो दिन बाद वे उन फिक्स्ड डिपाजिट्स की रसीद को लेकर बैंक में आई तो उनके अगेंस्ट 75 हजार रु० का लोन दे दिया है। बात केवल चण्डीगढ़ के बैंक की नहीं है, ऐसा ही अलीगढ़ में हुआ, दूसरी कई जगहों पर हुआ है। जबलपुर में एक काण्ड हुआ है—जब मामला पकड़ा गया तो बैंक का अधिकारी कहता है हमारी तो ड्राफ्ट की किताब ही खो गई है। फाल्ज ड्राफ्ट जबलपुर के बैंक से बना और देश के कई बैंको में जाकर जमा हुआ, बड़ी मुश्किल से पता

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

चला और उसमें लाखों रुपयों का नुकसान बैंक को हुआ। बेनामी डिपाजिट्स, बेनामी एडवांसेज नैशनलाइज्ड बैंकों में आम बात है।

7.00 म० प०

इसमें कोई कमी नहीं होने जा रही है। उसमें भी ज्यादा एक गंभीर बात हो रही है और आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। अखबारों में भी आया था, पता नहीं कैसे वह बात दब गई। राम बहादुर राय, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मारा गया। वह बेचारा आजमगढ़ से नौकरी की तलाश में आया था। जब वह एम्पलायमेंट एक्सचेंज से बहा बाहर निकला तो कुछ लोगों ने उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे। तुम्हारा यही काम होगा कि बैंक में जाकर चैक को भुनाना है। उस गिरोह के लोग जाली चैक देकर बैंक से भुनाते थे। एक दिन राम बहादुर राय पकड़ा गया। उस गिरोह के लोगों ने सोचा कि वह हमारा नाम बता देगा तो पता नहीं राम बहादुर राय को किस तरह से किडनैप कर लिया। बाद में उसकी लाश पाई गई। मालूम नहीं कैसे इस मामले को दबा दिया गया। इस तरह के सैकड़ों, हजारों नवयुवक दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जाते हैं और ऐसे गिरोह के हाथ में फस जाते हैं। अखबारों में रिपोर्ट आई थी। आपने देखा होगा कि बम्बई में अन्डर वर्ल्ड के क्रिमिनल्स के साथ वहां के पुलिस अधिकारी मिले हुए थे। इससे सारा देश कांप गया। जब उसने देखा कि अर्ध सत्य की कहानी पूरे सत्य के साथ समाज के सामने है। अगर मंत्री महोदय ठीक से जांच करें तो उस अर्ध सत्य से दस गुना फ्राड मिल सकता है। देश और समाज के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। इन सारी फ्राड्स की कहानी को बेनकाब किया जाना चाहिए मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। एक अलीगढ़ की घटना है। वहां पर एक आइ० ए० एस० आफिसर ने पता लगाया कि 20 प्वाइंट प्रोग्राम पर जो खर्च हुआ है, उसका 20 प्रतिशत भी गरीबों को नहीं मिला, 80 प्रतिशत बैंक के अफसरों ने लोगों के साथ मिलकर खा लिया। यह मामला केवल अलीगढ़ या आजमगढ़ का नहीं है बल्कि सारे देश का है। इस पर जितना जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए, वह देश के हित में होगा।

[अनुवाद]

*श्री पी० अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा, आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर मेरे जिले विशाखापत्तनम में की गई धोखाधड़ी के लेनदेन के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने जो इस विषय पर बोले हैं, उन्होंने पहले से ही बहुत से कारण बताए हैं। श्री उन्नीकृष्णन् ने आज राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो रही धोखाधड़ी के लेनदेन के बारे में गहराई से बताया है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे समाज के गरीब कमजोर तथा अन्य अपेक्षित वर्गों की सेवा के निश्चित उद्देश्य को

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

लेकर बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। जब उन्होने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया तो उन्हें बहुत सी आशाएं थीं। परन्तु दुर्भाग्यवश उनकी सारी आशाएं अब झूठी सिद्ध हुई हैं। अब ये बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बैंक किस प्रकार भ्रष्टाचार के अड्डे बन रहे हैं। इन बैंकों के अधिकारी होटलों, उद्योगों, लारी, बसों आदि को ऋण की मंजूरी करते समय अपने मन में केवल अपना लाभ सोचते हैं। इस प्रकार के मामले हुए हैं जहां कई व्यक्ति एक से अधिक बैंकों से ऋण लेकर गायब हो गये। इस तरह के मामलों में जो लोग ऋण लेते हैं अधिकारी उन्हें छोड़ देते हैं और जमानती व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती हैं। जमानती की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाती है और दिए गए ऋण की वसूली के लिए उसकी सम्पत्ति नीलाभ कर दी जाती है। वह व्यक्ति जो ऋण लेता है उसे बिना सजा के मुक्त कर दिया जाता है जबकि एक निर्दोष व्यक्ति जिसने जमानत दी होती है, उसे पकड़ लिया जाता हैं। आज हमारे बैंक इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से मामले हैं। बैंक अधिकारी अनेक प्रकार से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां अग्रिम ऋण देते समय तारीख का कालम नहीं भरा जाता है। इसे वे इसलिए करते हैं ताकि अवधि की समाप्ति से बचा जा सके। इससे बहुत सी हेराफेरी होती है। माननीय मंत्री मैं आपके ध्यान में यह बात ला रहा हूं ताकि आप इसे दूर करने के लिए कदम उठाए। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन व्यक्तियों को ऋण की मंजूरी दी गई है जो अपने को कंगाल घोषित कर देते हैं ताकि ऋण की अदायगी से बचा जा सके। ये लोग अपनी पत्नियों, नजदीकी रिश्तेदारों के नाम सम्पत्ति खरीदते हैं। इस प्रकार जहां तक बैंक का संबंध है न केवल धनराशि ही जाती है बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। यह धनराशि केवल कुछ लोगों को धनी बना रही है जो धोखाधड़ी करते हैं। फिर इन मामलों में केवल जमानती को पकड़ा जाता है। बैंक धनी लोगों को अग्रिम ऋण की बड़ी राशि देते समय अधिकारियों की अंतरात्मा उन्हें नहीं कचोटती। छोटे किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए उनके पास धन नहीं होता है। जब छोटे किसान और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग ऋण के लिए बैंक के सिफारिश करते हैं तो उनका अनुरोध इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया जाता है कि उनके पास कोई जमानती नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आपके ध्यान में मैं दूसरी घटना लाना चाहता हूं। विशाखापत्तनम में एक व्यक्ति है जो मुर्गी पालन का काम चलाना चाहता है। वह एक बैंक अधिकारी का नजदीकी रिश्तेदार है। नियम तथा विनियम का पालन किये बगैर अल्प समय में उसने बैंक से 10 लाख रु० का ऋण प्राप्त किया और गायब हो गया। इस मामले में बैंक ने जो कार्रवाई की है वह केवल यह है कि उन्होंने एजेंट को कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। इससे यह पता चलता है कि बैंक किस प्रकार अपने अपराधी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में कितने निष्क्रय हैं और उनका कितना गंदा व्यवहार है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार अधिकारी का केवल स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा। उसके लिए कठोर सजा होनी चाहिए। महोदय, जब राज्य सरकार जमा पूंजी से अधिक रकम निकालती है। क्योंकि उनकी बहुत खराब होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाता है बहुत से मामलों में

[श्री पी० अप्पालानर सिंहम]

भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों द्वारा जमा रकम से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी है। राज्यों ने केवल कुछ करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट के लिए अनुरोध किया है। परन्तु करोड़ों रुपए की राशि की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक उनकी उपेक्षा करता है।

जब कुछ पूंजीपतियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को जो इस प्रकार के ऋण के लिए पात्र नहीं होते हैं करोड़ों रुपए का ऋण दिया जाता है तो वे चुप रहते हैं। इस प्रकार के बहुत से मामले हैं जो विशाखापत्तनम जिलों में हुए हैं। महोदय, नए उद्योगों की स्थापना के लिए बैंक अग्रिम ऋण देता है। जब उसकी पुनः अदायगी नहीं की जाती है तो वे सम्पत्ति को कुर्क कर देते हैं तथा इसकी नीलामी करते हैं ताकि ऋण की राशि प्राप्त की जा सके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ बैंक अधिकारी मशीनरी के कुछ पुर्जे खुद ले लेते हैं और बाकी बचे बेकार पुर्जों की नीलामी करते हैं। इन मामलों में जमानती की सम्पत्ति की सम्पत्ति को भी बैंक कुर्क करता है। भ्रष्ट बैंक अधिकारियों की सक्रिय मौन सहमति से हमारे बैंकों में इस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। महोदय, जब तक सरकार तुरन्त सख्त कदम नहीं उठागगी तब तक यह बहुत मुश्किल होगा कि उनके कार्य में सुधार लाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार को भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। महोदय, विशाखापत्तनम जिले में और भी बहुत से मामले हुए हैं जहां मृतक के हस्ताक्षर जाली थे। इस तरह के कुछ मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं। मृतक के उत्तराधिकारी भी जाली हस्ताक्षरों द्वारा जानबूझकर ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस पर ध्यान देंगे। महोदय ये राष्ट्रीयकृत बैंक निर्धनों के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। वे केवल अमीरों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ये बैंक केवल पूंजीपतियों और धनी लोगों की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इन बैंकों को उनके अधिकारियों की इच्छा के अनुसार चलाया जा रहा है। बैंक अधिकारियों की लेनदेन में धोखाधड़ी के कारण करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है। अतः कृपया मामले पर विचार करें। ठोस कदम उठाए जाएं। यदि इन अधिकारियों को सजा नहीं दी गई, यदि समय-समय पर उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। एक तरफ तो भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ रुपए का ओवर ड्राफ्ट भी नहीं देता दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों हजारों करोड़ों रुपयों के दुरुपयोग करने या ठगने की अनुमति किस प्रकार देता है। जब तक आप इन भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी नहीं रखेंगे तब तक आप इन बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। माननीय वित्त मंत्री यहां बैठे हुए हैं। धोखाधड़ी की इन तमाम गतिविधियों को मैंने उनके ध्यान में लाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि वैयक्तिक रूप से इस प्रकार के सभी मामलों की जांच करेंगे और उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। अथवा एक समिति नियुक्त की जा सकती है जो इन बैंकों के कार्य की गहराई से जांच करे। उसकी सिफारिशों पर पूरा अध्ययन किया जाए और उसे लागू किया जाए। महोदय, मैं महसूस करता हूं तभी बैंकों में कदाचारों का अन्त होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर

ध्यान देंगे। महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं समाप्त करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अब तक बहुत कुछ बोला जा चुका है। मैं अपने आपको कुछ पहलुओं तक ही सीमित रखना चाहता हूं।

आज हमारे पास 28 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो अधिकांश बैंककारी उद्योग नियंत्रण करते हैं आर्थिक विकास के लिए राशि वितरण में न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। निःसंदेह बैंक राष्ट्रीयकरण से घोषित किए गए उद्देश्यों की कुछ प्राप्ति हुई है परन्तु खेद की बात है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं और बैंकों के उच्च अधिकारी बेईमानी करने लगे हैं। ये काम, जो बहुत अधिक हो रहे हैं, हमारे घोषित उद्देश्यों के विरुद्ध हैं और इनसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम में खराबियां पैदा हो रही हैं।

दूसरे सदन में सरकार द्वारा 26 मार्च 1985 को दिए गए एक उत्तर में यह कहा गया है कि धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। 1981 में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 1891 थी, 1982 में यह 2065 हो गई थी और 1983 में यह 2365 थी। जहां तक राशि का संबंध है तो सरकार ने बताया कि 1981 में यह 2034.21 लाख रुपए थी और 1983 में 2961.58 लाख रु० थी।

यह पूरी स्थिति नहीं है और भी बहुत से मामले हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया गया है। सरकार ने धोखाधड़ी की एक परिभाषा दी है। सरकार कहती है कि धोखाधड़ी में सामान्यतः गलत बयानी, विश्वास भंग करना, खाता पुस्तकों में हेराफेरी, चैकों से धोखे से गलत चैक, ड्राफ्ट और हुण्डियों को भुनाना, बैंक के नाम प्रतिभूतियों का दुरुपयोग, धन का अपकरण, गबन, चोरी, सम्पत्ति का सम्परिवर्तन, धोखेबाजी, राशि कम लिखाना, अनियमितताएं होती हैं।

हम सभी यह जानते हैं। हम कोई नई बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् ने उस मामले का उल्लेख किया जो बहुत प्रसिद्ध नागर वाला का मामला है। उस मामले में स्टेट बैंक से 60 लाख रु० निकाल लिए गए थे। मैं इसकी गहराई पर नहीं जाना चाहता हूं परन्तु हमने क्या पाया था कि प्रधानमंत्री के घर से मुख्य कोषाध्यक्ष को एक टेलीफोन किया गया था और उसने कोष कक्ष में बक्से से वह पैसा लिया। यह आरोप है। मैं इसके गुण-दोष की ओर नहीं जा रहा हूं लेकिन मुद्दा यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में उच्च अधिकारी के दिमाग इस तरह से कार्य करते हैं कि सत्ता क्षेत्र में लोगों की विशेष आवाज को जब तक सुनते हैं तो वे किसी और चीज पर विचार नहीं करते हैं। वॉचर में हस्ताक्षर किए बिना उसने 60 लाख रु० ले लिए। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह उनके मालिक की आवाज थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस समय यह उनकी मालकिन की आवाज थी हम सभी इसके बारे में जानते हैं। मैं इसके ब्यौरे पर नहीं जा रहा हूं। हाल ही में सेठिया के मामले में बहुत सी चौंकाने वाली बातें आई हैं जिसके बारे मे पहले ही बोला जा चुका है।

अब एक और मामला समाचार पत्रों में आया है। मैं समझता हूं कि आपने भी इसे देखा होगा। यह बम्बई में कोलाबा स्थित केनरा बैंक की शाखा से संबधित है। एक जाली कम्पनी अर्थात इंटरकोर्प एसोसिएट्स ने 3 करोड़ रुपए इस शाखा से निकलवाए हैं। इसके लिए उन्होंने बैंक को जाली बिल प्रस्तुत किए और बैंक ने कम्पनी का ब्यौरा पहले साख उपयुक्तता तथा ऋण वापिस करने की क्षमता आदि की जांच के वगैर बिलों का भुगतान कर दिया समाचार पत्रों से पता चलता है कि इसमें धोखाधड़ी करने वालों के साथ बैंक के उच्च अधिकारी मिले हुए थे। यह कैसे हुआ ? इसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं जिसके अधीन इस राष्ट्रीयकृत बैंक कारी क्षेत्र में बड़े अधिकारियों ने इस तरह की कार्रवाई की ? सेठिया के मामले में यह आपकी सरकार आगे नहीं आई कि इसने अपने आप उन सभी तीनों चैयरमेनों के विरुद्ध कार्रवाई की परन्तु जब प्रत्येक बात प्रकट हो गई तो आप आए और इसे किया गया। सत्ता मंडल में उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति के निदेश और प्रोत्साहन के बिना उनकी इसे करने में हिम्मत कैसे हो सकती थी वे केवल इसको नहीं कर सकते हैं। तब यह इन लोगों के साथ सत्ता क्षेत्र के लोगों की मिली भगत के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक क्षेत्र में थे सभी धोखाधड़ी संभव हो सकती हैं।

आन्ध्र बैंक के बारे में मेरे पास एक उदाहरण है। यहां प्रोग्रेसिव कनस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद नामक कम्पनी ने बैंक के साथ छल और धोखा किया। इसके निदेशक आंध्र प्रदेश के कांग्रेस आई के मुख्य नेता थे। **यह 1982 में आन्ध्र प्रदेश के बैंक निदेशक बने थे बाद में उन्होंने बैंक से त्यागपत्र दे दिया लेकिन कम्पनी में उनका बहुत हित साधन होता है तथा उनके निकट सम्बन्धी उसमें शेयर धारी हैं।

आन्ध्र बैंक से निकालने के बाद इस कम्पनी ने रिजर्व बैंक (सैफाबाद शाखा, हैदराबाद) से लगभग 2 करोड़ रुपए निकाले हैं और उसी राशि को जमानत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों और सेन्ट्रल बैंक से 6 करोड़ रुपए के अग्रिम ऋण प्राप्त किये हैं। इसके अलावा, इस ग्रुप की कम्पनी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, बैंक आफ बड़ौदा, सिंडीकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक जैसे अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से और आई० डी० बी० आई० से ऋण प्राप्त किया है जिसमें उसी परिसम्पत्ति को जमानत के रूप में बार-बार प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में आपको क्या बताएं ? यह स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह सत्ता दल के लोग इन सभी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सक्रिय भाग ले रहे हैं। यह मेरी सूचना है और आपको इसका खण्डन करना है। जो कुछ मैंने कहा है, यदि

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया

यह सही नहीं है तो मैं बहुत खुश हूंगा परन्तु मंत्री जी को इसका निष्कर्ष बताना चाहिए और इस बारे में हमें बताना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यदि आप बीच में राजनीति नहीं लाते तो हम इसे समझ सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : राजनीति लाये बिना कोई षडयंत्र नहीं हो रहा सकता। तो कोई षडयंत्र नहीं हो सकता या यदि अच्छी राजनीति हो तो इन षडयंत्रों को रोका जा सकता है।

माननीय भद्र पुरुष द्वारा जिसका नाम मैं अपने साथियों को बताना नहीं चाहता हूं। कई कम्पनियां चलाई गई हैं, इस तरह की एक कम्पनी का निदेशक वर्तमान माननीय केन्द्रीय मंत्री का सुपुत्र है। मैं सरकार को सच्चाई प्रकट करने के लिए कहता हूं। निदेशक मण्डल या चैयरमेन के रूप में लोगों की नियुक्ति के बारे में सरकार की क्या नीति है ? राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डल या विभिन्न शाखाओं के चैयरमैन के रूप में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रूप से जाने जाते हैं ? क्या आप इसके लिए राजनैतिक रूप से प्रसिद्ध लोगों के लिए रोक रहे लगा हैं ? मैं सरकार से चाहता हूं कि वह इन दो चीजों की जांच करें। श्री सुरेश कुरुप ने भी एक अन्य उदाहरण दिया है। मैं आपको श्री पुजारी यह बता सकता हूं : धन लक्ष्मी बैंक एक अनुसूचित बैंक है। वे भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और वहां एक भद्र पुरुष ने लगभग 12 करोड़ रुपए का जाली ऋण फर्जी लोगों को दे दिया।

(व्यवधान)

यदि राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों में इतनी जालसाजी है और इसका कारण कुछ लोगों द्वारा गलत ढंग से बुरा प्रभाव डालना है तो हमें उस प्रभाव की तह का पता लगाना चाहिए। अब हमारे पास निजी विचारों वाली सरकार है। आप सभी राष्ट्रीयकृत सरकार हैं, आपके पास सभी कुछ निजी है आदि (व्यवधान)

इसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि इतनी सारी जालसाजियों के बारे में जो लोगों के ध्यान में आ गई है सच्चाई प्रकट कर सकते हो या नहीं, क्या आप श्री उन्नीकृष्णन् द्वारा बताए गए सुझावों को स्वीकार करके कुछ उपाय कर रहे हैं, सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर रहे हैं और देश के लोगों के मन में जो अविश्वास और डर है उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जो कुछ कहना है वह यही है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री इन मुद्दों पर विचार करेंगे और मुझे उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, जब हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन जी ने इस बहस की शुरुआत की, तो मुझे उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के मित्र कुछ सुझाव देंगे, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री से अकेले उनका कंसर्न नहीं है, उससे हम भी उतने ही सम्बन्धित हैं। बैंकों की कार्य-विधि में सुधार के लिए सुझाव देने के सम्बन्ध में विपक्ष के किसी भी सदस्य ने उत्साह नहीं दिखाया, जबकि स्वयं बैंकों से सम्बन्धित मंत्री श्री जनार्दन पुजारी जी कभी पीछे नहीं रहे हैं। मुझे माननीय सदस्य चौधरी जी की बातों को सुनकर दुःख हुआ है। उन्होंने सारी बहस को आरोप-प्रत्यारोप में बदलने की कोशिश की है। मगर उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उससे प्रेरणा नहीं लूंगा, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय लोगों में उत्साह था, उमंग थी और बैंकों ने कुछ हद तक लोगों की आकांक्षाओं और मंशाओं को पूरा करने के लिए काम भी किया था। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे 28 के 28 जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन सब में किसी न किसी तरीके से एक समूह ऐसा बन गया है, एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है, जो कि निहित स्वार्थों का वर्ग है। वे लोग इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि वे हर काम करने में अपने आपको समर्थ पाते हैं। इनमें आपके कोई साधारण कर्मचारी नहीं हैं, आपके बैंक मेनेजर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं और ऊंचे तबके के लोग हैं और बैंकों के साथ जिनका बीजनेस है, वह वर्ग भी मिला हुआ है। इस प्रकार बैंकों में जो भी धोखाधड़ी होती हैं, किसी न किसी रूप से बिना बैंकों के कर्मचारियों के मिले हुए नहीं हो सकती है। इस समय स्थिति इतनी खराब हो गई है, चाहे हमारे देश के अन्दर के बैंक हों या देश के बाहर जो बैंकों की शाखायें हैं, उन सब पर इसका असर पड़ा है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती है, जिस तरीके से बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों के विषय में लोगों की धारणा अच्छी बनी थी, वही धारणा फिर से कायम होनी चाहिए।

बैंकों के अपने विजिलैंस सेल हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पता हूं कि वे कितने विजिलैंट हैं। इस बारे में अभी माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन जी ने आंकड़े दिए हैं, मै उनको फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर वर्ष बार-बार पार्लियामेंट में आपके आश्वासन देने के बाद रिजर्व बैंक को सावधान कर दिया है, हम कानून को सख्त बना रहे हैं, इसको रोकने के लिए तत्परता से कार्यवाही हो रही है, धोखाधड़ी के मामले बढ़ते ही गए हैं। कर्मचारियों का इन्वाल्वमेंट उसमें बढ़ता गया है और साथ-साथ एकाउन्ट भी वहां से निकल कर धोखाधड़ी के रूप में बढ़ता जा रहा है। उसमें पकड़ में कोई बड़े-बड़े लोग नहीं आये हैं, छोटे कर्मचारी पकड़े गये हैं। सेठिया वाला पहला ऐसा मामला है जिसमें बड़े स्तर पर कार्यवाही हो रही है। यह आपकी सरकार की जाग्रति का प्रतीक है। लेकिन साथ-साथ और भी अनेक ऐसे बैंक हैं जिनमें ऐसे काम हुए हैं। इन्हें आपको देखना चाहिये।

हम देखते हैं कर्मचारियों के साथ मिल कर व्यापारी गला-सड़ा माल गोदामों में भर कर बैंक से हाइपोथिकेट करा लेते हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। सब-स्टेन्डर्ड माल बैंक के पास प्लेज करा देते हैं, उसके बाद व्यापारी चला जाता है, गोदाम पर बैंक का ताला लगा रहता है, जब गोदाम खोला जाता है तब मालूम पड़ता है कि माल सड़ा-गला था ! इस बीच में वे कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। कई बार इनवेलिड डाक्यूमेंट्स होते हैं, जिनकी कोई लीगल स्टेण्डिग नहीं होती हैं उनके आधार पर लोन दे दिया जाता है। नकली बिलों के आधार पर लोन दे देते हैं और बाद में वह रुपया वसूल नहीं होता है। हर तरीके के जो भी कारोबार माध्यम हैं उनका इस्तेमाल होता है। अभी तक धोखाधड़ी करने वालों में नटवर लाल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, लेकिन बैंकों मे न जाने कितने नटवर लाल हैं, जिस प्रकार के आपके पास कानून है उनके तहत इतने नटवर लालों को आप किस तरह से पकड़ेंगे, कैसे उनको कन्ट्रोल करेंगे।

हमारे देश में जितने बैंक हैं उनमें धोखाधड़ी को दृष्टि में रख कर यदि कुछ बैंकों को टारगेट बना कर काम करना शुरू करेंगे तो शायद धोखाधड़ी के कुछ मामले कम होंगे लेकिन जो शाखायें विदेशों में हैं उनका क्या होगा, जिनका रिमोट-कन्ट्रोल है उनमें क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं आ सकती है। कई बैंक ऐसे हैं जिनमें इन्टरनल आडिट नहीं होता है। बाहर के कई बैंक है जिनका अपना आडिट सिस्टम होता है आप चाहें तो खुद रिजर्व बैंक से जानकारी ले लीजिये। हमने तो अखबारों में पढ़ा है कि कई बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पांच-सात साल से अपना आडिट नहीं करवाया है। जब उनका इन्टरनल आडिट ही नहीं हुआ तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा—आप बैंकों के इन्टरनल आडिट सिस्टम को पुख्ता कीजिये। हर नेशनलाइज्ड बैंक के साथ परमानेंट कमीशन होना चाहिये जो केवल इन्हीं मामलों को देखे, कैसे एडवान्सेज हुए हैं, कौन-कौन सी इर्रेगुलेरिटीज हुई हैं, उनके मानिटरिंग का काम करें।

आज दिक्कत केवल बड़े-बड़े एडवांसेज के साथ या बड़े-बड़े व्यारियों के साथ फ्राड की नहीं है। एक अन्य बड़ी समस्या है जिससे सारा देश दुखी है और मैं समझता हूं आप भी दुखी हैं। आम आदमी के साथ जो व्यवहार बैंक कर्मचारी कर रहे हैं मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी सब बातें तो उन्नीकृष्णनन् साहब ने कहीं हैं लेकिन जो फ्राड आपकी अपनी स्कीम्ज के साथ, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ बैंक कर्मचारी कर रहे हैं उनकी तरफ भी आप को ध्यान देने की जरूरत है। पुजारी जी, जब आप दुखी शब्दों में यहां पर कहते हैं कि बैंक कर्मचारी इस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी इंट्रक्शंज को नहीं मान रहे हैं उस समय आप पर दया भी आती है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन काम हमारी तरफ मुखातिब होने से नहीं चलेगा, अगर हम और आप एक दूसरे को मुखातिब हो कर कहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, जरूरत है उनकी तरफ मुखातिब होने की जो रिजर्व बैंक के

[श्री हरीश रावत]

अधिकारी हैं, आपकी मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, उनसे कहिये कि कोई हल निकालें। आपने सेल्फ-एम्पलायमेंट-गारंटी स्कीम में 25 हजार रुपये के कर्ज देने की व्यवस्था की है लेकिन उन पर कितना अमल हो रहा है। जिला स्तर पर कमेटीज है, वे रिकमेंड करती हैं, उसके बाद वे रिकमेंडेशन्ज बैंक के पास जाती हैं, फिर भी कर्ज लेने वालों को दो-तीन बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंक के अधिकारी बारोअर से सौदा करते है, बारगेनिंग करते हैं और उसके बाद उनको कितना एमाउन्ट डिसबर्स हो पाता होगा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं।

7.30 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

शायद पांच प्रतिशत भी ऐसे लोग नहीं मिल पायेंगे। आइ०आर०डी०पी० में ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना अमाउन्ट उनके प्रोजेक्ट में सैंक्शन था, वह उनको मिल पाया हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं। सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ बैंक धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हम यह नहीं कहते कि ट्रांसफर में या दूसरे मामलों में हस्तक्षेप कीजिए लेकिन इन मामलों को देखिए जिनमें हमारे देश के गरीबों के उत्थान के कार्यक्रम की सफलता निहित है। यहां पर इस प्रकार का डिसक्शन लाने के लिए उन्नीकृष्णन साहब को धन्यवाद देता हूं। अपने मित्र चौधरी साहब से भी कहना चाहूंगा कि वह खाली अपने को इस बात के लिए जिम्मेदार न समझें कि वे दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। अन्तर यही है कि हम लोग बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को सीख देने की स्थिति में नहीं है। बैंक कर्मचारियों की यूनियन में आपकी पार्टी के लोग विभिन्न पदों पर हावी हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वह यूनियन के लोगों को सीख दे ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की ठीक से पूर्ति हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों पर बोलना नहीं चाहता जिन्हें मेरे साथियों ने पहले से ही बताया है और जिन्हें श्री उन्नीकृष्णन् जी आगे लाए हैं और न ही मैं बहुत सी नई दिशाओं के बारे में बताना चाहता हूं जिसे हमारे देश में बैंककारी प्रणाली के कार्य को विनियमित करने की दृष्टि से शुरू किया जाना है। लेकिन मैं आन्ध्र प्रदेश में एक कम्पनी के कार्य की ओर सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं।

इस सदन में उस जालसाजी के बारे में चर्चा हुई जिसमें श्री राजेन्द्र सेठिया ने बैंक से करोड़ों रुपये की ठगी की थी। यह केवल एक सेठिया नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं अधिक के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा बल्कि एक सेठिया के बारे में उल्लेख करूंगा। हैदराबाद में प्रोग्रे-

सिव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेट नामक एक कम्पनी है। मै कुछ तथ्य और आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। वास्तव में श्री रावत जी के भाषण से मुझे प्रसन्नता हुई है। उन्होंने हम से अपील की थी कि इस विषय पर दलगत भावना को त्याग कर विचार किया जाये। मै पूरी तरह से उनके शब्दों का समर्थन करता हूं। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जो किसी दल से सम्बन्धित है। इस कम्पनी के तुलनपत्र के अनुसार 30-6-1984 को कम्पनी ने आय विभाग को 2.477 करोड़ रुपए की अपनी परिसंपतियों का मूल्य दिखाया था। परन्तु हैदराबाद स्थित कंपनियों के रजिस्ट्रार के रजिस्टर में अचल परिसंपत्तियों का मूल्य 7.5 करोड़ रुपए है। आय कर विभाग के रिकार्ड तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार के बीच जो बहुत बड़ा अन्तर बताया गया है उसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। और आगे एक दिलचस्प नोट करने योग्य बात है कि कम्पनी की वही परिसंपतियों के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे आन्ध्र बैंक दी कारपोरेशन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आई०डी० बी०आई०, इंडियन बैंक, सिंडीकेट बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, बैंक आफ महाराष्ट्र के पास प्रतिभूतियों के रूप में रखी गई है और मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जमानत के रूप में 12 करोड़ रु० या उसके लगभग दिखाई गई है।

इन अग्रिम राशियों और ऋणों को प्राप्त करने के लिए मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंकों के सभी आधारभूत विनियमों का उल्लंघन किया गया। अत: आयकर विभाग में दिखाए गए 2.477 करोड़ रुपए की परिसपत्तियां दिखा कर संस्थानों से जो ऋण प्राप्त किए गए हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है वह 18.4 करोड़ रुपए है। यह कैसे हुआ ?

अब मैं कुछ पत्राचार के बारे में बताता हूं जो इनके बारे में बैंकों के बीच हुआ। आन्ध्र बैंक के महाप्रबन्धक**.....23.8.1982 के एक पत्र संख्या 6166.711614308 है जो सुल्तान बाजार शाखा को था बैंक शाखा द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार उसमें कम्पनी द्वारा जमानत के रूप में 155 लाख रुपए की सम्पत्ति दिखाई गई थी। जांच करने के बाद यह पाया गया कि जमानत की सम्पत्ति का मूल्य बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया था। रिकार्ड के आधार पर बैंक अधिकारी द्वारा इसे देखा गया था। कम्पनी की मशीनरी और अचल परिसंपत्तियां विभिन्न सस्थानों के पास गिरवी रखी हुई थीं। पहले बेची गई कुछ सम्पत्ति को भी गिरवी रखा गया था।

अब मैं मयूर एपार्टमेंट के फ्लेट्स का उल्लेख करता हूं जिन्हें आंध्र बैंक के पास 1.23 करोड़ रुपए की सम्पत्ति के रूप में गिरवी रखा गया। इन्हें एक वर्ष पहले ही बेचा जा चुका था।

कम्पनी ने एक और तरीका अपनाया कि उसने अपनी लगभग चालीस सह संस्थायें बनाई जिनके शेयरधारी/भागीदार मुख्य कम्पनी के निदेशक थे। इन सह संस्थाओं ने जाली बिल और

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

जाली सम्पत्तियों के आधार पर बहुत सारा रुपया बनाया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। सरकारी पत्र व्यवहार में बैंक के एक अधिकारी ने इन जाली बिलों का उल्लेख किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 30-6-1980 के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मैसर्स युवा भारतीय कैमिकल्स जो मेसर्स प्रोग्रेसिव कंसट्रक्शन लिमिटेड की सह संस्था ने यह सूचना दी थी कि किस प्रकार गैर सरकारी पार्टियों के ऐसे अनेक बिलों का भुगतान किया गया था जिनसे बिना पुष्टि के खरीद की गई थी। सितम्बर 1980 से जनवरी 1981 तक की खरीद के दस बिलों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया था कि एक आदेशिती ने न केवल सामान की प्राप्ति से इनकार किया, अपितु यह भी कहा कि वे बिल भी जाली थे।

अब मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि लेखे में से राशि को घटाये बिना विभिन्न प्रकार के चैकों का समायोजन किया गया। मैं ठोस मामलों का उल्लेख करूंगा ? एक * · ···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जय गोपाल रेड्डी, कृपया संक्षेप में कहिये। अब इन सब की सूचना मंत्री महोदय को दे सकते है। कुछ उदाहरण दीजिये, न कि पूरा ब्यौरा। इस चर्चा में और भी सदस्य भाग ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं केवल कुछ तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जैसा मंत्री महोदय ने आपको कुछ कहा, आप उसी बात का पालन करने लगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल यह पूछ रहे थे कि यह कब पूरा होगा क्योंकि भोजन भी परोसा जाना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कुछ कहीं कहा। में माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वह किसी बात पर रूकें अथवा किसी बात को बिल्कुल न कहें किन्तु चर्चा के दौरान सदस्यगण अपने मामले भी उठा देते हैं। इससे अधिक समय लग जाता है। यही समस्या है। इस पर ध्यान दिया जाय। यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं आप सब की बातों में बिल्कुल दखल नहीं दे रहा हूं। और दूसरी बात··· (व्यवधान) मैं श्री रेड्डी की बात को नहीं काट रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है, मैं चर्चा को छोटा करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल इस

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पक्ष में हूं कि जब यह चर्चा समाप्त हो जाये तब भोजनोपरांत आप घर जायें। परिवहन की कुछ समस्या है, मैं उसे सुलझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इससे आपके वाद-विवाद में कोई बाधा नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, मैं आपको बताता हूं कि इस बात को अनेक सदस्यों ने देखा होगा कि मैं हर एक को अधिक समय देता हूं। आपके मामले में भी कोई समस्या नहीं है। किन्तु दल के अनुसार हमें कुछ मानदंडों का भी पालन करना पड़ता है·····

श्री एस० जयपाल रेड्डी : समय देने में उदारता बरतिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं संक्षेप में कहने की बात कह रहा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी :महोदय, अब मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य कृपया सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सुन रहे हैं। चिंता न करें। आप मुझे संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : **एक चैक एक संस्था द्वारा जारी किया गया दिनांक 11-1-1982 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा 50,000 रुपये की खरीद की गई थी·····

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह आशा कर रहे हैं कि सभी व्यक्तिगत मामलों का उत्तर मंत्री महोदय देंगे ? यह बहुत कठिन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह नहीं आशा कर रहा हूं कि सभी मामलों का वह उत्तर देंगे। मैं उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिससे कि वह उनके बारे में एक सामान्य उत्तर तो दे सकते हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, यह संसद है। माननीय वरिष्ठ सदस्य भी यहां उपस्थित हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम संसद को व्यक्तिगत मामलों की चर्चा का अखाड़ा बना सकते हैं। अन्ततोगत्वा संसद की मान और मर्यादा का ध्यान तो रखना ही होगा। (व्यवधान)···माननीय सदस्यगण जिन मामलों का उल्लेख करना चाहते हैं, वे उन्हें मुझे दे दें और मैं उन पर कार्यवाही करूंगा।···(व्यवधान)। मैं इस बात का निर्णय वरिष्ठ सदस्यों पर छोड़ता हूं कि व्यक्तिगत मामलों पर वाद-विवाद किया जाय अथवा नहीं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सारे के सारे व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख मत कीजिये ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं केवल दो या तीन मामलों का उल्लेख करूंगा । उनका सम्बन्ध केवल एक ही कम्पनी से है जिसका नाम प्रोग्रेसिव कंसट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड है । 50,000 के चैक का भुगतान 11-1-1982 को कर दिया गया था किन्तु उस राशि का समायोजन 22-7-1982 को किया गया था । मैं दो और मामलों का उल्लेख करूंगा । एक चैक**.....द्वारा दिनांक 14-3-1988 को... जारी किया गया था.....

उपाध्यक्ष महोदय : व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख मत कीजिये, मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम कैसे बता सकते हैं । आप तो व्यक्तिगत नाम बता रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं इन दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत करने को तैयार हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे अनुमति लेनी होगी । मैंने अनुमति नहीं दी है । आपने भी अनुमति नहीं ली है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आप अनुमति नहीं देंगे.....**.....नाम...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । दूसरा नाम भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि आप हमें नाम बताने की अनुमति नहीं देते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी है ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो सभा में उपस्थित नहीं है । मैं उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाले जाने का अनुरोध करता हूं ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह चुका हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह चैक·····** द्वारा 14.1.1983 को जारी किया गया था। सहकारी ग्रामीण बैंक, बापट्ला में 4 लाख रुपये के लिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : नाम कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जा सकता है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह 14.1.83 को खरीदा गया था···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : चैक किस प्रकार खरीदे जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस राशि का समायोजन 28.1.1984 को किया गया था अर्थात् लगभग एक वर्ष बाद । दो अन्य व्यक्तिगत मामले और हैं (**व्यवधान**) जिनके चैक दिनांक 9.1.1982 को 5 लाख रुपये में खरीदे गये थे । इस राशि का समायोजन 23.3.1984 को किया गया था ।···**(व्यवधान)**

उसी मुख्य कम्पनी की मैसर्स युवा भारती केमिकल्स और मैसर्स युवा भारती नाम की दो सह संस्थायें हैं । उन पर स्वयं बैंक अधिकारियों ने आंध्र बैंक के नाम किये गये 20 लाख के सामान को ताला और सील तोड़कर निकालने का आरोप लगाया था । इससे सम्बन्धित तार में प्रस्तुत कर सकता हूं ।

मैं० प्रोग्रेसिव कंसट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी तथा उसकी अनेक सह-संस्थाओं के भागीदारों, शेयरधारियों, निदेशकों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों द्वारा कई करोड़ रुपया निकालने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया था और वह था अनेक जाली चैकों को लेखों में से बिना घटाये वर्षों पर चलते रहने देना । इस धोखाधड़ी में कितना रुपया फंसा पड़ा है, इसका कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता ।

एक कम्पनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है···**··· । उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्ड का अध्यक्ष और केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक बना दिया गया था । क्या मैं यह भी बताता हूं कि

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

आरम्भ में आन्ध्र प्रदेश के कांग्रेस (इ) के एक संसद सदस्य इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक थे और अब एक प्रमुख शेयरधारी है ? मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

में केवल इतना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय, इस धोखाधड़ी में जिस व्यक्ति का हाथ है, वह चाहे कोई भी क्यों न हो, भय और पक्षपात के बिना उसके विरुद्ध जांच-पड़ताल कराएं।

इस कंपनी पर अनेक आरोप हैं किन्तु अनेक ज्ञापन दिये जाने के बाद भी केन्द्रीय सरकार ने इसकी जांच-पड़ताल नही कराई है।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : इस देश की जनता ने मतदान किया है और मतदान के माध्यम से आज यह इच्छा व्यक्त की है कि शांतिपूर्ण समाजवाद लाया जाय और गरीब और अमीर के बीच की खाई को शांतिपूर्ण ढंग से कम किया जाय।

इसी आधार पर कांग्रेस (इ) ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया था और सिद्धांत रूप से उस धन को अपने हाथ में लेना ठीक है, जो कुछ ग्रामीण जनता, गरीब आदमी के हाथों में है।

किन्तु इस प्रक्रिया में, बैंकिंग प्रणाली में कुछ कमियां हो सकती हैं जिन्हें दूर करना होगा, जिसके लिए सरकार की ओर से तथा विरोधी दल की ओर से जो सुझाव दिये गये हैं, उन्हें हम स्वीकार करते है। किन्तु मुझे यह देखकर दुःख होता है कि विरोधी दल के सदस्य संसद की इस महत्वपूर्ण सभा को बैंक की शाखा का मंच बनाने का रवैया अपना रहे हैं। फिर भी, मैं विरोधी दल की, किसी कम्पनी की धोखाधड़ी को जनता तथा संसद की जानकारी में लाने की इच्छा की प्रशसा करता हूं।

कुछ गैर सरकारी सदस्यों को इस बात को जानने की चिंता नहीं है कि वे ब्यौरे सही हैं, अथवा नहीं, क्या उनका उनसे कोई सम्बन्ध है, अथवा नहीं, क्या उन्हें निहित स्वार्थ के कारण प्रकाशित किया गया है, तथा जिनके बारे में मेरा कहना यह है कि वास्तविकता यह है कि दिल्ली में यह अफवाह है कि निहित स्वार्थ द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कहे जाने के लिए 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है **···और मैं कहता हूं···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : वह जो कहते हैं, वह बात आपने नहीं सुनी। वह कहते हैं कि सूचना यह है कि·····*·····को 10,000 और 20,000 रुपया दिया जा रहा है।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उन्होंने यही बात कही थी । यह बहुत ही गंभीर आरोप है । (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह असंसदीय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा । यदि यह असंसदीय है, तो मैं देखूंगा । मैं देखूंगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दें और उनसे कहें कि वह संसदीय भाषा का प्रयोग करें । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा । कृपया बैठ जाइये ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि कोई बात असंसदीय है, तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होने दूंगा । (**व्यवधान**)

श्री के० एस० राव : मैं यह बात श्री जयपाल रेड्डी से कह सकता हूं । वह जिस नाम का उल्लेख करना चाहते हैं, वह के० एस० राव है । यदि बस सम्मानीय सदन में सभी विरोधी दल के सभी सदस्यों की बात सही साबित हुई**

(**व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : **.....

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा भी जिक्र किया गया है ।

.....**.....

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया बैठ जाइये । आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता है । यहां चुनौती, पर चुनौती दी गई है ।···(**व्यवधान**)···उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आमंत्रित किया है । मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न स्पष्ट कर रहा हूं ।

यदि वाद-विवाद में किसी प्रस्ताव के बारे में किसी बात का उल्लेख किया जाता है और यदि किसी वित्तीय लाभ का मामला आता है तो वह सदस्य इस मंच का उपयोग नहीं कर सकता । यह बहुत ही स्पष्ट बात है । यदि किसी सदस्य की किसी ऐसे वित्तीय मामले में रूचि है जिस पर इस सदन में वाद-विवाद होता है तो वह सदस्य उस चर्चा में भाग नहीं ले सकता । यदि उसे कोई लाभ नहीं है, तो वह अन्य बातें कह सकता है । किन्तु यदि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई लाभ है, तो उसके बारे में आपके पूर्वाधिकारी ने यह दृष्टांत दिया है । मैं आपका ध्यान मुद्गल के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सभा से श्री मुद्गल को निकाले जाने का संकल्प रखा था, तब यह प्रश्न उठाया गया था और इसी सभा में उस समय यह निर्णय लिया गया था कि ऐसा सदस्य ऐसे वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकता । (**व्यवधान**) । यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इस सभा की यह स्वीकृत प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति सूचना दिये बिना न तो किसी व्यक्ति का नाम लेगा और न कोई आरोप लगायेगा । महोदय, कोई भी व्यक्ति आपको सूचना दिये बिना, तथा आपकी अनुमति से सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना दिये बिना, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा सकता । इस नियम के विरुद्ध जो कुछ भी हुआ, उस कार्यवाही को आप पढ़ेंगे तथा उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देंगे··· ··

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वह मुद्दा भिन्न है । उन्नीकृष्णन के मामले का—वित्तीय लाभ के मुद्दे के बारे में क्या रहा ?

श्री एच० के० एल० भगत : आप इस तरह कोई मुद्दा नहीं उठा सकते हैं । यदि आप ठीक से उठायेंगे तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है, कि यह एक सामान्य चर्चा थी और हम लोग किसी

विशेष मामले पर विचार-विमर्श नहीं कर रहे थे । एक सामान्य बात चल रही है । मुझे नहीं पता कि इसमें उसका अथवा अन्य किसी का हाथ कहां है । हम लोग यह स्पष्ट नहीं कर सकते । इसलिये, हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा विनिर्णय है । यह एक सामान्य चर्चा है । हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते हैं । उन्हें सभा में बोलने का पूरा अधिकार है । यह मेरा विनिर्णय है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि उपरोक्त मामले में आपकी कोई रुचि हो तो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य चर्चा है ।

श्री एच० के० एल० भगत : आप इस प्रकार मामले नहीं उठा सकते । आप किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा सकते···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब मैंने यह मामला उठाया था, तब मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय उन्होंने दो नामों का उल्लेख किया था, तब मैंने कहा था कि इन दोनों नामों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब मैं उसकी तकनीक में नहीं जाना चाहता । अब एक माननीय सदस्य आगे आये हैं**···

क्या सरकार सभा की एक समिति गठित करने को सहमत है ?

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : बशर्ते कि यह सिद्ध हो जाता है **···

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोनों सहमत हैं । सभा की एक समिति गठित की जाये ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अनेक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं यहां कोई चुनौती नहीं चाहता। ...कोई भी चुनौती नहीं। मैं किसी प्रकार की चुनौती नहीं चाहता। किसी भी प्रकार की नहीं। श्री राव, कृपया आगे बोलें।

श्री के० एस० राव : लाखों अधिकारी लगे हुए हैं। बैंकिंग प्रणाली में लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में लोग गलतियां करते रहते हैं। किन्तु हमें निश्चित रूप से विरोधी दलों के सदस्यों से सुझाव मांगने चाहिये अथवा यदि सरकार को इस की जानकारी हो कि कहीं कोई त्रुटि हुई है।

8.00 म० प०

कहीं-कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। सरकार उन्हें सुधारने का हर संभव प्रयत्न कर रही है किन्तु फिर भी कहीं न कहीं एक या दो गलती रह जाती है। विशेषकर हाल में ही कुछ समय पूर्व कुछ बैंकों मे धोखाधड़ी की कुछ घटनायें घटित हुई हैं। यद्यपि ऐसे पर्याप्त कानून हैं जिनके अन्तर्गत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अथवा उन्हें सजा दी जा सकती है, तथापि मेरा नम्र निवेदन है कि किसी दोषी कर्मचारी के प्रति तत्काल कार्यवाही करने के लिये ये कानून पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की ओर ध्यान दिया जाये और ऐसा कोई नया विधेयक लाया जाये जिससे किसी अधिकारी के विरुद्ध यह सिद्ध हो जाये कि उसके कोई भारी गलती की है; तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जा सके। किसी अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही नये कानून के अन्तर्गत ही की जा सकती है; वर्तमान कानून के अन्तर्गत नहीं। विरोधी दल के सदस्यों को जिस क्षण भी पता चलता है कि कहीं पर कोई घटना घटी है, उसी क्षण वे तथ्यों की जानकारी जाने बिना ही मामले को बढ़ा चढा कर कहने लगते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई चुनौती नहीं। यहां कोई चुनौती नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाइये। चुनौतियों को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कभी-न-कभी कुछ गलती करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम विपक्षी सदस्यों के सुझावों पर विचार करते हैं और सरकार इन गलतियों को ठीक करने की हर संभव कोशिश करती हैं। अगर किसी कारण से कोई गलती हो गई है, तो बिना यह जाने कि अधिकारी की स्थिति और चरित्र कैसा है और क्या उसका कोई स्वार्थ था या नहीं, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। विपक्ष को ऐसे मामले उठाकर सारी सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें मात्र एक बैंक के मामले के लिए ही सारी सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सरकार इस मामले की जांच कर सकती है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पर अधिक समय नष्ट न करें और न ही सभा और माननीय सदस्यों का समय नष्ट करें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत, सभा की समिति का कार्य बैंक के लेनदेन के बारे में जांच करना नहीं है। इस पर सांविधिक प्रतिबन्ध है। यह आपकी जानकारी के लिए है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं श्री पुजारी से सहमत हूं। सभा की समिति का कार्य बैंकिंग तंत्र की जांच करना नहीं है। लेकिन यहां हम जो सभा की समिति गठित करने की मांग कर रहे हैं, वह इस उद्देश्य से है कि सभा के विशेष सदस्य, जिन्होंने इस चर्चा में भाग भी लिया है का क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले में जिस पर चर्चा की जा रही है, कुछ सम्बन्ध है या कोई वित्तीय हित है। हम यही जानना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब, श्री नारायण चौबे बोलेंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदना पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य जिन्होंने अभी-अभी अपना भाषण समाप्त किया है, के अलावा सभी सदस्यों ने यहां तक कि माननीय कांग्रेस के सदस्यों ने भी जो पहले बोले हैं बैंकिंग-प्रणाली में त्रुटियों के बारे में कहा है, श्री राव को छोड़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने बैंकिंग प्रणाली की आलोचना की है। यह ठीक ही कहा गया है कि जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, वे पूरे नहीं हुए हैं। यह एक खेद का विषय है और इसके लिए मैं यहां उपस्थित माननीय मंत्री को दोषी नहीं मानता। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं और स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन, श्रीमान, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बड़े करोड़पतियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक उनके हित का साधन बन गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। रोजाना ही हम समाचारपत्रों में कहीं न कहीं हुए कई धोखाधड़ी के मामलों की खबरें पढ़ते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मंत्री महोदय को भी इसकी जानकारी है, लेकिन शायद सारे तंत्र में अपने को असहाय

[श्री नारायण चौबे]

महसूस करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकिया है। अधिकतर धोखाधड़ी अमीर लोग करते हैं और वे पकड़े भी नहीं जाते। आम लोगों द्वारा यह धोखाधड़ी बहुत कम होती है, इन आम लोगों के लिए हमारे मंत्री वास्तव में चिन्तित हैं और उन्हें ज्यादा सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। वे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे केवल, 2,000 रु०, 4,000 रु० या 5,000 रु० आदि का ऋण ही लेते हैं, वे कहां तक धोखा कर सकते हैं ? अभी 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' ने लिखा था कि 11.2.1985 को कलकत्ता स्थित बैंक आफ बड़ौदा की तीन शाखाओं ने छः करोड़ रुपए की हेराफेरी की है और गुप्तचर विभाग ने इसमें बैंक प्रबन्धकों और बड़े व्यक्तियों—आर० के० जैन, जे० पी० पोद्दार, एस० के० पोद्दार, नन्दलाल पोद्दार, पोद्दार जूट ट्रेडिंग कम्पनी, पोद्दार एण्ड सन्स और पोद्दार एण्ड कम्पनी आदि के सम्मिलित होने का पता लगाया है। प्रेस में यह छपा है कि पोद्दार परिवार ने बैंक को 1.5 करोड़ रुपया लौटाने का वादा किया है। मैं नहीं जानता कि जब गुप्तचर विभाग ने जांच आरम्भ की तभी उन्होंने यह पेशकश क्यों की। ऐसे कई मामलों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। ये बैंक इन अमीर पार्टियों को बड़ी रकम ऋण के रूप में देते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, एक ही सम्पत्ति को दिखाकर वे पांच, छः या सात बैंकों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब एक आम आदमी या आम कारीगर या कृषक उनके पास ऋण के लिए जाता है तो वे कैसा व्यवहार करते हैं ? इन लोगों को बड़ी मात्रा में ऋणों की आवश्यकता है, और उन्हें ही सबसे अधिक लूटा जाता है। एक तरफ तो अमीर बैंकों को लूट रहे हैं और हमारे देश को घाटा हो रहा है और दूसरी ओर ये बैंक अधिकारी और प्रबन्धक गरीब लोगों को लूट रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जैसा कि दोनों दलों के कई माननीय सदस्यों ने कहा है जो पैसा गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वह उन तक नहीं पहुंच रहा, हमारे साथी, श्री विजय कुमार यादव ने नालन्दा ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित एक लम्बी सूची दी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि संसद में छोटे मामलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम छोटे मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने यह नहीं कहा कि 'छोटे मामले' मैंने कहा है कि 'व्यक्तिगत मामले'।

श्री नारायण चौबे : लेकिन दुःख की बात यह है कि जब हम मंत्री और सरकार की जानकारी में विशेष मामले लाते हैं तो उन पर सुनवाई नहीं की जाती। नालन्दा ग्रामीण बैंक एक ऐसा ही उदाहरण है। उस बैंक के चैयरमेन ने लाखों रुपए का घोटाला किया है। उस क्षेत्र के लोगों ने आपको शिकायत भेजी हैं। जब श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री थे, इस माननीय सदस्य ने उन्हें इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही की गई। वर्तमान वित्त मंत्री को भी इसकी सूचना दी गई थी और वह इसे जानते भी हैं। मैंने उनसे मिलकर इन धोखेधड़ी के मामलों की कई शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। मैंने उनको पंजाब और

सिन्ध बैंक, खड़गपुर के मामले की भी सूचना दी है कि कैसे कई एक गरीब महिलाओं और लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

इसलिए, जब इस सभा में भी ये मामले उठाए जाते हैं तब भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती । क्यों ? प्रो० रंगा सहमत हों या नहीं, लेकिन तथ्य यही, अप्रत्यक्ष रूप से इन धोखाधड़ी के मामलों के पीछे किन्हीं बड़े लोगों का हाथ होता है अन्यथा ये धोखे कभी भी हो नहीं सकते । अगर ऐसा नहीं है तो उनके पत्रों पर उचित कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

माननीय सदस्य, श्री रावत चाहते हैं कि मैं कुछ उपदेश या सुझाव दूं । हम आपको क्या उपदेश दे सकते हैं ?

उपदेशो ही मूर्खानाम्,
प्रकोपाय न शान्तये ।

वह चाहते हैं कि हम आपको कुछ उपदेश द ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जिन यूनियन के आपके लोग पदाधिकारी हैं, आपके लोग हैं, आप उनको उपदेश दीजिए, मैंने ऐसा कहा था । मैंने सबके लिए नहीं कहा । कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से उनकी बदनामी होती है ।

श्री नारायण चौबे : सारे कम्युनिस्ट बेईमान नहीं हैं, सारे कांग्रेसी भी बेईमान नहीं हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं । आधा-आधा मामला हो गया है ।

[अनुवाद]

अतः, श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात पर कड़ा रुख अपनायें । उन्हें राजनैतिक इच्छा दृढ़ होनी चाहिए । इस मामले में उन्हें कई बाधाएं आएंगी, सत्ता पक्ष की तरफ से हमारी विपक्ष की तरफ से नहीं । उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त होगा । हम उन सभी मामलों को...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन मामलों को भी उठा सकते हैं । केवल एक पक्ष ही क्यों ? एक संसद सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार है ।

श्री नारायण चौबे : हम हर वक्त शिकायत करते रहते हैं । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । वे कार्यवाही करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : शुरू शुरू में जब मन्त्री जी ने बैंकों में जाना शुरू किया और उनको ... ...(व्यवधान) ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश, कृपया बैठ जाइए ।

श्री नारायण चौबे : वह कह रहे हैं कि जब मंत्री ने बैंकों का दौरा आरम्भ किया तो हमने हल्ला-गुल्ला मचाना शुरू कर दिया । लेकिन वास्तव में जब हमने देखा कि चुनाव से पहले रामलीला मैदान में बैंक मेले लगने लगे हैं तो हमने हल्ला-गुल्ला मचाया । मैं इस बात से सहमत हूं कि जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य ऋण दिया जाना चाहिए । मुझे उनमें पूर्ण विश्वास है । उन्हें इस बात की जांच करानी चाहिए कि इन व्यक्तियों को ऋण मिला है, क्या वास्तव में आवश्यकता थी उन्हें ऋण नहीं दिया गया । उन्हें जांच कर पता लगाना चाहिए कि क्या यह तथ्य है या नहीं वह एक सच्चे व्यक्ति है । उनमें अवश्य राजनैतिक इच्छा दृढ़ होनी चाहिए ।

जहां तक लक्ष्मी कार्मशियल बैंक का संबंध है, मेरे नेता ने कहा ही है । मंत्री महोदय इस बारे में क्या कर रहे है ? अगर आप समझते हैं कि वह गलत है, उन्हें कांग्रेस से निकाय दीजिए । हम खुश होंगे । आप ऐसा क्यों नहीं करते ? इसे स्पष्ट कीजिए । ऐसा करने के लिए, आपकी राजनैतिक इच्छा दृढ़ होनी चाहिए । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपनी इस दृढ़ इच्छा का प्रयोग करते हुए ये सब करेंगे । हालांकि आप इस बैंक प्रणाली को पूरी तरह धोखेधड़ी से से मुक्त नहीं कर सकते । आखिरकार यह पूंजीवादी व्यवस्था है ।

एक माननीय सदस्य : आपने उपदेश देना शुरू किया ।

श्री नारायण चौबे : मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं । अगर कोई दानव को भगवान कहने लगे, तो मैं क्या कर सकता हूं । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे थे कि यह समाजवाद है । क्या काले धन का एकत्र किया जाना समाजवाद है ? श्री साठे ने कहा कि देश में 54 हजार करोड़ रुपए का काला धन चलन में है । क्या यही समाजवाद है ? भगवान हमें एसे समाजवाद से बचाये ।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस बात की चिन्ता है कि लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त हो ।

लेकिन इसे लूटा जा रहा है और धोखाधड़ी की जा रही है, और अगर आप इस बात को खत्म करना चाहते हैं, सरकार और मंत्रालय में राजनैतिक इच्छा दृढ़ होनी आवश्यक है। जब दिसम्बर में पहली दफा यह सरकार सत्ता में आई थी तो हमें बताया था कि यह एक स्वच्छ सरकार है, ठीक है, हम पूरे दिल से इसका समर्थन करेंगें। शायद, इसका अर्थ होगा कि जो पहले वाली सरकार थी वह स्वच्छ सरकार नहीं थी ? अगर स्वच्छ सरकार आ रही है तो इसका अर्थ है कि पहले वाली सरकार स्वच्छ नहीं थी, क्योंकि यह सभी घोटाले पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुए थें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह एक स्वच्छ सरकार थी। और यह उससे भी स्वच्छ सरकार है।

श्री नारायण चौबे : यह सरकार पांच वर्ष तक सत्ता में रहेगी और हम घोटालों को पकड़ने में निश्चिय ही आपकी सहायता करेंगें।

मैं मांग करता हूं कि मैंने जिन मामलों कि उनसे शिकायत की है, वे उनकी पूरी जांच करायेंगे। इन घोटालों से लड़ने के लिए उनमें राजनैतिक इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। ···(**व्यवधान**)··· इसके लिए उन्हें खरी बात कहनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मै आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 2, 4 मिनट बोलने का अवसर दिया। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष की बातें सुन रहा था। हमको यह उम्मीद थीं कि ऐसा मसला है जो समूचे देश के शोषित और गरीब लोगों से संबंधित है और इस बारे में विरोधी दल के लोग कुछ ऐसे सुझाव रखेंगे जिससे समूचे देश का भला हो और उन सुझावों पर सरकार अमल करके उसमें सुधार करे। लेकिन दुःख है, एक कहानी है कि गाय भैंस के स्तन में दूध होता है और एक कीड़ा होता है जिसे जोक कहते हैं, वह दूध को तो छोड़ देता है लेकिन गाय भैंस का केवल खून पीता है। ठीक वही हालत हमने यहां देखी है, विरोधी दल की नजर में बुराई के अलावा भलाई कहीं नजर ही नहीं आती है। इसका जवाब ही नहीं है।

इसी तरह एक कहानी और है कृष्ण के दरबार में युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों गये। कृष्ण ने दोनों की बात सुनकर युधिष्ठिर से कहा कि तुम एक झूठ बोलने वाला लाओ और दुर्योधन से कहा कि तुम एक सच बोलने वाला लाओ। न तो दुर्योधन को कोई सच बोलने वाला मिला और न युधिष्ठिर को कोई झूठ बोलने बाला मिला। इसी तरह से हमारे विरोधी दल की नजर में कोई अच्छा दिखाई नहीं देता है इसका जवाब तो कोई नहीं है।

यह मसला ऐसा है जिस पर हर पक्ष की ओर से बैंक के करप्शन की बात हो रही है।

[श्री राम नगीना मिश्र]

मैं पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा भी विभाग है जहां करप्शन न हो ? इसका कारण क्या है ? कारण यह है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन प्रजातंत्र के साथ-साथ यह बुराई है।

गांव में या शहर में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने बेटे को नसीहत देते होंगे कि बेटा घूस मत लेना, ईमानदारी से कमाकर गुजारा करना। बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जो अपने पिताजी से कहते होंगे कि आप गलत काम मत कीजिये, गलत ढंग से रुपया मत कमाइये, रिश्वत मत लीजिए, हम थोड़ा कम खाकर रह जायेंगे। समूचे समाज में यह बीमारी है और कोढ़ की तरह फैली हुई है। इसका निवारण कैसे हो ?

इतनी बड़ी संसद है, देश के रहनुमा लोग यहां बैठे हैं, सब को विचार करना चाहिये, एक पर्टिकुलर केस को लेकर यहां झड़पें करते हैं, यह ठीक नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मान लीजिए बैंक का कोई कर्मचारी भ्रष्ट है, उसको निकाल दिया जाये तो वहां हड़ताल हो जायेगी और हमारे विरोधी भाई हड़ताल का झंडा लेकर उठ जायेंगे और कहेंगे कि खबरदार कुछ किया तो।

इतना ही नहीं कल की घटना है, एक बस से एक आदमी मरने के करीब हो गया, यह गलती कंडक्टर की थी या ड्राइवर की थी, उनको थोड़ा सा दंड दिया तो यहां बसों की हड़ताल हो गई, झंडा उठ गया। किसी विरोधी दल ने नहीं कहा कि यह काम गलत है, सही काम करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन सा झंडा उठा ? किस के झंडे ने हड़ताल करवाई ?

श्री राम नगीना मिश्र : यह मैं नहीं जानता। परन्तु मैं भुक्तभोगी हूं। यहां जो विवाद हुआ है, मैं उम्मीद करता था कि विरोधी पक्ष के भाई हुकूमत के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि शासन की तरफ से जो नियम बने हुए हैं गरीबों को ऋण और अनुदान देने के लिये, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है; इनका कैसे सही इस्तेमाल हो, यह सुझाव आयेंगे। इस बारे में एक भी सुझाव नहीं दिया गया, बल्कि इंडीविजुअल कैसेज के बारे में बोले हैं कि फलां ने चोरी की, फलां को बन्द करो। केवल पार्टिकुलर नाम आये हैं एक आधा नाम की आपने रट लगाई है। आपने नालन्दा का नाम रट लिया है।

मैं गांव में रहता हूं, गांव में शासन की तरफ से जो ग्रेजुएट हैं, उनको 20,000 रुपये और छोटे लोगों को 5, 7 हजार रुपये मिलते हैं कि तुम अपना रोजगार करके गुजारा करो। यह बात सत्य है कि बैंकों के कर्मचारी गरीब लोगों को रुपया नहीं देना चाहते हैं और नाना प्रकार से उनको तंग करते हैं। उनसे रिश्वत लेते हैं। आप बताइए इसकी दवा क्या है? मेरे ही क्षेत्र का एक

केस है, जिसमें 20 हजार रुपया मंजूर हुआ था, लेकिन जब वह आदमी रुपया लेने गया तो कागज उठा कर फेंक दिया कि नहीं देंगे जाइए।

श्री नारायण चौबे : मिनिस्टर साहब ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नगीना मिश्र : आपको और हमको इस बारे में सोचना है। सवाल यह है, मेरे देखने में यह त्रुटि एक जगह नहीं है, यह त्रुटि कई जगहों पर है। यदि कोई केस होता है, किसी विभाग का आदमी सस्पैंड होता है, अदालतें बनी हुई हैं, अदालतें तुरन्त स्टे दे देती हैं। बैंकों से एक दफा लाखों रुपए चोरी कर लीजिए, सरकार उनको सस्पैंड करती है, बर्खास्त करती है, मुकदमा दस साल चलता है, रुपया बरी हो जाता है और तनख्वाह के साथ उसकी डिक्री हो जाती है। इसलिए आपको और हमको बैठ कर सोचना चाहिए कि कानून में कुछ ऐसा संशोधन हो ताकि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी तरीके से पनाह न मिल सके। ऐसा सुझाव आप नहीं दे सकते हैं, आप तो केवल आलोचना करते हैं कि हुकूमत ने क्या किया। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी हुकूमत और आपको बैठ कर इसके बारे में डिसक्शन करना चाहिए। जब हुकूमत कोई अच्छा काम करती है, तो आपने कभी उसकी सराहना नहीं की। आप तो यही कहते हैं कि खराब है, खराब है, यह बात सत्य नहीं है। बैंक पहले केवल करोड़पति-अरबपति को ऋण देते थे, किसानों को तो वहां नामोनिशान तक नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि गांव के गरीब किसानों को बैंक से लोन दिया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि हजारों-हजार बैंक की शाखायें खुल गई हैं। क्या इनसे गरीब लोगों का भला नहीं होता है। आप यह नहीं बताते हैं कि इसमें जो त्रुटियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

आप विरोधी की बात करते हैं, विरोधी दल को संविधान में भी सुविधा दी है और हुकूमत भी आपको सुविधा देती है। एक कवि ने कहा है—

"निन्दक नियरे राखिए, आगन कुटी छवाय"

···(व्यवधान)···

श्रीमती गीता मुखर्जी : फ्राड के ऊपर डिसक्शन के बारे में आप क्या कर रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : आप विरोधी दल में हैं, यदि आपको जानकारी है, तो आप सुझाव दीजिए, जो जनहित में हों। सरकार उसमें सुधार करने की कोशिश करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके बड़े-बड़े लीडरों के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है, जिससे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। इस बारे में आपने जीवन में सोचा है ? नहीं सोचा है। नहीं सोचा है तो सोचिए। यदि आप कोई सुझाव देंगे, तो हुकूमत उस पर अमल करने के लिए तैयार

[श्री राम नगीना मिश्र]

है। कौन सा ऐसा हम नियम बनायें, जिससे देश का भ्रष्टाचार दूर हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ··(व्यवधान) ··आपने एक व्यक्ति का नाम ले लिया। उन्होंने उसका जवाब दे दिया, तो मालूम हुआ कि जैसे आप को बिच्छू ने डंक मार दिया हो (व्यवधान)·· मान लीजिए, आप हुकूमत में आ जाते हैं, तो कैसे देश चलाएगा, कैसे भ्रष्टाचार को दूर कीजिएगा। क्या आपका फर्ज नहीं होता है कि आप यह नियम बना सकें और आप सुझाव दे सकें। आप सुझाव नहीं देते हैं और शिकायत शासन की करते हैं। कहते हैं कि फलां बैंक में कांग्रेस-आई के लोग गलत काम करते हैं। भारत में प्रजातंत्र है। लेकिन आप लोगों को डेमोक्रेसी में नाम मात्र भी विश्वास नहीं है। आपकी नीति को कुछ लोग मानते है, उनमें तो डेमोक्रेसी का नामोनिशान नहीं है। वहां तो अगर विरोध किया तो मरवा दिया जाता है। तो यह आदर्श है आपका, आदर्श आप हमें सिखाने चल रहे हैं। मैं कहता हूं, जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह सही दिया है। आपको भी कहना चाहिए कि इतनी-इतनी सुविधायें बैंकों से गरीब लोगों को मिल रही हैं। लेकिन आप तो इसकी आलोचना करते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि 5000 रु० के लिए इसकी कोई जमानत नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है, आपका पक्ष और मेरा पक्ष चुनाव लड़ने के बाद वोट लेने के बाद असल बात को भूल जाते हैं। वे यह देखते हैं कि हमारे कर्मचारी चौकीदार से लेकर उच्च अधिकारी तक उनको कैसे लाभ हो, उनको टी०ए० और डी०ए० कैसे मिले, सुख-सुविधा कैसे मिले, उनको पेंशन कैसे मिले और किसान जहन्नुम में जाए। मै तो अपने दोस्तों से यह निवेदन करूंगा कि कोई ऐसे उपाय निकालिये जिस से देश से भ्रष्टाचार दूर हो सके। बैंक ऐसे नियम बनायें जिससे साधारण किसानों तक उनके फायदे पहुंच सके। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि इसको देश के हित में लीजिये, व्यक्तिगत न लीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय में निवेदन करूंगा कि बैंकों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनको दूर करने के लिए ऐसे नियम बनायें जिनसे वह दूर हो सके।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहली बात यह अर्ज करूंगा कि 1969 में कांग्रेस ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया और उसका मुल्क पर इस कदर असर हुआ कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। मुल्क के लोगों की तवक्कुआत सरकार से इस कदर बढ़ गई, क्योंकि नेशनलाइजेशन की वजह से आम लोगों को, गरीब मजदूरों, दस्तकारों और जो पिछड़े हुए तबकों के लोग हैं उनको यह उम्मीद पैदा हुई कि इससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों में इस किस्म का भ्रष्टाचार शुरू हो गया जिसकी वजह से जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत वाबस्ता थीं, वे रफता-रफता खत्म हो गई। नटवर लाल और कुछ दूसरे स्केण्डल्ज का नाम लिया गया, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस वाक्ये ने पिछले दिनों सारे मुल्क को चौंका दिया, जिससे रोंगटे खड़े हो गये, वह सेठिया केस था। अखबारों के जरिये हमें मालूम हुआ कि इंग्लैंड में तीन बैंकों ने 2050 मिलियन डालर इस तरीके से एक

पार्टी को दे दिये जिससे वे बैंक्स दिवालिया हो गये। इससे हमें यह दुख हुआ कि उन बैंकों का रुपया, जो आम लोगों की बेहतरी के लिए खर्च करना था, जो आम मेहनतकश लोगों, मजदूरों, अनएम्पलाएड यूथ्स के लिए खर्च होना था, उनके बजाय कैपटिलिस्ट्स, मुफादेखुसूसी, इजारदारों पर खर्च हो गया।

उन्नीकृष्णन् साहब ने बहुत सारे वाक्यात बतलाये हैं कि किन-किन बैंक्स में क्या हुआ, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन में सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि बैंक्स में इस वक्त जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से बैंक्स पर बजाय गरीब तबके के कैपिटलिस्टों, बालादस्तों को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है उसको रोकने का सरकार को कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिए।

इस वक्त बैंकों में सबसे ज्यादा रकम जमा करने वाले गरीब लोग हैं और वे लोग इन बैंकों में इसलिए जमा करते हैं कि उनको सूद का कुछ फायदा होगा, साथ ही उसे पैसे से आम गरीबों की हालत में सुधार होगा, लेकिन हालात ये हैं कि जो बेरोजगार, तालीमयाफता तबका है, अनएम्प्लाएड यूथ हैं, मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर अर्ज कर रहा हूं, खासतौर से मुझे अपनी स्टेट का तजुर्बा है, वहां अनएम्पलाएड यूथ्स के लिए कुछ रुकूमात बैंक की तरफ से मन्जूर हुई जो उनको इन्टरेस्ट पर दी गई, वे जितने पीरियड के लिए दी गई उस पीरिअड में वसूल नहीं हुई और उसकी वजह से मेरी स्टेट में कुछ साल पहले कई नौजवानों ने खुदकशी कर ली। मैं समझता हूं यह सिलसिला न सिर्फ रियासते जम्मू-काश्मीर में बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी काफी देर तक जारी रहेगा। अनएम्पलाएड यूथ्स के लिये जितनी पाबन्दियां हैं और जिस रेट-आफ-इन्ट-रेस्ट पर कर्ज दिया जाता है और जितनी सख्तियां उनके साथ की जा रही हैं उसकी बिना पर उन के सामने खुदकशी करने के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं रहता है। हमारे यहां न सिर्फ बैंकों में यह सब कुछ हो रहा है, बल्कि कुछ प्राइवेट कारपोरेशंज भी बनी हैं। जो पैरेलल इकोनामी की अलामत है। कुछ बैंक्स बिना कोई बाकायदगी के साथ सरकार की इजाजत के बगैर 25-30% सूद पर कर्जा दे रहे हैं। उनसे बाकायदा बांड्स लिखकर ले लेते हैं। बाद में वे गरीब लोग इनका निशाना बनते हैं जो इनका पैसा अदा नहीं कर पाते। अदालत में जाकर ये उनकी सारी प्रापर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। यह बहुत बड़ी खतरनाक बात हो रही है। पूरे हिन्दुस्तान में यह सिलसिला जारी है, एक और बड़ी बदकिस्मती है जिसकी तरफ ऑनरेबल मिनिस्टर की तवज्जुह नहीं दिलाई गई, वह चिट फंड कंपनियां हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन कंपनियों को कौन बर्दाश्त कर रहा है। हर तरफ से उनका जाल बिछ चुका है। हर रियासत में ये कंपनियां काम रही हैं। जो लोग उनके झांसे में आते हैं, वे समझते हैं कि कुछ उनको ज्यादा इंटरेस्ट और फायदा मिलेगा। इस तरीके से वे अपना पैसा लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि वे बोगस और फ्राड हैं। एक कंपनी के बारे में मुझे पता है जो पिछले दिनों फेल हो गई। इन्दौर में उसका हैडक्वार्टर है। पचास हजार रुपया जम्मू काश्मीर में उसने इकट्ठा कर लिया। सब्ज-बाग दिखाकर यकीन दिलाया जिससे कुछ लोगों को फायदा भी हासिल हुआ। बाद में पता चला कि यह कंपनी गायब हो गई

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

और वहीं इन्दौर की अदालत में उस पर मुकदमा चल रहा है और उस कंपनी को दिवालिया करार दे दिया है। इस तरह की बहुत सी कंपनिया काम कर रही हैं जिसकी तरफ ऑनरेबल मिनिस्टर की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। यह चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और चार-सौ बीसी में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार ने बैंक्स अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके बाद भी प्राईवेट स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही क्यों हो रही है और बैंक का पैरेलल सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है। नेशनेलाइज्ड बैंक्स से यह शिकायत है कि आज एक सियासी असर रसूक की बिना पर कर्जा दिया जा रहा है। इसमें जो पालिटिकल इन्वाल्वमेंट है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि यह असर वहां से निकाल दे। इससे बहुत बुराइयां पैदा हो रही हैं। जो भी बाअसर लोग हैं, जिनका पालिटिकल पार्टीज में ज्यादा असर है या जो सरकार के अदाकार हैं, वे बिग बिजनेस वालों को लोन दिला देते हैं। हम देख रहे हैं जो ज्यादा डिजरविंग और मुस्तहिक लोग हैं, उनको इस तरह की फाइनेंस के लिए बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। मैंने पहले भी कहा है और फिर अर्ज करना चाहूंगा कि जम्मू काश्मीर में हजारों दस्तकार ऐसे हैं जिनको दस-बीस हजार रुपया सरकारी बैंकों से कुछ कंसेशन तथा कुछ सबसिडी दी जाती है। इससे वे लोग अपना कारोबार ठीक ढंग से चला सकते हैं। इस तरीके से न सिर्फ अपना घर-बार चला सकते हैं बल्कि ऐसे लोग हैं जो फारेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। उसमें और ज्यादा बढ़ोत्तरी हो सकती है और ज्यादा फायदा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जम्मू-काश्मीर की बात अर्ज करना चाहूंगा। बड़े-बड़े होटेलियर्स और बड़े-बड़े बिजनेस मैगनेट्स ने लाखों-करोड़ों रुपया सरकार से लिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सरकार उनको बाकायदा सबसिडी देती है। बड़े-बड़े मैंशन्स उन्होंने खड़े कर दिए हैं। बोलीवार्ड में डल के किनारे और जो हमारे टूरिस्ट रेजोर्ट हैं, वहां पर बड़े-बड़े होटल्स कायम हुए हैं। और बड़े-बड़े मैंशन्स बनाने में करोड़ों रुपये की ब्लैकमनी उसमें लगा दी। सरकार ने भी उनको पैसा दिया और उनको वहां पर जितनी दूसरी फैसिलिटीज थी, जैसे सबसिडी, कर्ज सब कुछ दिया। उसके बरकस जो वर्किंग क्लास है, जो दस्तकार हैं, काश्तकार हैं, पीजेन्ट्री है, उनको नजर-अंदाज किया जा रहा है। लिहाजा यह एक बहुत बड़ी कन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जब हम कहते हैं हमने बैंक्स को नेशनेलाइज कर दिया तो उसका मतलब यह हुआ कि मुल्क का जो धन है, उसका फायदा गरीब लोगों को मिले, वर्किंग क्लास को मिले, पसमान्दा और पिछड़े हुए लोगों को मिले, उसका फायदा कैपिटलिस्टस को न मिले। क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, चाहे किसी भी बिना पर, मुझे याद आ रहा है कि जिस मकसद के लिए बैंक्स का नेशनेलाइजेशन हुआ था, उसका उल्टा असर हो रहा है। उसका फायदा गरीबों की बजाए अमीरों को हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार देख ले। चूंकि इस मामले में सरकार बड़ी एलाइव है और इस सदन में पूरी बहस को मैंने सुना है उसकी बिना पर मुझको लग रहा है कि मैं सरकार के सामने यह तजवीज क्यों न पेश करूं कि इसमें पार्लियामेंट की एक कमेटी बने, ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी बने ताकि वह तमाम 28 नेशनेलाइज्ड बैंक्स के हालात, उनकी कार्यवाही, उनमें फैले भ्रष्टाचार और तमाम बुराईयों को देखें, उसमें बोथ साइडस के मेम्बरान होंगे, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजीशन के भी, और दोनों मिल कर सारे बैंकिंग के सिलसिले में, सारे सदन को कांफीडैंस में लेकर, अपनी तजवीज पेश करेंगे, उसका हर उपाय सुझायेंगे। यह मैं तजवीज सरकार और मिनिस्टर साहब के सामने रखता हूं।

کرونگا کہ ۱۹۶۹ مین کانگریس نے بینکون کے راشٹریہ کرن کا فیصلہ کیا اور اس کا ملک پر اس قدر اثر ہوا کہ ۱۹۷۱ کے چناو مین کانگریس کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک کے لوگون کی توقعات سرکار سے اس قدر بڑھ گئین کیونکہ نیشنلائزیشن کی وجہ سے عام لوگون کو خریب مزدورون دستکارون اور حو پچھڑے ہوئے طبقون کے لوگ ہین ان کو یہ امید پیدا ہوئی کہ اس سے ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیشنلائزیشن کے بعد بینکون مین اس قسم کا بھرشٹاچار شروع ہو گیا جس کی وجہ سے جو امیدین تھین جو توقعات وابستہ تھین وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئین۔ نٹورلال اور کچھ دوسرے اسکینڈلز کا نام لیا گیا۔ مین ان کی طرف نہین جانا چاہتا ہون لیکن جس واقعہ نے پچھلے دنون سارے ملک کو چونکا دیا جس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ سیٹھیا کیس تھا۔ اخبارون کے ذریعہ ہمین معلوم ہوا کہ انگلینڈ مین تین بینکون نے ۲۰۵۰ ملین ڈالر اس طریقے سے ایک پارٹی کو دے دیے جس سے وہ بینکس دیوالیہ ہو گئے۔ اس سے ہمین یہ دکھ ہوا کہ ان بینکون کا روپیہ جو عام لوگون کی بہتری کے لیے خرچ کرنا تھا۔

جو عام محنت کش لوگون مزدورون ان ایمپلائمنٹ بونسس کے لیے خرچ ہونا تھا ان کے بجائے کیپٹلسٹ مفاد خصوصی اجارہ داروں پر خرچ ہو گیا۔

انیکرشنن صاحب نے بہت سارے واقعات بتلائے جن کہ کن کن بینکس مین کیا ہوا مین ان کی تفصیل مین نہین جاونگا لیکن مین کچھ سجھاو دینا چاہونگا۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینکس میں اس وقت جو بھرشٹاچار ہو رہا ہے اور جس طریقے سے بینکس پر بجائے غریب طبقے کے کمپلسٹون پالاد ستون کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو روکنے کا سرکار کو کوئی اپائے ڈھونڈنا چاہیے۔

اس وقت بینکوں میں سب سے زیادہ رقم جمع کرنے والے غریب لوگ ہیں اور وہ لوگ ان بینکوں میں اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ان کو سود کا کچھ فائدہ ہوگا ساتھ ہی اس پیسے سے عام غریبوں کی حالت میں سدھار ہوگا لیکن حالات یہ ہیں کہ جو بیروزگار تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان ایمپلائڈ یوتھ میں میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر عرض کر رہا ہوں خاص طور سے مجھے اپنی اسٹیٹ کا تجربہ ہے وہاں ان ایمپلائڈ یوتھس کے لیے کچھ رقومات بینک کی طرف سے منظور ہوئیں جو ان کو انٹریسٹ پر دی گئیں وہ جتنے پیرینڈ کے لیے دیے گئیں اس پیریئڈ میں وصول نہیں ہوئیں اور اس کی وجہ سے میری اسٹیٹ میں کچھ سال پہلے کئی نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی کافی دیر تک جاری رہے گا۔ ان ایمپلائڈ یوتھس کے لیے جتنی پابندیاں ہیں اور جس ریٹ آف انٹریسٹ پر قرض دیا جاتا ہے اور جتنی سختیاں ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں اس کی بنا پر ان کے سامنے خودکشی کرنے کے سوا اور کوئی چارا باقی نہیں رہتا ہے۔ ہمارے یہاں نہ صرف بینکوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ کچھ پرائیویٹ کارپوریشنز بھی بنی ہیں۔

حو پیرلل اکنامی کی علامت ہے۔ کچھ بینکس بنا کوئی باقائدگی کے ملتھ سرکار کی اجازت کے بنا پر ۲۰-۲۵ پرتی شت سود پر قرضہ دے رہے ہین۔ ان سے باقائدہ بانڈس لکھ کر لے لیتے ہین۔ بعد مین وہ غریب لوگ ان کا دشانہ بنتے ہیں جو ان کا پیسہ ادا نہین کر پاتے۔ عدالت مین جا کر یہ ان کی سارت پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہین۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے۔ پورے ہندوستان مین یہ سلسلہ جاری ہے ایک اور بڑی بد قسمتی ہے جس کی طرف آنریبل منسٹر کی توجہ نہین دکھائی گئی۔ وہ جٹ فنڈ کمپنیان ہین۔ میری سمجھ مین نہین آ رہا ہے کہ ان کمپنیون کو کون برداشت کر رہا ہے۔ ہر طرف سے ان کا جال بچھ چکا ہے۔ ہر ریاست مین یہ کمپنیان کام کر رہی ہے۔ جو لوگ ان کے جھانسے مین آتے ہین۔ وہ سمجھتے ہین کہ کچھ ان کو زیادہ انٹریسٹ اور فائدہ ملے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنا پیسہ لگا دیتے ہین۔ بعد مین پتہ چلتا ہے کہ وہ بوگس اور فراڈ ہین۔ ایک کمپنی کے بارے مین مجھے پتہ ہے جو پچھلے دنون فیل ہو گئی۔ اندور مین اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ پچاس ہزار روپیہ خمون کشمیر مین اس نے اکٹھا کر لیا۔ نمبر باغ دکھا کر یقین دلایا جس سے کچھ لوگون کو فائدہ بھی حاصل ہوا۔ بعد مین پتہ چلا کہ یہ کمپنی غائب ہو گئی اور کہین اندور کی عدالت مین اس پر مقدمہ چل رہا ہے اور اس کمپنی کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی کمپنیان کام کر رہی ہین جس کی طرف آنریبل منسٹر کی توجہ دلانا چاہتا ہون۔ میں چاہونگا کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور

اور چار سو بیسی میں گرفتار کیا جانا چاھیے۔ سرکار نے بینکوں اپنے ھاتھ میں لے لیے ھیں۔ اس کے بعد بھی پرائیویٹ استو پر اس پر کار کی کارروائی کیوں ھو رھی ھے اور بینک کا پیرلل سسٹم کس پرکار سے چل رھا ھے۔ نیشنلائزڈ بینکس سے یہ شکایت ھے کہ آج ایک سیاسی اثر رسوخ کی بنا پر قرضہ دیا جا رھا ھے اس میں جو پولٹکس انوالومینٹ ھے اس کے لیے سرکار کو چاھیے کہ یہ اثر وہاں سے نکال دیں۔ اس سے بہت برائیاں پیدا ھو رھی ھیں۔ جو بھی بااثر لوگ ھیں جن کا پولٹکل پارٹیز میں زیادہ اثر ھے یا جو سرکار کے اداکار ھیں وہ بگ بزنس والوں کو لون دلا دیتے ھیں۔ ھم دیکھ رھے ھیں جو زیادہ ڈزرونگ اور مستحق لوگ ھیں ان کو اس طرح کی فائنینس کے لیے بڑی دقت پیش آ رھی ھے۔ میں نے پہلے بھی کہا ھے اور پھر عرض کرنا چاھونگا کہ جموں کشمیر میں ہزاروں دستکار ایسے ھیں جن کو دس بیس ھزار روپیہ سرکاری بینکوں سے کچھ کنسیشن تنخا کچھ سب سڈی دی جاتی ھے۔ اس سے وہ لوگ اپنا کاروبار ٹھیک ڈھنگ سے چلا سکتے ھیں۔ اس طریقے سے نہ صرف اپنا گھر بار چلا سکتے ھیں بلکہ ایسے لوگ ھیں جو فارین ایکسچینج کما رھے ھیں۔ اس میں اور زیادہ بڑھوتری ھو سکتی ھے اور زیادہ فائدہ لے سکتے ھیں۔ لیکن ایسا نہیں ھو رھا ھے۔ جموں کشمیر کی بات عرض کرنا چاھونگا بڑے بڑے ھوٹلیئرس اور بڑے بڑے بزنیس مین نیشنس نے لاکھوں کروڑوں روپیہ سرکار سے لیا ھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رھا ھے کہ کیسے سرکار ان کو باقاعدہ سب سڈی دیتی ھے۔ بڑے بڑے مینشنس انہوں نے کھڑے کر دیے ھیں۔

بولی وارڈ میں ڈل کے کنارے اور جو ہمارے ٹورسٹ ریزارٹ ہیں وہاں پر بڑے بڑے ہوٹل قائم ہوئے ہیں۔ اور بڑے بڑے مینشنس بنانے میں کروڑوں روپئے کی بلیک منی اس میں لگا دی۔ سرکار نے بھی ان کو پیسہ دیا اور ان کو وہاں پر جتنی دوسری فیسلٹیز نہیں جیسے سب سڈی قرض سب کچھ دیا۔ اس کے برعکس جو ورکنگ کلاس ہے جو دستکار ہیں کاشتکار ہیں پچھڑی ہے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہم نے بینکس کو نیشنلائز کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کا جو دھن ہے اس کا فائدہ غریب لوگوں کو ملے۔ ورکنگ کلاس کو ملے۔ پس ماندہ اور پچھڑے ہوئے لوگوں کو ملے۔ اس کا فائدہ کیپٹلسٹس کو نہ ملے۔ کیونکہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے حاضر کسی بھی بنا پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے بینکس کا نیشنلائزیشن ہوا تھا اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ غریبوں کی بجائے امیروں کو ہو رہا ہے۔ اس لئے میں چاہونگا کہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے سرکار دیکھ لے۔ کیونکہ اس معاملے میں سرکار بڑی اپلائیو ہے اور اس سدن میں پوری بحث کو میں نے سنا ہے اس کی بنا پر مجھ کو لگ رہا ہے کہ میں سرکار کے سامنے یہ تجویز کیوں نہ پیش کروں کہ اس میں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی بنے تاکہ وہ تمام ۲۸ نیشنلائزڈ بینکس کے حالات ان کی کارروائی ان میں پھیلے بھرشٹاچار اور تمام برائیوں کو دیکھے اس میں بوتھ سائڈس کے ممبران ہونگے رولنگ پارٹی کے بھی اور اپوزیشن کے بھی۔ اور دونوں مل کر سارے بینکنگ کے

سلسلے میں سارے سدن کو کانفیڈینس میں لے کر اپنی تجویز پیش کرینگے۔ اس کا اپائے سجھائینگے۔ یہ میں تجویز سرکار اور منسٹر صاحب کے سامنے رکھنا ہوں۔

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैंने भारत में तथा भारत के बाहर सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में जालसाजी के विषय में माननीय सदस्यों के विचार सुने। यह सच है कि जन प्रतिनिधि होने के नाते माननीय सदस्यों को यह अधिकार हैं कि वे इस मंच पर अपनी व्यथा तथा अपनी चिन्ता व्यक्त करें। भारत सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि उनकी भावनाओं को समझे, उनकी चिन्ता की ओर ध्यान दे। मैं अपनी ओर से माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात को लेकर सरकार भी उतनी चिन्तित है जितने कि माननीय सदस्य। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि यहां, इस मंच पर किसी संघटक विशेष का नाम लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ सीमाओं में रह कर कार्य करना होता है, देश का यही कानून है। माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि देश के इस सर्वोच्च मंच, संसद् में ही कानून बनाये जाते हैं। यदि हम लोग देश के कानून का पालन करेंगे तो निश्चय ही जनता भी उसका पालन करेगी। बैंक कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि अलग से किसी संघटक विशेष आदि का नाम लेकर चर्चा की जाये। माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन जी ने किसी···(**व्यवधान**) के बारे में सूचना दी है। यदि आप मेरी खिल्ली उड़ाना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं और आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं खड़ा होऊंगा।

महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। उन्नीकृष्णन् जी ने नियमानुसार सूचना दी है उसमें उन्होंने अपनी बातें कहीं हैं। कुछ सदस्यों ने सूचना दिये बिना ही पृथक संघटकों को बीच में घसीटा है। देश के इस सर्वोच्च मंच पर ऐसा करना न्याय संगत है अथवा नहीं, यह सोचने की बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक मामले विशेष का हवाला दिया है। मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया है। जब वह व्यक्ति बोला तो स्वाभाविक था कि मैं भी उसका उत्तर दूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय क्यों···।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बताता हूं। मंत्री जी ने प्रारंभ में यह कहा था कि बैंक कानून तथा सांविधिक उपबंधों के कारण कुछ लेन-देनों की जानकारी नहीं थी। आप उन बातों पर कैसे चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि वह इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही यह बात कही थी।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दें कि इस मामले की बिना किसी डर तथा पक्षपात के जांच की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्तीय लेन-देन बैंकों के गुप्त मामले होते हैं। लेकिन आपने कोई सूचना दिये बिना ही उनको यहां उठा दिया। यही सारी बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब जालसाजी की गई है तो उसको प्रकाश में तो लाना ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी तब कहीं जाकर आप उसका उल्लेख कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह स्पष्टीकरण का प्रश्न है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं तो यह कह रहा हूं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो लेन-देनों में चैक नम्बरों तथा अन्य चीजों का भी उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं किसी भी दस्तावेज का हवाला दे सकता हूं। आप उसको मनाही नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी आप चैक नम्बर बता रहे हैं। यह तो बैंक का भेद है। आप इनका कैसे उल्लेख कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप इसकी मनाही नहीं कर सकते। सदन में किसी भी गुप्त दस्तावेज का हवाला दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : ऐसा नहीं है। मैं इस बारे में आपको बताता हूं। ऐसी परिपाटी नहीं है। सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी गुप्त दस्तावेज के उद्धरण इस सदन में दे सकता है। यदि कहे जाने पर अथवा खुद वह उसको सभा पटल पर रखता है तो अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसे उनको प्रमाणित करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही हो सकेगा। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से अनुमति नहीं मांगी है। हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन् कानून तथा सभा के नियमों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने उसे भलीभांति समझा है और स्पष्ट तौर पर यह दृष्टिकोण सामने रखा है कि किसी भी जगह से गुप्त चीज प्राप्त की जा सकती है तथा यहां रखी जा सकती है और मामला बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि नियम 353 के अन्तर्गत इसकी अनुमति है कि नहीं। यह बात पीठासीन अधिकारी पर छोड़ दी जाती है। उसके लिए सूचना भी दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। यदि कोई भी चीज नियम-विरुद्ध पाई गई तो मैं उसको निकाल दूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप रिकार्ड में से वही चीज निकाल सकते हैं जो असंसदीय हो। उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप निकालने भी दृष्टि से हर बार रिकार्ड देखेंगे तो वह सिर पर 'लटकती तलवार' का रूप धारण कर लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा और यदि उसमें नियम-विरुद्ध कोई बात हुई तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं यह नहीं कहता कि कार्यवाही से निकालने का मेरा कोई आग्रह है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : नियम 353 के अन्तर्गत सूचना दिये बिना आरोप नहीं लगाये जा सकते। इसको उलझाकर गुप्त दस्तावेज का हवाला देने के लिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये दो पृथक मामले हैं। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी पर निर्भर करता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करेंगे। आपको पूर्व अनुमति लेनी होगी अथवा पूर्व सूचना देनी होगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वे ही उसकी इजाजत दे सकते है। अतः समझदारी से काम लीजिये।

श्री जनार्दन पुजारी : 19 जुलाई, 1969 को जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो लगभग 8,262 शाखाएं थीं और आज देश भर में 47128 शाखाएं हैं। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी जमा राशि 4,646 करोड़ रुपये थीं और आज यह जमा राशि 72,000 करोड़ रु० से भी अधिक हो चुकी है यही एक मात्र उपलब्धि नहीं है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो बैंकों ने राष्ट्र को 3,599 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में दी हुई थी। आज यह राशि 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सात लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और ये बैंक देशभर में फैले हुए हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मंत्री महोदय की बात सुनें।

श्री इन्दजीत गुप्त : अब हमको भूख लग रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैंने उनसे कहा कि वे संक्षेप में कहें।

श्री जनार्दन पुजारी : पन्द्रह वर्षों के थोड़े से समय में अपूर्व विस्तार हुआ है। महोदय यह सही है कि प्रत्येक प्रणाली में गलत काम करने वाले होते हैं। (व्यवधान) मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय की चिन्ता को जानता हूं। मैं यथाशीघ्र अपनी बात समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

महोदय, अब हम यह तो नहीं कहते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी नहीं होती है। मैं तो 1982 से ही घोखाधड़ी के बारे में बताता आ रहा हूं। वास्तव में, में बैंकों में गया और जांच-पड़ताल के दौरान मैंने पाया कि अन्तर-शाखा लेखा मिलान कार्य 1972 से अर्थात 12 वर्ष से स्थगित पड़ा हुआ है। यदि बैंकों के लेन देन का मिलान किया जाए तो धोखाधड़ी के ओर भी मामले उजागर होंगे। बाद में हमने अन्तर-शाखा लेखा मिलान आरंभ किया और ये जांच करना भी कि कहां क्या कुछ हुआ है ? जांच-पड़ताल और प्रति जांच-पड़ताल के कारण और हमने जो कदम उठाए हैं उनके कारण अब धोखेधड़ी के मामले उजागर हो रहे हैं और ऐसा सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही के कारण हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और अधिक उजागर होंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य इसे हंस कर टाल सकते हैं। आज यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। की गई कार्यवाही और उठाए गये कदमों के कारण ही और अधिक धोखेधड़ी के मामले उजागर हो रहे हैं। पहले जनता को उनका पता ही नहीं होता था। जब धोखेधड़ी उजागर हो रही है तो हमें कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। अब यहां राजेन्द्र सेठिया का मामला ही लीजिए। उस पर यहां चर्चा हुई थी और माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कार्यवाही में भाग लिया था। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इसे गम्भीरता से लें। यदि मंत्री महोदय बोल रहे हैं तो पहले उनकी बात सुननी होगी और टिप्पणियां आप बाद में करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : उसमें भी हमने इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है। राजेन्द्र सेठिया को गिरफ्तार किया गया और इतना ही नहीं, बैंक के चैयरमैन को हटा दिया गया तथा

[श्री जनार्दन पुजारी]

चैयरमैन या अन्य किसी व्यक्ति का इसमें हाथ होने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ कार्यवाही नहीं की गई है ? माननीय सदस्य श्री चौबे ने बैंक आफ बड़ौदा के धोखाधड़ी के मामले का उल्लेख किया है। हमने कार्यवाही की है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच-पड़ताल कर रहा है। विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कनारा बैंक में धोखाधड़ी के मामले को ऊठाया है। उस पर भी हमने कार्यवाही की है और इतना ही नहीं हमने तो कर्नाटक के मुख्य सचिव से इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का भी निवेदन किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, भी वे कम्पनी के सम्बद्ध मालिकों की गिरफ्तार नहीं कर सके। इसी दौरान हमने भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध हमने कार्यवाही भी की है, परन्तु राज्य सरकार अपराधी को पकड़ने में असफल रही। उसमें हम क्या कर सकते हैं ? और इसी बीच उल्लिखित दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में जाकर पूर्वा-मामी जमानत करा ली है। वे भी वहां उपस्थित थे परन्तु राज्य सरकार उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। ये बातें भी हो रही हैं। कार्यान्वियन तन्त्र तो राज्य सरकार ही है। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूं, परन्तु हमें समस्या को समझकर उसका मुकाबला करना चाहिये।

यहां पर कुछ मामले उठाए गये हैं। पिछली बार माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने यह कहते हुए एक मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस (ई) के राज्य सभा के एक सदस्य का भी उसमें हाथ था। वह बैंक के निदेशक थे। आज इस ओर के एक सदस्य ने यह कहते हुए आपत्ति उठाई है कि क्या ऐसा कोई मामला था, क्या राज्य सभा या कांग्रेस (इ) का कोई आदमी है जो कि निदेशक का काम कर रहा था। मैंने पूछताछ की और पाया कांग्रेस दल का या राज्य सभा से किसी अन्य दल का कोई व्यक्ति निदेशक नहीं था। अतः हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात पर कुछ कहना चाहूंगा। वास्तव में उस व्यक्ति का उल्लेख मैंने आपकी अनुमती से किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन मैंने आपसे कहा था कि यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत में से निकाल दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरी सूचना सदैव सही नहीं भी हो सकती है। वास्तव में वह सज्जन मेरे पास आए थे। यह उनकी महानता है और उन्होंने मुझे स्पष्ट किया कि वह तो कभी भी उस कंकबैं निदेशक-मण्डल का सदस्य नहीं रहे। मैंने उनकी बात मान ली। यदि मैंने गलती की है तो मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता हूं। (व्यवधान) वह उस सभा में हैं और उनका कहना था "मैं तो कभी निदेशक मण्डल का सदस्य नहीं रहा। केवल मेरे परिवार के कुछ सम्बन्धी बोर्ड

के सदस्य हैं।" मैंने कहा मुझे खेद है कि मुझसे गलती हो गई और उसे ठीक करने को मैं तैयार हूं।" परन्तु उनका कहना कि उसके परिवार के सदस्य तो उसमें हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने भी आन्ध्र बैंक के एक मामले को उठाया था। हम वहां पर लेखाओं की, वह भी एक पार्टी-विशेष के लेखाओं की, जांच कर रहे हैं और उन्होंने सिंडीकेट बैंक का भी मामला उठाया है वहां पर भी हम आरोप की जांच करेंगे। लोग पूछ सकते हैं कि "आपने क्या कार्यवाही की है, आप तो केवल कार्यवाही करने की बात ही करते रहे ?" जब अपराध प्रकाश में लाए जाते हैं तो हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं और हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा और कठोर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान सरकार ने राष्ट्र को यह वचन दिया है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे और हम उसके प्रति वचन बद्ध हैं और उनके लिए बैंक के लोग या अन्य किसी विभाग में, यदि कोई बात है तो निश्चय ही उसका पता लगायेंगे और उपचारात्मक उपाय करेंगे। केवल इतना ही नहीं जहां तक बैंकिंग क्षेत्र की बात है यदि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की धोखाधड़ी, बेईमानी या भ्रष्टाचार के मामलों की को सूचना है तो वे उसकी ओर मेरा ध्यान दिला सकते हैं। हम उसकी जांच के आदेश दे देंगे।

श्री नारायण चौबे का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी और अन्य बातें बताई थी। हमें मामले स्पष्ट बताये जाने चाहिएं। हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं।

जांच पड़ताल के आदेश भी दिए जा सकते हैं।

परन्तु यदि शिकायत सामान्य प्रकार की है तो फिर यह बहुत कठिन होगा।

आप न्यायपालिका को तो जानते ही हैं। हमें बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अचानक तो किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं और यदि वे न्यायालय में जाते हैं तो फिर वहां कटु आलोचना भी होगी। हमें नियमों का पालन भी करना पड़ेगा।

विस्तार में न जाते हुए मैं अन्तिम मुद्दे पर आता हूं क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि मैं विस्तार में जा रहा हूं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमें इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिये। भ्रष्टाचार तो है ही, यह तो विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में भी हैं। राजस्व विभाग हो, या पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो, सभी में भ्रष्टाचार है। क्या विपक्षी दलों की राज्य सरकारें अपने विभागों से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर सकी हैं ? अतः यह तो एक व्याधि है। हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। यह तो राष्ट्रीय समस्या है। इस पर हम दलीय हितों से ऊपर

[श्री जनार्दन पुजारी]

उठकर सोचना होगा। हमें एक साथ बैठकर यह विचार करना होगा कि हम इस समस्या का मुकाबला कैसे कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने मेरे किसी भी मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने किस बात का उत्तर नहीं दिया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने निरीक्षण और सतर्कता के लिए समान संवर्ग बनाने का उल्लेख किया था और मैंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया था कि बैंकों पर किस प्रकार गुटबाजी हावी हो गई है। उससे बचने के लिए मैंने कहा था कि हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा परीक्षा और निरीक्षण हेतु समान संवर्ग बनाना चाहिए। मैंने ऋण मूल्यांकन का उल्लेख भी किया था जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे हम कमप्यूटर प्रणाली को अपनाएं जिसमें आप सूचना ले-दे सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने सतर्कता और अन्य बातों का सुझाव दिया है, जो कि बहुत अच्छा सुझाव हैं। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

जहां तक कम्प्यूटरीकरण की बात है, हम कम्प्यूटरीकरण करेंगे किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य सदस्य जानते हैं, कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध, प्रतिरोध हो रहा है और हम उस को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए वे सहमत हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों के मामले में हम अभी भी बातचीत चला रहे हैं। यदि श्रमिक संघ नेता भी सहयोग दें तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने यह बताया है कि किस प्रकार एक कम्पनी, प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने, विभिन्न बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दें कि यहां मैंने जो उल्लेख किया है उस पर मन्त्रालय ध्यान देगा और बिना किसी डर या पक्षपात के उसकी जांच की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी कहा है उस पर गौर किया जायेगा। आप विशिष्टतया एक पर बल क्यों देते हैं जब कि आपने अन्य बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। प्रत्येक बात पर विचार किया जायेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या कोई जांच चल रही है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह हरेक बात पर विचार करेंगे ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने केवल एक कम्पनी का उल्लेख किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी अनियमितताएं बताई गई हैं, वह उन पर गौर करेंगे ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय को सभा को अभी यह आश्वासन देने से कौन रोकता है कि वह इसकी जांच करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने चार-पांच घटनाओं का उल्लेख किया है । आप विशेषकर एक को क्यों उठा रहे हैं ? वह हर बात पर विचार करेंगे । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को इस प्रकार बाध्य मत कीजिए । वह तो हर बात के बारे में आमतौर से पहले ही आश्वासन दे चुके हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य कुछ और भी विववरण दे सकते हैं । वह मुझे पत्र भी लिख सकते हैं । वह पूर्ण ब्यौरा देते हुए लिख सकते हैं ।

9.00 म० प०

जो कुछ भी सामग्री उनके पास उपलब्ध हो उसके ब्यौरे के साथ मुझे लिखें और फिर निश्चय ही हम उस पर गौर करेंगे ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : इससे पहले कि आज की सभा स्थगित हो मैं माननीय सदस्यों से रात्रि-भोज में हमारे साथ सम्मिलित होने का निवेदन करता हूं ।

9.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शनिवार, 18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2